



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266211
CG-DL-E-17092025-266211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 598]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 9/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 642(अ).—केंद्र सरकार, एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 666(अ) के तहत दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, को ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छूटी हुई बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा एकीकृत कर की दर को अधिसूचित करती है-

- (i) अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 5 प्रतिशत;
- (ii) अनुसूची II में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 18 प्रतिशत;
- (iii) अनुसूची III में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 40 प्रतिशत;
- (iv) अनुसूची IV में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 3 प्रतिशत;

- (v) अनुसूची V में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 0.25 प्रतिशत;
- (vi) अनुसूची VI में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 1.50 प्रतिशत; और
- (vii) अनुसूची VII में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 28 प्रतिशत,

इस अधिसूचना के साथ संलग्न (जिसे इसके पश्चात् उक्त अनुसूचियां कहा जाएगा) माल की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिसका विवरण उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कि टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (2) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट है।

अनुसूची I – 5%

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101 21 00, 0101 29	जीवित घोड़े
2.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
3.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
4.	0402	दूध और क्रीम, गाढ़ा या चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हुआ, जिसमें गाढ़ा दूध भी शामिल है
5.	0403	दही; क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीय दूध और क्रीम, (चाहे या नहीं) सांद्रित या चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हुआ या सुगंधित या फल, मेवे या कोको मिला हुआ; पूर्व-पैक और लेबल लगा हुआ दही, लस्सी और छाछ
6.	0404	मट्ठा, चाहे सांद्रित हो या नहीं या इसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो; प्राकृतिक दूध के घटकों से बने उत्पाद, चाहे इसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो
7.	0405	मक्खन और दूध से प्राप्त अन्य वसा और तेल, जिसमें घी भी शामिल है; डेयरी स्प्रेड
8.	0406	पनीर, छेना या पनीर के अलावा
9.	0408	पक्षियों के अंडे, बिना खोल के, तथा अंडे की जर्दी, ताजा, सूखी, भाप से पकाई गई या पानी में उबालकर, ढाली गई, जमाई गई या अन्यथा संरक्षित, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं
10.	0409	प्राकृतिक शहद, पूर्व-पैक और लेबल युक्त

11.	0410	पशु मूल के कीड़े और अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
12.	0502	सूअर, सुअर या सूअर के बाल और झाड़; बेजर के बाल और अन्य ब्रश बनाने वाले बाल; ऐसे झाड़ या झाड़ का अपशिष्ट
13.	0504	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
14.	0505	पक्षियों की खालें और अन्य भाग, उनके पंख या नीचे, पंख और पंखों के भाग (चाहे किनारों को काटा गया हो या नहीं) और नीचे, जिन्हें साफ करने, रोगाणुरहित करने या संरक्षण के लिए उपचारित करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया हो; पंखों या पंखों के भागों का चूर्ण और अपशिष्ट
15.	0507 (050790 को छोड़कर)	हाथी दांत, कछुए का खोल, व्हेल की हड्डी और व्हेल की हड्डी के बाल, सींग, बिना काम किए या केवल तैयार किए गए लेकिन आकार में काटे नहीं गए; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
16.	0508	मूंगा और इसी प्रकार की सामग्री, बिना काम की हुई या केवल तैयार की गई, लेकिन अन्यथा काम में नहीं ली गई; मोलस्क, क्रस्टेशियन या इकाइनोडर्म के कवच और कटल-बोन, बिना काम की हुई या केवल तैयार की गई, लेकिन आकार में नहीं काटी गई, उसका पाउडर और अपशिष्ट
17.	0510	एम्बरग्रीस, कैस्टोरियम, सिवेट और कस्तूरी; कैथराइड्स; पित्त, चाहे सूखा हो या नहीं; ग्रंथियां और अन्य पशु उत्पाद जो दवा उत्पादों की तैयारी में उपयोग किए जाते हैं, ताज़ा, ठंडा, जमे हुए या अन्यथा अनंतिम रूप से संरक्षित
18.	0511	पशु उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; अध्याय 1 या 3 के मृत पशु, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त, वीर्य के अलावा, जिसमें जमे हुए वीर्य भी शामिल है
19.	07	जड़ी बूटी, छाल, सूखा पौधा, सूखी जड़, जिसे आमतौर पर जरीबूटी और सूखा फूल के नाम से जाना जाता है
20.	0713	सूखी फलीदार सब्जियाँ, छिलके सहित, छिलका सहित या बिना छिलके सहित, पूर्व-पैक और लेबल सहित; ग्वार गम, परिष्कृत विभाजित
21.	0714	मेनिओक, अरारोट, सालेप, जेरूसलम आर्टिचोक, शकरकंद और इसी तरह की जड़ें और कंद जिनमें स्टार्च या इनुलिन की मात्रा अधिक हो, जमे हुए, कटे हुए या गोलियों के रूप में, पहले से पैक और लेबल किए हुए
22.	0801	काजू, चाहे छिलके सहित हों या नहीं, सूखे नारियल; ब्राजील नट्स, सूखे, चाहे छिलके सहित हों या नहीं

23.	0802	सूखे सुपारी, छिलके सहित या बिना छिलके वाले; अन्य सूखे मेवे, छिलके सहित या बिना छिलके वाले, जैसे बादाम, हेज़लनट या फ़िल्बर्ट (कोरिलस प्रजाति), शाहबलूत (कास्टानिया प्रजाति), पिस्ता, मैकाडामिया नट, कोला नट (कोला प्रजाति), पाइन नट, शाहबलूत (सिंघाड़ा), अखरोट, छिलके सहित या बिना छिलके वाले
24.	0802, 0813	शाहबलूत (सिंघाड़ा), सूखा हुआ (चाहे हो या नहीं) छिला हुआ या छिला हुआ
25.	08	सूखा मखाना, चाहे छिला हुआ हो या नहीं, पहले से पैक और लेबल लगा हुआ
26.	0804	खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन, सूखे
27.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मंडरिन (कीनू और सत्सुमा सहित); क्लेमेटाइन, विल्किंग और इसी तरह के खट्टे संकर, अंगूर, पोमेलो सहित, नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और लाइम (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया), सूखे
28.	0806	अंगूर, सूखे अंगूर और किशमिश
29.	0811	फल और मेवे, बिना पके या भाप में पकाए या पानी में उबालकर, जमे हुए, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं
30.	0812	फल और मेवे, अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, नमकीन पानी में, सल्फर जल में या अन्य परिरक्षक घोल में), लेकिन उस अवस्था में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
31.	0813	फल, सूखा, शीर्षक 0801 से 0806 के अलावा; अध्याय 8 के मेवों या सूखे फलों का मिश्रण [सूखी इमली के अलावा]
32.	0814	खट्टे फल या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, जमे हुए, सूखे या अस्थायी रूप से नमकीन पानी, सल्फर जल या अन्य परिरक्षक घोल में संरक्षित
33.	0901	भुनी हुई कॉफी, चाहे कैफीन रहित हो या नहीं; कॉफी के छिलके और छिलके; किसी भी अनुपात में कॉफी युक्त कॉफी के विकल्प [भुनी हुई कॉफी बीन्स के अलावा]
34.	0902	चाय, स्वादयुक्त हो या न हो [चाय की अप्रसंस्कृत हरी पत्तियों के अलावा]
35.	0903	साथी

36.	0904	पाइपर वंश की काली मिर्च; कैप्सिकम वंश या पिमेंटा वंश के सूखे या कुचले या पिसे हुए फल
37.	0905	वेनिला
38.	0906	दालचीनी और दालचीनी के पेड़ के फूल
39.	0907	लौंग (पूरा फल, लौंग और डंठल)
40.	0908	जायफल, जावित्री और इलायची
41.	0909	सौंफ, बदायन, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; जुनिपर बेरीज [बीज की गुणवत्ता के अलावा]
42.	0910 [0910 11 10, 0910 30 10 के अलावा]	अदरक (के अलावा) ताजा अदरक, केसर, हल्दी (करकुमा) (के अलावा) ताजा हल्दी, थाइम, तेजपत्ता, करी और अन्य मसाले
43.	1001	गेहूं और मेस्लिन, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
44.	1002	राई, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
45.	1003	जौ, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
46.	1004	ओट्स, पहले से पैक और लेबल किए हुए
47.	1005	मक्का (मक्का), पूर्व-पैक और लेबल किया हुआ
48.	1006	चावल, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
49.	1007	अनाज ज्वार, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
50.	1008	कुट्टू, बाजरा और कैनरी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
51.	1101	गेहूं या मेस्लिन का आटा, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
52.	1102	गेहूं या मेस्लिन के अलावा अन्य अनाज आटा, जैसे मक्का (मकई) का आटा, राई का आटा, आदि, पूर्व-पैक और लेबल किया हुआ
53.	1103	अनाज के दाने, आटा और दाने, जिनमें सूजी और दलिया भी शामिल हैं, पहले से पैक और लेबल लगे हुए
54.	1104	शीर्ष 1006 के चावल को छोड़कर, अन्यथा संसाधित अनाज (उदाहरण के लिए, रोल किए हुए, परतदार, मोतीदार, कटे हुए या किब्ल्ड); अनाज के बीज, पूरे, रोल किए हुए, परतदार या पीसे हुए (छिलके वाले अनाज के अलावा)
55.	1105	आटा, आटा, पाउडर, फ्लेक्स, दाने और आलू की गोलियाँ, पहले से पैक और लेबल किए हुए

56.	1106	शीर्ष 0713 (दालें) की सूखी फलीदार सब्जियों का आटा, चूर्ण और पाउडर [ग्वार चूर्ण (एचएस 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाईंड स्प्लिट (एचएस 0713) के अलावा], शीर्ष 0714 के साबूदाना या जड़ों या कंदों का आटा, चूर्ण या अध्याय 8 के उत्पाद, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
57.	1107	माल्ट, भुना हुआ हो या नहीं
58.	1108	स्टार्च; इनुलिन
59.	1109 00 00	गेहूं ग्लूटेन, चाहे सूखा हो या नहीं
60.	12	बीज की गुणवत्ता के अलावा सभी सामान
61.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटी हुई हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
62.	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकी हुई नहीं, चाहे छिलके वाली हो या टूटी हुई, बीज की गुणवत्ता के अलावा
63.	1203	खोपरा
64.	1204	अलसी, चाहे टूटी हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
65.	1205	रेपसीड या कोल्ज़ा के बीज, चाहे वे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा।
66.	1206	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
67.	1207	अन्य तेल बीज और तेलयुक्त फल (अर्थात् ताड़ के बीज और गुठली, कपास के बीज, अरंडी के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (कार्थमस टिक्टोरियस) के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस, अजवायन, आम की गुठली, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटे हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा अन्य
68.	1208	तिलहन या तेलयुक्त फलों का आटा और भोजन, सरसों के अलावा
69.	1209	इमली के बीज बोने के अलावा किसी भी अन्य उपयोग के लिए
70.	1210 20 00	हॉप शंकु, पीसे हुए, चूर्णित या छरों के रूप में; ल्यूपुलिन
71.	1211	पौधे और पौधों के भाग (बीज और फल सहित), जिनका उपयोग मुख्य रूप से सुगंधशाला, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशक या इसी तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जमे हुए या सूखे हुए, कटे हुए, कुचले हुए या चूर्णित हों या नहीं
72.	1212	टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, जमे हुए या सूखे, (चाहे पीसे हुए हों या नहीं); फल की गुठली और गिरी और अन्य वनस्पति उत्पाद (इसमें) सिचोरियम इंटीबस सैटिवम किस्म की बिना भुनी हुई चिकोरी जड़ें शामिल हैं) जो मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं

73.	1301	प्राकृतिक गोंद, रेजिन, गोंद-रेजिन और ओलियोरेसिन (उदाहरण के लिए, बाल्सम) [लाख और शैलैक के अलावा]; मिश्रित हींग जिसे आमतौर पर हींग के नाम से जाना जाता है
74.	1302	वनस्पति रस और अर्क; पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेट और पेक्टेट; अगर-अगर और अन्य म्यूसिलेज और गाढ़ा करने वाले पदार्थ, संशोधित हों या न हों, वनस्पति उत्पादों से प्राप्त, जिनमें इमली की गिरी का पाउडर भी शामिल है
75.	1401	वनस्पति सामग्री जो मुख्य रूप से बुनाई के लिए उपयोग की जाती है (उदाहरण के लिए, बांस, रतन, नरकट, सरकंडे, ओसियर, राफिया, साफ, प्रक्षालित या रंगे अनाज के भूसे, और चूने की छाल)
76.	1404 [1404 90 40, 1404 90 60 के अलावा]	वनस्पति उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कपास के लिंटर, सोप नट्स, कठोर बीज, बीज, छिलके और मेवे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से नक्काशी के लिए किया जाता है, रुद्राक्ष के बीज, बीड़ी के पत्ते (तेंदु), भारतीय कत्था [के अलावा] पान के पत्ते, बिना काम किया हुआ नारियल का खोल]
77.	1404 या 3305	शंकु में मेहंदी का पेस्ट
78.	1501	सूअर की चर्बी (जिसमें चर्बी भी शामिल है) और कुक्कुट की चर्बी, शीर्षक 0209 या 1503 के अलावा
79.	1502	गोजातीय पशुओं, भेड़ या बकरियों की वसा, शीर्ष 1503 के अंतर्गत आने वाली वसा को छोड़कर
80.	1503	लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, ओलियो स्टीयरिन, ओलियो-तेल और टैलो तेल, इमल्सीफाइड या मिश्रित या अन्यथा तैयार नहीं
81.	1504	मछली या समुद्री स्तनधारियों के वसा और तेल और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
82.	1505	ऊन का ग्रीस और उससे प्राप्त वसायुक्त पदार्थ (लैनोलिन सहित)
83.	1506	अन्य पशु वसा और तेल और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
84.	1507	सोयाबीन तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
85.	1508	मूंगफली का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं

86.	1509	जैतून का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
87.	1510	अन्य तेल और उनके अंश, जो केवल जैतून से प्राप्त होते हैं, परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं, जिनमें शीर्षक 1509 के तेलों या अंशों के साथ इन तेलों या अंशों का मिश्रण शामिल है
88.	1511	पाम तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
89.	1512	सूरजमुखी के बीज, कुसुम या कपास के बीज का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
90.	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासु तेल और उसके अंश, (चाहे परिष्कृत हों या नहीं), लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
91.	1514	रेपसीड, कोल्ज़ा या सरसों का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
92.	1515	अन्य निश्चित वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
93.	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके अंश, आंशिक या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्टरीकृत, पुनः-एस्टरीकृत या एलाडिनीकृत, परिष्कृत, लेकिन आगे तैयार नहीं
94.	1516	पशु या सूक्ष्मजीवी वसा और पशु या सूक्ष्मजीवी तेल और उनके अंश, आंशिक या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्टरीकृत, पुनः-एस्टरीकृत या एलाडिनीकृत, परिष्कृत, लेकिन आगे तैयार नहीं
95.	1517	मार्जरीन, लिनोक्सिन; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंशों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां, शीर्ष 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों के अलावा
96.	1518	पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल, उनके अंश, उबले हुए, ऑक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरीकृत, उड़ाए हुए, निर्वात में या निष्क्रिय गैस में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्ष 1516 के अंशों को छोड़कर; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंशों के अखाद्य मिश्रण या तैयारियां, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
97.	1520 00 00	ग्लिसरॉल, कच्चा; ग्लिसरॉल जल और ग्लिसरॉल लाइस
98.	1521	वनस्पति मोम (ट्राइग्लिसराइड्स के अलावा), मोम, अन्य कीट मोम और शुक्राणु, चाहे परिष्कृत या रंगीन हों या नहीं

99.	1522	डीग्रास, वसायुक्त पदार्थों या पशु या वनस्पति मोम के उपचार से उत्पन्न अवशेष
100.	1601	मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़ों से बने सॉसेज और इसी प्रकार के उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य पदार्थ
101.	1602	अन्य तैयार या संरक्षित मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़े
102.	1603	मांस, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी के अर्क और रस
103.	1604	तैयार या संरक्षित मछली; मछली के अंडों से तैयार कैवियार और कैवियार के विकल्प
104.	1605	क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी तैयार या संरक्षित
105.	1701	गन्ना या चुकंदर चीनी और रासायनिक रूप से शुद्ध सुक्रोज, ठोस रूप में जिसमें परिष्कृत चीनी शामिल है जिसमें स्वाद या रंग मिलाया गया हो, चीनी के टुकड़े [सभी प्रकार के गुड़, खांडसारी चीनी, रब के अलावा]
106.	1701 या 1702	सभी प्रकार के गुड़, जिनमें गन्ना गुड़ (गुड़), पामिरा गुड़, खांडसारी चीनी, रब शामिल हैं, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
107.	1702 या 1704	पलमायरा चीनी, मिश्री, बताशा, बूरा, साकर, खादी साकर, हरदा, सकारिया, गट्टा, कुलिया, इलाइचिदाना, लुकुमदाना, चिक्की जैसे मुरमुरे की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, तिल की चिक्की, तिल पट्टी, तिल रेवड़ी, चीनी मखाना, मूंगफली की मिठाइयाँ, गजक, खाजा, खजुली, अनरसा
108.	1702	अन्य शर्करा, जिनमें ठोस रूप में रासायनिक रूप से शुद्ध लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शामिल हैं; चीनी सिरप जिसमें स्वाद या रंग नहीं मिलाया गया हो; कारमेल
109.	1703	गुड़
110.	1704	चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चॉकलेट सहित), जिसमें कोको न हो, चीनी में उबली हुई कन्फेक्शनरी
111.	1801	कोको बीन्स पूरे या टूटे हुए, कच्चे या भुने हुए
112.	1802	कोको के छिलके, भूसी, त्वचा और अन्य कोको अपशिष्ट
113.	1803	कोको पेस्ट (चाहे या नहीं) वसा रहित
114.	1804	कोकोआ मक्खन, वसा और तेल
115.	1805	कोको पाउडर, जिसमें अतिरिक्त चीनी या मीठा पदार्थ न हो

116.	1806	चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य पदार्थ
117.	1901 20 00	ब्रेड, पेस्ट्री और अन्य बेकरी उत्पादों की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा
118.	1901	बाजरे के आटे से बनी खाद्य सामग्री, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, पहले से पैक और लेबल लगा हो; माल्ट एक्सट्रेक्ट, आटे, ग्राउंड्स, मील, स्टार्च या माल्ट एक्सट्रेक्ट से बनी खाद्य सामग्री, जिसमें कोको न हो या जिसमें वजन के हिसाब से 40% से कम कोको हो, जिसकी गणना पूरी तरह से वसा रहित आधार पर की गई हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो; शीर्ष 0401 से 0404 तक के माल की खाद्य सामग्री, जिसमें कोको न हो या जिसमें वजन के हिसाब से 5% से कम कोको हो, जिसकी गणना पूरी तरह से वसा रहित आधार पर की गई हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो
119.	1902	सेवइयां (सेंवई); पास्ता, चाहे पकाया गया हो या नहीं (मांस या अन्य पदार्थों के साथ) या अन्यथा तैयार किया गया हो, जैसे स्पेगेटी, मैकरोनी, नूडल्स, लज़ान्या, ग्रोची, रैवियोली, कैनेलोनी; कूसकूस, चाहे तैयार किया गया हो या नहीं
120.	1903	स्टार्च से तैयार टैपिओका और उसके विकल्प, गुच्छे, अनाज, मोती, छनाई या इसी तरह के रूपों में (साबूदाना)
121.	1904	मुरमुरे, जिसे आमतौर पर मूरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के नाम से जाना जाता है, पार्च चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, पार्च धान या चीनी या गुड के साथ लेपित चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
122.	1904	सभी वस्तुएं अर्थात् मकई के फ्लेक्स, बल्गर गेहूं, अनाज के फ्लेक्स से प्राप्त तैयार खाद्य पदार्थ (पफ्ड राइस को छोड़कर, जिसे आमतौर पर मूरी के रूप में जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पार्च राइस, जिसे आमतौर पर खोई के रूप में जाना जाता है, पार्च धान या चीनी या गुड के साथ लेपित चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के रूप में जाना जाता है); फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके)
123.	1905	पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकरी उत्पाद, चाहे उनमें कोको हो या न हो; कम्प्युनियन वेफर्स, दवाइयों के उपयोग के लिए उपयुक्त खाली कैशेट, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर और इसी तरह के उत्पाद; बिना तले या बिना पके सैंक पेलेट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, एक्सट्रूजन की प्रक्रिया से निर्मित; एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, नमकीन या नमकीन
124.	1905 40 00	रस्क, टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के टोस्टेड उत्पाद

125.	2001	सब्जियां, फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, जो सिरका या एसिटिक एसिड द्वारा तैयार या संरक्षित किए जाते हैं
126.	2002	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित टमाटर
127.	2003	मशरूम और ट्रफल, सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित किए गए
128.	2004	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित की गई अन्य सब्जियां, जमाई गई, शीर्षक 2006 के उत्पादों के अलावा
129.	2005	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित की गई अन्य सब्जियां, जमाई हुई नहीं, शीर्षक 2006 के उत्पादों के अलावा
130.	2006	सब्जियां, फल, मेवे, फलों के छिलके और पौधों के अन्य भाग, चीनी द्वारा संरक्षित (सूखा, ग्लेस या क्रिस्टलीकृत)
131.	2007	जैम, फल जेली, मुरब्बा, फल या मेवे की प्यूरी और फल या मेवे के पेस्ट, जो पकाकर प्राप्त किए जाते हैं, चाहे उनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं
132.	2008	फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, अन्यथा तैयार या संरक्षित, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्पिरिट हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो; जैसे मूंगफली, काजू, भुना हुआ, नमकीन या भुना और नमकीन, अन्य भुने हुए मेवे और बीज, आम, नींबू, संतरा, अनानास या अन्य फलों का स्कैश
133.	2009	फलों या मेवों के रस (अंगूर के रस सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और बिना अतिरिक्त स्पिरिट के, चाहे उनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ हो या न हो
134.	2009 89 90	नारियल पानी, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
135.	2101 11, 2101 12 00	कॉफी के अर्क, सार और सांद्र, तथा इन अर्क, सार या सांद्र या कॉफी के आधार पर तैयारियां
136.	2101 20	सभी वस्तुएं अर्थात् चाय या मेट के अर्क, सार और सांद्र, तथा इन अर्क, सार या सांद्र या चाय या मेट के आधार पर तैयारियां
137.	2101 30	भुनी हुई कासनी और अन्य भुनी हुई कॉफी के विकल्प, तथा उनके अर्क, सार और सांद्र
138.	2102	यीस्ट (सक्रिय और निष्क्रिय); अन्य एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव, मृत (लेकिन शीर्ष 3002 के टीके शामिल नहीं); तैयार बेकिंग पाउडर
139.	2103	सभी सामान, जिनमें सॉस और उसके लिए तैयार सामग्री, मिश्रित मसाले और मिश्रित मसाला; सरसों का आटा और भोजन और तैयार सरसों जिसमें करी पेस्ट, मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग शामिल हैं

140.	2104	सूप और शोरबा तथा उनसे बनी तैयारियाँ; समरूप मिश्रित खाद्य तैयारियाँ
141.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोको हो या न हो
142.	2106	बनावटयुक्त वनस्पति प्रोटीन (सोयाबारी), दालों से बनी बारी जिसमें मुंगोड़ी और बैटर शामिल हैं; भुने हुए चने की इडली/डोसा बैटर, चटनी पाउडर; मिठाइयाँ
143.	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह की खाद्य सामग्री, उपभोग के लिए तैयार, चाहे पहले से पैक और लेबल लगी हो या नहीं
144.	2106 90 91	मधुमेह खाद्य पदार्थ
145.	2106 (21069020 के अलावा)	अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न की गई खाद्य तैयारियाँ [पान मसाला के अलावा]
146.	2201	जल, जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल और वातित जल शामिल हैं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद नहीं मिलाया गया है
147.	2201 90 10	बर्फ और हिम
148.	2202 99	पौधे-आधारित दूध पेय, पेय पदार्थ के रूप में सीधे उपभोग के लिए तैयार
149.	2202 99 10	सोया दूध पेय, चाहे मीठा हो या स्वादयुक्त
150.	2202 99 20	फलों के गूदे या फलों के रस पर आधारित पेय [फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय के अलावा]
151.	2202 99 30	दूध युक्त पेय पदार्थ
152.	2207	मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति की जाने वाली एथिल अल्कोहल
153.	2301	मांस या मांस के अवशेष, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों का आटा, भोजन और गोलियाँ, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं; ग्रीक्स
154.	2302	चोकर, तीखे पदार्थ और अन्य अवशेष, चाहे वे छर्रों के रूप में हों या नहीं, अनाज या फलीदार पौधों की छनाई, पिसाई या अन्य कार्य से प्राप्त [जलीय आहार के अलावा, जिसमें झींगा आहार और झींगा आहार शामिल है, मुर्गी आहार और मवेशी आहार, घास, सूखी घास और पुआल, पूरक और योजक, दालों की भूसी, जिसमें चिल्का शामिल है, सांद्र, चुन्नी या चूरी, खंडा, गेहूँ का चोकर, तेल रहित केक शामिल है]
155.	2302	चावल की भूसी (तेल रहित चावल की भूसी के अलावा)
156.	2303	स्टार्च निर्माण के अवशेष और इसी प्रकार के अवशेष, चुकंदर का गूदा, खोई और चीनी निर्माण का अन्य अपशिष्ट, शराब बनाने या आसवन के

		अवशेष और अपशिष्ट, चाहे वे छरों के रूप में हों या नहीं
157.	2304	सोयाबीन तेल के निष्कर्षण से प्राप्त तेल-खली और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में
158.	2305	तेल केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में, जो मूंगफली के तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं
159.	2306	तेल केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में, जो वनस्पति या सूक्ष्मजीवी बसा या तेलों के निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं, शीर्ष 2304 या 2305 के अलावा, कपास के तेल केक और तेल रहित चावल की भूसी के अलावा
160.	2307	वाइन लीज़; अर्गोल
161.	2309	मछली में घुलनशील पेस्ट
162.	2401	तंबाकू पत्ता
163.	2502	बिना भुने लौह पाइराइट
164.	2503	सभी प्रकार के सल्फर, उर्ध्वपातित सल्फर, अवक्षेपित सल्फर और कोलाइडल सल्फर के अलावा
165.	2504	प्राकृतिक ग्रेफाइट
166.	2505	सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, चाहे रंगीन हो या नहीं, अध्याय 26 की धातु युक्त रेत के अलावा
167.	2506	क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत के अलावा); क्वार्ट्ज़ाइट, चाहे उसे मोटे तौर पर काटा गया हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो
168.	2507	काओलिन और अन्य काओलिनिक मिट्टी, चाहे कैल्सीनेटेड हो या नहीं
169.	2508	अन्य मिट्टियाँ (शीर्षक 6806 की विस्तारित मिट्टियाँ शामिल नहीं), एंडालुसाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट, चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं; मुलाइट; चामोट या डायनास मृदाएँ
170.	2509	चाक
171.	2510	प्राकृतिक कैल्शियम फॉस्फेट, प्राकृतिक एल्यूमीनियम कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फेटिक चाक
172.	2511	प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बैराइट्स); प्राकृतिक बेरियम कार्बोनेट (विथेराइट), चाहे कैल्सीनेटेड हो या नहीं, शीर्षक 2816 के बेरियम ऑक्साइड के अलावा

173.	2512	सिलिकायुक्त जीवाश्म आहार (उदाहरण के लिए, कीसेलगुहर, ट्रिपोलाइट और डायटोमाइट) और इसी प्रकार के सिलिकायुक्त मृदा, चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं, जिनका स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व 1 या उससे कम हो
174.	2513	झांवा; एमरी; प्राकृतिक कोरन्डम, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्षक, चाहे ताप-उपचारित हों या नहीं
175.	2514	स्लेट, चाहे वह मोटे तौर पर छँटी हुई हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटी गई हो
176.	2515 [2515 12 20, 2515 12 90 को छोड़कर] या 6802	इकाउसाइन और अन्य कैल्शियमयुक्त स्मारकीय या भवन पत्थर (संगमरमर और ट्रेवर्टीन के अलावा), अलबास्टर, दर्पण पॉलिश पत्थर के अलावा जो उपयोग के लिए तैयार है
177.	2515 11 00	संगमरमर और ट्रेवर्टीन, अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छंटे हुए
178.	2515 12 10	संगमरमर और ट्रेवर्टीन ब्लॉक
179.	2516 [2516 11 00, 2516 12 00 को छोड़कर]	पोर्फिरी, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और अन्य स्मारकीय या इमारती पत्थर, (चाहे या नहीं) मोटे तौर पर छंटे गए हों या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटे गए हों
180.	2516 11 00	ग्रेनाइट अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छंटा हुआ
181.	2516	ग्रेनाइट ब्लॉक
182.	2517	कंकड़, बजरी, टूटे या कुचले हुए पत्थर, जिनका उपयोग सामान्यतः कंक्रीट समुच्चयों, सड़क धातुकरण या रेलवे या अन्य गिट्टी, शिंगल और चकमक पत्थर के लिए किया जाता है, (चाहे या नहीं) ताप-उपचारित; स्लैग, कचरा या इसी तरह के औद्योगिक अपशिष्ट का मैकडैम, (चाहे या नहीं) जिसमें शीर्षक के पहले भाग में उल्लिखित सामग्री शामिल हो; तारकोलयुक्त मैकडैम; दाने, चिप्स और पाउडर, पत्थरों का शीर्षक 2515 या 2516 चाहे या नहीं ताप-उपचारित
183.	2518	डोलोमाइट, चाहे कैल्सीनेटेड हो या सिंटरित, डोलोमाइट सहित, मोटे तौर पर छंटाई किया हुआ या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा हुआ
184.	2519	प्राकृतिक मैग्नीशियम कार्बोनेट (मैग्नेसाइट); संलयित मैग्नेशिया; मृत-जला हुआ (सिंटर किया हुआ) मैग्नेशिया, जिसमें सिंटरिंग से पहले अन्य ऑक्साइड की अल्प मात्रा मिलाई गई हो; अन्य मैग्नीशियम ऑक्साइड, शुद्ध हो या नहीं
185.	2520	जिप्सम; एनहाइड्राइट; प्लास्टर (कैल्सीनेटेड जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट से बने) रंगीन हों या नहीं, त्वरक या मंदक की अल्प मात्रा के साथ

		या उसके बिना
186.	2521	चूना पत्थर फ्लक्स; चूना पत्थर और अन्य कैल्केरियास पत्थर, एक प्रकार का जो चूने या सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
187.	2522	बिना बुझा चूना, बुझा चूना और हाइड्रोलिक चूना, शीर्षक 2825 के कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड के अलावा
188.	2524	अदह
189.	2525	अभ्रक, विभाजन सहित; अभ्रक अपशिष्ट।
190.	2526	प्राकृतिक स्टीटाइट, चाहे उसे मोटे तौर पर छांटा गया हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो; टैल्क।
191.	2528	प्राकृतिक बोरेट्स और उनके सांद्र (चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं), लेकिन प्राकृतिक ब्राइन से अलग किए गए बोरेट्स को छोड़कर; प्राकृतिक बोरिक एसिड जिसमें 85% से अधिक H_3BO_3 न हो (शुष्क भार पर गणना की गई)
192.	2529	फेल्डस्पार; ल्यूसाइट, नेफलाइन और नेफलाइन साइनाइट; फ्लोरस्पार
193.	2530	खनिज पदार्थ जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
194.	2611	टंगस्टन अयस्क और सांद्र
195.	2612	यूरेनियम या थोरियम अयस्क और सांद्र
196.	2613	मोलिब्डेनम अयस्क और सांद्र
197.	2614	टाइटेनियम अयस्क और सांद्र
198.	2615	नियोबियम, टैंटालम, वैनेडियम या ज़िरकोनियम अयस्क और सांद्र
199.	2616	बहुमूल्य धातु अयस्क और सांद्र
200.	2617	अन्य अयस्क और सांद्र
201.	2618	लोहे या इस्पात के निर्माण से प्राप्त दानेदार लावा (लावा रेत)
202.	2619	लिंज़-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग
203.	2621	फ्लाई ऐश
204.	27	जैव गैस
205.	2704	कोयले, लिग्नाइट या पीट का कोक और सेमी कोक, (चाहे एकत्रित हो या नहीं); रिटॉर्ट कार्बन

206.	2705	कोयला गैस, जल गैस, उत्पादक गैस और इसी प्रकार की गैसों, पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन के अलावा
207.	2710	(क) केरोसिन तेल पीडीएस, (ख) जहाजों या जलयानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर ईंधन, अर्थात्, i. आईएफओ 180 सीएसटी ii. आईएफओ 380 सीएसटी iii. समुद्री ईंधन 0.5% (एफओ)
208.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)
209.	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 10	घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)
210.	28	थोरियम ऑक्सालेट, समृद्ध केबीएफ 4 (समृद्ध पोटेशियम फ्लोरोबोरेट), समृद्ध मौलिक बोरॉन, परमाणु ईंधन
211.	28	एनेस्थेटिक्स, पोटेशियम आयोडेट, आयोडीन, भाप
212.	2804 40 10	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
213.	2805 11	परमाणु ग्रेड सोडियम
214.	2807	गंधक का तेजाब
215.	2808	नाइट्रिक एसिड
216.	2809	उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड
217.	2814	अमोनिया
218.	2845	भारी जल और अन्य परमाणु ईंधन
219.	2847	औषधीय ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड
220.	2853	संपीड़ित हवा
221.	28 या 38	सूक्ष्म पोषक तत्व, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची I, भाग (ए) की क्रम संख्या 1(जी) के अंतर्गत आते हैं और उन निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत पंजीकृत हैं।

222.	29 या 3808 93	जिबरेलिक अम्ल
223.	2906 11 10	प्राकृतिक मेन्थॉल
224.	2906 11 10, 30, 3301	प्राकृतिक मेन्थॉल से बने निम्नलिखित उत्पाद:- क. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, ख. पेपरमिंट (मेन्था तेल), ग. फ्रैक्शनेटेड/डी-टेरपेनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ) घ. डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ), ङ. स्पीयरमिंट तेल च. मेन्था पिपेरिटा तेल
225.	30	इंसुलिन, साइक्लोस्पोरिन, डेसफेरियोक्सामाइन इंजेक्शन या डेफेरिप्रोन, ओरल री-हाइड्रेशन सॉल्ट
226.	30 या कोई भी अध्याय	सभी औषधियाँ और दवाइयाँ जिनमें उनके लवण और एस्टर और डायग्नोस्टिक टेस्ट किट शामिल हैं; थोक औषधियों से निर्मित फॉर्मूलेशन [दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 10/2025- एकीकृत कर (दर) के क्रम संख्या 113 में शून्य पर निर्दिष्ट के अलावा]
227.	30	सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक किट
228.	30	जैव-रासायनिक प्रणालियों में प्रयुक्त औषधियाँ (पशु चिकित्सा औषधियों सहित)
229.	30	औषधियाँ (जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों में प्रयुक्त औषधियाँ भी शामिल हैं), जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की प्रथम अनुसूची या भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जैसा भी मामला हो, की होम्योपैथिक फार्माकोपिया में निर्दिष्ट आधिकारिक पुस्तकों में वर्णित सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से निर्मित की जाती हैं, और ऐसी पुस्तकों या फार्माकोपिया में निर्दिष्ट नाम के तहत बेची जाती हैं
230.	3001	अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियाँ और अन्य अंग, सूखे, (चाहे या नहीं) चूर्णित; अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियों या अन्य अंगों या उनके स्त्रावों के अर्क; हेपरिन और उसके लवण; चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए तैयार अन्य मानव या पशु पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
231.	3002	चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए तैयार पशु रक्त; एंटीसेरा और अन्य रक्त अंश और संशोधित प्रतिरक्षा उत्पाद, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किए गए हों या नहीं; विषाक्त पदार्थ, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन (यीस्ट को छोड़कर) और इसी तरह के उत्पाद; कोशिका संवर्धन, संशोधित किए गए हों या नहीं

232.	3002, 3006	पशु या मानव रक्त टीके
233.	3003	दो या अधिक घटकों से बनी औषधियाँ (शीर्ष 3002, 3005 या 3006 के सामान को छोड़कर) जिन्हें चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए एक साथ मिलाया गया है, जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए मापी गई खुराक या रूपों या पैकिंग में नहीं रखा गया है, जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों की औषधियाँ शामिल हैं
234.	3004	औषधीय उत्पाद (शीर्ष 3002, 3005 या 3006 के सामान को छोड़कर) जिनमें चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोग के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद शामिल हैं, मापी गई खुराकों में (ट्रांसडर्मल प्रशासन प्रणालियों के रूप में शामिल) या खुदरा बिक्री के लिए रूपों या पैकिंग में, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक सिद्ध या जैव-रासायनिक प्रणालियों की औषधीय उत्पाद शामिल हैं, जो खुदरा बिक्री के लिए रखे गए हैं
235.	3005	वैडिंग, गौज, पट्टियाँ और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ (उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग, चिपकाने वाले प्लास्टर, पुल्टिस), जो औषधीय पदार्थों से संसेचित या लेपित हों या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म या पैकिंग में रखी गई हों
236.	3006	इस अध्याय के (नोट) 4 में निर्दिष्ट औषधीय सामान, अर्थात् जीवाणुरहित शल्यक्रिया कैंटगट, समान जीवाणुरहित सिवनी सामग्री (जिसमें जीवाणुरहित शोषक शल्यक्रिया या दंत धागे भी शामिल हैं) और शल्यक्रिया के घाव को बंद करने के लिए जीवाणुरहित ऊतक चिपकाने वाले पदार्थ; जीवाणुरहित लेमिनेरिया और जीवाणुरहित लेमिनेरिया टेंट; जीवाणुरहित शोषक शल्यक्रिया या दंत हेमोस्टेटिक्स; जीवाणुरहित शल्यक्रिया या दंत आसंजन अवरोध, चाहे शोषक हों या नहीं; अपशिष्ट औषधियाँ (गर्भनिरोधकों के अलावा); ओस्टोमी उपकरण जिनमें थैली या फ्लैज, स्टोमा चिपकाने वाला पेस्ट, अवरोध क्रीम, सिंचाई किट, स्लीव, बेल्ट, सूक्ष्म-छिद्र टेप शामिल हैं
237.	3101	सभी सामान अर्थात् पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
238.	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनयुक्त, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
239.	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फॉस्फेटिक, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
240.	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटैश उर्वरक, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
241.	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या तीन उर्वरक तत्व नाइट्रोजन,

		फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के सामान गोलियों या समान रूपों में या 10 किलोग्राम से अधिक सकल वजन के पैकेज में; उनको छोड़कर जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है।
242.	32	वाटल एक्सट्रेक्ट, क्वेब्राचो एक्सट्रेक्ट, चेस्टनट एक्सट्रेक्ट
243.	3202	प्री-टैनिंग के लिए एंजाइमेटिक तैयारियाँ
244.	3304	टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर
245.	3305	बालों का तेल, शैम्पू
246.	3306	टूथपेस्ट
247.	3306 10 10	टूथ पाउडर
248.	3306 20 00	दांतों के बीच सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धागा (डेंटल फ्लॉस)
249.	3307	शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव लोशन
250.	3307 41 00	अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, सांभरानी
251.	3401	टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन के अलावा) बार, केक, ढाले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में
252.	3402	सल्फोनेटेड अरंडी का तेल, मछली का तेल या शुक्राणु तेल
253.	3406	मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और इसी तरह की अन्य चीज़ें
254.	3503	जिलेटिन (आयताकार (वर्गाकार सहित) शीटों में जिलेटिन सहित, चाहे सतह-कार्यित हो या रंगीन) और जिलेटिन व्युत्पन्न; आइसिंगलास; पशु मूल के अन्य गोंद, शीर्षक 3501 के कैसिइन गोंद को छोड़कर
255.	3505	डेक्सट्रिन और अन्य संशोधित स्टार्च (उदाहरण के लिए, प्रीजिलेटिनाइज्ड या एस्टरीफाइड स्टार्च); स्टार्च, या डेक्सट्रिन या अन्य संशोधित स्टार्च पर आधारित गोंद
256.	3605 00 10	सभी सामान
257.	3701	चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे हेतु फोटोग्राफिक प्लेटें और फिल्म
258.	3705	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, उजागर और विकसित, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के अलावा
259.	3706	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, एक्सपोज़्ड और डेवलप्ड, (चाहे या नहीं) साउंड ट्रैक शामिल हो या केवल साउंड ट्रैक से युक्त, (फीचर फिल्मों के

		अलावा)
260.	3808	निम्नलिखित जैव-कीटनाशक, अर्थात् – (क) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. इजराइलेंसिस (ख) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. कुस्तार्क (ग) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. गैलेरिया (घ) बैसिलस स्फेरिकस (ङ) ट्राइकोडर्मा विरिडे (च) ट्राइकोडर्मा हार्जियानम (छ) स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस (ज) ब्यूवेरियाबैसियाना (झ) हेलिकोवर्परमिगेरा का एनपीवी (ञ) स्पोडोप्टेरालिट्यूरा का एनपीवी (ट) नीम आधारित कीटनाशक (ठ) सिम्बोपोगन
261.	3816	डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण
262.	3818	सिलिकॉन वेफ़र्स
263.	3822	सभी डायग्नोस्टिक किट या अभिकर्मक जिनमें प्रमाणित संदर्भ सामग्री शामिल है
264.	3826	तेल विपणन कंपनियों को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायो-डीजल की आपूर्ति
265.	3926	दूध पिलाने की बोतलें, प्लास्टिक के मोती
266.	4001	प्राकृतिक रबर, बालाटा, गुट्टा-पर्चा, ग्वायुले, चिकल और इसी तरह के प्राकृतिक गोंद, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में
267.	4004 00 00	रबड़ का अपशिष्ट, छिलके या स्कैप (कठोर रबड़ के अलावा)
268.	4007	लेटेक्स रबर धागा
269.	4011	रियर ट्रेक्टर टायर और रियर ट्रेक्टर टायर ट्यूब
270.	4011 30 00	नए वायवीय टायर, विमानों में इस्तेमाल होने वाले रबर के प्रकार के
271.	4011 70 00	ट्रेक्टरों के लिए टायर

272.	4011, 4013	रबर के वायवीय टायर या आंतरिक ट्यूब, एक प्रकार के जो साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/में उपयोग किए जाते हैं
273.	4013 90 49	ट्रैक्टर टायरों के लिए ट्यूब
274.	4014	दूध पिलाने वाली बोटलों के निप्पल
275.	4015	सर्जिकल रबर के दस्ताने या चिकित्सा परीक्षण रबर के दस्ताने
276.	4016	रबर बैंड
277.	4017	कठोर रबर का अपशिष्ट या स्क्रेप
278.	4101	गोजातीय (भैंस सहित) या अश्वीय पशुओं की कच्ची खालें और चमड़े (ताजा, या नमकीन, सूखे, चूने से सने, अचार में रखे या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संसाधित या आगे तैयार नहीं), चाहे बाल रहित या विभाजित हों या नहीं
279.	4102	भेड़ या मेमनों की कच्ची खालें (ताजा, या नमकीन, सूखी, चूने से सनी, अचार में रखी या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संवारित या आगे तैयार नहीं), चाहे ऊन लगी हो या फटी हुई हो
280.	4103	अन्य कच्चे चमड़े और खाल (ताजा, या नमकीन, सूखे, चूने से सने, अचार में रखे या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संवारित या आगे तैयार नहीं), चाहे या नहीं बाल रहित या विभाजित
281.	4104	गोजातीय (भैंस सहित) या अश्ववंशीय पशुओं की टैन्ड या क्रस्ट खाल और चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो या नहीं, लेकिन आगे तैयार नहीं किया गया हो
282.	4105	भेड़ या मेमनों की चमड़ी या पपड़ीदार खाल, ऊन रहित, चाहे हो या न हो फटी हुई, लेकिन आगे तैयार न की गई हो
283.	4106	अन्य पशुओं की चमड़ी या पपड़ीदार खाल और चमड़े, जिन पर ऊन या बाल नहीं हैं, चाहे विभाजित हों या नहीं, लेकिन आगे तैयार नहीं किए गए हों
284.	4107	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा भी शामिल है, गोजातीय (भैंस सहित) या अश्ववंशीय पशुओं का, बिना बालों वाला, चाहे विभाजित हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा
285.	4112	चमड़ा जिसे टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया है, जिसमें भेड़ या मेमने का चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा शामिल है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे वह फटा हुआ हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा

286.	4113	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें अन्य पशुओं का चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा भी शामिल है, जिस पर ऊन या बाल नहीं हैं, चाहे वह फटा हुआ हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा
287.	4114	चमोईस (संयोजन चमोईस सहित) चमड़ा; पेटेंट चमड़ा और पेटेंट लेमिनेटेड चमड़ा; धातुकृत चमड़ा
288.	4115	चमड़े या चमड़े के रेशे पर आधारित मिश्रित चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी के रूप में, रोल में हो या न हो; चमड़े या मिश्रित चमड़े के छिलके और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त न हों; चमड़े का चूर्ण, पाउडर और आटा
289.	4202 22 20	सूती हैंड बैग और शॉपिंग बैग
290.	4202 22 30	जूट के हैंड बैग और शॉपिंग बैग
291.	4203	खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने
292.	44 या कोई भी अध्याय	निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात्: — (क) सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड; (ख) जूट पार्टिकल बोर्ड; (ग) चावल की भूसी का बोर्ड; (घ) ग्लास-फाइबर प्रबलित जिप्सम बोर्ड (जीआरजी) (ङ) सिसल-फाइबर बोर्ड; (च) बगास बोर्ड; और (छ) कॉटन स्टॉक पार्टिकल बोर्ड (ज) कृषि फसल अवशेषों से निर्मित पार्टिकल/फाइबर बोर्ड
293.	44, 68, 83	लकड़ी, पत्थर [संगमरमर सहित] और धातु [कीमती धातुओं से बनी मूर्तियों के अलावा]
294.	4401	लकड़ी के टुकड़े या कण; बुरादा और लकड़ी का अपशिष्ट और स्क्रेप, चाहे वह लट्टों, ब्रिकेट, छरों या इसी तरह के रूपों में एकत्रित हो या न हो
295.	4404	घेरा; विभाजित डंडे; लकड़ी के ढेर, पिकेट और खूटे, नुकीले लेकिन लंबाई में काटे नहीं गए; लकड़ी की छड़ें, मोटे तौर पर काटी गई लेकिन मुड़ी हुई, मुड़ी हुई या अन्यथा काम की हुई नहीं, चलने वाली छड़ियों, छातों, औजारों के हैंडल या इसी तरह के निर्माण के लिए उपयुक्त
296.	4405	लकड़ी का ऊन; लकड़ी का आटा

297.	4406	लकड़ी के रेलवे या ट्रामवे स्लीपर (क्रॉस-टाई)
298.	4408	लिबास के लिए शीट (जिसमें लैमिनेटेड लकड़ी को काटकर प्राप्त की गई शीट भी शामिल हैं), प्लाईवुड या इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में काटी गई, कटी हुई या छीली हुई, समतल की गई, रेत से भरी हुई, जोड़ की गई या अंत में जोड़ी गई, 6 मिमी से अधिक मोटाई की [मैच स्प्लिट्स के लिए]
299.	4409	बांस का फर्श
300.	4415	लकड़ी के पैकिंग केस, बक्से, क्रेट, ड्रम और इसी तरह की पैकिंग; लकड़ी के केबल ड्रम; लकड़ी के पैलेट, बॉक्स पैलेट और अन्य लोड बोर्ड; लकड़ी के पैलेट कॉलर
301.	4416	लकड़ी से बने पीपे, बैरल, बॉट, टब और अन्य कूपर उत्पाद और उनके हिस्से, जिनमें डंडे भी शामिल हैं
302.	4417	औजार, औजार के ढांचे, औजार के हैंडल, झाड़ू या ब्रश के ढांचे और हैंडल, लकड़ी के; बूट या जूते के टाँके और पेड़, लकड़ी के
303.	4418	बांस की लकड़ी की इमारत की जोड़ाई
304.	4419	लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर
305.	4420	लकड़ी की मार्बेटरी और जड़ाऊ लकड़ी; आभूषण या कटलरी के लिए संदूक और केस, तथा लकड़ी की इसी प्रकार की वस्तुएं; लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण; फर्नीचर की लकड़ी की वस्तुएं जो अध्याय 94 में नहीं आती हैं
306.	4421	लकड़ी के अन्य सामान; जैसे कपड़े टांगने वाले हैंगर, स्पूल, कॉप, बॉबिन, सिलाई धागे की रील और विभिन्न कपड़ा मशीनरी के लिए लकड़ी के समान सामान, माचिस की पट्टियाँ, पेंसिल की पट्टियाँ, लकड़ी के हिस्से, जैसे कि जहाज, नाव और इसी तरह की अन्य तैरती संरचनाओं के लिए चप्पू, पैडल और पतवार, टेबलवेयर और रसोई के सामान के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से [«के अलावा» लकड़ी के फर्श ब्लॉक, सघन लकड़ी के सामान जो अन्यत्र शामिल या निर्दिष्ट नहीं हैं, टेबलवेयर और रसोई के सामान के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से]
307.	4501	प्राकृतिक कॉर्क, कच्चा या बस तैयार
308.	4502 00 00	प्राकृतिक कॉर्क, पीठ रहित या मोटे तौर पर वर्गाकार, या आयताकार (वर्ग सहित) ब्लॉक, प्लेट, शीट या पट्टी (कॉर्क या स्टॉपर के लिए तेज धार वाले रिक्त स्थान सहित)

309.	4503	प्राकृतिक कॉर्क से बनी वस्तुएं जैसे कॉर्क और स्टॉपर, शटलकॉक कॉर्क बॉटम
310.	4504	एकत्रित कॉर्क (बंधन पदार्थ के साथ या उसके बिना) और एकत्रित कॉर्क की वस्तुएं
311.	4601, 4602	पुआल, एस्पाटो या अन्य बुनाई सामग्री का निर्माण; टोकरी के बर्तन और विकर का काम
312.	4701	यांत्रिक लकड़ी का गूदा
313.	4703	रासायनिक लकड़ी का गूदा, सोडा या सल्फेट, (घुलनशील ग्रेड के अलावा)
314.	4704	रासायनिक लकड़ी लुगदी, सल्फाइड, (के अलावा) घुलने वाले ग्रेड
315.	4705	यांत्रिक और रासायनिक लुगदी प्रक्रियाओं के संयोजन से प्राप्त लकड़ी का गूदा
316.	4706	पुनर्प्राप्त (अपशिष्ट और स्क्रेप) कागज या पेपरबोर्ड या अन्य रेशेदार सेल्युलोसिक सामग्री से प्राप्त फाइबर के गूदे
317.	4707	कागज या पेपरबोर्ड का बरामद कचरा या स्क्रेप
318.	48	माचिस की तीलियों के लिए कागज की पट्टियाँ, मोम लगी हुई हों या नहीं, डामर की छत की चादरें
319.	39, 48	कागज के बोरे/बैग और जैव-अपघटनीय बैग
320.	4801	अखबारी कागज, रोल या शीट में
321.	4817 30	कागज या पेपरबोर्ड से बने बक्से, थैलियाँ, बटुए और लेखन संग्रह, जिनमें विभिन्न प्रकार की कागज की स्टेशनरी होती है
322.	4819 10, 4819 20	कार्टन, बक्से और केस, - (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; या (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड
323.	4823	कागज की लुगदी से बनी ट्रे; पतंगें, कागज की लुगदी से बनी वस्तुएं
324.	4901	ब्रोशर, पत्रक और इसी तरह की मुद्रित सामग्री, चाहे एकल शीट में हो या नहीं
325.	5004 से 5006	रेशमी धागा
326.	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
327.	5104	ऊन या महीन या मोटे जानवरों के बालों का गार्नेटेड स्टॉक, घटिया ऊन

328.	5105	ऊन और महीन या मोटे जानवरों के बाल, कंघे हुए या कंघी किए हुए
329.	5106 से 5110	ऊन या जानवरों के बालों का धागा
330.	5111 से 5113	ऊन या जानवरों के बालों से बुने हुए कपड़े
331.	5201 से 5203	कपास और कपास अपशिष्ट
332.	5204	सूती सिलाई धागा, (चाहे हो या न हो) खुदरा बिक्री के लिए रखा गया
333.	5205 से 5207	सूती धागा [खादी धागे के अलावा]
334.	5208 से 5212	सूती बुने हुए कपड़े
335.	5301	सभी सामान अर्थात् सन, कच्चा या प्रसंस्कृत किन्तु कटाई नहीं; सन टो और अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
336.	5302	असली भांग (कैनाबिस सैटिवा एल), कच्ची या प्रसंस्कृत, लेकिन काती हुई नहीं; असली भांग का टो और अपशिष्ट (धागे के अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
337.	5303	सभी वस्तुएं अर्थात् कपड़ा बास्ट फाइबर [जूट फाइबर के अलावा, कच्चे या प्रसंस्कृत लेकिन काते हुए नहीं]; इन फाइबर का टो और अपशिष्ट (सूत अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
338.	5305 से 5308	सभी वस्तुएं [नारियल कॉयर फाइबर के अलावा] जिसमें सन, जूट, अन्य कपड़ा बास्ट फाइबर, अन्य वनस्पति कपड़ा फाइबर का धागा शामिल है; कागज का धागा जिसमें कॉयर पिथ कम्पोस्ट शामिल है, पूर्व-पैक और लेबल लगा हुआ है
339.	5309 से 5311	अन्य वनस्पति वस्त्र रेशों, कागज के धागों से बुने हुए कपड़े
340.	5401	मानव निर्मित तंतुओं का सिलाई धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया है या नहीं
341.	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	सिंथेटिक या कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित सभी सामान
342.	5407, 5408	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री से बुने हुए कपड़े
343.	5501, 5502	सिंथेटिक या कृत्रिम फिलामेंट टो
344.	5503, 5504, 5506, 5507	सिंथेटिक या कृत्रिम स्टेपल फाइबर
345.	5505	मानव निर्मित रेशों का अपशिष्ट
346.	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर से बने सिलाई धागे, खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध, चाहे वह हो या न हो

347.	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का धागा
348.	5512 से 5516	मानव निर्मित स्टेपल रेशों से बुने हुए कपड़े
349.	5601	कपड़ा सामग्री और उससे बनी वस्तुओं की गद्दी; जैसे सिगरेट फिल्टर रॉड को छोड़कर अवशोषक रूई
350.	5602	फेल्ड, चाहे संसेचित, लेपित, ढका हुआ या लेमिनेटेड हो या नहीं
351.	5603	गैर-बुने हुए कपड़े, चाहे वे गर्भवती, लेपित, ढके हुए या लेमिनेटेड हों या नहीं
352.	5604	रबर धागा और डोरी, वस्त्र से आच्छादित; वस्त्र सूत, पट्टी और शीर्ष 5404 या 5405 के समान, रबर या प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या आच्छादित
353.	5605	धातुकृत सूत, चाहे वह जिम्पड हो या न हो, कपड़ा सूत, या पट्टी या शीर्षक 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से आच्छादित, जिसमें असली ज़री धागा (सोना) और चांदी का धागा शामिल है, जिसे कपड़ा धागे, नकली ज़री धागे या सूत के साथ संयुक्त किया गया है, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है।
354.	5606	शीर्ष 5404 या 5405 के जिम्पड यार्न, स्ट्रिप और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद, जिम्पड (शीर्ष 5605 और जिम्पड हॉर्सहेयर यार्न के <से भिन्न>); शनील यार्न (फ्लॉक शनील यार्न <सहित>); लूप वेल-यार्न
355.	5607	सुतली, डोरी, रस्सियाँ और केबल, <चाहे गूँथी हुई हों या नहीं> और <चाहे रबर या प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या आच्छादित हों या नहीं> जिसमें जूट की सुतली, नारियल की रस्सी या रस्सियाँ शामिल हैं
356.	5608	सुतली, डोरी या रस्सी से बने गाँठदार जाल; मछली पकड़ने के जाल और कपड़े से बने अन्य जाल
357.	5609	शीर्ष 5404 या 5405 के अंतर्गत आने वाले सूत, पट्टी या इसी प्रकार की वस्तुएं, सुतली, डोरी, रस्सी या केबल, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, नारियल के उत्पाद
358.	5701	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, गाँठदार, <चाहे या नहीं> निर्मित
359.	5702	कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, बुने हुए, गुच्छेदार या गुच्छेदार नहीं, <चाहे बनाए गए हों या नहीं>, <जिनमें> "केलेम", "शूमाक्स", "करमानी" और इसी तरह के हाथ से बुने हुए गलीचे शामिल हैं
360.	5703	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), टफ्टेड, चाहे निर्मित हो या नहीं

361.	5704	कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, फेल्ट से बने, गुच्छेदार या झुंड वाले नहीं, (चाहे बने हों या नहीं)
362.	5705	अन्य कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, चाहे निर्मित हों या नहीं; जैसे मैट और मैटिंग, जिनमें बाथ मैट भी शामिल हैं, जिनमें वजन के हिसाब से कपास की प्रधानता होती है, हथकरघा से बने, हथकरघा से बने सूती गलीचे
363.	5702, 5703, 5705	नारियल की जूट की चटाई, चटाई, फर्श कवरिंग और हथकरघा दरी
364.	5801	सभी सामान
365.	5802	टेरी टॉवलिंग और इसी प्रकार के बुने हुए टेरी कपड़े, शीर्ष 5806 के संकीर्ण कपड़ों के अलावा; गुच्छेदार कपड़ा कपड़े, शीर्ष 5703 के उत्पादों के अलावा
366.	5803	गौज़, शीर्षक 5806 के संकीर्ण कपड़ों के अलावा
367.	5804	ट्रूल और अन्य नेट कपड़े, जिनमें बुने हुए, बुने हुए या क्रोशिए वाले कपड़े शामिल नहीं हैं; टुकड़े में, पट्टियों में या रूपांकनों में लेस, शीर्षक 6002 से 6006 तक के कपड़ों के अलावा
368.	5805	गोबेलिन, फ़्लैंडर्स, ऑब्यूसन, ब्यूवैस और इसी तरह के हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री, और सुई से काम किए गए टेपेस्ट्री (उदाहरण के लिए, पेटिट पॉइंट, क्रॉस स्टिच), (चाहे बने हों या नहीं)
369.	5806	संकीर्ण बुने हुए कपड़े, शीर्ष 5807 के माल के अलावा; संकीर्ण कपड़े जिसमें बिना बाने के ताना होता है और जिसे चिपकने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) के माध्यम से जोड़ा जाता है।
370.	5807	लेबल, बैज और वस्त्र सामग्री के समान वस्तुएं, टुकड़े में, पट्टियों में या आकार या आकृति में काटी हुई, कढ़ाई न की हुई
371.	5808	साड़ी में चोटियाँ; कढ़ाई के बिना सजावटी सजावट, बुने हुए या क्रोशिए से बने हुए के अलावा; लटकन, पोम्पोन और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ; साड़ी का गिरना
372.	5809	शीर्ष 5605 के धातु धागे से बुने हुए कपड़े और धातुकृत सूत से बुने हुए कपड़े, जो परिधान, फर्निशिंग कपड़े या इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; जैसे ज़री बॉर्डर
373.	5809, 5810	कढ़ाई या ज़री की वस्तुएं, अर्थात् - इमी, ज़री, कसाब, सलमा, दबका, चुमकी, गोटा, सितारा, नकसी, कोरा, कांच के मोती, बदला, गिज़ई
374.	5810	कढ़ाई, पट्टियों या रूपांकनों में, कढ़ाई वाले बैज, रूपांकन और इसी तरह की अन्य चीजें

375.	5811	टुकड़े में रजाईदार कपड़ा उत्पाद, जो सिलाई या अन्यथा पैडिंग के साथ इकट्ठे किए गए कपड़ा सामग्री की एक या अधिक परतों से बना है, शीर्षक 5810 की कढ़ाई के अलावा
376.	5901	गोंद या एमाइलेसियस पदार्थों से लेपित वस्त्र, जिनका उपयोग पुस्तकों या इसी प्रकार की वस्तुओं के बाहरी आवरणों के लिए किया जाता है; अनुरेखण कपड़ा; तैयार चित्रकारी कैनवास; बकरम और इसी प्रकार के कठोर वस्त्र, जिनका उपयोग टोपी के आधार के लिए किया जाता है।
377.	5902	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड, पॉलिएस्टर या विस्कोस रेयान के उच्च दृढ़ता वाले धागे से बना टायर कॉर्ड कपड़ा
378.	5903	प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या लेमिनेट किए गए वस्त्र कपड़े, शीर्षक 5902 के अंतर्गत आने वाले वस्त्रों को छोड़कर
379.	5904	लिनोलियम, <चाहे या नहीं> आकार में काटा गया; फर्श कवरिंग जिसमें कपड़े के आधार पर लगाया गया लेप या आवरण शामिल होता है, <चाहे या नहीं> आकार में काटा गया
380.	5905	कपड़ा दीवार कवरिंग
381.	5906	रबरयुक्त वस्त्र वस्त्र, शीर्षक 5902 के अंतर्गत आने वाले वस्त्रों को छोड़कर
382.	5907	वस्त्र वस्त्र जो अन्यथा संसेचित, लेपित या ढके हुए हों; चित्रित कैनवास जो नाट्य दृश्य हों, स्टूडियो बैक-क्लॉथ या इसी प्रकार के अन्य वस्त्र
383.	5908	लैंप, स्टोव, लाइटर, मोमबत्तियाँ या इसी तरह के अन्य सामान के लिए बुनी हुई, गुंथी हुई या बुनी हुई कपड़ा बत्तियाँ; तापदीप्त गैस मेंटल और उसके लिए ट्यूबलर बुना हुआ गैस मेंटल कपड़ा, चाहे संसेचित हो या नहीं
384.	5909	कपड़ा नली पाइपिंग और इसी तरह की कपड़ा ट्यूबिंग, अस्तर, कवच या अन्य सामग्रियों के सहायक उपकरण के साथ या बिना
385.	5910	कपड़ा सामग्री से बने ट्रांसमिशन या कन्वेयर बेल्ट या बेल्टिंग, चाहे प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या लेमिनेटेड हो या धातु या अन्य सामग्री से प्रबलित हो
386.	5911	तकनीकी उपयोगों के लिए वस्त्र उत्पाद और वस्तुएं, जो इस अध्याय के <नोट> 7 में निर्दिष्ट हैं; जैसे वस्त्र कपड़े, फेल्ड और फेल्ड-लाइन वाले बुने हुए कपड़े, रबर, चमड़े या अन्य सामग्री से लेपित, ढके या लेमिनेट किए हुए, कार्ड क्लॉथिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के, और इसी प्रकार के अन्य तकनीकी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े, जिसमें बुनाई तकुओं (बुनाई बीम) को ढंकने के लिए रबर में संसेचित मखमल से बने संकीर्ण कपड़े शामिल हैं; बोल्टिंग कपड़ा, <चाहे बना हो या नहीं>; सूती वस्त्र उद्योगों के लिए फेल्ड, बुना हुआ; बुने हुए वस्त्र फेल्ड,

		चाहे संसेचित या लेपित हों या नहीं, एक प्रकार के जो सामान्यतः अन्य मशीनों में उपयोग किए जाते हैं; सूती कपड़े और मशीनरी और संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले सामान; जूट कपड़े और मशीनरी या संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले सामान; धातुकृत धागे के वस्त्र कपड़े एक प्रकार के जो सामान्यतः कागज बनाने या अन्य मशीनरी में उपयोग किए जाते हैं; तेल प्रेस या इसी तरह के अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का छनाई कपड़ा, जिसमें मानव बाल भी शामिल है; कागज बनाने वाले का बुना हुआ कपड़ा; गार्स्केट, वॉशर, पॉलिशिंग डिस्क और कपड़ा वस्तुओं के अन्य मशीनरी भाग
387.	60	बुने हुए या क्रोशिए किए हुए कपड़े [सभी सामान]
388.	61	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, बुने हुए या क्रोशिए से बने, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
389.	62	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हों, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
390.	63 [6305 32 00, 6305 33 00, 6309 के अलावा]	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं, सेट, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
391.	6309 या 6310	फटे हुए कपड़े और अन्य फटी हुई वस्तुएं; चिथड़े
392.	64	2500 रुपये प्रति जोड़ी से कम मूल्य के जूते
393.	6501	कपड़ा टोपियां
394.	6505	टोपियाँ (बुनी हुई/क्रोशित) या फीते या अन्य वस्त्रों से बनी हुई
395.	6601	छाते और धूप छाते (जिसमें बॉकिंग-स्टिक छाते, गार्डन छाते और इसी तरह के छाते शामिल हैं)
396.	6602	चाबुक, राइडिंग-क्रॉप और इसी तरह की चीजें
397.	6602 00 00	चलने की छड़ें (सहित) सीट स्टिक
398.	6603	शीर्ष 6601 या 6602 की वस्तुओं के पुर्जे, सजावट और सहायक उपकरण
399.	6701	पक्षियों की खालें और अन्य भाग, उनके पंख या नीचे, पंख, पंखों के भाग, नीचे और उनकी वस्तुएं (शीर्ष 0505 के सामान और तैयार क्लिप और स्केप्स के अलावा)
400.	68	रेत-चूने की ईंटें या पत्थर जड़ाई का काम
401.	6802	मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, कुरसी, ऊँची या नीची उभरी हुई आकृतियाँ, क्रॉस, पशुओं की आकृतियाँ, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बॉक्स, लेखन सेट,

		ऐशेट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते, आदि; अन्य सजावटी सामान जो मूलतः पत्थर के बने हों
402.	6909	चीनी मिट्टी के बर्तन, जार और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ जो चीनी मिट्टी के सामान के परिवहन और पैकिंग के लिए उपयोग की जाती हैं
403.	6911	चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान
404.	6912	टेबलवेयर, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान, चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तनों के अलावा
405.	6913	मूर्तियाँ और अन्य सजावटी वस्तुएँ
406.	7001	कलेट या अन्य अपशिष्ट या कांच का टुकड़ा
407.	7015 10	सुधारात्मक चश्मे और चकमक बटन के लिए चश्मा
408.	7018	कांच के मोती
409.	7020	लैंप और लालटेन के लिए ग्लोब, केरोसिन विक लैंप के लिए फव्वारे, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी
410.	7310 या 7326	गणितीय बक्से, ज्यामिति बक्से और रंग बक्से
411.	7310, 7323, 7612, या 7615	लोहे, स्टील या एल्युमीनियम से बने दूध के डिब्बे
412.	7317	जानवरों के जूतों के नाखून
413.	7319	सिलाई की सूइयाँ
414.	7321	केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव और लोहे या स्टील के लकड़ी जलाने वाले स्टोव
415.	7321 या 8516	सौर कुकर
416.	7323	लोहे और स्टील से बनी मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
417.	7418	तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
418.	7419 80 30	पीतल केरोसिन प्रेशर स्टोव
419.	7615	एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
420.	8306	आधार धातु से बनी घंटियाँ, घड़ियाल और इसी तरह की गैर-विद्युतीय वस्तुएँ; आधार धातु से बनी मूर्तियाँ और अन्य आभूषण; आधार धातु से बनी तस्वीर, फोटो या इसी तरह के फ्रेम; आधार धातु से बने दर्पण; धातु से बने बर्तन
421.	8401	परमाणु रिएक्टरों के लिए गैर-विकिरणित ईंधन तत्व (कारतूस)

422.	8407 10 00, 8411	विमान के इंजन
423.	8408	15 एचपी से अधिक शक्ति वाले निश्चित गति डीजल इंजन
424.	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाला कृषि डीजल इंजन
425.	8413, 8413 91	हैंडपंप और उसके पुर्जे
426.	8413 81 90	ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप
427.	8414 20 20	अन्य हैंडपंप
428.	8419 12	सौर जल हीटर और प्रणाली
429.	8420	हाथ से संचालित रबर रोलर
430.	8424	ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए नोजल या स्प्रीकलर के लिए नोजल
431.	8424	स्प्रीकलर; ड्रिप सिंचाई प्रणाली जिसमें लेटरल शामिल हैं; यांत्रिक स्प्रेयर
432.	8432	मिट्टी की तैयारी या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी; लॉन या खेल-मैदान रोलर्स; पाटर्स [8432 90]
433.	8433	कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास काटने की मशीन, उसके भाग शामिल हैं
434.	8436	अन्य कृषि, बागवानी, वानिकी, मुर्गीपालन या मधुमक्खीपालन मशीनरी, जिसमें यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित अंकुरण संयंत्र, मुर्गीपालन इनक्यूबेटर और ब्रूडर, उसके भाग शामिल हैं।
435.	8452	सिलाई मशीनें, (पुस्तक के अलावा) - शीर्ष 8440 की सिलाई मशीन; सिलाई मशीनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फर्नीचर, आधार और कवर; सिलाई मशीनें, सुइयां और सिलाई मशीनों के पुर्जे
436.	8479	खाद बनाने वाली मशीनें
437.	84, 85 या 94	निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और उनके निर्माण हेतु पुर्जे:- (क) बायोगैस संयंत्र; (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण; (ग) सौर ऊर्जा जनरेटर; (घ) पवन चक्कियाँ, पवन चालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी); (ङ) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र/उपकरण; (च) सौर लालटेन/सौर लैंप; (छ) समुद्री तरंग/ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपकरण/संयंत्र; (ज) फोटो वोल्टेइक सेल, मॉड्यूल में संयोजित या पैनल में निर्मित (चाहे हों या नहीं)।

		स्पष्टीकरण:- यदि इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्तियों के साथ की जाती है, जिनमें से एक अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [सा. का. नि. 683(अ)] में उल्लिखित तालिका की क्रम संख्या 38 पर निर्दिष्ट एक कर योग्य सेवा है, तो इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए लिए गए सकल प्रतिफल का सत्तर प्रतिशत (70%) माना जाएगा, और लिए गए सकल प्रतिफल का शेष तीस प्रतिशत (30%) उक्त कर योग्य सेवा का मूल्य माना जाएगा।
438.	8504	विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन
439.	8525 60	रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों आदि द्वारा उपयोग किया जाने वाला दो-तरफ़ा रेडियो (वाँकी-टॉकी)।
440.	87	ईंधन सेल मोटर वाहन, जिसमें ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन वाहन भी शामिल हैं
441.	87	विद्युत चालित वाहन, जिनमें दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन हैं जो पूरी तरह से बाहरी स्रोत से प्राप्त विद्युत ऊर्जा या ऐसे सड़क वाहनों में लगे एक या एक से अधिक विद्युत बैटरियों से चलते हैं और इसमें ई-साइकिल भी शामिल हैं।
442.	8701	ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर)
443.	8708	ट्रैक्टर के निम्नलिखित भाग: (क) ट्रैक्टर का पिछला पहिया रिम, (ख) ट्रैक्टर का केंद्र आवास, (ग) ट्रैक्टर आवास ट्रांसमिशन, (घ) ट्रैक्टर सपोर्ट फ्रंट एक्सल
444.	8708 10 10	ट्रैक्टरों के लिए बंपर और उनके पुर्जे
445.	8708 30 00	ट्रैक्टरों के लिए ब्रेक असेंबली और उसके पुर्जे
446.	8708 40 00	ट्रैक्टरों के लिए गियर बॉक्स और उसके पुर्जे
447.	8708 50 00	ट्रैक्टरों के लिए ट्रांसएक्सल और उसके पुर्जे

448.	8708 70 00	ट्रैक्टरों के लिए सड़क के पहिये और उनके पुर्जे और सहायक उपकरण
449.	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर और उसके भागों के लिए रेडिएटर असेंबली (ii) ट्रैक्टर इंजन और उसके भागों के लिए शीतलन प्रणाली
450.	8708 92 00	ट्रैक्टर और उसके पुर्जों के लिए साइलेंसर असेंबली
451.	8708 93 00	ट्रैक्टरों के लिए क्लच असेंबली और उसके पुर्जे
452.	8708 94 00	ट्रैक्टर के लिए स्टीयरिंग व्हील और उसके पुर्जे
453.	8708 99 00	ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक और उसके पुर्जे
454.	8708 99 00	ट्रैक्टरों के लिए फेंडर, हुड, रैपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और उसके पुर्जे।
455.	8710	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, मोटर चालित, हथियारों से सुसज्जित, और ऐसे वाहनों के पुर्जे
456.	8712	साइकिलें और अन्य साइकिलें (डिलीवरी ट्राइसाइकिल सहित), मोटर चालित नहीं
457.	8713	विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ियाँ, चाहे मोटर चालित हों या नहीं या अन्यथा यंत्र चालित हों
458.	8714	साइकिलों और अन्य साइकिलों (डिलीवरी ट्राइसाइकिलों सहित) के पुर्जे और सहायक उपकरण, जो मोटर चालित नहीं हैं, शीर्षक 8712 के अंतर्गत आते हैं
459.	8714 20	विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ी के पुर्जे और सहायक उपकरण
460.	8716 20 00	कृषि प्रयोजनों के लिए स्व-लोडिंग या स्व-अनलोडिंग ट्रैलर
461.	8716 80	हाथ से चलने वाले वाहन (जैसे हाथ गाड़ियाँ, रिक्शा और इसी तरह के वाहन); पशु चालित वाहन
462.	88 या कोई अन्य अध्याय	प्रक्षेपण यान, उपग्रह और पेलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, तंत्र, उपकरण, सहायक उपकरण, पुर्जे, घटक, स्पेयर, उपकरण, मॉक अप और मॉड्यूल, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं
463.	8802	अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज), निजी उपयोग के लिए (के अलावा)
464.	8806	मानवरहित विमान
465.	8807	शीर्ष 8802 या 8806 के माल के भाग
466.	8901	व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए क्रूज जहाज, भ्रमण नौकाएं, फेरी-

		बोट, मालवाहक जहाज, बजरे और इसी तरह के जहाज
467.	8902	मछली पकड़ने वाले जहाज; कारखाने के जहाज और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण या संरक्षण के लिए अन्य जहाज
468.	8904	टग और पुशर शिल्प
469.	8905	हल्के जहाज, अग्नि-तैरने वाले जहाज, ड्रेजर, तैरते हुए क्रेन और अन्य जहाज जिनकी नौगम्यता उनके मुख्य कार्य के अतिरिक्त है; तैरते हुए डॉक; तैरते हुए या निमज्जनीय ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफार्म
470.	8906	अन्य जहाज, जिनमें युद्धपोत और जीवनरक्षक नौकाएं शामिल हैं, नौकायन नौकाओं के अलावा
471.	8907	अन्य तैरती संरचनाएं (उदाहरण के लिए, राफ्ट, टैंक, कॉफ़र-डैम, लैंडिंग-स्टेज, बॉय और बीकन)
472.	कोई भी अध्याय	शीर्षक 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907 के माल के पुर्जे
473.	90	हृदय कैथेटर के साथ उपयोग के लिए कोरोनरी स्टेंट और कोरोनरी स्टेंट सिस्टम
474.	90 या कोई अन्य अध्याय	कृत्रिम किडनी
475.	90 या कोई अन्य अध्याय	रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर) और परीक्षण स्ट्रिप्स
476.	90 या कोई अन्य अध्याय	पेटेंट डकटस आर्टेरियोसस / एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑक्लूजन डिवाइस
477.	90 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित वस्तुओं के भाग, अर्थात्: - (i) बैसाखी; (ii) व्हीलचेयर; (iii) चलने के फ्रेम; (iv) ट्राइसाइकिल; (v) ब्रेलर; और (vi) कृत्रिम अंग
478.	90 या कोई अन्य अध्याय	इस अनुसूची से संलग्न सूची 1 में निर्दिष्ट सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता और विकलांगों के लिए अन्य सामान
479.	90 या 84	डिस्पोजेबल स्टरलाइज्ड डायलाइजर या कृत्रिम किडनी का माइक्रो बैरियर
480.	9001	कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मे के लेंस
481.	9003	चश्मे, गॉगल्स या इसी तरह की चीजों के लिए फ्रेम और माउंटिंग, और उनके हिस्से
482.	9004	चश्मे, सुधारात्मक (दृष्टि सुधारने के लिए चश्मे सहित)
483.	9018	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उपकरण, जिनमें वैज्ञानिक उपकरण, अन्य विद्युत-चिकित्सा उपकरण और दृष्टि-परीक्षण उपकरण शामिल हैं

484.	9019	यांत्रिक चिकित्सा उपकरण; मालिश उपकरण; मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षण उपकरण; ओजोन चिकित्सा, ऑक्सीजन चिकित्सा, एरोसोल चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन या अन्य चिकित्सीय श्वसन उपकरण
485.	9020	अन्य श्वास उपकरण और गैस मास्क, सुरक्षात्मक मास्क को छोड़कर जिनमें न तो यांत्रिक भाग हों और न ही बदले जा सकने वाले फिल्टर हों
486.	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रस; स्प्लिट और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो पहने जाते हैं या ले जाए जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं, किसी दोष या विकलांगता की भरपाई के लिए; इंट्राओकुलर लेंस [श्रवण सहायक उपकरण के अलावा]
487.	9022	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोगों के लिए एक्स-रे या अल्फा, बीटा या गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण, जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार टेबल, कुर्सीयां और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं।
488.	9025	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए थर्मामीटर
489.	9027	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए उपकरण और तंत्र, भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए
490.	9403	पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर
491.	9404	नारियल के रेशे से बने उत्पाद (नारियल के गद्दों को छोड़कर)
492.	9404	पूर्णतः रजाईदार वस्त्र सामग्री से बने उत्पाद, जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति नग से अधिक नहीं होगी।
493.	9404	2500 रुपये प्रति नग से अधिक मूल्य की सूती रजाइयां
494.	9401 10 00	विमान की सीटें
495.	9405	हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप / प्रेशर लालटेन, पेट्रोलैक्स, ग्लास चिमनी और उसके हिस्से
496.	9503	प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बने खिलौने गुब्बारे
497.	9503	खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि (उनके पुर्जे और सहायक उपकरण सहित) [इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा]
498.	9504	ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम, जैसे लूडो, आदि (वीडियो गेम कंसोल और मशीनों के अलावा)

499.	9506	सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए खेल सामग्री और उपकरणों के अलावा
500.	9507	मछली पकड़ने के कांटे
501.	9507	मछली पकड़ने की छड़ें, और अन्य मछली पकड़ने की लाइन; मछली पकड़ने के जाल, तितली जाल और इसी तरह के जाल; फँसाने वाले पक्षी (शीर्षक 9208 या 9705 के अलावा) और इसी तरह के शिकार या शूटिंग की आवश्यकताएं
502.	9601	हाथी दांत, हड्डी, कछुए के खोल, सींग, सींग, मूंगा, मोती और अन्य पशु नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं, मूंगा से बनी वस्तुएं (ढलाई द्वारा प्राप्त वस्तुएं सहित)
503.	9603 [9603 10 00 के अलावा]	झाड़ू (झाड़ू के अलावा जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्री से बनी होती हैं, हैंडल के साथ या बिना हैंडल के)
504.	9603 21 00	दूधब्रश (सहित) डेंटल-प्लेट ब्रश
505.	9607	स्लाइड फास्टरों और उसके भागों
506.	9615	कंधे, हेयर-स्लाइड और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; हेयरपिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप, हेयर-कर्लर और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, शीर्ष 8516 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर, और उनके भाग
507.	9619 00 30, 9619 00 40, या 9619 00 90	सभी सामान
508.	9701	शीर्ष 4906 के चित्रों को छोड़कर तथा हाथ से चित्रित या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं को छोड़कर, पूर्णतः हाथ से बनाई गई पेंटिंग, रेखाचित्र और पेस्टल; कोलाज, मोज़ाइक और इसी प्रकार की सजावटी पट्टिकाएँ
509.	9702	मूल उत्कीर्णन, प्रिंट और लिथोग्राफ
510.	9703	किसी भी सामग्री में मूल मूर्तियाँ और प्रतिमा
511.	9704	डाक या राजस्व टिकट, स्टाम्प-पोस्टमार्क, प्रथम दिवस कवर, डाक स्टेशनरी (स्टाम्प पेपर), और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, प्रयुक्त या अप्रयुक्त, शीर्ष 4907 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर
512.	9705	प्राणिविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खनिज विज्ञान, शारीरिक रचना, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, जीवाश्म विज्ञान, नृवंशविज्ञान या मुद्राशास्त्रीय रुचि के संग्रह और संग्राहकों के टुकड़े, जिनमें मुद्राशास्त्रीय सिक्के भी शामिल हैं
513.	9706	एक सौ वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएँ

514.	9804	सभी औषधियां या औषधियां <सहित> उनके लवण और एस्टर और नैदानिक परीक्षण किट और फॉर्मूलेशन जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं [उनके अलावा] जो अधिसूचना संख्या 10/2025- एकीकृत कर (दर) दिनांक 17 सितंबर, 2025 क्रम संख्या 113 में शून्य पर निर्दिष्ट हैं]
515.	कोई भी अध्याय	माला, प्रार्थना की माला या हवन सामग्री
516.	कोई भी अध्याय	बायोमास ब्रिकेट या ठोस जैव ईंधन छर्चे

सूची 1 [अनुसूची I की क्रम संख्या 478 देखें]

- (क) (1) ब्रेल लेखक और ब्रेल लेखन उपकरण
- (2) हस्तलेखन उपकरण ब्रेल फ्रेम, स्लेट, लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्क्रिप्ट लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्टाइलस, ब्रेल इरेज़र
- (3) छड़ियाँ, सोनिक गाइड जैसी इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री
- (4) ऑप्टिकल, पर्यावरणीय सेंसर
- (5) टेलर फ्रेम (अंकगणित और बीजगणित प्रकार), क्यूबरिथम, स्पीकिंग या ब्रेल कैलकुलेटर जैसे अंकगणितीय सहायक उपकरण
- (6) संयुक्त ग्राफ और गणितीय प्रदर्शन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्टर, तराजू, कंपास और स्पार व्हील जैसे ज्यामितीय सहायक उपकरण
- (7) इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण, जैसे कैलिपर, माइक्रोमीटर, तुलनित्र, गेज, गेज ब्लॉक, लेवल, रूलर, रूलर और यार्डस्टिक
- (8) ड्राफ्टिंग, ड्राइंग सहायक सामग्री, स्पर्शनीय प्रदर्शन
- (9) विशेष रूप से अनुकूलित घड़ियाँ और घड़ियाँ
- (ख) (1) प्रथम अनुसूची के शीर्षक संख्या 87.13 के अंतर्गत आने वाली व्हीलचेयर
- (2) विकलांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट
- (ग) कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र और उसके पुर्जे
- (घ) कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक कान (कोक्लियर इम्प्लांट)
- (ङ) (1) बोलने वाली पुस्तकें (कैसेट, डिस्क या अन्य ध्वनि प्रतिकृतियों के रूप में) और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, ब्रेल एम्बॉसर, बोलने वाले कैलकुलेटर, बोलने वाले थर्मामीटर
- (2) ब्रेल और रिकॉर्ड की गई सामग्री के यांत्रिक या कम्प्यूटरीकृत उत्पादन के लिए उपकरण जैसे ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनल और डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल, ट्रांसफर और प्रेसिंग मशीन और स्टीरियो टाइपिंग मशीन
- (3) ब्रेल पेपर
- (4) सभी मूर्त उपकरण जिसमें शामिल वस्तुएं, यंत्र, उपकरण, विशेष रूप से दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए
- (5) दृष्टिहीनों की गतिशीलता में सुधार के लिए सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास और बाधा पहचान उपकरण और सफेद छड़ियाँ
- (6) दृष्टिहीनों की शिक्षा, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तकनीकी सहायताएँ जैसे ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियाँ, शिक्षण और सीखने के सहायक उपकरण, खेल और अन्य उपकरण तथा दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित व्यावसायिक सहायताएँ

- (7) सहायक श्रवण उपकरण, ऑडियोमीटर
- (8) बाहरी कैथेटर, बिस्तर के घावों को रोकने के लिए विशेष जेली कुशन, सीढ़ी लिफ्ट, मूत्र संग्रह बैग
- (9) गंभीर रूप से शारीरिक रूप से विकलांग रोगियों के लिए उपकरण और प्रत्यारोपण और जोड़ों के प्रतिस्थापन और रीढ़ की हड्डी के उपकरण और प्रत्यारोपण जिसमें शामिल हड्डी सीमेंट।

अनुसूची II – 18 %

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	1702	कृत्रिम शहद, चाहे प्राकृतिक शहद के साथ मिलाया गया हो या नहीं
2	2207	किसी भी क्षमता के विकृत एथिल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट [मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किए गए एथिल अल्कोहल के अलावा]
3	22071012	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट
4	2209	एसिटिक एसिड से प्राप्त सिरका और सिरका के विकल्प
5	24041200	निकोटीन युक्त उत्पाद जो बिना दहन के साँस लेने के लिए हैं
6	24049100, 24049200, 24049900	मौखिक उपयोग या त्वचा के पार उपयोग के लिए या मौखिक या त्वचा के पार उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए उत्पाद, जिनमें निकोटीन होता है और जिनका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को बंद करने में सहायता करना है
7	2515 12 20, 2515 12 90	संगमरमर और ट्रेवर्टिन, ब्लॉकों के अलावा
8	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक के अलावा
9	2523	पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और इसी तरह के हाइड्रोलिक सीमेंट, चाहे रंगीन हों या क्लिकर के रूप में हों
10	2601	लौह अयस्क और सांद्र, जिसमें भुना हुआ लौह पाइराइट भी शामिल है
11	2602	मैंगनीज अयस्क और सांद्र, जिसमें लौहयुक्त मैंगनीज अयस्क और सांद्र शामिल हैं, जिनमें 20% या उससे अधिक मैंगनीज सामग्री होती है, जिसकी गणना शुष्क भार पर की जाती है।
12	2603	तांबे के अयस्क और सांद्र
13	2604	निकल अयस्क और सांद्र
14	2605	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र
15	2606	एल्यूमीनियम अयस्क और सांद्र
16	2607	सीसा अयस्क और सांद्र
17	2608	जिंक अयस्क और सांद्र
18	2609	टिन अयस्क और सांद्र

19	2610	क्रोमियम अयस्क और सांद्र
20	2619	स्लैग, कचरा (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और लोहे या इस्पात के निर्माण से उत्पन्न अन्य अपशिष्ट, लिंज-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग के अलावा
21	2620	धातु, आर्सेनिक या उनके यौगिकों से युक्त स्लैग, राख और अवशेष (लोहे या इस्पात के निर्माण से प्राप्त अवशेषों को छोड़कर)
22	2621	अन्य लावा और राख, जिसमें समुद्री शैवाल राख (केल्प) शामिल है; नगरपालिका अपशिष्ट के दहन से राख और अवशेष [फ्लाई ऐश के अलावा]
23	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट, अंडाकार और इसी प्रकार के ठोस ईंधन
24	2702	लिग्नाइट, (चाहे या नहीं) समूहित, (जेट को छोड़कर)
25	2703	पीट (पीट कूड़े सहित), चाहे एकत्रित हो या नहीं
26	2706	कोयले, लिग्नाइट या पीट और अन्य खनिज तार से आसुत तार, चाहे निर्जलित हो या आंशिक रूप से आसुत, पुनर्गठित तार सहित
27	2707	उच्च तापमान कोल तार के आसवन से प्राप्त तेल और अन्य उत्पाद; समान उत्पाद जिनमें सुगंधित घटकों का भार गैर-सुगंधित घटकों से अधिक होता है, जैसे बेंजोल (बेंजीन), टोल्यूओल (टोल्यूईन), ज़ाइलोल (ज़ाइलीन), नेफ़थलीन
28	2708	पिच और पिच कोक, कोयला तार या अन्य खनिज तार से प्राप्त
29	2710	पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल, कच्चे पेट्रोलियम के अलावा; अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं की गई तैयारियां, जिनमें भार के अनुसार 70% या अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल हैं, ये तेल तैयारियों के मूल घटक हैं; अपशिष्ट तेल; एवगैस (केरोसिन पीडीएस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के अलावा जो जीएसटी में नहीं हैं)
30	2711	पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और ब्यूटाडाइन [द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) के अलावा, जो घरेलू उपभोक्ताओं को या गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) के ग्राहकों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति के लिए हैं]
31	2712	पेट्रोलियम जेली; पैराफिन मोम, माइक्रो-क्रिस्टलीय पेट्रोलियम मोम, स्लैक मोम, ओजोकेराइट, लिग्नाइट मोम, पीट मोम, अन्य

		खनिज मोम, और संश्लेषण या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त इसी तरह के उत्पाद, रंगीन हों या नहीं
32	2713	पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम बिटुमेन और पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के अन्य अवशेष
33	2714	बिटुमेन और डामर, प्राकृतिक; बिटुमिनस या तेल शेल और टार रेत; डामर और डामर चट्टानें
34	2715	प्राकृतिक डामर, प्राकृतिक बिटुमेन, पेट्रोलियम बिटुमेन, खनिज टार या खनिज टार पिच (उदाहरण के लिए, बिटुमेन मैस्टिक्स, कट-बैक) पर आधारित बिटुमेन मिश्रण
35	28	सभी अकार्बनिक रसायन [दिनांक 17 सितम्बर 2025 की अधिसूचना संख्या 10/2025- केन्द्रीय कर (दर) या इस अधिसूचना की अन्य अनुसूचियों में निर्दिष्ट रसायनों के अलावा]
36	29	जिबरेलिक एसिड के अलावा सभी कार्बनिक रसायन
37	2906 11 90	प्राकृतिक मेन्थॉल के अलावा अन्य सामान
38	29061190, 30, 3301	प्राकृतिक मेन्थॉल के अलावा अन्य से निर्मित निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात्:- क. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, ख. पेपरमिंट (मेन्था तेल) ग. फ्रैक्शनेटेड/डी-टेरपेनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ) घ. डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ) ङ. स्पीयरमिंट तेल च. मेन्था पिपेरिता तेल
39	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनयुक्त, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
40	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फॉस्फेटिक, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
41	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटैश उर्वरक, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
42	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या तीन उर्वरक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के सामान गोलियों या समान रूपों में या 10 किलोग्राम से अधिक सकल वजन के पैकेज में, जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है।
43	3201	वनस्पति मूल के टैनिंग अर्क; टैनिन और उनके लवण, ईथर, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न (वैटल अर्क, क्यूब्राचो अर्क, चेस्टनट अर्क के अलावा)
44	3202	सिंथेटिक कार्बनिक टैनिंग पदार्थ; अकार्बनिक टैनिंग पदार्थ; टैनिंग तैयारियां, चाहे उनमें प्राकृतिक टैनिंग पदार्थ हों या नहीं (टैनिंग-पूर्व के लिए एंजाइमेटिक तैयारियों के अलावा)

45	3203	वनस्पति या पशु मूल के रंग पदार्थ (रंगाई अर्क सहित, लेकिन पशु काला को छोड़कर), रासायनिक रूप से परिभाषित है या नहीं; वनस्पति या पशु मूल के रंग पदार्थ के आधार पर इस अध्याय के नोट 3 में निर्दिष्ट तैयारियाँ
46	3204	सिंथेटिक कार्बनिक रंग पदार्थ, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं; सिंथेटिक कार्बनिक रंग पदार्थ पर आधारित इस अध्याय के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट तैयारियाँ; फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट या ल्यूमिनोफोर के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के सिंथेटिक कार्बनिक उत्पाद, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं
47	3205	रंगीन झीलें; रंगीन झीलों के आधार पर इस अध्याय के <नोट> 3 में निर्दिष्ट तैयारियाँ
48	3206	अन्य रंग पदार्थ; इस अध्याय के <टिप्पणी> 3 में निर्दिष्ट तैयारियाँ, शीर्षक 32.03, 32.04 या 32.05 के <से भिन्न>; एक प्रकार के अकार्बनिक उत्पाद जो ल्यूमिनोफोर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं
49	3207	तैयार वर्णक, तैयार अपारदर्शी और तैयार रंग, विट्रिफायबल एनामेल और ग्लेज़, एंगोब (स्लिप), द्रव चमक और इसी प्रकार की तैयारियाँ जो सिरैमिक, एनामेलिंग या कांच उद्योग में उपयोग की जाती हैं; कांच फ्रिट और अन्य कांच, पाउडर, कणिकाओं या गुच्छों के रूप में
50	3208	सिंथेटिक पॉलिमर या रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर पर आधारित पेंट और वार्निश (इनामेल और लैकर सहित), जो गैर-जलीय माध्यम में फैले या घुले हुए हैं; इस अध्याय के अनुच्छेद 4 में परिभाषित समाधान
51	3209	सिंथेटिक पॉलिमर या रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर पर आधारित पेंट और वार्निश (इनामेल और लैकर सहित), जलीय माध्यम में फैले या घुले हुए
52	3210	अन्य पेंट और वार्निश (इनामेल, लैकर और डिस्टेंपर सहित); चमड़े को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के तैयार जल वर्णक
53	3211 00 00	तैयार ड्रायर
54	3212	गैर-जलीय माध्यम में फैले हुए द्रव या पेस्ट के रूप में रंजक (धात्विक पाउडर और गुच्छे सहित), एक प्रकार के जो पेंट (एनामेल सहित) के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं; मुद्रांकन पन्नी; रंग और अन्य रंग पदार्थ जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म या पैकिंग में रखा जाता है।
55	3213	कलाकारों, छात्रों या साइनबोर्ड चित्रकारों के रंग, संशोधित रंग, मनोरंजन रंग और इसी तरह की चीजें, टैबलेट, ट्यूब, जार, बोतल, पैन या इसी तरह के रूपों या पैकिंग में
56	3214	ग्लेज़ियर्स पुट्टी, ग्राफ्टिंग पुट्टी, रेजिन सीमेंट, कोल्किंग कम्पाउंड

		और अन्य मैस्टिक्स; पेंटर्स फिलिंग्स; अग्रभाग, आंतरिक दीवारों, फर्शों, छतों या इसी तरह के अन्य भागों के लिए गैर-दुर्लभ सतह तैयारियां
57	3215	सभी सामान, जिसमें मुद्रण स्याही, लेखन या चित्रकारी स्याही और अन्य स्याही शामिल हैं, चाहे वे सांद्रित हों या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही
58	3301	आवश्यक तेल (टेरपीन रहित या नहीं), जिसमें कंक्रीट और एक्सोल्यूट शामिल हैं; रेसिनोइड्स; निकाले गए ओलियोरेसिन; वसा, स्थिर तेलों, मोम या इसी तरह के आवश्यक तेलों के सांद्र, जो एनफ्लूरेज या मैक्रेशन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं; आवश्यक तेलों के डिस्टिलेशन के टेरपीनिक उप-उत्पाद; आवश्यक तेलों के जलीय आसवन और जलीय घोल जैसे कि खट्टे फलों के आवश्यक तेल, खट्टे फलों के आवश्यक तेलों के अलावा अन्य आवश्यक तेल जैसे कि नीलगिरी का तेल, आदि, सभी प्रकार के स्वाद सार (शराब के लिए शामिल), स्थिर तेल आधारों में सभी प्रकार के अत्तर
59	3302	गंधयुक्त पदार्थों के मिश्रण और इनमें से एक या अधिक पदार्थों के आधार पर मिश्रण (अल्कोहलिक घोल सहित), जिनका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है; गंधयुक्त पदार्थों पर आधारित अन्य तैयारियां, जिनका उपयोग पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे सिंथेटिक परफ्यूमरी यौगिक [प्राकृतिक मेन्थॉल और प्राकृतिक मेन्थॉल से बने सामान, जैसे मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, पेपरमिंट (मेन्था ऑयल), फ्रैक्शनेटेड/डी-टरपेनेटेड मेन्था ऑयल (डीटीएमओ), डी-मेन्थोलाइज्ड ऑयल (डीएमओ), स्पीयरमिंट ऑयल, मेन्था पिपेरिटा ऑयल]
60	3303	इत्र और शौचालय का पानी
61	3304	सौंदर्य या मेकअप की तैयारी और त्वचा की देखभाल के लिए तैयारी (औषधियों के अलावा) जिसमें सनस्क्रीन या सन टैन की तैयारी शामिल है; मैनीक्योर या पेडीक्योर की तैयारी [काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता, टैल्कम पाउडर और फेस पाउडर के अलावा]
62	3305	बालों पर उपयोग के लिए तैयारियाँ [कोन में मेहंदी पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू के अलावा]
63	3306	मौखिक या दंत स्वच्छता के लिए तैयारियां, जिसमें व्यक्तिगत खुदरा पैकेज में डेन्चर फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर शामिल हैं [दांतों के बीच सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट और धागे के अलावा (डेंटल फ्लॉस)]
64	3307	प्री-शेव, शेविंग या आफ्टर-शेव तैयारियां, व्यक्तिगत डिओडोरेंट, स्नान तैयारियां, डेपिलेटरी और अन्य सुगंधित पदार्थ, कॉस्मेटिक या शौचालय तैयारियां, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं;

		तैयार रूम डिओडोराइज़र, चाहे सुगंधित हों या नहीं या जिनमें कीटाणुनाशक गुण हों [शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन और आफ्टरशेव लोशन के अलावा]
65	3307 41 00	गंधयुक्त तैयारी जो जलाने से संचालित होती है [अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, संभरानी के अलावा]
66	3401	साबुन; साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियां, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में, साबुन युक्त हो या न हो [टॉयलेट साबुन के अलावा, बार, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में]; त्वचा धोने के लिए कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियां, तरल या क्रीम के रूप में और खुदरा बिक्री के लिए रखी गई, साबुन युक्त हो या न हो; कागज, वैडिंग, फेल्ड और नॉनवोवन, साबुन या डिटर्जेंट से संसेचित, लेपित या ढके हुए
67	3402	कार्बनिक सतह-सक्रिय कारक (साबुन के अलावा); सतह-सक्रिय तैयारियां, धुलाई तैयारियां (सहायक धुलाई तैयारियों सहित) और सफाई तैयारियां, चाहे साबुन युक्त हों या नहीं, शीर्षक 3401 के अलावा [सल्फोनेटेड अरंडी का तेल, मछली का तेल या शुक्राणु तेल के अलावा]
68	3403	स्नेहक तैयारियां (जिसमें कटिंग-ऑयल तैयारियां, बोल्ट या नट रिलीज तैयारियां, जंग-रोधी या संक्षारण-रोधी तैयारियां और स्नेहक पर आधारित मोल्ड रिलीज तैयारियां शामिल हैं) और कपड़ा सामग्री, चमड़ा, फरस्किन या अन्य सामग्रियों के तेल या ग्रीस उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली तैयारियां, लेकिन मूल घटकों के रूप में पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के वजन के हिसाब से 70% या अधिक युक्त तैयारियां शामिल नहीं हैं।
69	3404	कृत्रिम मोम और तैयार मोम
70	3405	जूते, फर्नीचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पॉलिश और क्रीम, स्क्रबिंग पेस्ट और पाउडर और इसी तरह की तैयारियां (कागज, वैडिंग, फेल्ड, नॉनवोवन, सेलुलर प्लास्टिक या सेलुलर रबर के रूप में हो या न हो, ऐसी तैयारियों से संसेचित, लेपित या ढके हुए), शीर्ष 3404 के मोम को छोड़कर
71	3407	मॉडलिंग पेस्ट, जिनमें बच्चों के मनोरंजन के लिए रखे गए पेस्ट भी शामिल हैं; "डेंटल वैक्स" या "डेंटल इंप्रेशन कम्पाउंड" के रूप में जानी जाने वाली तैयारियां, जो खुदरा बिक्री के लिए सेट, पैकिंग में या प्लेटों, घोड़े की नाल के आकार, छड़ियों या इसी तरह के रूपों में उपलब्ध हैं; दंत चिकित्सा में उपयोग के लिए अन्य तैयारियां, प्लास्टर (कैल्सीनेटेड जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट) के आधार के साथ

72	3501	कैसीन, कैसीनेट और अन्य कैसीन व्युत्पन्न; कैसीन गोंद
73	3502	एल्बुमिन (जिसमें दो या अधिक व्हे प्रोटीन के सांद्र शामिल हैं, जिनमें शुष्क पदार्थ के आधार पर 80% से अधिक व्हे प्रोटीन होते हैं), एल्बुमिनेट और अन्य एल्बुमिन व्युत्पन्न
74	3504	पेप्टोन और उनके व्युत्पन्न; अन्य प्रोटीन पदार्थ और उनके व्युत्पन्न, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; छिपा हुआ पाउडर, क्रोमयुक्त हो या न हो; पृथक सोया प्रोटीन सहित
75	3506	तैयार गोंद और अन्य तैयार चिपकाने वाले पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त उत्पाद, गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए, जिनका शुद्ध भार 1 किलोग्राम से अधिक न हो।
76	3507	एंजाइम, तैयार एंजाइम
77	3601	प्रणोदक पाउडर
78	3602	तैयार विस्फोटक, प्रणोदक पाउडर के अलावा, जैसे औद्योगिक विस्फोटक
79	3603	सुरक्षा फ़्यूज़; डेटोनेटिंग कॉर्ड; पर्क्यूशन या डेटोनेटिंग कैप; इग्नाइटर; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर
80	3604	आतिशबाजी, सिग्नलिंग फ्लेयर्स, वर्षा रॉकेट, कोहरे के संकेत और अन्य आतिशबाजी सामग्री
81	3606	सभी रूपों में फेरो-सेरियम और अन्य पायरोफोरिक मिश्रधातुएं; इस अध्याय के नोट 2 में निर्दिष्ट दहनशील पदार्थों की वस्तुएं; जैसे कि सिगरेट या इसी तरह के लाइटर को भरने या फिर से भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों में तरल या द्रवीकृत गैस ईंधन
82	3701	कागज, पेपरबोर्ड या वस्त्रों के अलावा किसी भी सामग्री के फ्लैट, संवेदनशील, अप्रकाशित फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म; फ्लैट, संवेदनशील, अप्रकाशित, पैक में तत्काल प्रिंट फिल्म; जैसे तत्काल प्रिंट फिल्म, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म (चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे के अलावा)
83	3702	कागज, पेपरबोर्ड या वस्त्रों के अलावा किसी भी सामग्री से बनी, संवेदित, अप्रकाशित, रोल में फोटोग्राफिक फिल्म; रोल में तत्काल प्रिंट फिल्म, संवेदित, अप्रकाशित
84	3703	फोटोग्राफिक पेपर, पेपरबोर्ड और वस्त्र, संवेदनशील, अप्रकाशित
85	3704	फोटोग्राफिक प्लेट, फिल्म, कागज, पेपरबोर्ड और वस्त्र, उजागर लेकिन विकसित नहीं
86	3706	सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, एक्सपोज़्ड और डेवलप्ड, (चाहे या नहीं) जिसमें साउंड ट्रैक शामिल हो या केवल साउंड ट्रैक हो
87	3707	फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए रासायनिक तैयारियां (वार्निश,

		गोंद, चिपकाने वाले पदार्थ और इसी प्रकार की तैयारियों के अलावा); फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए अमिश्रित उत्पाद, मापित मात्रा में रखे गए या उपयोग के लिए तैयार रूप में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए
88	3801	कृत्रिम ग्रेफाइट; कोलाइडल या अर्ध-कोलाइडल ग्रेफाइट; पेस्ट, ब्लॉक, प्लेट या अन्य अर्ध-निर्मित सामग्री के रूप में ग्रेफाइट या अन्य कार्बन पर आधारित तैयारी
89	3802	सक्रिय कार्बन; सक्रिय प्राकृतिक खनिज उत्पाद; पशु काला, (सहित) व्ययित पशु काला
90	3803 00 00	टॉल ऑयल, चाहे रिफाईंड हो या नहीं
91	3804	लकड़ी की लुगदी के निर्माण से अवशिष्ट लाइ, चाहे सांद्रित, शर्करा रहित या रासायनिक रूप से उपचारित हो या न हो, जिसमें लिग्निन सल्फोनेट शामिल हैं, लेकिन शीर्षक 3803 के टॉल ऑयल को छोड़कर
92	3805	गोंद, लकड़ी या सल्फेट तारपीन और अन्य टेरपीनिक तेल जो शंकुधारी लकड़ी के आसवन या अन्य उपचार द्वारा उत्पादित होते हैं; अपरिष्कृत डिपेंटीन; सल्फाइट तारपीन और अन्य अपरिष्कृत पैरा-साइमीन; मुख्य घटक के रूप में अल्फा-टेरपीनॉल युक्त चीड़ का तेल
93	3806	राल और राल अम्ल, और उनके व्युत्पन्न; राल स्पिरिट और राल तेल; रन गम्स
94	3807	लकड़ी का टार; लकड़ी का टार तेल; लकड़ी का क्रियोसोट; लकड़ी का नेफ्था; वनस्पति पिच; ब्रुअर्स पिच और रोसिन, राल एसिड या वनस्पति पिच पर आधारित समान तैयारियां
95	3808	कीटनाशक, कृतकनाशक, कवकनाशक, शाकनाशक, अंकुरण रोधी उत्पाद और पौध-वृद्धि नियामक, कीटाणुनाशक और इसी प्रकार के उत्पाद [अनुसूची-I के क्रम संख्या 260 के समक्ष उल्लिखित जैव-कीटनाशकों के अलावा]
96	3809	परिष्करण एजेंट, रंग वाहक, रंग पदार्थों और अन्य उत्पादों और तैयारियों (उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग और रंगस्थापक) की रंगाई या स्थिरीकरण में तेजी लाने के लिए, एक प्रकार का कपड़ा, कागज, चमड़ा या इसी तरह के उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है
97	3810	धातु की सतहों के लिए पिकलिंग तैयारियां; सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिए फ्लक्स और अन्य सहायक तैयारियां; धातु और अन्य सामग्रियों से बने सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग पाउडर और पेस्ट; वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या छड़ के लिए कोर या कोटिंग्स के रूप में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की तैयारियां
98	3811	खनिज तेलों (गैसोलीन सहित) या खनिज तेलों के समान प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य तरल पदार्थों के लिए, दस्तक-रोधी तैयारियां, ऑक्सीकरण अवरोधक, गोंद

		अवरोधक, श्यानता सुधारक, संक्षारण-रोधी तैयारियाँ और अन्य तैयार योजक
99	3812	तैयार रबर त्वरक; रबर या प्लास्टिक के लिए मिश्रित प्लास्टिसाइज़र, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; रबर या प्लास्टिक के लिए ऑक्सीकरण-रोधी तैयारियाँ और अन्य मिश्रित स्टेबलाइज़र जैसे रबर के लिए बल्केनाइज़िंग एजेंट
100	3813	अग्निशामक यंत्रों की तैयारी और शुल्क; आग बुझाने वाले ग्रेनेडों की तैयारी और शुल्क
101	3814	कार्बनिक मिश्रित विलायक और पतले पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; तैयार पेंट या वार्निश रिमूवर
102	3815	प्रतिक्रिया आरंभक, प्रतिक्रिया त्वरक और उत्प्रेरक तैयारियाँ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
103	3816	दुर्दम्य सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट और इसी तरह की रचनाएं, शीर्ष 3801 के उत्पादों के अलावा [डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण के अलावा]
104	3817	मिश्रित एल्काइलबेन्ज़ीन और मिश्रित एल्काइलनेफ़थलीन, शीर्षक 2707 या 2902 के अलावा
105	3818	इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए डिस्क, वेफर्स या समान रूपों में डोप किए गए रासायनिक तत्व; इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए डोप किए गए रासायनिक यौगिक [सिलिकॉन वेफर्स के अलावा]
106	3819	हाइड्रोलिक ब्रेक तरल पदार्थ और हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के लिए अन्य तैयार तरल पदार्थ, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों का भार 70% से कम या उससे कम हो
107	3820	एंटी-फ्रीजिंग तैयारियाँ और तैयार डी-आइसिंग तरल पदार्थ
108	3821	सूक्ष्म जीवों (वायरस और इसी तरह के जीवों सहित) या पौधे, मानव या पशु कोशिकाओं के विकास या रखरखाव के लिए तैयार संवर्धन माध्यम
109	3823	औद्योगिक मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड, शोधन से अम्लीय तेल; औद्योगिक फैटी अल्कोहल
110	3824	फाउंड्री मोल्ड्स या कोर के लिए तैयार बाइंडर; रासायनिक उत्पाद और रासायनिक या संबद्ध उद्योगों की तैयारियाँ (प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण से बनी तैयारियाँ भी शामिल हैं), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
111	3825	रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के अवशिष्ट उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [नगरपालिका अपशिष्ट; मल-गाद; इस अध्याय के (नोट) 6 में निर्दिष्ट अन्य अपशिष्टों को छोड़कर]
112	3826	बायोडीजल (तेल विपणन कंपनियों को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए आपूर्ति किए गए बायोडीजल के अलावा)
113	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हैलोजनयुक्त व्युत्पन्न वाले मिश्रण, जो

		अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
114	3901 से 3913	सभी वस्तुएं अर्थात् पॉलिमर; पॉलीएसीटल, अन्य पॉलीइथर, इपॉक्साइड रेजिन, पॉलीकार्बोनेट, एल्केड रेजिन, पॉलीएलिल एस्टर, अन्य पॉलिएस्टर; पॉलियामाइड; एमिनो-रेजिन, फेनोलिक रेजिन और पॉलीयूरेथेन; सिलिकॉन; पेट्रोलियम रेजिन, क्यूमरोन-इंडीन रेजिन, पॉलीटरपीन, पॉलीसल्फाइड, पॉलीसल्फोन और इस अध्याय के (नोट) 3 में निर्दिष्ट अन्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; सेल्यूलोज और इसके रासायनिक व्युत्पन्न, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्राकृतिक पॉलिमर (उदाहरण के लिए, एल्जिनिक एसिड) और संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर (उदाहरण के लिए, कठोर प्रोटीन, प्राकृतिक रबर के रासायनिक व्युत्पन्न), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्राथमिक रूपों में
115	3914	शीर्षक 3901 से 3913 के पॉलिमर पर आधारित आयन एक्सचेंजर्स, प्राथमिक रूपों में
116	3915	प्लास्टिक का अपशिष्ट, छिलके और स्क्रेप
117	3916	मोनोफिलामेंट जिसका कोई भी अनुप्रस्थ काट आयाम 1 मिमी से अधिक हो, छड़ें, छड़ें और प्रोफाइल आकार, (चाहे या नहीं) सतह पर काम किया गया हो लेकिन अन्यथा काम नहीं किया गया हो, प्लास्टिक का
118	3917	प्लास्टिक की ट्यूबें, पाइप और होज़, और उनकी फिटिंग
119	3918	प्लास्टिक के फर्श कवरींग, चाहे स्वयं चिपकने वाले हों या नहीं, रोल में या टाइल के रूप में; प्लास्टिक के दीवार या छत कवरींग, जैसा कि इस अध्याय के नोट 9 में परिभाषित किया गया है
120	3919	स्वयं चिपकने वाली प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी, टेप, पट्टी और प्लास्टिक के अन्य सपाट आकार, चाहे रोल में हों या नहीं
121	3920	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी और पट्टी, गैर-सेलुलर और प्रबलित नहीं, लैमिनेटेड, समर्थित या इसी तरह अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त नहीं
122	3921	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी और पट्टी
123	3922	स्नानघर, शावर-स्नानघर, सिंक, वॉश-बेसिन, बिडेट, शौचालय पैन, सीटें और कवर, फ्लशिंग सिस्टर्न और प्लास्टिक से बने इसी तरह के सैनिटरी वेयर
124	3923	माल के परिवहन या पैकिंग के लिए प्लास्टिक की वस्तुएं; प्लास्टिक के स्टॉपर, ढक्कन, कैप और अन्य बंद करने वाले उपकरण
125	3924	प्लास्टिक से बने टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान और स्वच्छता या शौचालय के सामान
126	3925	प्लास्टिक से बने बिल्डरों के सामान, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या

		शामिल नहीं हैं
127	3926	प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं और शीर्षक 3901 से 3914 तक की अन्य सामग्रियों की वस्तुएं [प्लास्टिक की चूड़ियां, प्लास्टिक के मोती और दूध पिलाने की बोतलों के अलावा]
128	4002	तेलों से प्राप्त सिंथेटिक रबर और पदार्थ, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में; शीर्षक 4001 के किसी भी उत्पाद का इस शीर्षक के किसी भी उत्पाद के साथ मिश्रण, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में; जैसे लेटेक्स, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूटाडाइन रबर (बीआर), आइसोब्यूटीन-आइसोप्रीन (ब्यूटाइल) रबर (आईआईआर), एथिलीन-प्रोपिलीन-गैर-संयुग्मित डायन रबर (ईपीडीएम)
129	4003	प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में पुनः प्राप्त रबर
130	4004	रबर के अपशिष्ट, छिलके और स्क्रेप से प्राप्त पाउडर और कणिकाएँ (कठोर रबर के अलावा)
131	4005	मिश्रित रबर, वल्कनीकृत नहीं, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में
132	4006	अन्य रूप (उदाहरण के लिए, छड़, ट्यूब और प्रोफाइल आकार) और वस्तुएं (उदाहरण के लिए, डिस्क और छल्ले), अनवल्कनाइज्ड रबर के
133	4007	वल्कनीकृत रबर धागा और डोरी, लेटेक्स रबर धागे के अलावा
134	4008	कठोर रबर के अलावा वल्कनीकृत रबर की प्लेटें, शीट, पट्टी, छड़ें और प्रोफाइल आकार
135	4009	कठोर रबर के अलावा वल्कनीकृत रबर से बनी ट्यूब, पाइप और होज़, उनकी फिटिंग के साथ या उसके बिना (उदाहरण के लिए, जोड़, कोहनी, फ्लैज)
136	4010	वल्कनीकृत रबर से बने कन्वेयर या ट्रांसमिशन बेल्ट या बेल्टिंग
137	4011	रबर के नए वायवीय टायर (साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायरों के अलावा; पीछे के ट्रैक्टर टायरों के अलावा; और विमान में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायरों के अलावा)
138	4012	रबर के पुनः तरीदार या प्रयुक्त वायवीय टायर; रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप
139	4013	रबर की आंतरिक ट्यूबें (साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/पर प्रयुक्त होने वाली प्रकार की ट्यूबों के अलावा; और पीछे के ट्रैक्टर टायर ट्यूबों के अलावा)
140	4014	वल्कनीकृत रबर से बनी स्वच्छ या औषधीय वस्तुएं (निप्पल सहित), कठोर रबर के फिटिंग के साथ या उसके बिना; जैसे गर्म

		पानी की बोतलें, बर्फ की थैलियां [शीथ गर्भनिरोधक के अलावा, रबर गर्भनिरोधक, पुरुष (कंडोम), रबर गर्भनिरोधक, महिला (डायफ्राम), जैसे ग्रीवा कैप]
141	4015	सभी प्रयोजनों के लिए, वल्केनाइज्ड रबर से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं (दस्ताने, मिट्टेंस और मिट्स सहित) कठोर रबर के अलावा [सर्जिकल दस्ताने के अलावा]
142	4016	वल्कनीकृत रबर की अन्य वस्तुएं (कठोर रबर के अलावा) [रबर, रबर बैंड के अलावा]
143	4017	कठोर रबर (उदाहरण के लिए एबोनाइट) सभी रूपों में, अपशिष्ट और स्क्रेप के अलावा; कठोर रबर की वस्तुएं
144	4201	किसी भी जानवर के लिए काठी और हार्नेस (जिसमें निशान, लीड, घुटने के पैड, थूथन, काठी के कपड़े, काठी बैग, कुत्ते के कोट और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं), किसी भी सामग्री से बने
145	4202	ट्रंक, सूटकेस, वैनिटी केस, एग्जीक्यूटिव केस, ब्रीफ केस, स्कूल बैग, चश्मे के केस, दूरबीन केस, कैमरा केस, संगीत वाद्ययंत्र के केस, बंदूक केस, होल्स्टर और इसी तरह के कंटेनर; यात्रा बैग, इंसुलेटेड खाद्य या पेय पदार्थ के बैग, शौचालय बैग, रूकसाक, हैंडबैग, शॉपिंग बैग, बटुए, पर्स, मानचित्र केस, सिगरेट केस, तंबाकू पाउच, टूल बैग, स्पोर्ट्स बैग, बोतल केस, आभूषण बॉक्स, पाउडर बॉक्स, कटलरी केस और इसी तरह के कंटेनर, चमड़े के, प्लास्टिक की शीटिंग के, कपड़ा सामग्री के, वल्केनाइज्ड फाइबर या पेपरबोर्ड के, या पूरी तरह या मुख्य रूप से ऐसी सामग्री से ढके हुए या कागज से [हैंडबैग और शॉपिंग बैग के अलावा, कपास या जूट के]
146	4203	चमड़े या मिश्रित चमड़े से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं [खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने के अलावा]
147	4205	चमड़े या मिश्रित चमड़े से बनी अन्य वस्तुएं
148	4206	आंत के उत्पाद (रेशम-कीट की आंत के अलावा), गोल्डबीटर की त्वचा, मूत्राशय या कंडरा के उत्पाद
149	4301	कच्चे फर की खालें (सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग सहित, जो फर विक्रेताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं), शीर्षक 4101, 4102 या 4103 के कच्चे खाल और चमड़े के अलावा।
150	4302	टैन्ड या ड्रेस्ड फरस्किन (जिसमें सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग शामिल हैं), असंयोजित, या असंयोजित (अन्य सामग्री मिलाए बिना) शीर्षक 4303 के अलावा
151	4303	परिधान, वस्त्र सहायक सामग्री और फरस्किन से बनी अन्य वस्तुएं

152	4304	कृत्रिम फर और उससे बनी वस्तुएं
153	4403	खुरदरी लकड़ी
154	4407	आरी से काटी गई या छीली गई लकड़ी
155	4408	लिबास के लिए शीट (जिसमें लैमिनेटेड लकड़ी को काटकर प्राप्त की गई शीट भी शामिल हैं), प्लाईवुड या इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में काटी गई, कटी हुई या छीली हुई, समतल, रेत से भरी, जोड़ वाली या अंत में जोड़ी गई हो या नहीं, 6 मिमी से अधिक मोटाई की [माचिस की पट्टियाँ के अलावा]
156	4409	लकड़ी (जिसमें लकड़ी के फर्श के लिए पट्टियाँ और फ्रिज़ शामिल हैं, जिन्हें जोड़ा नहीं गया है) लगातार आकार की (जीभयुक्त, नालीदार, रिबेटेड, चम्फरयुक्त, वी-ज्वाइंटेड, बीडेड, मोल्डेड, राउंडेड या इसी तरह की) किसी भी किनारे या चेहरे के साथ, चाहे प्लेन्ड, सैंडेड या एंड-ज्वाइंटेड हो या नहीं [बांस के फर्श के अलावा]
157	4410	पार्टिकल बोर्ड, ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड और लकड़ी या अन्य लिग्निगस सामग्रियों से बने समान बोर्ड (उदाहरण के लिए, वेफर बोर्ड), रेजिन या अन्य कार्बनिक बंधनकारी पदार्थों से एकत्रित (चाहे हों या नहीं), निर्दिष्ट बोर्डों के (अलावा)
158	4411	लकड़ी या अन्य लिग्निगस सामग्रियों का फाइबर बोर्ड, रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थों से बंधा हुआ हो या नहीं, निर्दिष्ट बोर्डों के अलावा
159	4412	प्लाईवुड, लिबास पैनल और इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी
160	4413	सघन लकड़ी, ब्लॉक, प्लेट, पट्टी या प्रोफाइल आकार में
161	4414	पेंटिंग, फोटोग्राफ, दर्पण या इसी तरह की वस्तुओं के लिए लकड़ी के फ्रेम
162	4418	बिल्डरों की लकड़ी की जॉइनरी और बहईगीरी, जिसमें सेलुलर लकड़ी के पैनल, इकट्टे फर्श पैनल, शिंगल और शेक शामिल हैं [बांस की लकड़ी के निर्माण जॉइनरी के अलावा]
163	4421	लकड़ी के फर्श ब्लॉक, सघन लकड़ी की वस्तुएं जो अन्यत्र शामिल या निर्दिष्ट नहीं हैं, घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग जो टेबलवेयर और किचनवेयर के रूप में उपयोग किए जाते हैं
164	44 या कोई भी अध्याय	रेजिन से बंधी बांस की चटाई बोर्ड, बीच में लिबास के साथ या बिना; बांस की फर्श टाइलें
165	4501	अपशिष्ट कॉर्क; कुचला हुआ, दानेदार या पिसा हुआ कॉर्क
166	4702	रासायनिक लकड़ी का गूदा, घुलने वाले ग्रेड
167	4802	लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, तथा बिना छिद्रित

		पंच-कार्ड और पंच टेप कागज, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीटों में, शीर्षक 4801 या 4803 के कागज के अलावा; [केवल अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, प्रयोगशाला नोट बुक और नोटबुक के लिए बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड के अलावा]
168	4803	टॉयलेट या फेशियल टिशू स्टॉक, तौलिया या नैपकिन स्टॉक और घरेलू या सैनिटरी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इसी प्रकार के कागज, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, (चाहे या नहीं) क्रेड, क्रिकल्ड, उभरे हुए, छिद्रित, सतह-रंगीन, सतह-सज्जित या मुद्रित, रोल या शीट में
169	4804	रोल या शीट में बिना लेपित क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड, शीर्षक 4802 या 4803 के अलावा
170	4805	अन्य बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, रोल या शीट में, इस अध्याय के नोट 3 में निर्दिष्ट के अलावा आगे काम या प्रसंस्करण नहीं किया गया है
171	4806	वनस्पति चर्मपत्र, ट्रेसिंग पेपर और अन्य चमकदार पारदर्शी या पारभासी कागज, रोल या शीट में
172	4806 20 00	ग्रीसपूफ कागज
173	4806 40 10	ग्लासिन कागज
174	4807	मिश्रित कागज और पेपरबोर्ड (कागज या पेपरबोर्ड की सपाट परतों को चिपकाकर बनाया गया), सतह पर लेपित या संसेचित नहीं, आंतरिक रूप से प्रबलित, रोल या शीट में
175	4808	कागज और पेपरबोर्ड, नालीदार (चिपके हुए सपाट सतह शीट के साथ या बिना), क्रेड, क्रिकल्ड, उभरे हुए या छिद्रित, रोल या शीट में, शीर्षक 4803 में वर्णित प्रकार के कागज के अलावा
176	4809	कार्बन पेपर, सेल्फ-कॉपी पेपर और अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर (जिसमें डुप्लीकेटर स्टेंसिल या ऑफसेट प्लेट के लिए लेपित या संसेचित पेपर शामिल हैं), चाहे मुद्रित हों या नहीं, रोल या शीट में
177	4810	कागज और पेपरबोर्ड, एक या दोनों तरफ काओलिन (चीनी मिट्टी) या अन्य अकार्बनिक पदार्थों से लेपित, बाइंडर के साथ या उसके बिना, और किसी अन्य कोटिंग के बिना, चाहे सतह-रंगीन हो या नहीं, सतह-सजाया या मुद्रित, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में
178	4811	कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, लेपित, संसेचित, आच्छादित, सतह-रंगीन, सतह-सज्जित या मुद्रित, रोल या आयताकार (वर्गाकार सहित) शीट में, किसी भी आकार के, शीर्षक 4803, 4809 या 4810 में वर्णित प्रकार के सामान के अलावा

179	4812	कागज के गूदे के फिल्टर ब्लॉक, स्लैब और प्लेटें
180	4813	सिगरेट का कागज, चाहे आकार में कटा हो या पुस्तिकाओं या ट्यूबों के रूप में
181	4814	दीवार का कागज और इसी तरह की दीवार कवरिंग; कागज की खिड़की की पारदर्शी सतह
182	4816	कार्बन पेपर, सेल्फ-कॉपी पेपर और अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर (शीर्षक 4809 के अलावा), डुप्लिकेटर स्टेंसिल और ऑफसेट प्लेट, कागज के, चाहे बक्सों में रखे गए हों या नहीं
183	4817 [4817 30 को छोड़कर]	कागज या पेपरबोर्ड के लिफाफे, लेटर कार्ड, सादे पोस्टकार्ड और पत्राचार कार्ड; [कागज या पेपरबोर्ड के बक्से, पाउच, बटुए और लेखन संग्रह के अलावा, जिसमें लेखन ब्लॉक सहित विभिन्न प्रकार की कागजी स्टेशनरी शामिल है]
184	4818	टॉयलेट पेपर और इसी तरह के कागज, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल, घरेलू या सैनिटरी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले, 36 सेमी से अधिक चौड़ाई के रोल में, या आकार या आकृति के अनुसार कटे हुए; रूमाल, सफाई करने वाले टिशू, तौलिए, टेबल क्लॉथ, नैपकिन, शिशुओं के लिए नैपकिन, टैम्पोन, चादरें और इसी तरह के घरेलू, सैनिटरी या अस्पताल के सामान, परिधान और कपड़ों के सामान, या पेपर पल्प, कागज, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल
185	4819 (4819 10, 4819 20 को छोड़कर)	सभी सामान (कार्टन, बॉक्स और केस के अलावा, - (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; या (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड)
186	4820	रजिस्टर, खाता बही, ऑर्डर बुक, रसीद बुक, लेटर पैड, मेमोरेण्डम पैड, डायरियां और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, ब्लॉटिंग पैड, बाइंडर (लूज-लीफ या अन्य), फोल्डर, फाइल कवर, मैनिफोल्ड बिजनेस फॉर्म, इंटरलीव्ड कार्बन सेट और स्टेशनरी की अन्य वस्तुएं, कागज या पेपरबोर्ड से बनी वस्तुएं; और कागज या पेपरबोर्ड से बनी पुस्तक कवर [नोटबुक और अभ्यास पुस्तिकाओं के अलावा]
187	4821	सभी प्रकार के कागज या पेपरबोर्ड लेबल, चाहे मुद्रित हों या नहीं
188	4822	बॉबिन, स्पूल, कॉप्स और पेपर पल्प, पेपर या पेपरबोर्ड के समान सपोर्ट (चाहे छिद्रित या कठोर हों या नहीं)
189	4823	अन्य कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, आकार या आकृति में कटे हुए; कागज लुगदी, कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल से बनी अन्य वस्तुएं [पेपर पल्प मोल्डेड ट्रे, ब्रेल पेपर, पतंग, पेपर माचे वस्तुओं के अलावा]

190	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्र, जो हाथ से खींचे गए मूल हों; हस्तलिखित पाठ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वोक्त की कार्बन प्रतियां
191	4907	देश में वर्तमान या नए जारी किए गए अप्रयुक्त डाक, राजस्व या इसी तरह के टिकट, जिसमें उनका मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है या होगा; स्टाम्प-छापे हुए कागज; बैंक नोट; चेक फॉर्म; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और स्वामित्व के इसी तरह के दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा); चेक, खुले या पुस्तक के रूप में
192	4908	स्थानान्तरण (डेकाल्कोमेनियास)
193	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत शुभकामना संदेश या घोषणा वाले मुद्रित कार्ड, चाहे सचित्र हों या नहीं, लिफाफे या सजावट के साथ या उसके बिना।
194	4910	किसी भी प्रकार के मुद्रित कैलेंडर, जिसमें कैलेंडर ब्लॉक भी शामिल हैं।
195	4911	अन्य मुद्रित सामग्री, जिसमें मुद्रित चित्र और फोटोग्राफ शामिल हैं; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और इसी तरह की सामग्री, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिजाइन और फोटोग्राफ, वास्तुकला इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्र, जिन्हें कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस की सहायता से पुनः प्रस्तुत किया गया है
196	5601 22 00	सिगरेट फिल्टर छड़ें
197	61	2500 रुपये प्रति नग से अधिक विक्रय मूल्य वाले बुने हुए या क्रोशिया किए हुए परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं
198	62	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हैं, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक है
199	63 [6309 के अलावा]	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं, 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक विक्रय मूल्य के सेट [पहने हुए कपड़े और अन्य पहने हुए सामान; चिथड़े के अलावा]
200	3923 या 6305	पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपाइलीन पट्टियों या इसी तरह के बुने हुए और गैर-बुने हुए बैग और बोरे, (चाहे लेमिनेटेड हों या नहीं), एक प्रकार के जो माल की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं
201	6305 32 00	लचीले मध्यवर्ती थोक कंटेनर
202	6401	जलरोधक जूते जिनके बाहरी तलवे और ऊपरी भाग रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, जिनका ऊपरी भाग न तो तलवे से जुड़ा होता है और न ही सिलाई, कील, पेंच, प्लगिंग या इसी तरह की प्रक्रियाओं द्वारा जोड़ा जाता है।
203	6402	रबर या प्लास्टिक के बाहरी तलवों और ऊपरी भाग वाले अन्य जूते

204	6403	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े के बाहरी तलवों और चमड़े के ऊपरी भाग वाले जूते
205	6404	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े के बाहरी तलवों और कपड़ा सामग्री से बने ऊपरी भाग वाले जूते
206	6405	अन्य जूते
207	6406	जूते के भाग (जिसमें ऊपरी भाग शामिल है, चाहे वह बाहरी तलवों के अलावा अन्य तलवों से जुड़ा हो या नहीं); हटाए जा सकने वाले अंदरूनी तलवे, एड़ी के कुशन और इसी प्रकार की वस्तुएं; गैटर, लेगिंग और इसी प्रकार की वस्तुएं, और उनके भाग
208	6501	टोपी के आकार, टोपी के शरीर और टोपी के हुड, न तो आकार के लिए अवरुद्ध और न ही बने हुए किनारों के साथ; प्लेटॉक्स और मंचोन (स्लिट मंचोन सहित), कपड़े से बने [कपड़े से बने टोपी के अलावा]
209	6502	टोपी के आकार, किसी भी सामग्री की पट्टियों को जोड़कर या चोटी बनाकर बनाए गए, न तो आकार देने के लिए अवरुद्ध, न ही बने हुए किनारों के साथ, न ही रेखांकित, न ही छंटनी की गई
210	6504 00 00	टोपी और अन्य हेडगियर, किसी भी सामग्री की पट्टियों को जोड़कर या जोड़कर बनाए गए, चाहे वे रेखांकित हों या नहीं
211	6505	अन्य हेडगियर, बुने हुए या क्रोशिए से बने, या लेस, फेल्ड या अन्य टेक्सटाइल फैब्रिक से बने, टुकड़े में (लेकिन पट्टियों में नहीं), 'चाहे या नहीं' लाइन वाले या ट्रिम किए हुए; किसी भी सामग्री के हेयर-नेट, 'चाहे या नहीं' लाइन वाले या ट्रिम किए हुए
212	6506	अन्य हेडगियर, चाहे लाइनिंग या ट्रिमिंग हो या नहीं
213	6507	हेड-बैंड, लाइनिंग, कवर, टोपी की नींव, टोपी के फ्रेम, चोटियाँ और चिनस्ट्रैप, हेडगियर के लिए
214	6702	कृत्रिम फूल, पत्ते और फल और उनके भाग; कृत्रिम फूल, पत्ते या फल से बनी वस्तुएं
215	6703	ऊन या अन्य जानवरों के बाल या अन्य कपड़ा सामग्री, जो विग या इसी तरह की चीजें बनाने में उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं
216	6704	मानव या पशु बाल या वस्त्र सामग्री से बने विग, नकली दाढ़ी, भौंहें और पलकें, स्विच और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; मानव बाल से बनी वस्तुएं जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
217	6801	प्राकृतिक पत्थर (स्लेट को छोड़कर) के सेट, कर्बस्टोन और फ्लैगस्टोन
218	6802	काम किया हुआ स्मारकीय या इमारती पत्थर (स्लेट को छोड़कर) और उसकी वस्तुएं, शीर्ष 6801 की वस्तुओं के अलावा; प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के मोज़ेक क्यूब्स और उसी तरह की वस्तुएं, चाहे आधार पर हों या नहीं; प्राकृतिक पत्थर (स्लेट

		सहित) के कृत्रिम रूप से रंगीन कण, चिपिंग और पाउडर [मूर्तियों, प्रतिमाओं, पीठिकाओं; ऊंची या नीची नक्काशियों, क्रॉस, पशुओं की आकृतियों, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बॉक्स, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते आदि के अलावा; मूलतः पत्थर से बनी अन्य सजावटी वस्तुएं] [अनुसूची 1 में क्रम संख्या 176 में शामिल वस्तुओं को छोड़कर]
219	6803	काम की गई स्लेट और स्लेट या एकत्रित स्लेट से बनी वस्तुएं
220	6804	चक्री के पाट, पीसने के पत्थर, पीसने वाले पहिये और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, बिना ढांचे के, पीसने, तेज करने, चमकाने, सही करने या काटने, हाथ से तेज करने या चमकाने के लिए, प्राकृतिक पत्थर, एकत्रित प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक या चीनी मिट्टी के पात्र के पत्थर और उनके हिस्से, अन्य सामग्रियों के हिस्सों के साथ या उनके बिना
221	6805	प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक पाउडर या कण, कपड़ा सामग्री, कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्री के आधार पर, (चाहे या नहीं) आकार में काटा गया हो या सिला गया हो या अन्यथा बनाया गया हो
222	6806	स्लैग ऊन, रॉक ऊन और इसी तरह के खनिज ऊन; एक्सफ़ोलिएटेड बर्मीक्यूलाइट, विस्तारित मिट्टी, फोमयुक्त स्लैग और इसी तरह के विस्तारित खनिज पदार्थ; ऊष्मारोधी, ध्वनिरोधी या ध्वनि-अवशोषित खनिज पदार्थों के मिश्रण और वस्तुएं, शीर्षक 6811 या 6812 या अध्याय 69 के अलावा
223	6807	डामर या इसी तरह की सामग्री से बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, पेट्रोलियम बिटुमेन या कोल टार पिच)
224	6808	पैनल, बोर्ड, टाइल, ब्लॉक और वनस्पति फाइबर, पुआल या छीलन, चिप्स, कण, चूरा या अन्य अपशिष्ट, लकड़ी के समान वस्तुएं, सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बाइंडरों के साथ एकत्रित
225	6809	प्लास्टर या प्लास्टर पर आधारित रचनाओं से बनी वस्तुएं; जैसे बोर्ड, शीट, पैनल, टाइलें और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, जिन पर अलंकरण नहीं किया गया हो
226	6810	सीमेंट, कंक्रीट या कृत्रिम पत्थर से बनी वस्तुएं, चाहे प्रबलित हों या नहीं
227	6811	एस्बेस्टस-सीमेंट, सेल्यूलोज फाइबर-सीमेंट या इसी तरह की वस्तुएं
228	6812	गढ़े हुए एस्बेस्टस फाइबर; एस्बेस्टस के आधार वाले या एस्बेस्टस और मैग्नीशियम कार्बोनेट के आधार वाले मिश्रण; ऐसे मिश्रण या एस्बेस्टस की वस्तुएं (उदाहरण के लिए, धागा, बुना हुआ कपड़ा, वस्त्र, हेडगियर, जूते, गार्केट), (चाहे प्रबलित हों या नहीं), शीर्ष 6811 या 6813 के (से भिन्न) माल

229	6813	घर्षण सामग्री और उसकी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, शीट, रोल, पट्टियां, खंड, डिस्क, वॉशर, पैड), ब्रेक, क्लच या इसी तरह के अन्य सामान के लिए, एस्बेस्टस, अन्य खनिज पदार्थों या सेल्यूलोज के आधार पर नहीं लगाई गई हैं, वस्त्रों या अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त हैं या नहीं।
230	6814	कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्रियों के सहारे पर काम किया हुआ अभ्रक और अभ्रक से बनी वस्तुएं, जिनमें एकत्रित या पुनर्गठित अभ्रक शामिल है, चाहे वह कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्रियों के सहारे पर हो या नहीं।
231	6815	पत्थर या अन्य खनिज पदार्थों की वस्तुएं (कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर की वस्तुएं और पीट की वस्तुएं सहित), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [फ्लाइ ऐश ईंटों, फ्लाइ ऐश समुच्चयों, फ्लाइ ऐश ब्लॉकों के अलावा]
232	6901	सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन (उदाहरण के लिए, कीसेलगुहर, ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट) या इसी तरह के सिलिकायुक्त मिट्टी से बने ब्लॉक, टाइल और अन्य सिरामिक सामान
233	6902	आग रोक ईंटें, ब्लॉक, टाइलें और इसी तरह की आग रोक सिरामिक निर्माण सामग्री, सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन या इसी तरह की सिलिकायुक्त मिट्टी के अलावा
234	6903	अन्य दुर्दम्य सिरामिक सामान (उदाहरण के लिए, रिटार्ट, क्रासिबल, मफल, नोजल, प्लग, सपोर्ट, कपल, ट्यूब, पाइप, शीथ और रॉड), सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन या समान सिलिकायुक्त मिट्टी के सामान के अलावा
235	6904	सिरामिक फ्लोरिंग ब्लॉक, सपोर्ट या फिलर टाइलें और इसी तरह की अन्य चीजें
236	6905	चिमनी-पाट, काउल, चिमनी लाइनर, वास्तुशिल्प आभूषण और अन्य सिरामिक निर्माण संबंधी सामान
237	6906	सिरामिक पाइप, नलिकाएं, गटरिंग और पाइप फिटिंग
238	6907	सिरामिक झंडे और फर्श, चूल्हा या दीवार टाइलें; सिरामिक मोज़ेक क्यूब्स और इसी तरह की अन्य चीजें, चाहे वे किसी बैकिंग पर हों या नहीं; सिरामिक की फिनिशिंग
239	6909	प्रयोगशाला, रासायनिक या अन्य तकनीकी उपयोगों के लिए सिरामिक सामान; कृषि में उपयोग किए जाने वाले सिरामिक नांद, टब और इसी प्रकार के पात्र; माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सिरामिक बर्तन, जार और इसी प्रकार की वस्तुएं
240	6910	सिरामिक सिंक, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन पेडेस्टल, बाथटब, बिडेट, वॉटर क्लॉजेट पैन, फ्लशिंग सिस्टर्न, मूत्रालय और इसी तरह के सैनिटरी फिक्स्चर
241	6914	अन्य सिरामिक लेख

242	7002	गेंदों में काँच (शीर्षक 70.18 के सूक्ष्ममंडलों के अलावा), छड़ें या नलिकाएँ, बिना काम की हुई
243	7003	कास्ट ग्लास और रोल्ड ग्लास, शीट या प्रोफाइल में, «चाहे या न» जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
244	7004	खींचा हुआ काँच और उड़ा हुआ काँच, शीटों में, «चाहे या न» जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
245	7005	फ्लोट ग्लास और सतह पर पिसा हुआ या पॉलिश किया हुआ ग्लास, शीटों में, «चाहे या न» जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
246	7006 00 00	शीर्षक 7003, 7004 या 7005 का कांच, मुड़ा हुआ, किनारे पर काम किया हुआ, उत्कीर्ण, छिद्रित, एनामेल किया हुआ या अन्यथा काम किया हुआ, लेकिन फ्रेमयुक्त या अन्य सामग्रियों से सुसज्जित नहीं
247	7007	सुरक्षा ग्लास, जिसमें कठोर (टेम्पर्ड) या लैमिनेटेड ग्लास शामिल होता है
248	7008	कांच की बहु-दीवार वाली इन्सुलेंटिंग इकाइयाँ
249	7009	कांच के दर्पण, चाहे फ्रेमयुक्त हों या नहीं, पीछे देखने वाले दर्पण सहित
250	7010	कांच के कारबाँय, बोतलें, फ्लास्क, जार, बर्तन, शीशियाँ, एम्पुल और अन्य कंटेनर, जो माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं; कांच के परिरक्षण जार; कांच के डाट, ढक्कन और अन्य बंद करने वाले उपकरण
251	7011	विद्युत लैंप और प्रकाश स्रोतों, कैथोड रे ट्यूब या इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए, बिना फिटिंग के, खुले ग्लास लिफाफे (बल्ब और ट्यूब सहित), और उनके ग्लास भाग
252	7013	मेज, रसोईघर, शौचालय, कार्यालय, आंतरिक सजावट या इसी तरह के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कांच के बर्तन (शीर्षक 7010 या 7018 के अलावा)
253	7014	सिग्नलिंग ग्लासवेयर और कांच के ऑप्टिकल तत्व (शीर्षक 7015 के अलावा), ऑप्टिकल रूप से काम नहीं किए गए
254	7015	घड़ी या घड़ी के चश्मे और इसी प्रकार के चश्मे, गैर-सुधारात्मक चश्मों के लिए चश्मे, घुमावदार, मुड़े हुए, खोखले या इसी प्रकार के, प्रकाशिक रूप से काम न करने वाले; ऐसे चश्मे के निर्माण के लिए खोखले कांच के गोले और उनके खंड
255	7016	फर्श के लिए ब्लॉक, स्लैब, ईंटें, चौकोर टुकड़े, टाइलें और दबाए गए या ढाले गए कांच की अन्य वस्तुएं, तारयुक्त हों या नहीं, भवन या निर्माण के काम में आने वाली; कांच के क्यूब्स और कांच की अन्य छोटी वस्तुएं, आधार पर हों या नहीं, मोज़ाइक

		या इसी तरह के सजावटी कामों के लिए; सीसा लगी लाइटें और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; ब्लॉक, पैनल, प्लेट, शैल या इसी तरह के रूपों में बहुकोशिकीय या फोम ग्लास
256	7017	प्रयोगशाला, स्वच्छ या औषधीय कांच के बने पदार्थ, चाहे स्नातक या अंशांकित हों या नहीं
257	7018	नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर और इसी तरह के छोटे कांच के बर्तन, और उनकी वस्तुएं, नकली आभूषणों के अलावा; कृत्रिम वस्तुओं के अलावा कांच की आंखें; लैंप-वर्क किए गए कांच की मूर्तियां और अन्य आभूषण, नकली आभूषणों के अलावा; 1 मिमी व्यास से अनधिक कांच के सूक्ष्मगोले
258	7019	ग्लास फाइबर (ग्लास वूल सहित) और उससे बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, धागा, रोविंग, बुने हुए कपड़े)
259	7020	कांच की अन्य वस्तुएं [इसके अलावा] लैंप और लालटेन के लिए ग्लोब, केरोसिन विक लैंप के लिए फव्वारे, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी]
260	7201	पिग आयरन और स्पीगेलाइज़न पिग्स, ब्लॉक्स या अन्य प्राथमिक रूपों में
261	7202	फैरो-मिश्र
262	7203	लौह अयस्क और अन्य स्पंजी लौह उत्पादों के प्रत्यक्ष अपचयन से प्राप्त लौह उत्पाद, गांठों, छर्रों या समान रूपों में; भार के अनुसार न्यूनतम 99.94% शुद्धता वाला लोहा, गांठों, छर्रों या समान रूपों में
263	7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रेप; लोहे या इस्पात के स्क्रेप सिलिलियों को पुनः पिघलाना
264	7205	पिग आयरन, स्पीगेलिसन, लोहे या स्टील के दाने और पाउडर
265	7206	सिलिलियों या अन्य प्राथमिक रूपों में लोहा और गैर-मिश्र धातु इस्पात (शीर्षक 7203 के लोहे को छोड़कर)
266	7207	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयार उत्पाद
267	7208 से 7212	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के सभी फ्लैट-रोलड उत्पाद
268	7213 से 7215	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात की सभी सलाखें और छड़ें
269	7216	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के कोण, आकार और खंड
270	7217	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात का तार
271	7218	सिलिलियों या अन्य प्राथमिक रूपों में स्टेनलेस स्टील; स्टेनलेस स्टील के अर्द्ध-तैयार उत्पाद
272	7219, 7220	स्टेनलेस स्टील के सभी फ्लैट-रोलड उत्पाद
273	7221, 7222	सभी बार और छड़ें जो स्टेनलेस स्टील की हैं
274	7223	स्टेनलेस स्टील का तार
275	7224	सिलिलियों या अन्य प्राथमिक रूपों में अन्य मिश्र धातु इस्पात;

		अन्य मिश्र धातु इस्पात के अर्द्ध-तैयार उत्पाद
276	7225, 7226	अन्य मिश्र धातु इस्पात के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
277	7227, 7228	अन्य मिश्र धातु इस्पात की सभी सलाखें और छड़ें।
278	7229	अन्य मिश्र धातु इस्पात के तार
279	7301	लोहे या स्टील की शीट पाइलिंग, चाहे ड्रिल की गई हो, छिद्रित की गई हो या संयोजन तत्वों से बनी हो; लोहे या स्टील के वेल्डेड कोण, आकार और अनुभाग
280	7302	लोहे या स्टील से बनी रेलवे या ट्रामवे ट्रैक निर्माण सामग्री, निम्नलिखित: पटरियां, चेक-रेल और रैक रेल, स्विच ब्लेड, क्रॉसिंग फ्रॉग, पॉइंट रॉड और अन्य क्रॉसिंग टुकड़े, स्लीपर (क्रॉस-टाई), फिश-प्लेट, कुर्सियां, कुर्सी वेज, सोल प्लेट (बेस प्लेट), रेल क्लिप, वेडप्लेट, टाई और पटरियों को जोड़ने या फिक्स करने के लिए विशेषीकृत अन्य सामग्री
281	7303	कच्चे लोहे से बनी ट्यूबें, पाइप और खोखले प्रोफाइल
282	7304	लोहे (ढलवां लोहे के अलावा) या स्टील से बनी ट्यूब, पाइप और खोखली प्रोफाइल, बिना जोड़ वाली
283	7305	अन्य ट्यूब और पाइप (उदाहरण के लिए, वेल्डेड, रिबेटेड या इसी तरह से बंद), जिनका अनुप्रस्थ काट गोलाकार हो, जिनका बाहरी व्यास 406.4 मिमी से अधिक हो, लोहे या स्टील से बने हों
284	7306	लोहे या स्टील के अन्य ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल (उदाहरण के लिए, खुली सीम या वेल्डेड, रिबेटेड या इसी तरह बंद)
285	7307	लोहे या स्टील की ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, स्लीव)
286	7308	लोहे या इस्पात की संरचनाएं (शीर्षक 94.06 की पूर्वनिर्मित इमारतों को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरण के लिए, पुल और पुल-खंड, लॉक-गेट, टावर, जाली मस्तूल, छत, छत के ढांचे, दरवाजे और खिड़कियां और उनके फ्रेम और दरवाजों के लिए दहलीज, शटर, बालस्ट्रेड, स्तंभ और स्तंभ); लोहे या इस्पात की संरचनाओं के उपयोग के लिए तैयार प्लेट, छड़, कोण, आकार, खंड, ट्यूब और इसी तरह की अन्य वस्तुएं [ट्रांसमिशन टावरों को छोड़कर]
287	7309	किसी भी सामग्री (संपीडित या द्रवीकृत गैस के अलावा) के लिए जलाशय, टैंक, बैट और इसी तरह के कंटेनर, लोहे या स्टील के, 300 लीटर से अधिक क्षमता के, अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं
288	7310	टैंक, पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से और इसी तरह के कंटेनर, किसी भी सामग्री के लिए (संपीडित या द्रवीकृत गैस के अलावा), लोहे या

		स्टील से बने, 300 लीटर से अधिक क्षमता के नहीं, अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं, लोहे या स्टील से बने दूध के डिब्बे के अलावा
289	7311	संपीड़ित या द्रवीकृत गैस के लिए लोहे या स्टील के कंटेनर
290	7312	लोहे या स्टील के फंसे हुए तार, रस्सियाँ, केबल, लटके हुए बैंड, स्लिंग और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जो विद्युत रूप से इंसुलेट न की गई हों
291	7313	लोहे या स्टील का कांटेदार तार; मुड़ा हुआ घेरा या एकल सपाट तार, कांटेदार हो या न हो, और ढीले ढंग से मुड़ा हुआ दोहरा तार, बाड़ लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला, लोहे या स्टील का
292	7314	लोहे या स्टील के तार से बना कपड़ा (अंतहीन बैंड सहित), ग्रिल, जाल और बाड़; लोहे या स्टील की विस्तारित धातु
293	7315	7315 20, 7315 81, 7315 82, 7315 89, 7315 90 के अंतर्गत आने वाले लोहे या स्टील की चेन और उसके हिस्से
294	7316	लोहे या स्टील के लंगर, ग्रैपनेल और उनके हिस्से
295	7317	कीलें, टैक, ड्राइंग पिन, नालीदार कीलें, स्टेपल (शीर्ष 8305 के स्टेपल के अलावा) और इसी तरह की वस्तुएं, लोहे या स्टील की, चाहे अन्य सामग्री के शीर्ष के साथ हों या नहीं, लेकिन तांबे के शीर्ष वाली ऐसी वस्तुओं को छोड़कर
296	7318	लोहे या स्टील के स्कू, बोल्ट, नट, कोच स्कू, स्कू हुक, रिबेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वॉशर (स्प्रिंग वॉशर सहित) और इसी तरह की अन्य वस्तुएं
297	7319	बुनाई की सुइयाँ, बोडकिन, क्रोशिया हुक, कढ़ाई के स्टिलेटो और इसी प्रकार की वस्तुएं, हाथ में उपयोग के लिए, लोहे या स्टील की; सेफ्टी पिन और लोहे या स्टील की अन्य पिन, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
298	7320	लोहे और स्टील के स्प्रिंग और स्प्रिंग के पत्ते
299	7321	लोहे या स्टील से बने स्टोव, रेंज, ग्रेट, कुकर (जिनमें केंद्रीय हीटिंग के लिए सहायक बॉयलर शामिल हैं), बारबेक्यू, ब्रेज़ियर, गैस रिंग, प्लेट वार्मर और इसी तरह के गैर-इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरण और उनके हिस्से [किरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव, लोहे या स्टील से बने लकड़ी जलाने वाले स्टोव और सौर कुकर के अलावा]
300	7322	केंद्रीय हीटिंग के लिए रेडिएटर, जो विद्युत से गर्म नहीं होते, और उनके हिस्से, जो लोहे या स्टील के बने होते हैं; एयर हीटर और गर्म हवा वितरक (वितरक जो ताजी या वातानुकूलित हवा भी वितरित कर सकते हैं सहित), जो विद्युत से गर्म नहीं होते, जिनमें मोटर चालित पंखा या ब्लोअर शामिल होता है, और उनके हिस्से, जो लोहे या स्टील के बने होते हैं

301	7323	लोहे या स्टील की ऊन; बर्तन साफ़ करने वाले उपकरण और सफाई या पॉलिश करने वाले पैड, दस्ताने और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, लोहे या स्टील की (लोहे या स्टील से बने दूध के डिब्बों के अलावा)
302	7323 9410	घमेला
303	7324	लोहे और इस्पात से बने सेनेटरी वेयर और उसके पुर्जे
304	7325	लोहे या स्टील की अन्य ढली हुई वस्तुएँ
305	7326	लोहे या स्टील की अन्य वस्तुएँ
306	7401	तांबा मैट; सीमेंट तांबा (अवक्षेपित तांबा)
307	7402	अपरिष्कृत तांबा; विद्युत अपघटनी शोधन के लिए तांबे के एनोड
308	7403	परिष्कृत तांबा और तांबे की मिश्र धातु, बिना गढ़े
309	7404	तांबे का अपशिष्ट और स्क्रेप
310	7405	तांबे के मास्टर मिश्र धातु
311	7406	तांबे के पाउडर और गुच्छे
312	7407	तांबे की सलाखें, छड़ें और प्रोफाइल
313	7408	तांबे का तार
314	7409	0.15 मिमी से अधिक मोटाई वाली तांबे की प्लेटें, शीट और पट्टी
315	7410	तांबे की पन्नी
316	7411	तांबे की ट्यूब और पाइप
317	7412	तांबे की ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, आस्तीन)
318	7413	फंसे हुए तार और केबल
319	7415	तांबे के या लोहे या इस्पात के बने तांबे के शीर्षों वाले कीलें, टैक, ड्राइंग पिन, स्टेपल (शीर्ष 83.05 के अतिरिक्त) और इसी प्रकार की वस्तुएं; तांबे के स्कू, बोल्ट, नट, स्कू हुक, रिबेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वाशर (स्प्रिंग वाशर सहित) और इसी प्रकार की वस्तुएं
320	7418	सभी सामान (तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तनों के अलावा)
321	7419	तांबे की अन्य वस्तुएं (पीतल केरोसिन प्रेशर स्टोव के अलावा)
322	7501	निकल मैट, निकल ऑक्साइड सेंटर और निकल धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद
323	7502	अनराउंट निकल
324	7503	निकल अपशिष्ट और स्क्रेप
325	7504	निकल पाउडर और फ्लेक्स

326	7505	निकल बार, छड़, प्रोफाइल और तार
327	7506	निकल प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी
328	7507	निकल ट्यूब, पाइप और ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, आस्तीन)
329	7508	निकल के अन्य उत्पाद
330	7601	बिना गढ़ा एल्युमीनियम
331	7602	एल्युमीनियम अपशिष्ट और स्क्रेप
332	7603	एल्युमीनियम पाउडर और फ्लेक्स
333	7604	एल्युमीनियम बार, छड़ और प्रोफाइल
334	7605	एल्युमीनियम तार
335	7606	0.2 मिमी से अधिक मोटाई वाली एल्युमीनियम प्लेटें, शीट और पट्टी
336	7607	एल्युमीनियम फ़ॉइल (चाहे मुद्रित हो या नहीं या कागज़, पेपरबोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की बैकिंग सामग्री से समर्थित) जिसकी मोटाई (किसी भी बैकिंग को छोड़कर) 0.2 मिमी से अधिक न हो
337	7608	एल्युमीनियम ट्यूब और पाइप
338	7609	एल्युमीनियम ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, स्लीव)
339	7610	एल्युमीनियम संरचनाएं (शीर्षक 9406 की पूर्वनिर्मित इमारतों को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरण के लिए, पुल और पुल-खंड, टावर, जाली मस्तूल, छत, छत के ढांचे, कटघरा, स्तंभ और स्तंभ); एल्युमीनियम प्लेट, छड़, प्रोफाइल, ट्यूब और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जो संरचनाओं में उपयोग के लिए तैयार की गई हैं
340	7611	एल्युमीनियम जलाशय, टैंक, बैट और इसी तरह के कंटेनर, किसी भी सामग्री के लिए (संपीड़ित या द्रवीकृत गैस के अलावा), 300 लीटर से अधिक क्षमता के, चाहे अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं
341	7612	एल्युमीनियम के पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से, आदि, एल्युमीनियम से बने दूध के डिब्बों के अलावा
342	7613	संपीड़ित या तरलीकृत गैस के लिए एल्युमीनियम कंटेनर
343	7614	एल्युमीनियम से बने फंसे हुए तार, केबल, लटके हुए बैंड और इसी तरह के अन्य सामान, जो विद्युत रूप से इंसुलेट नहीं किए गए हों
344	7615	सभी सामान (एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान के अलावा; एल्युमीनियम से बने बर्तन, दूध के डिब्बे)
345	7616	एल्युमीनियम के अन्य सामान

346	7801	बिना गढ़ा सीसा
347	7802	सीसा अपशिष्ट और स्क्रेप
348	7804	सीसा प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी; सीसा पाउडर और गुच्छे
349	7806	सीसे से बनी अन्य वस्तुएं (सैनिटरी फिक्सचर और भारतीय सीसे की सील सहित)
350	7901	कच्चा जस्ता
351	7902	जिंक अपशिष्ट और स्क्रेप
352	7903	जिंक धूल, पाउडर और गुच्छे
353	7904	जिंक बार, छड़, प्रोफाइल और तार
354	7905	जिंक प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी
355	7907	जिंक से बनी अन्य वस्तुएं जिनमें सैनिटरी फिक्सचर भी शामिल हैं
356	8001	कच्चा टिन
357	8002	टिन अपशिष्ट और स्क्रेप
358	8003	टिन की सलाखें, छड़ें, प्रोफाइल और तार
359	8007	टिन के अन्य सामान
360	8101 से 8112	अन्य आधार धातुएं, अर्थात् टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टैंटलम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट मैट, और कोबाल्ट धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद, बिस्मथ, कैडमियम, टाइटेनियम, जिंकोनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, बेरिलियम, क्रोमियम, जर्मेनियम, वैनेडियम, गैलियम, हेफनियम, इंडियम, नाइओबियम (कोलंबियम), रेनियम और थैलियम, और उनकी वस्तुएं, जिनमें अपशिष्ट और स्क्रेप शामिल हैं
361	8113	सेमेट्स और उनकी वस्तुएं, अपशिष्ट और स्क्रेप सहित
362	8202	हाथ आरी; सभी प्रकार की आरियों के लिए ब्लेड (स्लिटिंग, स्लॉटिंग या टूथलेस आरी ब्लेड सहित)
363	8203	फाइलें, रैस्प, प्लायर्स (कटिंग प्लायर्स सहित), पिंसर्स, चिमटी, धातु काटने वाली कैंची, पाइप-कटर, बोल्ट क्रॉपर्स, छिद्रण पंच और इसी तरह के अन्य हाथ उपकरण
364	8204	हस्त-संचालित स्पैनर और रिंच (टॉर्क मीटर रिंच सहित, परंतु टैप रिंच शामिल नहीं); अदला-बदली योग्य स्पैनर सॉकेट, हैंडल सहित या बिना हैंडल के
365	8205	हाथ के औजार (ग्लेज़ियर्स के हीरे सहित), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; ब्लो लैंप; वाइस, क्लैम्प और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, मशीन-औजारों या जल-जेट काटने वाली मशीनों के सहायक उपकरण और भागों के अलावा; निहाई; पोर्टेबल फोर्ज; फ्रेमवर्क सहित हाथ या पैडल से चलने वाले पीसने वाले पहिये
366	8206	शीर्षक 8202 से 8205 तक के दो या अधिक उपकरण, खुदरा

		बिक्री के लिए सेट में रखे गए
367	8207	हस्त औजारों के लिए विनिमय औजार, चाहे वे बिजली से चलने वाले हों या नहीं, या मशीन औजारों के लिए (उदाहरण के लिए, दबाने, मुद्रांकन, छिद्रण, दोहन, सूत्रण, ड्रिलिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, टर्निंग या स्कू ड्राइविंग के लिए), जिसमें धातु निकालने या निकालने के लिए ड्राई, और रॉक ड्रिलिंग या अर्थ बोरिंग उपकरण शामिल हैं
368	8208	मशीनों या यांत्रिक उपकरणों के लिए चाकू और काटने वाले ब्लेड
369	8209	प्लेटें, छड़ें, टिप्स और इसी तरह के उपकरण, अनमाउंटेड, सेमेंट्स के
370	8210 00 00	हाथ से संचालित यांत्रिक उपकरण, जिनका वजन 10 किलोग्राम या उससे कम होता है, जिनका उपयोग भोजन या पेय की तैयारी, कंडीशनिंग या परोसने में किया जाता है
371	8211	काटने वाले ब्लेड वाले चाकू, दाँतेदार हों या नहीं (छँटाई करने वाले चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू के अलावा, और उसके ब्लेड
372	8212	रेज़र और रेज़र ब्लेड (स्ट्रिप्स में रेज़र ब्लेड ब्लैक सहित)
373	8213 00 00	कैंची, दर्जी की कैंची और इसी प्रकार की कैंची, और उनके ब्लेड
374	8214	कटलरी के अन्य सामान (उदाहरण के लिए, बाल काटने वाले उपकरण, कसाई या रसोई के क्लीवर, चॉपर और कीमा बनाने वाले चाकू); मैनीक्योर या पेडीक्योर सेट और उपकरण जिनमें नाखून काटने वाली फाइलें शामिल हैं [पेंसिल शार्पनर के अलावा]
375	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह के रसोई या टेबलवेयर
376	8301	आधार धातु से बने पैडलॉक और ताले (कुंजी, संयोजन या विद्युत चालित); आधार धातु से बने ताले सहित क्लैस्प और क्लैस्प सहित फ्रेम; आधार धातु से बने उपरोक्त वस्तुओं में से किसी की भी कुंजियाँ
377	8302	फर्नीचर, दरवाजे, सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ, ब्लाइंड, कोचवर्क, सैडलरी, ट्रंक, चेस्ट, कास्केट या इसी तरह की अन्य चीजों के लिए उपयुक्त बेस मेटल माउंटिंग, फिटिंग्स और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; बेस मेटल हैट-रैक, हैट-पेग, ब्रैकेट और इसी तरह की अन्य फिक्सचर्स; बेस मेटल के माउंटिंग वाले कैस्टर; बेस मेटल के स्वचालित दरवाजा क्लोजर
378	8303	आधार धातु से बने बख्तरबंद या सुदृढ़ तिजोरियाँ, मजबूत बक्से और दरवाजे तथा सुरक्षित जमा लॉकर, नकदी या विलेख बक्से और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं

379	8304	फाइलिंग कैबिनेट, कार्ड-इंडेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर रेस्ट, पेन ट्रे, ऑफिस-स्टाम्प स्टैंड और इसी तरह के कार्यालय या डेस्क उपकरण, आधार धातु से बने, शीर्षक 9403 के कार्यालय फर्नीचर के अलावा
380	8305	ढीले-पत्ते बाइंडरों या फाइलों, लेटर क्लिप, लेटर कॉर्नर, पेपर क्लिप, इंडेक्सिंग टैग और इसी तरह के कार्यालय लेखों के लिए फिटिंग, आधार धातु से बने; स्ट्रिप्स में स्टेपल (उदाहरण के लिए, कार्यालयों, असबाब, पैकेजिंग के लिए), आधार धातु से बने
381	8307	आधार धातु की लचीली ट्यूबिंग, फिटिंग के साथ या बिना
382	8308	आधार धातु से बने क्लैप्स, क्लैप्स, बकल, बकल-क्लैप, हुक, आई, आईलेट आदि सहित फ्रेम, जिनका उपयोग वस्त्र या वस्त्र सहायक सामग्री, जूते, आभूषण, कलाई घड़ी, पुस्तकें, शामियाना, चमड़े के सामान, यात्रा के सामान या काठी या अन्य निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है; आधार धातु से बने ट्यूबलर या द्विभाजित रिबेड्स; आधार धातु से बने मोती और स्पैंगल्स
383	8309	आधार धातु से बने स्टॉपर, कैप और ढक्कन (क्राउन कॉर्क, स्कू कैप और पोरिंग स्टॉपर सहित), बोतलों के लिए कैप्सूल, थ्रेडेड बंग, बंग कवर, सील और अन्य पैकिंग सहायक उपकरण
384	8310	आधार धातु से बनी साइन-प्लेटें, नाम-प्लेटें, पता-प्लेटें और इसी प्रकार की प्लेटें, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक, शीर्ष 9405 को छोड़कर
385	8311	आधार धातु या धातु कार्बाइड से बने तार, छड़, ट्यूब, प्लेट, इलेक्ट्रोड और इसी प्रकार के उत्पाद, फ्लक्स सामग्री से लेपित या कोरयुक्त, धातु या धातु कार्बाइड के सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या निक्षेपण के लिए प्रयुक्त; धातु छिड़काव के लिए प्रयुक्त, एकत्रित आधार धातु पाउडर से बने तार और छड़
386	84	केवल या मुख्य रूप से 15 एचपी से अधिक शक्ति वाले निश्चित गति डीजल इंजन के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
387	84 या 85	केवल या मुख्य रूप से बिजली चालित पंपों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग, जो मुख्य रूप से जल प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि अपकेंद्री पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूबवेल टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप
388	8401	परमाणु रिएक्टर; आइसोटोप पृथक्करण के लिए मशीनरी और उपकरण
389	8402	भाप या अन्य वाष्प उत्पन्न करने वाले बॉयलर (केंद्रीय हीटिंग गर्म पानी बॉयलर के अलावा जो कम दबाव भाप उत्पन्न करने में भी सक्षम हैं); अति-उष्ण जल बॉयलर
390	8403	केंद्रीय हीटिंग बॉयलर (शीर्षक 8402 के अलावा)

391	8404	शीर्षक 8402 या 8403 के बॉयलरों के साथ उपयोग के लिए सहायक संयंत्र (उदाहरण के लिए, इकोनोमाइज़र, सुपर-हीटर, सूट रिमूवर, गैस रिकवरीर); भाप या अन्य वाष्प विद्युत इकाइयों के लिए कंडेनसर
392	8405	उत्पादक गैस या जल गैस जनरेटर, उनके शोधक के साथ या उसके बिना; एसिटिलीन गैस जनरेटर और इसी प्रकार के जल प्रक्रिया गैस जनरेटर, उनके शोधक के साथ या उसके बिना
393	8406	भाप टर्बाइन और अन्य वाष्प टर्बाइन
394	8407	स्पार्क-इग्निशन रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [विमान इंजन के अलावा]
395	8408	संपीड़न-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध-डीजल इंजन)
396	8409	शीर्षक 8407 या 8408 के इंजनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
397	8410	हाइड्रोलिक टर्बाइन, जल पहिये और उनके नियामक
398	8411	टर्बो-जेट, टर्बो-प्रोपेलर और अन्य गैस टर्बाइन [विमान इंजन के अलावा]
399	8412	अन्य इंजन और मोटर (टर्बो जेट, हाइड्रोलिक पावर इंजन और मोटर, न्यूमेटिक पावर इंजन और मोटर, अन्य भागों के अलावा प्रतिक्रिया इंजन) [पवन टरबाइन या इंजन के अलावा]
400	8413	(क) कंक्रीट पंप [8413 40 00]; (ख) अन्य रोटरी घनात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; (ग) मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए पावर संचालित पंप, अर्थात्, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूबवेल टरबाइन पंप, पनडुब्बी पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप]; फिलिंग स्टेशनों या गैरेज में उपयोग किए जाने वाले ईंधन या स्नेहक वितरित करने के लिए पंप [8413 11], आंतरिक दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, स्नेहन या शीतलन माध्यम पंप [8413 30]
401	8414	वायु या निर्वात पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; पंखे सहित वेंटिलेशन या रिसाइक्लिंग हुड, चाहे फिल्टर लगे हों या नहीं; गैस-तंग जैविक सुरक्षा कैबिनेट, चाहे फिल्टर लगे हों या नहीं [साइकिल पंप, अन्य हैंड पंप और वायु या निर्वात पंप के भागों और साइकिल पंप के कम्प्रेसर के अलावा]
402	8414 20 10	साइकिल पंप
403	8414 90 12	साइकिल पंपों के वायु या वैक्यूम पंप और कम्प्रेसर के पुर्जे
404	8415	एयर कंडीशनिंग मशीनें, जिनमें मोटर चालित पंखा और तापमान और आर्द्रता को बदलने के लिए तत्व शामिल हैं, जिनमें वे मशीनें भी शामिल हैं जिनमें आर्द्रता को अलग से नियंत्रित

		नहीं किया जा सकता है
405	8416	तरल ईंधन, चूर्णित ठोस ईंधन या गैस के लिए भट्टी बर्नर; यांत्रिक स्टोकर, उनके यांत्रिक ग्रेट, यांत्रिक राख निस्सारक और इसी तरह के उपकरणों सहित
406	8417	औद्योगिक या प्रयोगशाला भट्टियां और ओवन, भस्मक सहित, गैर-विद्युत
407	8418	रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य प्रशीतन या हिमीकरण उपकरण, विद्युत या अन्य; हीट पंप, शीर्ष 8415 की वातानुकूलन मशीनों के अलावा
408	8419 [8419 12 के अलावा]	मशीनरी, संयंत्र या प्रयोगशाला उपकरण, चाहे विद्युत रूप से गर्म किए गए हों या नहीं (शीर्ष 8514 के भट्टियों, ओवन और अन्य उपकरणों को छोड़कर), तापमान में परिवर्तन जैसे कि गर्म करना, पकाना, भूनना, आसवन, सुधारना, जीवाणुरहित करना, पाश्चुरीकरण, भाप देना, सुखाना, वाष्पित करना, वाष्पीकृत करना, संघनित करना या ठंडा करना जैसी प्रक्रिया द्वारा सामग्री के उपचार के लिए, घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी या संयंत्र के अलावा; तात्कालिक या भंडारण जल हीटर, गैर-विद्युत [सौर जल हीटर और प्रणाली के अलावा]
409	8420	धातु या कांच के लिए कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीनें, और उनके सिलेंडर [हाथ से संचालित रबर रोलर के अलावा]
410	8421	सेंट्रीफ्यूज, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी शामिल हैं; तरल पदार्थ या गैसों के लिए फिल्टरिंग या शुद्धिकरण मशीनरी और उपकरण
411	8422	वर्तन धोने की मशीनें, घरेलू [8422 11 00] और अन्य [8422 19 00]; बोतलों या अन्य कंटेनरों को साफ करने या सुखाने के लिए मशीनरी; बोतलों, डिब्बों, बक्सों, थैलों या अन्य कंटेनरों को भरने, बंद करने, सील करने या लेबल लगाने के लिए मशीनरी; बोतलों, जार, ट्यूबों और इसी तरह के कंटेनरों को कैप्सूल करने के लिए मशीनरी; अन्य पैकिंग या लपेटने की मशीनरी (ताप-सिकुड़ने वाली लपेटने की मशीनरी सहित); पेय पदार्थों को वातित करने के लिए मशीनरी
412	8423	तौल मशीनें (5 सेंटीग्राम या उससे अधिक संवेदनशीलता वाली तुलाओं को छोड़कर), तौल से संचालित गिनती या जाँच मशीनों सहित; सभी प्रकार की तौल मशीनें
413	8424	तरल पदार्थ या पाउडर को प्रक्षेपित करने, फैलाने या छिड़कने के लिए यांत्रिक उपकरण (हाथ से संचालित हो या न हो); अग्निशामक यंत्र, चार्ज किए गए हो या न हो; स्प्रे गन और इसी तरह के उपकरण; भाप या रेत ब्लास्टिंग मशीन और इसी तरह की जेट प्रक्षेपित करने वाली मशीनें [स्प्रिंकलर के अलावा; ड्रिप सिंचाई प्रणालियां जिनमें लेटरल शामिल हैं; यांत्रिक स्प्रेयर; ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए नोजल या स्प्रिंकलर के लिए नोजल]

414	8425	पुली टैकल और होइस्ट, स्किप होइस्ट के अलावा; विंच और कैपस्टन; जैक
415	8426	जहाज के डेरिक; केबल क्रेन सहित क्रेन; मोबाइल लिफ्टिंग फ्रेम, स्ट्रैडल कैरियर और क्रेन से सुसज्जित कार्य ट्रक
416	8427	फोर्क-लिफ्ट ट्रक; उठाने या हैंडलिंग उपकरण से सुसज्जित अन्य कार्य ट्रक
417	8428	अन्य उठाने, संभालने, लादने या उतारने वाली मशीनरी (उदाहरण के लिए, लिफ्ट, एस्केलेटर, कन्वेयर, टेलीफेरिक्स)
418	8429	स्व-चालित बुलडोजर, एंगल्डोजर, ग्रेडर, लेवलर, स्क्रेपर, मैकेनिकल शॉवेल, उत्खननकर्ता, शॉवेल लोडर, टैम्पिंग मशीन और रोड रोलर
419	8430	मिट्टी, खनिज या अयस्कों के लिए अन्य गतिशील, ग्रेडिंग, समतलीकरण, खुरचना, उत्खनन, टैपिंग, कॉम्पैक्टिंग, निष्कर्षण या बोरिंग मशीनरी; पाइलड्राइवर और पाइल-एक्सट्रैक्टर; बर्फ हटाने वाले हल और बर्फ हटाने वाले यंत्र
420	8431	शीर्षक 8425 से 8430 की मशीनरी के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
421	8433	अण्डों, फलों या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें, शीर्ष 8437 की मशीनरी के अलावा; उसके भाग [8433 90 00]
422	8434	मिल्किंग मशीनें और डेयरी मशीनरी
423	8435	वाइन, साइडर, फलों के रस या इसी तरह के पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त प्रेस, क्रशर और इसी तरह की मशीनरी
424	8437	बीज, अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त मशीनें, कृषि प्रकार की मशीनरी और उनके भागों के अलावा
425	8438	खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या विनिर्माण के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, पशु या स्थिर वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा या तेलों के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी के अलावा
426	8439	रेशेदार सेल्युलॉसिक सामग्री की लुगदी बनाने या कागज या पेपरबोर्ड बनाने या परिष्करण के लिए मशीनरी
427	8440	पुस्तक-बाइंडिंग मशीनरी, जिसमें पुस्तक-सिलाई मशीनें भी शामिल हैं
428	8441	कागज की लुगदी, कागज या पेपरबोर्ड बनाने के लिए अन्य मशीनरी, जिसमें सभी प्रकार की कटिंग मशीनें शामिल हैं
429	8442	प्लेट, मुद्रण घटक तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्षक 8456 से 8465 की मशीनों के अलावा); प्लेट, सिलेंडर और लिथोग्राफिक पत्थर, मुद्रण

		प्रयोजनों के लिए तैयार (उदाहरण के लिए, समतल, दानेदार या पॉलिश किए हुए)
430	8443	शीर्ष 8442 के प्लेटों, सिलेंडरों और अन्य मुद्रण घटकों के माध्यम से मुद्रण के लिए प्रयुक्त मुद्रण मशीनरी; अन्य प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीनें और प्रतिकृति मशीनें, (चाहे संयुक्त हों या नहीं); उनके पुर्जे और सहायक उपकरण
431	8444	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री को निकालने, चित्रित करने, बनावट देने या काटने के लिए मशीनें
432	8445	कपड़ा रेशे तैयार करने के लिए मशीनें; कपड़ा धागा बनाने के लिए कटाई, दोहरीकरण या घुमाव मशीनें और अन्य मशीनरी; कपड़ा रीलिंग या वाइंडिंग (वेफ्ट-वाइंडिंग सहित) मशीनें और शीर्ष 8446 या 8447 की मशीनों पर उपयोग के लिए कपड़ा धागा तैयार करने के लिए मशीनें
433	8446	बुनाई मशीनें (करघे)
434	8447	बुनाई मशीनें, सिलाई-बंधन मशीनें और गिम्पड यार्न, ट्यूल, लेस, कढ़ाई, ट्रिमिंग, ब्रैड या नेट बनाने के लिए मशीनें और टफ्टिंग के लिए मशीनें
435	8448	शीर्ष 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए सहायक मशीनरी (उदाहरण के लिए, डॉबी, जैक्कार्ड, स्वचालित स्टॉप मोशन, शटल बदलने की प्रणाली); इस शीर्षक या शीर्ष 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और सहायक उपकरण (उदाहरण के लिए, स्पिंडल और स्पिंडल फ्लायर्स, कार्ड क्लोथिंग, कंधे, एक्सट्रूडिंग निपल्स, शटल, हील्ड और हील्ड फ्रेम, होजरी सुइयां)
436	8449	टुकड़े या आकार में फेल्ट या नॉनवोवन के निर्माण या परिष्करण के लिए मशीनरी, जिसमें फेल्ट हैट बनाने के लिए मशीनरी शामिल है; हैट बनाने के लिए ब्लॉक
437	8450	घरेलू या कपड़े धोने वाली वाशिंग मशीनें, जिनमें धोने और सुखाने वाली मशीनें भी शामिल हैं
438	8451	कपड़े धोने, साफ करने, निचोड़ने, सुखाने, इस्त्री करने, दबाने (फ्यूजिंग प्रेस सहित), ब्लीचिंग, रंगाई, ड्रेसिंग, फिनिशिंग, कोटिंग या कपड़ा धागों, कपड़ों या तैयार कपड़ा वस्तुओं को संसेचित करने के लिए मशीनरी (शीर्षक 8450 की मशीनों के अलावा) और आधार कपड़े या लिनोलियम जैसे फर्श कवरिंग के निर्माण में प्रयुक्त अन्य सहारे पर पेस्ट लगाने के लिए मशीनें; कपड़ा कपड़ों को रीलिंग, अनरीलिंग, फोल्डिंग, कटिंग या पिंकिंग करने के लिए मशीनें
439	8453	खाल, चमड़े या चमड़ा तैयार करने, उसे रंगने या उस पर काम करने या जूते या खाल, चमड़े या चमड़े से बनी अन्य वस्तुएं

		बनाने या उनकी मरम्मत करने के लिए मशीनरी, सिलाई मशीनों के अलावा
440	8454	कन्वर्टर, लैडल, इनगॉट मोल्ड और कास्टिंग मशीनें, एक प्रकार की जो धातु विज्ञान या धातु ढलाईघरों में उपयोग की जाती हैं
441	8455	धातु-रोलिंग मिलें और उनके रोल
442	8456	किसी भी सामग्री को हटाने, लेजर या अन्य प्रकाश या फोटॉन बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रो-डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो-केमिकल, इलेक्ट्रॉन बीम, आयनिक-बीम या प्लाज्मा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा काम करने के लिए मशीन-टूल्स
443	8457	धातु पर काम करने के लिए मशीनिंग केंद्र, इकाई निर्माण मशीनें (एकल स्टेशन) और बहु-स्टेशन स्थानांतरण मशीनें
444	8458	धातु हटाने के लिए खराद (टर्निंग सेंटर सहित)
445	8459	ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, ग्रेडिंग या धातु हटाकर टैपिंग के लिए मशीन-टूल्स (वे-टाइप यूनिट हेड मशीनों सहित), शीर्षक 8458 के खराद (टर्निंग सेंटर सहित) के अलावा
446	8460	धातु को खुरचने, तेज करने, पीसने, धार लगाने, चमकाने, लैपिंग करने, पॉलिश करने या अन्यथा परिष्कृत करने के लिए मशीन-उपकरण, या पीसने वाले पत्थरों, अपघर्षकों या पॉलिशिंग उत्पादों के माध्यम से धातु को खुरचने, तेज करने, पीसने, धार लगाने, पॉलिश करने या अन्यथा परिष्कृत करने के लिए मशीन-उपकरण, शीर्ष 8461 के गियर काटने, गियर पीसने या गियर परिष्करण मशीनों के अलावा
447	8461	समतलीकरण, आकार देने, खांचा बनाने, ब्रोचिंग, गियर काटने, गियर पीसने या गियर परिष्करण, काटने, काटने और धातु या सेमेंट को हटाकर काम करने वाले अन्य मशीन-टूल, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
448	8462	फोर्जिंग, हैमरिंग या डाई फोर्जिंग द्वारा धातु पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (प्रेस सहित) (रोलिंग मिलों को छोड़कर); झुकने, मोड़ने, सीधा करने, चपटा करने, कतरने, छिद्रण, नोचिंग या निबलिंग द्वारा धातु पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन और कट-टू-लेंथ लाइन सहित) (ड्रॉ-बेंच को छोड़कर); धातु या धातु कार्बाइड पर काम करने के लिए प्रेस, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं
449	8463	सामग्री को हटाए बिना धातु या सेमेंट्स पर काम करने के लिए अन्य मशीन-टूल्स
450	8464	पत्थर, चीनी मिट्टी, कंक्रीट, एस्बेस्टस-सीमेंट या इसी तरह के खनिज पदार्थों पर काम करने के लिए या कांच पर ठंडे काम करने के लिए मशीन-टूल
451	8465	लकड़ी, कॉर्क, हड्डी, कठोर रबर, कठोर प्लास्टिक या इसी तरह की कठोर सामग्रियों पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (कील

		ठोकने, स्टेपल लगाने, चिपकाने या अन्यथा संयोजन करने वाली मशीनों सहित)
452	8466	शीर्ष 8456 से 8465 तक की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और सहायक उपकरण जिनमें शामिल हैं: कार्य या उपकरण धारक, स्वतः खुलने वाले डाईहेड, विभाजक शीर्ष और मशीनों के लिए अन्य विशेष अनुलग्नक; हाथ से काम करने के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण के लिए उपकरण धारक
453	8467	हाथ से काम करने के लिए उपकरण, वायवीय, हाइड्रोलिक या स्व-निहित विद्युत या गैर-विद्युत मोटर के साथ
454	8468	सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिए मशीनरी और उपकरण, चाहे काटने में सक्षम हों या नहीं, शीर्ष 8515 के अंतर्गत आने वाले उपकरणों को छोड़कर; गैस चालित सतह टेम्परिंग मशीनें और उपकरण
455	8470	गणना मशीनें और पॉकेट आकार के डेटा रिकॉर्डिंग, गणना कार्यों के साथ पुनरुत्पादन और प्रदर्शन मशीनें; लेखा मशीनें, डाक-क्रैंकिंग मशीनें, टिकट जारी करने वाली मशीनें और इसी तरह की मशीनें, एक गणना उपकरण को शामिल करना; कैश रजिस्टर
456	8471	स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीनें और उनकी इकाइयाँ; चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर, कोडित रूप में डेटा मीडिया पर डेटा को लिखने के लिए मशीनें और ऐसे डेटा को संसाधित करने के लिए मशीनें, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
457	8472	अन्य कार्यालय मशीनें (उदाहरण के लिए, हेक्टोग्राफ या स्टेंसिल डुप्लिकेटिंग मशीनें, एड्रेसिंग मशीनें, स्वचालित बैंकनोट डिस्पेंसर, सिक्का छंटाई मशीनें, सिक्का गिनने या लपेटने वाली मशीनें, पेंसिल शार्पनिंग मशीनें, छिद्रण या स्टेपलिंग मशीनें) [ब्रेल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक या गैर-इलेक्ट्रिक के अलावा]
458	8473	भाग और सहायक उपकरण (कवर, कैरी केस और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के अलावा) जो केवल या मुख्य रूप से शीर्षक 8470 से 8472 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
459	8474	ठोस (पाउडर या पेस्ट सहित) रूप में मिट्टी, पत्थर, अयस्कों या अन्य खनिज पदार्थों को छांटने, छानने, अलग करने, धोने, कुचलने, पीसने, मिलाने या गूंथने के लिए मशीनरी; ठोस खनिज ईंधन, सिरमिक पेस्ट, कठोर न किए गए सीमेंट, प्लास्टर सामग्री या अन्य खनिज उत्पादों को पाउडर या पेस्ट के रूप में एकत्रित करने, आकार देने या ढालने के लिए मशीनरी; रेत के ढलाई सांचे बनाने के लिए मशीनें
460	8475	कांच के लिफाफों में विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक लैंप, ट्यूब या बल्ब या फ्लैश बल्ब को जोड़ने के लिए मशीनें; कांच या कांच के बर्तनों के निर्माण या गर्म कार्य के लिए मशीनें

461	8476	स्वचालित सामान बेचने वाली मशीनें (उदाहरण के लिए, डाक टिकट, सिगरेट, खाद्य या पेय पदार्थ बेचने वाली मशीनें), जिनमें पैसे बदलने वाली मशीनें भी शामिल हैं
462	8477	रबर या प्लास्टिक पर काम करने या इन सामग्रियों से उत्पादों के निर्माण के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है
463	8478	तम्बाकू तैयार करने या बनाने की मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है
464	8479	मशीनें और यांत्रिक उपकरण जिनके अलग-अलग कार्य हैं, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [(कंपोस्टिंग मशीनों के अलावा)]
465	8480	धातु ढलाई के लिए मोल्टिंग बक्से; मोल्ड बेस; मोल्टिंग पैटर्न; धातु के लिए मोल्ड (पिंड मोल्ड के अलावा), धातु कार्बाइड, कांच, खनिज सामग्री, रबर या प्लास्टिक
466	8481	पाइप, बॉयलर शेल, टैंक, वैट या इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए नल, कॉक, वाल्व और इसी तरह के उपकरण, जिनमें दबाव कम करने वाले वाल्व और थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित वाल्व शामिल हैं
467	8482	बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग
468	8483	ट्रांसमिशन शाफ्ट (कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट सहित) और क्रैंक; बेयरिंग हाउसिंग और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग; गियर और गियरिंग; बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बॉक्स और अन्य गति परिवर्तक, टॉर्क कन्वर्टर सहित; फ्लाईव्हील और पुली, पुली ब्लॉक सहित; क्लच और शाफ्ट कपलिंग (यूनिवर्सल जॉइंट सहित)
469	8484	धातु शीटिंग के गैस्केट और इसी प्रकार के जोड़, अन्य सामग्री के साथ या धातु की दो या अधिक परतों के साथ संयुक्त; गैस्केट और इसी प्रकार के जोड़ों के सेट या वर्गीकरण, संरचना में भिन्न, थैलियों, लिफाफों या इसी प्रकार की पैकिंग में रखे गए; यांत्रिक सील
470	8485	एडिटिव मैनुफैक्चरिंग के लिए मशीनें
471	8486	अर्धचालक बौल्स या वेफर्स, अर्धचालक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट या फ्लैट पैनल डिस्प्ले के विनिर्माण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली मशीनें और उपकरण; इस अध्याय के (नोट) 11(सी) में निर्दिष्ट मशीनें और उपकरण; पुर्जे और सहायक उपकरण
472	8487	मशीनरी के ऐसे भाग जिनमें विद्युत कनेक्टर, इन्सुलेटर, कॉइल, संपर्क या अन्य विद्युत विशेषताएं नहीं हैं जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
473	84 या 85	ई-अपशिष्ट स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई-अपशिष्ट का अर्थ

		ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 (भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित) की अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिन्हें उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप से त्याग दिया जाता है।
474	8501	विद्युत मोटर और जनरेटर (जनरेटिंग सेट को छोड़कर)
475	8502	विद्युत जनरेटिंग सेट और रोटरी कन्वर्टर
476	8503	शीर्षक 8501 या 8502 की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
477	8504	विद्युत ट्रांसफार्मर, स्थैतिक कन्वर्टर (उदाहरण के लिए, रेक्टिफायर) और इंडक्टर, विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन के अलावा
478	8505	विद्युत-चुम्बक; स्थायी चुम्बक और चुम्बकीकरण के बाद स्थायी चुम्बक बनने के लिए प्रयुक्त वस्तुएँ; विद्युत-चुम्बकीय या स्थायी चुम्बक चक, क्लैम्प और इसी प्रकार के धारण उपकरण; विद्युत-चुम्बकीय युग्मन, क्लच और ब्रेक; विद्युत-चुम्बकीय उत्पादक शीर्ष
479	8506	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियाँ
480	8507	विद्युत संचायक, <सहित> इसके विभाजक, <चाहे आयताकार हों या नहीं> (वर्गाकार सहित)
481	8508	वैक्यूम क्लीनर्स
482	8509	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घरेलू उपकरण, स्व-निहित विद्युत मोटर के साथ, शीर्षक 8508 के वैक्यूम क्लीनर के अलावा
483	8510	शेवर, हेयर क्लिपर और बाल हटाने वाले उपकरण, स्व-निहित इलेक्ट्रिक मोटर के साथ
484	8511	स्पार्क-इग्निशन या कम्प्रेशन-इग्निशन आंतरिक दहन इंजनों के लिए प्रयुक्त विद्युत इग्निशन या स्टार्टिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, इग्निशन मैग्नेटो, मैग्नेटो-डायनेमो, इग्निशन कॉइल, स्पार्किंग प्लग और ग्लो प्लग, स्टार्टर मोटर); जनरेटर (उदाहरण के लिए, डायनेमो, अल्टरनेटर) और ऐसे इंजनों के साथ संयोजन में प्रयुक्त कट-आउट
485	8512	विद्युत प्रकाश या संकेत उपकरण (शीर्षक 8539 के लेखों को छोड़कर), विंडस्क्रीन वाइपर, डिफ्रॉस्टर और डिमिस्टर, साइकिल या मोटर वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के
486	8513	अपने स्वयं के ऊर्जा स्रोत (उदाहरण के लिए, सूखी बैटरी, संचायक, मैग्नेटो) द्वारा कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए पोर्टेबल विद्युत लैंप, शीर्षक 8512 के प्रकाश उपकरणों के अलावा
487	8514	औद्योगिक या प्रयोगशाला विद्युत भट्टियाँ और ओवन (प्रेरण या

		परावैद्युत हानि द्वारा संचालित भट्टियां और ओवन सहित); प्रेरण या परावैद्युत हानि द्वारा सामग्रियों के ताप उपचार के लिए अन्य औद्योगिक या प्रयोगशाला उपकरण
488	8515	विद्युत (विद्युतीय रूप से गर्म गैस सहित), लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रॉन बीम, चुंबकीय पल्स या प्लाज्मा आर्क सोल्डरिंग, ब्रेज़िंग या वेल्डिंग मशीनें और उपकरण, काटने में सक्षम हों या नहीं; धातुओं या सेमेंट्स के गर्म छिड़काव के लिए विद्युत मशीनें और उपकरण
489	8516	विद्युत तात्कालिक या भंडारण जल हीटर और विसर्जन हीटर; विद्युत अंतरिक्ष हीटिंग उपकरण और मिट्टी हीटिंग उपकरण; इलेक्ट्रो थर्मिक हेयरड्रेसिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर, कलिंग टोंग हीटर) और हैंड ड्रायर; इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन; घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रो-थर्मिक उपकरण [सौर कुकर के अलावा]; इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रतिरोधक, शीर्षक 8545 के अलावा
490	8517	सभी सामान
491	8518	माइक्रोफोन और स्टैंड; लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवरण में लगे हों या नहीं; हेडफोन और इयरफोन, चाहे वे माइक्रोफोन के साथ लगे हों या नहीं, तथा माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकरों से युक्त सेट; ऑडियो-फ्रीक्वेंसी विद्युत प्रवर्धक; विद्युत ध्वनि प्रवर्धक सेट
492	8519	ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण
493	8521	वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण, जिसमें वीडियो ट्यूबर शामिल हो या न हो
494	8522	शीर्षक 8519 या 8521 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग और सहायक उपकरण
495	8523	डिस्क, टेप, ठोस-अवस्था गैर-वाष्पशील भंडारण उपकरण, "स्मार्ट कार्ड" और ध्वनि या अन्य घटनाओं की रिकॉर्डिंग के लिए अन्य मीडिया, चाहे रिकॉर्ड किया गया हो या नहीं, डिस्क के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस और मास्टर्स सहित, लेकिन अध्याय 37 के उत्पादों को छोड़कर
496	8524	फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, चाहे उनमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हों या नहीं
497	8525	क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए संचरण उपकरण, जिसमें रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या न हो; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर [रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफ़ा रेडियो (वांकी टॉकी) के अलावा]
498	8526	रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशनल सहायता उपकरण और

		रेडियो रिमोट कंट्रोल उपकरण
499	8527	रेडियो प्रसारण के लिए रिसेप्शन उपकरण, (चाहे हो या न हो), एक ही आवास में, ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त
500	8528	टेलीविजन सेट (एलसीडी या एलईडी टेलीविजन सहित), कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन के लिए सेट टॉप बॉक्स; मॉनिटर और प्रोजेक्टर, जिनमें टेलीविजन रिसेप्शन उपकरण शामिल नहीं हैं, टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, जिनमें रेडियो-प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हैं या नहीं
501	8529	शीर्षक 8525 से 8528 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
502	8530	रेलवे, ट्रामवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाएं, बंदरगाह प्रतिष्ठान या हवाई क्षेत्र (शीर्षक 8608 के अलावा) के लिए विद्युत सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण
503	8531	विद्युत ध्वनि या दृश्य संकेत उपकरण (उदाहरण के लिए, घंटियाँ, सायरन, संकेतक पैनल, चोर या अग्नि अलार्म), शीर्षक 8512 या 8530 के अलावा
504	8532	विद्युत संधारित्र, स्थिर, परिवर्तनीय या समायोज्य (पूर्व-सेट)
505	8533	विद्युत प्रतिरोधक (रिओस्टेट और पोटेंशियोमीटर सहित), तापन प्रतिरोधकों के अलावा
506	8534 00 00	मुद्रित सर्किट
507	8535	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने के लिए, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, फ्यूज, तड़ित अवरोधक, वोल्टेज सीमक, सर्ज सप्रेसर, प्लग और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए
508	8536	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, रिले, फ्यूज, सर्ज सप्रेसर, प्लग, सॉकेट, लैपहोल्डर और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए: ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए कनेक्टर
509	8537	विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण के लिए शीर्ष 8535 या 8536 के दो या अधिक उपकरणों से सुसज्जित बोर्ड, पैनल, कंसोल, डेस्क, कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या उपकरण शामिल हैं, और संख्यात्मक नियंत्रण उपकरण, शीर्ष 8517 के स्विचिंग उपकरण के अलावा
510	8538	शीर्षक 8535, 8536 या 8537 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग

511	8539	विद्युत फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप इकाइयां और अल्ट्रा-वायलेट या इन्फ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप
512	8540	थर्मिओनिक, शीत कैथोड या फोटो-कैथोड वाल्व और ट्यूब (उदाहरण के लिए, वैक्यूम या वाष्प या गैस से भरे वाल्व और ट्यूब, पारा चाप सुधारक वाल्व और ट्यूब, कैथोड-रे ट्यूब, टेलीविजन कैमरा ट्यूब)
513	8541	अर्धचालक उपकरण (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक आधारित ट्रांसड्यूसर); प्रकाश-संवेदी अर्धचालक उपकरण; प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन किए गए हों या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल
514	8542	इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट
515	8543	विद्युत मशीनें और उपकरण, जिनके अलग-अलग कार्य हैं, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
516	8544	इन्सुलेटेड (इन्वैल्यूड या एनोडाइज्ड सहित) तार, केबल (को-एक्सियल केबल सहित) और अन्य इन्सुलेटेड विद्युत कंडक्टर, चाहे कनेक्टर के साथ फिट किए गए हों या नहीं; ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो व्यक्तिगत रूप से शीथ किए गए फाइबर से बने होते हैं, चाहे विद्युत कंडक्टर के साथ इकट्ठे किए गए हों या कनेक्टर के साथ फिट किए गए हों
517	8545	कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन ब्रश, लैंप कार्बन, बैटरी कार्बन और ग्रेफाइट या अन्य कार्बन की अन्य वस्तुएं, धातु के साथ या उसके बिना, विद्युत प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं
518	8546	किसी भी सामग्री के विद्युत इन्सुलेटर
519	8547	विद्युत मशीनों, उपकरणों या उपस्करों के लिए इंसुलेटिंग फिटिंग्स, जो धातु के किसी छोटे घटक (उदाहरण के लिए, थ्रेडेड सॉकेट) को छोड़कर पूरी तरह से इंसुलेटिंग सामग्री से बनी फिटिंग्स हैं, जिन्हें केवल संयोजन के प्रयोजनों के लिए मोल्डिंग के दौरान शामिल किया गया है, शीर्षक 8546 के इंसुलेटरों के अलावा; विद्युत कंड्यूट ट्यूबिंग और उनके जोड़, इंसुलेटिंग सामग्री से पंक्तिबद्ध आधार धातु के।
520	8548 00 00	मशीनरी या उपकरण के विद्युत भाग, जो अध्याय 85 में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
521	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्कैप
522	8601	रेल इंजन बाहरी विद्युत स्रोत या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित होते हैं।
523	8602	अन्य रेल इंजन; इंजन टेंडर; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, स्टीम इंजन और उनके टेंडर
524	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के

		अंतर्गत आने वाले कोचों को छोड़कर।
525	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, चाहे वे स्व-चालित हों या नहीं (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टेम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)
526	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं; सामान वैन, डाकघर डिब्बे और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं (शीर्षक 8604 के डिब्बे को छोड़कर)
527	8606	रेलवे या ट्रामवे मालवाहक वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं
528	8607	रेलवे या ट्रामवे इंजन या रोलिंग स्टॉक के भाग; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, धुरी और पहिए, और उनके भाग।
529	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाएं, बंदरगाह स्थापना या हवाई क्षेत्र के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वोक्त के भाग।
530	8609	कंटेनर (द्रवों के परिवहन के लिए कंटेनर सहित) विशेष रूप से एक या अधिक परिवहन साधनों द्वारा परिवहन के लिए डिज़ाइन और सुसज्जित [रेफ्रिजरेटेड कंटेनर सहित]
531	8701	1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टर
532	8702	दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिसमें चालक भी शामिल है [सार्वजनिक परिवहन में उपयोग के लिए बसें भी शामिल हैं, जो विशेष रूप से जैव-ईंधन पर चलती हैं]
533	8702 या 8703	ऐसे मोटर वाहन जो एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत किए गए हों, ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण से सुसज्जित हों।
534	8703 21 या 8703 22	पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। <i>स्पष्टीकरण-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा
535	8703 31	डीजल चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो।

		स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा
536	8703	निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो, अर्थात्: - (क) पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो; और (ख) डीजल चालित वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, अस्थि-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, इस 'शर्त' के अधीन कि भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग में उप सचिव के पद से नीचे का अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उक्त सामान का उपयोग अस्थि-विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा
537	8703	तीन पहिया वाहन
538	8703 40, 8703 60	निम्नलिखित वाहन, जिनमें स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए विद्युत मोटर दोनों हैं; (क) ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण से सुसज्जित, एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत मोटर वाहन (ख) तीन पहिया वाहन (ग) जिन मोटर वाहनों की इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
539	8703 50, 8703 70	निम्नलिखित वाहन, जिनमें संपीडन-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीजल या अर्ध-डीजल] और प्रणोदन हेतु विद्युत मोटर दोनों हों; (क) ऐसे मोटर वाहन जिन्हें एम्बुलेंस के रूप में अनुमोदित किया गया हो और जो ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरणों से सुसज्जित हों। (ख) तीन पहिया वाहन (ग) ऐसे मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन

		का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
540	8704	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिनमें प्रशीतित मोटर वाहन भी शामिल हैं
541	8705	विशेष प्रयोजन मोटर वाहन, (उनके अलावा) जो मुख्य रूप से व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (उदाहरण के लिए, ब्रेकडाउन लॉरी, क्रेन लॉरी, अग्निशमन वाहन, कंक्रीट-मिक्सर लॉरी, रोड स्वीपर लॉरी, स्प्रेडिंग लॉरी, मोबाइल वर्कशॉप, मोबाइल रेडियोलॉजिकल यूनिट)
542	8706	शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए इंजन से सुसज्जित चैसिस
543	8707	निकाय (कैब सहित) शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए
544	8708	शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण [ट्रैक्टरों के निर्दिष्ट पुर्जों के अलावा]
545	8709	कार्य ट्रक, स्व-चालित, उठाने या संभालने वाले उपकरणों से सुसज्जित नहीं, माल के अल्प दूरी के परिवहन के लिए कारखानों, गोदामों, गोदी क्षेत्रों या हवाई अड्डों में प्रयुक्त प्रकार के; रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पर प्रयुक्त प्रकार के ट्रैक्टर; पूर्वोक्त वाहनों के भाग
546	8711	मोटरसाइकिलें (मोपेड सहित) और साइकिलें जिनमें 350 सीसी से अधिक की सहायक मोटर नहीं लगी हो, साइड-कार के साथ या उसके बिना; साइड-कार
547	8714	शीर्षक 8711 के वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण
548	8715	शिशु गाड़ियाँ और उनके पुर्जे
549	8716	ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर; अन्य वाहन, जो यंत्रचालित नहीं हैं; उनके भाग [कृषि प्रयोजनों के लिए स्व-लोडिंग या स्व-अनलोडिंग ट्रेलरों के अलावा, और हस्तचालित वाहन (जैसे हाथ गाड़ियाँ, रिकशा और इसी तरह के वाहन); पशु चालित वाहन]
550	8801	गुब्बारे और दिरिजिबल्स, ग्लाइडर और अन्य गैर-संचालित विमान
551	8804	पैराशूट (जिसमें निर्देशित पैराशूट और पैराग्लाइडर शामिल हैं) और रोटोशूट; इसके पुर्जे और सहायक उपकरण और इसके पुर्जे
552	8805	विमान प्रक्षेपण गियर, डेक अरेस्टर या समान गियर; ग्राउंड फ्लाइट ट्रेनर और उसके हिस्से
553	8807	शीर्षक 8801 के माल के पुर्जे
554	8903	नौकायन नावें और डोंगियाँ
555	8908 00 00	टूटने के लिए जहाज और अन्य तैरती संरचनाएँ

556	9001	ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर बंडल; शीर्षक 8544 के ऑप्टिकल फाइबर केबलों को छोड़कर; ध्रुवीकरण सामग्री की शीट और प्लेटें; प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व, किसी भी सामग्री के, अनमाउंटेड, ऑप्टिकली काम न करने वाले कांच के ऐसे तत्वों को छोड़कर
557	9002	लेंस, प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व, किसी भी सामग्री से बने, उपकरणों या उपकरणों के भाग या फिटिंग के रूप में, कांच के ऐसे तत्वों के अलावा जो ऑप्टिकल रूप से काम नहीं करते हैं [इंट्राओकुलर लेंस के अलावा]
558	9004	चश्मा [सुधारात्मक के अलावा]; गॉगल्स [सुधारात्मक के अलावा]
559	9005	दूरबीन, एकोशिकीय, अन्य प्रकाशीय दूरदर्शी और उनके लिए माउंटिंग; अन्य खगोलीय उपकरण और उनके लिए माउंटिंग, लेकिन रेडियो-खगोल विज्ञान के लिए उपकरण शामिल नहीं हैं
560	9006	फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक के अलावा) कैमरे; फोटोग्राफिक फ्लैशलाइट उपकरण और फ्लैशबल्ब, शीर्षक 8539 के डिस्चार्ज लैंप के अलावा
561	9007	सिनेमैटोग्राफिक कैमरे और प्रोजेक्टर, चाहे उनमें ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हों या नहीं
562	9008	छवि प्रोजेक्टर, सिनेमैटोग्राफिक के अलावा; फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक के अलावा) एन्लार्जर और रिड्यूसर
563	9010	फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक सहित) प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और उपस्कर, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; नेगेटोस्कोप; प्रोजेक्शन स्क्रीन
564	9011	संयुक्त प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, जिनमें फोटोमाइक्रोग्राफी, सिनेफोटोमाइक्रोग्राफी या माइक्रोप्रोजेक्शन के लिए उपयोग होने वाले भी शामिल हैं
565	9012	प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के अलावा अन्य सूक्ष्मदर्शी; विवर्तन उपकरण
566	9013	लेज़र, लेज़र डायोड के अलावा; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
567	9014	दिशा-निर्देशक कम्पास; अन्य दिशासूचक उपकरण और यंत्र
568	9015	सर्वेक्षण (फोटोग्रामेट्रिकल सर्वेक्षण सहित), जल सर्वेक्षण, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान या भूभौतिकीय उपकरण और उपकरण, कम्पास को छोड़कर; रेंजफाइंडर
569	9016	5 सीजी या उससे बेहतर संवेदनशीलता का संतुलन, भार के साथ या बिना
570	9017	ड्राइंग, मार्किंग या गणितीय गणना करने वाले उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्राफ्टिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रैक्टर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूल, डिस्क कैलकुलेटर); हाथ में उपयोग के लिए लंबाई मापने वाले उपकरण (उदाहरण के लिए, मापने वाली

		छड़ें और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
571	9022	एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोगों के अलावा], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार टेबल, कुर्सियां और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं
572	9023	प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों (उदाहरण के लिए, शिक्षा या प्रदर्शनियों में) के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण, उपकरण और मॉडल, अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त
573	9024	सामग्रियों (उदाहरण के लिए, धातु, लकड़ी, वस्त्र, कागज, प्लास्टिक) की कठोरता, शक्ति, संपीड़नशीलता, लोच या अन्य यांत्रिक गुणों के परीक्षण के लिए मशीनें और उपकरण
574	9025	हाइड्रोमीटर और इसी तरह के तैरने वाले उपकरण, थर्मामीटर, पाइरोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर, रिकॉर्डिंग करने वाले या न करने वाले, और इन उपकरणों का कोई भी संयोजन [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए थर्मामीटर के अलावा]
575	9026	तरल पदार्थों या गैसों के प्रवाह, स्तर, दबाव या अन्य चरों को मापने या जांचने के लिए उपकरण और यंत्र (उदाहरण के लिए, प्रवाह मीटर, स्तर गेज, मैनोमीटर, ताप मीटर), शीर्ष 9014, 9015, 9028 या 9032 के उपकरणों और यंत्रों को छोड़कर
576	9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण और यंत्र (उदाहरण के लिए, पोलरिफ्रेक्टोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, गैस या धुआं विश्लेषण उपकरण); श्यानता, सरंध्रता, विस्तार, पृष्ठ तनाव या इसी तरह के मापन या जांच के लिए उपकरण और यंत्र; ऊष्मा, ध्वनि या प्रकाश की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए उपकरण और यंत्र (एक्सपोजर मीटर सहित); माइक्रोटोम [भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए उपकरणों और यंत्रों के अलावा]
577	9028	गैस, तरल या बिजली आपूर्ति या उत्पादन मीटर, इसके लिए अंशांकन मीटर सहित
578	9029	क्रांति काउंटर, उत्पादन काउंटर, टैक्सीमीटर, माइलोमीटर, पेडोमीटर और इसी तरह के उपकरण; गति सूचक और टैकोमीटर, शीर्षक 9014 या 9015 के अलावा; स्ट्रूबोस्कोप
579	9030	विद्युत मात्राओं को मापने या जांचने के लिए ऑसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषक और अन्य उपकरण और यंत्र, शीर्ष 9028 के

		मीटरों को छोड़कर; अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, ब्रह्मांडीय या अन्य आयनकारी विकिरणों को मापने या पता लगाने के लिए उपकरण और यंत्र
580	9031	मापने या जांचने वाले उपकरण, उपकरण और मशीनें, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रोफाइल प्रोजेक्टर
581	9032	स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरण और तंत्र
582	9033	अध्याय 90 की मशीनों, उपकरणों, यंत्रों या उपकरणों के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण (इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं)
583	9101	कलाई घड़ियाँ, पॉकेट घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ भी शामिल हैं, जिनका केस कीमती धातु से बना हो या जिन पर कीमती धातु चढ़ी हो
584	9102	कलाई घड़ियाँ, पॉकेट घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ भी शामिल हैं, शीर्षक 9101 के अंतर्गत आने वाली घड़ियों को छोड़कर
585	9103	घड़ी की गति वाली घड़ियाँ, शीर्षक 9104 की घड़ियों को छोड़कर
586	9104	वाहनों, विमानों, अंतरिक्ष यानों या जलयानों के लिए उपकरण पैनल घड़ियाँ और इसी प्रकार की घड़ियाँ
587	9105	अन्य घड़ियाँ
588	9106	दिन का समय रिकॉर्ड करने वाले उपकरण और समय के अंतराल को मापने, रिकॉर्ड करने या अन्यथा इंगित करने वाले उपकरण, घड़ी या घड़ी की गति के साथ या सिंक्रोनस मोटर के साथ (उदाहरण के लिए, समय-रजिस्टर, समय-रिकॉर्डर)
589	9107	घड़ी या घड़ी की गति या तुल्यकालिक मोटर के साथ समय स्विच
590	9108	घड़ी की गति, पूर्ण और संयोजित
591	9109	घड़ी की गति, पूर्ण और संयोजित
592	9110	पूर्ण घड़ी या घड़ी मूवमेंट, असंयोजित या आंशिक रूप से असेंबल (मूवमेंट सेट); अपूर्ण घड़ी या घड़ी मूवमेंट, असेंबल; कच्ची घड़ी या घड़ी मूवमेंट
593	9111	घड़ी के केस और उसके पुर्जे
594	9112	इस अध्याय के अन्य सामानों के लिए घड़ी के केस और इसी प्रकार के केस, और उनके भाग
595	9113	घड़ी के पट्टे, घड़ी के बैंड और घड़ी के कंगन, और उनके हिस्से
596	9114	अन्य घड़ी या घड़ी के पुर्जे
597	9201	पियानो, जिसमें स्वचालित पियानो, हार्पसी-कॉर्ड और अन्य कुंजीपटल तार वाले वाद्य यंत्र शामिल हैं
598	9202	अन्य तार वाले संगीत वाद्ययंत्र (उदाहरण के लिए, गिटार, वायलिन, वीणा)

599	9205	वायु वाद्य यंत्र (उदाहरण के लिए, कीबोर्ड पाइप ऑर्गन, अकॉर्डियन, क्लैरिनेट, ट्रम्पेट, बैगपाइप), मेला ग्राउंड ऑर्गन और मैकेनिकल स्ट्रीट ऑर्गन के अलावा
600	9206 00 00	ताल वाद्य यंत्र (उदाहरण के लिए, ड्रम, ज़ाइलोफोन, सिम्बोल, कैस्टनेट, माराकास)
601	9207	संगीत वाद्ययंत्र, जिनकी ध्वनि विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती है, या बढ़ाई जानी चाहिए (उदाहरण के लिए, ऑर्गन, गिटार, अकॉर्डियन)
602	9208	संगीत बॉक्स, मेला ग्राउंड ऑर्गन, यांत्रिक स्ट्रीट ऑर्गन, यांत्रिक गायन पक्षी, संगीत आरी और अन्य संगीत वाद्ययंत्र जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं आते हैं; सभी प्रकार की डिक्कॉय कॉल; सीटियां, कॉल हॉर्न और अन्य मुंह से बजाए जाने वाले ध्वनि संकेत यंत्र
603	9209	संगीत वाद्ययंत्रों के भाग (उदाहरण के लिए, संगीत बक्सों के लिए तंत्र) और सहायक उपकरण (उदाहरण के लिए, यांत्रिक उपकरणों के लिए कार्ड, डिस्क और रोल); सभी प्रकार के मेट्रोनोम, ट्यूनिंग फोर्क और पिच पाइप
604	9301	सैन्य हथियार (रिवाल्वर, पिस्तौल के अलावा)
605	9303	अन्य आग्नेयास्त्र और इसी प्रकार के उपकरण जो विस्फोटक चार्ज के फायर द्वारा संचालित होते हैं (उदाहरण के लिए, खेल शॉटगन और राइफल, थूथन-लोडिंग आग्नेयास्त्र, बहुत पिस्तौल और अन्य उपकरण जो केवल सिग्नल फ्लेयर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, खाली गोला बारूद फायर करने के लिए पिस्तौल और रिवाल्वर, कैप्टिव-बोल्ट मानव हत्यारे, लाइन-श्रीडिंग बंदूकें)
606	9304	अन्य हथियार (उदाहरण के लिए, स्प्रिंग, वायु या गैस बंदूकें और पिस्तौल, ट्रंचियन), शीर्षक 9307 के हथियारों को छोड़कर
607	9305	शीर्षक 9301 से 9304 तक की वस्तुओं के पुर्जे और सहायक उपकरण
608	9306	बम, ग्रेनेड, टारपीडो, बारूदी सुरंगें, मिसाइलें और युद्ध के समान हथियार और उनके हिस्से; कारतूस और अन्य गोला-बारूद और प्रक्षेपास्त्र और उनके हिस्से, जिनमें गोली और कारतूस के बंडल शामिल हैं
609	9307	तलवारें, कटी हुई लेस, संगीनें, बरछे और इसी प्रकार के हथियार और उनके भाग तथा उनके म्यान और म्यान
610	9401 [9401 10 00 के अलावा]	सीटें (शीर्षक 9402 की सीटों के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, जिनमें मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटें शामिल हैं, विमानों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटों के अलावा
611	9402	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा

		फर्नीचर (उदाहरण के लिए, ऑपरेशन टेबल, जांच टेबल, यांत्रिक फिटिंग वाले अस्पताल के बिस्तर, दंत चिकित्सकों की कुर्सियां); नाई की कुर्सियां और इसी तरह की कुर्सियां, जिनमें घूमने के साथ-साथ झुकने और ऊपर उठने की भी व्यवस्था हो; पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग
612	9403	अन्य फर्नीचर [पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बने फर्नीचर के अलावा] और उसके हिस्से
613	9404	गद्दे के सहारे; बिस्तर और इसी तरह की साज-सज्जा की वस्तुएं (उदाहरण के लिए, गद्दे, रजाई, ईडरडाउन, कुशन, पाउफ और तकिए) जो स्प्रिंग से लगे हों या किसी सामग्री से भरे हों या आंतरिक रूप से लगे हों या सेलुलर रबर या प्लास्टिक से बने हों, ढके हुए हों या नहीं [कॉयर उत्पादों के अलावा (कॉयर गद्दे को छोड़कर), पूरी तरह से रजाई वाले कपड़ा सामग्री से बने उत्पाद जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो और सूती रजाई जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो]
614	9405	लुमिनेयर और प्रकाश फिटिंग जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उनके हिस्से शामिल हैं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रदीप्त चिह्न, प्रदीप्त नामपट्टिकाएं और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जिनमें स्थायी रूप से स्थिर प्रकाश स्रोत होता है, और उनके हिस्से जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [करोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्से जिनमें गैस मेंटल शामिल हैं, हरिकेन लालटेन, करोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, कांच की चिमनी और उसके हिस्से के अलावा]
615	9406	पूर्वनिर्मित इमारतें
616	9503	इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जैसे तिपहिया वाहन, स्कूटर, पैडल कार आदि (उनके पुर्जे और सहायक उपकरण सहित)
617	9504	वीडियो गेम कंसोल और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएं, टेबल या पार्लर गेम, जिसमें पिटेबल्स, विलियड्स, कैसीनो गेम्स के लिए विशेष टेबल और स्वचालित बॉलिंग एली उपकरण शामिल हैं [इसके अलावा ताश, गंजीफा कार्ड, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और लूडो जैसे अन्य बोर्ड गेम आदि]
618	9505	उत्सव, कार्निवल या अन्य मनोरंजन संबंधी लेख, जिनमें जादू-टोने और नए चुटकुले शामिल हैं
619	9506	सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्विमिंग पूल और पैडिंग पूल के लिए सामग्री और उपकरण [खेल के सामान के अलावा]
620	9508	यात्रा करने वाले सर्कस और यात्रा करने वाले चिड़ियाघर; मनोरंजन पार्क की सवारी और जल मनोरंजन; मेला स्थल मनोरंजन, शूटिंग गैलरी सहित; यात्रा करने वाले थिएटर
621	9602	संसाधित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन

		सामग्रियों से बनी वस्तुएं, मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन या मॉडलिंग पेस्ट से बनी ढली या नक्काशीदार वस्तुएं, और अन्य ढली या नक्काशीदार वस्तुएं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; संसाधित, कठोरीकृत जिलेटिन (शीर्षक 3503 के जिलेटिन को छोड़कर) और कठोरीकृत जिलेटिन से बनी वस्तुएं
622	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	बटन, प्लास्टिक के बने, कपड़ा सामग्री से ढके नहीं, आधार धातु के, नारियल के खोल के बटन, बटन ब्लैंक
623	9603 [9603 10 00 और 9603 21 00 के अलावा]	ब्रश (जिनमें मशीनों, उपकरणों या वाहनों के भाग बनाने वाले ब्रश शामिल हैं), हाथ से चलने वाले यांत्रिक फर्श स्वीपर, मोटर चालित नहीं, मोप्स और पंख डस्टर; झाड़ू या ब्रश बनाने के लिए तैयार गांठें और गुच्छे; पेंट पैड और रोलर्स; स्क्वीजी (रोलर स्क्वीजी के अलावा) [झाड़ू और ब्रश के अलावा, जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्रियों से बने होते हैं, हैंडल के साथ या बिना, और टूथ ब्रश जिनमें डेंटल-प्लेट ब्रश शामिल हैं]
624	9604 00 00	हाथ की छलनी और हाथ की पहेलियाँ
625	9605	व्यक्तिगत शौचालय, सिलाई या जूते या कपड़े साफ करने के लिए यात्रा सेट
626	9608	बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ड टिप वाले और अन्य छिद्रयुक्त टिप वाले पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन; स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलो; पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर और इसी प्रकार के होल्डर; पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्ष 9609 के भागों को छोड़कर
627	9610 00 00	बोर्ड, लेखन या चित्रांकन सतह के साथ, (फ्रेमयुक्त हो या नहीं)
628	9611	दिनांक, सील या संख्यांकन टिकटें, और इसी तरह की अन्य वस्तुएं (लेबल मुद्रित करने या उभारने के लिए उपकरण सहित), जिन्हें हाथ से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; हाथ से संचालित कम्पोज़िंग स्टिक और ऐसी कम्पोज़िंग स्टिक को शामिल करने वाले हाथ से मुद्रण सेट
629	9612	टाइपराइटर या इसी तरह के रिबन, स्याही लगे हुए या अन्यथा छाप देने के लिए तैयार, स्पूल पर या कार्ट्रिज में (चाहे हों या नहीं); इंक-पैड, स्याही लगे हुए हों या नहीं, बॉक्स के साथ या उसके बिना
630	9613	सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या विद्युतीय हों या नहीं, और उनके भाग चकमक पत्थर या बत्ती के अलावा
631	9616	सुगंध स्प्रे और इसी प्रकार के शौचालय स्प्रे, तथा उनके लिए माउंट और हेड; सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारियों के प्रयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड
632	9617	वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम पात्र, पूर्ण; कांच के अंदरूनी भाग के अलावा उनके अन्य भाग

633	9618	दर्जी की डमी और अन्य सामान्य आकृतियाँ; ऑटोमेटा और अन्य एनिमेटेड प्रदर्शन, जिनका उपयोग दुकान की खिड़की को सजाने के लिए किया जाता है
634	9620 00 00	मोनोपॉड, बाइपॉड, ट्राइपॉड और इसी तरह के अन्य सामान
635	9801	मशीनरी की सभी वस्तुएं जिनमें प्राइम मूवर, उपकरण, तंत्र और उपकरण, नियंत्रण गियर और ट्रांसमिशन उपकरण, सहायक उपकरण (अनुसंधान और विकास उद्देश्यों, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण सहित) शामिल हैं, साथ ही सभी घटक (चाहे तैयार हों या नहीं) या उपरोक्त वस्तुओं और उनके घटकों के निर्माण के लिए कच्चा माल, जो किसी इकाई की प्रारंभिक स्थापना, या किसी मौजूदा इकाई के पर्याप्त विस्तार के लिए आवश्यक है, निर्दिष्ट: (1) औद्योगिक संयंत्र, (2) सिंचाई परियोजना, (3) बिजली परियोजना, (4) खनन परियोजना, (5) तेल या अन्य खनिजों की खोज के लिए परियोजना, और (6) ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्र सरकार देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है; और अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चे माल (उपभोज्य सामान की अर्ध-तैयार सामग्री सहित) जो ऊपर निर्दिष्ट माल के मूल्य के 10% से अधिक नहीं है, बशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त पुर्जे, कच्चे माल या उपभोज्य सामान ऊपर (1) से (6) में उल्लिखित संयंत्र या परियोजना के रखरखाव के लिए आवश्यक हैं।
636	9802	प्रयोगशाला रसायन
637	कोई भी अध्याय	बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का स्थायी हस्तांतरण
638	कोई भी अध्याय	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय शीर्ष 2523 के अंतर्गत आने वाले कैपिटल गुड्स और सीमेंट के अलावा किसी भी माल की आपूर्ति, एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक प्रमोटर को परियोजना के निर्माण के लिए, जिस पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (4) के तहत माल के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रमोटर द्वारा कर देय है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 07/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019 में निर्धारित है, जिसे सा.का.नि.सं. 260(अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। <i>स्पष्टीकरण-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (जेडके) में दिया गया है। (ii) "प्रोजेक्ट" का अर्थ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी) या आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी) होगा। (iii) "रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी)" शब्द का वही अर्थ होगा

		जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (जेडएन) में दिया गया है। (iv) "आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी)" का अर्थ आरईपी होगा जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। आरईपी में सभी अपार्टमेंटों के कुल कालीन क्षेत्र का। (v) यह प्रविष्टि उन सभी वस्तुओं पर लागू मानी जाएगी जो इसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं, भले ही वे इस अधिसूचना में कहीं और अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर की गई हों।
639	कोई भी अध्याय	वे सामान जो अनुसूची I, III, IV, V, VI या VII में निर्दिष्ट नहीं हैं
640	9804	सभी शुल्क योग्य वस्तुएं व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं

अनुसूची III- 40%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2202 10	सभी सामान (जिसमें शामिल वातित जल), जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त पदार्थ शामिल हैं
2.	2202 91 00, 2202 99 90	अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय [इस अधिसूचना की अनुसूची I में निर्दिष्ट के अलावा]
3.	2202 99 90	कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
4.	2202	फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय
5.	8703	मोटर ऑटोमोबाइल और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से लोक के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (अलग-अलग वे जो शीर्षक 8702 के हैं), जिसमें स्टेशन वैगन और रेसिंग ऑटोमोबाइल शामिल हैं लेकिन स्पष्ट अनुसूची में II के क्रम संख्या, 533, 534, 535, 536, 537, 538 और 539 के सामने उत्तल माल है।
6.	8703 40, 8703 60	मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो स्पष्टीकरण-इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
7.	8703 50, 8703 70	संपीड़न-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीजल-या अर्ध डीजल] और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वाले मोटर वाहन, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

8.	8711	350 cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल
9.	8802	निजी उपयोग के लिए विमान
10.	8903	आनंद या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
11.	9302	रिवाल्वर और पिस्तौल, से भिन्न शीर्षक वाले 9303 या 9304
12.	9614	धूम्रपान पाइप (जिसमें शामिल पाइप बाउल) और सिगार या सिगरेट होल्डर, और उसके हिस्से
13.	कोई भी अध्याय	निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा; स्पष्टीकरण: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(102ए) में परिभाषित "निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा" का अर्थ है निम्नलिखित में या इनके माध्यम से शामिल कार्रवाई योग्य दावा - (i) सट्टेबाजी; (ii) कैसीनो; (iii) जुआ; (iv) घुड़दौड़; (v) लॉटरी; या (vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग;

अनुसूची IV- 3%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7101	मोती, प्राकृतिक या संवर्धित, चाहे हो या न हो प्रसंस्कृत या श्रेणीबद्ध, परंतु पिरोए, आरोहित या जड़े नहीं गए; मोती, प्राकृतिक या संवर्धित, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए
2.	7105	प्राकृतिक या सिंथेटिक कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों की धूल और पाउडर
3.	7106	चांदी (जिसमें शामिल सोने या प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी), बिना गढ़ी हुई या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
4.	7107	चांदी से आच्छादित आधार धातुएं, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं की गई हैं
5.	7108	सोना (जिसमें शामिल प्लैटिनम से मढ़ा हुआ सोना) बिना गढ़ा हुआ या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
6.	7109	आधार धातु या चांदी, सोने से मढ़ी हुई, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं की गई
7.	7110	प्लैटिनम, बिना गढ़े या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
8.	7111	आधार धातुएँ, चाँदी या सोना, प्लैटिनम से आच्छादित, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं किया गया
9.	7112	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से आच्छादित धातु का अपशिष्ट और स्कैप; बहुमूल्य धातु

		या बहुमूल्य धातु यौगिक युक्त अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप, जिसका उपयोग मुख्यतः बहुमूल्य धातु की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
10.	7113	बहुमूल्य धातु से बने आभूषण और उनके भाग या बहुमूल्य धातु से मढ़े हुए धातु
11.	7114	सुनार या चांदी के कारीगरों के सामान और उनके हिस्से, बहुमूल्य धातु से बने या बहुमूल्य धातु से मढ़े हुए
12.	7115	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से आच्छादित धातु से बनी अन्य वस्तुएँ
13.	7116	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों (प्राकृतिक, कृत्रिम या पुनर्निर्मित) से बनी वस्तुएं
14.	7117	नकली आभूषण [लाख/ शैलैक की चूड़ियों के अलावा]
15.	7118	सिक्का

अनुसूची V – 0.25%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	कच्चे हीरे या केवल आरी से काटे गए हीरे, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक
2.	7103	बहुमूल्य पत्थर (हीरे के अलावा) और अर्ध-कीमती पत्थर, चाहे वे काम किए गए हों या ग्रेड किए गए हों या नहीं, लेकिन पिरोए, लगाए या सेट नहीं किए गए हों; गैर-ग्रेड किए गए बहुमूल्य पत्थर (हीरे के अलावा) और अर्ध-कीमती पत्थर, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हों
3.	7104	सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे के अलावा], चाहे काम किया गया हो या ग्रेड किया गया हो या नहीं, लेकिन पिरोया, चढ़ाया या सेट नहीं किया गया हो; गैर-ग्रेडेड सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे के अलावा], परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोया गया हो; सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम किए या केवल आरी से काटे गए या मोटे तौर पर आकार दिए गए हों

अनुसूची VI – 1.5%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची V में क्रम संख्या 1 के समक्ष निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं
2.	7104	अनुसूची V में क्रम संख्या 3 के समक्ष निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं

अनुसूची VII – 28%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अनिर्मित तम्बाकू; तम्बाकू अपशिष्ट [तम्बाकू की पत्तियों के अलावा]
3.	2402	सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प से बने
4.	2403	अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के विकल्प; "समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू; तम्बाकू के अर्क और सुगंध (बिरिस सहित)
5.	2404 11 00	तम्बाकू या पुनर्गठित तम्बाकू युक्त उत्पाद और बिना दहन के साँस लेने के लिए
6.	2404 19 00	तम्बाकू या निकोटीन के विकल्प वाले उत्पाद जो बिना दहन के साँस लेने के लिए हैं

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(क) अभिव्यक्तियाँ, -

(i) "यूनिट कंटेनर" का अर्थ है एक पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया हो;

(ii) "पूर्व-पैक और लेबलयुक्त" का अर्थ है खुदरा बिक्री के लिए सभी वस्तुएं, जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (एल) में परिभाषित अनुसार "पूर्व-पैक" हैं, जहां पैकेज जिसमें वस्तु पूर्व-पैक है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपका हुआ लेबल है, उस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं अंकित होनी आवश्यक हैं;

(iii) "टैरिफ मद", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का अभिप्राय क्रमशः टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक और अध्याय होगा जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची, 1975 (1975 का 51), जिसमें शामिल, धारा और अध्याय टिप्पणी तथा प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणी की व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित हैं, इनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department Of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 9/2025-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 642(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of integrated tax of-

- (i) 5 per cent. in respect of goods specified in Schedule I,
- (ii) 18 per cent. in respect of goods specified in Schedule II,
- (iii) 40 per cent. in respect of goods specified in Schedule III
- (iv) 3 per cent. in respect of goods specified in Schedule IV,
- (v) 0.25 per cent. in respect of goods specified in Schedule V,
- (vi) 1.50 per cent. in respect of goods specified in Schedule VI, and
- (vii) 28 per cent. in respect of goods specified in Schedule VII

appended to this notification (hereinafter referred to as the said Schedules), that shall be levied on inter-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedules, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedules.

Schedule I – 5%

S. No.	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101 21 00, 0101 29	Live horses
2.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
3.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
4.	0402	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, including condensed milk
5.	0403	Yoghurt; Cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavored or containing added fruit, nuts or cocoa; Pre-packaged and labelled Curd, Lassi and Butter milk
6.	0404	Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
7.	0405	Butter and other fats and oils derived from milk, including ghee; dairy spreads
8.	0406	Cheese, other than chena or paneer
9.	0408	Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
10.	0409	Natural honey, pre-packaged and labelled

11.	0410	Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
12.	0502	Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.
13.	0504	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
14.	0505	Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers
15.	0507 (Except 050790)	Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.
16.	0508	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.
17.	0510	Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.
18.	0511	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption, other than semen including frozen semen.
19.	07	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jaribooti and dry flower
20.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split pre-packaged and labelled; Guar gum refined split
21.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, pre-packaged and labelled
22.	0801	Cashew nuts, whether or not shelled or peeled, desiccated coconuts; Brazil nuts, dried, whether or not Shelled or Peeled
23.	0802	Dried areca nuts, whether or not shelled or peeled; Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Pine nuts, chestnuts (singhada), Walnuts, whether or not shelled
24.	0802, 0813	Chestnuts (singhada), dried whether or not shelled or peeled
25.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled pre-packaged and labelled
26.	0804	Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried
27.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), dried
28.	0806	Grapes, dried, and raisins
29.	0811	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
30.	0812	Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption
31.	0813	Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of

		nuts or dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind]
32.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
33.	0901	Coffee roasted, whether or not decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion [other than coffee beans not roasted]
34.	0902	Tea, whether or not flavoured [other than unprocessed green leaves of tea]
35.	0903	Maté
36.	0904	Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
37.	0905	Vanilla
38.	0906	Cinnamon and cinnamon-tree flowers
39.	0907	Cloves (whole fruit, cloves and stems)
40.	0908	Nutmeg, mace and cardamoms
41.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [other than of seed quality]
42.	0910 [other than 0910 11 10, 0910 30 10]	Ginger other than fresh ginger, saffron, turmeric (curcuma) other than fresh turmeric, thyme, bay leaves, curry and other spices
43.	1001	Wheat and meslin, pre-packaged and labelled
44.	1002	Rye, pre-packaged and labelled
45.	1003	Barley, pre-packaged and labelled
46.	1004	Oats, pre-packaged and labelled
47.	1005	Maize (corn), pre-packaged and labelled
48.	1006	Rice, pre-packaged and labelled
49.	1007	Grain sorghum, pre-packaged and labelled
50.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, pre-packaged and labelled
51.	1101	Wheat or meslin flour, pre-packaged and labelled
52.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin i.e. maize (corn) flour, Rye flour, etc., pre-packaged and labelled
53.	1103	Cereal groats, meal and pellets, including suji and dalia, pre-packaged and labelled
54.	1104	Cereal grains otherwise worked (for example, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground (other than hulled cereal grains)
55.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes, pre-packaged and labelled
56.	1106	Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 0713)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8, pre-packaged and labelled
57.	1107	Malt, whether or not roasted
58.	1108	Starches; inulin
59.	1109 00 00	Wheat gluten, whether or not dried
60.	12	All goods other than of seed quality
61.	1201	Soya beans, whether or not broken other than of seed quality.
62.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken other than of seed quality.
63.	1203	Copra

64.	1204	Linseed, whether or not broken other than of seed quality.
65.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken other than of seed quality.
66.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken other than of seed quality
67.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (<i>Carthamus tinctorius</i>) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, other than of seed quality
68.	1208	Flour and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard
69.	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing
70.	1210 20 00	Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
71.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
72.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety <i>Cichorium intybus sativum</i>) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included
73.	1301	Natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) [other than lac and shellac]; Compounded asafoetida commonly known as heeng
74.	1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products including tamarind kernel powder
75.	1401	Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)
76.	1404 [other than 1404 90 40, 1404 90 60]	Vegetable products not elsewhere specified or included such as, Cotton linters, Soap nuts, Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used primarily for carving, Rudraksha seeds, bidi wrapper leaves(tendu), Indian katha [other than betel leaves, coconut shell unworked]
77.	1404 or 3305	Mehendi paste in cones
78.	1501	Pig fats (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503
79.	1502	Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503
80.	1503	Lard stearin, lard oil, oleo stearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared
81.	1504	Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified
82.	1505	Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)
83.	1506	Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
84.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
85.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
86.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically

		modified
87.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
88.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
89.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
90.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
91.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
92.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
93.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
94.	1516	Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
95.	1517	Margarine, linexyn; Edible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
96.	1518	Animal, vegetable or microbial fats and oils their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included
97.	1520 00 00	Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes
98.	1521	Vegetable waxes (other than triglycerides), Beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured
99.	1522	Degras, residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
100.	1601	Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products
101.	1602	Other prepared or preserved meat, meat offal, blood or insects
102.	1603	Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
103.	1604	Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs
104.	1605	Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
105.	1701	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes [other than jaggery of all types, khandsari sugar, rab]
106.	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, Khandsari Sugar, Rab, pre-packaged and labelled
107.	1702 or 1704	Palmyra sugar, mishri, batasha, bura, sakar, khadi sakar, harda, sakariya, gatta, kuliya, elaichidana, lukumdana, chikkis like puffed

		rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, til chikki, til patti, til revdi, sugar makhana, groundnut sweets, gajak, khaja, khajuli, anarsa
108.	1702	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; caramel
109.	1703	Molasses
110.	1704	Sugar confectionary (including white chocolate), not containing cocoa, sugar boiled confectionary
111.	1801	Cocoa beans whole or broken, raw or roasted
112.	1802	Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
113.	1803	Cocoa paste whether or not de-fatted
114.	1804	Cocoa butter, fat and oil
115.	1805	Cocoa powder, not containing added sugar or sweetening matter
116.	1806	Chocolates and other food preparations containing cocoa
117.	1901 20 00	Mixes and doughs for the preparation of bread, pastry and other baker's wares
118.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled; Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis not elsewhere specified or included
119.	1902	Seviyan (vermicelli); Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared
120.	1903	Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms (sabudana)
121.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as murki, pre-packaged and labelled
122.	1904	All goods i.e. Corn flakes, bulgar wheat, prepared foods obtained from cereal flakes (other than puffed rice, commonly known as muri, flattened or beaten rice, commonly known as chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as murki); Fortified Rice Kernel (FRK)
123.	1905	Pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products; Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion; Extruded or expanded products, savoury or salted
124.	1905 40 00	Rusks, toasted bread and similar toasted products
125.	2001	Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid
126.	2002	Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
127.	2003	Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
128.	2004	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

129.	2005	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006
130.	2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
131.	2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
132.	2008	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included; such as Ground-nuts, Cashew nut, roasted, salted or roasted and salted, Other roasted nuts and seeds, squash of Mango, Lemon, Orange, Pineapple or other fruits
133.	2009	Fruit or nut juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
134.	2009 89 90	Tender coconut water, pre-packaged and labelled
135.	2101 11, 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee
136.	2101 20	All goods i.e Extracts, essences and concentrates of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate
137.	2101 30	Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
138.	2102	Yeasts (active and inactive); other single cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders
139.	2103	All goods, including sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard including Curry paste, mayonnaise and salad dressings
140.	2104	Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
141.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa
142.	2106	Texturised vegetable proteins (soya bari), Bari made of pulses including mungodi and batters; Roasted Gram idli/dosa batter, chutney powder; Sweetmeats
143.	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, whether or not pre-packaged and labelled
144.	2106 90 91	Diabetic foods
145.	2106 (other than 21069020)	Food preparations not elsewhere specified or included [other than pan masala]
146.	2201	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured
147.	2201 90 10	Ice and snow
148.	2202 99	Plant-based milk drinks, ready for direct consumption as beverages
149.	2202 99 10	Soya milk drinks, whether or not sweetened or flavoured
150.	2202 99 20	Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]
151.	2202 99 30	Beverages containing milk

152.	2207	Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)
153.	2301	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves
154.	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]
155.	2302	Rice bran (other than de-oiled rice bran)
156.	2303	Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets
157.	2304	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil
158.	2305	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
159.	2306	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 other than cottonseed oil cake and de-oiled rice bran
160.	2307	Wine lees; argol
161.	2309	Fish soluble paste
162.	2401	Tobacco leave
163.	2502	Unroasted iron pyrites
164.	2503	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur
165.	2504	Natural graphite
166.	2505	Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
167.	2506	Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
168.	2507	Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined
169.	2508	Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths
170.	2509	Chalk
171.	2510	Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk
172.	2511	Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816
173.	2512	Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less
174.	2513	Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated
175.	2514	Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

176.	2515 [Except 2515 12 20, 2515 12 90] or 6802	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone (other than marble and travertine), alabaster, other than mirror polished stone which is ready to use
177.	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed
178.	2515 12 10	Marble and travertine blocks
179.	2516 [Except 2516 11 00, 25161200]	Porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
180.	2516 11 00	Granite crude or roughly trimmed
181.	2516	Granite blocks
182.	2517	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones heading 2515 or 2516 whether or not heat-treated
183.	2518	Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
184.	2519	Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure
185.	2520	Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders
186.	2521	Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.
187.	2522	Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825
188.	2524	Asbestos
189.	2525	Mica, including splitting; mica waste.
190.	2526	Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.
191.	2528	Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H ₃ BO ₃ (calculated on dry weight)
192.	2529	Feldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar
193.	2530	Mineral substances not elsewhere specified or included
194.	2611	Tungsten ores and concentrates
195.	2612	Uranium or thorium ores and concentrates
196.	2613	Molybdenum ores and concentrates
197.	2614	Titanium ores and concentrates
198.	2615	Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates
199.	2616	Precious metal ores and concentrates
200.	2617	Other ores and concentrates
201.	2618	Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel
202.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag
203.	2621	Fly Ash

204.	27	Bio-gas
205.	2704	Coke and semi coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon
206.	2705	Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
207.	2710	(a) Kerosene oil PDS, (b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely, i. IFO 180 CST ii. IFO 380 CST iii. Marine Fuel 0.5% (FO)
208.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited
209.	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 10	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers
210.	28	Thorium oxalate, Enriched KBF ₄ (enriched potassium fluoborate), Enriched elemental boron, Nuclear fuel
211.	28	Anaesthetics, Potassium Iodate, Iodine, Steam
212.	2804 40 10	Medical grade oxygen
213.	2805 11	Nuclear grade sodium
214.	2807	Sulphuric Acid
215.	2808	Nitric acid
216.	2809	Fertilizer grade phosphoric acid
217.	2814	Ammonia
218.	2845	Heavy water and other nuclear fuels
219.	2847	Medicinal grade hydrogen peroxide
220.	2853	Compressed air
221.	28 or 38	Micronutrients, which are covered under serial number 1(g) of Schedule 1, Part (A) of the Fertilizer Control Order, 1985 and are manufactured by the manufacturers which are registered under the Fertilizer Control Order, 1985
222.	29 or 3808 93	Gibberellic acid
223.	2906 11 10	Natural Menthol
224.	2906 11 10, 30, 3301	Following goods from Natural Menthol namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil), c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO) d. De-mentholised oil (DMO), e. Spearmint oil f. Mentha piperita oil
225.	30	Insulin, Cyclosporin, Desferrioxamine injection or deferiprone, Oral re-hydration salts
226.	30 or any Chapter	All Drugs and medicines including their salts and esters and diagnostic test kits; formulations manufactured from bulk drugs [other than those specified at nil at S. No. 113 of notification No. 10/2025-Integrated Tax (Rate) dated 17 th September, 2025]
227.	30	Diagnostic kits for detection of all types of hepatitis
228.	30	Medicaments (including veterinary medicaments) used in bio-chemic systems

229.	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia
230.	3001	Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included
231.	3002	Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products; cell cultures whether or not modified
232.	3002, 3006	Animal or Human Blood Vaccines
233.	3003	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, Siddha, homoeopathic or Bio-chemic systems medicaments
234.	3004	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, homoeopathic siddha or Bio-chemic systems medicaments, put up for retail sale
235.	3005	Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes
236.	3006	Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter i.e. Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials (including sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable; Waste pharmaceuticals (other than contraceptives); Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes
237.	3101	All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled
238.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
239.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
240.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
241.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers
242.	32	Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract

243.	3202	Enzymatic preparations for pre-tanning
244.	3304	Talcum powder, Face powder
245.	3305	Hair oil, shampoo
246.	3306	Toothpaste
247.	3306 10 10	Tooth powder
248.	3306 20 00	Yarn used to clean between the teeth (Dental floss)
249.	3307	Shaving cream, shaving lotion, aftershave lotion
250.	3307 41 00	Agarbatti, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambraani
251.	3401	Toilet Soap (other than industrial soap) in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes
252.	3402	Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil
253.	3406	Candles, tapers and the like
254.	3503	Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501
255.	3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
256.	3605 00 10	All goods
257.	3701	Photographic plates and film for x-ray for medical use
258.	3705	Photographic plates and films, exposed and developed, other than cinematographic film
259.	3706	Photographic plates and films, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track, other than feature films
260.	3808	The following Bio-pesticides, namely - 1 Bacillus thuringiensis var. israelensis 2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki 3 Bacillus thuringiensis var. galleriae 4 Bacillus sphaericus 5 Trichoderma viride 6 Trichoderma harzianum 7 Pseudomonas fluorescens 8 Beauveria bassiana 9 NPV of Helicoverpa armigera 10 NPV of Spodoptera litura 11 Neem based pesticides 12 Cymbopogon
261.	3816	Dolomite ramming mix
262.	3818	Silicon wafers
263.	3822	All diagnostic kits or reagents including certified reference materials
264.	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel
265.	3926	Feeding bottles, Plastic beads
266.	4001	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip
267.	4004 00 00	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)
268.	4007	Latex Rubber Thread
269.	4011	Rear Tractor tyres and rear tractor tyre tubes

270.	4011 30 00	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on aircraft
271.	4011 70 00	Tyre for tractors
272.	4011, 4013	Pneumatic tyres or inner tubes, of rubber, of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws
273.	4013 90 49	Tube for tractor tyres
274.	4014	Nipples of feeding bottles
275.	4015	Surgical rubber gloves or medical examination rubber gloves
276.	4016	Rubber bands
277.	4017	Waste or scrap of hard rubber
278.	4101	Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
279.	4102	Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split
280.	4103	Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
281.	4104	Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared
282.	4105	Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared
283.	4106	Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared
284.	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
285.	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
286.	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
287.	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather
288.	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour
289.	4202 22 20	Hand bags and shopping bags, of cotton
290.	4202 22 30	Hand bags and shopping bags, of jute
291.	4203	Gloves specially designed for use in sports
292.	44 or any Chapter	The following goods, namely: — b. Cement Bonded Particle Board; c. Jute Particle Board; d. Rice Husk Board; e. Glass-fibre Reinforced Gypsum Board (GRG) f. Sisal-fibre Boards; g. Bagasse Board; and

		h. Cotton Stalk Particle Board i. Particle/fibre board manufactured from agricultural crop residues
293.	44, 68, 83	Idols of wood, stone [including marble] and metals [other than those made of precious metals]
294.	4401	Wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
295.	4404	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like
296.	4405	Wood wool; wood flour
297.	4406	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
298.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [for match splints]
299.	4409	Bamboo flooring
300.	4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood
301.	4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves
302.	4417	Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood
303.	4418	Bamboo wood building joinery
304.	4419	Tableware and Kitchenware of wood
305.	4420	Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94
306.	4421	Other articles of wood; such as clothes hangers, Spools, cops, bobbins, sewing thread reels and the like of turned wood for various textile machinery, Match splints, Pencil slats, Parts of wood, namely oars, paddles and rudders for ships, boats and other similar floating structures, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware [other than Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware]
307.	4501	Natural cork, raw or simply prepared
308.	4502 00 00	Natural cork, debarked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
309.	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
310.	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork
311.	4601, 4602	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork
312.	4701	Mechanical wood pulp
313.	4703	Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades
314.	4704	Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades
315.	4705	Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical

		pulping processes
316.	4706	Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material
317.	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard
318.	48	Paper splints for matches, whether or not waxed, Asphaltic roofing sheets
319.	39, 48	Paper Sacks/Bags and bio-degradable bags
320.	4801	Newsprint, in rolls or sheets
321.	4817 30	Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery
322.	4819 10, 4819 20	Cartons, boxes and cases of, - (a) Corrugated paper or paper boards; or (b) Non-corrugated paper or paper board
323.	4823	Paper pulp moulded trays; Kites, Paper mache articles
324.	4901	Brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets
325.	5004 to 5006	Silk yarn
326.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste
327.	5104	Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair, shoddy wool
328.	5105	Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed
329.	5106 to 5110	Yarn of wool or of animal hair
330.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
331.	5201 to 5203	Cotton and Cotton waste
332.	5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale
333.	5205 to 5207	Cotton yarn [other than khadi yarn]
334.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
335.	5301	All goods i.e. flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garneted stock)
336.	5302	True hemp (<i>Cannabis sativa</i> L), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garneted stock)
337.	5303	All goods i.e. textile bast fibres [other than jute fibres, raw or processed but not spun]; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garneted stock)
338.	5305 to 5308	All goods [other than coconut coir fibre] including yarn of flax, jute, other textile bast fibres, other vegetable textile fibres; paper yarn including coir pith compost pre-packaged and labelled
339.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
340.	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
341.	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	All goods including synthetic or artificial filament yarns
342.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
343.	5501, 5502	Synthetic or artificial filament tow
344.	5503, 5504, 5506, 5507	Synthetic or artificial staple fibres
345.	5505	Waste of manmade fibres
346.	5508	Sewing thread of manmade staple fibres, whether or not put up for retail sale
347.	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres
348.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
349.	5601	Wadding of textile materials and articles thereof; such as Absorbent cotton wool except cigarette filter rods

350.	5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
351.	5603	Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
352.	5604	Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics
353.	5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, including real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread, imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance
354.	5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn
355.	5607	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics including jute twine, coir cordage or ropes
356.	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
357.	5609	Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included, products of coir
358.	5701	Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up
359.	5702	Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” and similar hand-woven rugs
360.	5703	Carpets and other textile floor coverings (including Turf), tufted, whether or not made up
361.	5704	Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up
362.	5705	Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up; such as Mats and mattings including Bath Mats, where cotton predominates by weight, of Handloom, Cotton Rugs of handloom
363.	5702, 5703, 5705	Coir mats, matting, floor covering and handloom durries
364.	5801	All goods
365.	5802	Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703
366.	5803	Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806
367.	5804	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006
368.	5805	Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up
369.	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)
370.	5807	Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered
371.	5808	Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles; saree fall

372.	5809	Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included; such as Zari borders
373.	5809, 5810	Embroidery or zari articles, that is to say, - imi, zari, kasab, salma, dabka, chumki, gota, sitara, naqsi, kora, glass beads, badla, gizai
374.	5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs, Embroidered badges, motifs and the like
375.	5811	Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810
376.	5901	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations
377.	5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon
378.	5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902
379.	5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape
380.	5905	Textile wall coverings
381.	5906	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902
382.	5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
383.	5908	Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated
384.	5909	Textile hose piping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials
385.	5910	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material
386.	5911	Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter; such as Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams); Bolting cloth, whether or not made up; Felt for cotton textile industries, woven; Woven textiles felt, whether or not impregnated or coated, of a kind commonly used in other machines; Cotton fabrics and articles used in machinery and plant; Jute fabrics and articles used in machinery or plant; Textile fabrics of metalised yarn of a kind commonly used in paper making or other machinery; Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair; Paper maker's felt, woven; Gaskets, washers, polishing discs and other machinery parts of textile articles
387.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]
388.	61	Article of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs 2500 per piece
389.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
390.	63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309]	Other made up textile articles, sets, of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece

391.	6309 or 6310	Worn clothing and other worn articles; rags
392.	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.2500 per pair
393.	6501	Textile caps
394.	6505	Hats (knitted/crocheted) or made up from lace or other textile fabrics
395.	6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)
396.	6602	Whips, riding-crops and the like
397.	6602 00 00	Walking-sticks including seat sticks
398.	6603	Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602
399.	6701	Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes)
400.	68	Sand lime bricks or Stone inlay work
401.	6802	Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone
402.	6909	Pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance and packing of goods of ceramic
403.	6911	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
404.	6912	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china
405.	6913	Statues and other ornamental articles
406.	7001	Cullet or other waste or scrap of glass
407.	7015 10	Glasses for corrective spectacles and flint buttons
408.	7018	Glass beads
409.	7020	Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns
410.	7310 or 7326	Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes
411.	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium
412.	7317	Animal shoe nails
413.	7319	Sewing needles
414.	7321	Kerosene burners, kerosene stoves and wood burning stoves of iron or steel
415.	7321 or 8516	Solar cookers
416.	7323	Table, kitchen or other household articles of iron & steel; Utensils
417.	7418	Table, kitchen or other household articles of copper; Utensils
418.	7419 80 30	Brass Kerosene Pressure Stove
419.	7615	Table, kitchen or other household articles of aluminium; Utensils
420.	8306	Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; metal bidriware
421.	8401	Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors
422.	8407 10 00, 8411	Aircraft engines
423.	8408	Fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
424.	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
425.	8413, 8413 91	Hand pumps and parts thereof
426.	8413 81 90	Hydraulic Pumps for tractors
427.	8414 20 20	Other hand pumps

428.	8419 12	Solar water heater and system
429.	8420	Hand operated rubber roller
430.	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers
431.	8424	Sprinklers; drip irrigation system including laterals; mechanical sprayers
432.	8432	Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers; Parts [8432 90]
433.	8433	Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; parts thereof
434.	8436	Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders; parts thereof
435.	8452	Sewing machines, other than book-sewing machine of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machines needles and parts of sewing machines
436.	8479	Composting Machines
437.	84, 85 or 94	Following renewable energy devices and parts for their manufacture:- (a) Bio-gas plant; (b) Solar power-based devices; (c) Solar power generator; (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG); (e) Waste to energy plants / devices; (f) Solar lantern / solar lamp; (g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants; (h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels. Explanation:- If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated 28th June, 2017 [G.S.R. 683(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service
438.	8504	Charger or charging station for Electrically operated vehicles
439.	8525 60	Two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces etc.
440.	87	Fuel Cell Motor Vehicles including hydrogen vehicles based on fuel cell technology
441.	87	Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric vehicles. Explanation.- For the purposes of this entry, “Electrically operated vehicles” means vehicles which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles and shall include E- bicycles.
442.	8701	Tractors (except road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc)
443.	8708	Following parts of tractors namely: a. Rear Tractor wheel rim, b. tractor centre housing, c. tractor housing transmission,

		d. tractor support front axle
444.	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
445.	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
446.	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
447.	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
448.	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
449.	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
450.	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
451.	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452.	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor
453.	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
454.	8708 99 00	Fender, Hood, Wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors.
455.	8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles
456.	8712	Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised
457.	8713	Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise mechanically propelled
458.	8714	Parts and accessories of bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised, of heading 8712
459.	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons
460.	8716 20 00	Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes
461.	8716 80	Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles
462.	88 or Any other Chapter	Scientific and technical instruments, apparatus, equipment, accessories, parts, components, spares, tools, mock ups and modules, raw material and consumables required for launch vehicles and satellites and payloads
463.	8802	Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes), other than for personal use
464.	8806	Unmanned aircraft
465.	8807	Parts of goods of heading 8802 or 8806
466.	8901	Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the transport of persons or goods
467.	8902	Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products
468.	8904	Tugs and pusher craft
469.	8905	Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production platforms
470.	8906	Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats
471.	8907	Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, buoys and beacons)
472.	Any chapter	Parts of goods of headings 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907
473.	90	Coronary stents and coronary stent systems for use with cardiac catheters
474.	90 or any other Chapter	Artificial kidney
475.	90 or any other Chapter	Blood glucose monitoring system (Glucometer) and test strips

476.	90 or any other Chapter	Patent Ductus Arteriosus / Atrial Septal Defect occlusion device
477.	90 or any other Chapter	Parts of the following goods, namely: - (i) Crutches; (ii) Wheel chairs; (iii) Walking frames; (iv) Tricycles; (v) Brailers; and (vi) Artificial limbs
478.	90 or any other Chapter	Assistive devices, rehabilitation aids and other goods for disabled, specified in List 1 appended to this Schedule
479.	90 or 84	Disposable sterilized dialyzer or micro barrier of artificial kidney
480.	9001	Contact lenses; Spectacle lenses
481.	9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof
482.	9004	Spectacles, corrective (including goggles for correcting vision)
483.	9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scientigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments
484.	9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus
485.	9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters
486.	9021	Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than hearing aids]
487.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like
488.	9025	Thermometers for medical, surgical, dental or veterinary usage
489.	9027	Instruments and apparatus for medical, surgical, dental or veterinary uses, for physical or chemical analysis
490.	9403	Furniture wholly made of bamboo, cane or rattan
491.	9404	Coir products (except coir mattresses)
492.	9404	Products wholly made of quilted textile materials not exceeding Rs 2500 per piece
493.	9404	Cotton quilts of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
494.	9401 10 00	Aircraft seats
495.	9405	Hurricane lanterns, Kerosene lamp / pressure lantern, petromax, glass chimney, and parts thereof
496.	9503	Toy balloons made of natural rubber latex
497.	9503	Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof) [other than electronic toys]
498.	9504	Playing cards, chess board, carom board and other board games, like ludo, etc. (other than Video game consoles and Machines)
499.	9506	Sports goods other than articles and equipment for general physical exercise
500.	9507	Fishing hooks
501.	9507	Fishing rods, and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy birds (other than those of heading 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites
502.	9601	Worked ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, corals, mother of

		pearl, and other animal carving material and articles of these materials, articles of coral (including articles obtained by moulding)
503.	9603 [other than 9603 10 00]	Broomsticks (other than brooms consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles)
504.	9603 21 00	Tooth brushes including dental-plate brushes
505.	9607	Slide fasteners and parts thereof
506.	9615	Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof
507.	9619 00 30, 9619 00 40, or 9619 00 90	All goods
508.	9701	Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages, mosaics and similar decorative plaques
509.	9702	Original engravings, prints and lithographs
510.	9703	Original sculptures and statuary, in any material
511.	9704	Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 4907
512.	9705	Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, paleontological, ethnographic or numismatic interest including numismatic coins
513.	9706	Antiques of an age exceeding one hundred years
514.	9804	All drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits and formulations intended for personal use [other than those specified at nil at S No. 113 of Notification No. 10/2025-Integrated Tax (Rate) dated 17th September, 2025]
515.	Any chapter	Rosaries, prayer beads or Hawan samagri
516.	Any chapter	Biomass briquettes or solid bio fuel pellets

List 1 [See S. No. 478 of the Schedule I]

- (A) (1) Braille writers and braille writing instruments
- (2) Hand writing equipment Braille Frames, Slates, Writing Guides, Script Writing Guides, Styli, Braille Erasers
- (3) Canes, Electronic aids like the Sonic Guide
- (4) Optical, Environmental Sensors
- (5) Arithmetic aids like the Taylor Frame (arithmetic and algebra types), Cubarythm, Speaking or Braille calculator
- (6) Geometrical aids like combined Graph and Mathematical Demonstration Board, Braille Protractors, Scales, Compasses and Spar Wheels
- (7) Electronic measuring equipment, such as calipers, micrometers, comparators, gauges, gauge blocks Levels, Rules, Rulers and Yardsticks
- (8) Drafting, Drawing aids, tactile displays
- (9) Specially adapted clocks and watches
- (B) (1) Wheel chairs falling under heading No. 87.13 of the First Schedule
- (2) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled

- (C) Artificial electronic larynx and spares thereof
- (D) Artificial electronic ear (Cochlear implant)
- (E) (1) Talking books (in the form of cassettes, discs or other sound reproductions) and large-print books, braille embossers, talking calculators, talking thermometers
- (2) Equipment for the mechanical or the computerized production of braille and recorded material such as braille computer terminals and displays, electronic braille, transfer and pressing machines and stereo typing machines
- (3) Braille paper
- (4) All tangible appliances including articles, instruments, apparatus, specially designed for use by the blind
- (5) Aids for improving mobility of the blind such as electronic orientation and obstacle detection appliance and white canes
- (6) Technical aids for education, rehabilitation, vocational training and employment of the blind such as Braille typewriters, braille watches, teaching and learning aids, games and other instruments and vocational aids specifically adapted for use of the blind
- (7) Assistive listening devices, audiometers
- (8) External catheters, special jelly cushions to prevent bed sores, stair lift, urine collection bags
- (9) Instruments and implants for severely physically handicapped patients and joints replacement and spinal instruments and implants including bone cement.

Schedule II – 18 %

S. No.	Chapter/Heading/Sub-Heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	1702	Artificial honey, whether or not mixed with natural honey
2.	2207	Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]
3.	22071012	Spirits for industrial use
4.	2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid
5.	24041200	Products containing nicotine and intended for inhalation without combustion
6.	24049100, 24049200, 24049900	Products for oral application or transdermal application or for application otherwise than orally or transdermally, containing nicotine and intended to assist tobacco use cessation
7.	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
8.	2516 12 00	Granite, other than blocks
9.	2523	Portland cement, aluminous cement, slag cement, super sulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
10.	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
11.	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
12.	2603	Copper ores and concentrates
13.	2604	Nickel ores and concentrates
14.	2605	Cobalt ores and concentrates
15.	2606	Aluminium ores and concentrates
16.	2607	Lead ores and concentrates
17.	2608	Zinc ores and concentrates
18.	2609	Tin ores and concentrates
19.	2610	Chromium ores and concentrates
20.	2619	Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from

		the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag
21.	2620	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing metals, arsenic or their compounds
22.	2621	Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste [other than fly ash]
23.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
24.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
25.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
26.	2706	Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars
27.	2707	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, such as Benzole (benzene), Toluole (toluene), Xylole (xylenes), Naphthelene
28.	2708	Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars
29.	2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than petroleum crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils; Avgas (other than kerosene PDS, petrol, diesel and ATF which are not in GST)
30.	2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, such as Propane, Butanes, Ethylene, propylene, butylene and butadiene [Other than Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers or to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited]
31.	2712	Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
32.	2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
33.	2714	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks
34.	2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)
35.	28	All inorganic chemicals [other than those specified in notification No.10/2025- Central Tax (Rate) dated 17 th September 2025 or other Schedules of this notification]
36.	29	All organic chemicals other than giberellic acid
37.	2906 11 90	Goods other than Natural Menthol
38.	29061190, 30, 3301	Following goods made from other than natural menthol, namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil) c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO) d. De-mentholised oil (DMO) e. Spearmint oil f. Mentha piperita oil
39.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, which are clearly not to be used as fertilizers
40.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, which are clearly not to be used as fertilizers

41.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, which are clearly not to be used as fertilizers
42.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, which are clearly not to be used as fertilizers
43.	3201	Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives (other than Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract)
44.	3202	Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances (other than Enzymatic preparations for pre-tanning)
45.	3203	Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin
46.	3204	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined
47.	3205	Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes
48.	3206	Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined
49.	3207	Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes
50.	3208	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter
51.	3209	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium
52.	3210	Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather
53.	3211 00 00	Prepared driers
54.	3212	Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale
55.	3213	Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings
56.	3214	Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like
57.	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink
58.	3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils such as essential oils of

		citrus fruit, essential oils other than those of citrus fruit such as eucalyptus oil, etc., flavouring essences all types (including those for liquors), attars of all kinds in fixed oil bases
59.	3302	Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages such as synthetic perfumery compounds [other than natural menthol and goods made from natural menthol i.e menthol and menthol crystals, Peppermint (Mentha Oil), Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO), De-mentholised oil (DMO), Spearmint oil, Mentha piperita oil]
60.	3303	Perfumes and toilet waters
61.	3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments) including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations [other than kajal, kumkum, bindi, sindur, alta, talcum powder and face powder]
62.	3305	Preparations for use on the hair [other than mehendi paste in cones, hair oil, shampoo]
63.	3306	Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders in individual retail packages [other than tooth powder, tooth paste and yarn used to clean between the teeth (dental floss)]
64.	3307	Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties [other than shaving cream, shaving lotion and aftershave lotion]
65.	3307 41 00	Odoriferous preparations which operate by burning [other than agarbattis, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani]
66.	3401	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap [other than toilet soap in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes]; organic surface active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent
67.	3402	Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 [other than Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil]
68.	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
69.	3404	Artificial waxes and prepared waxes
70.	3405	Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404
71.	3407	Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium

		sulphate)
72.	3501	Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues
73.	3502	Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives
74.	3504	Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed; including Isolated soya protein
75.	3506	Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg
76.	3507	Enzymes, prepared enzymes
77.	3601	Propellant powders
78.	3602	Prepared explosives, other than propellant powders, such as industrial explosives
79.	3603	Safety fuses; detonating cords; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators
80.	3604	Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles
81.	3606	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter; such as liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters
82.	3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs; such as Instant print film, Cinematographic film (other than for x-ray for Medical use)
83.	3702	Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed
84.	3703	Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed
85.	3704	Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed
86.	3706	Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track
87.	3707	Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use
88.	3801	Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures
89.	3802	Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black
90.	3803 00 00	Tall oil, whether or not refined
91.	3804	Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803
92.	3805	Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent
93.	3806	Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums
94.	3807	Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch

95.	3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products [other than bio-pesticides mentioned against S. No. 260 of Schedule –I]
96.	3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included
97.	3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods
98.	3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils
99.	3812	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics such as vulcanizing agents for rubber
100.	3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire extinguishing grenades
101.	3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers
102.	3815	Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included
103.	3816	Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 [other than dolomite ramming mix]
104.	3817	Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902
105.	3818	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics [other than silicon wafers]
106.	3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
107.	3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids
108.	3821	Prepared culture media for development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
109.	3823	Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining; industrial fatty alcohols
110.	3824	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included
111.	3825	Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included [except municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter.]
112.	3826	Biodiesel (other than biodiesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)
113.	3827	Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included
114.	3901 to 3913	All goods i.e. polymers; Polyacetals, other polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters, other polyesters; polyamides; Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes; silicones; Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not

		elsewhere specified or included; Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included; Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included; in primary forms
115.	3914	Ion exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms
116.	3915	Waste, Parings and Scrap, of Plastics
117.	3916	Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics
118.	3917	Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of plastics
119.	3918	Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter
120.	3919	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls
121.	3920	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials
122.	3921	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics
123.	3922	Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics
124.	3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics
125.	3924	Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics
126.	3925	Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included
127.	3926	Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 [other than bangles of plastic, plastic beads and feeding bottles]
128.	4002	Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip; such as Latex, styrene butadiene rubber, butadiene rubber (BR), Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR), Ethylene-propylene-Non-conjugated diene rubber (EPDM)
129.	4003	Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip
130.	4004	Powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)
131.	4005	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip
132.	4006	Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber
133.	4007	Vulcanised rubber thread and cord, other than latex rubber thread
134.	4008	Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber
135.	4009	Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)
136.	4010	Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber
137.	4011	New pneumatic tyres, of rubber (other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; rear tractor tyres; and of a kind used on aircraft)
138.	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber
139.	4013	Inner tubes of rubber (other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; and Rear Tractor

		tyre tubes)
140.	4014	Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber; such as Hot water bottles, Ice bags [other than Sheath contraceptives, Rubber contraceptives, male (condoms), Rubber contraceptives, female (diaphragms), such as cervical caps]
141.	4015	Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mits), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber [other than Surgical gloves]
142.	4016	Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber [other than erasers, rubber bands]
143.	4017	Hard rubber (for example ebonite) in all forms, other than waste and scrap; articles of hard rubber
144.	4201	Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material
145.	4202	Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper [other than handbags and shopping bags, of cotton or jute]
146.	4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather [other than gloves specially designed for use in sports]
147.	4205	Other articles of leather or of composition leather
148.	4206	Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
149.	4301	Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103.
150.	4302	Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303
151.	4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin
152.	4304	Artificial fur and articles thereof
153.	4403	Wood in the rough
154.	4407	Wood sawn or chipped
155.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [other than for match splints]
156.	4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, v-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed [other than bamboo flooring]
157.	4410	Particle board, Oriented Strand Board and similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances, other than specified boards
158.	4411	Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances, other than specified boards

159.	4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood
160.	4413	Densified wood, in blocks, plates, strips, or profile shapes
161.	4414	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
162.	4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes [other than bamboo wood building joinery]
163.	4421	Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware
164.	44 or any Chapter	Resin bonded bamboo mat board, with or without veneer in between; Bamboo flooring tiles
165.	4501	Waste cork; crushed, granulated or ground cork
166.	4702	Chemical wood pulp, dissolving grades
167.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; [other than uncoated paper and paperboard for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks only]
168.	4803	Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets
169.	4804	Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803
170.	4805	Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in Note 3 to this Chapter
171.	4806	Vegetable parchment, tracing papers and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets
172.	4806 20 00	Greaseproof papers
173.	4806 40 10	Glassine papers
174.	4807	Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets
175.	4808	Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803
176.	4809	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets
177.	4810	Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets of any size
178.	4811	Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810
179.	4812	Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp
180.	4813	Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
181.	4814	Wall paper and similar wall coverings; window transparencies of paper
182.	4816	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes

183.	4817 [Except 4817 30]	Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; [other than boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery including writing blocks]
184.	4818	Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, table cloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, or paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
185.	4819 (except 4819 10, 4819 20)	All Goods (other than Cartons, boxes and cases of, – (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board)
186.	4820	Registers, account books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; and book covers, of paper or paperboard [other than note books and exercise books]
187.	4821	Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed
188.	4822	Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened)
189.	4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres [other than paper pulp moulded trays, Braille paper, Kites, Paper mache articles]
190.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing
191.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scripts); Cheques, loose or in book form
192.	4908	Transfers (decalcomanias).
193.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.
194.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.
195.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.
196.	5601 22 00	Cigarette Filter rods
197.	61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 2500 per piece
198.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 2500 per piece
199.	63 [other than 6309]	Other made-up textile articles, sets of sale value exceeding Rs. 2500 per piece [other than worn clothing and other worn articles; rags]
200.	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods

201.	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers
202.	6401	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes
203.	6402	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics
204.	6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather
205.	6404	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials
206.	6405	Other footwear
207.	6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof
208.	6501	Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt [other than textile caps]
209.	6502	Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed
210.	6504 00 00	Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed
211.	6505	Other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed
212.	6506	Other headgear, whether or not lined or trimmed
213.	6507	Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear
214.	6702	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit
215.	6703	Wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like
216.	6704	Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included
217.	6801	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)
218.	6802	Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate) [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone][except the items covered in Sl. No. 176 in Schedule I]
219.	6803	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate
220.	6804	Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials
221.	6805	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up
222.	6806	Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or chapter 69

223.	6807	Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)
224.	6808	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders
225.	6809	Articles of plaster or of compositions based on plaster; such as Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented
226.	6810	Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced
227.	6811	Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like
228.	6812	Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813
229.	6813	Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other materials
230.	6814	Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials
231.	6815	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included [other than Fly ash bricks Fly ash aggregates; Fly ash blocks]
232.	6901	Blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths
233.	6902	Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths
234.	6903	Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths
235.	6904	Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and the like
236.	6905	Chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods
237.	6906	Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings
238.	6907	Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics
239.	6909	Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods
240.	6910	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures
241.	6914	Other ceramic articles
242.	7002	Glass in balls (other than microspheres of heading 70.18), rods or tubes, unworked
243.	7003	Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
244.	7004	Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
245.	7005	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
246.	7006 00 00	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved,

		drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials
247.	7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass
248.	7008	Multiple-walled insulating units of glass
249.	7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors
250.	7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass
251.	7011	Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps and light sources, cathode ray tube or the like
252.	7013	Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)
253.	7014	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked
254.	7015	Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses
255.	7016	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass small wares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms
256.	7017	Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated
257.	7018	Imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter
258.	7019	Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics)
259.	7020	Other articles of glass [other than Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns]
260.	7201	Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms
261.	7202	Ferro-alloys
262.	7203	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms
263.	7204	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel
264.	7205	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel
265.	7206	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203)
266.	7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
267.	7208 to 7212	All flat-rolled products of iron or non-alloy steel
268.	7213 to 7215	All bars and rods, of iron or non-alloy steel
269.	7216	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
270.	7217	Wire of iron or non-alloy steel
271.	7218	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel
272.	7219, 7220	All flat-rolled products of stainless steel
273.	7221, 7222	All bars and rods, of stainless steel
274.	7223	Wire of stainless steel

275.	7224	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel
276.	7225, 7226	All flat-rolled products of other alloy steel
277.	7227, 7228	All bars and rods of other alloy steel.
278.	7229	Wire of other alloy steel
279.	7301	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel
280.	7302	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails
281.	7303	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron
282.	7304	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel
283.	7305	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel
284.	7306	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel
285.	7307	Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel
286.	7308	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their frames and thresholds for doors, and shutters, balustrades, pillars, and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, section, tubes and the like, prepared for using structures, of iron or steel [other than transmission towers]
287.	7309	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
288.	7310	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment, other than Milk cans made of Iron or Steel
289.	7311	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel
290.	7312	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated
291.	7313	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel
292.	7314	Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel
293.	7315	Chain and parts thereof, of iron or steel falling under 7315 20, 7315 81, 7315 82, 7315 89, 7315 90
294.	7316	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel
295.	7317	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
296.	7318	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel
297.	7319	Knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and

		similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included
298.	7320	Springs and leaves for springs, of iron and steel
299.	7321	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel [other than Kerosene burners, kerosene stoves, wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers]
300.	7322	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel
301.	7323	Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel (other than Milk cans made of Iron or Steel)
302.	7323 9410	Ghamella
303.	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel
304.	7325	Other cast articles of iron or steel
305.	7326	Other articles of iron or steel
306.	7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)
307.	7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining
308.	7403	Refined copper and copper alloys, unwrought
309.	7404	Copper waste and scrap
310.	7405	Master alloys of copper
311.	7406	Copper powders and flakes
312.	7407	Copper bars, rods and profiles
313.	7408	Copper wire
314.	7409	Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm
315.	7410	Copper foils
316.	7411	Copper tubes and pipes
317.	7412	Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
318.	7413	Stranded wires and cables
319.	7415	Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper
320.	7418	All goods (other than table, kitchen or other household articles of copper; Utensils)
321.	7419	Other articles of copper (other than Brass Kerosene Pressure Stove)
322.	7501	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy
323.	7502	Unwrought nickel
324.	7503	Nickel waste and scrap
325.	7504	Nickel powders and flakes
326.	7505	Nickel bars, rods, profiles and wire
327.	7506	Nickel plates, sheets, strip and foil
328.	7507	Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
329.	7508	Other articles of nickel
330.	7601	Unwrought Aluminium
331.	7602	Aluminium waste and scrap
332.	7603	Aluminium powders and flakes
333.	7604	Aluminium bars, rods and profiles
334.	7605	Aluminium wire

335.	7606	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm
336.	7607	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm
337.	7608	Aluminium tubes and pipes
338.	7609	Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
339.	7610	Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures
340.	7611	Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
341.	7612	Aluminium casks, drums, cans, boxes, etc., other than Milk cans made of Aluminium
342.	7613	Aluminium containers for compressed or liquefied gas
343.	7614	Stranded wires, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated
344.	7615	All goods (other than table, kitchen or other household articles, of aluminium; Utensils, Milk cans made of Aluminium)
345.	7616	Other articles of aluminium
346.	7801	Unwrought lead
347.	7802	Lead waste and scrap
348.	7804	Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes
349.	7806	Other articles of lead (including sanitary fixtures and Indian lead seals)
350.	7901	Unwrought zinc
351.	7902	Zinc waste and scrap
352.	7903	Zinc dust, powders and flakes
353.	7904	Zinc bars, rods, profiles and wire
354.	7905	Zinc plates, sheets, strip and foil
355.	7907	Other articles of zinc including sanitary fixtures
356.	8001	Unwrought tin
357.	8002	Tin waste and scrap
358.	8003	Tin bars, rods, profiles and wire
359.	8007	Other articles of tin
360.	8101 to 8112	Other base metals, namely, Tungsten, Molybdenum, Tantalum, Magnesium, Cobalt mattes, and other intermediate products of cobalt metallurgy, Bismuth, Cadmium, Titanium, Zirconium, Antimony, Manganese, Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles thereof, including waste and scrap
361.	8113	Cermets and articles thereof, including waste and scrap
362.	8202	Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades)
363.	8203	Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools
364.	8204	Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles
365.	8205	Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included; blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories

		for and parts of, machine-tools or water-jet cutting machines; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks
366.	8206	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale
367.	8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools
368.	8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances
369.	8209	Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets
370.	8210 00 00	Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink
371.	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor
372.	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)
373.	8213 00 00	Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor
374.	8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives); manicure or pedicure sets and instruments including nail files [other than pencil sharpeners]
375.	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware
376.	8301	Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal
377.	8302	Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal
378.	8303	Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal
379.	8304	Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 9403
380.	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal
381.	8307	Flexible tubing of base metal, with or without fittings
382.	8308	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal
383.	8309	Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal
384.	8310	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405
385.	8311	Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying
386.	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel

		Engines of power not exceeding 15HP
387.	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps
388.	8401	Nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopes separation
389.	8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers
390.	8403	Central heating boilers other than those of heading 8402
391.	8404	Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units
392.	8405	Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers
393.	8406	Steam turbines and other vapour turbines
394.	8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine [other than aircraft engines]
395.	8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)
396.	8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408
397.	8410	Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor
398.	8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines [other than aircraft engines]
399.	8412	Other engines and motors (Reaction engines other than turbo jets, Hydraulic power engines and motors, Pneumatic power engines and motors, other parts) [other than wind turbine or engine]
400.	8413	(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps]; Pumps for dispensing fuel or lubricants of the type used in filling stations or garages [8413 11], Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines [8413 30]
401.	8414	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; Gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]
402.	8414 20 10	Bicycles pumps
403.	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps
404.	8415	Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated
405.	8416	Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances
406.	8417	Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric
407.	8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415
408.	8419 [other than 8419 12]	Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading

		8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric [other than Solar water heater and system]
409.	8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor [other than Hand operated rubber roller]
410.	8421	Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases
411.	8422	Dish washing machines, household [8422 11 00] and other [8422 19 00]; Machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages
412.	8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 centigrams or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds
413.	8424	Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than sprinklers; drip irrigation systems including laterals; mechanical sprayer; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]
414.	8425	Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks
415.	8426	Ship's derricks; cranes including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane
416.	8427	Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
417.	8428	Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)
418.	8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers
419.	8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers
420.	8431	Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430
421.	8433	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]
422.	8434	Milking machines and dairy machinery
423.	8435	Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages
424.	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof
425.	8438	Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils
426.	8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
427.	8440	Book-binding machinery, including book-sewing machines

428.	8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds
429.	8442	Machinery, apparatus and equipment (other than the machines of headings 8456 to 8465) for preparing or making plates, printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)
430.	8443	Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof
431.	8444	Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials
432.	8445	Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447
433.	8446	Weaving machines (looms)
434.	8447	Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
435.	8448	Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, dobbies, Jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, spindles and spindles flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald frames, hosiery needles)
436.	8449	Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats
437.	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry
438.	8451	Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made up textile articles and machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor covering such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics
439.	8453	Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
440.	8454	Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries
441.	8455	Metal-rolling mills and rolls therefor
442.	8456	Machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes
443.	8457	Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal
444.	8458	Lathes (including turning centres) for removing metal
445.	8459	Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
446.	8460	Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal, or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461

447.	8461	Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included
448.	8462	Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die forging (excluding rolling mills); Machine-tools (including presses, slitting lines and cut-to-length lines) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching, notching or nibbling (excluding draw-benches); Presses for working metal or metal carbides, not specified above
449.	8463	Other machine-tools for working metal, or cermets, without removing material
450.	8464	Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass
451.	8465	Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials
452.	8466	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for the machines; tool holders for any type of tool, for working in the hand
453.	8467	Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor
454.	8468	Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering machines and appliances
455.	8470	Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers
456.	8471	Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included
457.	8472	Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines) [other than Braille typewriters, electric or non-electric]
458.	8473	Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8470 to 8472
459.	8474	Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand
460.	8475	Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware
461.	8476	Automatic goods-vending machines (for example, postage stamps, cigarette, food or beverage machines), including money changing machines
462.	8477	Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this Chapter
463.	8478	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included

		elsewhere in this chapter
464.	8479	Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter [other than Composting Machines]
465.	8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics
466.	8481	Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves
467.	8482	Ball bearing, Roller Bearings
468.	8483	Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)
469.	8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals
470.	8485	Machines for Additive Manufacturing
471.	8486	Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in Note 11(C) to this Chapter; parts and accessories
472.	8487	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features not specified or included elsewhere in this chapter
473.	84 or 85	E-waste <i>Explanation.-</i> For the purpose of this entry, E-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer
474.	8501	Electric motors and generators (excluding generating sets)
475.	8502	Electric generating sets and rotary converters
476.	8503	Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502
477.	8504	Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors other than charger or charging station for Electrically operated vehicles
478.	8505	Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads
479.	8506	Primary cells and primary batteries
480.	8507	Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)
481.	8508	Vacuum cleaners
482.	8509	Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 8508
483.	8510	Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor
484.	8511	Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and

		glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines
485.	8512	Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles
486.	8513	Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 8512
487.	8514	Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss
488.	8515	Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photo beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets
489.	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro thermic hairdressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes [other than solar cookers]; electric heating resistors, other than those of heading 8545
490.	8517	All goods
491.	8518	Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier set
492.	8519	Sound recording or reproducing apparatus
493.	8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner
494.	8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 or 8521
495.	8523	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37
496.	8524	Flat Panel Display Modules, Whether or Not Incorporating Touch-Sensitive Screens
497.	8525	Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defense, police and paramilitary forces, etc.]
498.	8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
499.	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock
500.	8528	Television set (including LCD or LED television), Computer Monitors, Set top Box for Television; monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus
501.	8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings

		8525 to 8528
502.	8530	Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 8608)
503.	8531	Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530
504.	8532	Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)
505.	8533	Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors
506.	8534 00 00	Printed Circuits
507.	8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1,000 volts
508.	8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lampholders, and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts: connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables
509.	8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517
510.	8538	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537
511.	8539	Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps
512.	8540	Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes)
513.	8541	Semiconductor Devices (for example, Diodes, Transistors, Semiconductor Based Transducers); Photosensitive Semiconductor devices; Light-Emitting Diodes (LED), whether or not assembled with other Light-Emitting Diodes (LED); mounted piezo-electric crystals
514.	8542	Electronic integrated circuits
515.	8543	Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter
516.	8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors
517.	8545	Carbon electrodes, carbon brushes, Lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes
518.	8546	Electrical insulators of any material
519.	8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for the purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material
520.	8548 00 00	Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in Chapter 85
521.	8549	Electrical and electronic waste and scrap

522.	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
523.	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
524.	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
525.	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles)
526.	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
527.	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
528.	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
529.	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.
530.	8609	Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport [including refrigerated containers]
531.	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc
532.	8702	Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver [including buses for use in public transport, which exclusively run on Bio-fuels]
533.	8702 or 8703	Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles
534.	8703 21 or 8703 22	Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
535.	8703 31	Diesel driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
536.	8703	Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely: - (a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and (b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department
537.	8703	Three wheeled vehicles
538.	8703 40, 8703 60	Following Vehicles, with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the

		fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under
539.	8703 50, 8703 70	Following Vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under
540.	8704	Motor vehicles for the transport of goods, including Refrigerated motor vehicles
541.	8705	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological unit)
542.	8706	Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
543.	8707	Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
544.	8708	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 [other than specified parts of tractors]
545.	8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles
546.	8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor not exceeding 350 cc, with or without side-cars; side-cars
547.	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711
548.	8715	Baby carriages and parts thereof
549.	8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof [other than Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes, and Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles]
550.	8801	Balloons and dirigibles, gliders and other non-powered aircraft
551.	8804	Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotachutes; parts thereof and accessories thereto and parts thereof
552.	8805	Aircraft launching gear, deck arrestor or similar gear; ground flying trainers and parts thereof
553.	8807	Parts of goods of heading 8801
554.	8903	Rowing boats and canoes
555.	8908 00 00	Vessels and other floating structures for breaking up
556.	9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarising material; prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other

		than such elements of glass not optically worked
557.	9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked [other than intraocular lens]
558.	9004	Spectacles [other than corrective]; Goggles [other than corrective]
559.	9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radio-astronomy
560.	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539
561.	9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus
562.	9008	Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers
563.	9010	Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens
564.	9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection
565.	9012	Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus
566.	9013	Lasers, other than Laser Diodes; other Optical Appliances and Instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter
567.	9014	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances
568.	9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders
569.	9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights
570.	9017	Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter
571.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta, gamma or other ionizing radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like
572.	9023	Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses
573.	9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)
574.	9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments [other than thermometers for medical, surgical, dental or veterinary usage]
575.	9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032
576.	9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or

		checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes [other than instruments and apparatus for medical, surgical, dental or veterinary uses for physical or chemical analysis]
577.	9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor
578.	9029	Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes
579.	9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations
580.	9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors
581.	9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus
582.	9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90
583.	9101	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal
584.	9102	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop watches, other than those of heading 9101
585.	9103	Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104
586.	9104	Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels
587.	9105	Other clocks
588.	9106	Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders)
589.	9107	Time switches with clock or watch movement or with synchronous motor
590.	9108	Watch movements, complete and assembled
591.	9109	Clock movements, complete and assembled
592.	9110	Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements
593.	9111	Watch cases and parts thereof
594.	9112	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof
595.	9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof
596.	9114	Other clock or watch parts
597.	9201	Pianos, including automatic pianos; harpsi-chords and other keyboard stringed instruments
598.	9202	Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)
599.	9205	Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs
600.	9206 00 00	Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)
601.	9207	Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
602.	9208	Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling

		within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments
603.	9209	Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds
604.	9301	Military weapons other than revolvers, pistols
605.	9303	Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns)
606.	9304	Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 9307
607.	9305	Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304
608.	9306	Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads
609.	9307	Swords, cut lasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor
610.	9401 [other than 9401 10 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof, including seats of a kind used for motor vehicles, other than seats of a kind used for aircraft
611.	9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles
612.	9403	Other furniture [other than furniture wholly made of bamboo, cane or rattan] and parts thereof
613.	9404	Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered [other than coir products (except coir mattresses), products wholly made of quilted textile materials not exceeding Rs. 2500 per piece and cotton quilts not exceeding Rs. 2500 per piece]
614.	9405	Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof
615.	9406	Prefabricated buildings
616.	9503	Electronic Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof)
617.	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo, etc.
618.	9505	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes
619.	9506	Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, swimming pools and padding pools [other than sports goods]
620.	9508	Travelling Circuses and Travelling Menageries; Amusement Park Rides and Water Part Amusements; Fairground Amusements, including Shooting Galleries; Travelling Theatres

621.	9602	Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and articles of unhardened gelatin
622.	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	Buttons, of plastics not covered with the textile material, of base metals, buttons of coconut shell, button blanks
623.	9603 [other than 9603 10 00 and 9603 21 00]	Brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than roller squeegees) [other than brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles, and tooth brushes including dental-plate brushes]
624.	9604 00 00	Hand sieves and hand riddles
625.	9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
626.	9608	Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609
627.	9610 00 00	Boards, with writing or drawing surface, whether or not framed
628.	9611	Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
629.	9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes
630.	9613	Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints or wicks
631.	9616	Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations
632.	9617	Vacuum flasks and other vacuum vessels, Complete; parts thereof other than glass inners
633.	9618	Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays, used for shop window dressing
634.	9620 00 00	Monopods, bipods, tripods and similar articles
635.	9801	All items of machinery including prime movers, instruments, apparatus and appliances, control gear and transmission equipment, auxiliary equipment (including those required for research and development purposes, testing and quality control), as well as all components (whether finished or not) or raw materials for the manufacture of the aforesaid items and their components, required for the initial setting up of a unit, or the substantial expansion of an existing unit, of a specified: (1) industrial plant, (2) irrigation project, (3) power project, (4) mining project, (5) project for the exploration for oil or other minerals, and (6) such other projects as the Central Government may, having regard to the economic development of the country notify in the Official Gazette in this behalf; and spare parts, other raw materials (including semi-finished materials of consumable stores) not exceeding 10% of the value of the goods specified above, provided that such spare parts, raw materials or consumable stores are essential for the maintenance of the plant or project mentioned in (1) to (6) above.
636.	9802	Laboratory chemicals
637.	Any Chapter	Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right
638.	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act,

		1975 (51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), as prescribed in notification No. 07 / 2019- Integrated Tax (Rate), dated 29th March, 2019, published in Gazette of India vide G.S.R. No. 260(E), dated 29th March, 2019 <i>Explanation.-</i> For the purpose of this entry,— (i) the term “promoter” shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (ii) “project” shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term “Real Estate Project (REP)” shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (iv) “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.
639.	Any Chapter	Goods which are not specified in Schedule I, III, IV, V, VI or VII
640.	9804	All dutiable articles intended for personal use

Schedule III– 40%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2202 10	All goods (including aerated waters), containing added sugar or other sweetening matter or flavoured
2.	2202 91 00, 2202 99 90	Other non-alcoholic beverages [other than those specified in Schedule I of this notification]
3.	2202 99 90	Caffeinated Beverages
4.	2202	Carbonated beverages of fruit drink or carbonated beverages with fruit juice
5.	8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars, but excluding the goods mentioned against S. Nos., 533, 534, 535, 536, 537, 538 and 539 of Schedule II.
6.	8703 40, 8703 60	Motor vehicles with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion, of engine capacity exceeding 1200cc or of length exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
7.	8703 50, 8703 70	Motor vehicles with both compression- ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion, of engine capacity exceeding 1500 cc or of length exceeding

		4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
8.	8711	Motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc
9.	8802	Aircrafts for personal use
10.	8903	Yachts and other vessels for pleasure or sports
11.	9302	Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304
12.	9614	Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof
13.	Any Chapter	Specified actionable claim; <i>Explanation:</i> “specified actionable claim” as defined in section 2(102A) of the CGST Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of – (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;

Schedule IV– 3%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7101	Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport
2.	7105	Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones
3.	7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
4.	7107	Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured
5.	7108	Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
6.	7109	Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
7.	7110	Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
8.	7111	Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured
9.	7112	Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal.
10.	7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with

		precious metal
11.	7114	Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
12.	7115	Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
13.	7116	Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)
14.	7117	Imitation jewellery [other than bangles of lac/shellac]
15.	7118	Coin

Schedule V – 0.25%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial
2.	7103	Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport
3.	7104	Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped

Schedule VI – 1.50%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Goods other than those specified against S. No. 1 in Schedule V
2.	7104	Goods other than those specified against S. No. 3 in Schedule V

Schedule VII – 28%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences (including biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for

		inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(a) the expressions, -

(i) "unit container" means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;

(ii) "pre-packaged and labelled" means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are "pre-packed" as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder;

(iii) "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266210
CG-DL-E-17092025-266210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 602]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 10/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 660(अ).— केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या करने से छोड़ी गई हैं, केंद्र सरकार, यह संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा माल की राज्य के भीतर पूर्तियों पर, जिनका विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, और जो टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत आता है, जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 के अधीन उन पर लगने वाले संपूर्ण केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101	जीवित गधे, खच्चर और हिरनियां
2.	0102	जीवित गोवंशीय पशु

3.	0103	जीवित सूअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरियां
5.	0105	जीवित मुर्गी, अर्थात्, गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के मुर्गे, बत्तख, हंस, टर्की और गिनी फाउल
6.	0106	अन्य जीवित जानवर जैसे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े
7.	0201	गोवंशीय पशुओं का मांस, ताजा या ठंडा
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी माल, ताजा या ठंडा
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
10.	03	मछली के बीज, झींगा/थ्रिम्प के बीज चाहे संसाधित, उपचारित या जमी हुई अवस्था में हों [अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले और 2.5% आकर्षित करने वाले माल के अलावा]
11.	0301	जीवित मछली
12.	0302	मछली, ताजी या ठंडी, शीर्षक 0304 की मछली पट्टिका (फिलेट्स) और अन्य मछली मांस को छोड़कर
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडा
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, और प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
15.	0401	ताजा दूध और पाश्चरीकृत दूध, जिसमें अलग किया हुआ दूध, दूध और क्रीम शामिल है, जिसमें चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ नहीं मिलाए गए हैं, यूएचटी दूध
16.	0403	दही, लस्सी, छाछ, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
17.	0406	छेना या पनीर, चाहे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हो या नहीं
18.	0407	पक्षियों के अंडे, छिलके सहित, ताजा, संरक्षित या पके हुए
19.	0409	प्राकृतिक शहद, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
20.	0501	मानव बाल, असंसाधित, चाहे धोया या साफ़ किया गया हो या नहीं; मानव बाल का अपशिष्ट
21.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडा
22.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
23.	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग-कोर, असंसाधित, बसा रहित, सामान्य रूप से तैयार (लेकिन आकार में नहीं काटा गया), एसिड या जिलेटिनयुक्त के साथ उपचारित; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
24.	0507 90	सभी माल अर्थात् खुर का आटा; सींग का आटा; खुर, पंजे, नाखून और चोंच; सींग आदि।

25.	0511	वीर्य जिसमें जमे हुए वीर्य शामिल हैं
26.	06	जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और इसी तरह; कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते
27.	0701	आलू, ताजा या ठंडा
28.	0702	टमाटर, ताजा या ठंडा
29.	0703	प्याज, शलोट, लहसुन, लीक और अन्य एलियासियस सब्जियां, ताजा या ठंडी
30.	0704	पत्तागोभी, फूलगोभी, कोल्हाबी, केल और इसी तरह की खाद्य ब्रैसिका, ताजा या ठंडी
31.	0705	लेट्यूस (लैक्टुका सैटिवा) और चिकोरी (सिकोरियम एसपीपी.), ताजा या ठंडा
32.	0706	गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, साल्सिफाई, सेलेरियक, मूली और इसी तरह की खाद्य जड़ें, ताजा या ठंडी
33.	0707	खीरे और घेरकिन्स, ताजा या ठंडे
34.	0708	फलीदार सब्जियां, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, ताजा या ठंडी।
35.	0709	अन्य सब्जियां, ताजा या ठंडी।
36.	0710	सब्जियां (बिना पकी या भाप में या पानी में उबालकर पकाई हुई), जमी हुई
37.	0711	सब्जियां अस्थायी रूप से संरक्षित, लेकिन उस स्थिति में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
38.	0712	सूखी सब्जियां, साबुत, कटी हुई, टुकड़ों में, टूटी हुई या पाउडर के रूप में, लेकिन आगे तैयार नहीं की गई
39.	0713	सूखी फलीदार सब्जियां, छिलके वाली, चाहे छिलका उतारा गया हो या विभाजित किया गया हो, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
40.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, ताजा या ठंडा, सूखा; साबूदाना।
41.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, जमी हुई, चाहे टुकड़ों में या छरों के रूप में, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
42.	08	सूखा मखाना, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
43.	0801	नारियल, ताजा या सूखा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
44.	0801	ब्राजील नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
45.	0802	अन्य मेवे, ताजा जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी), अखरोट, चेस्टनट (कैस्टेनिया एसपीपी), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी), सुपारी, पाइन नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
46.	0803	केले, जिसमें प्लॉटैन भी शामिल है, ताजा या सूखे
47.	0804	खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मँगोस्टीन, ताजा।
48.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मँडरिन (टेंजेरीन और सत्सुमा सहित); क्लेमेटाइन, विल्किंग्स और इसी तरह के खट्टे संकर, ग्रेपफ्रूट, जिसमें पोमेलो, नींबू (सिट्रस लिमन, सिट्रस लिमोनम) और लाइम (सिट्रस ऑरंटीफोलिया, सिट्रस लैटिफोलिया) शामिल हैं,

		ताजा।
49.	0806	अंगूर, ताजा
50.	0807	खरबूजे (तरबूज सहित) और पपीते, ताजा
51.	0808	सेब, नाशपाती और क्विंस, ताजा
52.	0809	खुबानी, चेरी, आड़ू (नेक्ट्राइन सहित), प्लम और स्लो, ताजा
53.	0810	अन्य फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगानबेरी, काले, सफेद या लाल करंट और गूजबेरी, कैनबेरी, बिलबेरी और जीनस वैक्सीनियम के अन्य फल, कीवी फल, ज्यूरियन, पर्सिमॉन, अनार, इमली, सपोटा (चीकू), कस्टर्ड-एप्पल (आता), बोर, लीची, ताजा
54.	0813	सूखी इमली
55.	0814	खट्टे फलों या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, ताजा।
56.	07, 09 या 10	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
57.	0901	काँफी बीन्स, भुनी हुई नहीं
58.	0902	चाय की असंसाधित हरी पत्तियाँ
59.	0909	सौंफ, बादाम, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; बीज की गुणवत्ता वाले जुनिपर बेरीज
60.	0910 11 10	ताजा अदरक, संसाधित रूप के अलावा
61.	0910 30 10	ताजा हल्दी, संसाधित रूप के अलावा
62.	1001	गेहूं और मेसलिन, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
63.	1002	राई, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
64.	1003	जौ, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
65.	1004	जई, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
66.	1005	मक्का (कॉर्न), प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
67.	1006	चावल, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
68.	1007	अनाज ज्वार, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
69.	1008	बकवीट, बाजरा और कनारी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
70.	1101	गेहूं या मेसलिन का आटा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
71.	1102	गेहूं या मेसलिन के अलावा अनाज का आटा, मक्का (कॉर्न) का आटा, राई का आटा आदि, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
72.	1103	अनाज का दलिया, भोजन और छर्रे, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
73.	1104	छिलका उतरे हुए अनाज
74.	1105	आलू का आटा, भोजन, पाउडर, फ्लेक्स, दाने या छर्रे, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
75.	1106	शीर्षक 0713 की सूखी फलीदार सब्जियों (दालों) का आटा, भोजन, पाउडर [ग्वार मील (टैरीफ मद 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट (टैरीफ

		मद 1106 10 90) के अलावा], साबूदाना या शीर्षक 0714 की जड़ों या कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों यानी इमली, सिंघाड़ा, आम का आटा आदि का, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
76.	1106 10 10	ग्वार मील
77.	12	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
78.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
79.	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकाई हुई नहीं, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या टूटा हुआ, बीज की गुणवत्ता का
80.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
81.	1205	रेप या कोल्जा के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
82.	1206	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
83.	1207	अन्य तिलहन और तैलीय फल (यानी ताड़ के नट और गिरी, कपास के बीज, अरंडी के तेल के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (करथोमस टिकोरियस) के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस के बीज, अजवायन, आम की गिरी, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
84.	1209	बीज, फल और बीजाणु, जो बोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बोने के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं हैं
85.	1210	हॉप शंकु, ताजा
86.	1210 10 00	हॉप शंकु, न तो पिसे हुए और न ही पाउडर के रूप में और न ही छर्रों के रूप में
87.	1211	पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा या ठंडा
88.	1212	टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजा या ठंडा
89.	1213	अनाज का भूसा और भूसी, बिना तैयारी के, चाहे कटा हुआ, पिसा हुआ, दबाया हुआ या छर्रों के रूप में हो
90.	1214	स्वीड, मैंगोल्ड, चारा जड़ें, घास, ल्यूसर्न (अल्फाल्फा), तिपतिया घास, सेनफोइन, चारा केल, ल्यूपिन, वेच और इसी तरह के चारा उत्पाद, चाहे छर्रों के रूप में हों या नहीं
91.	1301	लाख और चपड़ा
92.	1401	साल के पत्ते, सियाली के पत्ते, सिसल के पत्ते, सबई घास
93.	1404 90 40	पान के पत्ते
94.	1404 90 60	नारियल का खोल, असंसाधित
95.	1404 90 90	झाड़ू या झाड़ू की छड़े बनाने के लिए वनस्पति सामग्री
96.	1701 या 1702	(i) सभी प्रकार का गुड़, जिसमें गन्ने का गुड़, ताड़ का गुड़ शामिल है, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा (ii) खांडसारी चीनी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा (iii) राब, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
97.	1901	बाजरे के आटे का खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम

		से कम 70% बाजरा हो, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
98.	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिड़ा के नाम से जाना जाता है, भुना हुआ चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, चीनी या गुड़ से लेपित भुना हुआ धान या चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
99.	1905	पापड़, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए
100.	1905 या 2106	खाखरा; ब्रेड (ब्रांडेड या अन्यथा), पिज्जा ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, परोटा और किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अन्य भारतीय ब्रेड
101.	2009 89 90	कच्चा नारियल पानी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
102.	2106	धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों आदि द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसादम
103.	2201	पानी (वातायित, खनिज, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, वि-खनिज और सीलबंद इकाई कंटेनर में बेचे जाने वाले पानी के अलावा)
104.	2201	गैर-अल्कोहल वाली ताड़ी, नीरा जिसमें खजूर और ताड़ की नीरा शामिल है
105.	2301, 2302, 2308, 2309	जलीय चारा जिसमें झींगा चारा और प्रॉन चारा, पोल्ट्री चारा और पशु चारा शामिल है, जिसमें घास, भूसा और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की चोकर और डी-ऑयलड केक (चावल की भूसी के अलावा) शामिल हैं
106.	2306	डी-ऑयलड चावल की भूसी
107.	2306	बिनौला की खली
108.	2302, 2309	दालों की भूसी जिसमें छिलका, सांद्र जिसमें चुनी या चूरी, खंडा शामिल हैं
109.	2501	नमक (टेबल नमक और विकृत नमक सहित) और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल में हो या जिसमें एंटी-केकिंग या फ्री फ्लोइंग एजेंट मिलाए गए हों; समुद्री जल
110.	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र
111.	2716 00 00	विद्युत ऊर्जा
112.	2835	पशु आहार ग्रेड का डाइकैल्शियम फॉस्फेट (डीसीपी) जो भारतीय मानक विनिर्देश संख्या 5470: 2002 के अनुरूप है
113.	30 या कोई अन्य अध्याय	अनुबंध I में सूचीबद्ध दवाएं या औषधियाँ
114.	3002	मानव रक्त और उसके घटक
115.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
116.	3101	सभी माल और जैविक खाद, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
117.	3304	काजल (काजल पेंसिल स्टिक के अलावा), कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता
118.	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
119.	3926	प्लास्टिक की चूड़ियाँ
120.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
121.	4016	रबर

122.	4401	जलाने की लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
123.	4402	लकड़ी का कोयला (खोल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे एग्लोमेरेटेड हो या नहीं
124.	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से बनी मूर्तियाँ
125.	46	खाली दोना; साल के पत्तों, सियाली के पत्तों, सिसल के पत्तों, सबई घास से बनी वस्तुएं, जिसमें सबई घास की रस्सी भी शामिल है
126.	46	सभी प्रकार के पत्तों/फूलों/छाल से बनी प्लेटें और कप
127.	4802 / 4907	न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर, कोर्ट फीस स्टॉप जब सरकारी खजाने या सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं
128.	4802	बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, जो लिखने, छपाई या अन्य ग्राफिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में, किसी भी आकार का, शीर्षक 4801 या 4803 के कागज के अलावा, जो व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए उपयोग किया जाता है
129.	4817 / 4907	डाक सामग्री, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि, जो सरकार द्वारा बेचे जाते हैं
130.	4820	व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक
131.	48 या 4907 या 71	रुपये के नोट या सिक्के जब भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचे जाते हैं
132.	4901	मुद्रित पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकों सहित
133.	4902	समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पत्रिकाएँ, चाहे सचित्र हों या विज्ञापन सामग्री युक्त हों
134.	4903	बच्चों की चित्र, ड्राइंग या रंग भरने वाली किताबें
135.	4904 00 00	संगीत, मुद्रित या पांडुलिपि में, चाहे जिल्दबद्ध हो या सचित्र हो
136.	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
137.	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप
138.	5001	रेशम के कीड़े का अंडा, कोकून
139.	5002	कच्चा रेशम
140.	5003	रेशम अपशिष्ट
141.	5101	ऊन, कार्डेड या कंघी नहीं किया हुआ
142.	5102	महीन या मोटे पशु बाल, कार्डेड या कंघी नहीं किए हुए
143.	5103	ऊन या महीन या मोटे पशु बालों का अपशिष्ट
144.	52	गांधी टोपी, खादी धागा
145.	50 से 55	खादी का कपड़ा, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केवीआईसी प्रमाणित संस्थानों/आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है
146.	5303	जूट फाइबर, कच्चा या संसाधित लेकिन काटा नहीं गया
147.	5305	नारियल, कॉयर फाइबर
148.	53	कॉयर पिथ कम्पोस्ट, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा

149.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
150.	6703	मानव बाल, संवारे हुए, पतले, ब्लीच किए हुए या अन्यथा काम किए हुए
151.	6912 00 40	मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के दीपक
152.	69	मिट्टी से बनी मूर्तियाँ
153.	7018	काँच की चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियों को छोड़कर)
154.	7117	लाख/चपड़ा की चूड़ियाँ
155.	8201	कृषि उपकरण जो हाथ से या पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं, यानी हाथ के औजार, जैसे फावड़ा, बेलचा, कुदाल, गैंती, कुदाल, कांटा और रेक; कुल्हाड़ी, बिल हुक और इसी तरह के काटने के उपकरण; किसी भी प्रकार के सिकैटर और प्रूनर; दरांती, हँसिया, घास काटने वाले चाकू, हेज शियर्स, लकड़ी की कीलें और कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण, घमेला के अलावा।
156.	8214	पेंसिल शार्पनर
157.	8445	सूत की हाथ से कताई के लिए चरखा, जिसमें अंबर चरखा भी शामिल है
158.	8446	हथकरघा [बुनाई मशीनरी]
159.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और सबऑर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन
160.	9021	श्रवण यंत्र
161.	92	अनुबंध II में सूचीबद्ध स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र
162.	9603	सरकंडा से बने मुट्ठे, झाड़ू या ब्रश, जिसमें टहनियाँ या अन्य वनस्पति सामग्री होती है, एक साथ बंधी होती है, हैंडल के साथ या बिना
163.	9608,9609	पेंसिल (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित), क्रेयॉन, पेस्टल, ड्राइंग चारकोल, लिखने या ड्राइंग चॉक और दर्जी का चॉक; स्लेट पेंसिल और चॉक स्टिक
164.	9610 00 00	स्लेट
165.	9619 00 10 या 9619 00 20	सैनिटरी टॉवेल (पैड) या सैनिटरी नैपकिन; टैम्पोन
166.	9803	यात्री सामान
167.	कोई अध्याय	पूजा सामग्री अर्थात्: -, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊं; पंचामृत; विभूति; बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती; रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टीका
168.	-	राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लॉटरी की आपूर्ति, इस शर्त के अधीन कि ऐसी लॉटरी की आपूर्ति पर उचित केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया गया हो, जब राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त लॉटरी वितरक या बिक्री एजेंट को आपूर्ति की जाती है।
169.	-	एक सरकारी इकाई द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय

		प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को माल की आपूर्ति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के बदले में।
170.	कोई भी अध्याय	श्रवण यंत्र के निर्माण के लिए पुर्जे
171.	कोई भी अध्याय 71 को छोड़कर	राखी (अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले माल से बनी राखियों के अलावा)
172.	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री, या किसी भी लोक सेवक द्वारा प्राप्त उपहार वस्तुओं की आपूर्ति, सरकार द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से, जहां नीलामी की आय का उपयोग सार्वजनिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाना है।

स्पष्टीकरण- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,-

(क) अभिव्यक्तियाँ, -

(i) "यूनिट कंटेनर" का अर्थ है एक पैकेज, चाहे बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो एक पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया है;

(ii) "प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हुआ" का अर्थ है वे सभी वस्तुएं जो खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (I) में परिभाषित "प्री-पैकेज्ड" हैं, जहां, जिस पैकेज में वस्तु प्री-पैकेज्ड है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं करना आवश्यक है;

(ii) "टैरिफ आइटम", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का क्रमशः अर्थ होगा एक टैरिफ आइटम, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है;

(iv) "सरकारी इकाई" का अर्थ एक प्राधिकरण या एक बोर्ड या कोई अन्य निकाय होगा जिसमें एक सोसायटी, ट्रस्ट, निगम शामिल है, जो है-

(क) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित; या

(ख) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित,

इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी के साथ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए;

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की व्याख्या के नियम, जिसमें अनुभाग और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स शामिल हैं, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

अनुबंध-I

[अनुसूची की क्रम संख्या 113 देखें]

दवाओं या औषधियों की सूची	
1	जीन थेरेपी
2	अगालसिडेस बीटा

3	इमिग्लुसेरेस
4	इष्टाकॉंग अल्फा एक्टिवेटिड रेकोम्बिनेन्त कोएगुलेशन फैक्टर VII ए
5	ओनासेमनोजीन अबेपारवोवेक
6	एस्सिमिनिब
7	मेपोलिजुमैब
8	पेगिलेटेड लाइपोसोमल इरिनोटेकन
9	डाराटुमुमैब
10	डाराटुमुमैब सबक्यूटेनियस
11	टेक्लिस्टामैब
12	एमीवेंटामैब
13	एलेक्टिनिब
14	रिसडिप्लाम
15	ओबिनुटुजुमैब
16	पोलाटुजुमैब वेडोटिन
17	एंट्रेक्टिनिब
18	एटिज़ोलिजुमैब
19	स्पेज़ोलिमैब
20	वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा
21	अगालसिडेस अल्फा
22	रुरियोक्टोकोज अल्फा पेगोल
23	इडुरसल्फेटेज़
24	एल्लुकोसिडेज़ अल्फा
25	लैरोनिडेज़
26	ओलिपुडेज़ अल्फा
27	टेपोटिनिब
28	एवूलमैब
29	एमिसिज़ुमैब
30	बेलुमोसुडिल
31	मिग्लूस्टैट

32	बेलमानेज़ अल्फा
33	एलिरोक्यूमैब
34	इवोलोक्यूमैब
35	सिस्टामाइन बिटारट्रेट
36	सी1-इनहिबिटर इंजेक्शन
37	इनक्लिसिरन

अनुबंध-II

[अनुसूची का क्रम संख्या 161 देखें]

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची	
1	बुलबुल तरंग
2	"दोतार, दोतोरा, या दोतारा"
3	एकतारा
4	गेच्चू वाद्यम या झल्लारी
5	गोपीचंद या गोपियंत्र या खमक
6	गोट्टूवाद्यम या चित्रवीणा
7	काठो
8	सरोद
9	सितार
10	सुरबहार
11	सुरश्रृंगार
12	स्वरबत
13	स्वरमंडल
14	तंबूरा
15	तुंबी
16	तुनतुना
17	मगदी वीणा
18	हंसवीणा
19	मोहन वीणा
20	नकुल वीणा

21	नंदुनी
22	रुद्र वीणा
23	सरस्वती वीणा
24	विचित्र वीणा
25	याज्ञ
26	रंजन वीणा
27	त्रिवेणी वीणा
28	चिकारा
29	दिलरुबा
30	एकतारा वायलिन
31	इसराज
32	कमाइचा
33	मयूरी वीणा या ताऊस
34	ओनाविल्लु
35	बेहाला (वायलिन प्रकार)
36	पेना या बाना
37	पुल्लुवन वीणा - एक तार वाला वायलिन
38	रावणहत्था
39	लोक सारंगी
40	शास्त्रीय सारंगी
41	सारिंदा
42	तार शहनाई
43	गेथू या झल्लारी
44	गुबगुबा या जमूकू - तालवाद्य स्ट्रिंग वाद्ययंत्र
45	पुल्लुवन कुटम
46	संतूर - हथौड़े वाला कॉर्ड बॉक्स
47	पेपा
48	पुंगी या बीन
49	भारतीय हारमोनियम: डबल रीड

50	कुझल
51	नादस्वरम
52	शहनाई
53	सुंदरी
54	तंगमुरी
55	अलगोजा - डबल बांसुरी
56	बांसुरी
57	वेणु (कर्नाटक बांसुरी) पुल्लिंगुझल
58	मशक
59	टिट्टी
60	श्रुति उपंग
61	गोगोना
62	मोरसिंग
63	श्रुति बॉक्स
64	हारमोनियम (हाथ से पंप किया हुआ)
65	एक्कलम
66	करनाल
67	रामसिंगा
68	कहल
69	नागफनी
70	तुरी
71	ढाड
72	डमरू
73	डिमाडी
74	ढोल
75	ढोलक
76	ढोलकी
77	डुग्गी
78	घाट सिंघारी या गदा सिंघारी

79	घुमोट
80	गुम्मेता
81	कंजिरा
82	खोल
83	किनपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84	मद्दले
85	मरम
86	मिझावू
87	मृदंगम
88	पखावज
89	पखावज जोड़ी - तबला जैसा सिख वाद्ययंत्र
90	पंचमुख वाद्यम
91	पुंग
92	शुद्ध मदालम या मद्दालम
93	तबला/तबल/चमेली - गोब्लेट ड्रम
94	तबला
95	तबला तरंग - तबलों का सेट
96	तमटे
97	थंथी पनाई
98	थिमिला
99	"तुंबक, तुंबकनारी, तुंबकनेर"
100	"डफ, डफ, डफ या डफ डिमडी या डिमरी - बिना जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम"
101	कंजिरा - एक जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम
102	कांसी - बिना जिंगल के छोटा
103	पतायनी थप्पू - हाथों से बजाया जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104	चेंडा
105	डोलू
106	ढाक
107	ढोल

108	ढोली
109	इडक्का
110	थाविल
111	उडुकाई
112	चांडे
113	नगारा - केटलड्रम की जोड़ी
114	पंबाई - दो बेलनाकार ड्रमों की इकाई
115	"पराई थप्पू, हलगी - दो डंडों से बजाया जाने वाला फ्रेम ड्रम"
116	संबल
117	स्टिक डफ या स्टिक डफ - स्टैंड में डफ जिसे डंडों से बजाया जाता है
118	तमक
119	ताशा - एक प्रकार का केटलड्रम
120	उरुमी
121	जलतरंग चिमटा - पीतल के जिंगल के साथ आग का चिमटा
122	चेंगिला - धातु की डिस्क
123	एलथालम
124	गेगेर - पीतल का बर्तन
125	घटम और मटकम (मिट्टी का बर्तन ड्रम)
126	घुंघरू
127	खरताल या चिपल्या
128	मंजीरा या झांझ या ताल
129	नट - मिट्टी का बर्तन
130	संकरजंग - लिथोफोन
131	थाली - धातु की प्लेट
132	थट्टुकझि मन्नई
133	कांच तरंग, एक प्रकार का ग्लास हार्प

134	काष्ठ तरंग, एक प्रकार का जाइलोफोन।

MINISTRY OF FINANCE**(Department Of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 10/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 660(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule appended to this notification, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of the central tax leviable thereon under section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

SCHEDULE

S. No.	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine
4.	0104	Live sheep and goats
5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> , ducks, geese, turkeys and guinea fowls
6.	0106	Other live animals such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh or chilled
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
10.	03	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
11.	0301	Live fish
12.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, fresh or chilled
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, and other than pre-packaged and labelled
15.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, UHT milk
16.	0403	Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled
17.	0406	Chena or paneer, whether or not pre-packaged and labelled
18.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
19.	0409	Natural honey, other than pre-packaged and labelled

20.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
21.	0504	All goods, fresh or chilled
22.	0504	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
23.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
24.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
25.	0511	Semen including frozen semen
26.	06	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
27.	0701	Potatoes, fresh or chilled
28.	0702	Tomatoes, fresh or chilled
29.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled
30.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled
31.	0705	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium</i> spp.), fresh or chilled
32.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled
33.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled
34.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
35.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
36.	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
37.	0711	Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
38.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared
39.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split other than pre-packaged and labelled
40.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled, dried; sago pith.
41.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, other than pre-packaged and labelled
42.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled, other than pre-packaged and labelled
43.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
44.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
45.	0802	Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
46.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
47.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
48.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit,

		including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh.
49.	0806	Grapes, fresh
50.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh
51.	0808	Apples, pears and quinces, fresh
52.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh
53.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh
54.	0813	Tamarind dried
55.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
56.	07, 09 or 10	All goods of seed quality
57.	0901	Coffee beans, not roasted
58.	0902	Unprocessed green leaves of tea
59.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries of seed quality
60.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
61.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
62.	1001	Wheat and meslin, other than pre-packaged and labelled
63.	1002	Rye, other than pre-packaged and labelled
64.	1003	Barley, other than pre-packaged and labelled
65.	1004	Oats, other than pre-packaged and labelled
66.	1005	Maize (corn), other than pre-packaged and labelled
67.	1006	Rice, other than pre-packaged and labelled
68.	1007	Grain sorghum, other than pre-packaged and labelled
69.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, other than pre-packaged and labelled
70.	1101	Wheat or meslin flour, other than pre-packaged and labelled
71.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, maize (corn) flour, rye flour etc, other than pre-packaged and labelled
72.	1103	Cereal groats, meal and pellets, other than pre-packaged and labelled
73.	1104	Cereal grains hulled
74.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules or pellets of potatoes, other than pre-packaged and labelled
75.	1106	Flour, meal, powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 1106 10 90)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. other than pre-packaged and labelled
76.	1106 10 10	Guar meal
77.	12	All goods of seed quality
78.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality
79.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality
80.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality
81.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality
82.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality
83.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton

		seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality
84.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing
85.	1210	Hop cones, fresh
86.	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets
87.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled
88.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled
89.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
90.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
91.	1301	Lac and Shellac
92.	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass
93.	1404 90 40	Betel leaves
94.	1404 90 60	Coconut shell, unworked
95.	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks
96.	1701 or 1702	(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labeled (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled (iii) Rab, other than pre-packaged and labelled
97.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled
98.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, other than pre-packaged and labelled
99.	1905	Pappad, by whatever name it is known
100.	1905 or 2106	Khakhra; Bread (branded or otherwise), Pizza bread, roti, chapathi, paratha, parotta and other Indian breads by any name called
101.	2009 89 90	Tender coconut water other than pre-packaged and labelled
102.	2106	Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc
103.	2201	Water (other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed unit container)
104.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
105.	2301, 2302, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, wheat bran and de-oiled cake other than rice bran
106.	2306	De-oiled rice bran
107.	2306	Cotton seed oil cake
108.	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates including chuni or churi, Khanda
109.	2501	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water
110.	26	Uranium Ore concentrate

111.	2716 00 00	Electrical energy
112.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
113.	30 or any other Chapter	Drugs or medicines listed in Annexure I
114.	3002	Human Blood and its components
115.	3006	All types of contraceptives
116.	3101	All goods and organic manure, other than pre-packaged and labelled
117.	3304	Kajal (other than kajal pencil sticks), Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
118.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
119.	3926	Plastic bangles
120.	4014	Condoms and contraceptives
121.	4016	Erasers
122.	4401	Firewood or fuel wood
123.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
124.	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood
125.	46	Khali Dona; Goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope
126.	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark
127.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorized by the Government
128.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803, used for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
129.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
130.	4820	Exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
131.	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India
132.	4901	Printed books, including Braille books
133.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
134.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
135.	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated
136.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
137.	4907	Duty Credit Scrips
138.	5001	Silkworm laying, cocoon
139.	5002	Raw silk
140.	5003	Silk waste
141.	5101	Wool, not carded or combed
142.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
143.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
144.	52	Gandhi Topi, Khadi yarn
145.	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions/outlets
146.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
147.	5305	Coconut, coir fibre
148.	53	Coir pith compost other than pre-packaged and labelled
149.	63	Indian National Flag

150.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
151.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
152.	69	Idols made of clay
153.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
154.	7117	Bangles of lac/shellac
155.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry other than ghamella.
156.	8214	Pencil sharpeners
157.	8445	Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha
158.	8446	Handloom [weaving machinery]
159.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
160.	9021	Hearing aids
161.	92	Indigenous handmade musical instruments as listed in Annexure II
162.	9603	Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles
163.	9608,9609	Pencils (including propelling or sliding pencils), crayons, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailor's chalk; Slate pencils and chalk sticks
164.	9610 00 00	Slates
165.	9619 00 10 or 9619 00 20	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons
166.	9803	Passenger baggage
167.	Any chapter	Puja samagri namely:- (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit); (iii) Wooden khadau; (iv) Panchamrit, (v) Vibhuti, (vi) Unbranded honey (vii) Wick for diya. (viii) Roli (ix) Kalava (Raksha sutra) (x) Chandan tika
168.	-	Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate Central tax, State tax, Union Territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be.
169.	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union Territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union Territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union Territory or local authority in the form of grants
170.	Any Chapter	Parts for manufacture of hearing aids
171.	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)

172.	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause.

Explanation.- For the purposes of this Schedule,-

(a) the expressions, -

- (i) “unit container” means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;
- (ii) “pre-packaged and labelled” means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are “pre-packed” as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder;
- (iii) “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (iv) “Government entity” shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is-

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority;

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Annexure-I

[See S. No. 113 of the Schedule]

List of drugs or medicines	
1.	Gene Therapy
2.	Agalsidase Beta
3.	Imiglucerase
4.	Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
5.	Onasemnogene abeparvovec
6.	Asciminib
7.	Mepolizumab
8.	Pegylated Liposomal Irinotecan
9.	Daratumumab
10.	Daratumumab subcutaneous
11.	Teclistamab
12.	Amivantamab

13.	Alectinib
14.	Risdiplam
15.	Obinutuzumab
16.	Polatuzumab vedotin
17.	Entrectinib
18.	Atezolizumab
19.	Spesolimab
20.	Velaglucerase Alfa
21.	Agalsidase Alfa
22.	Ruriotocog Alpha Pegol
23.	Idursulphatase
24.	Alglucosidase Alfa
25.	Laronidase
26.	Olipudase Alfa
27.	Tepotinib
28.	Avelumab
29.	Emicizumab
30.	Belumosudil
31.	Miglustat
32.	Velmanase Alfa
33.	Alirocumab
34.	Evolocumab
35.	Cystamine Bitartrate
36.	CI-Inhibitor injection
37.	Inclisiran

Annexure-II**[See S. No. 161 of the Schedule]**

List of indigenous handmade musical instruments	
1.	Bulbul Tarang
2.	Dotar, Dotora, or Dotara
3.	Ektara
4.	Getchu Vadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyatra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar

12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	Magadi Veena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena
20.	Nakula Veena
21.	Nanduni
22.	Rudra Veena
23.	Saraswati Veena
24.	Vichitra Veena
25.	Yazh
26.	Ranjan Veena
27.	Triveni Veena
28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	Mayuri Vina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala (violin type)
36.	Pena or Bana
37.	Pulluvan veena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk sarangi
40.	Classical sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45.	Pulluvan kutam
46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal

51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari
54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58.	Mashak
59.	Titti
60.	Sruti upanga
61.	Gogona
62.	Morsing
63.	Shruti box
64.	Harmonium (hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad
72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghat singhari or gada singari
79.	Ghumot
80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhobar (tribal drums)
84.	Maddale
85.	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavaj jori - Sikh instrument similar to tabla

90.	Panchamukha vadyam
91.	Pung
92.	Shuddha madalam or Maddalam
93.	Tabala/tabla/chameli - goblet drum
94.	Tabla
95.	Tabla tarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	Thanthi Panai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or duf Dimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle
102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayani thappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu
106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums
114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Parai thappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urume
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam
124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplya
128.	Manjeera or jhanj or taal

129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhi mannai
133.	Kanch tarang, a type of glass harp
134.	Kashtha tarang, a type of xylophone.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 10/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 661(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या करने से छोड़ी गई हैं, केंद्र सरकार, यह संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा माल की अंतरराज्यिक पूर्तियों पर, जिनका विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, और जो टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत आता है, जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन उन पर लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101	जीवित गधे, खच्चर और हिनियां
2.	0102	जीवित गोवंशीय पशु
3.	0103	जीवित सूअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरियां
5.	0105	जीवित मुर्गी, अर्थात्, गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के मुर्गे, बत्तख, हंस, टर्की और गिनी फाउल
6.	0106	अन्य जीवित जानवर जैसे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े
7.	0201	गोवंशीय पशुओं का मांस, ताजा या ठंडा
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी माल, ताजा या ठंडा
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
10.	03	मछली के बीज, झींगा/श्रिम्प के बीज चाहे संसाधित, उपचारित या जमी हुई अवस्था में हों [अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले और 2.5% आकर्षित करने वाले

		माल के अलावा]
11.	0301	जीवित मछली
12.	0302	मछली, ताजी या ठंडी, शीर्षक 0304 की मछली पट्टिका (फिलेट्स) और अन्य मछली मांस को छोड़कर
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडा
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, और प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
15.	0401	ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध, जिसमें अलग किया हुआ दूध, दूध और क्रीम शामिल है, जिसमें चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ नहीं मिलाए गए हैं, यूएचटी दूध
16.	0403	दही, लस्सी, छाछ, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
17.	0406	छेना या पनीर, चाहे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हो या नहीं
18.	0407	पक्षियों के अंडे, छिलके सहित, ताजा, संरक्षित या पके हुए
19.	0409	प्राकृतिक शहद, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
20.	0501	मानव बाल, असंसाधित, चाहे धोया या साफ़ किया गया हो या नहीं; मानव बाल का अपशिष्ट
21.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडा
22.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
23.	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग-कोर, असंसाधित, बसा रहित, सामान्य रूप से तैयार (लेकिन आकार में नहीं काटा गया), एसिड या जिलेटिनयुक्त के साथ उपचारित; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
24.	0507 90	सभी माल अर्थात् खुर का आटा; सींग का आटा; खुर, पंजे, नाखून और चोंच; सींग आदि।
25.	0511	वीर्य जिसमें जमे हुए वीर्य शामिल हैं
26.	06	जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और इसी तरह; कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते
27.	0701	आलू, ताजा या ठंडा
28.	0702	टमाटर, ताजा या ठंडा
29.	0703	प्याज, शलोट, लहसुन, लीक और अन्य एलियासियस सब्जियां, ताजा या ठंडी
30.	0704	पत्तागोभी, फूलगोभी, कोल्हाबी, केल और इसी तरह की खाद्य ब्रैसिका, ताजा या ठंडी
31.	0705	लेट्यूस (लैक्टुका सैटिवा) और चिकोरी (सिकोरियम एसपीपी.), ताजा या ठंडा
32.	0706	गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, साल्सिफाई, सेलेरियक, मूली और इसी तरह की खाद्य जड़ें, ताजा या ठंडी
33.	0707	खीरे और घेरकिन्स, ताजा या ठंडे
34.	0708	फलीदार सब्जियां, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, ताजा या ठंडी।
35.	0709	अन्य सब्जियां, ताजा या ठंडी।

36.	0710	सब्जियां (बिना पकी या भाप में या पानी में उबालकर पकाई हुई), जमी हुई
37.	0711	सब्जियां अस्थायी रूप से संरक्षित, लेकिन उस स्थिति में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
38.	0712	सूखी सब्जियां, साबुत, कटी हुई, टुकड़ों में, टूटी हुई या पाउडर के रूप में, लेकिन आगे तैयार नहीं की गई
39.	0713	सूखी फलीदार सब्जियां, छिलके वाली, चाहे छिलका उतारा गया हो या विभाजित किया गया हो, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
40.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, ताजा या ठंडा, सूखा; साबूदाना।
41.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, जमी हुई, चाहे टुकड़ों में या छुरों के रूप में, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
42.	08	सूखा मखाना, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
43.	0801	नारियल, ताजा या सूखा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
44.	0801	ब्राजील नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
45.	0802	अन्य मेवे, ताजा जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी), अखरोट, चेस्टनट (कैस्टेनिया एसपीपी), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी), सुपारी, पाइन नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
46.	0803	केले, जिसमें प्लॉटैन भी शामिल है, ताजा या सूखे
47.	0804	खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन, ताजा।
48.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मैंडरिन (टेंजेरीन और सत्सुमा सहित); क्लेमेटाइन, विल्किंग्स और इसी तरह के खट्टे संकर, ग्रेपफ्रूट, जिसमें पोमेलो, नींबू (सिट्रस लिमन, सिट्रस लिमोनम) और लाइम (सिट्रस ऑरंटीफोलिया, सिट्रस लैटिफोलिया) शामिल हैं, ताजा।
49.	0806	अंगूर, ताजा
50.	0807	खरबूजे (तरबूज सहित) और पपीते, ताजा
51.	0808	सेब, नाशपाती और क्विंस, ताजा
52.	0809	खुबानी, चेरी, आड़ू (नेक्टराइन सहित), प्लम और स्लो, ताजा
53.	0810	अन्य फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगानबेरी, काले, सफेद या लाल करंट और गूजबेरी, क्रैनबेरी, बिलबेरी और जीनस वैक्सीनियम के अन्य फल, कीवी फल, ज्यूरियन, पर्सिमॉन, अनार, इमली, सपोटा (चीकू), कस्टर्ड-एप्पल (आता), बोर, लीची, ताजा
54.	0813	सूखी इमली
55.	0814	खट्टे फलों या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, ताजा।
56.	07, 09 या 10	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
57.	0901	काँफी बीन्स, भुनी हुई नहीं

58.	0902	चाय की असंसाधित हरी पत्तियां
59.	0909	सौंफ, बादाम, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; बीज की गुणवत्ता वाले जुनिपर बेरीज
60.	0910 11 10	ताजा अदरक, संसाधित रूप के अलावा
61.	0910 30 10	ताजा हल्दी, संसाधित रूप के अलावा
62.	1001	गेहूं और मेसलिन, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
63.	1002	राई, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
64.	1003	जौ, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
65.	1004	जई, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
66.	1005	मक्का (कॉर्न), प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
67.	1006	चावल, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
68.	1007	अनाज ज्वार, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
69.	1008	बकरीट, बाजरा और कनारी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
70.	1101	गेहूं या मेसलिन का आटा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
71.	1102	गेहूं या मेसलिन के अलावा अनाज का आटा, मक्का (कॉर्न) का आटा, राई का आटा आदि, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
72.	1103	अनाज का दलिया, भोजन और छर्रे, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
73.	1104	छिलका उतरे हुए अनाज
74.	1105	आलू का आटा, भोजन, पाउडर, फ्लेक्स, दाने या छर्रे, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
75.	1106	शीर्षक 0713 की सूखी फलीदार सब्जियों (दालों) का आटा, भोजन, पाउडर [ग्वार मील (टैरीफ मद 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट (टैरीफ मद 1106 10 90) के अलावा], साबूदाना या शीर्षक 0714 की जड़ों या कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों यानी इमली, सिंघाड़ा, आम का आटा आदि का, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
76.	1106 10 10	ग्वार मील
77.	12	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
78.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
79.	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकाई हुई नहीं, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या टूटा हुआ, बीज की गुणवत्ता का
80.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
81.	1205	रेप या कोल्जा के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
82.	1206	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
83.	1207	अन्य तिलहन और तैलीय फल (यानी ताड़ के नट और गिरी, कपास के बीज, अरंडी के तेल के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (करथोमस टिंकोरियस) के

		बीज, खरबूजे के बीज, खसखस के बीज, अजवायन, आम की गिरी, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
84.	1209	बीज, फल और बीजाणु, जो बोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बोने के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं हैं
85.	1210	हॉप शंकु, ताजा
86.	1210 10 00	हॉप शंकु, न तो पिसे हुए और न ही पाउडर के रूप में और न ही छरों के रूप में
87.	1211	पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा या ठंडा
88.	1212	टिट्टी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजा या ठंडा
89.	1213	अनाज का भूसा और भूसी, बिना तैयारी के, चाहे कटा हुआ, पिसा हुआ, दबाया हुआ या छरों के रूप में हो
90.	1214	स्वीड, मैंगोल्ड, चारा जड़ें, घास, ल्यूसर्न (अल्फाल्फा), तिपतिया घास, सेनफोइन, चारा केल, ल्यूपिन, वेच और इसी तरह के चारा उत्पाद, चाहे छरों के रूप में हों या नहीं
91.	1301	लाख और चपड़ा
92.	1401	साल के पत्ते, सियाली के पत्ते, सिसल के पत्ते, सबई घास
93.	1404 90 40	पान के पत्ते
94.	1404 90 60	नारियल का खोल, असंसाधित
95.	1404 90 90	झाड़ू या झाड़ू की छड़ें बनाने के लिए वनस्पति सामग्री
96.	1701 या 1702	(i) सभी प्रकार का गुड़, जिसमें गन्ने का गुड़, ताड़ का गुड़ शामिल है, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा (ii) खांडसारी चीनी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा (iii) राब, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
97.	1901	बाजरे के आटे का खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
98.	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिड़ा के नाम से जाना जाता है, भुना हुआ चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, चीनी या गुड़ से लेपित भुना हुआ धान या चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
99.	1905	पापड़, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए
100.	1905 या 2106	खाखरा; ब्रेड (ब्रांडेड या अन्यथा), पिज्जा ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, परोटा और किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अन्य भारतीय ब्रेड
101.	2009 89 90	कच्चा नारियल पानी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
102.	2106	धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों आदि द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसादम
103.	2201	पानी (वातायित, खनिज, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, वि-खनिज और सीलबंद इकाई कंटेनर में बेचे जाने वाले पानी के अलावा)

104.	2201	गैर-अल्कोहल वाली ताड़ी, नीरा जिसमें खजूर और ताड़ की नीरा शामिल है
105.	2301, 2302, 2308, 2309	जलीय चारा जिसमें झींगा चारा और प्रॉन चारा, पोल्ट्री चारा और पशु चारा शामिल है, जिसमें घास, भूसा और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की चोकर और डी-ऑयलड केक (चावल की भूसी के अलावा) शामिल हैं
106.	2306	डी-ऑयलड चावल की भूसी
107.	2306	बिनौला की खली
108.	2302, 2309	दालों की भूसी जिसमें छिलका, सांद्र जिसमें चुनी या चूरी, खंडा शामिल हैं
109.	2501	नमक (टेबल नमक और विकृत नमक सहित) और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल में हो या जिसमें एंटी-केकिंग या फ्री फ्लोइंग एजेंट मिलाए गए हों; समुद्री जल
110.	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र
111.	2716 00 00	विद्युत ऊर्जा
112.	2835	पशु आहार ग्रेड का डाइकैल्शियम फॉस्फेट (डीसीपी) जो भारतीय मानक विनिर्देश संख्या 5470: 2002 के अनुरूप है
113.	30 या कोई अन्य अध्याय	अनुबंध I में सूचीबद्ध दवाएं या औषधियाँ
114.	3002	मानव रक्त और उसके घटक
115.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
116.	3101	सभी माल और जैविक खाद, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
117.	3304	काजल (काजल पेंसिल स्टिक के अलावा), कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता
118.	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
119.	3926	प्लास्टिक की चूड़ियाँ
120.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
121.	4016	रबर
122.	4401	जलाने की लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
123.	4402	लकड़ी का कोयला (खोल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे एग्लोमेरेटेड हो या नहीं
124.	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से बनी मूर्तियाँ
125.	46	खाली दोना; साल के पत्तों, सियाली के पत्तों, सिसल के पत्तों, सबई घास से बनी वस्तुएं, जिसमें सबई घास की रस्सी भी शामिल है
126.	46	सभी प्रकार के पत्तों/फूलों/छाल से बनी प्लेटें और कप
127.	4802 / 4907	न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर, कोर्ट फीस स्टॉप जब सरकारी खजाने या सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं
128.	4802	बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, जो लिखने, छपाई या अन्य ग्राफिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में, किसी भी आकार का, शीर्षक 4801 या 4803 के कागज के अलावा, जो व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए उपयोग किया जाता है
129.	4817 / 4907	डाक सामग्री, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि, जो सरकार द्वारा बेचे जाते हैं

130.	4820	व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक
131.	48 या 4907 या 71	रुपये के नोट या सिक्के जब भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचे जाते हैं
132.	4901	मुद्रित पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकों सहित
133.	4902	समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और पत्रिकाएँ, चाहे सचित्र हों या विज्ञापन सामग्री युक्त हों
134.	4903	बच्चों की चित्र, ड्राइंग या रंग भरने वाली किताबें
135.	4904 00 00	संगीत, मुद्रित या पांडुलिपि में, चाहे जिल्दबद्ध हो या सचित्र हो
136.	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलाकृतिक योजनाएँ और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
137.	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप
138.	5001	रेशम के कीड़े का अंडा, कोकून
139.	5002	कच्चा रेशम
140.	5003	रेशम अपशिष्ट
141.	5101	ऊन, कार्डेड या कंघी नहीं किया हुआ
142.	5102	महीन या मोटे पशु बाल, कार्डेड या कंघी नहीं किए हुए
143.	5103	ऊन या महीन या मोटे पशु बालों का अपशिष्ट
144.	52	गांधी टोपी, खादी धागा
145.	50 से 55	खादी का कपड़ा, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केवीआईसी प्रमाणित संस्थानों/आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है
146.	5303	जूट फाइबर, कच्चा या संसाधित लेकिन काता नहीं गया
147.	5305	नारियल, कॉयर फाइबर
148.	53	कॉयर पिथ कम्पोस्ट, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
149.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
150.	6703	मानव बाल, संवारे हुए, पतले, ब्लीच किए हुए या अन्यथा काम किए हुए
151.	6912 00 40	मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के दीपक
152.	69	मिट्टी से बनी मूर्तियाँ
153.	7018	कांच की चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियों को छोड़कर)
154.	7117	लाख/चपड़ा की चूड़ियाँ
155.	8201	कृषि उपकरण जो हाथ से या पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं, यानी हाथ के औजार, जैसे फावड़ा, बेलचा, कुदाल, गेंती, कुदाल, कांटा और रेक; कुल्हाड़ी, बिल हुक और इसी तरह के काटने के उपकरण; किसी भी प्रकार के सिकैटर और प्रूनर; दरांती, हँसिया, घास काटने वाले चाकू, हेज शियर्स, लकड़ी की कीलें और कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण, घमेला के अलावा।
156.	8214	पेंसिल शार्पनर
157.	8445	सूत की हाथ से कताई के लिए चरखा, जिसमें अंबर चरखा भी शामिल है
158.	8446	हथकरघा [बुनाई मशीनरी]

159.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और सबऑर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन
160.	9021	श्रवण यंत्र
161.	92	अनुबंध II में सूचीबद्ध स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र
162.	9603	सरकंडा से बने मुट्टे, झाड़ू या ब्रश, जिसमें टहनियाँ या अन्य वनस्पति सामग्री होती है, एक साथ बंधी होती है, हैंडल के साथ या बिना
163.	9608,9609	पेंसिल (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित), क्रेयॉन, पेस्टल, ड्राइंग चारकोल, लिखने या ड्राइंग चॉक और दर्जी का चॉक; स्लेट पेंसिल और चॉक स्टिक
164.	9610 00 00	स्लेट
165.	9619 00 10 या 9619 00 20	सैनिटरी टॉवेल (पैड) या सैनिटरी नैपकिन; टैम्पोन
166.	9803	यात्री सामान
167.	कोई अध्याय	पूजा सामग्री अर्थात्: -, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंडी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊ;, पंचामृत;, विभूति;, बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टीका
168.	-	राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लॉटरी की आपूर्ति, इस शर्त के अधीन कि ऐसी लॉटरी की आपूर्ति पर उचित केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया गया हो, जब राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त लॉटरी वितरक या विक्री एजेंट को आपूर्ति की जाती है।
169.	-	एक सरकारी इकाई द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को माल की आपूर्ति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के बदले में।
170.	कोई भी अध्याय	श्रवण यंत्र के निर्माण के लिए पुर्जे
171.	कोई भी अध्याय 71 को छोड़कर	राखी (अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले माल से बनी राखियों के अलावा)
172.	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री, या किसी भी लोक सेवक द्वारा प्राप्त उपहार वस्तुओं की आपूर्ति, सरकार द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से, जहां नीलामी की आय का उपयोग सार्वजनिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाना है।

स्पष्टीकरण- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,-

(क) अभिव्यक्तियाँ, -

(i) "यूनिट कंटेनर" का अर्थ है एक पैकेज, चाहे बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो एक पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया है;

(ii) "प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हुआ" का अर्थ है वे सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए अभिप्रेत हैं और जिनमें 25

किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (I) में परिभाषित "प्री-पैकड" हैं, जहां, जिस पैकेज में वस्तु प्री-पैकड है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं करना आवश्यक है;

(ii) "टैरिफ आइटम", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का क्रमशः अर्थ होगा एक टैरिफ आइटम, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है;

(iv) "सरकारी इकाई" का अर्थ एक प्राधिकरण या एक बोर्ड या कोई अन्य निकाय होगा जिसमें एक सोसायटी, ट्रस्ट, निगम शामिल है, जो है-

(क) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित; या

(ख) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित,

इच्छिटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी के साथ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए;

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की व्याख्या के नियम, जिसमें अनुभाग और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स शामिल हैं, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

अनुबंध-I

[अनुसूची की क्रम संख्या 113 देखें]

दवाओं या औषधियों की सूची	
1	जीन थेरेपी
2	अगालसिडेस बीटा
3	इमिग्लुसेरेस
4	इप्टाकाँग अल्फा एक्टिवेटेड रेकोम्बिनेंट कोएगुलेशन फैक्टर VII ए
5	ओनासेमनोजीन अबेपारवोवेक
6	एस्सिमिनिब
7	मेपोलिज़ुमैब
8	पेगिलेटेड लाइपोसोमल इरिनोटेकन
9	डाराटुमुमैब
10	डाराटुमुमैब सबक्यूटेनियस
11	टेक्लिस्टामैब
12	एमीवेंटामैब
13	एलेक्टिनिब

14	रिसडिप्लाम
15	ओबिनुटुजुमैब
16	पोलाटुजुमैब वेडोटिन
17	एंटेक्टिनिब
18	एटिज़ोलिजुमैब
19	स्पेज़ोलिमैब
20	वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा
21	अगालसिडेस अल्फा
22	रुरियोक्टोकोज अल्फा पेगोल
23	इडुरसल्फेटेज़
24	एल्लुकोसिडेज़ अल्फा
25	लैरोनिडेज़
26	ओलिपुडेज़ अल्फा
27	टेपोटिनिब
28	एवूलमैब
29	एमिसिज़ुमैब
30	बेलुमोसुडिल
31	मिग्लूस्टैट
32	वेलमानेज़ अल्फा
33	एलिरोक्यूमैब
34	इवोलोक्यूमैब
35	सिस्टामाइन बिटारट्रेट
36	सी1-इनहिबिटर इंजेक्शन
37	इनक्लिसिरन

अनुबंध-II

[अनुसूची का क्रम संख्या 161 देखें]

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची	
1	बुलबुल तरंग
2	"दोतार, दोतौरा, या दोतारा"

3	एकतारा
4	गेच्चू वाद्यम या झल्लारी
5	गोपीचंद या गोपियंत्र या खमक
6	गोट्टूवाद्यम या चित्रवीणा
7	काठो
8	सरोद
9	सितार
10	सुरबहार
11	सुरश्रृंगार
12	स्वरबत
13	स्वरमंडल
14	तंबूरा
15	तुंबी
16	तुनतुना
17	मगदी वीणा
18	हंसवीणा
19	मोहन वीणा
20	नकुल वीणा
21	नंदुनी
22	रुद्र वीणा
23	सरस्वती वीणा
24	विचित्र वीणा
25	याझ
26	रंजन वीणा
27	त्रिवेणी वीणा
28	चिकारा
29	दिलरुबा
30	एकतारा वायलिन
31	इसराज

32	कमाइचा
33	मयूरी वीणा या ताऊस
34	ओनाविल्लु
35	बेहाला (वायलिन प्रकार)
36	पेना या बाना
37	पुल्लुवन वीणा - एक तार वाला वायलिन
38	रावणहत्था
39	लोक सारंगी
40	शास्त्रीय सारंगी
41	सारिंदा
42	तार शहनाई
43	गेथू या झल्लारी
44	गुबगुबा या जमूकू - तालवाद्य स्ट्रिंग वाद्ययंत्र
45	पुल्लुवन कुटम
46	संतूर - हथौड़े वाला कॉर्ड बॉक्स
47	पेपा
48	पुंगी या बीन
49	भारतीय हारमोनियम: डबल रीड
50	कुझल
51	नादस्वरम
52	शहनाई
53	सुंदरी
54	तंगमुरी
55	अलगोजा - डबल बांसुरी
56	बांसुरी
57	वेणु (कर्नाटक बांसुरी) पुल्लांगुझल
58	मशक
59	टिट्टी
60	श्रुति उपंग

61	गोगोना
62	मोरसिंग
63	श्रुति बॉक्स
64	हारमोनियम (हाथ से पंप किया हुआ)
65	एक्कलम
66	करनाल
67	रामसिंगा
68	कहल
69	नागफनी
70	तुरी
71	ढाड
72	डमरू
73	डिमाडी
74	ढोल
75	ढोलक
76	ढोलकी
77	डुग्गी
78	घाट सिंघारी या गदा सिंघारी
79	घुमोट
80	गुम्मेता
81	कंजिरा
82	खोल
83	किनपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84	मदले
85	मरम
86	मिझावू
87	मृदंगम
88	पखावज
89	पखावज जोड़ी - तबला जैसा सिख वाद्ययंत्र

90	पंचमुख वाद्यम
91	पुंग
92	शुद्ध मदालम या मद्दालम
93	तबला/तबल/चमेली - गोब्लेट ड्रम
94	तबला
95	तबला तरंग - तबलों का सेट
96	तमटे
97	थंथी पनाई
98	थिमिला
99	"तुंबक, तुंबकनारी, तुंबकनेर"
100	"डफ, डफ, डफ या डफ डिमडी या डिमरी - बिना जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम"
101	कंजिरा - एक जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम
102	कांसी - बिना जिंगल के छोटा
103	पतायनी थप्पू - हाथों से बजाया जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104	चेंडा
105	डोलू
106	ढाक
107	ढोल
108	ढोली
109	इडक्का
110	थाविल
111	उडुकाई
112	चांडे
113	नगारा - केटलड्रम की जोड़ी
114	पंबाई - दो बेलनाकार ड्रमों की इकाई
115	"पराई थप्पू, हलगी - दो डंडों से बजाया जाने वाला फ्रेम ड्रम"
116	संबल
117	स्टिक डफ या स्टिक डफ - स्टैंड में डफ जिसे डंडों से बजाया जाता है
118	तमक

119	ताशा - एक प्रकार का केटलड्रम
120	उरुमी
121	जलतरंग चिमटा - पीतल के जिंगल के साथ आग का चिमटा
122	चेंगिला - धातु की डिस्क
123	एलथालम
124	गेगेर - पीतल का बर्तन
125	घटम और मटकम (मिट्टी का बर्तन ड्रम)
126	घुंघरू
127	खरताल या चिपल्या
128	मंजीरा या झांझ या ताल
129	नट - मिट्टी का बर्तन
130	संकरजंग - लिथोफोन
131	थाली - धातु की प्लेट
132	थट्टुकझि मन्नई
133	कांच तरंग, एक प्रकार का ग्लास हार्प
134	काष्ठ तरंग, एक प्रकार का जाइलोफोन।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 10/2025-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts inter-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule below, falling under the tariff item, sub-heading, Heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the Integrated Good and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).

SCHEDULE

S. No.	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine

4.	0104	Live sheep and goats
5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> , ducks, geese, turkeys and guinea fowls
6.	0106	Other live animals such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh or chilled
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
10.	03	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
11.	0301	Live fish
12.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, fresh or chilled
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, and other than pre-packaged and labelled
15.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, UHT milk
16.	0403	Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled
17.	0406	Chena or paneer, whether or not pre-packaged and labelled
18.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
19.	0409	Natural honey, other than pre-packaged and labelled
20.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
21.	0504	All goods, fresh or chilled
22.	0504	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
23.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
24.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
25.	0511	Semen including frozen semen
26.	06	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
27.	0701	Potatoes, fresh or chilled
28.	0702	Tomatoes, fresh or chilled
29.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled
30.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled
31.	0705	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium</i> spp.), fresh or chilled
32.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled
33.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled
34.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
35.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
36.	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

37.	0711	Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
38.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared
39.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split other than pre-packaged and labelled
40.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled, dried; sago pith.
41.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, other than pre-packaged and labelled
42.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled, other than pre-packaged and labelled
43.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
44.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
45.	0802	Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
46.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
47.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
48.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresh.
49.	0806	Grapes, fresh
50.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh
51.	0808	Apples, pears and quinces, fresh
52.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh
53.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus <i>vaccinium</i> , Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh
54.	0813	Tamarind dried
55.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
56.	07, 09 or 10	All goods of seed quality
57.	0901	Coffee beans, not roasted
58.	0902	Unprocessed green leaves of tea
59.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries of seed quality
60.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
61.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
62.	1001	Wheat and meslin, other than pre-packaged and labelled
63.	1002	Rye, other than pre-packaged and labelled
64.	1003	Barley, other than pre-packaged and labelled
65.	1004	Oats, other than pre-packaged and labelled
66.	1005	Maize (corn), other than pre-packaged and labelled
67.	1006	Rice, other than pre-packaged and labelled

68.	1007	Grain sorghum, other than pre-packaged and labelled
69.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, other than pre-packaged and labelled
70.	1101	Wheat or meslin flour, other than pre-packaged and labelled
71.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, maize (corn) flour, rye flour etc, other than pre-packaged and labelled
72.	1103	Cereal groats, meal and pellets, other than pre-packaged and labelled
73.	1104	Cereal grains hulled
74.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules or pellets of potatoes, other than pre-packaged and labelled
75.	1106	Flour, meal, powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 1106 10 90)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. other than pre-packaged and labelled
76.	1106 10 10	Guar meal
77.	12	All goods of seed quality
78.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality
79.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality
80.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality
81.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality
82.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality
83.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality
84.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing
85.	1210	Hop cones, fresh
86.	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets
87.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled
88.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled
89.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
90.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
91.	1301	Lac and Shellac
92.	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass
93.	1404 90 40	Betel leaves
94.	1404 90 60	Coconut shell, unworked
95.	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks
96.	1701 or 1702	(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labeled (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled (iii) Rab, other than pre-packaged and labelled
97.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled

98.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, other than pre-packaged and labelled
99.	1905	Pappad, by whatever name it is known
100.	1905 or 2106	Khakhra; Bread (branded or otherwise), Pizza bread, roti, chapathi, paratha, parotta and other Indian breads by any name called
101.	2009 89 90	Tender coconut water other than pre-packaged and labelled
102.	2106	Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc
103.	2201	Water (other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed unit container)
104.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
105.	2301, 2302, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, wheat bran and de-oiled cake other than rice bran
106.	2306	De-oiled rice bran
107.	2306	Cotton seed oil cake
108.	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates including chuni or churi, Khanda
109.	2501	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water
110.	26	Uranium Ore concentrate
111.	2716 00 00	Electrical energy
112.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
113.	30 or any other Chapter	Drugs or medicines listed in Annexure I
114.	3002	Human Blood and its components
115.	3006	All types of contraceptives
116.	3101	All goods and organic manure, other than pre-packaged and labelled
117.	3304	Kajal (other than kajal pencil sticks), Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
118.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
119.	3926	Plastic bangles
120.	4014	Condoms and contraceptives
121.	4016	Erasers
122.	4401	Firewood or fuel wood
123.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
124.	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood
125.	46	Khali Dona; Goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope
126.	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark
127.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorized by the Government
128.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803, used for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
129.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
130.	4820	Exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
131.	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the

		Government of India
132.	4901	Printed books, including Braille books
133.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
134.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
135.	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated
136.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
137.	4907	Duty Credit Scrips
138.	5001	Silkworm laying, cocoon
139.	5002	Raw silk
140.	5003	Silk waste
141.	5101	Wool, not carded or combed
142.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
143.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
144.	52	Gandhi Topi, Khadi yarn
145.	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions/outlets
146.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
147.	5305	Coconut, coir fibre
148.	53	Coir pith compost other than pre-packaged and labelled
149.	63	Indian National Flag
150.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
151.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
152.	69	Idols made of clay
153.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
154.	7117	Bangles of lac/shellac
155.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry other than ghamella.
156.	8214	Pencil sharpeners
157.	8445	Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha
158.	8446	Handloom [weaving machinery]
159.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
160.	9021	Hearing aids
161.	92	Indigenous handmade musical instruments as listed in Annexure II
162.	9603	Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles
163.	9608,9609	Pencils (including propelling or sliding pencils), crayons, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailor's chalk; Slate pencils and chalk sticks
164.	9610 00 00	Slates
165.	9619 00 10 or 9619 00 20	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons
166.	9803	Passenger baggage

167.	Any chapter	Puja samagri namely:- (xi) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (xii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit); (xiii) Wooden khadau; (xiv) Panchamrit, (xv) Vibhuti, (xvi) Unbranded honey (xvii) Wick for diya. (xviii) Roli (xix) Kalava (Raksha sutra) (xx) Chandan tika
168.	-	Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate Central tax, State tax, Union Territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be.
169.	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union Territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union Territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union Territory or local authority in the form of grants
170.	Any Chapter	Parts for manufacture of hearing aids
171.	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)
172.	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause.

Explanation.- For the purposes of this Schedule,-

(a) the expressions, -

- (i) “unit container” means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;
- (ii) “pre-packaged and labelled” means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are “pre-packed” as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder;
- (iii) “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (iv) “Government entity” shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is-
- (a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
- (b) established by any Government,
- with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority;

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Annexure-I

[See S. No. 113 of the Schedule]

List of drugs or medicines	
1.	Gene Therapy
2.	Agalsidase Beta
3.	Imiglucerase
4.	Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
5.	Onasemnogene abeparvovec
6.	Asciminib
7.	Mepolizumab
8.	Pegylated Liposomal Irinotecan
9.	Daratumumab
10.	Daratumumab subcutaneous
11.	Teclistamab
12.	Amivantamab
13.	Alectinib
14.	Risdiplam
15.	Obinutuzumab
16.	Polatuzumab vedotin
17.	Entrectinib
18.	Atezolizumab
19.	Spesolimab
20.	Velaglucerase Alpha
21.	Agalsidase Alfa
22.	Rurioctocog Alpha Pegol
23.	Idursulphatase
24.	Alglucosidase Alfa
25.	Laronidase
26.	Olipudase Alfa
27.	Tepotinib
28.	Avelumab
29.	Emicizumab
30.	Belumosudil
31.	Miglustat
32.	Velmanase Alfa
33.	Alirocumab
34.	Evolocumab
35.	Cystamine Bitartrate
36.	CI-Inhibitor injection
37.	Inclisiran

Annexure-II**[See S. No. 161 of the Schedule]**

List of indigenous handmade musical instruments	
1.	Bulbul Tarang
2.	Dotar, Dotora, or Dotara
3.	Ektara
4.	Getchu Vadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyatra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar
12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	Magadi Veena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena
20.	Nakula Veena
21.	Nanduni
22.	Rudra Veena
23.	Saraswati Veena
24.	Vichitra Veena
25.	Yazh
26.	Ranjan Veena
27.	Triveni Veena
28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	Mayuri Vina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala (violin type)
36.	Pena or Bana
37.	Pulluvan veena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk sarangi
40.	Classical sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument

45.	Pulluvan kutam
46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal
51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari
54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58.	Mashak
59.	Titti
60.	Sruti upanga
61.	Gogona
62.	Morsing
63.	Shruti box
64.	Harmonium (hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad
72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghat singhari or gada singari
79.	Ghumot
80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhobar (tribal drums)
84.	Maddale
85.	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavaj jori - Sikh instrument similar to tabla
90.	Panchamukha vadyam
91.	Pung

92.	Shuddha madalam or Maddalam
93.	Tabala/tabl/chameli - goblet drum
94.	Tabla
95.	Tabla tarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	Thanthi Panai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or duf Dimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle
102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayani thappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu
106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums
114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Parai thappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urumee
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam
124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplaya
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhi mannai
133.	Kanch tarang, a type of glass harp
134.	Kashtha tarang, a type of xylophone.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 10/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 662(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या करने से छोड़ी गई हैं, केंद्र सरकार, यह संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा माल की राज्य के भीतर पूर्तियों पर, जिनका विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, और जो टैरिफ मद , उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत आता है, जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 के अधीन उन पर लगने वाले संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101	जीवित गधे, खच्चर और हिनियां
2.	0102	जीवित गोवंशीय पशु
3.	0103	जीवित सूअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरियां
5.	0105	जीवित मुर्गी, अर्थात्, गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के मुर्गे, बत्तख, हंस, टर्की और गिनी फाउल
6.	0106	अन्य जीवित जानवर जैसे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े
7.	0201	गोवंशीय पशुओं का मांस, ताजा या ठंडा
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी माल, ताजा या ठंडा
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
10.	03	मछली के बीज, झींगा/थ्रिम्प के बीज चाहे संसाधित, उपचारित या जमी हुई अवस्था में हों [अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले और 2.5% आकर्षित करने वाले माल के अलावा]
11.	0301	जीवित मछली
12.	0302	मछली, ताजी या ठंडी, शीर्षक 0304 की मछली पट्टिका (फिलेट्स) और अन्य मछली मांस को छोड़कर

13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडा
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, और प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
15.	0401	ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध, जिसमें अलग किया हुआ दूध, दूध और क्रीम शामिल है, जिसमें चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ नहीं मिलाए गए हैं, यूएचटी दूध
16.	0403	दही, लस्सी, छाछ, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
17.	0406	छेना या पनीर, चाहे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हो या नहीं
18.	0407	पक्षियों के अंडे, छिलके सहित, ताजा, संरक्षित या पके हुए
19.	0409	प्राकृतिक शहद, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
20.	0501	मानव बाल, असंसाधित, चाहे धोया या साफ़ किया गया हो या नहीं; मानव बाल का अपशिष्ट
21.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडा
22.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
23.	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग-कोर, असंसाधित, बसा रहित, सामान्य रूप से तैयार (लेकिन आकार में नहीं काटा गया), एसिड या जिलेटिनयुक्त के साथ उपचारित; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
24.	0507 90	सभी माल अर्थात् खुर का आटा; सींग का आटा; खुर, पंजे, नाखून और चोंच; सींग आदि।
25.	0511	वीर्य जिसमें जमे हुए वीर्य शामिल हैं
26.	06	जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और इसी तरह; कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते
27.	0701	आलू, ताजा या ठंडा
28.	0702	टमाटर, ताजा या ठंडा
29.	0703	प्याज, शलोट, लहसुन, लीक और अन्य एलियासिस सब्जियां, ताजा या ठंडी
30.	0704	पत्तागोभी, फूलगोभी, कोल्हाबी, केल और इसी तरह की खाद्य ब्रैसिका, ताजा या ठंडी
31.	0705	लेट्यूस (लैक्टुका सैटिवा) और चिकोरी (सिकोरियम एसपीपी.), ताजा या ठंडा
32.	0706	गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, साल्सिफाई, सेलेरियक, मूली और इसी तरह की खाद्य जड़ें, ताजा या ठंडी
33.	0707	खीरे और घेरकिन्स, ताजा या ठंडे
34.	0708	फलीदार सब्जियां, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, ताजा या ठंडी।
35.	0709	अन्य सब्जियां, ताजा या ठंडी।
36.	0710	सब्जियां (बिना पकी या भाप में या पानी में उबालकर पकाई हुई), जमी हुई
37.	0711	सब्जियां अस्थायी रूप से संरक्षित, लेकिन उस स्थिति में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
38.	0712	सूखी सब्जियां, साबुत, कटी हुई, टुकड़ों में, टूटी हुई या पाउडर के रूप में, लेकिन

		आगे तैयार नहीं की गई
39.	0713	सूखी फलीदार सब्जियां, छिलके वाली, चाहे छिलका उतारा गया हो या विभाजित किया गया हो, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
40.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, ताजा या ठंडा, सूखा; साबूदाना।
41.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, जमी हुई, चाहे टुकड़ों में या छरों के रूप में, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
42.	08	सूखा मखाना, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
43.	0801	नारियल, ताजा या सूखा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
44.	0801	ब्राजील नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
45.	0802	अन्य मेवे, ताजा जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी), अखरोट, चेस्टनट (केस्टेनिया एसपीपी), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी), सुपारी, पाइन नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
46.	0803	केले, जिसमें प्लांटैन भी शामिल है, ताजा या सूखे
47.	0804	खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मँगोस्टीन, ताजा।
48.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मँडरिन (टेंजेरीन और सत्सुमा सहित); क्लेमेंटाइन, विलिंग्स और इसी तरह के खट्टे संकर, ग्रेपफ्रूट, जिसमें पोमेलो, नींबू (सिट्रस लिमन, सिट्रस लिमोनम) और लाइम (सिट्रस ऑरंटीफोलिया, सिट्रस लैटिफोलिया) शामिल हैं, ताजा।
49.	0806	अंगूर, ताजा
50.	0807	खरबूजे (तरबूज सहित) और पपीते, ताजा
51.	0808	सेब, नाशपाती और क्रिस, ताजा
52.	0809	खुबानी, चेरी, आड़ू (नेक्टरीन सहित), प्लम और स्लो, ताजा
53.	0810	अन्य फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगानबेरी, काले, सफेद या लाल करंट और गूजबेरी, क्रैनबेरी, बिलबेरी और जीनस वैक्सीनियम के अन्य फल, कीवी फल, ड्यूरियन, पर्सिमॉन, अनार, इमली, सपोटा (चीकू), कस्टर्ड-एप्पल (आता), बोर, लीची, ताजा
54.	0813	सूखी इमली
55.	0814	खट्टे फलों या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, ताजा।
56.	07, 09 या 10	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
57.	0901	कॉफी बीन्स, भुनी हुई नहीं
58.	0902	चाय की असंसाधित हरी पत्तियां
59.	0909	सौंफ, बादाम, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; बीज की गुणवत्ता वाले जुनिपर बेरीज
60.	0910 11 10	ताजा अदरक, संसाधित रूप के अलावा

61.	0910 30 10	ताजा हल्दी, संसाधित रूप के अलावा
62.	1001	गेहूं और मेसलिन, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
63.	1002	राई, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
64.	1003	जौ, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
65.	1004	जई, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
66.	1005	मक्का (कॉर्न), प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
67.	1006	चावल, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
68.	1007	अनाज ज्वार, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
69.	1008	बकबीट, बाजरा और कनारी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
70.	1101	गेहूं या मेसलिन का आटा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
71.	1102	गेहूं या मेसलिन के अलावा अनाज का आटा, मक्का (कॉर्न) का आटा, राई का आटा आदि, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
72.	1103	अनाज का दलिया, भोजन और छर्रे, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
73.	1104	छिलका उतरे हुए अनाज
74.	1105	आलू का आटा, भोजन, पाउडर, फ्लेक्स, दाने या छर्रे, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
75.	1106	शीर्षक 0713 की सूखी फलीदार सब्जियों (दालों) का आटा, भोजन, पाउडर [ग्वार मील (टैरीफ मद 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट (टैरीफ मद 1106 10 90) के अलावा], साबूदाना या शीर्षक 0714 की जड़ों या कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों यानी इमली, सिंघाड़ा, आम का आटा आदि का, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
76.	1106 10 10	ग्वार मील
77.	12	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
78.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
79.	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकाई हुई नहीं, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या टूटा हुआ, बीज की गुणवत्ता का
80.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
81.	1205	रेप या कोल्जा के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
82.	1206	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
83.	1207	अन्य तिलहन और तैलीय फल (यानी ताड़ के नट और गिरी, कपास के बीज, अरंडी के तेल के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (करथोमस टिंकोरियस) के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस के बीज, अजवायन, आम की गिरी, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
84.	1209	बीज, फल और बीजाणु, जो बोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बोने के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं हैं
85.	1210	हॉप शंकु, ताजा

86.	1210 10 00	हॉप शंकु, न तो पिसे हुए और न ही पाउडर के रूप में और न ही छरों के रूप में
87.	1211	पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा या ठंडा
88.	1212	टिट्टी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजा या ठंडा
89.	1213	अनाज का भूसा और भूसी, बिना तैयारी के, चाहे कटा हुआ, पिसा हुआ, दबाया हुआ या छरों के रूप में हो
90.	1214	स्वीड, मँगोल्ड, चारा जड़ें, घास, ल्यूसर्न (अल्फाल्फा), तिपतिया घास, सेनफोइन, चारा केल, ल्यूपिन, वेच और इसी तरह के चारा उत्पाद, चाहे छरों के रूप में हों या नहीं
91.	1301	लाख और चपड़ा
92.	1401	साल के पत्ते, सियाली के पत्ते, सिसल के पत्ते, सबई घास
93.	1404 90 40	पान के पत्ते
94.	1404 90 60	नारियल का खोल, असंसाधित
95.	1404 90 90	झाड़ू या झाड़ू की छड़ें बनाने के लिए वनस्पति सामग्री
96.	1701 या 1702	(i) सभी प्रकार का गुड़, जिसमें गन्ने का गुड़, ताड़ का गुड़ शामिल है, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा (ii) खांडसारी चीनी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा (iii) राब, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
97.	1901	बाजरे के आटे का खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
98.	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिड़ा के नाम से जाना जाता है, भुना हुआ चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, चीनी या गुड़ से लेपित भुना हुआ धान या चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
99.	1905	पापड़, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए
100.	1905 या 2106	खाखरा; ब्रेड (ब्रांडेड या अन्यथा), पिज्जा ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, परोटा और किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अन्य भारतीय ब्रेड
101.	2009 89 90	कच्चा नारियल पानी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
102.	2106	धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों आदि द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसादम
103.	2201	पानी (वातायित, खनिज, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, वि-खनिज और सीलबंद इकाई कंटेनर में बेचे जाने वाले पानी के अलावा)
104.	2201	गैर-अल्कोहल वाली ताड़ी, नीरा जिसमें खजूर और ताड़ की नीरा शामिल है
105.	2301, 2302, 2308, 2309	जलीय चारा जिसमें झींगा चारा और प्रॉन चारा, पोल्ट्री चारा और पशु चारा शामिल है, जिसमें घास, भूसा और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की चोकर और डी-ऑयल्ड केक (चावल की भूसी के अलावा) शामिल हैं
106.	2306	डी-ऑयल्ड चावल की भूसी

107.	2306	बिनौला की खली
108.	2302, 2309	दालों की भूसी जिसमें छिलका, सांद्र जिसमें चुनी या चूरी, खंडा शामिल हैं
109.	2501	नमक (टेबल नमक और विकृत नमक सहित) और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल में हो या जिसमें एंटी-केकिंग या फ्री फ्लोइंग एजेंट मिलाए गए हों; समुद्री जल
110.	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र
111.	2716 00 00	विद्युत ऊर्जा
112.	2835	पशु आहार ग्रेड का डाइकैल्शियम फॉस्फेट (डीसीपी) जो भारतीय मानक विनिर्देश संख्या 5470: 2002 के अनुरूप है
113.	30 या कोई अन्य अध्याय	अनुबंध I में सूचीबद्ध दवाएं या औषधियाँ
114.	3002	मानव रक्त और उसके घटक
115.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
116.	3101	सभी माल और जैविक खाद, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
117.	3304	काजल (काजल पेंसिल स्टिक के अलावा), कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता
118.	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
119.	3926	प्लास्टिक की चूड़ियाँ
120.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
121.	4016	रबर
122.	4401	जलाने की लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
123.	4402	लकड़ी का कोयला (खोल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे एग्लोमेरेटेड हो या नहीं
124.	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से बनी मूर्तियाँ
125.	46	खाली दोना; साल के पत्तों, सियाली के पत्तों, सिसल के पत्तों, सवाई घास से बनी वस्तुएं, जिसमें सवाई घास की रस्सी भी शामिल है
126.	46	सभी प्रकार के पत्तों/फूलों/छाल से बनी प्लेटें और कप
127.	4802 / 4907	न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर, कोर्ट फीस स्टॉप जब सरकारी खजाने या सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं
128.	4802	बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, जो लिखने, छपाई या अन्य ग्राफिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में, किसी भी आकार का, शीर्षक 4801 या 4803 के कागज के अलावा, जो व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए उपयोग किया जाता है
129.	4817 / 4907	डाक सामग्री, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि, जो सरकार द्वारा बेचे जाते हैं
130.	4820	व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक
131.	48 या 4907 या 71	रुपये के नोट या सिक्के जब भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचे जाते हैं
132.	4901	मुद्रित पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकों सहित
133.	4902	समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पत्रिकाएँ, चाहे सचित्र हों या विज्ञापन सामग्री युक्त हों

134.	4903	बच्चों की चित्र, ड्राइंग या रंग भरने वाली किताबें
135.	4904 00 00	संगीत, मुद्रित या पांडुलिपि में, चाहे जिल्दबद्ध हो या सचित्र हो
136.	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
137.	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप
138.	5001	रेशम के कीड़े का अंडा, कोकून
139.	5002	कच्चा रेशम
140.	5003	रेशम अपशिष्ट
141.	5101	ऊन, कार्डेड या कंधी नहीं किया हुआ
142.	5102	महीन या मोटे पशु बाल, कार्डेड या कंधी नहीं किए हुए
143.	5103	ऊन या महीन या मोटे पशु बालों का अपशिष्ट
144.	52	गांधी टोपी, खादी धागा
145.	50 से 55	खादी का कपड़ा, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केवीआईसी प्रमाणित संस्थानों/आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है
146.	5303	जूट फाइबर, कच्चा या संसाधित लेकिन काटा नहीं गया
147.	5305	नारियल, कॉयर फाइबर
148.	53	कॉयर पिथ कम्पोस्ट, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
149.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
150.	6703	मानव बाल, संवारे हुए, पतले, ब्लिच किए हुए या अन्यथा काम किए हुए
151.	6912 00 40	मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के दीपक
152.	69	मिट्टी से बनी मूर्तियाँ
153.	7018	कांच की चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियों को छोड़कर)
154.	7117	लाख/चपड़ा की चूड़ियाँ
155.	8201	कृषि उपकरण जो हाथ से या पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं, यानी हाथ के औजार, जैसे फावड़ा, बेलचा, कुदाल, गैंती, कुदाल, कांटा और रेक; कुल्हाड़ी, बिल हुक और इसी तरह के काटने के उपकरण; किसी भी प्रकार के सिकैटर और पूनर; दरांती, हँसिया, घास काटने वाले चाकू, हेज शियर्स, लकड़ी की कीलें और कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण, घमेला के अलावा।
156.	8214	पेंसिल शार्पनर
157.	8445	सूत की हाथ से कताई के लिए चरखा, जिसमें अंबर चरखा भी शामिल है
158.	8446	हथकरघा [बुनाई मशीनरी]
159.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और सबऑर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन
160.	9021	श्रवण यंत्र
161.	92	अनुबंध II में सूचीबद्ध स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र
162.	9603	सरकंडा से बने मुट्ठे, झाड़ू या ब्रश, जिसमें टहनियाँ या अन्य वनस्पति सामग्री होती

		है, एक साथ बंधी होती है, हैंडल के साथ या बिना
163.	9608,9609	पेंसिल (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित), क्रेयॉन, पेस्टल, ड्राइंग चारकोल, लिखने या ड्राइंग चॉक और दर्जी का चॉक; स्लेट पेंसिल और चॉक स्टिक
164.	9610 00 00	स्लेट
165.	9619 00 10 या 9619 00 20	सैनिटरी टॉवेल (पैड) या सैनिटरी नैपकिन; टैम्पोन
166.	9803	यात्री सामान
167.	कोई अध्याय	पूजा सामग्री अर्थात्: -, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊं; पंचामृत,, विभूति,, बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टीका
168.	-	राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लॉटरी की आपूर्ति, इस शर्त के अधीन कि ऐसी लॉटरी की आपूर्ति पर उचित केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया गया हो, जब राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त लॉटरी वितरक या बिक्री एजेंट को आपूर्ति की जाती है।
169.	-	एक सरकारी इकाई द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को माल की आपूर्ति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के बदले में।
170.	कोई भी अध्याय	श्रवण यंत्र के निर्माण के लिए पुर्जे
171.	कोई भी अध्याय 71 को छोड़कर	राखी (अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले माल से बनी राखियों के अलावा)
172.	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री, या किसी भी लोक सेवक द्वारा प्राप्त उपहार वस्तुओं की आपूर्ति, सरकार द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से, जहां नीलामी की आय का उपयोग सार्वजनिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाना है।

स्पष्टीकरण- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,-

(क) अभिव्यक्तियाँ, -

(i) "यूनिट कंटेनर" का अर्थ है एक पैकेज, चाहे बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो एक पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया है;

(ii) "प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हुआ" का अर्थ है वे सभी वस्तुएं जो खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (I) में परिभाषित "प्री-पैकेज्ड" हैं, जहां, जिस पैकेज में वस्तु प्री-पैकेज्ड है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं करना आवश्यक है;

(ii) "टैरिफ आइटम", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का क्रमशः अर्थ होगा एक टैरिफ आइटम, शीर्षक, उप-शीर्षक और

अध्याय जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है;

(iv) "सरकारी इकाई" का अर्थ एक प्राधिकरण या एक बोर्ड या कोई अन्य निकाय होगा जिसमें एक सोसायटी, ट्रस्ट, निगम शामिल है, जो है-

(क) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित; या

(ख) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित,

इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी के साथ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए;

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की व्याख्या के नियम, जिसमें अनुभाग और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स शामिल हैं, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

अनुबंध-I

[अनुसूची की क्रम संख्या 113 देखें]

दवाओं या औषधियों की सूची	
1	जीन थेरेपी
2	अगालसिडेस बीटा
3	इमिग्लुसेरेस
4	इफ्टाकॉग अल्फा एक्टिवेटिड रेकोम्बिनेंट कोएगुलेशन फैक्टर VII ए
5	ओनासेमनोजीन अबेपारवोवेक
6	एस्सिमिनिब
7	मेपोलिज़ुमैब
8	पेगिलेटेड लाइपोसोमल इरिनोटेकन
9	डाराटुमुमैब
10	डाराटुमुमैब सबक्यूटेनियस
11	टेक्लिस्टामैब
12	एमीवेंटामैब
13	एलेक्टिनिब
14	रिसडिप्लाम

15	ओबिनुटुजुमैब
16	पोलाटुजुमैब वेडोटिन
17	एंटेक्टिनिब
18	एटिज़ोलिज़ुमैब
19	स्पेज़ोलिमैब
20	वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा
21	अगालसिडेस अल्फा
22	रुरियोक्टोकोज अल्फा पेगोल
23	इडुरसल्फेटेज़
24	एल्लुकोसिडेज़ अल्फा
25	लैरोनिडेज़
26	ओलिपुडेज़ अल्फा
27	टेपोटिनिब
28	एवूलमैब
29	एमिसिज़ुमैब
30	बेलुमोसुडिल
31	मिग्लूस्टैट
32	वेलमानेज़ अल्फा
33	एलिरोक्यूमैब
34	इवोलोक्यूमैब
35	सिस्टामाइन बिटारट्रेट
36	सी1-इनहिबिटर इंजेक्शन
37	इनक्लिसिरन

अनुबंध-II

[अनुसूची का क्रम संख्या 161 देखें]

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची	
1	बुलबुल तरंग

2	"दोतार, दोतोरा, या दोतारा"
3	एकतारा
4	गेच्चू वाद्यम या झल्लारी
5	गोपीचंद या गोपियंत्र या खमक
6	गोट्टूवाद्यम या चित्रवीणा
7	काठो
8	सरोद
9	सितार
10	सुरबहार
11	सुरश्रृंगार
12	स्वरबत
13	स्वरमंडल
14	तंबूरा
15	तुंबी
16	तुनतुना
17	मगदी वीणा
18	हंसवीणा
19	मोहन वीणा
20	नकुल वीणा
21	नंदुनी
22	रुद्र वीणा
23	सरस्वती वीणा
24	विचित्र वीणा
25	याज्ञ
26	रंजन वीणा
27	त्रिवेणी वीणा
28	चिकारा
29	दिलरुबा
30	एकतारा वायलिन

31	इसराज
32	कमाइचा
33	मयूरी वीणा या ताऊस
34	ओनाविल्लु
35	बेहाला (वायलिन प्रकार)
36	पेना या बाना
37	पुल्लुवन वीणा - एक तार वाला वायलिन
38	रावणहत्था
39	लोक सारंगी
40	शास्त्रीय सारंगी
41	सारिंदा
42	तार शहनाई
43	गेथू या झल्लारी
44	गुबगुबा या जमूकू - तालवाद्य स्ट्रिंग वाद्ययंत्र
45	पुल्लुवन कुटम
46	संतूर - हथौड़े वाला कॉर्ड बॉक्स
47	पेपा
48	पुंगी या बीन
49	भारतीय हारमोनियम: डबल रीड
50	कुझल
51	नादस्वरम
52	शहनाई
53	सुंदरी
54	तंगमुरी
55	अलगोजा - डबल बांसुरी
56	बांसुरी
57	वेणु (कर्नाटक बांसुरी) पुल्लांगुझल
58	मशक
59	टिट्टी

60	श्रुति उपंग
61	गोगोना
62	मोरसिंग
63	श्रुति बॉक्स
64	हारमोनियम (हाथ से पंप किया हुआ)
65	एक्कलम
66	करनाल
67	रामसिंगा
68	कहल
69	नागफनी
70	तुरी
71	ढाड
72	डमरू
73	डिमाडी
74	ढोल
75	ढोलक
76	ढोलकी
77	डुग्गी
78	घाट सिंघारी या गदा सिंघारी
79	घुमोट
80	गुम्मेता
81	कंजिरा
82	खोल
83	किनपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84	मदले
85	मरम
86	मिझावू
87	मृदंगम
88	पखावज

89	पखावज जोड़ी - तबला जैसा सिख वाद्ययंत्र
90	पंचमुख वाद्यम
91	पुंग
92	शुद्ध मदालम या मद्दालम
93	तबला/तबल/चमेली - गोब्लेट ड्रम
94	तबला
95	तबला तरंग - तबलों का सेट
96	तमटे
97	थंथी पनाई
98	थिमिला
99	"तुंबक, तुंबकनारी, तुंबकनेर"
100	"डफ, डफ, डफ या डफ डिमडी या डिमरी - बिना जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम"
101	कंजिरा - एक जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम
102	कांसी - बिना जिंगल के छोटा
103	पतायनी थप्पू - हाथों से बजाया जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104	चेंडा
105	डोलू
106	ढाक
107	ढोल
108	ढोली
109	इडक्का
110	थाविल
111	उडुकाई
112	चांडे
113	नगारा - केटलड्रम की जोड़ी
114	पंबाई - दो बेलनाकार ड्रमों की इकाई
115	"पराई थप्पू, हलगी - दो डंडों से बजाया जाने वाला फ्रेम ड्रम"
116	संबल

117	स्टिक डफ या स्टिक डफ - स्टैंड में डफ जिसे डंडों से बजाया जाता है
118	तमक
119	ताशा - एक प्रकार का केटलड्रम
120	उरुमी
121	जलतरंग चिमटा - पीतल के जिंगल के साथ आग का चिमटा
122	चेंगिला - धातु की डिस्क
123	एलथालम
124	गेगेर - पीतल का बर्तन
125	घटम और मटकम (मिट्टी का बर्तन ड्रम)
126	घुंघरू
127	खरताल या चिपल्या
128	मंजीरा या झांझ या ताल
129	नट - मिट्टी का बर्तन
130	संकरजंग - लिथोफोन
131	थाली - धातु की प्लेट
132	थट्टुकझि मन्नई
133	कांच तरंग, एक प्रकार का ग्लास हार्प
134	काष्ठ तरंग, एक प्रकार का जाइलोफोन।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 10/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule below, falling under the tariff item, sub-heading, Heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of Union territory tax as leviable thereon under section 7 of the Union Territory Good and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017).

SCHEDULE

S. No.	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine
4.	0104	Live sheep and goats
5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls
6.	0106	Other live animals such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh or chilled
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
10.	03	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
11.	0301	Live fish
12.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, fresh or chilled
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, and other than pre-packaged and labelled
15.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, UHT milk
16.	0403	Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled
17.	0406	Chena or paneer, whether or not pre-packaged and labelled
18.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
19.	0409	Natural honey, other than pre-packaged and labelled
20.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
21.	0504	All goods, fresh or chilled
22.	0504	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
23.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
24.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
25.	0511	Semen including frozen semen
26.	06	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
27.	0701	Potatoes, fresh or chilled
28.	0702	Tomatoes, fresh or chilled
29.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled

30.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled
31.	0705	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium</i> spp.), fresh or chilled
32.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled
33.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled
34.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
35.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
36.	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
37.	0711	Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
38.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared
39.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split other than pre-packaged and labelled
40.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled, dried; sago pith.
41.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, other than pre-packaged and labelled
42.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled, other than pre-packaged and labelled
43.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
44.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
45.	0802	Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
46.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
47.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
48.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresh.
49.	0806	Grapes, fresh
50.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh
51.	0808	Apples, pears and quinces, fresh
52.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh
53.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus <i>vaccinium</i> , Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh
54.	0813	Tamarind dried
55.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
56.	07, 09 or 10	All goods of seed quality
57.	0901	Coffee beans, not roasted
58.	0902	Unprocessed green leaves of tea
59.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries of seed quality

60.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
61.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
62.	1001	Wheat and meslin, other than pre-packaged and labelled
63.	1002	Rye, other than pre-packaged and labelled
64.	1003	Barley, other than pre-packaged and labelled
65.	1004	Oats, other than pre-packaged and labelled
66.	1005	Maize (corn), other than pre-packaged and labelled
67.	1006	Rice, other than pre-packaged and labelled
68.	1007	Grain sorghum, other than pre-packaged and labelled
69.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, other than pre-packaged and labelled
70.	1101	Wheat or meslin flour, other than pre-packaged and labelled
71.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, maize (corn) flour, rye flour etc, other than pre-packaged and labelled
72.	1103	Cereal groats, meal and pellets, other than pre-packaged and labelled
73.	1104	Cereal grains hulled
74.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules or pellets of potatoes, other than pre-packaged and labelled
75.	1106	Flour, meal, powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 1106 10 90)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. other than pre-packaged and labelled
76.	1106 10 10	Guar meal
77.	12	All goods of seed quality
78.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality
79.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality
80.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality
81.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality
82.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality
83.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality
84.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing
85.	1210	Hop cones, fresh
86.	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets
87.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled
88.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled
89.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
90.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
91.	1301	Lac and Shellac
92.	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass
93.	1404 90 40	Betel leaves

94.	1404 90 60	Coconut shell, unworked
95.	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks
96.	1701 or 1702	(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labeled (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled (iii) Rab, other than pre-packaged and labelled
97.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled
98.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, other than pre-packaged and labelled
99.	1905	Pappad, by whatever name it is known
100.	1905 or 2106	Khakhra; Bread (branded or otherwise), Pizza bread, roti, chapathi, paratha, parotta and other Indian breads by any name called
101.	2009 89 90	Tender coconut water other than pre-packaged and labelled
102.	2106	Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc
103.	2201	Water (other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed unit container)
104.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
105.	2301, 2302, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, wheat bran and de-oiled cake other than rice bran
106.	2306	De-oiled rice bran
107.	2306	Cotton seed oil cake
108.	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates including chuni or churi, Khanda
109.	2501	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water
110.	26	Uranium Ore concentrate
111.	2716 00 00	Electrical energy
112.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
113.	30 or any other Chapter	Drugs or medicines listed in Annexure I
114.	3002	Human Blood and its components
115.	3006	All types of contraceptives
116.	3101	All goods and organic manure, other than pre-packaged and labelled
117.	3304	Kajal (other than kajal pencil sticks), Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
118.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
119.	3926	Plastic bangles
120.	4014	Condoms and contraceptives
121.	4016	Erasers
122.	4401	Firewood or fuel wood
123.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
124.	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood
125.	46	Khali Dona; Goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope
126.	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark
127.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the

		Government Treasuries or Vendors authorized by the Government
128.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803, used for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
129.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
130.	4820	Exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
131.	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India
132.	4901	Printed books, including Braille books
133.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
134.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
135.	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated
136.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
137.	4907	Duty Credit Scripts
138.	5001	Silkworm laying, cocoon
139.	5002	Raw silk
140.	5003	Silk waste
141.	5101	Wool, not carded or combed
142.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
143.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
144.	52	Gandhi Topi, Khadi yarn
145.	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions/outlets
146.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
147.	5305	Coconut, coir fibre
148.	53	Coir pith compost other than pre-packaged and labelled
149.	63	Indian National Flag
150.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
151.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
152.	69	Idols made of clay
153.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
154.	7117	Bangles of lac/shellac
155.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry other than ghamella.
156.	8214	Pencil sharpeners
157.	8445	Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha
158.	8446	Handloom [weaving machinery]
159.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
160.	9021	Hearing aids
161.	92	Indigenous handmade musical instruments as listed in Annexure II
162.	9603	Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles

163.	9608,9609	Pencils (including propelling or sliding pencils), crayons, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailor's chalk; Slate pencils and chalk sticks
164.	9610 00 00	Slates
165.	9619 00 10 or 9619 00 20	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons
166.	9803	Passenger baggage
167.	Any chapter	Puja samagri namely:- (xxi) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (xxii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit); (xxiii) Wooden khadau; (xxiv) Panchamrit, (xxv) Vibhuti, (xxvi) Unbranded honey (xxvii) Wick for diya. (xxviii) Roli (xxix) Kalava (Raksha sutra) (xxx) Chandan tika
168.	-	Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate Central tax, State tax, Union Territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be.
169.	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union Territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union Territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union Territory or local authority in the form of grants
170.	Any Chapter	Parts for manufacture of hearing aids
171.	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)
172.	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause.

Explanation.- For the purposes of this Schedule,-

(a) the expressions, -

- (i) “unit container” means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;
- (ii) “pre-packaged and labelled” means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are “pre-packed” as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder;
- (iii) “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff

Act, 1975 (51 of 1975);

(iv) “Government entity” shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is-

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority;

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Annexure-I

[See S. No. 113 of the Schedule]

List of drugs or medicines	
1.	Gene Therapy
2.	Agalsidase Beta
3.	Imiglucerase
4.	Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
5.	Onasemnogene abeparvovec
6.	Asciminib
7.	Mepolizumab
8.	Pegylated Liposomal Irinotecan
9.	Daratumumab
10.	Daratumumab subcutaneous
11.	Teclistamab
12.	Amivantamab
13.	Alectinib
14.	Risdiplam
15.	Obinutuzumab
16.	Polatuzumab vedotin
17.	Entrectinib
18.	Atezolizumab
19.	Spesolimab
20.	Velaglucerase Alpha
21.	Agalsidase Alfa
22.	Rurioctocog Alpha Pegol
23.	Idursulphatase
24.	Alglucosidase Alfa
25.	Laronidase
26.	Olipudase Alfa
27.	Tepotinib
28.	Avelumab
29.	Emicizumab
30.	Belumosudil

31.	Miglustat
32.	Velmanase Alfa
33.	Alirocumab
34.	Evolocumab
35.	Cystamine Bitartrate
36.	CI-Inhibitor injection
37.	Inclisiran

Annexure-II

[See S. No. 161 of the Schedule]

List of indigenous handmade musical instruments	
1.	Bulbul Tarang
2.	Dotar, Dotor, or Dotara
3.	Ektara
4.	Getchu Vadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyatra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar
12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	Magadi Veena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena
20.	Nakula Veena
21.	Nanduni
22.	Rudra Veena
23.	Saraswati Veena
24.	Vichitra Veena
25.	Yazh
26.	Ranjan Veena
27.	Triveni Veena
28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	Mayuri Vina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala (violin type)
36.	Pena or Bana

37.	Pulluvan veena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk sarangi
40.	Classical sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45.	Pulluvan kutam
46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal
51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari
54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58.	Mashak
59.	Titti
60.	Sruti upanga
61.	Gogona
62.	Morsing
63.	Shruti box
64.	Harmonium (hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad
72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghat singhari or gada singari
79.	Ghumot
80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhovar (tribal drums)

84.	Maddale
85.	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavaj jori - Sikh instrument similar to tabla
90.	Panchamukha vadyam
91.	Pung
92.	Shuddha madalam or Maddalam
93.	Tabala/tabl/chameli - goblet drum
94.	Tabla
95.	Tabla tarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	Thanthi Panai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or duf Dimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle
102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayani thappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu
106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums
114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Parai thappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urume
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam
124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplya
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone

131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhi mannai
133.	Kanch tarang, a type of glass harp
134.	Kashtha tarang, a type of xylophone.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266209
CG-DL-E-17092025-266209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]
No. 597]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

संख्या 09/2025-केन्द्रीय कर(दर)

सा.का.नि. 641(अ).—केंद्र सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छूटी हुई बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा केन्द्रीय कर की दर को अधिसूचित करती है-

- अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 2.5 प्रतिशत;
- अनुसूची II में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 9 प्रतिशत;
- अनुसूची III में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 20 प्रतिशत;
- अनुसूची IV में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 1.5 प्रतिशत;
- अनुसूची V में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 0.125 प्रतिशत;

(vi) अनुसूची VI में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 0.75 प्रतिशत; और

(vii) अनुसूची VII में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 14 प्रतिशत,

इस अधिसूचना के साथ संलग्न (जिसे इसके पश्चात् उक्त अनुसूचियां कहा जाएगा) माल की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिसका विवरण उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कि टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (2) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट है।

अनुसूची I – 2.5%

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101 21 00, 0101 29	जीवित घोड़े
2.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
3.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
4.	0402	दूध और क्रीम, गाढ़ा या चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हुआ, जिसमें गाढ़ा दूध भी शामिल है
5.	0403	दही; क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीय दूध और क्रीम, (चाहे या नहीं) सांद्रित या चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हुआ या सुगंधित या फल, मेवे या कोको मिला हुआ; पूर्व-पैक और लेबल लगा हुआ दही, लस्सी और छाछ
6.	0404	मट्ठा, चाहे सांद्रित हो या नहीं या इसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो; प्राकृतिक दूध के घटकों से बने उत्पाद, चाहे इसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो
7.	0405	मक्खन और दूध से प्राप्त अन्य वसा और तेल, जिसमें घी भी शामिल है; डेयरी स्प्रेड
8.	0406	पनीर, छेना या पनीर के अलावा
9.	0408	पक्षियों के अंडे, बिना खोल के, तथा अंडे की जर्दी, ताज़ा, सूखी, भाप से पकाई गई या पानी में उबालकर, ढाली गई, जमाई गई या अन्यथा संरक्षित, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं
10.	0409	प्राकृतिक शहद, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
11.	0410	पशु मूल के कीड़े और अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
12.	0502	सूअर, सुअर या सूअर के बाल और झाड़; बेजर के बाल और अन्य ब्रश बनाने वाले बाल; ऐसे झाड़ या झाड़ का अपशिष्ट
13.	0504	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
14.	0505	पक्षियों की खालें और अन्य भाग, उनके पंख या नीचे, पंख और पंखों के भाग (चाहे किनारों को काटा गया हो या नहीं) और नीचे, जिन्हें साफ करने, रोगाणुरहित करने या संरक्षण के लिए उपचारित करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया हो; पंखों या पंखों के भागों का चूर्ण और अपशिष्ट
15.	0507 (050790 को छोड़कर)	हाथी दांत, कछुए का खोल, व्हेल की हड्डी और व्हेल की हड्डी के बाल, सींग, बिना काम किए या केवल तैयार किए गए लेकिन

		आकार में काटे नहीं गए; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
16.	0508	मूंगा और इसी प्रकार की सामग्री, बिना काम की हुई या केवल तैयार की गई, लेकिन अन्यथा काम में नहीं ली गई; मोलस्क, क्रस्टेशियन या इकाइनोडर्म के कवच और कटल-बोन, बिना काम की हुई या केवल तैयार की गई, लेकिन आकार में नहीं काटी गई, उसका पाउडर और अपशिष्ट
17.	0510	एम्बरग्रीस, कैस्टोरियम, सिवेट और कस्तूरी; कैंथराइड्स; पित्त, चाहे सूखा हो या नहीं; ग्रंथियां और अन्य पशु उत्पाद जो दवा उत्पादों की तैयारी में उपयोग किए जाते हैं, ताजा, ठंडा, जमे हुए या अन्यथा अनंतिम रूप से संरक्षित
18.	0511	पशु उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; अध्याय 1 या 3 के मृत पशु, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त, वीर्य के अलावा, जिसमें जमे हुए वीर्य भी शामिल है
19.	07	जड़ी बूटी, छाल, सूखा पौधा, सूखी जड़, जिसे आमतौर पर जरीबूटी और सूखा फूल के नाम से जाना जाता है
20.	0713	सूखी फलीदार सब्जियाँ, छिलके सहित, छिलका सहित या बिना छिलके सहित, पूर्व-पैक और लेबल सहित; ग्वार गम, परिष्कृत विभाजित
21.	0714	मेनिओक, अरारोट, सालेप, जेरूसलम आर्टिचोक, शकरकंद और इसी तरह की जड़ें और कंद जिनमें स्टार्च या इनुलिन की मात्रा अधिक हो, जमे हुए, कटे हुए या गोलियों के रूप में, पहले से पैक और लेबल किए हुए
22.	0801	काजू, चाहे छिलके सहित हों या नहीं, सूखे नारियल; ब्राजील नट्स, सूखे, चाहे छिलके सहित हों या नहीं
23.	0802	सूखे सुपारी, छिलके सहित या बिना छिलके वाले; अन्य सूखे मेवे, छिलके सहित या बिना छिलके वाले, जैसे बादाम, हेज़लनट या फ़िल्बर्ट (कोरिलस प्रजाति), शाहबलूत (कास्टानिया प्रजाति), पिस्ता, मैकाडामिया नट, कोला नट (कोला प्रजाति), पाइन नट, शाहबलूत (सिंघाड़ा), अखरोट, छिलके सहित या बिना छिलके वाले
24.	0802, 0813	शाहबलूत (सिंघाड़ा), सूखा हुआ (चाहे हो या नहीं) छिला हुआ या छिला हुआ
25.	08	सूखा मखाना, चाहे छिला हुआ हो या नहीं, पहले से पैक और लेबल लगा हुआ
26.	0804	खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन, सूखे
27.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मैडरिन (कीनू और सत्सुमा सहित); क्लेमेंटाइन, विल्लिंग और इसी तरह के खट्टे संकर, अंगूर, पोमेलो सहित, नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और लाइम (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया), सूखे
28.	0806	अंगूर, सूखे अंगूर और किशमिश
29.	0811	फल और मेवे, बिना पके या भाप में पकाए या पानी में उबालकर, जमे हुए, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं
30.	0812	फल और मेवे, अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, नमकीन पानी में, सल्फर जल में या अन्य परिरक्षक घोल में), लेकिन उस अवस्था में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त

31.	0813	फल, सूखा, शीर्षक 0801 से 0806 के अलावा; अध्याय 8 के मेवों या सूखे फलों का मिश्रण [सूखी इमली के अलावा]
32.	0814	खट्टे फल या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, जमे हुए, सूखे या अस्थायी रूप से नमकीन पानी, सल्फर जल या अन्य परिरक्षक घोल में संरक्षित
33.	0901	भुनी हुई कॉफी, चाहे कैफीन रहित हो या नहीं; कॉफी के छिलके और छिलके; किसी भी अनुपात में कॉफी युक्त कॉफी के विकल्प [भुनी हुई कॉफी बीन्स के अलावा]
34.	0902	चाय, स्वादयुक्त हो या न हो [चाय की अप्रसंस्कृत हरी पत्तियों के अलावा]
35.	0903	साथी
36.	0904	पाइपर वंश की काली मिर्च; कैप्सिकम वंश या पिमेंटा वंश के सूखे या कुचले या पिसे हुए फल
37.	0905	वेनिला
38.	0906	दालचीनी और दालचीनी के पेड़ के फूल
39.	0907	लौंग (पूरा फल, लौंग और डंठल)
40.	0908	जायफल, जावित्री और इलायची
41.	0909	सौंफ, बदायन, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; जुनिपर बेरीज [बीज की गुणवत्ता के अलावा]
42.	0910 [0910 11 10, 0910 30 10 के अलावा]	अदरक (के अलावा) ताजा अदरक, केसर, हल्दी (करकुमा) (के अलावा) ताजा हल्दी, थाइम, तेजपत्ता, करी और अन्य मसाले
43.	1001	गेहूं और मेस्लिन, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
44.	1002	राई, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
45.	1003	जौ, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
46.	1004	ओट्स, पहले से पैक और लेबल किए हुए
47.	1005	मक्का (मक्का), पूर्व-पैक और लेबल किया हुआ
48.	1006	चावल, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
49.	1007	अनाज ज्वार, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
50.	1008	कुट्टू, बाजरा और कैनरी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
51.	1101	गेहूं या मेस्लिन का आटा, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
52.	1102	गेहूं या मेस्लिन के अलावा अन्य अनाज आटा, जैसे मक्का (मकई) का आटा, राई का आटा, आदि, पूर्व-पैक और लेबल किया हुआ
53.	1103	अनाज के दाने, आटा और दाने, जिनमें सूजी और दलिया भी शामिल हैं, पहले से पैक और लेबल लगे हुए
54.	1104	शीर्ष 1006 के चावल को छोड़कर, अन्यथा संसाधित अनाज (उदाहरण के लिए, रोल किए हुए, परतदार, मोतीदार, कटे हुए या किब्ल्ड); अनाज के बीज, पूरे, रोल किए हुए, परतदार या पीसे हुए (छिलके वाले अनाज के अलावा)
55.	1105	आटा, आटा, पाउडर, फ्लेक्स, दाने और आलू की गोलियाँ, पहले से पैक और लेबल किए हुए
56.	1106	शीर्ष 0713 (दालें) की सूखी फलीदार सब्जियों का आटा, चूर्ण और पाउडर [ग्वार चूर्ण (एचएस 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट (एचएस 0713) के अलावा], शीर्ष 0714 के साबूदाना या जड़ों या कंदों का आटा, चूर्ण या अध्याय 8 के उत्पाद, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त

57.	1107	माल्ट, भुना हुआ हो या नहीं
58.	1108	स्टार्च; इनुलिन
59.	1109 00 00	गेहूं ग्लूटेन, चाहे सूखा हो या नहीं
60.	12	बीज की गुणवत्ता के अलावा सभी सामान
61.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटी हुई हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
62.	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकी हुई नहीं, चाहे छिलके वाली हो या टूटी हुई, बीज की गुणवत्ता के अलावा
63.	1203	खोपरा
64.	1204	अलसी, चाहे टूटी हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
65.	1205	रेपसीड या कोलज़ा के बीज, चाहे वे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा।
66.	1206	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
67.	1207	अन्य तेल बीज और तेलयुक्त फल (अर्थात् ताड़ के बीज और गुठली, कपास के बीज, अरंडी के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (कार्थमस टिक्टोरियस) के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस, अजवायन, आम की गुठली, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटे हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा अन्य
68.	1208	तिलहन या तेलयुक्त फलों का आटा और भोजन, सरसों के अलावा
69.	1209	इमली के बीज ब्रोने के अलावा किसी भी अन्य उपयोग के लिए
70.	1210 20 00	हॉप शंकु, पीसे हुए, चूर्णित या छरों के रूप में; ल्यूपुलिन
71.	1211	पौधे और पौधों के भाग (बीज और फल सहित), जिनका उपयोग मुख्य रूप से सुगंधशाला, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशक या इसी तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जमे हुए या सूखे हुए, कटे हुए, कुचले हुए या चूर्णित हों या नहीं
72.	1212	टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, जमे हुए या सूखे, (चाहे पीसे हुए हों या नहीं); फल की गुठली और गिरी और अन्य वनस्पति उत्पाद (इसमें) सिचोरियम इंटीबस सैटिवम किस्म की बिना भुनी हुई चिकोरी जड़ें शामिल हैं) जो मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
73.	1301	प्राकृतिक गोंद, रेजिन, गोंद-रेजिन और ओलियोरेसिन (उदाहरण के लिए, बाल्सम) [लाख और शैलैक के अलावा]; मिश्रित हींग जिसे आमतौर पर हींग के नाम से जाना जाता है
74.	1302	वनस्पति रस और अर्क; पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेट और पेक्टेट; अगर-अगर और अन्य म्यूसिलेज और गाढ़ा करने वाले पदार्थ, संशोधित हों या न हों, वनस्पति उत्पादों से प्राप्त, जिनमें इमली की गिरी का पाउडर भी शामिल है
75.	1401	वनस्पति सामग्री जो मुख्य रूप से बुनाई के लिए उपयोग की जाती है (उदाहरण के लिए, बांस, रतन, नरकट, सरकंडे, ओसियर, राफिया, साफ, प्रक्षालित या रंगे अनाज के भूसे, और चूने की छाल)
76.	1404 [1404 90 40, 1404 90 60 के अलावा]	वनस्पति उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कपास के लिंटर, सोप नट्स, कठोर बीज, बीज, छिलके और मेवे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से नक्काशी के लिए किया जाता है, रुद्राक्ष के बीज, बीड़ी के पत्ते (तेंदु), भारतीय कत्था [के अलावा] पान के पत्ते, बिना काम किया हुआ नारियल का खोल]

77.	1404 या 3305	शंकु में मेहंदी का पेस्ट
78.	1501	सूअर की चर्बी (जिसमें चर्बी भी शामिल है) और कुक्कुट की चर्बी, शीर्षक 0209 या 1503 के अलावा
79.	1502	गोजातीय पशुओं, भेड़ या बकरियों की वसा, शीर्ष 1503 के अंतर्गत आने वाली वसा को छोड़कर
80.	1503	लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, ओलियो स्टीयरिन, ओलियो-तेल और टैलो तेल, इमल्सीफाइड या मिश्रित या अन्यथा तैयार नहीं
81.	1504	मछली या समुद्री स्तनधारियों के वसा और तेल और उनके अंश, (चाहे परिष्कृत हों या नहीं), लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
82.	1505	ऊन का ग्रीस और उससे प्राप्त वसायुक्त पदार्थ (लैनोलिन सहित)
83.	1506	अन्य पशु वसा और तेल और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
84.	1507	सोयाबीन तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
85.	1508	मूंगफली का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
86.	1509	जैतून का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
87.	1510	अन्य तेल और उनके अंश, जो केवल जैतून से प्राप्त होते हैं, परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं, जिनमें शीर्षक 1509 के तेलों या अंशों के साथ इन तेलों या अंशों का मिश्रण शामिल है
88.	1511	पाम तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
89.	1512	सूरजमुखी के बीज, कुसुम या कपास के बीज का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
90.	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासु तेल और उसके अंश, (चाहे परिष्कृत हों या नहीं), लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
91.	1514	रेपसीड, कोल्ज़ा या सरसों का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
92.	1515	अन्य निश्चित वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
93.	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके अंश, आंशिक या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्टरीकृत, पुनः-एस्टरीकृत या एलाडिनीकृत, परिष्कृत, लेकिन आगे तैयार नहीं
94.	1516	पशु या सूक्ष्मजीवी वसा और पशु या सूक्ष्मजीवी तेल और उनके अंश, आंशिक या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्टरीकृत, पुनः-एस्टरीकृत या एलाडिनीकृत, परिष्कृत, लेकिन आगे तैयार नहीं
95.	1517	मार्जरीन, लिनोक्सिन; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंशों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां, शीर्ष 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों के अलावा
96.	1518	पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल, उनके अंश, उबले

		हुए, ऑक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरीकृत, उड़ाए हुए, निर्वात में या निष्क्रिय गैस में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्ष 1516 के अंशों को छोड़कर; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंशों के अखाद्य मिश्रण या तैयारियां, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
97.	1520 00 00	ग्लिसरॉल, कच्चा; ग्लिसरॉल जल और ग्लिसरॉल लाइस
98.	1521	वनस्पति मोम (ट्राइग्लिसराइड्स के अलावा), मोम, अन्य कीट मोम और शुक्राणु, चाहे परिष्कृत या रंगीन हों या नहीं
99.	1522	डीग्रास, वसायुक्त पदार्थों या पशु या वनस्पति मोम के उपचार से उत्पन्न अवशेष
100.	1601	मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़ों से बने सॉसेज और इसी प्रकार के उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य पदार्थ
101.	1602	अन्य तैयार या संरक्षित मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़े
102.	1603	मांस, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी के अर्क और रस
103.	1604	तैयार या संरक्षित मछली; मछली के अंडों से तैयार कैवियार और कैवियार के विकल्प
104.	1605	क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी तैयार या संरक्षित
105.	1701	गन्ना या चुकंदर चीनी और रासायनिक रूप से शुद्ध सुक्रोज, ठोस रूप में जिसमें परिष्कृत चीनी शामिल है जिसमें स्वाद या रंग मिलाया गया हो, चीनी के टुकड़े [सभी प्रकार के गुड़, खांडसारी चीनी, रब के अलावा]
106.	1701 या 1702	सभी प्रकार के गुड़, जिनमें गन्ना गुड़ (गुड़), पामिरा गुड़, खांडसारी चीनी, रब शामिल हैं, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
107.	1702 या 1704	पलमायरा चीनी, मिश्री, बताशा, बूरा, साकर, खादी साकर, हरदा, सकारिया, गट्टा, कुलिया, इलाइचिदाना, लुकुमदाना, चिक्की जैसे मुरमुरे की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, तिल की चिक्की, तिल पट्टी, तिल रेवड़ी, चीनी मखाना, मूंगफली की मिठाइयाँ, गजक, खाजा, खजुली, अनरसा
108.	1702	अन्य शर्करा, जिनमें ठोस रूप में रासायनिक रूप से शुद्ध लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शामिल हैं; चीनी सिरप जिसमें स्वाद या रंग नहीं मिलाया गया हो; कारमेल
109.	1703	गुड़
110.	1704	चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चॉकलेट सहित), जिसमें कोको न हो, चीनी में उबली हुई कन्फेक्शनरी
111.	1801	कोको बीन्स पूरे या टूटे हुए, कच्चे या भुने हुए
112.	1802	कोको के छिलके, भूसी, त्वचा और अन्य कोको अपशिष्ट
113.	1803	कोको पेस्ट (चाहे या नहीं) वसा रहित
114.	1804	कोकोआ मक्खन, वसा और तेल
115.	1805	कोको पाउडर, जिसमें अतिरिक्त चीनी या मीठा पदार्थ न हो
116.	1806	चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य पदार्थ
117.	1901 20 00	ब्रेड, पेस्ट्री और अन्य बेकरी उत्पादों की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा
118.	1901	बाजरे के आटे से बनी खाद्य सामग्री, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, पहले से पैक और

		लेबल लगा हो; माल्ट एक्सट्रेक्ट, आटे, ग्राउंड्स, मील, स्टार्च या माल्ट एक्सट्रेक्ट से बनी खाद्य सामग्री, जिसमें कोको न हो या जिसमें वजन के हिसाब से 40% से कम कोको हो, जिसकी गणना पूरी तरह से बसा रहित आधार पर की गई हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो; शीर्ष 0401 से 0404 तक के माल की खाद्य सामग्री, जिसमें कोको न हो या जिसमें वजन के हिसाब से 5% से कम कोको हो, जिसकी गणना पूरी तरह से बसा रहित आधार पर की गई हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो
119.	1902	सेवइयां (सेवई); पास्ता, चाहे पकाया गया हो या नहीं (मांस या अन्य पदार्थों के साथ) या अन्यथा तैयार किया गया हो, जैसे स्पेगेटी, मैकरोनी, नूडल्स, लज़ान्या, ग्रीची, रेवियोली, कैनेलोनी; कूसकूस, चाहे तैयार किया गया हो या नहीं
120.	1903	स्टार्च से तैयार टैपिओका और उसके विकल्प, गुच्छे, अनाज, मोती, छनाई या इसी तरह के रूपों में (साबूदाना)
121.	1904	मुरमुरे, जिसे आमतौर पर मूरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के नाम से जाना जाता है, पार्चर्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, पार्चर्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
122.	1904	सभी वस्तुएं अर्थात् मकई के फ्लेक्स, बलगर गेहूं, अनाज के फ्लेक्स से प्राप्त तैयार खाद्य पदार्थ (पफ्ड राइस को छोड़कर, जिसे आमतौर पर मूरी के रूप में जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पार्चर्ड राइस, जिसे आमतौर पर खोई के रूप में जाना जाता है, पार्चर्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के रूप में जाना जाता है); फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके)
123.	1905	पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकरी उत्पाद, चाहे उनमें कोको हो या न हो; कम्प्युनियन वेफर्स, दवाइयों के उपयोग के लिए उपयुक्त खाली कैशेट, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर और इसी तरह के उत्पाद; बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, एक्सट्रूजन की प्रक्रिया से निर्मित; एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, नमकीन या नमकीन
124.	1905 40 00	रस्क, टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के टोस्टेड उत्पाद
125.	2001	सब्जियां, फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, जो सिरका या एसिटिक एसिड द्वारा तैयार या संरक्षित किए जाते हैं
126.	2002	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित टमाटर
127.	2003	मशरूम और ट्रफल, सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित किए गए
128.	2004	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित की गई अन्य सब्जियां, जमाई गई, शीर्षक 2006 के उत्पादों के अलावा
129.	2005	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित की गई अन्य सब्जियां, जमाई हुई नहीं, शीर्षक 2006 के उत्पादों के अलावा

130.	2006	सब्जियां, फल, मेवे, फलों के छिलके और पौधों के अन्य भाग, चीनी द्वारा संरक्षित (सूखा, ग्लेस या क्रिस्टलीकृत)
131.	2007	जैम, फल जेली, मुरब्बा, फल या मेवे की प्यूरी और फल या मेवे के पेस्ट, जो पकाकर प्राप्त किए जाते हैं, चाहे उनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं
132.	2008	फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, अन्यथा तैयार या संरक्षित, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्पिरिट हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो; जैसे मूंगफली, काजू, भुना हुआ, नमकीन या भुना और नमकीन, अन्य भुने हुए मेवे और बीज, आम, नींबू, संतरा, अनानास या अन्य फलों का स्कैश
133.	2009	फलों या मेवों के रस (अंगूर के रस सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और बिना अतिरिक्त स्पिरिट के, चाहे उनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ हो या न हो
134.	2009 89 90	नारियल पानी, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
135.	2101 11, 2101 12 00	काँफी के अर्क, सार और सांद्र, तथा इन अर्क, सार या सांद्र या काँफी के आधार पर तैयारियां
136.	2101 20	सभी वस्तुएं अर्थात् चाय या मेट के अर्क, सार और सांद्र, तथा इन अर्क, सार या सांद्र या चाय या मेट के आधार पर तैयारियां
137.	2101 30	भुनी हुई कासनी और अन्य भुनी हुई काँफी के विकल्प, तथा उनके अर्क, सार और सांद्र
138.	2102	यीस्ट (सक्रिय और निष्क्रिय); अन्य एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव, मृत (लेकिन शीर्ष 3002 के टीके शामिल नहीं); तैयार बेकिंग पाउडर
139.	2103	सभी सामान, जिनमें साँस और उसके लिए तैयार सामग्री, मिश्रित मसाले और मिश्रित मसाला; सरसों का आटा और भोजन और तैयार सरसों जिसमें करी पेस्ट, मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग शामिल हैं
140.	2104	सूप और शोरबा तथा उनसे बनी तैयारियाँ; समरूप मिश्रित खाद्य तैयारियाँ
141.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोको हो या न हो
142.	2106	बनावटयुक्त वनस्पति प्रोटीन (सोयाबारी), दालों से बनी बारी जिसमें मूंगोड़ी और बैटर शामिल हैं; भुने हुए चने की इडली/डोसा बैटर, चटनी पाउडर; मिठाइयाँ
143.	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह की खाद्य सामग्री, उपभोग के लिए तैयार, चाहे पहले से पैक और लेबल लगी हो या नहीं
144.	2106 90 91	मधुमेह खाद्य पदार्थ
145.	2106 (21069020 के अलावा)	अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न की गई खाद्य तैयारियाँ [पान मसाला के अलावा]
146.	2201	जल, जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल और वातित जल शामिल हैं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद नहीं मिलाया गया है
147.	2201 90 10	बर्फ और हिम
148.	2202 99	पौधे-आधारित दूध पेय, पेय पदार्थ के रूप में सीधे उपभोग के लिए तैयार
149.	2202 99 10	सोया दूध पेय, चाहे मीठा हो या स्वादयुक्त
150.	2202 99 20	फलों के गूदे या फलों के रस पर आधारित पेय [फलों के पेय के

		कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय के अलावा]
151.	2202 99 30	दूध युक्त पेय पदार्थ
152.	2207	मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति की जाने वाली एथिल अल्कोहल
153.	2301	मांस या मांस के अवशेष, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों का आटा, भोजन और गोलियाँ, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं; ग्रीन्स
154.	2302	चोकर, तीखे पदार्थ और अन्य अवशेष, चाहे वे छरों के रूप में हों या नहीं, अनाज या फलीदार पौधों की छनाई, पिसाई या अन्य कार्य से प्राप्त [जलीय आहार के अलावा, जिसमें झींगा आहार और झींगा आहार शामिल है, मुर्गी आहार और मवेशी आहार, घास, सूखी घास और पुआल, पूरक और योजक, दालों की भूसी, जिसमें चिल्का शामिल है, सांद्र, चुन्नी या चूरी, खंडा, गेहूं का चोकर, तेल रहित केक शामिल है]
155.	2302	चावल की भूसी (तेल रहित चावल की भूसी के अलावा)
156.	2303	स्टार्च निर्माण के अवशेष और इसी प्रकार के अवशेष, चुंदर का गूदा, खोई और चीनी निर्माण का अन्य अपशिष्ट, शराब बनाने या आसवन के अवशेष और अपशिष्ट, चाहे वे छरों के रूप में हों या नहीं
157.	2304	सोयाबीन तेल के निष्कर्षण से प्राप्त तेल-खली और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में
158.	2305	तेल केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में, जो मूंगफली के तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं
159.	2306	तेल केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में, जो वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेलों के निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं, शीर्ष 2304 या 2305 के अलावा, कपास के तेल केक और तेल रहित चावल की भूसी के अलावा
160.	2307	वाइन लीज़; अर्गोल
161.	2309	मछली में घुलनशील पेस्ट
162.	2401	तंबाकू पत्ता
163.	2502	बिना भुने लौह पाइराइट
164.	2503	सभी प्रकार के सल्फर, उर्ध्वपातित सल्फर, अवक्षेपित सल्फर और कोलाइडल सल्फर के अलावा
165.	2504	प्राकृतिक ग्रेफाइट
166.	2505	सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, चाहे रंगीन हो या नहीं, अध्याय 26 की धातु युक्त रेत के अलावा
167.	2506	क्वार्ट्ज़ (प्राकृतिक रेत के अलावा); क्वार्ट्ज़ाइट, चाहे उसे मोटे तौर पर काटा गया हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो
168.	2507	काओलिन और अन्य काओलिनिक मिट्टी, चाहे कैल्सीनेटेड हो या नहीं
169.	2508	अन्य मिट्टियाँ (शीर्षक 6806 की विस्तारित मिट्टियाँ शामिल नहीं), एंडालुसाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट, चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं; मुलाइट; चामोट या डायनास मृदाएँ
170.	2509	चाक

171.	2510	प्राकृतिक कैल्शियम फॉस्फेट, प्राकृतिक एल्यूमीनियम कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फेटिक चाक
172.	2511	प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बैराइट्स); प्राकृतिक बेरियम कार्बोनेट (विथेराइट), चाहे कैल्सीनेटेड हो या नहीं, शीर्षक 2816 के बेरियम ऑक्साइड के अलावा
173.	2512	सिलिकायुक्त जीवाश्म आहार (उदाहरण के लिए, कीसेलगुहर, ट्रिपोलाइट और डायटोमाइट) और इसी प्रकार के सिलिकायुक्त मृदा, चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं, जिनका स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व 1 या उससे कम हो
174.	2513	झांवा; एमरी; प्राकृतिक कोरन्डम, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्षक, चाहे ताप-उपचारित हों या नहीं
175.	2514	स्लेट, चाहे वह मोटे तौर पर छँटी हुई हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटी गई हो
176.	2515 [2515 12 20, 2515 12 90 को छोड़कर] या 6802	इकाउसाइन और अन्य कैल्शियमयुक्त स्मारकीय या भवन पत्थर (संगमरमर और ट्रैवर्टीन के अलावा), अलबास्टर, दर्पण पॉलिश पत्थर के अलावा जो उपयोग के लिए तैयार है
177.	2515 11 00	संगमरमर और ट्रैवर्टीन, अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छंटे हुए
178.	2515 12 10	संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक
179.	2516 [2516 11 00, 2516 12 00 को छोड़कर]	पोर्फिरी, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और अन्य स्मारकीय या इमारती पत्थर, (चाहे या नहीं) मोटे तौर पर छांटे गए हों या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटे गए हों
180.	2516 11 00	ग्रेनाइट अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छंटा हुआ
181.	2516	ग्रेनाइट ब्लॉक
182.	2517	कंकड़, बजरी, टूटे या कुचले हुए पत्थर, जिनका उपयोग सामान्यतः कंक्रीट समुच्चयों, सड़क धातुकरण या रेलवे या अन्य गिट्टी, शिंगल और चकमक पत्थर के लिए किया जाता है, (चाहे या नहीं) ताप-उपचारित; स्लैग, कचरा या इसी तरह के औद्योगिक अपशिष्ट का मैकडैम, (चाहे या नहीं) जिसमें शीर्षक के पहले भाग में उल्लिखित सामग्री शामिल हो; तारकोलयुक्त मैकडैम; दाने, चिप्स और पाउडर, पत्थरों का शीर्षक 2515 या 2516 चाहे या नहीं ताप-उपचारित
183.	2518	डोलोमाइट, चाहे कैल्सीनेटेड हो या सिंटरित, डोलोमाइट सहित, मोटे तौर पर छंटाई किया हुआ या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा हुआ
184.	2519	प्राकृतिक मैग्नीशियम कार्बोनेट (मैग्नेसाइट); संलयित मैग्नेशिया; मृत-जला हुआ (सिन्टर किया हुआ) मैग्नेशिया, जिसमें सिंटरिंग से पहले अन्य ऑक्साइड की अल्प मात्रा मिलाई गई हो; अन्य मैग्नीशियम ऑक्साइड, शुद्ध हो या नहीं
185.	2520	जिप्सम; एनहाइड्राइट; प्लास्टर (कैल्सीनेटेड जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट से बने) रंगीन हों या नहीं, त्वरक या मंदक की अल्प मात्रा के साथ या उसके बिना
186.	2521	चूना पत्थर फ्लक्स; चूना पत्थर और अन्य कैल्केरियास पत्थर, एक प्रकार का जो चूने या सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
187.	2522	बिना बुझा चूना, बुझा चूना और हाइड्रोलिक चूना, शीर्षक 2825

		के कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड के अलावा
188.	2524	अदह
189.	2525	अभ्रक, विभाजन सहित; अभ्रक अपशिष्ट।
190.	2526	प्राकृतिक स्टीटाइट, चाहे उसे मोटे तौर पर छांटा गया हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो; टैल्का।
191.	2528	प्राकृतिक बोरेट्स और उनके सांद्र (चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं), लेकिन प्राकृतिक ब्राइन से अलग किए गए बोरेट्स को छोड़कर; प्राकृतिक बोरिक एसिड जिसमें 85% से अधिक H ₃ BO ₃ न हो (शुष्क भार पर गणना की गई)
192.	2529	फेल्डस्पार; ल्यूसाइट, नेफलाइन और नेफलाइन साइनाइट; फ्लोरस्पार
193.	2530	खनिज पदार्थ जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
194.	2611	टंगस्टन अयस्क और सांद्र
195.	2612	यूरेनियम या थोरियम अयस्क और सांद्र
196.	2613	मोलिब्डेनम अयस्क और सांद्र
197.	2614	टाइटेनियम अयस्क और सांद्र
198.	2615	नियोबियम, टैंटालम, वैनेडियम या जिंकोनियम अयस्क और सांद्र
199.	2616	बहुमूल्य धातु अयस्क और सांद्र
200.	2617	अन्य अयस्क और सांद्र
201.	2618	लोहे या इस्पात के निर्माण से प्राप्त दानेदार लावा (लावा रेत)
202.	2619	लिंग्ज-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग
203.	2621	फ्लाई ऐश
204.	27	जैव गैस
205.	2704	कोयले, लिग्नाइट या पीट का कोक और सेमी कोक, (चाहे एकत्रित हो या नहीं); रिटॉर्ट कार्बन
206.	2705	कोयला गैस, जल गैस, उत्पादक गैस और इसी प्रकार की गैसों, पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन के अलावा
207.	2710	(क) केरोसिन तेल पीडीएस, (ख) जहाजों या जलयानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर ईंधन, अर्थात्, i. आईएफओ 180 सीएसटी ii. आईएफओ 380 सीएसटी iii. समुद्री ईंधन 0.5% (एफओ)
208.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गैर-घरेलू ब्रूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)
209.	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 10	घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)
210.	28	थोरियम ऑक्सालेट, समृद्ध केबीएफ 4 (समृद्ध पोटेशियम फ्लोरोबोरेट), समृद्ध मौलिक बोरॉन, परमाणु ईंधन
211.	28	एनेस्थेटिक्स, पोटेशियम आयोडेट, आयोडीन, भाप

212.	2804 40 10	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
213.	2805 11	परमाणु ग्रेड सोडियम
214.	2807	गंधक का तेजाब
215.	2808	नाइट्रिक एसिड
216.	2809	उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड
217.	2814	अमोनिया
218.	2845	भारी जल और अन्य परमाणु ईंधन
219.	2847	औषधीय ग्रेड हाइड्रोजन पेरॉक्साइड
220.	2853	संपीड़ित हवा
221.	28 या 38	सूक्ष्म पोषक तत्व, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची I, भाग (ए) की क्रम संख्या 1(जी) के अंतर्गत आते हैं और उन निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत पंजीकृत हैं।
222.	29 या 3808 93	जिबरेलिक अम्ल
223.	2906 11 10	प्राकृतिक मेन्थॉल
224.	2906 11 10, 30, 3301	प्राकृतिक मेन्थॉल से बने निम्नलिखित उत्पाद:- क. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, ख. पेपरमिंट (मेन्था तेल), ग. फ्रैक्शनेटेड/डी-टेरपेनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ) घ. डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ), ङ. स्पीयरमिंट तेल च. मेन्था पिपेरिटा तेल
225.	30	इंसुलिन, साइक्लोस्पोरिन, डेसफेरियोक्सामाइन इंजेक्शन या डेफेरिप्रोन, ओरल री-हाइड्रेशन सॉल्ट
226.	30 या कोई भी अध्याय	सभी औषधियाँ और दवाइयाँ जिनमें उनके लवण और एस्टर और डायग्नोस्टिक टेस्ट किट शामिल हैं; थोक औषधियों से निर्मित फॉर्मूलेशन [दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 10/2025-केन्द्रीय कर (दर) के क्रम संख्या 113 में शून्य पर निर्दिष्ट के अलावा]
227.	30	सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक किट
228.	30	जैव-रासायनिक प्रणालियों में प्रयुक्त औषधियाँ (पशु चिकित्सा औषधियों सहित)
229.	30	औषधियाँ (जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों में प्रयुक्त औषधियाँ भी शामिल हैं), जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की प्रथम अनुसूची या भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जैसा भी मामला हो, की होम्योपैथिक फार्माकोपिया में निर्दिष्ट आधिकारिक पुस्तकों में वर्णित सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से निर्मित की जाती हैं, और ऐसी पुस्तकों या फार्माकोपिया में निर्दिष्ट नाम के तहत बेची जाती हैं
230.	3001	अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियाँ और अन्य अंग, सूखे, 'चाहे या नहीं' चूर्णित; अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियों या अन्य अंगों या उनके स्त्रावों के अर्क; हेपरिन और उसके लवण; चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए तैयार अन्य मानव या पशु पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं

231.	3002	चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए तैयार पशु रक्त; एंटीसेरा और अन्य रक्त अंश और संशोधित प्रतिरक्षा उत्पाद, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किए गए हों या नहीं; विषाक्त पदार्थ, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन (यीस्ट को छोड़कर) और इसी तरह के उत्पाद; कोशिका संवर्धन, संशोधित किए गए हों या नहीं
232.	3002, 3006	पशु या मानव रक्त टीके
233.	3003	दो या अधिक घटकों से बनी औषधियाँ (शीर्ष 3002, 3005 या 3006 के सामान को छोड़कर) जिन्हें चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए एक साथ मिलाया गया है, जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए मापी गई खुराक या रूपों या पैकिंग में नहीं रखा गया है, जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों की औषधियाँ शामिल हैं
234.	3004	औषधीय उत्पाद (शीर्ष 3002, 3005 या 3006 के सामान को छोड़कर) जिनमें चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोग के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद शामिल हैं, मापी गई खुराकों में (ट्रांसडर्मल प्रशासन प्रणालियों के रूप में शामिल) या खुदरा बिक्री के लिए रूपों या पैकिंग में, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक सिद्ध या जैव-रासायनिक प्रणालियों की औषधीय उत्पाद शामिल हैं, जो खुदरा बिक्री के लिए रखे गए हैं
235.	3005	वैडिंग, गौज, पट्टियाँ और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ (उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग, चिपकने वाले प्लास्टर, पुल्टिस), जो औषधीय पदार्थों से संसेचित या लेपित हों या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म या पैकिंग में रखी गई हों
236.	3006	इस अध्याय के (नोट) 4 में निर्दिष्ट औषधीय सामान, अर्थात् जीवाणुरहित शल्यक्रिया कैंटगट, समान जीवाणुरहित सिवनी सामग्री (जिसमें जीवाणुरहित शोषक शल्यक्रिया या दंत धागे भी शामिल हैं) और शल्यक्रिया के घाव को बंद करने के लिए जीवाणुरहित ऊतक चिपकाने वाले पदार्थ; जीवाणुरहित लेमिनेरिया और जीवाणुरहित लेमिनेरिया टेंट; जीवाणुरहित शोषक शल्यक्रिया या दंत हेमोस्टेटिक्स; जीवाणुरहित शल्यक्रिया या दंत आसंजन अवरोध, चाहे शोषक हों या नहीं; अपशिष्ट औषधियाँ (गर्भनिरोधकों के अलावा); ओस्टोमी उपकरण जिनमें थैली या फ्लैज, स्टोमा चिपकाने वाला पेस्ट, अवरोध क्रीम, सिंचाई किट, स्लीव, बेल्ट, सूक्ष्म-छिद्र टेप शामिल हैं
237.	3101	सभी सामान अर्थात् पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबल युक्त
238.	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनयुक्त, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
239.	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फॉस्फेटिक, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
240.	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटाश उर्वरक, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
241.	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या तीन उर्वरक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के सामान गोलियों या समान रूपों में या 10 किलोग्राम

		से अधिक सकल वजन के पैकेज में; उनको छोड़कर जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है।
242.	32	वाटल एक्सट्रेक्ट, क्रेब्राचो एक्सट्रेक्ट, चेस्टनट एक्सट्रेक्ट
243.	3202	प्री-टैनिंग के लिए एंजाइमेटिक तैयारियाँ
244.	3304	टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर
245.	3305	बालों का तेल, शैम्पू
246.	3306	दूधपेस्ट
247.	3306 10 10	दूध पाउडर
248.	3306 20 00	दांतों के बीच सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धागा (डेंटल फ्लॉस)
249.	3307	शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव लोशन
250.	3307 41 00	अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, सांभरानी
251.	3401	टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन के अलावा) बार, केक, ढाले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में
252.	3402	सल्फोनेटेड अरंडी का तेल, मछली का तेल या शुक्राणु तेल
253.	3406	मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और इसी तरह की अन्य चीजें
254.	3503	जिलेटिन (आयताकार (वर्गाकार सहित) शीटों में जिलेटिन सहित, चाहे सतह-कार्यित हो या रंगीन) और जिलेटिन व्युत्पन्न; आइसिंगलास; पशु मूल के अन्य गोंद, शीर्षक 3501 के कैसिइन गोंद को छोड़कर
255.	3505	डेक्सट्रिन और अन्य संशोधित स्टार्च (उदाहरण के लिए, प्रीजिलेटिनाइज्ड या एस्टरीफाइड स्टार्च); स्टार्च, या डेक्सट्रिन या अन्य संशोधित स्टार्च पर आधारित गोंद
256.	3605 00 10	सभी सामान
257.	3701	चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे हेतु फोटोग्राफिक प्लेटें और फिल्म
258.	3705	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, उजागर और विकसित, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के अलावा
259.	3706	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, एक्सपोज़्ड और डेवलप्ड, (चाहे या नहीं) साउंड ट्रैक शामिल हो या केवल साउंड ट्रैक से युक्त, (फीचर फिल्मों के अलावा)
260.	3808	निम्नलिखित जैव-कीटनाशक, अर्थात् – (क) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. इजराइलेंसिस (ख) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. कुस्तार्क (ग) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. गैलेरिया (घ) बैसिलस स्फेरिकस (ङ) ट्राइकोडर्मा विरिडे (च) ट्राइकोडर्मा हार्जियानम (छ) स्पूडोमोनास फ्लोरोसेंस (ज) ब्यूवेरियाबैसियाना (झ) हेलिकोवर्परमिगेरा का एनपीवी (ञ) स्पोडोप्टेरालिट्यूरा का एनपीवी (ट) नीम आधारित कीटनाशक (ठ) सिम्बोपोगन
261.	3816	डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण
262.	3818	सिलिकॉन वेफर्स
263.	3822	सभी डायग्नोस्टिक किट या अभिकर्मक जिनमें प्रमाणित संदर्भ

		सामग्री शामिल है
264.	3826	तेल विपणन कंपनियों को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायो-डीजल की आपूर्ति
265.	3926	दूध पिलाने की बोतलें, प्लास्टिक के मोती
266.	4001	प्राकृतिक रबर, बालाटा, गुट्टा-पर्चा, ग्वायुले, चिकल और इसी तरह के प्राकृतिक गोंद, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में
267.	4004 00 00	रबड़ का अपशिष्ट, छिलके या स्कैप (कठोर रबड़ के अलावा)
268.	4007	लेटेक्स रबर धागा
269.	4011	रियर ट्रैक्टर टायर और रियर ट्रैक्टर टायर ट्यूब
270.	4011 30 00	नए वायवीय टायर, विमानों में इस्तेमाल होने वाले रबर के प्रकार के
271.	4011 70 00	ट्रैक्टरों के लिए टायर
272.	4011, 4013	रबर के वायवीय टायर या आंतरिक ट्यूब, एक प्रकार के जो साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/में उपयोग किए जाते हैं
273.	4013 90 49	ट्रैक्टर टायरों के लिए ट्यूब
274.	4014	दूध पिलाने वाली बोतलों के निप्पल
275.	4015	सर्जिकल रबर के दस्ताने या चिकित्सा परीक्षण रबर के दस्ताने
276.	4016	रबर बैंड
277.	4017	कठोर रबर का अपशिष्ट या स्कैप
278.	4101	गोजातीय (भैंस सहित) या अश्वीय पशुओं की कच्ची खालें और चमड़े (ताजा, या नमकीन, सूखे, चूने से सने, अचार में रखे या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संसाधित या आगे तैयार नहीं), चाहे बाल रहित या विभाजित हों या नहीं
279.	4102	भेड़ या मेमनों की कच्ची खालें (ताजा, या नमकीन, सूखी, चूने से सनी, अचार में रखी या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संवारित या आगे तैयार नहीं), चाहे ऊन लगी हो या फटी हुई हो
280.	4103	अन्य कच्चे चमड़े और खाल (ताजा, या नमकीन, सूखे, चूने से सने, अचार में रखे या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संवारित या आगे तैयार नहीं), चाहे या नहीं बाल रहित या विभाजित
281.	4104	गोजातीय (भैंस सहित) या अश्ववंशीय पशुओं की टैन्ड या क्रस्ट खाल और चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो या नहीं, लेकिन आगे तैयार नहीं किया गया हो
282.	4105	भेड़ या मेमनों की चमड़ी या पपड़ीदार खाल, ऊन रहित, चाहे हो या न हो फटी हुई, लेकिन आगे तैयार न की गई हो
283.	4106	अन्य पशुओं की चमड़ी या पपड़ीदार खाल और चमड़े, जिन पर ऊन या बाल नहीं हैं, चाहे विभाजित हों या नहीं, लेकिन आगे तैयार नहीं किए गए हों
284.	4107	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा भी शामिल है, गोजातीय (भैंस सहित) या अश्ववंशीय पशुओं का, बिना बालों वाला, चाहे विभाजित हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा
285.	4112	चमड़ा जिसे टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया है, जिसमें भेड़ या मेमने का चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा शामिल है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे वह फटा हुआ हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा

286.	4113	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें अन्य पशुओं का चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा भी शामिल है, जिस पर ऊन या बाल नहीं हैं, चाहे वह फटा हुआ हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा
287.	4114	चमोईस (संयोजन चमोईस सहित) चमड़ा; पेटेंट चमड़ा और पेटेंट लेमिनेटेड चमड़ा; धातुकृत चमड़ा
288.	4115	चमड़े या चमड़े के रेशे पर आधारित मिश्रित चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी के रूप में, रोल में हो या न हो; चमड़े या मिश्रित चमड़े के छिलके और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त न हों; चमड़े का चूर्ण, पाउडर और आटा
289.	4202 22 20	सूती हैंड बैग और शॉपिंग बैग
290.	4202 22 30	जूट के हैंड बैग और शॉपिंग बैग
291.	4203	खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने
292.	44 या कोई भी अध्याय	निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात्: — (क) सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड; (ख) जूट पार्टिकल बोर्ड; (ग) चावल की भूसी का बोर्ड; (घ) ग्लास-फाइबर प्रबलित जिप्सम बोर्ड (जीआरजी) (ङ) सिसल-फाइबर बोर्ड; (च) बगास बोर्ड; और (छ) कॉटन स्टाक पार्टिकल बोर्ड (ज) कृषि फसल अवशेषों से निर्मित पार्टिकल/फाइबर बोर्ड
293.	44, 68, 83	लकड़ी, पत्थर [संगमरमर सहित] और धातु [कीमती धातुओं से बनी मूर्तियों के अलावा]
294.	4401	लकड़ी के टुकड़े या कण; बुरादा और लकड़ी का अपशिष्ट और स्क्रेप, चाहे वह लट्टों, ब्रिकेट, छरों या इसी तरह के रूपों में एकत्रित हो या न हो
295.	4404	घेरा; विभाजित डंडे; लकड़ी के ढेर, पिकेट और खूटे, नुकीले लेकिन लंबाई में काटे नहीं गए; लकड़ी की छड़ें, मोटे तौर पर काटी गई लेकिन मुड़ी हुई, मुड़ी हुई या अन्यथा काम की हुई नहीं, चलने वाली छड़ियों, छातों, औजारों के हैंडल या इसी तरह के निर्माण के लिए उपयुक्त
296.	4405	लकड़ी का ऊन; लकड़ी का आटा
297.	4406	लकड़ी के रेलवे या ट्रामवे स्लीपर (क्रॉस-टाई)
298.	4408	लिबास के लिए शीट (जिसमें लैमिनेटेड लकड़ी को काटकर प्राप्त की गई शीट भी शामिल हैं), प्लाईवुड या इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में काटी गई, कटी हुई या छिली हुई, समतल की गई, रेत से भरी हुई, जोड़ की गई या अंत में जोड़ी गई, 6 मिमी से अधिक मोटाई की [मैच स्प्लिट्स के लिए]
299.	4409	बांस का फर्श
300.	4415	लकड़ी के पैकिंग केस, बक्से, क्रेट, ड्रम और इसी तरह की पैकिंग; लकड़ी के केबल ड्रम; लकड़ी के पैलेट, बॉक्स पैलेट और अन्य लोड बोर्ड; लकड़ी के पैलेट कॉलर
301.	4416	लकड़ी से बने पीपे, बैरल, वांट, टब और अन्य कूपर उत्पाद और उनके हिस्से, जिनमें डंडे भी शामिल हैं
302.	4417	औजार, औजार के ढांचे, औजार के हैंडल, झाड़ू या ब्रश के ढांचे और हैंडल, लकड़ी के; बूट या जूते के टाँके और पेड़, लकड़ी के

303.	4418	बांस की लकड़ी की इमारत की जोड़ाई
304.	4419	लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर
305.	4420	लकड़ी की मार्केटरी और जड़ाऊ लकड़ी; आभूषण या कटलरी के लिए संदूक और केस, तथा लकड़ी की इसी प्रकार की वस्तुएं; लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण; फर्नीचर की लकड़ी की वस्तुएं जो अध्याय 94 में नहीं आती हैं
306.	4421	लकड़ी के अन्य सामान; जैसे कपड़े टांगने वाले हैंगर, स्पूल, कॉप, बॉबिन, सिलाई धागे की रील और विभिन्न कपड़ा मशीनरी के लिए लकड़ी के समान सामान, माचिस की पट्टियाँ, पेंसिल की पट्टियाँ, लकड़ी के हिस्से, जैसे कि जहाज, नाव और इसी तरह की अन्य तैरती संरचनाओं के लिए चप्पू, पैडल और पतवार, टेबलवेयर और रसोई के सामान के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से [के अलावा] लकड़ी के फ़र्श ब्लॉक, सघन लकड़ी के सामान जो अन्यत्र शामिल या निर्दिष्ट नहीं हैं, टेबलवेयर और रसोई के सामान के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से]
307.	4501	प्राकृतिक कॉर्क, कच्चा या बस तैयार
308.	4502 00 00	प्राकृतिक कॉर्क, पीठ रहित या मोटे तौर पर वर्गाकार, या आयताकार (वर्ग सहित) ब्लॉक, प्लेट, शीट या पट्टी (कॉर्क या स्टॉपर के लिए तेज धार वाले रिक्त स्थान सहित)
309.	4503	प्राकृतिक कॉर्क से बनी वस्तुएं जैसे कॉर्क और स्टॉपर, शटलकॉक कॉर्क बॉटम
310.	4504	एकत्रित कॉर्क (बंधन पदार्थ के साथ या उसके बिना) और एकत्रित कॉर्क की वस्तुएं
311.	4601, 4602	पुआल, एस्पार्टो या अन्य बुनाई सामग्री का निर्माण; टोकरी के बर्तन और विकर का काम
312.	4701	यांत्रिक लकड़ी का गूदा
313.	4703	रासायनिक लकड़ी का गूदा, सोडा या सल्फेट, (घुलनशील ग्रेड के अलावा)
314.	4704	रासायनिक लकड़ी लुगदी, सल्फाइड, (के अलावा) घुलने वाले ग्रेड
315.	4705	यांत्रिक और रासायनिक लुगदी प्रक्रियाओं के संयोजन से प्राप्त लकड़ी का गूदा
316.	4706	पुनर्प्राप्त (अपशिष्ट और स्क्रेप) कागज या पेपरबोर्ड या अन्य रेशेदार सेल्युलॉसिक सामग्री से प्राप्त फाइबर के गूदे
317.	4707	कागज या पेपरबोर्ड का बरामद कचरा या स्क्रेप
318.	48	माचिस की तीलियों के लिए कागज की पट्टियाँ, मोम लगी हुई हों या नहीं, डामर की छत की चादरें
319.	39, 48	कागज के बोरे/बैग और जैव-अपघटनीय बैग
320.	4801	अखबारी कागज, रोल या शीट में
321.	4817 30	कागज या पेपरबोर्ड से बने बक्से, थैलियाँ, बटुए और लेखन संग्रह, जिनमें विभिन्न प्रकार की कागज की स्टेशनरी होती है
322.	4819 10, 4819 20	कार्टन, बक्से और केस, - (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; या (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड
323.	4823	कागज की लुगदी से बनी ट्रे; पतंगें, कागज की लुगदी से बनी वस्तुएं
324.	4901	ब्रोशर, पत्रक और इसी तरह की मुद्रित सामग्री, चाहे एकल शीट

		में हो या नहीं
325.	5004 से 5006	रेशमी धागा
326.	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
327.	5104	ऊन या महीन या मोटे जानवरों के बालों का गार्नेटेड स्टॉक, घटिया ऊन
328.	5105	ऊन और महीन या मोटे जानवरों के बाल, कंघे हुए या कंघी किए हुए
329.	5106 से 5110	ऊन या जानवरों के बालों का धागा
330.	5111 से 5113	ऊन या जानवरों के बालों से बुने हुए कपड़े
331.	5201 से 5203	कपास और कपास अपशिष्ट
332.	5204	सूती सिलाई धागा, (चाहे हो या न हो) खुदरा बिक्री के लिए रखा गया
333.	5205 से 5207	सूती धागा [खादी धागे के अलावा]
334.	5208 से 5212	सूती बुने हुए कपड़े
335.	5301	सभी सामान अर्थात् सन, कच्चा या प्रसंस्कृत किन्तु कटाई नहीं; सन टो और अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
336.	5302	असली भांग (कैनाबिस सैटिवा एल), कच्ची या प्रसंस्कृत, लेकिन काती हुई नहीं; असली भांग का टो और अपशिष्ट (धागे के अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
337.	5303	सभी वस्तुएं अर्थात् कपड़ा बास्ट फाइबर [जूट फाइबर के अलावा, कच्चे या प्रसंस्कृत लेकिन काते हुए नहीं]; इन फाइबर का टो और अपशिष्ट (सूत अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
338.	5305 से 5308	सभी वस्तुएं [(नारियल कॉयर फाइबर के अलावा)] जिसमें सन, जूट, अन्य कपड़ा बास्ट फाइबर, अन्य वनस्पति कपड़ा फाइबर का धागा शामिल है; कागज का धागा जिसमें कॉयर पिथ कम्पोस्ट शामिल है, पूर्व-पैक और लेबल लगा हुआ है
339.	5309 से 5311	अन्य वनस्पति वस्त्र रेशों, कागज के धागों से बुने हुए कपड़े
340.	5401	मानव निर्मित तंतुओं का सिलाई धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया है या नहीं
341.	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	सिंथेटिक या कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित सभी सामान
342.	5407, 5408	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री से बुने हुए कपड़े
343.	5501, 5502	सिंथेटिक या कृत्रिम फिलामेंट टो
344.	5503, 5504, 5506, 5507	सिंथेटिक या कृत्रिम स्टेपल फाइबर
345.	5505	मानव निर्मित रेशों का अपशिष्ट
346.	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर से बने सिलाई धागे, खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध, चाहे वह हो या न हो
347.	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का धागा
348.	5512 से 5516	मानव निर्मित स्टेपल रेशों से बुने हुए कपड़े
349.	5601	कपड़ा सामग्री और उससे बनी वस्तुओं की गद्दी; जैसे सिगरेट फिल्टर रॉड को छोड़कर अवशोषक रूई
350.	5602	फेल्ड, चाहे संसेचित, लेपित, ढका हुआ या लेमिनेटेड हो या नहीं
351.	5603	गैर-बुने हुए कपड़े, चाहे वे गर्भवती, लेपित, ढके हुए या लेमिनेटेड हों या नहीं
352.	5604	रबर धागा और डोरी, वस्त्र से आच्छादित; वस्त्र सूत, पट्टी और शीर्ष 5404 या 5405 के समान, रबर या प्लास्टिक से संसेचित,

		लेपित, आच्छादित या आच्छादित
353.	5605	धातुकृत सूत, चाहे वह जिम्पड हो या न हो, कपड़ा सूत, या पट्टी या शीर्षक 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से आच्छादित, जिसमें असली ज़री धागा (सोना) और चांदी का धागा शामिल है, जिसे कपड़ा धागे, नकली ज़री धागे या सूत के साथ संयुक्त किया गया है, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है।
354.	5606	शीर्ष 5404 या 5405 के जिम्पड यार्न, स्ट्रिप और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद, जिम्पड (शीर्ष 5605 और जिम्पड हॉर्सहेयर यार्न के (से भिन्न)); शनील यार्न (फ्लाँक शनील यार्न (सहित)); लूप वेल-यार्न
355.	5607	सुतली, डोरी, रस्सियाँ और केबल, (चाहे गूँथी हुई हों या नहीं) और (चाहे रबर या प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या आच्छादित हों या नहीं) जिसमें जूट की सुतली, नारियल की रस्सी या रस्सियाँ शामिल हैं
356.	5608	सुतली, डोरी या रस्सी से बने गाँठदार जाल; मछली पकड़ने के जाल और कपड़े से बने अन्य जाल
357.	5609	शीर्ष 5404 या 5405 के अंतर्गत आने वाले सूत, पट्टी या इसी प्रकार की वस्तुएं, सुतली, डोरी, रस्सी या केबल, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, नारियल के उत्पाद
358.	5701	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, गाँठदार, (चाहे या नहीं) निर्मित
359.	5702	कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, बुने हुए, गुच्छेदार या गुच्छेदार नहीं, (चाहे बनाए गए हों या नहीं), (जिनमें) "केलेम", "शूमाक्स", "करमानी" और इसी तरह के हाथ से बुने हुए गलीचे शामिल हैं
360.	5703	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), टफ्टेड, चाहे निर्मित हो या नहीं
361.	5704	कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, फेल्ड से बने, गुच्छेदार या झुंड वाले नहीं, (चाहे बने हों या नहीं)
362.	5705	अन्य कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, चाहे निर्मित हों या नहीं; जैसे मैट और मैटिंग, जिनमें बाथ मैट भी शामिल हैं, जिनमें वजन के हिसाब से कपास की प्रधानता होती है, हथकरघा से बने, हथकरघा से बने सूती गलीचे
363.	5702, 5703, 5705	नारियल की जूट की चटाई, चटाई, फर्श कवरिंग और हथकरघा दरी
364.	5801	सभी सामान
365.	5802	टेरी टॉवेलिंग और इसी प्रकार के बुने हुए टेरी कपड़े, शीर्ष 5806 के संकीर्ण कपड़ों के अलावा; गुच्छेदार कपड़ा कपड़े, शीर्ष 5703 के उत्पादों के अलावा
366.	5803	गौज़, शीर्षक 5806 के संकीर्ण कपड़ों के अलावा
367.	5804	ठूल और अन्य नेट कपड़े, जिनमें बुने हुए, बुने हुए या क्रोशिए वाले कपड़े शामिल नहीं हैं; टुकड़े में, पट्टियों में या रूपांकनों में लेस, शीर्षक 6002 से 6006 तक के कपड़ों के अलावा
368.	5805	गोबेलिन, फ़्लैंडर्स, ऑब्यूसन, ब्यूवैस और इसी तरह के हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री, और सुई से काम किए गए टेपेस्ट्री (उदाहरण के लिए, पेटिट पॉइंट, क्रॉस स्टिच), (चाहे बने हों या नहीं)

369.	5806	संकीर्ण बुने हुए कपड़े, शीर्ष 5807 के माल के अलावा; संकीर्ण कपड़े जिसमें बिना बाने के ताना होता है और जिसे चिपकने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) के माध्यम से जोड़ा जाता है।
370.	5807	लेबल, बैज और वस्त्र सामग्री के समान वस्तुएं, टुकड़े में, पट्टियों में या आकार या आकृति में काटी हुई, कढ़ाई न की हुई
371.	5808	साड़ी में चोटियाँ; कढ़ाई के बिना सजावटी सजावट, बुने हुए या क्रोशिए से बने हुए के अलावा; लटकन, पोम्पोन और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ; साड़ी का गिरना
372.	5809	शीर्ष 5605 के धातु धागे से बुने हुए कपड़े और धातुकृत सूत से बुने हुए कपड़े, जो परिधान, फर्निशिंग कपड़े या इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; जैसे ज़री बॉर्डर
373.	5809, 5810	कढ़ाई या ज़री की वस्तुएं, अर्थात् - इमी, ज़री, कसाब, सलमा, दबका, चुमकी, गोटा, सितारा, नकसी, कोरा, कांच के मोती, बदला, गिज़ई
374.	5810	कढ़ाई, पट्टियों या रूपांकनों में, कढ़ाई वाले बैज, रूपांकन और इसी तरह की अन्य चीजें
375.	5811	टुकड़े में रजाईदार कपड़ा उत्पाद, जो सिलाई या अन्यथा पैडिंग के साथ इकट्ठे किए गए कपड़ा सामग्री की एक या अधिक परतों से बना है, शीर्षक 5810 की कढ़ाई के अलावा
376.	5901	गोंद या एमाइलेसियस पदार्थों से लेपित वस्त्र, जिनका उपयोग पुस्तकों या इसी प्रकार की वस्तुओं के बाहरी आवरणों के लिए किया जाता है; अनुरेखण कपड़ा; तैयार चित्रकारी कैनवास; बकरम और इसी प्रकार के कठोर वस्त्र, जिनका उपयोग टोपी के आधार के लिए किया जाता है।
377.	5902	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड, पॉलिएस्टर या विस्कोस रेयान के उच्च दृढ़ता वाले धागे से बना टायर कॉर्ड कपड़ा
378.	5903	प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या लेमिनेट किए गए वस्त्र कपड़े, शीर्षक 5902 के अंतर्गत आने वाले वस्त्रों को छोड़कर
379.	5904	लिनोलियम, (चाहे या नहीं) आकार में काटा गया; फर्श कवरिंग जिसमें कपड़े के आधार पर लगाया गया लेप या आवरण शामिल होता है, (चाहे या नहीं) आकार में काटा गया
380.	5905	कपड़ा दीवार कवरिंग
381.	5906	रबरयुक्त वस्त्र वस्त्र, शीर्षक 5902 के अंतर्गत आने वाले वस्त्रों को छोड़कर
382.	5907	वस्त्र वस्त्र जो अन्यथा संसेचित, लेपित या ढके हुए हों; चित्रित कैनवास जो नाट्य दृश्य हों, स्टूडियो बैक-क्लॉथ या इसी प्रकार के अन्य वस्त्र
383.	5908	लैंप, स्टोव, लाइटर, मोमबत्तियाँ या इसी तरह के अन्य सामान के लिए बुनी हुई, गुंथी हुई या बुनी हुई कपड़ा बत्तियाँ; तापदीप्त गैस मेंटल और उसके लिए ट्यूबलर बुना हुआ गैस मेंटल कपड़ा, चाहे संसेचित हो या नहीं
384.	5909	कपड़ा नली पाइपिंग और इसी तरह की कपड़ा ट्यूबिंग, अस्तर, कवच या अन्य सामग्रियों के सहायक उपकरण के साथ या बिना
385.	5910	कपड़ा सामग्री से बने ट्रांसमिशन या कन्वेयर बेल्ट या बेल्टिंग, चाहे प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या लेमिनेटेड हो या धातु या अन्य सामग्री से प्रबलित हो

386.	5911	तकनीकी उपयोगों के लिए वस्त्र उत्पाद और वस्तुएं, जो इस अध्याय के (नोट) 7 में निर्दिष्ट हैं; जैसे वस्त्र कपड़े, फेल्ड और फेल्ड-लाइन वाले बुने हुए कपड़े, रबर, चमड़े या अन्य सामग्री से लेपित, ढके या लेमिनेट किए हुए, कार्ड क्लॉथिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के, और इसी प्रकार के अन्य तकनीकी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े, जिसमें बुनाई तकुओं (बुनाई बीम) को ढकने के लिए रबर में संसेचित मखमल से बने संकीर्ण कपड़े शामिल हैं; बोल्टिंग कपड़ा, (चाहे बना हो या नहीं); सूती वस्त्र उद्योगों के लिए फेल्ड, बुना हुआ; बुने हुए वस्त्र फेल्ड, (चाहे संसेचित या लेपित हों या नहीं, एक प्रकार के जो सामान्यतः अन्य मशीनों में उपयोग किए जाते हैं; सूती कपड़े और मशीनरी और संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले सामान; जूट कपड़े और मशीनरी या संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले सामान; धातुकृत धागे के वस्त्र कपड़े एक प्रकार के जो सामान्यतः कागज बनाने या अन्य मशीनरी में उपयोग किए जाते हैं; तेल प्रेस या इसी तरह के अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का छनाई कपड़ा, जिसमें मानव बाल भी शामिल हैं; कागज बनाने वाले का बुना हुआ कपड़ा; गास्केट, वॉशर, पॉलिशिंग डिस्क और कपड़ा वस्तुओं के अन्य मशीनरी भाग
387.	60	बुने हुए या क्रोशिए किए हुए कपड़े [सभी सामान]
388.	61	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, बुने हुए या क्रोशिए से बने, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
389.	62	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हों, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
390.	63 [6305 32 00, 6305 33 00, 6309 के अलावा]	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं, सेट, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
391.	6309 या 6310	फटे हुए कपड़े और अन्य फटी हुई वस्तुएं; चिथड़े
392.	64	2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक मूल्य के जूते
393.	6501	कपड़ा टोपियां
394.	6505	टोपियाँ (बुनी हुई/क्रोशित) या फीते या अन्य वस्त्रों से बनी हुई
395.	6601	छाते और धूप छाते (जिसमें वॉकिंग-स्टिक छाते, गार्डन छाते और इसी तरह के छाते शामिल हैं)
396.	6602	चाबुक, राइडिंग-क्रॉप और इसी तरह की चीजें
397.	6602 00 00	चलने की छड़ें (सहित) सीट स्टिक
398.	6603	शीर्ष 6601 या 6602 की वस्तुओं के पुर्जे, सजावट और सहायक उपकरण
399.	6701	पक्षियों की खालें और अन्य भाग, उनके पंख या नीचे, पंख, पंखों के भाग, नीचे और उनकी वस्तुएं (शीर्ष 0505 के सामान और तैयार क्लिल और स्केप्स के अलावा)
400.	68	रेत-चूने की ईंटें या पत्थर जड़ाई का काम
401.	6802	मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, कुरसी; ऊँची या नीची उभरी हुई आकृतियाँ, क्रॉस, पशुओं की आकृतियाँ, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बाँक्स, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते, आदि; अन्य सजावटी सामान जो मूलतः पत्थर के बने हों
402.	6909	चीनी मिट्टी के बर्तन, जार और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जो चीनी मिट्टी के सामान के परिवहन और पैकिंग के लिए उपयोग की जाती हैं

403.	6911	चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान
404.	6912	टेबलवेयर, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान, चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तनों के अलावा
405.	6913	मूर्तियाँ और अन्य सजावटी वस्तुएँ
406.	7001	कलेट या अन्य अपशिष्ट या कांच का टुकड़ा
407.	7015 10	सुधारात्मक चश्मे और चकमक बटन के लिए चश्मा
408.	7018	कांच के मोती
409.	7020	लैंप और लालटेन के लिए ग्लोब, केरोसिन विक लैंप के लिए फव्वारे, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी
410.	7310 या 7326	गणितीय बक्से, ज्यामिति बक्से और रंग बक्से
411.	7310, 7323, 7612, या 7615	लोहे, स्टील या एल्युमीनियम से बने दूध के डिब्बे
412.	7317	जानवरों के जूतों के नाखून
413.	7319	सिलाई की सूइयाँ
414.	7321	केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव और लोहे या स्टील के लकड़ी जलाने वाले स्टोव
415.	7321 या 8516	सौर कुकर
416.	7323	लोहे और स्टील से बनी मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
417.	7418	तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
418.	7419 80 30	पीतल केरोसिन प्रेशर स्टोव
419.	7615	एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
420.	8306	आधार धातु से बनी घंटियाँ, घड़ियाल और इसी तरह की गैर-विद्युतीय वस्तुएँ; आधार धातु से बनी मूर्तियाँ और अन्य आभूषण; आधार धातु से बनी तस्वीर, फोटो या इसी तरह के फ्रेम; आधार धातु से बने दर्पण; धातु से बने बर्तन
421.	8401	परमाणु रिएक्टरों के लिए गैर-विकिरणित ईंधन तत्व (कारतूस)
422.	8407 10 00, 8411	विमान के इंजन
423.	8408	15 एचपी से अधिक शक्ति वाले निश्चित गति डीजल इंजन
424.	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाला कृषि डीजल इंजन
425.	8413, 8413 91	हैंडपंप और उसके पुर्जे
426.	8413 81 90	ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप
427.	8414 20 20	अन्य हैंडपंप
428.	8419 12	सौर जल हीटर और प्रणाली
429.	8420	हाथ से संचालित रबर रोलर
430.	8424	ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए नोजल या स्प्रीकलर के लिए नोजल
431.	8424	स्प्रीकलर; ड्रिप सिंचाई प्रणाली जिसमें लेटरल शामिल हैं; यांत्रिक स्प्रेयर
432.	8432	मिट्टी की तैयारी या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी; लॉन या खेल-मैदान रोलर्स; पार्ट्स [8432 90]
433.	8433	कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास काटने की मशीन, उसके भाग शामिल हैं
434.	8436	अन्य कृषि, बागवानी, वानिकी, मुर्गीपालन या मधुमक्खीपालन मशीनरी, जिसमें यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित अंकुरण संयंत्र, मुर्गीपालन इनक्यूबेटर और ब्रूडर, उसके भाग शामिल हैं।

435.	8452	सिलाई मशीनें, «पुस्तक के अलावा» - शीर्ष 8440 की सिलाई मशीनें; सिलाई मशीनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फर्नीचर, आधार और कवर; सिलाई मशीनें, सुइयां और सिलाई मशीनों के पुर्जे
436.	8479	खाद बनाने वाली मशीनें
437.	84, 85 या 94	निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और उनके निर्माण हेतु पुर्जे:- (क) बायोगैस संयंत्र; (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण; (ग) सौर ऊर्जा जनरेटर; (घ) पवन चक्कियाँ, पवन चालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी); (ङ) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र/उपकरण; (च) सौर लालटेन/सौर लैंप; (छ) समुद्री तरंग/ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपकरण/संयंत्र; (ज) फोटो वोल्टेइक सेल, मॉड्यूल में संयोजित या पैनल में निर्मित «चाहे हों या नहीं»। स्पष्टीकरण:- यदि इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्तियों के साथ की जाती है, जिनमें से एक अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [सा. का. नि. 690(अ)] में उल्लिखित तालिका की क्रम संख्या 38 पर निर्दिष्ट एक कर योग्य सेवा है, तो इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए लिए गए सकल प्रतिफल का सत्तर प्रतिशत (70%) माना जाएगा, और लिए गए सकल प्रतिफल का शेष तीस प्रतिशत (30%) उक्त कर योग्य सेवा का मूल्य माना जाएगा।
438.	8504	विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन
439.	8525 60	रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों आदि द्वारा उपयोग किया जाने वाला दो-तरफ़ा रेडियो (वाँकी-टाँकी)।
440.	87	ईंधन सेल मोटर वाहन, जिसमें ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन वाहन भी शामिल हैं
441.	87	विद्युत चालित वाहन, जिनमें दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन हैं जो पूरी तरह से बाहरी स्रोत से प्राप्त विद्युत ऊर्जा या ऐसे सड़क वाहनों में लगे एक या एक से अधिक विद्युत बैटरियों से चलते हैं और इसमें ई-साइकिल भी शामिल हैं।
442.	8701	ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर)
443.	8708	ट्रैक्टर के निम्नलिखित भाग: (क) ट्रैक्टर का पिछला पहिया रिम, (ख) ट्रैक्टर का केंद्र आवास, (ग) ट्रैक्टर आवास ट्रांसमिशन, (घ) ट्रैक्टर सपोर्ट फ्रंट एक्सल
444.	8708 10 10	ट्रैक्टरों के लिए बंपर और उनके पुर्जे

445.	8708 30 00	ट्रैक्टरों के लिए ब्रेक असेंबली और उसके पुर्जे
446.	8708 40 00	ट्रैक्टरों के लिए गियर बॉक्स और उसके पुर्जे
447.	8708 50 00	ट्रैक्टरों के लिए ट्रांसएक्सल और उसके पुर्जे
448.	8708 70 00	ट्रैक्टरों के लिए सड़क के पहिये और उनके पुर्जे और सहायक उपकरण
449.	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर और उसके भागों के लिए रेडिएटर असेंबली (ii) ट्रैक्टर इंजन और उसके भागों के लिए शीतलन प्रणाली
450.	8708 92 00	ट्रैक्टर और उसके पुर्जों के लिए साइलेंसर असेंबली
451.	8708 93 00	ट्रैक्टरों के लिए क्लच असेंबली और उसके पुर्जे
452.	8708 94 00	ट्रैक्टर के लिए स्टीयरिंग व्हील और उसके पुर्जे
453.	8708 99 00	ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक और उसके पुर्जे
454.	8708 99 00	ट्रैक्टरों के लिए फेंडर, हुड, रैपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और उसके पुर्जे।
455.	8710	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, मोटर चालित, हथियारों से सुसज्जित, और ऐसे वाहनों के पुर्जे
456.	8712	साइकिलें और अन्य साइकिलें (डिलीवरी ट्राइसाइकिल सहित), मोटर चालित नहीं
457.	8713	विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ियाँ, चाहे मोटर चालित हों या नहीं या अन्यथा यंत्र चालित हों
458.	8714	साइकिलों और अन्य साइकिलों (डिलीवरी ट्राइसाइकिलों सहित) के पुर्जे और सहायक उपकरण, जो मोटर चालित नहीं हैं, शीर्षक 8712 के अंतर्गत आते हैं
459.	8714 20	विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ी के पुर्जे और सहायक उपकरण
460.	8716 20 00	कृषि प्रयोजनों के लिए स्व-लोडिंग या स्व-अनलोडिंग ट्रेलर
461.	8716 80	हाथ से चलने वाले वाहन (जैसे हाथ गाड़ियाँ, रिक्शा और इसी तरह के वाहन); पशु चालित वाहन
462.	88 या कोई अन्य अध्याय	प्रक्षेपण यान, उपग्रह और पेलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, तंत्र, उपकरण, सहायक उपकरण, पुर्जे, घटक, स्पेयर, उपकरण, मॉक अप और मॉड्यूल, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं
463.	8802	अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज), निजी उपयोग के लिए (के अलावा)
464.	8806	मानवरहित विमान
465.	8807	शीर्ष 8802 या 8806 के माल के भाग
466.	8901	व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए कूज जहाज, भ्रमण नौकाएं, फेरी-बोट, मालवाहक जहाज, बजरे और इसी तरह के जहाज
467.	8902	मछली पकड़ने वाले जहाज; कारखाने के जहाज और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण या संरक्षण के लिए अन्य जहाज
468.	8904	टग और पुशर शिल्प
469.	8905	हल्के जहाज, अग्नि-तैरने वाले जहाज, ड्रेजर, तैरते हुए क्रेन और अन्य जहाज जिनकी नौगम्यता उनके मुख्य कार्य के अतिरिक्त है; तैरते हुए डॉक; तैरते हुए या निमज्जनीय ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफार्म
470.	8906	अन्य जहाज, जिनमें युद्धपोत और जीवनरक्षक नौकाएं शामिल हैं, नौकायन नौकाओं के अलावा
471.	8907	अन्य तैरती संरचनाएं (उदाहरण के लिए, राफ्ट, टैंक, कॉफ़र-डैम,

		लैंडिंग-स्टेज, बॉय और बीकन)
472.	कोई भी अध्याय	शीर्षक 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907 के माल के पुर्जे
473.	90	हृदय कैथेटर के साथ उपयोग के लिए कोरोनरी स्टेंट और कोरोनरी स्टेंट सिस्टम
474.	90 या कोई अन्य अध्याय	कृत्रिम किडनी
475.	90 या कोई अन्य अध्याय	रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर) और परीक्षण स्ट्रिप्स
476.	90 या कोई अन्य अध्याय	पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस / एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑक्लूजन डिवाइस
477.	90 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित वस्तुओं के भाग, अर्थात्: - (i) बैसाखी; (ii) व्हीलचेयर; (iii) चलने के फ्रेम; (iv) ट्राइसाइकिल; (v) ब्रेलर; और (vi) कृत्रिम अंग
478.	90 या कोई अन्य अध्याय	इस अनुसूची से संलग्न सूची 1 में निर्दिष्ट सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता और विकलांगों के लिए अन्य सामान
479.	90 या 84	डिस्पोजेबल स्टरलाइज्ड डायलाइजर या कृत्रिम किडनी का माइक्रो बैरियर
480.	9001	कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मे के लेंस
481.	9003	चश्मे, गॉगल्स या इसी तरह की चीजों के लिए फ्रेम और माउंटिंग, और उनके हिस्से
482.	9004	चश्मे, सुधारात्मक (दृष्टि सुधारने के लिए चश्मे सहित)
483.	9018	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उपकरण, जिनमें वैज्ञानिक उपकरण, अन्य विद्युत-चिकित्सा उपकरण और दृष्टि-परीक्षण उपकरण शामिल हैं
484.	9019	यांत्रिक चिकित्सा उपकरण; मालिश उपकरण; मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षण उपकरण; ओजोन चिकित्सा, ऑक्सीजन चिकित्सा, एरोसोल चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन या अन्य चिकित्सीय श्वसन उपकरण
485.	9020	अन्य श्वास उपकरण और गैस मास्क, सुरक्षात्मक मास्क को छोड़कर जिनमें न तो यांत्रिक भाग हों और न ही बदले जा सकने वाले फिल्टर हों
486.	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रस; स्प्लिट और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो पहने जाते हैं या ले जाए जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं, किसी दोष या विकलांगता की भरपाई के लिए; इंट्राओकुलर लेंस [श्रवण सहायक उपकरण के अलावा]
487.	9022	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोगों के लिए एक्स-रे या अल्फा, बीटा या गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण, जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार टेबल, कुर्सियां और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं।
488.	9025	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए थर्मामीटर
489.	9027	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए उपकरण और तंत्र, भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए

490.	9403	पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर
491.	9404	नारियल के रेशे से बने उत्पाद (नारियल के गद्दों को छोड़कर)
492.	9404	पूर्णतः रजाईदार वस्त्र सामग्री से बने उत्पाद, जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति नग से अधिक नहीं होगी।
493.	9404	2500 रुपये प्रति नग से अधिक मूल्य की सूती रजाइयां
494.	9401 10 00	विमान की सीटें
495.	9405	हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप / प्रेशर लालटेन, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी और उसके हिस्से
496.	9503	प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बने खिलौने गुब्बारे
497.	9503	खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि (उनके पुर्जे और सहायक उपकरण सहित) [इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा]
498.	9504	ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम, जैसे लूडो, आदि (वीडियो गेम कंसोल और मशीनों के अलावा)
499.	9506	सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए खेल सामग्री और उपकरणों के अलावा
500.	9507	मछली पकड़ने के कांटे
501.	9507	मछली पकड़ने की छड़ें, और अन्य मछली पकड़ने की लाइन; मछली पकड़ने के जाल, तितली जाल और इसी तरह के जाल; फँसाने वाले पक्षी (शीर्षक 9208 या 9705 के अलावा) और इसी तरह के शिकार या शूटिंग की आवश्यकताएं
502.	9601	हाथी दांत, हड्डी, कछुए के खोल, सींग, सींग, मूंगा, मोती और अन्य पशु नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं, मूंगा से बनी वस्तुएं (ढलाई द्वारा प्राप्त वस्तुएं सहित)
503.	9603 [9603 10 00 के अलावा]	झाड़ू (झाड़ू के अलावा जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्री से बनी होती हैं, हैंडल के साथ या बिना हैंडल के)
504.	9603 21 00	दूधब्रश (सहित) डेंटल-प्लेट ब्रश
505.	9607	स्लाइड फास्टरों और उसके भागों
506.	9615	कंधे, हेयर-स्लाइड और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; हेयरपिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप, हेयर-कर्लर और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, शीर्ष 8516 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर, और उनके भाग
507.	9619 00 30, 9619 00 40, या 9619 00 90	सभी सामान
508.	9701	शीर्ष 4906 के चित्रों को छोड़कर तथा हाथ से चित्रित या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं को छोड़कर, पूर्णतः हाथ से बनाई गई पेंटिंग, रेखाचित्र और पेस्टल; कोलाज, मोज़ाइक और इसी प्रकार की सजावटी पट्टिकाएँ
509.	9702	मूल उत्कीर्णन, प्रिंट और लिथोग्राफ
510.	9703	किसी भी सामग्री में मूल मूर्तियां और प्रतिमा
511.	9704	डाक या राजस्व टिकट, स्टाम्प-पोस्टमार्क, प्रथम दिवस कवर, डाक स्टेशनरी (स्टाम्प पेपर), और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, प्रयुक्त या अप्रयुक्त, शीर्ष 4907 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर
512.	9705	प्राणिविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खनिज विज्ञान, शारीरिक रचना, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, जीवाश्म विज्ञान, नृवंशविज्ञान या मुद्राशास्त्रीय रुचि के संग्रह और संग्राहकों के टुकड़े, जिनमें मुद्राशास्त्रीय सिक्के भी शामिल हैं

513.	9706	एक सौ वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएँ
514.	9804	सभी औषधियाँ या औषधियाँ (सहित) उनके लवण और एस्टर और नैदानिक परीक्षण किट और फॉर्मूलेशन जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं [उनके अलावा] जो अधिसूचना संख्या 10/2025-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 17 सितंबर, 2025 क्रम संख्या 113 में शून्य पर निर्दिष्ट हैं]
515.	कोई भी अध्याय	माला, प्रार्थना की माला या हवन सामग्री
516.	कोई भी अध्याय	बायोमास ब्रिकेट या ठोस जैव ईंधन छर्रे

सूची 1 [अनुसूची I की क्रम संख्या 478 देखें]

- (क) (1) ब्रेल लेखक और ब्रेल लेखन उपकरण
 (2) हस्तलेखन उपकरण ब्रेल फ्रेम, स्लेट, लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्क्रिप्ट लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्टाइलस, ब्रेल इरेज़र
 (3) छड़ियाँ, सोनिक गाइड जैसी इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री
 (4) ऑप्टिकल, पर्यावरणीय सेंसर
 (5) टेलर फ्रेम (अंकगणित और बीजगणित प्रकार), क्यूबरिथम, स्पीकिंग या ब्रेल कैलकुलेटर जैसे अंकगणितीय सहायक उपकरण
 (6) संयुक्त ग्राफ और गणितीय प्रदर्शन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्टर, तराजू, कंपास और स्पार व्हील जैसे ज्यामितीय सहायक उपकरण
 (7) इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण, जैसे कैलिपर, माइक्रोमीटर, तुलनित्र, गेज, गेज ब्लॉक, लेवल, रूलर, रूलर और यार्डस्टिक
 (8) ड्राफ्टिंग, ड्राइंग सहायक सामग्री, स्पर्शनीय प्रदर्शन
 (9) विशेष रूप से अनुकूलित घड़ियाँ और घड़ियाँ
- (ख) (1) प्रथम अनुसूची के शीर्षक संख्या 87.13 के अंतर्गत आने वाली व्हीलचेयर
 (2) विकलांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट
- (ग) कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र और उसके पुर्जे
- (घ) कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक कान (कोक्लियर इम्प्लांट)
- (ङ) (1) बोलने वाली पुस्तकें (कैसेट, डिस्क या अन्य ध्वनि प्रतिकृतियों के रूप में) और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, ब्रेल एम्बॉसर, बोलने वाले कैलकुलेटर, बोलने वाले थर्मामीटर
 (2) ब्रेल और रिकॉर्ड की गई सामग्री के यांत्रिक या कम्प्यूटरीकृत उत्पादन के लिए उपकरण जैसे ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनल और डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल, ट्रांसफर और प्रेसिंग मशीन और स्टीरियो टाइपिंग मशीन
 (3) ब्रेल पेपर
 (4) सभी मूर्त उपकरण जिसमें शामिल वस्तुएं, यंत्र, उपकरण, विशेष रूप से दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए
 (5) दृष्टिहीनों की गतिशीलता में सुधार के लिए सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास और बाधा पहचान उपकरण और सफेद छड़ियाँ
 (6) दृष्टिहीनों की शिक्षा, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तकनीकी सहायताएँ जैसे ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियाँ, शिक्षण और सीखने के सहायक उपकरण, खेल और अन्य उपकरण तथा दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित व्यावसायिक सहायताएँ
 (7) सहायक श्रवण उपकरण, ऑडियोमीटर
 (8) बाहरी कैथेटर, बिस्तर के घावों को रोकने के लिए विशेष जेली कुशन, सीढ़ी लिफ्ट, मूत्र संग्रह बैग
 (9) गंभीर रूप से शारीरिक रूप से विकलांग रोगियों के लिए उपकरण और प्रत्यारोपण और जोड़ों के प्रतिस्थापन और रीढ़ की हड्डी के उपकरण और प्रत्यारोपण जिसमें शामिल हड्डी सीमेंट।

अनुसूची II – 9 %

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	1702	कृत्रिम शहद, चाहे प्राकृतिक शहद के साथ मिलाया गया हो या नहीं
2	2207	किसी भी क्षमता के विकृत एथिल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट [मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किए गए एथिल अल्कोहल के अलावा]
3	22071012	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट
4	2209	एसिटिक एसिड से प्राप्त सिरका और सिरका के विकल्प
5	24041200	निकोटीन युक्त उत्पाद जो बिना दहन के साँस लेने के लिए हैं
6	24049100, 24049200, 24049900	मौखिक उपयोग या त्वचा के पार उपयोग के लिए या मौखिक या त्वचा के पार उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए उत्पाद, जिनमें निकोटीन होता है और जिनका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को बंद करने में सहायता करना है
7	2515 12 20, 2515 12 90	संगमरमर और ट्रेवर्टीन, ब्लॉकों के अलावा
8	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक के अलावा
9	2523	पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और इसी तरह के हाइड्रोलिक सीमेंट, चाहे रंगीन हों या क्लिकर के रूप में हों
10	2601	लौह अयस्क और सांद्र, जिसमें भुना हुआ लौह पाइराइट भी शामिल है
11	2602	मैंगनीज अयस्क और सांद्र, जिसमें लौहयुक्त मैंगनीज अयस्क और सांद्र शामिल हैं, जिनमें 20% या उससे अधिक मैंगनीज सामग्री होती है, जिसकी गणना शुष्क भार पर की जाती है।
12	2603	तांबे के अयस्क और सांद्र
13	2604	निकल अयस्क और सांद्र
14	2605	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र
15	2606	एल्यूमीनियम अयस्क और सांद्र
16	2607	सीसा अयस्क और सांद्र
17	2608	जिंक अयस्क और सांद्र
18	2609	टिन अयस्क और सांद्र
19	2610	क्रोमियम अयस्क और सांद्र
20	2619	स्लैग, कचरा (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और लोहे या इस्पात के निर्माण से उत्पन्न अन्य अपशिष्ट, लिंज़-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग के अलावा
21	2620	धातु, आर्सेनिक या उनके यौगिकों से युक्त स्लैग, राख और अवशेष (लोहे या इस्पात के निर्माण से प्राप्त अवशेषों को छोड़कर)
22	2621	अन्य लावा और राख, जिसमें समुद्री शैवाल राख (केल्प) शामिल है; नगरपालिका अपशिष्ट के दहन से राख और अवशेष [फ्लाई ऐश के अलावा]
23	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट, अंडाकार और इसी प्रकार के ठोस ईंधन
24	2702	लिग्नाइट, (चाहे या नहीं) समूहित, (जेट को छोड़कर)

25	2703	पीट (पीट कूड़े सहित), चाहे एकत्रित हो या नहीं
26	2706	कोयले, लिग्नाइट या पीट और अन्य खनिज टार से आसुत टार, चाहे निर्जलित हो या आंशिक रूप से आसुत, पुनर्गठित टार सहित
27	2707	उच्च तापमान कोल तार के आसवन से प्राप्त तेल और अन्य उत्पाद; समान उत्पाद जिनमें सुगंधित घटकों का भार गैर-सुगंधित घटकों से अधिक होता है, जैसे बेंजोल (बेंजीन), टोल्यूओल (टोल्यूईन), ज़ाइलोल (ज़ाइलीन), नेफ़थलीन
28	2708	पिच और पिच कोक, कोयला टार या अन्य खनिज टार से प्राप्त
29	2710	पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल, कच्चे पेट्रोलियम के अलावा; अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं की गई तैयारियां, जिनमें भार के अनुसार 70% या अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल हैं, ये तेल तैयारियों के मूल घटक हैं; अपशिष्ट तेल; एवगैस (केरोसिन पीडीएस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के अलावा जो जीएसटी में नहीं हैं)
30	2711	पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और ब्यूटाडाइन [द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) के अलावा, जो घरेलू उपभोक्ताओं को या गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) के ग्राहकों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति के लिए हैं]
31	2712	पेट्रोलियम जेली; पैराफिन मोम, माइक्रो-क्रिस्टलीय पेट्रोलियम मोम, स्लैक मोम, ओजोकेराइट, लिग्नाइट मोम, पीट मोम, अन्य खनिज मोम, और संश्लेषण या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त इसी तरह के उत्पाद, रंगीन हों या नहीं
32	2713	पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम बिटुमेन और पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के अन्य अवशेष
33	2714	बिटुमेन और डामर, प्राकृतिक; बिटुमिनस या तेल शेल और टार रेत; डामर और डामर चट्टानें
34	2715	प्राकृतिक डामर, प्राकृतिक बिटुमेन, पेट्रोलियम बिटुमेन, खनिज टार या खनिज टार पिच (उदाहरण के लिए, बिटुमेन मैस्टिक्स, कट-बैक) पर आधारित बिटुमेन मिश्रण
35	28	सभी अकार्बनिक रसायन [दिनांक 17 सितम्बर 2025 की अधिसूचना संख्या 10/2025- केन्द्रीय कर (दर) या इस अधिसूचना की अन्य अनुसूचियों में निर्दिष्ट रसायनों के अलावा]
36	29	जिबरेलिक एसिड के अलावा सभी कार्बनिक रसायन
37	2906 11 90	प्राकृतिक मेन्थॉल के अलावा अन्य सामान
38	29061190, 30, 3301	प्राकृतिक मेन्थॉल के अलावा अन्य से निर्मित निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात्:- क. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, ख. पेपरमिंट (मेन्था तेल)

		ग. फ्रैक्शनेटेड/डी-टेरपेनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ) घ. डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ) ङ. स्पीयरमिट तेल च. मेन्था पिपेरिटा तेल
39	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनयुक्त, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
40	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फॉस्फेटिक, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
41	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटैश उर्वरक, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
42	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या तीन उर्वरक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के सामान गोलियों या समान रूपों में या 10 किलोग्राम से अधिक सकल वजन के पैकेज में, जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है।
43	3201	वनस्पति मूल के टैनिंग अर्क; टैनिन और उनके लवण, ईथर, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न (वैटल अर्क, क्यूब्राचो अर्क, चेस्टनट अर्क के अलावा)
44	3202	सिंथेटिक कार्बनिक टैनिंग पदार्थ; अकार्बनिक टैनिंग पदार्थ; टैनिंग तैयारियां, चाहे उनमें प्राकृतिक टैनिंग पदार्थ हों या नहीं (टैनिंग-पूर्व के लिए एंजाइमेटिक तैयारियों के अलावा)
45	3203	वनस्पति या पशु मूल के रंग पदार्थ (रंगाई अर्क सहित, लेकिन पशु काला को छोड़कर), रासायनिक रूप से परिभाषित है या नहीं; वनस्पति या पशु मूल के रंग पदार्थ के आधार पर इस अध्याय के नोट 3 में निर्दिष्ट तैयारियां
46	3204	सिंथेटिक कार्बनिक रंग पदार्थ, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं; सिंथेटिक कार्बनिक रंग पदार्थ पर आधारित इस अध्याय के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट तैयारियां; फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट या ल्यूमिनोफोर के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के सिंथेटिक कार्बनिक उत्पाद, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं
47	3205	रंगीन झीलें; रंगीन झीलों के आधार पर इस अध्याय के (नोट) 3 में निर्दिष्ट तैयारियाँ
48	3206	अन्य रंग पदार्थ; इस अध्याय के (टिप्पणी) 3 में निर्दिष्ट तैयारियां, शीर्षक 32.03, 32.04 या 32.05 के (से भिन्न); एक प्रकार के अकार्बनिक उत्पाद जो ल्यूमिनोफोर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं
49	3207	तैयार वर्णक, तैयार अपारदर्शी और तैयार रंग, विट्रिफायबल एनामेल और ग्लेज़, एंगोब (स्लिप), द्रव चमक और इसी प्रकार की तैयारियां जो सिरेमिक, एनामेलिंग या कांच उद्योग में उपयोग की जाती हैं; कांच फ्रिट और अन्य कांच, पाउडर, कणिकाओं या गुच्छों के रूप में
50	3208	सिंथेटिक पॉलिमर या रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर पर आधारित पेंट और वार्निश (इनामेल और लैकर सहित), जो गैर-जलीय माध्यम में फैले या घुले हुए हैं; इस अध्याय के अनुच्छेद 4 में परिभाषित समाधान

51	3209	सिंथेटिक पॉलिमर या रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर पर आधारित पेंट और वार्निश (इनामेल और लैकर सहित), जलीय माध्यम में फैले या घुले हुए
52	3210	अन्य पेंट और वार्निश (इनामेल, लैकर और डिस्टेंपर सहित); चमड़े को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के तैयार जल वर्णक
53	3211 00 00	तैयार ड्रायर
54	3212	गैर-जलीय माध्यम में फैले हुए द्रव या पेस्ट के रूप में रंजक (धात्विक पाउडर और गुच्छे सहित), एक प्रकार के जो पेंट (इनामेल सहित) के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं; मुद्रांकन पन्नी; रंग और अन्य रंग पदार्थ जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म या पैकिंग में रखा जाता है।
55	3213	कलाकारों, छात्रों या साइनबोर्ड चित्रकारों के रंग, संशोधित रंग, मनोरंजन रंग और इसी तरह की चीजें, टैबलेट, ट्यूब, जार, बोतल, पैन या इसी तरह के रूपों या पैकिंग में
56	3214	ग्लेज़ियर्स पुट्टी, ग्राफ़िंग पुट्टी, रेजिन सीमेंट, कोल्किंग कम्पाउंड और अन्य मैस्टिक्स; पेंटर्स फिलिंग्स; अग्रभाग, आंतरिक दीवारों, फर्शों, छतों या इसी तरह के अन्य भागों के लिए गैर-दुर्लभ सतह तैयारियां
57	3215	सभी सामान, जिसमें मुद्रण स्याही, लेखन या चित्रकारी स्याही और अन्य स्याही शामिल हैं, चाहे वे सांद्रित हों या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही
58	3301	आवश्यक तेल (टेरपीन रहित या नहीं), जिसमें कंक्रीट और एब्सोल्यूट शामिल हैं; रेसिनोइड्स; निकाले गए ओलियोरेसिन; वसा, स्थिर तेलों, मोम या इसी तरह के आवश्यक तेलों के सांद्र, जो एनफ्लूरेज या मैक्रेशन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं; आवश्यक तेलों के डिस्टिलेशन के टेरपीनिक उप-उत्पाद; आवश्यक तेलों के जलीय आसवन और जलीय घोल जैसे कि खट्टे फलों के आवश्यक तेल, खट्टे फलों के आवश्यक तेलों के अलावा अन्य आवश्यक तेल जैसे कि नीलगिरी का तेल, आदि, सभी प्रकार के स्वाद सार (शराब के लिए शामिल), स्थिर तेल आधारों में सभी प्रकार के अंतर
59	3302	गंधयुक्त पदार्थों के मिश्रण और इनमें से एक या अधिक पदार्थों के आधार पर मिश्रण (अल्कोहलिक घोल सहित), जिनका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है; गंधयुक्त पदार्थों पर आधारित अन्य तैयारियां, जिनका उपयोग पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे सिंथेटिक परफ्यूमरी यौगिक [प्राकृतिक मेन्थॉल और प्राकृतिक मेन्थॉल से बने सामान, जैसे मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, पेपरमिंट (मेन्था ऑयल), फ्रैक्शनेटेड/डी-टेरपेनेटेड मेन्था ऑयल (डीटीएमओ), डी-मेन्थोलाइज्ड ऑयल (डीएमओ), स्पीयरमिंट ऑयल, मेन्था पिपेरिता ऑयल]
60	3303	इत्र और शौचालय का पानी
61	3304	सौंदर्य या मेकअप की तैयारी और त्वचा की देखभाल के लिए तैयारी (औषधियों के अलावा) जिसमें सनस्क्रीन या सन टैन की तैयारी शामिल है; मैनीक्योर या पेडीक्योर की तैयारी [काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता, टैल्कम

		पाउडर और फेस पाउडर के अलावा]
62	3305	बालों पर उपयोग के लिए तैयारियाँ [कोन में मेहंदी पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू के अलावा]
63	3306	मौखिक या दंत स्वच्छता के लिए तैयारियाँ, जिसमें व्यक्तिगत खुदरा पैकेज में डेन्चर फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर शामिल हैं [दांतों के बीच सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूध पाउडर, दूध पेस्ट और धागे के अलावा (डेंटल फ्लॉस)]
64	3307	प्री-शेव, शेविंग या आफ्टर-शेव तैयारियाँ, व्यक्तिगत डिओडोरेंट, स्नान तैयारियाँ, डेपिलेटरी और अन्य सुगंधित पदार्थ, कॉस्मेटिक या शौचालय तैयारियाँ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; तैयार रूम डिओडोराइज़र, चाहे सुगंधित हों या नहीं या जिनमें कीटाणुनाशक गुण हों [शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन और आफ्टरशेव लोशन के अलावा]
65	3307 41 00	गंधयुक्त तैयारी जो जलाने से संचालित होती है [अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, संभरानी के अलावा]
66	3401	साबुन; साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियाँ, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में, साबुन युक्त हो या न हो [टॉयलेट साबुन के अलावा, बार, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में]; त्वचा धोने के लिए कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियाँ, तरल या क्रीम के रूप में और खुदरा बिक्री के लिए रखी गई, साबुन युक्त हो या न हो; कागज, वैडिंग, फेल्ड और नॉनवोवन, साबुन या डिटर्जेंट से संसेचित, लेपित या ढके हुए
67	3402	कार्बनिक सतह-सक्रिय कारक (साबुन के अलावा); सतह-सक्रिय तैयारियाँ, धुलाई तैयारियाँ (सहायक धुलाई तैयारियों सहित) और सफाई तैयारियाँ, चाहे साबुन युक्त हों या नहीं, शीर्षक 3401 के अलावा [सल्फोनेटेड अरंडी का तेल, मछली का तेल या शुक्राणु तेल के अलावा]
68	3403	स्नेहक तैयारियाँ (जिसमें कटिंग-ऑयल तैयारियाँ, बोल्ट या नट रिलीज तैयारियाँ, जंग-रोधी या संक्षारण-रोधी तैयारियाँ और स्नेहक पर आधारित मोल्ड रिलीज तैयारियाँ शामिल हैं) और कपड़ा सामग्री, चमड़ा, फरस्किन या अन्य सामग्रियों के तेल या ग्रीस उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली तैयारियाँ, लेकिन मूल घटकों के रूप में पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के वजन के हिसाब से 70% या अधिक युक्त तैयारियाँ शामिल नहीं हैं।
69	3404	कृत्रिम मोम और तैयार मोम
70	3405	जूते, फर्नीचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पॉलिश और क्रीम, स्क्रबिंग पेस्ट और पाउडर और इसी तरह की तैयारियाँ (कागज, वैडिंग, फेल्ड, नॉनवोवन, सेलुलर प्लास्टिक या सेलुलर रबर के रूप में हो या न हो, ऐसी तैयारियों से संसेचित, लेपित या ढके हुए), शीर्ष 3404 के मोम को छोड़कर
71	3407	मॉडलिंग पेस्ट, जिनमें बच्चों के मनोरंजन के लिए रखे गए पेस्ट भी शामिल हैं; "डेंटल वैक्स" या "डेंटल इंप्रेशन

		कम्पाउंड" के रूप में जानी जाने वाली तैयारियां, जो खुदरा बिक्री के लिए सेट, पैकिंग में या प्लेटों, घोड़े की नाल के आकार, छड़ियों या इसी तरह के रूपों में उपलब्ध हैं; दंत चिकित्सा में उपयोग के लिए अन्य तैयारियां, प्लास्टर (कैल्सीनेटेड जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट) के आधार के साथ
72	3501	कैसीन, कैसीनेट और अन्य कैसीन व्युत्पन्न; कैसीन गोंद
73	3502	एल्बुमिन (जिसमें दो या अधिक व्हे प्रोटीन के सांद्र शामिल हैं, जिनमें शुष्क पदार्थ के आधार पर 80% से अधिक व्हे प्रोटीन होते हैं), एल्बुमिनेट और अन्य एल्बुमिन व्युत्पन्न
74	3504	पेप्टोन और उनके व्युत्पन्न; अन्य प्रोटीन पदार्थ और उनके व्युत्पन्न, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; छिपा हुआ पाउडर, क्रोमयुक्त हो या न हो; पृथक सोया प्रोटीन सहित
75	3506	तैयार गोंद और अन्य तैयार चिपकाने वाले पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त उत्पाद, गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए, जिनका शुद्ध भार 1 किलोग्राम से अधिक न हो।
76	3507	एंजाइम, तैयार एंजाइम
77	3601	प्रणोदक पाउडर
78	3602	तैयार विस्फोटक, प्रणोदक पाउडर के अलावा, जैसे औद्योगिक विस्फोटक
79	3603	सुरक्षा फ़्यूज़; डेटोनेटिंग कॉर्ड; पक्यूशन या डेटोनेटिंग कैप; इग्नाइटर; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर
80	3604	आतिशबाजी, सिग्नलिंग फ्लेयर्स, वर्षा रॉकेट, कोहरे के संकेत और अन्य आतिशबाजी सामग्री
81	3606	सभी रूपों में फेरो-सेरियम और अन्य पायरोफोरिक मिश्रधातुएं; इस अध्याय के नोट 2 में निर्दिष्ट दहनशील पदार्थों की वस्तुएं; जैसे कि सिगरेट या इसी तरह के लाइटर को भरने या फिर से भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों में तरल या द्रवीकृत गैस ईंधन
82	3701	कागज, पेपरबोर्ड या वस्त्रों के अलावा किसी भी सामग्री के फ्लैट, संवेदनशील, अप्रकाशित फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म; फ्लैट, संवेदनशील, अप्रकाशित, पैक में तत्काल प्रिंट फिल्म; जैसे तत्काल प्रिंट फिल्म, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म (चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे के अलावा)
83	3702	कागज, पेपरबोर्ड या वस्त्रों के अलावा किसी भी सामग्री से बनी, संवेदित, अप्रकाशित, रोल में फोटोग्राफिक फिल्म; रोल में तत्काल प्रिंट फिल्म, संवेदित, अप्रकाशित
84	3703	फोटोग्राफिक पेपर, पेपरबोर्ड और वस्त्र, संवेदनशील, अप्रकाशित
85	3704	फोटोग्राफिक प्लेट, फिल्म, कागज, पेपरबोर्ड और वस्त्र, उजागर लेकिन विकसित नहीं
86	3706	सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, एक्सपोज़्ड और डेवलप्ड, (चाहे या नहीं) जिसमें साउंड ट्रैक शामिल हो या केवल साउंड ट्रैक हो
87	3707	फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए रासायनिक तैयारियां (वार्निश, गोंद, चिपकाने वाले पदार्थ और इसी प्रकार की तैयारियों के अलावा); फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए

		अमिश्रित उत्पाद, मापित मात्रा में रखे गए या उपयोग के लिए तैयार रूप में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए
88	3801	कृत्रिम ग्रेफाइट; कोलाइडल या अर्ध-कोलाइडल ग्रेफाइट; पेस्ट, ब्लॉक, प्लेट या अन्य अर्ध-निर्मित सामग्री के रूप में ग्रेफाइट या अन्य कार्बन पर आधारित तैयारी
89	3802	सक्रिय कार्बन; सक्रिय प्राकृतिक खनिज उत्पाद; पशु काला, (सहित) व्ययित पशु काला
90	3803 00 00	टॉल ऑयल, चाहे रिफाईंड हो या नहीं
91	3804	लकड़ी की लुगदी के निर्माण से अवशिष्ट लाइ, चाहे सांद्रित, शर्करा रहित या रासायनिक रूप से उपचारित हो या न हो, जिसमें लिग्निन सल्फोनेट शामिल हैं, लेकिन शीर्षक 3803 के टॉल ऑयल को छोड़कर
92	3805	गोंद, लकड़ी या सल्फेट तारपीन और अन्य टेरपीनिक तेल जो शंकुधारी लकड़ी के आसवन या अन्य उपचार द्वारा उत्पादित होते हैं; अपरिष्कृत डिपेंटीन; सल्फाइट तारपीन और अन्य अपरिष्कृत पैरा-साइमीन; मुख्य घटक के रूप में अल्फा-टेरपीनॉल युक्त चीड़ का तेल
93	3806	राल और राल अम्ल, और उनके व्युत्पन्न; राल स्पिरिट और राल तेल; रन गम्स
94	3807	लकड़ी का टार; लकड़ी का टार तेल; लकड़ी का क्रियोसोट; लकड़ी का नेफ्था; वनस्पति पिच; ब्रुअर्स पिच और रोसिन, राल एसिड या वनस्पति पिच पर आधारित समान तैयारियां
95	3808	कीटनाशक, कृतकनाशक, कवकनाशक, शाकनाशक, अंकुरण रोधी उत्पाद और पौध-वृद्धि नियामक, कीटाणुनाशक और इसी प्रकार के उत्पाद [अनुसूची-I के क्रम संख्या 260 के समक्ष उल्लिखित जैव-कीटनाशकों के अलावा]
96	3809	परिष्करण एजेंट, रंग वाहक, रंग पदार्थों और अन्य उत्पादों और तैयारियों (उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग और रंगस्थापक) की रंगाई या स्थिरीकरण में तेजी लाने के लिए, एक प्रकार का कपड़ा, कागज, चमड़ा या इसी तरह के उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
97	3810	धातु की सतहों के लिए पिकलिंग तैयारियां; सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिए फ्लक्स और अन्य सहायक तैयारियां; धातु और अन्य सामग्रियों से बने सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग पाउडर और पेस्ट; वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या छड़ के लिए कोर या कोटिंग्स के रूप में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की तैयारियां
98	3811	खनिज तेलों (गैसोलीन सहित) या खनिज तेलों के समान प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य तरल पदार्थों के लिए, दस्तक-रोधी तैयारियां, ऑक्सीकरण अवरोधक, गोंद अवरोधक, श्यानता सुधारक, संक्षारण-रोधी तैयारियां और अन्य तैयार योजक
99	3812	तैयार रबर त्वरक; रबर या प्लास्टिक के लिए मिश्रित प्लास्टिसाइज़र, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; रबर या प्लास्टिक के लिए ऑक्सीकरण-रोधी तैयारियाँ और अन्य मिश्रित स्टेबलाइज़र जैसे रबर के लिए बल्केनाइजिंग

		एजेंट
100	3813	अग्निशामक यंत्रों की तैयारी और शुल्क; आग बुझाने वाले ग्रेनेडों की तैयारी और शुल्क
101	3814	कार्बनिक मिश्रित विलायक और पतले पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; तैयार पेंट या वार्निश रिमूवर
102	3815	प्रतिक्रिया आरंभक, प्रतिक्रिया त्वरक और उत्प्रेरक तैयारियाँ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
103	3816	दुर्दम्य सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट और इसी तरह की रचनाएं, शीर्ष 3801 के उत्पादों के अलावा [डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण के अलावा]
104	3817	मिश्रित एल्काइलबेन्ज़ीन और मिश्रित एल्काइलनेफ़थलीन, शीर्षक 2707 या 2902 के अलावा
105	3818	इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए डिस्क, वेफर्स या समान रूपों में डोप किए गए रासायनिक तत्व; इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए डोप किए गए रासायनिक यौगिक [सिलिकॉन वेफर्स के अलावा]
106	3819	हाइड्रोलिक ब्रेक तरल पदार्थ और हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के लिए अन्य तैयार तरल पदार्थ, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों का भार 70% से कम या उससे कम हो
107	3820	एंटी-फ्रीजिंग तैयारियां और तैयार डी-आइसिंग तरल पदार्थ
108	3821	सूक्ष्म जीवों (वायरस और इसी तरह के जीवों सहित) या पौधे, मानव या पशु कोशिकाओं के विकास या रखरखाव के लिए तैयार संवर्धन माध्यम
109	3823	औद्योगिक मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड, शोधन से अम्लीय तेल; औद्योगिक फैटी अल्कोहल
110	3824	फाउंड्री मोल्ड्स या कोर के लिए तैयार बाइंडर; रासायनिक उत्पाद और रासायनिक या संबद्ध उद्योगों की तैयारियां (प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण से बनी तैयारियां भी शामिल हैं), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
111	3825	रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के अवशिष्ट उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [नगरपालिका अपशिष्ट; मल-गाद; इस अध्याय के (नोट) 6 में निर्दिष्ट अन्य अपशिष्टों को छोड़कर।]
112	3826	बायोडीजल (तेल विपणन कंपनियों को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए आपूर्ति किए गए बायोडीजल के अलावा)
113	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हैलोजनयुक्त व्युत्पन्नों वाले मिश्रण, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
114	3901 से 3913	सभी वस्तुएं अर्थात् पॉलिमर; पॉलीएसीटल, अन्य पॉलीइथर, इपॉक्साइड रेजिन, पॉलीकार्बोनेट, एल्केड रेजिन, पॉलीएलिल एस्टर, अन्य पॉलिएस्टर; पॉलियामाइड; एमिनो-रेजिन, फेनोलिक रेजिन और पॉलीयूरेथेन; सिलिकॉन; पेट्रोलियम रेजिन, क्यूमरोन-इंडीन रेजिन, पॉलीटरपीन, पॉलीसल्फाइड, पॉलीसल्फोन और इस अध्याय के (नोट) 3 में निर्दिष्ट अन्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; सेल्यूलोज और इसके रासायनिक

		व्युत्पन्न, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्राकृतिक पॉलिमर (उदाहरण के लिए, एल्विनिक एसिड) और संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर (उदाहरण के लिए, कठोर प्रोटीन, प्राकृतिक रबर के रासायनिक व्युत्पन्न), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्राथमिक रूपों में
115	3914	शीर्षक 3901 से 3913 के पॉलिमर पर आधारित आयन एक्सचेंजर्स, प्राथमिक रूपों में
116	3915	प्लास्टिक का अपशिष्ट, छिलके और स्क्रेप
117	3916	मोनोफिलामेंट जिसका कोई भी अनुप्रस्थ काट आयाम 1 मिमी से अधिक हो, छड़ें, छड़ें और प्रोफाइल आकार, (चाहे या नहीं) सतह पर काम किया गया हो लेकिन अन्यथा काम नहीं किया गया हो, प्लास्टिक का
118	3917	प्लास्टिक की ट्यूबें, पाइप और होज़, और उनकी फिटिंग
119	3918	प्लास्टिक के फर्श कवरिंग, चाहे स्वयं चिपकने वाले हों या नहीं, रोल में या टाइल के रूप में; प्लास्टिक के दीवार या छत कवरिंग, जैसा कि इस अध्याय के नोट 9 में परिभाषित किया गया है
120	3919	स्वयं चिपकने वाली प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी, टेप, पट्टी और प्लास्टिक के अन्य सपाट आकार, चाहे रोल में हों या नहीं
121	3920	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी और पट्टी, गैर-सेलुलर और प्रबलित नहीं, लैमिनेटेड, समर्थित या इसी तरह अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त नहीं
122	3921	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी और पट्टी
123	3922	स्नानघर, शावर-स्नानघर, सिंक, वॉश-बेसिन, बिडेट, शौचालय पैन, सीटें और कवर, फ्लशिंग सिस्टर्न और प्लास्टिक से बने इसी तरह के सैनिटरी वेयर
124	3923	माल के परिवहन या पैकिंग के लिए प्लास्टिक की वस्तुएं; प्लास्टिक के स्टॉपर, ढक्कन, कैप और अन्य बंद करने वाले उपकरण
125	3924	प्लास्टिक से बने टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान और स्वच्छता या शौचालय के सामान
126	3925	प्लास्टिक से बने बिल्डरों के सामान, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
127	3926	प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं और शीर्षक 3901 से 3914 तक की अन्य सामग्रियों की वस्तुएं [प्लास्टिक की चूड़ियां, प्लास्टिक के मोती और दूध पिलाने की बोतलें के अलावा]
128	4002	तेलों से प्राप्त सिंथेटिक रबर और पदार्थ, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में; शीर्षक 4001 के किसी भी उत्पाद का इस शीर्षक के किसी भी उत्पाद के साथ मिश्रण, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में; जैसे लेटेक्स, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूटाडाइन रबर (बीआर), आइसोब्यूटीन-आइसोप्रीन (ब्यूटाइल) रबर (आईआईआर), एथिलीन-प्रोपिलीन-गैर-संयुग्मित डायन रबर (ईपीडीएम)
129	4003	प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में पुनः प्राप्त रबर
130	4004	रबर के अपशिष्ट, छिलके और स्क्रेप से प्राप्त पाउडर और कणिकाएँ (कठोर रबर के अलावा)

131	4005	मिश्रित रबर, वल्कनीकृत नहीं, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में
132	4006	अन्य रूप (उदाहरण के लिए, छड़, ट्यूब और प्रोफाइल आकार) और वस्तुएं (उदाहरण के लिए, डिस्क और छल्ले), अनवल्कनाइज्ड रबर के
133	4007	वल्कनीकृत रबर धागा और डोरी, लेटेक्स रबर धागे के अलावा
134	4008	कठोर रबर के अलावा वल्कनीकृत रबर की प्लेटें, शीट, पट्टी, छड़ें और प्रोफाइल आकार
135	4009	कठोर रबर के अलावा वल्कनीकृत रबर से बनी ट्यूब, पाइप और होज़, उनकी फिटिंग के साथ या उसके बिना (उदाहरण के लिए, जोड़, कोहनी, फ्लैज)
136	4010	वल्कनीकृत रबर से बने कन्वेयर या ट्रांसमिशन बेल्ट या बेल्टिंग
137	4011	रबर के नए वायवीय टायर (साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायरों के अलावा; पीछे के ट्रैक्टर टायरों के अलावा; और विमान में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायरों के अलावा)
138	4012	रबर के पुनः तरीदार या प्रयुक्त वायवीय टायर; रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप
139	4013	रबर की आंतरिक ट्यूबें (साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/पर प्रयुक्त होने वाली प्रकार की ट्यूबों के अलावा; और पीछे के ट्रैक्टर टायर ट्यूबों के अलावा)
140	4014	वल्कनीकृत रबर से बनी स्वच्छ या औषधीय वस्तुएं (निप्पल सहित), कठोर रबर के फिटिंग के साथ या उसके बिना; जैसे गर्म पानी की बोतलें, बर्फ की थैलियां [शीथ गर्भनिरोधक के अलावा, रबर गर्भनिरोधक, पुरुष (कंडोम), रबर गर्भनिरोधक, महिला (डायोफ्राम), जैसे ग्रीवा कैप]
141	4015	सभी प्रयोजनों के लिए, वल्केनाइज्ड रबर से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं (दस्ताने, मिट्टेस और मिट्स सहित) कठोर रबर के अलावा [सर्जिकल दस्ताने के अलावा]
142	4016	वल्कनीकृत रबर की अन्य वस्तुएं (कठोर रबर के अलावा) [रबर, रबर बैंड के अलावा]
143	4017	कठोर रबर (उदाहरण के लिए एबोनाइट) सभी रूपों में, अपशिष्ट और स्ट्रैप के अलावा; कठोर रबर की वस्तुएं
144	4201	किसी भी जानवर के लिए काठी और हार्नेस (जिसमें निशान, लीड, घुटने के पैड, थूथन, काठी के कपड़े, काठी बैग, कुत्ते के कोट और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं), किसी भी सामग्री से बने
145	4202	ट्रंक, सूटकेस, बैनिटी केस, एग्जीक्यूटिव केस, ब्रीफ केस, स्कूल बैग, चश्मे के केस, दूरबीन केस, कैमरा केस, संगीत वाद्ययंत्र के केस, बंदूक केस, होल्स्टर और इसी तरह के कंटेनर; यात्रा बैग, इंसुलेटेड खाद्य या पेय पदार्थ के बैग, शौचालय बैग, रूकसाक, हैंडबैग, शॉपिंग बैग, बटुआ, पर्स, मानचित्र केस, सिगरेट केस, तंबाकू पाउच, टूल बैग, स्पोर्ट्स

		बैग, बोतल केस, आभूषण बॉक्स, पाउडर बॉक्स, कटलरी केस और इसी तरह के कंटेनर, चमड़े के, प्लास्टिक की शीटिंग के, कपड़ा सामग्री के, वल्कनाइज्ड फाइबर या पेपरबोर्ड के, या पूरी तरह या मुख्य रूप से ऐसी सामग्री से ढके हुए या कागज से [हैंडबैग और शॉपिंग बैग के अलावा, कपास या जूट के]
146	4203	चमड़े या मिश्रित चमड़े से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं [खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने के अलावा]
147	4205	चमड़े या मिश्रित चमड़े से बनी अन्य वस्तुएं
148	4206	आंत के उत्पाद (रेशम-कीट की आंत के अलावा), गोल्डबीटर की त्वचा, मूत्राशय या कंडरा के उत्पाद
149	4301	कच्चे फर की खालें (सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग सहित, जो फर विक्रेताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं), शीर्षक 4101, 4102 या 4103 के कच्चे खाल और चमड़े के अलावा।
150	4302	टैन्ड या ड्रेस्ड फरस्किन (जिसमें सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग शामिल हैं), असंयोजित, या असंयोजित (अन्य सामग्री मिलाए बिना) शीर्षक 4303 के अलावा
151	4303	परिधान, वस्त्र सहायक सामग्री और फरस्किन से बनी अन्य वस्तुएं
152	4304	कृत्रिम फर और उससे बनी वस्तुएं
153	4403	खुरदरी लकड़ी
154	4407	आरी से काटी गई या छिली गई लकड़ी
155	4408	लिबास के लिए शीट (जिसमें लैमिनेटेड लकड़ी को काटकर प्राप्त की गई शीट भी शामिल हैं), प्लाईवुड या इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में काटी गई, कटी हुई या छिली हुई, समतल, रेत से भरी, जोड़ वाली या अंत में जोड़ी गई हो या नहीं, 6 मिमी से अधिक मोटाई की [माचिस की पट्टियाँ के अलावा]
156	4409	लकड़ी (जिसमें लकड़ी के फर्श के लिए पट्टियाँ और फ्रिज शामिल हैं, जिन्हें जोड़ा नहीं गया है) लगातार आकार की (जीभयुक्त, नालीदार, रिबेटेड, चम्फरयुक्त, वी-ज्वाइंटेड, बीडेड, मोल्डेड, राउंडेड या इसी तरह की) किसी भी किनारे या चेहरे के साथ, चाहे प्लेन्ड, सैंडेड या एंड-ज्वाइंटेड हो या नहीं [बांस के फर्श के अलावा]
157	4410	पार्टिकल बोर्ड, ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड और लकड़ी या अन्य लिग्निन सामग्रियों से बने समान बोर्ड (उदाहरण के लिए, वेफर बोर्ड), रेजिन या अन्य कार्बनिक बंधनकारी पदार्थों से एकत्रित (चाहे हों या नहीं), निर्दिष्ट बोर्डों के (अलावा)
158	4411	लकड़ी या अन्य लिग्निन सामग्रियों का फाइबर बोर्ड, रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थों से बंधा हुआ हो या नहीं, निर्दिष्ट बोर्डों के अलावा
159	4412	प्लाईवुड, लिबास पैनल और इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी
160	4413	सघन लकड़ी, ब्लॉक, प्लेट, पट्टी या प्रोफाइल आकार में
161	4414	पेंटिंग, फोटोग्राफ, दर्पण या इसी तरह की वस्तुओं के लिए लकड़ी के फ्रेम

162	4418	बिल्डरों की लकड़ी की जॉइनरी और बढईगीरी, जिसमें सेलुलर लकड़ी के पैनल, इकट्टे फर्श पैनल, शिंगल और शेक शामिल हैं [बांस की लकड़ी के निर्माण जॉइनरी के अलावा]
163	4421	लकड़ी के फर्श ब्लॉक, सघन लकड़ी की वस्तुएं जो अन्यत्र शामिल या निर्दिष्ट नहीं हैं, घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग जो टेबलवेयर और किचनवेयर के रूप में उपयोग किए जाते हैं
164	44 या कोई भी अध्याय	रेज़िन से बंधी बांस की चटाई बोर्ड, बीच में लिबास के साथ या बिना; बांस की फर्श टाइलें
165	4501	अपशिष्ट कॉर्क; कुचला हुआ, दानेदार या पिसा हुआ कॉर्क
166	4702	रासायनिक लकड़ी का गूदा, घुलने वाले ग्रेड
167	4802	लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, तथा बिना छिद्रित पंच-कार्ड और पंच टेप कागज, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीटों में, शीर्षक 4801 या 4803 के कागज के अलावा; [केवल अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, प्रयोगशाला नोट बुक और नोटबुक के लिए बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड के अलावा]
168	4803	टॉयलेट या फेशियल टिशू स्टॉक, तौलिया या नैपकिन स्टॉक और घरेलू या सैनिटरी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इसी प्रकार के कागज, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, (चाहे या नहीं) क्रेड, क्रिकल्ड, उभरे हुए, छिद्रित, सतह-रंगीन, सतह-सज्जित या मुद्रित, रोल या शीट में
169	4804	रोल या शीट में बिना लेपित क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड, शीर्षक 4802 या 4803 के अलावा
170	4805	अन्य बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, रोल या शीट में, इस अध्याय के नोट 3 में निर्दिष्ट के अलावा आगे काम या प्रसंस्करण नहीं किया गया है
171	4806	वनस्पति चर्मपत्र, ट्रेसिंग पेपर और अन्य चमकदार पारदर्शी या पारभासी कागज, रोल या शीट में
172	4806 20 00	ग्रीसप्रूफ कागज
173	4806 40 10	ग्लासिन कागज
174	4807	मिश्रित कागज और पेपरबोर्ड (कागज या पेपरबोर्ड की सपाट परतों को चिपकाकर बनाया गया), सतह पर लेपित या संसेचित नहीं, आंतरिक रूप से प्रबलित, रोल या शीट में
175	4808	कागज और पेपरबोर्ड, नालीदार (चिपके हुए सपाट सतह शीट के साथ या बिना), क्रेड, क्रिकल्ड, उभरे हुए या छिद्रित, रोल या शीट में, शीर्षक 4803 में वर्णित प्रकार के कागज के अलावा
176	4809	कार्बन पेपर, सेल्फ-कॉपी पेपर और अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर (जिसमें डुप्लीकेटर स्टेंसिल या ऑफसेट प्लेट के लिए लेपित या संसेचित पेपर शामिल हैं), चाहे मुद्रित हों या नहीं, रोल या शीट में
177	4810	कागज और पेपरबोर्ड, एक या दोनों तरफ काओलिन (चीनी मिट्टी) या अन्य अकार्बनिक पदार्थों से लेपित, बाइंडर के साथ या उसके बिना, और किसी अन्य कोटिंग के बिना, चाहे

		सतह-रंगीन हो या नहीं, सतह-सजाया या मुद्रित, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में
178	4811	कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, लेपित, संसेचित, आच्छादित, सतह-रंगीन, सतह-सज्जित या मुद्रित, रोल या आयताकार (वर्गाकार सहित) शीट में, किसी भी आकार के, शीर्षक 4803, 4809 या 4810 में वर्णित प्रकार के सामान के अलावा
179	4812	कागज के गूदे के फिल्टर ब्लॉक, स्लैब और प्लेटें
180	4813	सिगरेट का कागज, चाहे आकार में कटा हो या पुस्तिकाओं या ट्यूबों के रूप में
181	4814	दीवार का कागज और इसी तरह की दीवार कवरिंग; कागज की खिड़की की पारदर्शी सतह
182	4816	कार्बन पेपर, सेल्फ-कॉपी पेपर और अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर (शीर्षक 4809 के अलावा), डुप्लिकेटर स्टेंसिल और ऑफसेट प्लेट, कागज के, चाहे बक्सों में रखे गए हों या नहीं
183	4817 [4817 30 को छोड़कर]	कागज या पेपरबोर्ड के लिफाफे, लेटर कार्ड, सादे पोस्टकार्ड और पत्राचार कार्ड; [कागज या पेपरबोर्ड के बक्से, पाउच, बटुए और लेखन संग्रह के अलावा, जिसमें लेखन ब्लॉक सहित विभिन्न प्रकार की कागजी स्टेशनरी शामिल है]
184	4818	टॉयलेट पेपर और इसी तरह के कागज, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल, घरेलू या सैनिटरी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले, 36 सेमी से अधिक चौड़ाई के रोल में, या आकार या आकृति के अनुसार कटे हुए; रुमाल, सफाई करने वाले टिशू, तौलिए, टेबल क्लॉथ, नैपकिन, शिशुओं के लिए नैपकिन, टैम्पोन, चादरें और इसी तरह के घरेलू, सैनिटरी या अस्पताल के सामान, परिधान और कपड़ों के सामान, या पेपर पल्प, कागज, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल
185	4819 (4819 10, 4819 20 को छोड़कर)	सभी सामान (कार्टन, बॉक्स और केस के अलावा, - (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; या (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड)
186	4820	रजिस्टर, खाता बही, ऑर्डर बुक, रसीद बुक, लेटर पैड, मेमोरेण्डम पैड, डायरियां और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, ब्लॉटिंग पैड, बाइंडर (लूज-लीफ या अन्य), फोल्डर, फाइल कवर, मैनिफोल्ड बिजनेस फॉर्म, इंटरलीव्ड कार्बन सेट और स्टेशनरी की अन्य वस्तुएं, कागज या पेपरबोर्ड से बनी वस्तुएं; और कागज या पेपरबोर्ड से बनी पुस्तक कवर [नोटबुक और अभ्यास पुस्तिकाओं के अलावा]
187	4821	सभी प्रकार के कागज या पेपरबोर्ड लेबल, चाहे मुद्रित हों या नहीं
188	4822	बॉबिन, स्पूल, कॉप्स और पेपर पल्प, पेपर या पेपरबोर्ड के समान सपोर्ट (चाहे छिद्रित या कठोर हों या नहीं)
189	4823	अन्य कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, आकार या आकृति में कटे हुए; कागज लुगदी, कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल से बनी अन्य वस्तुएं [पेपर पल्प मोल्डेड ट्रे, ब्रेल पेपर, पतंग, पेपर माचे वस्तुओं के अलावा]

190	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्र, जो हाथ से खींचे गए मूल हों; हस्तलिखित पाठ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वोक्त की कार्बन प्रतियां
191	4907	देश में वर्तमान या नए जारी किए गए अप्रयुक्त डाक, राजस्व या इसी तरह के टिकट, जिसमें उनका मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है या होगा; स्टाम्प-छापे हुए कागज; बैंक नोट; चेक फॉर्म; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और स्वामित्व के इसी तरह के दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा); चेक, खुले या पुस्तक के रूप में
192	4908	स्थानान्तरण (डेकाल्कोमेनियास)
193	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत शुभकामना संदेश या घोषणा वाले मुद्रित कार्ड, चाहे सचित्र हों या नहीं, लिफाफे या सजावट के साथ या उसके बिना।
194	4910	किसी भी प्रकार के मुद्रित कैलेंडर, जिसमें कैलेंडर ब्लॉक भी शामिल हैं।
195	4911	अन्य मुद्रित सामग्री, जिसमें मुद्रित चित्र और फोटोग्राफ शामिल हैं; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और इसी तरह की सामग्री, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिजाइन और फोटोग्राफ, वास्तुकला इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्र, जिन्हें कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस की सहायता से पुनः प्रस्तुत किया गया है
196	5601 22 00	सिगरेट फिल्टर छड़ें
197	61	2500 रुपये प्रति नग से अधिक विक्रय मूल्य वाले बुने हुए या क्रोशिया किए हुए परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं
198	62	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हैं, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक है
199	63 [6309 के अलावा]	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं, 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक विक्रय मूल्य के सेट [पहने हुए कपड़े और अन्य पहने हुए सामान; चिथड़े के अलावा]
200	3923 या 6305	पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपाइलीन पट्टियों या इसी तरह के बुने हुए और गैर-बुने हुए बैग और बोरे, (चाहे लेमिनेटेड हों या नहीं), एक प्रकार के जो माल की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं
201	6305 32 00	लचीले मध्यवर्ती थोक कंटेनर
202	6401	जलरोधक जूते जिनके बाहरी तलवे और ऊपरी भाग रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, जिनका ऊपरी भाग न तो तलवे से जुड़ा होता है और न ही सिलाई, कील, पेंच, प्लगिंग या इसी तरह की प्रक्रियाओं द्वारा जोड़ा जाता है।
203	6402	रबर या प्लास्टिक के बाहरी तलवों और ऊपरी भाग वाले अन्य जूते
204	6403	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े के बाहरी तलवों और चमड़े के ऊपरी भाग वाले जूते

205	6404	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े के बाहरी तलवों और कपड़ा सामग्री से बने ऊपरी भाग वाले जूते
206	6405	अन्य जूते
207	6406	जूते के भाग (जिसमें ऊपरी भाग शामिल है, चाहे वह बाहरी तलवों के अलावा अन्य तलवों से जुड़ा हो या नहीं); हटाए जा सकने वाले अंदरूनी तलवे, एड़ी के कुशन और इसी प्रकार की वस्तुएं; गैटर, लेगिंग और इसी प्रकार की वस्तुएं, और उनके भाग
208	6501	टोपी के आकार, टोपी के शरीर और टोपी के हुड, न तो आकार के लिए अवरुद्ध और न ही बने हुए किनारों के साथ; प्लेटॉक्स और मंचोन (स्लिट मंचोन सहित), कपड़े से बने [कपड़े से बने टोपी के अलावा]
209	6502	टोपी के आकार, किसी भी सामग्री की पट्टियों को जोड़कर या चोटी बनाकर बनाए गए, न तो आकार देने के लिए अवरुद्ध, न ही बने हुए किनारों के साथ, न ही रेखांकित, न ही छंटनी की गई
210	6504 00 00	टोपी और अन्य हेडगियर, किसी भी सामग्री की पट्टियों को जोड़कर या जोड़कर बनाए गए, चाहे वे रेखांकित हों या नहीं
211	6505	अन्य हेडगियर, बुने हुए या क्रोशिए से बने, या लेस, फेल्ड या अन्य टेक्सटाइल फैब्रिक से बने, टुकड़े में (लेकिन पट्टियों में नहीं), «चाहे या नहीं» लाइन वाले या ट्रिम किए हुए; किसी भी सामग्री के हेयर-नेट, «चाहे या नहीं» लाइन वाले या ट्रिम किए हुए
212	6506	अन्य हेडगियर, चाहे लाइनिंग या ट्रिमिंग हो या नहीं
213	6507	हेड-बैंड, लाइनिंग, कवर, टोपी की नींव, टोपी के फ्रेम, चोटियाँ और चिनस्ट्रैप, हेडगियर के लिए
214	6702	कृत्रिम फूल, पत्ते और फल और उनके भाग; कृत्रिम फूल, पत्ते या फल से बनी वस्तुएं
215	6703	ऊन या अन्य जानवरों के बाल या अन्य कपड़ा सामग्री, जो विग या इसी तरह की चीजें बनाने में उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं
216	6704	मानव या पशु बाल या वस्त्र सामग्री से बने विग, नकली दाढ़ी, भौंहें और पलकें, स्विच और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; मानव बाल से बनी वस्तुएं जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
217	6801	प्राकृतिक पत्थर (स्लेट को छोड़कर) के सेट, कर्बस्टोन और फ्लैगस्टोन
218	6802	काम किया हुआ स्मारकीय या इमारती पत्थर (स्लेट को छोड़कर) और उसकी वस्तुएं, शीर्ष 6801 की वस्तुओं के अलावा; प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के मोज़ेक क्यूब्स और उसी तरह की वस्तुएं, चाहे आधार पर हों या नहीं; प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के कृत्रिम रूप से रंगीन कण, चिपिंग और पाउडर [मूर्तियों, प्रतिमाओं, पीठिकाओं; ऊंची या नीची नक्काशियों, क्रॉस, पशुओं की आकृतियों, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बॉक्स, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते आदि के अलावा; मूलतः पत्थर से बनी अन्य

		सजावटी वस्तुएं] [अनुसूची 1 में क्रम संख्या 176 में शामिल वस्तुओं को छोड़कर]
219	6803	काम की गई स्लेट और स्लेट या एकत्रित स्लेट से बनी वस्तुएं
220	6804	चक्री के पाट, पीसने के पत्थर, पीसने वाले पहिये और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, बिना ढांचे के, पीसने, तेज करने, चमकाने, सही करने या काटने, हाथ से तेज करने या चमकाने के लिए, प्राकृतिक पत्थर, एकत्रित प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक या चीनी मिट्टी के पात्र के पत्थर और उनके हिस्से, अन्य सामग्रियों के हिस्सों के साथ या उनके बिना
221	6805	प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक पाउडर या कण, कपड़ा सामग्री, कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्री के आधार पर, (चाहे या नहीं) आकार में काटा गया हो या सिला गया हो या अन्यथा बनाया गया हो
222	6806	स्लैग ऊन, रॉक ऊन और इसी तरह के खनिज ऊन; एक्सफ़ोलिएटेड वर्मिक्यूलाइट, विस्तारित मिट्टी, फोमयुक्त स्लैग और इसी तरह के विस्तारित खनिज पदार्थ; ऊष्मारोधी, ध्वनिरोधी या ध्वनि-अवशोषित खनिज पदार्थों के मिश्रण और वस्तुएं, शीर्षक 6811 या 6812 या अध्याय 69 के अलावा
223	6807	डामर या इसी तरह की सामग्री से बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, पेट्रोलियम बिटुमेन या कोल टार पिच)
224	6808	पैनल, बोर्ड, टाइल, ब्लॉक और वनस्पति फाइबर, पुआल या छीलन, चिप्स, कण, चूरा या अन्य अपशिष्ट, लकड़ी के समान वस्तुएं, सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बाइंडरों के साथ एकत्रित
225	6809	प्लास्टर या प्लास्टर पर आधारित रचनाओं से बनी वस्तुएं; जैसे बोर्ड, शीट, पैनल, टाइलें और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, जिन पर अलंकरण नहीं किया गया हो
226	6810	सीमेंट, कंक्रीट या कृत्रिम पत्थर से बनी वस्तुएं, चाहे प्रबलित हों या नहीं
227	6811	एस्बेस्टस-सीमेंट, सेल्यूलोज फाइबर-सीमेंट या इसी तरह की वस्तुएं
228	6812	गठे हुए एस्बेस्टस फाइबर; एस्बेस्टस के आधार वाले या एस्बेस्टस और मैग्नीशियम कार्बोनेट के आधार वाले मिश्रण; ऐसे मिश्रण या एस्बेस्टस की वस्तुएं (उदाहरण के लिए, धागा, बुना हुआ कपड़ा, वस्त्र, हेडगियर, जूते, गार्सकेट), (चाहे प्रबलित हों या नहीं), शीर्ष 6811 या 6813 के (से भिन्न) माल
229	6813	घर्षण सामग्री और उसकी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, शीट, रोल, पट्टियां, खंड, डिस्क, वॉशर, पैड), ब्रेक, क्लच या इसी तरह के अन्य सामान के लिए, एस्बेस्टस, अन्य खनिज पदार्थों या सेल्यूलोज के आधार पर नहीं लगाई गई हैं, वस्त्रों या अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त हैं या नहीं।
230	6814	कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्रियों के सहारे पर काम किया हुआ अभ्रक और अभ्रक से बनी वस्तुएं, जिनमें एकत्रित या पुनर्गठित अभ्रक शामिल है, चाहे वह कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्रियों के सहारे पर हो या नहीं

231	6815	पत्थर या अन्य खनिज पदार्थों की वस्तुएं (कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर की वस्तुएं और पीट की वस्तुएं सहित), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [फ्लाइ ऐश ईटों, फ्लाइ ऐश समुच्चयों; फ्लाइ ऐश ब्लॉकों के अलावा]
232	6901	सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन (उदाहरण के लिए, कीसेलगुहर, ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट) या इसी तरह के सिलिकायुक्त मिट्टी से बने ब्लॉक, टाइल और अन्य सिरेमिक सामान
233	6902	आग रोक ईटें, ब्लॉक, टाइलें और इसी तरह की आग रोक सिरेमिक निर्माण सामग्री, सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन या इसी तरह की सिलिकायुक्त मिट्टी के अलावा
234	6903	अन्य दुर्दम्य सिरेमिक सामान (उदाहरण के लिए, रिटार्ट, कूसिबल, मफल, नोजल, प्लग, सपोर्ट, कपल, ट्यूब, पाइप, शीथ और रॉड), सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन या समान सिलिकायुक्त मिट्टी के सामान के अलावा
235	6904	सिरेमिक फ्लोरिंग ब्लॉक, सपोर्ट या फिलर टाइलें और इसी तरह की अन्य चीजें
236	6905	चिमनी-पाट, काउल, चिमनी लाइनर, वास्तुशिल्प आभूषण और अन्य सिरेमिक निर्माण संबंधी सामान
237	6906	सिरेमिक पाइप, नलिकाएं, गटरिंग और पाइप फिटिंग
238	6907	सिरेमिक झंडे और फ्रंश, चूल्हा या दीवार टाइलें; सिरेमिक मोज़ेक क्यूब्स और इसी तरह की अन्य चीजें, चाहे वे किसी बैकिंग पर हों या नहीं; सिरेमिक की फिनिशिंग
239	6909	प्रयोगशाला, रासायनिक या अन्य तकनीकी उपयोगों के लिए सिरेमिक सामान; कृषि में उपयोग किए जाने वाले सिरेमिक नांद, टब और इसी प्रकार के पात्र; माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सिरेमिक बर्तन, जार और इसी प्रकार की वस्तुएं
240	6910	सिरेमिक सिंक, वांश बेसिन, वांश बेसिन पेडेस्टल, बाथटब, बिडेट, वॉटर क्लॉजेट पैन, फ्लशिंग सिस्टर्न, मूत्रालय और इसी तरह के सैनिटरी फिक्स्चर
241	6914	अन्य सिरेमिक लेख
242	7002	गेंदों में काँच (शीर्षक 70.18 के सूक्ष्ममंडलों के अलावा), छड़ें या नलिकाएँ, बिना काम की हुई
243	7003	कास्ट ग्लास और रोल्ड ग्लास, शीट या प्रोफाइल में, (चाहे या न) जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
244	7004	खींचा हुआ काँच और उड़ा हुआ काँच, शीटों में, (चाहे या न) जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
245	7005	फ्लोट ग्लास और सतह पर पिसा हुआ या पॉलिश किया हुआ ग्लास, शीटों में, (चाहे या न) जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
246	7006 00 00	शीर्षक 7003, 7004 या 7005 का काँच, मुड़ा हुआ, किनारे पर काम किया हुआ, उत्कीर्ण, छिद्रित, एनामेल किया हुआ या अन्यथा काम किया हुआ, लेकिन फ्रेमयुक्त या

		अन्य सामग्रियों से सुसज्जित नहीं
247	7007	सुरक्षा ग्लास, जिसमें कठोर (टेम्पर्ड) या लैमिनेटेड ग्लास शामिल होता है
248	7008	कांच की बहु-दीवार वाली इन्सुलेटिंग इकाइयाँ
249	7009	कांच के दर्पण, चाहे फ्रेमयुक्त हों या नहीं, पीछे देखने वाले दर्पण सहित
250	7010	कांच के कारबॉय, बोतलें, फ्लास्क, जार, बर्तन, शीशियां, एम्पुल और अन्य कंटेनर, जो माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं; कांच के परिरक्षण जार; कांच के डाट, ढक्कन और अन्य बंद करने वाले उपकरण
251	7011	विद्युत लैंप और प्रकाश स्रोतों, कैथोड रे ट्यूब या इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए, बिना फिटिंग के, खुले ग्लास लिफाफे (बल्ब और ट्यूब सहित), और उनके ग्लास भाग
252	7013	मेज, रसोईघर, शौचालय, कार्यालय, आंतरिक सजावट या इसी तरह के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कांच के बर्तन (शीर्षक 7010 या 7018 के अलावा)
253	7014	सिग्नलिंग ग्लासवेयर और कांच के ऑप्टिकल तत्व (शीर्षक 7015 के अलावा), ऑप्टिकल रूप से काम नहीं किए गए
254	7015	घड़ी या घड़ी के चश्मे और इसी प्रकार के चश्मे, गैर-सुधारात्मक चश्मों के लिए चश्मे, घुमावदार, मुड़े हुए, खोखले या इसी प्रकार के, प्रकाशिक रूप से काम न करने वाले; ऐसे चश्मे के निर्माण के लिए खोखले कांच के गोले और उनके खंड
255	7016	फर्श के लिए ब्लॉक, स्लैब, ईंटें, चौकोर टुकड़े, टाइलें और दबाए गए या ढाले गए कांच की अन्य वस्तुएं, तारयुक्त हों या नहीं, भवन या निर्माण के काम में आने वाली; कांच के क्यूब्स और कांच की अन्य छोटी वस्तुएं, आधार पर हों या नहीं, मोज़ाइक या इसी तरह के सजावटी कामों के लिए; सीसा लगी लाइटें और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; ब्लॉक, पैनल, प्लेट, शैल या इसी तरह के रूपों में बहुकोशिकीय या फोम ग्लास
256	7017	प्रयोगशाला, स्वच्छ या औषधीय कांच के बने पदार्थ, चाहे स्नातक या अंशांकित हों या नहीं
257	7018	नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर और इसी तरह के छोटे कांच के बर्तन, और उनकी वस्तुएं, नकली आभूषणों के अलावा; कृत्रिम वस्तुओं के अलावा कांच की आंखें; लैंप-वर्क किए गए कांच की मूर्तियां और अन्य आभूषण, नकली आभूषणों के अलावा; 1 मिमी व्यास से अनधिक कांच के सूक्ष्मगोले
258	7019	ग्लास फाइबर (ग्लास वूल सहित) और उससे बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, धागा, रोविंग, बुने हुए कपड़े)
259	7020	कांच की अन्य वस्तुएं [इसके अलावा] लैंप और लालटेन के लिए ग्लोब, केरोसिन विक लैंप के लिए फव्वारे, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी]
260	7201	पिग आयरन और स्पीगलाइज़न पिग्स, ब्लॉक्स या अन्य प्राथमिक रूपों में
261	7202	कैरो-मिश्र

262	7203	लौह अयस्क और अन्य स्पंजी लौह उत्पादों के प्रत्यक्ष अपचयन से प्राप्त लौह उत्पाद, गांठों, छरों या समान रूपों में; भार के अनुसार न्यूनतम 99.94% शुद्धता वाला लोहा, गांठों, छरों या समान रूपों में
263	7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रेप; लोहे या इस्पात के स्क्रेप सिल्लियों को पुनः पिघलाना
264	7205	पिग आयरन, स्पीगेलिसन, लोहे या स्टील के दाने और पाउडर
265	7206	सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में लोहा और गैर-मिश्र धातु इस्पात (शीर्षक 7203 के लोहे को छोड़कर)
266	7207	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयार उत्पाद
267	7208 से 7212	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
268	7213 से 7215	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात की सभी सलाखें और छड़ें
269	7216	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के कोण, आकार और खंड
270	7217	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात का तार
271	7218	सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में स्टेनलेस स्टील; स्टेनलेस स्टील के अर्ध-तैयार उत्पाद
272	7219, 7220	स्टेनलेस स्टील के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
273	7221, 7222	सभी बार और छड़ें जो स्टेनलेस स्टील की हैं
274	7223	स्टेनलेस स्टील का तार
275	7224	सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में अन्य मिश्र धातु इस्पात; अन्य मिश्र धातु इस्पात के अर्ध-तैयार उत्पाद
276	7225, 7226	अन्य मिश्र धातु इस्पात के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
277	7227, 7228	अन्य मिश्र धातु इस्पात की सभी सलाखें और छड़ें।
278	7229	अन्य मिश्र धातु इस्पात के तार
279	7301	लोहे या स्टील की शीट पाइलिंग, चाहे ड्रिल की गई हो, छिद्रित की गई हो या संयोजन तत्वों से बनी हो; लोहे या स्टील के वेल्डेड कोण, आकार और अनुभाग
280	7302	लोहे या स्टील से बनी रेलवे या ट्रामवे ट्रैक निर्माण सामग्री, निम्नलिखित: पटरियां, चेक-रेल और रैक रेल, स्विच ब्लेड, क्रॉसिंग फ्रांग, पॉइंट रॉड और अन्य क्रॉसिंग टुकड़े, स्लीपर (क्रॉस-टार्ड), फिश-प्लेट, कुर्सियां, कुर्सी वेज, सोल प्लेट (बेस प्लेट), रेल क्लिप, बेडप्लेट, टार्ड और पटरियों को जोड़ने या फिक्स करने के लिए विशेषीकृत अन्य सामग्री
281	7303	कच्चे लोहे से बनी ट्यूबें, पाइप और खोखले प्रोफाइल
282	7304	लोहे (ढलवां लोहे के अलावा) या स्टील से बनी ट्यूब, पाइप और खोखली प्रोफाइल, बिना जोड़ वाली
283	7305	अन्य ट्यूब और पाइप (उदाहरण के लिए, वेल्डेड, रिबेटेड या इसी तरह से बंद), जिनका अनुप्रस्थ काट गोलाकार हो, जिनका बाहरी व्यास 406.4 मिमी से अधिक हो, लोहे या स्टील से बने हों
284	7306	लोहे या स्टील के अन्य ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल (उदाहरण के लिए, खुली सीम या वेल्डेड, रिबेटेड या इसी तरह बंद)
285	7307	लोहे या स्टील की ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, स्लीव)

286	7308	लोहे या इस्पात की संरचनाएं (शीर्षक 94.06 की पूर्वनिर्मित इमारतों को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरण के लिए, पुल और पुल-खंड, लॉक-गेट, टावर, जाली मस्तूल, छत, छत के ढांचे, दरवाजे और खिड़कियां और उनके फ्रेम और दरवाजों के लिए दहलीज, शटर, बालस्ट्रेड, स्तंभ और स्तंभ); लोहे या इस्पात की संरचनाओं के उपयोग के लिए तैयार प्लेट, छड़, कोण, आकार, खंड, ट्यूब और इसी तरह की अन्य वस्तुएं [ट्रांसमिशन टावरों को छोड़कर]
287	7309	किसी भी सामग्री (संपीडित या द्रवीकृत गैस के अलावा) के लिए जलाशय, टैंक, बैट और इसी तरह के कंटेनर, लोहे या स्टील के, 300 लीटर से अधिक क्षमता के, अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं
288	7310	टैंक, पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से और इसी तरह के कंटेनर, किसी भी सामग्री के लिए (संपीडित या द्रवीकृत गैस के अलावा), लोहे या स्टील से बने, 300 लीटर से अधिक क्षमता के नहीं, अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं, लोहे या स्टील से बने दूध के डिब्बे के अलावा
289	7311	संपीडित या द्रवीकृत गैस के लिए लोहे या स्टील के कंटेनर
290	7312	लोहे या स्टील के फंसे हुए तार, रस्सियाँ, केबल, लटके हुए बेंड, स्लिंग और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जो विद्युत रूप से इंसुलेट न की गई हों
291	7313	लोहे या स्टील का काटेदार तार; मुड़ा हुआ घेरा या एकल सपाट तार, काटेदार हो या न हो, और ढीले ढंग से मुड़ा हुआ दोहरा तार, बाड़ लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला, लोहे या स्टील का
292	7314	लोहे या स्टील के तार से बना कपड़ा (अंतहीन बैंड सहित), ग्रिल, जाल और बाड़; लोहे या स्टील की विस्तारित धातु
293	7315	7315 20, 7315 81, 7315 82, 7315 89, 7315 90 के अंतर्गत आने वाले लोहे या स्टील की चेन और उसके हिस्से
294	7316	लोहे या स्टील के लंगर, ग्रैपनेल और उनके हिस्से
295	7317	कीलें, टैक, ड्राइंग पिन, नालीदार कीलें, स्टेपल (शीर्ष 8305 के स्टेपल के अलावा) और इसी तरह की वस्तुएं, लोहे या स्टील की, चाहे अन्य सामग्री के शीर्ष के साथ हों या नहीं, लेकिन तांबे के शीर्ष वाली ऐसी वस्तुओं को छोड़कर
296	7318	लोहे या स्टील के स्कू, बोल्ट, नट, कोच स्कू, स्कू हुक, रिबेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वॉशर (स्प्रिंग वॉशर सहित) और इसी तरह की अन्य वस्तुएं
297	7319	बुनाई की सुइयां, बोडकिन, क्रोशिया हुक, कढ़ाई के स्टिलेटो और इसी प्रकार की वस्तुएं, हाथ में उपयोग के लिए, लोहे या स्टील की; सेफ्टी पिन और लोहे या स्टील की अन्य पिनें, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
298	7320	लोहे और स्टील के स्प्रिंग और स्प्रिंग के पत्ते
299	7321	लोहे या स्टील से बने स्टोव, रेंज, ग्रेट, कुकर (जिनमें केंद्रीय हीटिंग के लिए सहायक बॉयलर शामिल हैं), बारबेक्यू, ब्रेज़ियर, गैस रिंग, प्लेट वार्मर और इसी तरह के गैर-

		इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरण और उनके हिस्से [केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव, लोहे या स्टील से बने लकड़ी जलाने वाले स्टोव और सौर कुकर के अलावा]
300	7322	केंद्रीय हीटिंग के लिए रेडिएटर, जो विद्युत से गर्म नहीं होते, और उनके हिस्से, जो लोहे या स्टील के बने होते हैं; एयर हीटर और गर्म हवा वितरक (वितरक जो ताजी या वातानुकूलित हवा भी वितरित कर सकते हैं सहित), जो विद्युत से गर्म नहीं होते, जिनमें मोटर चालित पंखा या ब्लोअर शामिल होता है, और उनके हिस्से, जो लोहे या स्टील के बने होते हैं
301	7323	लोहे या स्टील की ऊन; बर्तन साफ़ करने वाले उपकरण और सफाई या पॉलिश करने वाले पैड, दस्ताने और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, लोहे या स्टील की (लोहे या स्टील से बने दूध के डिब्बों के अलावा)
302	7323 9410	घमेला
303	7324	लोहे और इस्पात से बने सेनेटरी वेयर और उसके पुर्जे
304	7325	लोहे या स्टील की अन्य ढली हुई वस्तुएं
305	7326	लोहे या स्टील की अन्य वस्तुएं
306	7401	तांबा मैट; सीमेंट तांबा (अवक्षेपित तांबा)
307	7402	अपरिष्कृत तांबा; विद्युत अपघटनी शोधन के लिए तांबे के एनोड
308	7403	परिष्कृत तांबा और तांबे की मिश्र धातु, बिना गठे
309	7404	तांबे का अपशिष्ट और स्कैप
310	7405	तांबे के मास्टर मिश्र धातु
311	7406	तांबे के पाउडर और गुच्छे
312	7407	तांबे की सलाखें, छड़ें और प्रोफाइल
313	7408	तांबे का तार
314	7409	0.15 मिमी से अधिक मोटाई वाली तांबे की प्लेटें, शीट और पट्टी
315	7410	तांबे की पन्नी
316	7411	तांबे की ट्यूब और पाइप
317	7412	तांबे की ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, आस्तीन)
318	7413	फंसे हुए तार और केबल
319	7415	तांबे के या लोहे या इस्पात के बने तांबे के शीर्षों वाले कीलें, टैक, ड्राइंग पिन, स्टेपल (शीर्ष 83.05 के अतिरिक्त) और इसी प्रकार की वस्तुएं; तांबे के स्कू, बोल्ट, नट, स्कू हुक, रिवेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वाशर (स्प्रिंग वाशर सहित) और इसी प्रकार की वस्तुएं
320	7418	सभी सामान (तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तनों के अलावा)
321	7419	तांबे की अन्य वस्तुएं (पीतल केरोसिन प्रेशर स्टोव के अलावा)
322	7501	निकल मैट, निकल ऑक्साइड सिंटर और निकल धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद
323	7502	अनरॉट निकल

324	7503	निकल अपशिष्ट और स्क्रेप
325	7504	निकल पाउडर और फ्लेक्स
326	7505	निकल बार, छड़, प्रोफाइल और तार
327	7506	निकल प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी
328	7507	निकल ट्यूब, पाइप और ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, आस्तीन)
329	7508	निकल के अन्य उत्पाद
330	7601	बिना गढ़ा एल्युमीनियम
331	7602	एल्युमीनियम अपशिष्ट और स्क्रेप
332	7603	एल्युमीनियम पाउडर और फ्लेक्स
333	7604	एल्युमीनियम बार, छड़ और प्रोफाइल
334	7605	एल्युमीनियम तार
335	7606	0.2 मिमी से अधिक मोटाई वाली एल्युमीनियम प्लेटें, शीट और पट्टी
336	7607	एल्युमीनियम फ़ॉइल (चाहे मुद्रित हो या नहीं या कागज़, पेपरबोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की बैकिंग सामग्री से समर्थित) जिसकी मोटाई (किसी भी बैकिंग को छोड़कर) 0.2 मिमी से अधिक न हो
337	7608	एल्युमीनियम ट्यूब और पाइप
338	7609	एल्युमीनियम ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, स्लीव)
339	7610	एल्युमीनियम संरचनाएं (शीर्षक 9406 की पूर्वनिर्मित इमारतों को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरण के लिए, पुल और पुल-खंड, टावर, जाली मस्तूल, छत, छत के ढांचे, कटघरा, स्तंभ और स्तंभ); एल्युमीनियम प्लेट, छड़, प्रोफाइल, ट्यूब और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जो संरचनाओं में उपयोग के लिए तैयार की गई हैं
340	7611	एल्युमीनियम जलाशय, टैंक, बैट और इसी तरह के कंटेनर, किसी भी सामग्री के लिए (संपीड़ित या द्रवीकृत गैस के अलावा), 300 लीटर से अधिक क्षमता के, चाहे अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं
341	7612	एल्युमीनियम के पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से, आदि, एल्युमीनियम से बने दूध के डिब्बों के अलावा
342	7613	संपीड़ित या तरलीकृत गैस के लिए एल्युमीनियम कंटेनर
343	7614	एल्युमीनियम से बने फंसे हुए तार, केबल, लटके हुए बैंड और इसी तरह के अन्य सामान, जो विद्युत रूप से इंसुलेट नहीं किए गए हों
344	7615	सभी सामान (एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान के अलावा; एल्युमीनियम से बने बर्तन, दूध के डिब्बे)
345	7616	एल्युमीनियम के अन्य सामान
346	7801	बिना गढ़ा सीसा
347	7802	सीसा अपशिष्ट और स्क्रेप
348	7804	सीसा प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी; सीसा पाउडर और गुच्छे
349	7806	सीसे से बनी अन्य वस्तुएं (सैनिटरी फिक्सचर और भारतीय

		सीसे की सील सहित)
350	7901	कच्चा जस्ता
351	7902	जिंक अपशिष्ट और स्क्रेप
352	7903	जिंक धूल, पाउडर और गुच्छे
353	7904	जिंक बार, छड़, प्रोफाइल और तार
354	7905	जिंक प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी
355	7907	जिंक से बनी अन्य वस्तुएं जिनमें सैनिटरी फिक्स्चर भी शामिल हैं
356	8001	कच्चा टिन
357	8002	टिन अपशिष्ट और स्क्रेप
358	8003	टिन की सलाखें, छड़ें, प्रोफाइल और तार
359	8007	टिन के अन्य सामान
360	8101 से 8112	अन्य आधार धातुएं, अर्थात् टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टैंटलम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट मैट, और कोबाल्ट धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद, बिस्मथ, कैडमियम, टाइटेनियम, जिंकोनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, बेरिलियम, क्रोमियम, जर्मेनियम, वैनेडियम, गैलियम, हेफ़नियम, इंडियम, नाइओबियम (कोलंबियम), रेनियम और थैलियम, और उनकी वस्तुएं, जिनमें अपशिष्ट और स्क्रेप शामिल हैं
361	8113	सेमेट्स और उनकी वस्तुएं, अपशिष्ट और स्क्रेप सहित
362	8202	हाथ आरी; सभी प्रकार की आरियों के लिए ब्लेड (स्लिटिंग, स्लॉटिंग या टूथलेस आरी ब्लेड सहित)
363	8203	फ़ाइलें, रैस्प, प्लायर्स (कटिंग प्लायर्स सहित), पिंसर्स, चिमटी, धातु काटने वाली कैंची, पाइप-कटर, बोल्ट क्रॉप्स, छिद्रण पंच और इसी तरह के अन्य हाथ उपकरण
364	8204	हस्त-संचालित स्पैनर और रिंच (टॉर्क मीटर रिंच सहित, परंतु टैप रिंच शामिल नहीं); अदला-बदली योग्य स्पैनर सॉकेट, हैंडल सहित या बिना हैंडल के
365	8205	हाथ के औजार (ग्लेज़ियर्स के हीरे सहित), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; ब्लो लैंप; वाइस, क्लैम्प और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, मशीन-औजारों या जल-जेट काटने वाली मशीनों के सहायक उपकरण और भागों के अलावा; निहाई; पोर्टेबल फोर्ज; फ्रेमवर्क सहित हाथ या पैडल से चलने वाले पीसने वाले पहिये
366	8206	शीर्षक 8202 से 8205 तक के दो या अधिक उपकरण, खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे गए
367	8207	हस्त औजारों के लिए विनिमेय औजार, चाहे वे बिजली से चलने वाले हों या नहीं, या मशीन औजारों के लिए (उदाहरण के लिए, दबाने, मुद्रांकन, छिद्रण, दोहन, सूत्रण, ड्रिलिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, टर्निंग या स्कू ड्राइविंग के लिए), जिसमें धातु निकालने या निकालने के लिए डाई, और रॉक ड्रिलिंग या अर्थ बोरिंग उपकरण शामिल हैं
368	8208	मशीनों या यांत्रिक उपकरणों के लिए चाकू और काटने वाले ब्लेड
369	8209	प्लेटें, छड़ें, टिप्स और इसी तरह के उपकरण, अनमाउंटेड, सेमेट्स के
370	8210 00 00	हाथ से संचालित यांत्रिक उपकरण, जिनका वजन 10

		किलोग्राम या उससे कम होता है, जिनका उपयोग भोजन या पेय की तैयारी, कंडीशनिंग या परोसने में किया जाता है
371	8211	काटने वाले ब्लेड वाले चाकू, दाँतेदार हों या नहीं (छँटाई करने वाले चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू के अलावा, और उसके ब्लेड
372	8212	रेज़र और रेज़र ब्लेड (स्ट्रिप्स में रेज़र ब्लेड ब्लैंक सहित)
373	8213 00 00	कैंची, दर्जी की कैंची और इसी प्रकार की कैंची, और उनके ब्लेड
374	8214	कटलरी के अन्य सामान (उदाहरण के लिए, बाल काटने वाले उपकरण, कसाई या रसोई के क्लीवर, चॉपर और कीमा बनाने वाले चाकू); मैनीक्योर या पेडीक्योर सेट और उपकरण जिनमें नाखून काटने वाली फाइलें शामिल हैं [पेंसिल शार्पनर के अलावा]
375	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह के रसोई या टेबलवेयर
376	8301	आधार धातु से बने पैडलॉक और ताले (कुंजी, संयोजन या विद्युत चालित); आधार धातु से बने ताले सहित क्लैस्प और क्लैस्प सहित फ्रेम; आधार धातु से बने उपरोक्त वस्तुओं में से किसी की भी कुंजियाँ
377	8302	फर्नीचर, दरवाजे, सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ, ब्लाइंड, कोचवर्क, सैडलरी, ट्रंक, चेस्ट, कास्केट या इसी तरह की अन्य चीजों के लिए उपयुक्त बेस मेटल माउंटिंग, फिटिंग्स और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; बेस मेटल हैट-रैक, हैट-पेग, ब्रैकेट और इसी तरह की अन्य फिक्सचर्स; बेस मेटल के माउंटिंग वाले कैस्टर; बेस मेटल के स्वचालित दरवाजा क्लोजर
378	8303	आधार धातु से बने बख्तरबंद या सुदृढ़ तिजोरियाँ, मजबूत बक्से और दरवाजे तथा सुरक्षित जमा लॉकर, नकदी या विलेख बक्से और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं
379	8304	फाइलिंग कैबिनेट, कार्ड-इंडेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर रेस्ट, पेन ट्रे, ऑफिस-स्टाम्प स्टैंड और इसी तरह के कार्यालय या डेस्क उपकरण, आधार धातु से बने, शीर्षक 9403 के कार्यालय फर्नीचर के अलावा
380	8305	ढीले-पत्ते बाइंडरों या फाइलों, लेटर क्लिप, लेटर कॉर्नर, पेपर क्लिप, इंडेक्सिंग टैग और इसी तरह के कार्यालय लेखों के लिए फिटिंग, आधार धातु से बने; स्ट्रिप्स में स्टेपल (उदाहरण के लिए, कार्यालयों, असबाब, पैकेजिंग के लिए), आधार धातु से बने
381	8307	आधार धातु की लचीली ट्यूबिंग, फिटिंग के साथ या बिना
382	8308	आधार धातु से बने क्लैप्स, क्लैप्स, बकल, बकल-क्लैप, हुक, आई, आईलेट आदि सहित फ्रेम, जिनका उपयोग वस्त्र या वस्त्र सहायक सामग्री, जूते, आभूषण, कलाई घड़ी, पुस्तकें, शामियाना, चमड़े के सामान, यात्रा के सामान या काठी या अन्य निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है; आधार धातु से बने ट्यूबलर या द्विभाजित रिबेट्स; आधार धातु से बने मोती और स्पैंगल्स
383	8309	आधार धातु से बने स्टॉपर, कैप और ढक्कन (क्राउन कॉर्क, स्क्रू

		कैप और पोरिंग स्टॉपर सहित), बोटलों के लिए कैप्सूल, श्रेडेड बंग, बंग कवर, सील और अन्य पैकिंग सहायक उपकरण
384	8310	आधार धातु से बनी साइन-प्लेटें, नाम-प्लेटें, पता-प्लेटें और इसी प्रकार की प्लेटें, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक, शीर्ष 9405 को छोड़कर
385	8311	आधार धातु या धातु कार्बाइड से बने तार, छड़, ट्यूब, प्लेट, इलेक्ट्रोड और इसी प्रकार के उत्पाद, फ्लक्स सामग्री से लेपित या कोरयुक्त, धातु या धातु कार्बाइड के सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या निक्षेपण के लिए प्रयुक्त; धातु छिड़काव के लिए प्रयुक्त, एकत्रित आधार धातु पाउडर से बने तार और छड़
386	84	केवल या मुख्य रूप से 15 एचपी से अधिक शक्ति वाले निश्चित गति डीजल इंजन के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
387	84 या 85	केवल या मुख्य रूप से बिजली चालित पंपों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग, जो मुख्य रूप से जल प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि अपकेंद्री पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूबवेल टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप
388	8401	परमाणु रिएक्टर; आइसोटोप पृथक्करण के लिए मशीनरी और उपकरण
389	8402	भाप या अन्य वाष्प उत्पन्न करने वाले बॉयलर (केंद्रीय हीटिंग गर्म पानी बॉयलर के अलावा जो कम दबाव भाप उत्पन्न करने में भी सक्षम हैं); अति-उष्ण जल बॉयलर
390	8403	केंद्रीय हीटिंग बॉयलर (शीर्षक 8402 के अलावा)
391	8404	शीर्षक 8402 या 8403 के बॉयलरों के साथ उपयोग के लिए सहायक संयंत्र (उदाहरण के लिए, इकोनोमाइज़र, सुपर-हीटर, सूट रिमूवर, गैस रिकवरीर); भाप या अन्य वाष्प विद्युत इकाइयों के लिए कंडेनसर
392	8405	उत्पादक गैस या जल गैस जनरेटर, उनके शोधक के साथ या उसके बिना; एसिटिलीन गैस जनरेटर और इसी प्रकार के जल प्रक्रिया गैस जनरेटर, उनके शोधक के साथ या उसके बिना
393	8406	भाप टर्बाइन और अन्य वाष्प टर्बाइन
394	8407	स्पार्क-इग्निशन रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [विमान इंजन के अलावा]
395	8408	संपीड़न-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध-डीजल इंजन)
396	8409	शीर्षक 8407 या 8408 के इंजनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
397	8410	हाइड्रोलिक टर्बाइन, जल पहिये और उनके नियामक
398	8411	टर्बो-जेट, टर्बो-प्रोपेलर और अन्य गैस टर्बाइन [विमान इंजन के अलावा]
399	8412	अन्य इंजन और मोटर (टर्बो जेट, हाइड्रोलिक पावर इंजन और मोटर, न्यूमेटिक पावर इंजन और मोटर, अन्य भागों के अलावा प्रतिक्रिया इंजन) [पवन टरबाइन या इंजन के

		अलावा]
400	8413	(क) कंक्रीट पंप [8413 40 00]; (ख) अन्य रोटरी धनात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; (ग) मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए पावर संचालित पंप, अर्थात्, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूबवेल टरबाइन पंप, पनडुब्बी पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप]; फिलिंग स्टेशनों या गैरेज में उपयोग किए जाने वाले ईंधन या स्नेहक वितरित करने के लिए पंप [8413 11], आंतरिक दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, स्नेहन या शीतलन माध्यम पंप [8413 30]
401	8414	वायु या निर्वात पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; पंखे सहित वेंटिलेशन या रिसाइक्लिंग हुड, चाहे फिल्टर लगे हों या नहीं; गैस-तंग जैविक सुरक्षा कैबिनेट, चाहे फिल्टर लगे हों या नहीं [साइकिल पंप, अन्य हैंड पंप और वायु या निर्वात पंप के भागों और साइकिल पंप के कम्प्रेसर के अलावा]
402	8414 20 10	साइकिल पंप
403	8414 90 12	साइकिल पंपों के वायु या वैक्यूम पंप और कंप्रेसर के पुर्जे
404	8415	एयर कंडीशनिंग मशीनें, जिनमें मोटर चालित पंखा और तापमान और आर्द्रता को बदलने के लिए तत्व शामिल हैं, जिनमें वे मशीनें भी शामिल हैं जिनमें आर्द्रता को अलग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है
405	8416	तरल ईंधन, चूर्णित ठोस ईंधन या गैस के लिए भट्टी बर्नर; यांत्रिक स्टोकर, उनके यांत्रिक ग्रेट, यांत्रिक राख निस्सारक और इसी तरह के उपकरणों सहित
406	8417	औद्योगिक या प्रयोगशाला भट्टियां और ओवन, भस्मक सहित, गैर-विद्युत
407	8418	रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य प्रशीतन या हिमीकरण उपकरण, विद्युत या अन्य; हीट पंप, शीर्ष 8415 की वातानुकूलन मशीनों के अलावा
408	8419 [8419 12 के अलावा]	मशीनरी, संयंत्र या प्रयोगशाला उपकरण, चाहे विद्युत रूप से गर्म किए गए हों या नहीं (शीर्ष 8514 के भट्टियों, ओवन और अन्य उपकरणों को छोड़कर), तापमान में परिवर्तन जैसे कि गर्म करना, पकाना, भूनना, आसवन, सुधारना, जीवाणुरहित करना, पाश्चुरीकरण, भाप देना, सुखाना, वाष्पित करना, वाष्पीकृत करना, संघनित करना या ठंडा करना जैसी प्रक्रिया द्वारा सामग्री के उपचार के लिए, घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी या संयंत्र के अलावा; तात्कालिक या भंडारण जल हीटर, गैर-विद्युत [सौर जल हीटर और प्रणाली के अलावा]
409	8420	धातु या कांच के लिए कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीनें, और उनके सिलेंडर [हाथ से संचालित रबर रोलर के अलावा]
410	8421	सेंट्रीफ्यूज, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी शामिल हैं; तरल पदार्थ या गैसों के लिए फिल्टरिंग या शुद्धिकरण मशीनरी और उपकरण
411	8422	बर्तन धोने की मशीनें, घरेलू [8422 11 00] और अन्य

		[8422 19 00]; बोटलों या अन्य कंटेनरों को साफ करने या सुखाने के लिए मशीनरी; बोटलों, डिब्बों, बक्सों, थैलों या अन्य कंटेनरों को भरने, बंद करने, सील करने या लेबल लगाने के लिए मशीनरी; बोटलों, जार, ठूबों और इसी तरह के कंटेनरों को कैप्सूल करने के लिए मशीनरी; अन्य पैकिंग या लपेटने की मशीनरी (ताप-सिकुड़ने वाली लपेटने की मशीनरी सहित); पेय पदार्थों को वातित करने के लिए मशीनरी
412	8423	तौल मशीनें (5 सेंटीग्राम या उससे अधिक संवेदनशीलता वाली तुलाओं को छोड़कर), तौल से संचालित गिनती या जाँच मशीनों सहित; सभी प्रकार की तौल मशीनें
413	8424	तरल पदार्थ या पाउडर को प्रक्षेपित करने, फैलाने या छिड़कने के लिए यांत्रिक उपकरण (हाथ से संचालित हो या न हो); अग्निशामक यंत्र, चार्ज किए गए हो या न हो; स्प्रे गन और इसी तरह के उपकरण; भाप या रेत ब्लास्टिंग मशीन और इसी तरह की जेट प्रक्षेपित करने वाली मशीनें [स्प्रीकलर के अलावा; ड्रिप सिंचाई प्रणालियां जिनमें लेटरल शामिल हैं; यांत्रिक स्प्रेयर; ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए नोजल या स्प्रीकलर के लिए नोजल]
414	8425	पुली टैकल और होइस्ट, स्किप होइस्ट के अलावा; विंच और कैपस्टन; जैक
415	8426	जहाज के डेरिक; केबल क्रेन सहित क्रेन; मोबाइल लिफ्टिंग फ्रेम, स्टैंडल कैरियर और क्रेन से सुसज्जित कार्य ट्रक
416	8427	फोर्क-लिफ्ट ट्रक; उठाने या हैंडलिंग उपकरण से सुसज्जित अन्य कार्य ट्रक
417	8428	अन्य उठाने, संभालने, लादने या उतारने वाली मशीनरी (उदाहरण के लिए, लिफ्ट, एस्केलेटर, कन्वेयर, टेलीफेरिक्स)
418	8429	स्व-चालित बुलडोजर, एंगल्डोजर, ग्रेडर, लेवलर, स्कैपर, मैकेनिकल शॉवेल, उत्खननकर्ता, शॉवल लोडर, टैम्पिंग मशीन और रोड रोलर
419	8430	मिट्टी, खनिज या अयस्कों के लिए अन्य गतिशील, ग्रेडिंग, समतलीकरण, खुरचना, उत्खनन, टैपिंग, कॉम्पैक्टिंग, निष्कर्षण या बोरिंग मशीनरी; पाइलड्राइवर और पाइल-एक्सट्रैक्टर; बर्फ हटाने वाले हल और बर्फ हटाने वाले यंत्र
420	8431	शीर्षक 8425 से 8430 की मशीनरी के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
421	8433	अण्डों, फलों या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें, शीर्ष 8437 की मशीनरी के अलावा; उसके भाग [8433 90 00]
422	8434	मिल्लिंग मशीनें और डेयरी मशीनरी
423	8435	वाइन, साइडर, फलों के रस या इसी तरह के पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त प्रेस, क्रशर और इसी तरह की मशीनरी
424	8437	बीज, अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त मशीनें, कृषि प्रकार की मशीनरी और उनके भागों के अलावा
425	8438	खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या विनिर्माण के लिए

		मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, पशु या स्थिर वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा या तेलों के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी के अलावा
426	8439	रेशेदार सेल्युलोजिक सामग्री की लुगदी बनाने या कागज या पेपरबोर्ड बनाने या परिष्करण के लिए मशीनरी
427	8440	पुस्तक-बाइंडिंग मशीनरी, जिसमें पुस्तक-सिलाई मशीनें भी शामिल हैं
428	8441	कागज की लुगदी, कागज या पेपरबोर्ड बनाने के लिए अन्य मशीनरी, जिसमें सभी प्रकार की कटिंग मशीनें शामिल हैं
429	8442	प्लेट, मुद्रण घटक तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्षक 8456 से 8465 की मशीनों के अलावा); प्लेट, सिलेंडर और लिथोग्राफिक पत्थर, मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार (उदाहरण के लिए, समतल, दानेदार या पॉलिश किए हुए)
430	8443	शीर्ष 8442 के प्लेटों, सिलेंडरों और अन्य मुद्रण घटकों के माध्यम से मुद्रण के लिए प्रयुक्त मुद्रण मशीनरी; अन्य प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीनें और प्रतिकृति मशीनें, (चाहे संयुक्त हों या नहीं); उनके पुर्जे और सहायक उपकरण
431	8444	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री को निकालने, चित्रित करने, बनावट देने या काटने के लिए मशीनें
432	8445	कपड़ा रेशे तैयार करने के लिए मशीनें; कपड़ा धागा बनाने के लिए कताई, दोहरीकरण या घुमाव मशीनें और अन्य मशीनरी; कपड़ा रीलिंग या बाइंडिंग (वेफ्ट-बाइंडिंग सहित) मशीनें और शीर्ष 8446 या 8447 की मशीनों पर उपयोग के लिए कपड़ा धागा तैयार करने के लिए मशीनें
433	8446	बुनाई मशीनें (करघे)
434	8447	बुनाई मशीनें, सिलाई-बंधन मशीनें और गिम्पड यार्न, ठूल, लेस, कढ़ाई, ट्रिमिंग, ब्रैड या नेट बनाने के लिए मशीनें और टफ्टिंग के लिए मशीनें
435	8448	शीर्ष 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए सहायक मशीनरी (उदाहरण के लिए, डॉबी, जैक्कार्ड, स्वचालित स्टॉप मोशन, शटल बदलने की प्रणाली); इस शीर्षक या शीर्ष 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और सहायक उपकरण (उदाहरण के लिए, स्पिंडल और स्पिंडल फ्लायर्स, कार्ड क्लोथिंग, कंधे, एक्सट्रूडिंग निपल्स, शटल, हील्ड और हील्ड फ्रेम, होजरी सुइयां)
436	8449	टुकड़े या आकार में फेल्ट या नॉनवोवन के निर्माण या परिष्करण के लिए मशीनरी, जिसमें फेल्ट हैट बनाने के लिए मशीनरी शामिल है; हैट बनाने के लिए ब्लॉक
437	8450	घरेलू या कपड़े धोने वाली वाशिंग मशीनें, जिनमें धोने और सुखाने वाली मशीनें भी शामिल हैं
438	8451	कपड़े धोने, साफ करने, निचोड़ने, सुखाने, इस्त्री करने, दबाने (फ्यूजिंग प्रेस सहित), ब्लीचिंग, रंगाई, ड्रेसिंग, फिनिशिंग, कोटिंग या कपड़ा धागों, कपड़ों या तैयार कपड़ा वस्तुओं को संसेचित करने के लिए मशीनरी (शीर्षक 8450

		की मशीनों के अलावा) और आधार कपड़े या लिनोलियम जैसे फर्श कवरिंग के निर्माण में प्रयुक्त अन्य सहारे पर पेस्ट लगाने के लिए मशीनें; कपड़ा कपड़ों को रीलिंग, अनरीलिंग, फोल्डिंग, कटिंग या पिंकिंग करने के लिए मशीनें
439	8453	खाल, चमड़े या चमड़ा तैयार करने, उसे रंगने या उस पर काम करने या जूते या खाल, चमड़े या चमड़े से बनी अन्य वस्तुएं बनाने या उनकी मरम्मत करने के लिए मशीनरी, सिलाई मशीनों के अलावा
440	8454	कन्वर्टर, लैडल, इनगॉट मोल्ड और कास्टिंग मशीनें, एक प्रकार की जो धातु विज्ञान या धातु ढलाईघरों में उपयोग की जाती हैं
441	8455	धातु-रोलिंग मिलें और उनके रोल
442	8456	किसी भी सामग्री को हटाने, लेजर या अन्य प्रकाश या फोटॉन बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रो-डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो-केमिकल, इलेक्ट्रॉन बीम, आयनिक-बीम या प्लाज्मा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा काम करने के लिए मशीन-टूल्स
443	8457	धातु पर काम करने के लिए मशीनिंग केंद्र, इकाई निर्माण मशीनें (एकल स्टेशन) और बहु-स्टेशन स्थानांतरण मशीनें
444	8458	धातु हटाने के लिए खराद (टर्निंग सेंटर सहित)
445	8459	ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, थ्रेडिंग या धातु हटाकर टैपिंग के लिए मशीन-टूल्स (वे-टाइप यूनिट हेड मशीनों सहित), शीर्षक 8458 के खराद (टर्निंग सेंटर सहित) के अलावा
446	8460	धातु को खुरचने, तेज करने, पीसने, धार लगाने, चमकाने, लैपिंग करने, पॉलिश करने या अन्यथा परिष्कृत करने के लिए मशीन-उपकरण, या पीसने वाले पत्थरों, अपघर्षकों या पॉलिशिंग उत्पादों के माध्यम से धातु को खुरचने, तेज करने, पीसने, धार लगाने, पॉलिश करने या अन्यथा परिष्कृत करने के लिए मशीन-उपकरण, शीर्ष 8461 के गियर काटने, गियर पीसने या गियर परिष्करण मशीनों के अलावा
447	8461	समतलीकरण, आकार देने, खांचा बनाने, ब्रोचिंग, गियर काटने, गियर पीसने या गियर परिष्करण, काटने, काटने और धातु या सेमेंट को हटाकर काम करने वाले अन्य मशीन-टूल, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
448	8462	फोर्जिंग, हैमरिंग या ड्राई फोर्जिंग द्वारा धातु पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (प्रेस सहित) (रोलिंग मिलों को छोड़कर); झुकने, मोड़ने, सीधा करने, चपटा करने, कतरने, छिद्रण, नोचिंग या निबलिंग द्वारा धातु पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन और कट-टू-लेंथ लाइन सहित) (ड्रॉ-बेंच को छोड़कर); धातु या धातु कार्बाइड पर काम करने के लिए प्रेस, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं
449	8463	सामग्री को हटाए बिना धातु या सेमेंट्स पर काम करने के लिए अन्य मशीन-टूल्स
450	8464	पत्थर, चीनी मिट्टी, कंक्रीट, एस्बेस्टस-सीमेंट या इसी तरह के खनिज पदार्थों पर काम करने के लिए या कांच पर ठंडे काम करने के लिए मशीन-टूल
451	8465	लकड़ी, कॉर्क, हड्डी, कठोर रबर, कठोर प्लास्टिक या इसी तरह की कठोर सामग्रियों पर काम करने के लिए मशीन-

		टूल्स (कील ठोकने, स्टेपल लगाने, चिपकाने या अन्यथा संयोजन करने वाली मशीनों सहित)
452	8466	शीर्ष 8456 से 8465 तक की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और सहायक उपकरण जिनमें शामिल हैं: कार्य या उपकरण धारक, स्वतः खुलने वाले डाईहेड, विभाजक शीर्ष और मशीनों के लिए अन्य विशेष अनुलग्नक; हाथ से काम करने के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण के लिए उपकरण धारक
453	8467	हाथ से काम करने के लिए उपकरण, वायवीय, हाइड्रोलिक या स्व-निहित विद्युत या गैर-विद्युत मोटर के साथ
454	8468	सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिए मशीनरी और उपकरण, चाहे काटने में सक्षम हों या नहीं, शीर्ष 8515 के अंतर्गत आने वाले उपकरणों को छोड़कर; गैस चालित सतह टेम्परिंग मशीनें और उपकरण
455	8470	गणना मशीनें और पॉकेट आकार के डेटा रिकॉर्डिंग, गणना कार्यों के साथ पुनरुत्पादन और प्रदर्शन मशीनें; लेखा मशीनें, डाक-फ्रैंकिंग मशीनें, टिकट जारी करने वाली मशीनें और इसी तरह की मशीनें, एक गणना उपकरण को शामिल करना; कैश रजिस्टर
456	8471	स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीनें और उनकी इकाइयाँ; चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर, कोडित रूप में डेटा मीडिया पर डेटा को लिखने के लिए मशीनें और ऐसे डेटा को संसाधित करने के लिए मशीनें, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
457	8472	अन्य कार्यालय मशीनें (उदाहरण के लिए, हेक्टोग्राफ या स्टेंसिल डुप्लिकेटिंग मशीनें, एट्रेसिंग मशीनें, स्वचालित बैंकनोट डिस्पेंसर, सिक्का छंटाई मशीनें, सिक्का गिनने या लपेटने वाली मशीनें, पेंसिल शार्पनिंग मशीनें, छिद्रण या स्टेपलिंग मशीनें) [ब्रेल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक या गैर-इलेक्ट्रिक के अलावा]
458	8473	भाग और सहायक उपकरण (क्वर, कैरी केस और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के अलावा) जो केवल या मुख्य रूप से शीर्षक 8470 से 8472 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
459	8474	ठोस (पाउडर या पेस्ट सहित) रूप में मिट्टी, पत्थर, अयस्कों या अन्य खनिज पदार्थों को छांटने, छानने, अलग करने, धोने, कुचलने, पीसने, मिलाने या गूंथने के लिए मशीनरी; ठोस खनिज ईंधन, सिरमिक पेस्ट, कठोर न किए गए सीमेंट, प्लास्टर सामग्री या अन्य खनिज उत्पादों को पाउडर या पेस्ट के रूप में एकत्रित करने, आकार देने या ढालने के लिए मशीनरी; रेत के ढलाई सांचे बनाने के लिए मशीनें
460	8475	कांच के लिफाफों में विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक लैंप, ट्यूब या वाल्व या फ्लैश बल्ब को जोड़ने के लिए मशीनें; कांच या कांच के बर्तनों के निर्माण या गर्म कार्य के लिए मशीनें
461	8476	स्वचालित सामान बेचने वाली मशीनें (उदाहरण के लिए, डाक टिकट, सिगरेट, खाद्य या पेय पदार्थ बेचने वाली मशीनें), जिनमें पैसे बदलने वाली मशीनें भी शामिल हैं

462	8477	रबर या प्लास्टिक पर काम करने या इन सामग्रियों से उत्पादों के निर्माण के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है
463	8478	तम्बाकू तैयार करने या बनाने की मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है
464	8479	मशीनें और यांत्रिक उपकरण जिनके अलग-अलग कार्य हैं, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [कंपोस्टिंग मशीनों के अलावा]
465	8480	धातु ढलाई के लिए मोल्डिंग बक्से; मोल्ड बेस; मोल्डिंग पैटर्न; धातु के लिए मोल्ड (पिंड मोल्ड के अलावा), धातु कार्बाइड, कांच, खनिज सामग्री, रबर या प्लास्टिक
466	8481	पाइप, बॉयलर शेल, टैंक, वैट या इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए नल, कॉक, वाल्व और इसी तरह के उपकरण, जिनमें दबाव कम करने वाले वाल्व और थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित वाल्व शामिल हैं
467	8482	बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग
468	8483	ट्रांसमिशन शाफ्ट (कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट सहित) और क्रैंक; बेयरिंग हाउसिंग और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग; गियर और गियरिंग; बॉल या रोलर स्कू; गियर बॉक्स और अन्य गति परिवर्तक, टॉर्क कन्वर्टर सहित; फ्लाईव्हील और पुली, पुली ब्लॉक सहित; क्लच और शाफ्ट कपलिंग (यूनिवर्सल जॉइंट सहित)
469	8484	धातु शीटिंग के गैस्केट और इसी प्रकार के जोड़, अन्य सामग्री के साथ या धातु की दो या अधिक परतों के साथ संयुक्त; गैस्केट और इसी प्रकार के जोड़ों के सेट या वर्गीकरण, संरचना में भिन्न, थैलियों, लिफाफों या इसी प्रकार की पैकिंग में रखे गए; यांत्रिक सील
470	8485	एडिटिव मैनुफैक्चरिंग के लिए मशीनें
471	8486	अर्धचालक बॉल्स या वेफर्स, अर्धचालक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट या फ्लैट पैनल डिस्प्ले के विनिर्माण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली मशीनें और उपकरण; इस अध्याय के (नोट) 11(सी) में निर्दिष्ट मशीनें और उपकरण; पुर्जे और सहायक उपकरण
472	8487	मशीनरी के ऐसे भाग जिनमें विद्युत कनेक्टर, इन्सुलेटर, कॉइल, संपर्क या अन्य विद्युत विशेषताएं नहीं हैं जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
473	84 या 85	ई-अपशिष्ट <i>स्पष्टीकरण.</i> - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई-अपशिष्ट का अर्थ ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 (भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित) की अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिन्हें उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप से त्याग दिया जाता है।
474	8501	विद्युत मोटर और जनरेटर (जनरेटिंग सेट को छोड़कर)

475	8502	विद्युत जनरेटिंग सेट और रोटरी कन्वर्टर
476	8503	शीर्षक 8501 या 8502 की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
477	8504	विद्युत ट्रांसफार्मर, स्थैतिक कन्वर्टर (उदाहरण के लिए, रेक्टिफायर) और इंडक्टर, विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन के अलावा
478	8505	विद्युत-चुम्बक; स्थायी चुम्बक और चुम्बकीकरण के बाद स्थायी चुम्बक बनने के लिए प्रयुक्त वस्तुएँ; विद्युत-चुम्बकीय या स्थायी चुम्बक चक, क्लैम्प और इसी प्रकार के धारण उपकरण; विद्युत-चुम्बकीय युग्मन, क्लच और ब्रेक; विद्युत-चुम्बकीय उत्पादक शीर्ष
479	8506	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियाँ
480	8507	विद्युत संचायक, (सहित) इसके विभाजक, (चाहे आयताकार हों या नहीं) (वर्गाकार सहित)
481	8508	वैक्यूम क्लीनर्स
482	8509	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घरेलू उपकरण, स्व-निहित विद्युत मोटर के साथ, शीर्षक 8508 के वैक्यूम क्लीनर के अलावा
483	8510	शेवर, हेयर क्लिपर और बाल हटाने वाले उपकरण, स्व-निहित इलेक्ट्रिक मोटर के साथ
484	8511	स्पार्क-इग्निशन या कम्प्रेशन-इग्निशन आंतरिक दहन इंजनों के लिए प्रयुक्त विद्युत इग्निशन या स्टार्टिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, इग्निशन मैग्नेटो, मैग्नेटो-डायनेमो, इग्निशन कॉइल, स्पार्किंग प्लग और ग्लो प्लग, स्टार्टर मोटर); जनरेटर (उदाहरण के लिए, डायनेमो, अल्टरनेटर) और ऐसे इंजनों के साथ संयोजन में प्रयुक्त कट-आउट
485	8512	विद्युत प्रकाश या संकेत उपकरण (शीर्षक 8539 के लेखों को छोड़कर), विंडस्क्रीन वाइपर, डिफ्रॉस्टर और डिमिस्टर, साइकिल या मोटर वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के
486	8513	अपने स्वयं के ऊर्जा स्रोत (उदाहरण के लिए, सूखी बैटरी, संचायक, मैग्नेटो) द्वारा कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए पोर्टेबल विद्युत लैंप, शीर्षक 8512 के प्रकाश उपकरणों के अलावा
487	8514	औद्योगिक या प्रयोगशाला विद्युत भट्टियाँ और ओवन (प्रेरण या परावैद्युत हानि द्वारा संचालित भट्टियाँ और ओवन सहित); प्रेरण या परावैद्युत हानि द्वारा सामग्रियों के ताप उपचार के लिए अन्य औद्योगिक या प्रयोगशाला उपकरण
488	8515	विद्युत (विद्युतीय रूप से गर्म गैस सहित), लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रॉन बीम, चुंबकीय पल्स या प्लाज्मा आर्क सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग मशीनें और उपकरण, काटने में सक्षम हों या नहीं; धातुओं या सेमेट्स के गर्म छिड़काव के लिए विद्युत मशीनें और उपकरण
489	8516	विद्युत तात्कालिक या भंडारण जल हीटर और विसर्जन हीटर; विद्युत अंतरिक्ष हीटिंग उपकरण और मिट्टी हीटिंग उपकरण; इलेक्ट्रो थर्मिक हेयरड्रेसिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर, कर्लिंग टोंग हीटर) और हैंड

		ड्रायर; इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन; घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रो-थर्मिक उपकरण [सौर कुकर के अलावा]; इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रतिरोधक, शीर्षक 8545 के अलावा
490	8517	सभी सामान
491	8518	माइक्रोफोन और स्टैंड; लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवरण में लगे हों या नहीं; हेडफोन और इयरफोन, चाहे वे माइक्रोफोन के साथ लगे हों या नहीं, तथा माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकरों से युक्त सेट; ऑडियो-फ्रीक्वेंसी विद्युत प्रवर्धक; विद्युत ध्वनि प्रवर्धक सेट
492	8519	ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण
493	8521	वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण, जिसमें वीडियो ट्यूबर शामिल हो या न हो
494	8522	शीर्षक 8519 या 8521 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग और सहायक उपकरण
495	8523	डिस्क, टेप, ठोस-अवस्था गैर-वाष्पशील भंडारण उपकरण, "स्मार्ट कार्ड" और ध्वनि या अन्य घटनाओं की रिकॉर्डिंग के लिए अन्य मीडिया, चाहे रिकॉर्ड किया गया हो या नहीं, डिस्क के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस और मास्टर्स सहित, लेकिन अध्याय 37 के उत्पादों को छोड़कर
496	8524	फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, चाहे उनमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हों या नहीं
497	8525	क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए संचरण उपकरण, जिसमें रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या न हो; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर [रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफा रेडियो (वॉकी टॉकी) के अलावा]
498	8526	रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशनल सहायता उपकरण और रेडियो रिमोट कंट्रोल उपकरण
499	8527	रेडियो प्रसारण के लिए रिसेप्शन उपकरण, (चाहे हो या न हो), एक ही आवास में, ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त
500	8528	टेलीविजन सेट (एलसीडी या एलईडी टेलीविजन सहित), कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन के लिए सेट टॉप बॉक्स; मॉनिटर और प्रोजेक्टर, जिनमें टेलीविजन रिसेप्शन उपकरण शामिल नहीं हैं, टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, जिनमें रेडियो-प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हैं या नहीं
501	8529	शीर्षक 8525 से 8528 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
502	8530	रेलवे, ट्रामवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाएं, बंदरगाह प्रतिष्ठान या हवाई क्षेत्र (शीर्षक 8608 के अलावा) के लिए विद्युत सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण

		उपकरण
503	8531	विद्युत ध्वनि या दृश्य संकेत उपकरण (उदाहरण के लिए, घंटियाँ, सायरन, संकेतक पैनल, चोर या अग्नि अलार्म), शीर्षक 8512 या 8530 के अलावा
504	8532	विद्युत संधारित्र, स्थिर, परिवर्तनीय या समायोज्य (पूर्व-सेट)
505	8533	विद्युत प्रतिरोधक (रिओस्टेट और पोटेंशियोमीटर सहित), तापन प्रतिरोधकों के अलावा
506	8534 00 00	मुद्रित सर्किट
507	8535	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने के लिए, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, फ्यूज, तड़ित अवरोधक, वोल्टेज सीमक, सर्ज सप्रेसर, प्लग और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए
508	8536	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, रिले, फ्यूज, सर्ज सप्रेसर, प्लग, सॉकेट, लैंपहोल्डर और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए: ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए कनेक्टर
509	8537	विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण के लिए शीर्ष 8535 या 8536 के दो या अधिक उपकरणों से सुसज्जित बोर्ड, पैनल, कंसोल, डेस्क, कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या उपकरण शामिल हैं, और संख्यात्मक नियंत्रण उपकरण, शीर्ष 8517 के स्विचिंग उपकरण के अलावा
510	8538	शीर्षक 8535, 8536 या 8537 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
511	8539	विद्युत फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप इकाइयाँ और अल्ट्रा-वायलेट या इन्फ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप
512	8540	थर्मिओनिक, शीत कैथोड या फोटो-कैथोड वाल्व और ट्यूब (उदाहरण के लिए, वैक्यूम या वाष्प या गैस से भरे वाल्व और ट्यूब, पारा चाप सुधारक वाल्व और ट्यूब, कैथोड-रे ट्यूब, टेलीविजन कैमरा ट्यूब)
513	8541	अर्धचालक उपकरण (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक आधारित ट्रांसड्यूसर); प्रकाश-संवेदी अर्धचालक उपकरण; प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन किए गए हों या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल
514	8542	इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट
515	8543	विद्युत मशीनें और उपकरण, जिनके अलग-अलग कार्य हैं, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
516	8544	इन्सुलेटेड (इन्वैलेड या एनोडाइज्ड सहित) तार, केबल (को-एक्सियल केबल सहित) और अन्य इन्सुलेटेड विद्युत कंडक्टर, चाहे कनेक्टर के साथ फिट किए गए हों या नहीं;

		ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो व्यक्तिगत रूप से शीथ किए गए फाइबर से बने होते हैं, चाहे विद्युत कंडक्टर के साथ इकट्ठे किए गए हों या कनेक्टर के साथ फिट किए गए हों
517	8545	कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन ब्रश, लैंप कार्बन, बैटरी कार्बन और ग्रेफाइट या अन्य कार्बन की अन्य वस्तुएं, धातु के साथ या उसके बिना, विद्युत प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं
518	8546	किसी भी सामग्री के विद्युत इन्सुलेटर
519	8547	विद्युत मशीनों, उपकरणों या उपस्करों के लिए इंसुलेटिंग फिटिंग्स, जो धातु के किसी छोटे घटक (उदाहरण के लिए, थ्रेडेड सॉकेट) को छोड़कर पूरी तरह से इंसुलेटिंग सामग्री से बनी फिटिंग्स हैं, जिन्हें केवल संयोजन के प्रयोजनों के लिए मोलिंग के दौरान शामिल किया गया है, शीर्षक 8546 के इंसुलेटरों के अलावा; विद्युत कंड्यूट ट्यूबिंग और उनके जोड़, इंसुलेटिंग सामग्री से पंक्तिबद्ध आधार धातु के।
520	8548 00 00	मशीनरी या उपकरण के विद्युत भाग, जो अध्याय 85 में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
521	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रेप
522	8601	रेल इंजन बाहरी विद्युत स्रोत या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित होते हैं।
523	8602	अन्य रेल इंजन; इंजन टैंडर; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, स्टीम इंजन और उनके टैंडर
524	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के अंतर्गत आने वाले कोचों को छोड़कर।
525	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, चाहे वे स्व-चालित हों या नहीं (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टेम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)
526	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं; सामान वैन, डाकघर डिब्बे और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं (शीर्षक 8604 के डिब्बे को छोड़कर)
527	8606	रेलवे या ट्रामवे मालवाहक वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं
528	8607	रेलवे या ट्रामवे इंजन या रोलिंग स्टॉक के भाग; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, धुरी और पहिए, और उनके भाग।
529	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाएं, बंदरगाह स्थापना या हवाई क्षेत्र के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वोक्त के भाग।
530	8609	कंटेनर (द्रवों के परिवहन के लिए कंटेनर सहित) विशेष रूप से एक या अधिक परिवहन साधनों द्वारा परिवहन के लिए डिज़ाइन और सुसज्जित [रिफ्रिजरेटेड कंटेनर सहित]
531	8701	1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टर
532	8702	दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिसमें चालक भी शामिल है [सार्वजनिक परिवहन में

		उपयोग के लिए बसें भी शामिल हैं, जो विशेष रूप से जैव-ईंधन पर चलती हैं]
533	8702 या 8703	ऐसे मोटर वाहन जो एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत किए गए हों, ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण से सुसज्जित हों।
534	8703 21 या 8703 22	पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। <i>स्पष्टीकरण-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा
535	8703 31	डीजल चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। <i>स्पष्टीकरण-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा
536	8703	निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो, अर्थात्: - (क) पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो; और (ख) डीजल चालित वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, अस्थि-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, इस 'शर्त' के अधीन कि भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग में उप सचिव के पद से नीचे का अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उक्त सामान का उपयोग अस्थि-विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा
537	8703	तीन पहिया वाहन
538	8703 40, 8703 60	निम्नलिखित वाहन, जिनमें स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए विद्युत मोटर दोनों हैं; (क) ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण से सुसज्जित, एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत मोटर वाहन (ख) तीन पहिया वाहन (ग) जिन मोटर वाहनों की इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो <i>स्पष्टीकरण-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर

		वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
539	8703 50, 8703 70	निम्नलिखित वाहन, जिनमें संपीडन-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीज़ल या अर्ध-डीज़ल] और प्रणोदन हेतु विद्युत मोटर दोनों हों; (क) ऐसे मोटर वाहन जिन्हें एम्बुलेंस के रूप में अनुमोदित किया गया हो और जो ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरणों से सुसज्जित हों। (ख) तीन पहिया वाहन (ग) ऐसे मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
540	8704	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिनमें प्रशीतित मोटर वाहन भी शामिल हैं
541	8705	विशेष प्रयोजन मोटर वाहन, (उनके अलावा) जो मुख्य रूप से व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (उदाहरण के लिए, ब्रेकडाउन लॉरी, क्रेन लॉरी, अग्निशमन वाहन, कंक्रीट-मिक्सर लॉरी, रोड स्वीपर लॉरी, स्प्रेडिंग लॉरी, मोबाइल वर्कशॉप, मोबाइल रेडियोलॉजिकल यूनिट)
542	8706	शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए इंजन से सुसज्जित चैसिस
543	8707	निकाय (कैब सहित) शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए
544	8708	शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण [ट्रैक्टरों के निर्दिष्ट पुर्जों के अलावा]
545	8709	कार्य ट्रक, स्व-चालित, उठाने या संभालने वाले उपकरणों से सुसज्जित नहीं, माल के अल्प दूरी के परिवहन के लिए कारखानों, गोदामों, गोदी क्षेत्रों या हवाई अड्डों में प्रयुक्त प्रकार के; रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पर प्रयुक्त प्रकार के ट्रैक्टर; पूर्वोक्त वाहनों के भाग
546	8711	मोटरसाइकिलें (मोपेड सहित) और साइकिलें जिनमें 350 सीसी से अधिक की सहायक मोटर नहीं लगी हो, साइड-कार के साथ या उसके बिना; साइड-कार
547	8714	शीर्षक 8711 के वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण
548	8715	शिशु गाड़ियाँ और उनके पुर्जे
549	8716	ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर; अन्य वाहन, जो यंत्रचालित नहीं हैं; उनके भाग [कृषि प्रयोजनों के लिए स्व-लोडिंग या स्व-अनलोडिंग ट्रेलरों के अलावा, और हस्तचालित वाहन (जैसे हाथ गाड़ियाँ, रिक्शा और इसी तरह के वाहन); पशु चालित

		वाहन]
550	8801	गुब्बारे और दिरिजिबल्स, ग्लाइडर और अन्य गैर-संचालित विमान
551	8804	पैराशूट (जिसमें निर्देशित पैराशूट और पैराग्लाइडर शामिल हैं) और रोटोशूट; इसके पुर्जे और सहायक उपकरण और इसके पुर्जे
552	8805	विमान प्रक्षेपण गियर, डेक अरेस्टर या समान गियर; ग्राउंड फ्लाइंग ट्रेनर और उसके हिस्से
553	8807	शीर्षक 8801 के माल के पुर्जे
554	8903	नौकायन नावें और डोंगियाँ
555	8908 00 00	टूटने के लिए जहाज और अन्य तैरती संरचनाएं
556	9001	ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर बंडल; शीर्षक 8544 के ऑप्टिकल फाइबर केबलों को छोड़कर; ध्रुवीकरण सामग्री की शीट और प्लेटें; प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व, किसी भी सामग्री के, अनमाउंटेड, ऑप्टिकली काम न करने वाले कांच के ऐसे तत्वों को छोड़कर
557	9002	लेंस, प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व, किसी भी सामग्री से बने, उपकरणों या उपकरणों के भाग या फिटिंग के रूप में, कांच के ऐसे तत्वों के अलावा जो ऑप्टिकल रूप से काम नहीं करते हैं [इंट्राओकुलर लेंस के अलावा]
558	9004	चश्मा [सुधारात्मक के अलावा]; गॉगल्स [सुधारात्मक के अलावा]
559	9005	दूरबीन, एककोशिकीय, अन्य प्रकाशीय दूरदर्शी और उनके लिए माउंटिंग; अन्य खगोलीय उपकरण और उनके लिए माउंटिंग, लेकिन रेडियो-खगोल विज्ञान के लिए उपकरण शामिल नहीं हैं
560	9006	फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक के अलावा) कैमरे; फोटोग्राफिक फ्लैशलाइट उपकरण और फ्लैशबल्ब, शीर्षक 8539 के डिस्चार्ज लैंप के अलावा
561	9007	सिनेमैटोग्राफिक कैमरे और प्रोजेक्टर, चाहे उनमें ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हों या नहीं
562	9008	छवि प्रोजेक्टर, सिनेमैटोग्राफिक के अलावा; फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक के अलावा) एन्लार्जर और रिड्यूसर
563	9010	फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक सहित) प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और उपस्कर, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; नेगेटोस्कोप; प्रोजेक्शन स्क्रीन
564	9011	संयुक्त प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, जिनमें फोटोमाइक्रोग्राफी, सिनेफोटोमाइक्रोग्राफी या माइक्रोप्रोजेक्शन के लिए उपयोग होने वाले भी शामिल हैं
565	9012	प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के अलावा अन्य सूक्ष्मदर्शी; विवर्तन उपकरण
566	9013	लेज़र, लेज़र डायोड के अलावा; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
567	9014	दिशा-निर्देशक कम्पास; अन्य दिशासूचक उपकरण और यंत्र
568	9015	सर्वेक्षण (फोटोग्रामेट्रिकल सर्वेक्षण सहित), जल सर्वेक्षण,

		समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान या भूभौतिकीय उपकरण और उपकरण, कम्पास को छोड़कर; रेंजफाइंडर
569	9016	5 सीजी या उससे बेहतर संवेदनशीलता का संतुलन, भार के साथ या बिना
570	9017	ड्राइंग, मार्किंग या गणितीय गणना करने वाले उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्राफ्टिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोटैक्टर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूल, डिस्क कैलकुलेटर); हाथ में उपयोग के लिए लंबाई मापने वाले उपकरण (उदाहरण के लिए, मापने वाली छड़ें और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
571	9022	एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोगों के अलावा], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार टेबल, कुर्सियां और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं
572	9023	प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों (उदाहरण के लिए, शिक्षा या प्रदर्शनियों में) के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण, उपकरण और मॉडल, अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त
573	9024	सामग्रियों (उदाहरण के लिए, धातु, लकड़ी, वस्त्र, कागज, प्लास्टिक) की कठोरता, शक्ति, संपीड़नशीलता, लोच या अन्य यांत्रिक गुणों के परीक्षण के लिए मशीनें और उपकरण
574	9025	हाइड्रोमीटर और इसी तरह के तैरने वाले उपकरण, थर्मामीटर, पाइरोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर, रिकॉर्डिंग करने वाले या न करने वाले, और इन उपकरणों का कोई भी संयोजन [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए थर्मामीटर के अलावा]
575	9026	तरल पदार्थों या गैसों के प्रवाह, स्तर, दबाव या अन्य चरों को मापने या जांचने के लिए उपकरण और यंत्र (उदाहरण के लिए, प्रवाह मीटर, स्तर गेज, मैनोमीटर, ताप मीटर), शीर्ष 9014, 9015, 9028 या 9032 के उपकरणों और यंत्रों को छोड़कर
576	9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण और यंत्र (उदाहरण के लिए, पोलरिफ्रेक्टोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, गैस या धुआं विश्लेषण उपकरण); श्यानता, सरंध्रता, विस्तार, पृष्ठ तनाव या इसी तरह के मापन या जांच के लिए उपकरण और यंत्र; ऊष्मा, ध्वनि या प्रकाश की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए उपकरण और यंत्र (एक्सपोजर मीटर सहित); माइक्रोटोम [भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए उपकरणों और यंत्रों के अलावा]
577	9028	गैस, तरल या बिजली आपूर्ति या उत्पादन मीटर, इसके लिए अंशांकन मीटर सहित

578	9029	क्रांति काउंटर, उत्पादन काउंटर, टैक्सीमीटर, माइलोमीटर, पेडोमीटर और इसी तरह के उपकरण; गति सूचक और टैकोमीटर, शीर्षक 9014 या 9015 के अलावा; स्ट्रोबोस्कोप
579	9030	विद्युत मात्राओं को मापने या जांचने के लिए ऑसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषक और अन्य उपकरण और यंत्र, शीर्ष 9028 के मीटरों को छोड़कर; अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, ब्रह्मांडीय या अन्य आयनकारी विकिरणों को मापने या पता लगाने के लिए उपकरण और यंत्र
580	9031	मापने या जांचने वाले उपकरण, उपकरण और मशीनें, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रोफाइल प्रोजेक्टर
581	9032	स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरण और तंत्र
582	9033	अध्याय 90 की मशीनों, उपकरणों, यंत्रों या उपकरणों के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण (इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं)
583	9101	कलाई घड़ियाँ, पॉकेट घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ भी शामिल हैं, जिनका केस कीमती धातु से बना हो या जिन पर कीमती धातु चढ़ी हो
584	9102	कलाई घड़ियाँ, पॉकेट घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ भी शामिल हैं, शीर्षक 9101 के अंतर्गत आने वाली घड़ियों को छोड़कर
585	9103	घड़ी की गति वाली घड़ियाँ, शीर्षक 9104 की घड़ियों को छोड़कर
586	9104	वाहनों, विमानों, अंतरिक्ष यानों या जलयानों के लिए उपकरण पैनल घड़ियाँ और इसी प्रकार की घड़ियाँ
587	9105	अन्य घड़ियाँ
588	9106	दिन का समय रिकॉर्ड करने वाले उपकरण और समय के अंतराल को मापने, रिकॉर्ड करने या अन्यथा इंगित करने वाले उपकरण, घड़ी या घड़ी की गति के साथ या सिंक्रोनस मोटर के साथ (उदाहरण के लिए, समय-रजिस्टर, समय-रिकॉर्डर)
589	9107	घड़ी या घड़ी की गति या तुल्यकालिक मोटर के साथ समय स्विच
590	9108	घड़ी की गति, पूर्ण और संयोजित
591	9109	घड़ी की गति, पूर्ण और संयोजित
592	9110	पूर्ण घड़ी या घड़ी मूवमेंट, असंयोजित या आंशिक रूप से असेंबल (मूवमेंट सेट); अपूर्ण घड़ी या घड़ी मूवमेंट, असेंबल; कच्ची घड़ी या घड़ी मूवमेंट
593	9111	घड़ी के केस और उसके पुर्जे
594	9112	इस अध्याय के अन्य सामानों के लिए घड़ी के केस और इसी प्रकार के केस, और उनके भाग
595	9113	घड़ी के पट्टे, घड़ी के बैंड और घड़ी के कंगन, और उनके हिस्से
596	9114	अन्य घड़ी या घड़ी के पुर्जे
597	9201	पियानो, जिसमें स्वचालित पियानो, हार्पसी-कॉर्ड और अन्य कुंजीपटल तार वाले वाद्य यंत्र शामिल हैं
598	9202	अन्य तार वाले संगीत वाद्ययंत्र (उदाहरण के लिए, गिटार,

		वायलिन, वीणा)
599	9205	वायु वाद्य यंत्र (उदाहरण के लिए, कीबोर्ड पाइप ऑर्गन, अकॉर्डियन, क्लैरिनेट, ट्रम्पेट, बैगपाइप), मेला ग्राउंड ऑर्गन और मैकेनिकल स्ट्रीट ऑर्गन के अलावा
600	9206 00 00	ताल वाद्य यंत्र (उदाहरण के लिए, ड्रम, ज़ाइलोफोन, सिम्बोल, कैस्टनेट, माराकास)
601	9207	संगीत वाद्ययंत्र, जिनकी ध्वनि विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती है, या बढ़ाई जानी चाहिए (उदाहरण के लिए, ऑर्गन, गिटार, अकॉर्डियन)
602	9208	संगीत बॉक्स, मेला ग्राउंड ऑर्गन, यांत्रिक स्ट्रीट ऑर्गन, यांत्रिक गायन पक्षी, संगीत आरी और अन्य संगीत वाद्ययंत्र जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं आते हैं; सभी प्रकार की डिक्कॉय कॉल; सीटियां, कॉल हॉर्न और अन्य मुंह से बजाए जाने वाले ध्वनि संकेत यंत्र
603	9209	संगीत वाद्ययंत्रों के भाग (उदाहरण के लिए, संगीत बक्सों के लिए तंत्र) और सहायक उपकरण (उदाहरण के लिए, यांत्रिक उपकरणों के लिए कार्ड, डिस्क और रोल); सभी प्रकार के मेट्रोनोम, ट्यूनिंग फोर्क और पिच पाइप
604	9301	सैन्य हथियार (रिवाल्वर, पिस्तौल के अलावा)
605	9303	अन्य आग्नेयास्त्र और इसी प्रकार के उपकरण जो विस्फोटक चार्ज के फायर द्वारा संचालित होते हैं (उदाहरण के लिए, खेल शॉटगन और राइफल, थूथन-लोडिंग आग्नेयास्त्र, बहुत पिस्तौल और अन्य उपकरण जो केवल सिग्नल फ्लेयर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, खाली गोला बारूद फायर करने के लिए पिस्तौल और रिवाल्वर, कैप्टिव-बोल्ट मानव हत्यारे, लाइन-श्रीडिंग बंदूकें)
606	9304	अन्य हथियार (उदाहरण के लिए, स्प्रिंग, वायु या गैस बंदूकें और पिस्तौल, ट्रंचियन), शीर्षक 9307 के हथियारों को छोड़कर
607	9305	शीर्षक 9301 से 9304 तक की वस्तुओं के पुर्जे और सहायक उपकरण
608	9306	बम, ग्रेनेड, टारपीडो, बारूदी सुरंगें, मिसाइलें और युद्ध के समान हथियार और उनके हिस्से; कारतूस और अन्य गोला-बारूद और प्रक्षेपास्त्र और उनके हिस्से, जिनमें गोली और कारतूस के बंडल शामिल हैं
609	9307	तलवारें, कटी हुई लेस, संगीनें, बरछे और इसी प्रकार के हथियार और उनके भाग तथा उनके म्यान और म्यान
610	9401 [9401 10 00 के अलावा]	सीटें (शीर्षक 9402 की सीटों के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, जिनमें मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटें शामिल हैं, विमानों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटों के अलावा
611	9402	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा फर्नीचर (उदाहरण के लिए, ऑपरेशन टेबल, जांच टेबल, यांत्रिक फिटिंग वाले अस्पताल के बिस्तर, दंत चिकित्सकों की कुर्सियां); नाई की कुर्सियां और इसी तरह की कुर्सियां, जिनमें घूमने के साथ-साथ झुकने और ऊपर उठने की भी व्यवस्था हो; पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग

612	9403	अन्य फर्नीचर [पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बने फर्नीचर के अलावा] और उसके हिस्से
613	9404	गद्दे के सहारे; बिस्तर और इसी तरह की साज-सज्जा की वस्तुएं (उदाहरण के लिए, गद्दे, रजाई, ईडरडाउन, कुशन, पाउफ और तकिए) जो स्प्रिंग से लगे हों या किसी सामग्री से भरे हों या आंतरिक रूप से लगे हों या सेलुलर रबर या प्लास्टिक से बने हों, ढके हुए हों या नहीं [काँयर उत्पादों के अलावा (काँयर गद्दे को छोड़कर), पूरी तरह से रजाई वाले कपड़ा सामग्री से बने उत्पाद जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो और सूती रजाई जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो]
614	9405	लुमिनेयर और प्रकाश फिटिंग जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उनके हिस्से शामिल हैं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रदीप्त चिह्न, प्रदीप्त नामपट्टिकाएं और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जिनमें स्थायी रूप से स्थिर प्रकाश स्रोत होता है, और उनके हिस्से जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [किरोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्से जिनमें गैस मेंटल शामिल हैं, हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, कांच की चिमनी और उसके हिस्से के अलावा]
615	9406	पूर्वनिर्मित इमारतें
616	9503	इलेक्ट्रॉनिक खेलौने जैसे तिपहिया वाहन, स्कूटर, पैडल कार आदि (उनके पुर्जे और सहायक उपकरण सहित)
617	9504	वीडियो गेम कंसोल और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएं, टेबल या पार्लर गेम, जिसमें पिटेबल्स, विलियडर्स, कैसीनो गेम्स के लिए विशेष टेबल और स्वचालित बॉलिंग एली उपकरण शामिल हैं [इसके अलावा ताश, गंजीफा कार्ड, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और लूडो जैसे अन्य बोर्ड गेम आदि]
618	9505	उत्सव, कार्निवल या अन्य मनोरंजन संबंधी लेख, जिनमें जादू-टोने और नए चुटकुले शामिल हैं
619	9506	सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्विमिंग पूल और पैडिंग पूल के लिए सामग्री और उपकरण [खेल के सामान के अलावा]
620	9508	यात्रा करने वाले सर्कस और यात्रा करने वाले चिड़ियाघर; मनोरंजन पार्क की सवारी और जल मनोरंजन; मेला स्थल मनोरंजन, शूटिंग गैलरी सहित; यात्रा करने वाले थिएटर
621	9602	संसाधित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं, मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन या मॉडलिंग पेस्ट से बनी ढली या नक्काशीदार वस्तुएं, और अन्य ढली या नक्काशीदार वस्तुएं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; संसाधित, कठोरीकृत जिलेटिन (शीर्षक 3503 के जिलेटिन को छोड़कर) और कठोरीकृत जिलेटिन से बनी वस्तुएं
622	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	बटन, प्लास्टिक के बने, कपड़ा सामग्री से ढके नहीं, आधार धातु के, नारियल के खोल के बटन, बटन ब्लैंक
623	9603 [9603 10 00 और 9603 21 00 के अलावा]	ब्रश (जिनमें मशीनों, उपकरणों या वाहनों के भाग बनाने वाले ब्रश शामिल हैं), हाथ से चलने वाले यांत्रिक फर्श स्वीपर, मोटर चालित नहीं, मोप्स और पंख डस्टर; झाड़ू या

		ब्रश बनाने के लिए तैयार गांठें और गुच्छे; पेंट पैड और रोलर्स; स्क्वीजी (रोलर स्क्वीजी के अलावा) [झाड़ू और ब्रश के अलावा, जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्रियों से बने होते हैं, हैंडल के साथ या बिना, और टूथ ब्रश जिनमें डेंटल-प्लेट ब्रश शामिल हैं]
624	9604 00 00	हाथ की छलनी और हाथ की पहेलियाँ
625	9605	व्यक्तिगत शौचालय, सिलाई या जूते या कपड़े साफ करने के लिए यात्रा सेट
626	9608	बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ड टिप वाले और अन्य छिद्रयुक्त टिप वाले पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन; स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलो; पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर और इसी प्रकार के होल्डर; पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्ष 9609 के भागों को छोड़कर
627	9610 00 00	बोर्ड, लेखन या चित्रांकन सतह के साथ, फ्रेमयुक्त हो या नहीं
628	9611	दिनांक, सील या संख्यांकन टिकटें, और इसी तरह की अन्य वस्तुएं (लेबल मुद्रित करने या उभारने के लिए उपकरण सहित), जिन्हें हाथ से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; हाथ से संचालित कम्पोज़िंग स्टिक और ऐसी कम्पोज़िंग स्टिक को शामिल करने वाले हाथ से मुद्रण सेट
629	9612	टाइपराइटर या इसी तरह के रिबन, स्याही लगे हुए या अन्यथा छाप देने के लिए तैयार, स्पूल पर या कार्ट्रिज में (चाहे हों या नहीं); इंक-पैड, स्याही लगे हुए हों या नहीं, बॉक्स के साथ या उसके बिना
630	9613	सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या विद्युतीय हों या नहीं, और उनके भाग चकमक पत्थर या बत्ती के अलावा
631	9616	सुगंध स्प्रे और इसी प्रकार के शौचालय स्प्रे, तथा उनके लिए माउंट और हेड; सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारियों के प्रयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड
632	9617	वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम पात्र, पूर्ण; कांच के अंदरूनी भाग के अलावा उनके अन्य भाग
633	9618	दर्जी की डमी और अन्य सामान्य आकृतियाँ; ऑटोमेटा और अन्य एनिमेटेड प्रदर्शन, जिनका उपयोग दुकान की खिड़की को सजाने के लिए किया जाता है
634	9620 00 00	मोनोपॉड, बाइपॉड, ट्राइपॉड और इसी तरह के अन्य सामान
635	9801	मशीनरी की सभी वस्तुएं जिनमें प्राइम मूवर, उपकरण, तंत्र और उपकरण, नियंत्रण गियर और ट्रांसमिशन उपकरण, सहायक उपकरण (अनुसंधान और विकास उद्देश्यों, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण सहित) शामिल हैं, साथ ही सभी घटक (चाहे तैयार हों या नहीं) या उपरोक्त वस्तुओं और उनके घटकों के निर्माण के लिए कच्चा माल, जो किसी इकाई की प्रारंभिक स्थापना, या किसी मौजूदा इकाई के पर्याप्त विस्तार के लिए आवश्यक है, निर्दिष्ट: (1) औद्योगिक संयंत्र, (2) सिंचाई परियोजना, (3) बिजली परियोजना, (4) खनन परियोजना, (5) तेल या अन्य खनिजों की खोज के लिए परियोजना,

		और (6) ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्र सरकार देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है; और अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चे माल (उपभोज्य सामान की अर्ध-तैयार सामग्री सहित) जो ऊपर निर्दिष्ट माल के मूल्य के 10% से अधिक नहीं है, बशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त पुर्जे, कच्चे माल या उपभोज्य सामान ऊपर (1) से (6) में उल्लिखित संयंत्र या परियोजना के रखरखाव के लिए आवश्यक हैं।
636	9802	प्रयोगशाला रसायन
637	कोई भी अध्याय	बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का स्थायी हस्तांतरण
638	कोई भी अध्याय	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय शीर्ष 2523 के अंतर्गत आने वाले कैपिटल गुड्स और सीमेंट के अलावा किसी भी माल की आपूर्ति, एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक प्रमोटर को परियोजना के निर्माण के लिए, जिस पर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा 4 के तहत माल के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रमोटर द्वारा कर देय है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 07/2019-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019 में निर्धारित है, जिसे सा.का.नि.सं. 254(अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। <i>स्पष्टीकरण-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (जेडके) में दिया गया है। (ii) "प्रोजेक्ट" का अर्थ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी) या आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी) होगा। (iii) "रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी)" शब्द का वही अर्थ होगा जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (जेडएन) में दिया गया है। (iv) "आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी)" का अर्थ आरईपी होगा जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। आरईपी में सभी अपार्टमेंटों के कुल कालीन क्षेत्र का। (v) यह प्रविष्टि उन सभी वस्तुओं पर लागू मानी जाएगी जो इसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं, भले ही वे इस अधिसूचना में कहीं और अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर की गई हों।
639	कोई भी अध्याय	वे सामान जो अनुसूची I, III, IV, V, VI या VII में निर्दिष्ट नहीं हैं
640	9804	सभी शुल्क योग्य वस्तुएं व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं

अनुसूची III- 20%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2202 10	सभी सामान (जिसमें शामिल वातित जल), जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त पदार्थ शामिल हैं
2.	2202 91 00, 2202 99 90	अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय [इस अधिसूचना की अनुसूची I में निर्दिष्ट के अलावा]
3.	2202 99 90	कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
4.	2202	फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय
5.	8703	मोटर ऑटोमोबाइल और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से लोक के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (अलग-अलग वे जो शीर्षक 8702 के हैं), जिसमें स्टेशन वैगन और रेसिंग ऑटोमोबाइल शामिल हैं लेकिन स्पष्ट अनुसूची में II के क्रम संख्या, 533, 534, 535, 536, 537, 538 और 539 के सामने उत्तल माल है।
6.	8703 40, 8703 60	मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो स्पष्टीकरण-इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
7.	8703 50, 8703 70	संपीड़न-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीजल-या अर्ध डीजल] और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वाले मोटर वाहन, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
8.	8711	350 cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल
9.	8802	निजी उपयोग के लिए विमान
10.	8903	आनंद या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
11.	9302	रिवॉल्वर और पिस्तौल, से भिन्न शीर्षक वाले 9303 या 9304
12.	9614	धूम्रपान पाइप (जिसमें शामिल पाइप बाउल) और सिगार या सिगरेट होल्डर, और उसके हिस्से
13.	कोई भी अध्याय	निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा; स्पष्टीकरण: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(102ए) में परिभाषित "निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा" का अर्थ है निम्नलिखित में या

		इनके माध्यम से शामिल कार्रवाई योग्य दावा - (i) सट्टेबाजी; (ii) कैसीनो; (iii) जुआ; (iv) घुड़दौड़; (v) लॉटरी; या (vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग;

अनुसूची IV- 1.5%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप- शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7101	मोती, प्राकृतिक या संवर्धित, चाहे हो या न हो प्रसंस्कृत या श्रेणीबद्ध, परंतु पिरोए, आरोहित या जड़े नहीं गए; मोती, प्राकृतिक या संवर्धित, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए
2.	7105	प्राकृतिक या सिंथेटिक कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों की धूल और पाउडर
3.	7106	चांदी (जिसमें शामिल सोने या प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी), बिना गढ़ी हुई या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
4.	7107	चांदी से आच्छादित आधार धातुएं, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं की गई हैं
5.	7108	सोना (जिसमें शामिल प्लैटिनम से मढ़ा हुआ सोना) बिना गढ़ा हुआ या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
6.	7109	आधार धातु या चांदी, सोने से मढ़ी हुई, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं की गई
7.	7110	प्लैटिनम, बिना गढ़े या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
8.	7111	आधार धातुएं, चाँदी या सोना, प्लैटिनम से आच्छादित, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं किया गया
9.	7112	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से आच्छादित धातु का अपशिष्ट और स्क्रेप; बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु यौगिक युक्त अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप, जिसका उपयोग मुख्यतः बहुमूल्य धातु की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
10.	7113	बहुमूल्य धातु से बने आभूषण और उनके भाग या बहुमूल्य धातु से मढ़े हुए धातु
11.	7114	सुनार या चांदी के कारीगरों के सामान और उनके हिस्से, बहुमूल्य धातु से बने या बहुमूल्य धातु से मढ़े हुए
12.	7115	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से आच्छादित धातु से बनी अन्य वस्तुएँ
13.	7116	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों (प्राकृतिक, कृत्रिम या पुनर्निर्मित) से बनी वस्तुएं
14.	7117	नकली आभूषण [लाख/ शैलैक की चूड़ियों के अलावा]
15.	7118	सिक्का

अनुसूची V – 0.125%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	कच्चे हीरे या केवल आरी से काटे गए हीरे, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक
2.	7103	बहुमूल्य पत्थर (हीरे के अलावा) और अर्ध-कीमती पत्थर, चाहे वे काम किए गए हों या ग्रेड किए गए हों या नहीं, लेकिन पिरोए, लगाए या सेट नहीं किए गए हों; गैर-ग्रेड किए गए बहुमूल्य पत्थर (हीरे के अलावा) और अर्ध-कीमती पत्थर, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हों
3.	7104	सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे के अलावा], चाहे काम किया गया हो या ग्रेड किया गया हो या नहीं, लेकिन पिरोया, चढ़ाया या सेट नहीं किया गया हो; गैर-ग्रेडेड सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे के अलावा], परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोया गया हो; सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम किए या केवल आरी से काटे गए या मोटे तौर पर आकार दिए गए हों

अनुसूची VI – 0.75%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची V में क्रम संख्या 1 के समक्ष निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं
2.	7104	अनुसूची V में क्रम संख्या 3 के समक्ष निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं

अनुसूची VII – 14%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अनिर्मित तम्बाकू; तम्बाकू अपशिष्ट [तम्बाकू की पत्तियों के अलावा]
3.	2402	सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प से बने
4.	2403	अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के विकल्प; "समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू; तम्बाकू के अर्क और सुगंध (बिरिस सहित)
5.	2404 11 00	तम्बाकू या पुनर्गठित तम्बाकू युक्त उत्पाद और बिना दहन के साँस लेने के लिए
6.	2404 19 00	तम्बाकू या निकोटीन के विकल्प वाले उत्पाद जो बिना दहन के साँस लेने के लिए हैं

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(क) अभिव्यक्तियाँ, -

(i) "यूनिट कंटेनर" का अर्थ है एक पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया हो;

(ii) "पूर्व-पैक और लेबलयुक्त" का अर्थ है खुदरा बिक्री के लिए सभी वस्तुएं, जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (एल) में परिभाषित अनुसार "पूर्व-पैक" हैं, जहां पैकेज जिसमें वस्तु पूर्व-पैक है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपका हुआ लेबल है, उस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं अंकित होनी आवश्यक हैं;

(iii) "टैरिफ मद", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का अभिप्राय क्रमशः टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक और अध्याय होगा जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची, 1975 (1975 का 51), जिसमें शामिल, धारा और अध्याय टिप्पणी तथा प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणी की व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) , एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित हैं, इनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

NO. 9/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 641(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of central tax of-

- (i) 2.5 per cent. in respect of goods specified in Schedule I;
- (ii) 9 per cent. in respect of goods specified in Schedule II;
- (iii) 20 per cent. in respect of goods specified in Schedule III;
- (iv) 1.5 per cent. in respect of goods specified in Schedule IV;
- (v) 0.125 per cent. in respect of goods specified in Schedule V;
- (vi) 0.75 per cent. in respect of goods specified in Schedule VI, and
- (vii) 14 per cent. in respect of goods specified in Schedule VII,

appended to this notification (hereinafter referred to as the said Schedules), that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedules, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedules.

Schedule I – 2.5%

S. No.	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101 21 00, 0101 29	Live horses
2.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
3.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
4.	0402	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, including condensed milk

5.	0403	Yoghurt; Cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavored or containing added fruit, nuts or cocoa; Pre-packaged and labelled Curd, Lassi and Butter milk
6.	0404	Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
7.	0405	Butter and other fats and oils derived from milk, including ghee; dairy spreads
8.	0406	Cheese, other than chena or paneer
9.	0408	Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
10.	0409	Natural honey, pre-packaged and labelled
11.	0410	Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
12.	0502	Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.
13.	0504	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
14.	0505	Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers
15.	0507 (Except 050790)	Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.
16.	0508	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.
17.	0510	Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.
18.	0511	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption, other than semen including frozen semen.
19.	07	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jaribooti and dry flower
20.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split pre-packaged and labelled; Guar gum refined split
21.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, pre-packaged and labelled
22.	0801	Cashew nuts, whether or not shelled or peeled, desiccated coconuts; Brazil nuts, dried, whether or not Shelled or Peeled
23.	0802	Dried areca nuts, whether or not shelled or peeled; Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Pine nuts, chestnuts (singhada), Walnuts, whether or not shelled

24.	0802, 0813	Chestnuts (singhada), dried whether or not shelled or peeled
25.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled pre-packaged and labelled
26.	0804	Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried
27.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), dried
28.	0806	Grapes, dried, and raisins
29.	0811	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
30.	0812	Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption
31.	0813	Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind]
32.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
33.	0901	Coffee roasted, whether or not decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion [other than coffee beans not roasted]
34.	0902	Tea, whether or not flavoured [other than unprocessed green leaves of tea]
35.	0903	Maté
36.	0904	Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
37.	0905	Vanilla
38.	0906	Cinnamon and cinnamon-tree flowers
39.	0907	Cloves (whole fruit, cloves and stems)
40.	0908	Nutmeg, mace and cardamoms
41.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [other than of seed quality]
42.	0910 [other than 0910 11 10, 0910 30 10]	Ginger other than fresh ginger, saffron, turmeric (curcuma) other than fresh turmeric, thyme, bay leaves, curry and other spices
43.	1001	Wheat and meslin, pre-packaged and labelled
44.	1002	Rye, pre-packaged and labelled
45.	1003	Barley, pre-packaged and labelled
46.	1004	Oats, pre-packaged and labelled
47.	1005	Maize (corn), pre-packaged and labelled
48.	1006	Rice, pre-packaged and labelled
49.	1007	Grain sorghum, pre-packaged and labelled
50.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, pre-packaged and labelled
51.	1101	Wheat or meslin flour, pre-packaged and labelled
52.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin i.e. maize (corn) flour, Rye flour, etc., pre-packaged and labelled
53.	1103	Cereal groats, meal and pellets, including suji and dalia, pre-packaged and labelled
54.	1104	Cereal grains otherwise worked (for example, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground (other than hulled cereal grains)
55.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes, pre-packaged and labelled
56.	1106	Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 0713)], of sago or of roots or tubers of

		heading 0714 or of the products of Chapter 8, pre-packaged and labelled
57.	1107	Malt, whether or not roasted
58.	1108	Starches; inulin
59.	1109 00 00	Wheat gluten, whether or not dried
60.	12	All goods other than of seed quality
61.	1201	Soya beans, whether or not broken other than of seed quality.
62.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken other than of seed quality.
63.	1203	Copra
64.	1204	Linseed, whether or not broken other than of seed quality.
65.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken other than of seed quality.
66.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken other than of seed quality
67.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, other than of seed quality
68.	1208	Flour and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard
69.	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing
70.	1210 20 00	Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
71.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
72.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included
73.	1301	Natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) [other than lac and shellac]; Compounded asafoetida commonly known as heeng
74.	1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products including tamarind kernel powder
75.	1401	Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)
76.	1404 [other than 1404 90 40, 1404 90 60]	Vegetable products not elsewhere specified or included such as, Cotton linters, Soap nuts, Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used primarily for carving, Rudraksha seeds, bidi wrapper leaves(tendu), Indian katha [other than betel leaves, coconut shell unworked]
77.	1404 or 3305	Mehendi paste in cones
78.	1501	Pig fats (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503
79.	1502	Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503
80.	1503	Lard stearin, lard oil, oleo stearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared
81.	1504	Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified
82.	1505	Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)
83.	1506	Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
84.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not

		chemically modified
85.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
86.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
87.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
88.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
89.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
90.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
91.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
92.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
93.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
94.	1516	Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
95.	1517	Margarine, linoxyn; Edible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
96.	1518	Animal, vegetable or microbial fats and oils their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included
97.	1520 00 00	Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes
98.	1521	Vegetable waxes (other than triglycerides), Beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured
99.	1522	Degras, residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
100.	1601	Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products
101.	1602	Other prepared or preserved meat, meat offal, blood or insects
102.	1603	Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
103.	1604	Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs
104.	1605	Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
105.	1701	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes [other than jaggery of all types, khandsari sugar, rab]
106.	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, Khandsari Sugar, Rab, pre-packaged and labelled
107.	1702 or 1704	Palmyra sugar, mishri, batasha, bura, sakar, khadi sakar, harda, sakariya, gatta, kuliya, elaichidana, lukumdana, chikkis like puffed rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, til chikki, til patti, til revdi, sugar makhana, groundnut sweets, gajak, khaja, khajuli, anarsa

108.	1702	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; caramel
109.	1703	Molasses
110.	1704	Sugar confectionary (including white chocolate), not containing cocoa, sugar boiled confectionary
111.	1801	Cocoa beans whole or broken, raw or roasted
112.	1802	Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
113.	1803	Cocoa paste whether or not de-fatted
114.	1804	Cocoa butter, fat and oil
115.	1805	Cocoa powder, not containing added sugar or sweetening matter
116.	1806	Chocolates and other food preparations containing cocoa
117.	1901 20 00	Mixes and doughs for the preparation of bread, pastry and other baker's wares
118.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled; Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis not elsewhere specified or included
119.	1902	Seviyan (vermicelli); Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared
120.	1903	Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms (sabudana)
121.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as murki, pre-packaged and labelled
122.	1904	All goods i.e. Corn flakes, bulgar wheat, prepared foods obtained from cereal flakes (other than puffed rice, commonly known as muri, flattened or beaten rice, commonly known as chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as murki); Fortified Rice Kernel (FRK)
123.	1905	Pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products; Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion; Extruded or expanded products, savoury or salted
124.	1905 40 00	Rusks, toasted bread and similar toasted products
125.	2001	Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

126.	2002	Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
127.	2003	Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
128.	2004	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006
129.	2005	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006
130.	2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
131.	2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
132.	2008	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included; such as Ground-nuts, Cashew nut, roasted, salted or roasted and salted, Other roasted nuts and seeds, squash of Mango, Lemon, Orange, Pineapple or other fruits
133.	2009	Fruit or nut juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
134.	2009 89 90	Tender coconut water, pre-packaged and labelled
135.	2101 11, 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee
136.	2101 20	All goods i.e Extracts, essences and concentrates of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate
137.	2101 30	Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
138.	2102	Yeasts (active and inactive); other single cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders
139.	2103	All goods, including sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard including Curry paste, mayonnaise and salad dressings
140.	2104	Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
141.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa
142.	2106	Texturised vegetable proteins (soya bari), Bari made of pulses including mungodi and batters; Roasted Gram idli/dosa batter, chutney powder; Sweetmeats
143.	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, whether or not pre-packaged and labelled
144.	2106 90 91	Diabetic foods
145.	2106 (other than 21069020)	Food preparations not elsewhere specified or included [other than pan masala]
146.	2201	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured
147.	2201 90 10	Ice and snow
148.	2202 99	Plant-based milk drinks, ready for direct consumption as beverages
149.	2202 99 10	Soya milk drinks, whether or not sweetened or flavoured
150.	2202 99 20	Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]
151.	2202 99 30	Beverages containing milk

152.	2207	Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)
153.	2301	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves
154.	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]
155.	2302	Rice bran (other than de-oiled rice bran)
156.	2303	Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets
157.	2304	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil
158.	2305	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
159.	2306	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 other than cottonseed oil cake and de-oiled rice bran
160.	2307	Wine lees; argol
161.	2309	Fish soluble paste
162.	2401	Tobacco leave
163.	2502	Unroasted iron pyrites
164.	2503	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur
165.	2504	Natural graphite
166.	2505	Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
167.	2506	Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
168.	2507	Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined
169.	2508	Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths
170.	2509	Chalk
171.	2510	Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk
172.	2511	Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816
173.	2512	Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less
174.	2513	Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated
175.	2514	Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
176.	2515 [Except 2515 12 20, 2515 12 90] or 6802	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone (other than marble and travertine), alabaster, other than mirror polished stone which is ready to use
177.	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed
178.	2515 12 10	Marble and travertine blocks
179.	2516 [Except 2516 11 00, 25161200]	Porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or

		otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
180.	2516 11 00	Granite crude or roughly trimmed
181.	2516	Granite blocks
182.	2517	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones heading 2515 or 2516 whether or not heat-treated
183.	2518	Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
184.	2519	Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure
185.	2520	Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders
186.	2521	Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.
187.	2522	Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825
188.	2524	Asbestos
189.	2525	Mica, including splitting; mica waste.
190.	2526	Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.
191.	2528	Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H ₃ BO ₃ (calculated on dry weight)
192.	2529	Feldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar
193.	2530	Mineral substances not elsewhere specified or included
194.	2611	Tungsten ores and concentrates
195.	2612	Uranium or thorium ores and concentrates
196.	2613	Molybdenum ores and concentrates
197.	2614	Titanium ores and concentrates
198.	2615	Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates
199.	2616	Precious metal ores and concentrates
200.	2617	Other ores and concentrates
201.	2618	Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel
202.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag
203.	2621	Fly Ash
204.	27	Bio-gas
205.	2704	Coke and semi coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon
206.	2705	Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
207.	2710	(a) Kerosene oil PDS, (b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely, i. IFO 180 CST ii. IFO 380 CST iii. Marine Fuel 0.5% (FO)
208.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited

209.	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 10	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers
210.	28	Thorium oxalate, Enriched KBF ₄ (enriched potassium fluoborate), Enriched elemental boron, Nuclear fuel
211.	28	Anaesthetics, Potassium Iodate, Iodine, Steam
212.	2804 40 10	Medical grade oxygen
213.	2805 11	Nuclear grade sodium
214.	2807	Sulphuric Acid
215.	2808	Nitric acid
216.	2809	Fertilizer grade phosphoric acid
217.	2814	Ammonia
218.	2845	Heavy water and other nuclear fuels
219.	2847	Medicinal grade hydrogen peroxide
220.	2853	Compressed air
221.	28 or 38	Micronutrients, which are covered under serial number 1(g) of Schedule 1, Part (A) of the Fertilizer Control Order, 1985 and are manufactured by the manufacturers which are registered under the Fertilizer Control Order, 1985
222.	29 or 3808 93	Gibberellic acid
223.	2906 11 10	Natural Menthol
224.	2906 11 10, 30, 3301	Following goods from Natural Menthol namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil), c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO) d. De-mentholised oil (DMO), e. Spearmint oil f. Mentha piperita oil
225.	30	Insulin, Cyclosporin, Desferrioxamine injection or deferiprone, Oral re-hydration salts
226.	30 or any Chapter	All Drugs and medicines including their salts and esters and diagnostic test kits; formulations manufactured from bulk drugs [other than those specified at nil at S. No. 113 of notification No. 10/2025-Central Tax (Rate) dated 17 th September, 2025]
227.	30	Diagnostic kits for detection of all types of hepatitis
228.	30	Medicaments (including veterinary medicaments) used in bio-chemic systems
229.	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia
230.	3001	Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included
231.	3002	Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products; cell cultures whether or not modified
232.	3002, 3006	Animal or Human Blood Vaccines
233.	3003	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, Siddha, homoeopathic or Bio-chemic systems medicaments

234.	3004	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, homoeopathic siddha or Bio-chemic systems medicaments, put up for retail sale
235.	3005	Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes
236.	3006	Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter i.e. Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials (including sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable; Waste pharmaceuticals (other than contraceptives); Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes
237.	3101	All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled
238.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
239.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
240.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
241.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers
242.	32	Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract
243.	3202	Enzymatic preparations for pre-tanning
244.	3304	Talcum powder, Face powder
245.	3305	Hair oil, shampoo
246.	3306	Toothpaste
247.	3306 10 10	Tooth powder
248.	3306 20 00	Yarn used to clean between the teeth (Dental floss)
249.	3307	Shaving cream, shaving lotion, aftershave lotion
250.	3307 41 00	Agarbatti, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambraani
251.	3401	Toilet Soap (other than industrial soap) in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes
252.	3402	Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil
253.	3406	Candles, tapers and the like
254.	3503	Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501
255.	3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
256.	3605 00 10	All goods
257.	3701	Photographic plates and film for x-ray for medical use
258.	3705	Photographic plates and films, exposed and developed, other than cinematographic film
259.	3706	Photographic plates and films, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track, other than feature films
260.	3808	The following Bio-pesticides, namely - 1 <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>

		2 <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> 3 <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>galleriae</i> 4 <i>Bacillus sphaericus</i> 5 <i>Trichoderma viride</i> 6 <i>Trichoderma harzianum</i> 7 <i>Pseudomonas fluorescens</i> 8 <i>Beauveria bassiana</i> 9 NPV of <i>Helicoverpa armigera</i> 10 NPV of <i>Spodoptera litura</i> 11 Neem based pesticides 12 <i>Cymbopogon</i>
261.	3816	Dolomite ramming mix
262.	3818	Silicon wafers
263.	3822	All diagnostic kits or reagents including certified reference materials
264.	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel
265.	3926	Feeding bottles, Plastic beads
266.	4001	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip
267.	4004 00 00	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)
268.	4007	Latex Rubber Thread
269.	4011	Rear Tractor tyres and rear tractor tyre tubes
270.	4011 30 00	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on aircraft
271.	4011 70 00	Tyre for tractors
272.	4011, 4013	Pneumatic tyres or inner tubes, of rubber, of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws
273.	4013 90 49	Tube for tractor tyres
274.	4014	Nipples of feeding bottles
275.	4015	Surgical rubber gloves or medical examination rubber gloves
276.	4016	Rubber bands
277.	4017	Waste or scrap of hard rubber
278.	4101	Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
279.	4102	Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split
280.	4103	Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
281.	4104	Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared
282.	4105	Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared
283.	4106	Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared
284.	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
285.	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
286.	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
287.	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather

288.	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour
289.	4202 22 20	Hand bags and shopping bags, of cotton
290.	4202 22 30	Hand bags and shopping bags, of jute
291.	4203	Gloves specially designed for use in sports
292.	44 or any Chapter	The following goods, namely: — b. Cement Bonded Particle Board; c. Jute Particle Board; d. Rice Husk Board; e. Glass-fibre Reinforced Gypsum Board (GRG) f. Sisal-fibre Boards; g. Bagasse Board; and h. Cotton Stalk Particle Board i. Particle/fibre board manufactured from agricultural crop residues
293.	44, 68, 83	Idols of wood, stone [including marble] and metals [other than those made of precious metals]
294.	4401	Wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
295.	4404	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like
296.	4405	Wood wool; wood flour
297.	4406	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
298.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [for match splints]
299.	4409	Bamboo flooring
300.	4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood
301.	4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves
302.	4417	Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood
303.	4418	Bamboo wood building joinery
304.	4419	Tableware and Kitchenware of wood
305.	4420	Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94
306.	4421	Other articles of wood; such as clothes hangers, Spools, cops, bobbins, sewing thread reels and the like of turned wood for various textile machinery, Match splints, Pencil slats, Parts of wood, namely oars, paddles and rudders for ships, boats and other similar floating structures, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware [other than Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware]
307.	4501	Natural cork, raw or simply prepared
308.	4502 00 00	Natural cork, debarked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
309.	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
310.	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles

		of agglomerated cork
311.	4601, 4602	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork
312.	4701	Mechanical wood pulp
313.	4703	Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades
314.	4704	Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades
315.	4705	Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes
316.	4706	Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material
317.	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard
318.	48	Paper splints for matches, whether or not waxed, Asphaltic roofing sheets
319.	39, 48	Paper Sacks/Bags and bio-degradable bags
320.	4801	Newsprint, in rolls or sheets
321.	4817 30	Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery
322.	4819 10, 4819 20	Cartons, boxes and cases of, - (a) Corrugated paper or paper boards; or (b) Non-corrugated paper or paper board
323.	4823	Paper pulp moulded trays; Kites, Paper mache articles
324.	4901	Brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets
325.	5004 to 5006	Silk yarn
326.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste
327.	5104	Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair, shoddy wool
328.	5105	Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed
329.	5106 to 5110	Yarn of wool or of animal hair
330.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
331.	5201 to 5203	Cotton and Cotton waste
332.	5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale
333.	5205 to 5207	Cotton yarn [other than khadi yarn]
334.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
335.	5301	All goods i.e. flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garneted stock)
336.	5302	True hemp (<i>Cannabis sativa</i> L), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garneted stock)
337.	5303	All goods i.e. textile bast fibres [other than jute fibres, raw or processed but not spun]; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garneted stock)
338.	5305 to 5308	All goods [other than coconut coir fibre] including yarn of flax, jute, other textile bast fibres, other vegetable textile fibres; paper yarn including coir pith compost pre-packaged and labelled
339.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
340.	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
341.	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	All goods including synthetic or artificial filament yarns
342.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
343.	5501, 5502	Synthetic or artificial filament tow
344.	5503, 5504, 5506, 5507	Synthetic or artificial staple fibres
345.	5505	Waste of manmade fibres
346.	5508	Sewing thread of manmade staple fibres, whether or not put up for retail sale
347.	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres
348.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
349.	5601	Wadding of textile materials and articles thereof; such as Absorbent cotton wool except cigarette filter rods
350.	5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
351.	5603	Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

352.	5604	Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics
353.	5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, including real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread, imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance
354.	5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn
355.	5607	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics including jute twine, coir cordage or ropes
356.	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
357.	5609	Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included, products of coir
358.	5701	Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up
359.	5702	Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” and similar hand-woven rugs
360.	5703	Carpets and other textile floor coverings (including Turf), tufted, whether or not made up
361.	5704	Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up
362.	5705	Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up; such as Mats and mattings including Bath Mats, where cotton predominates by weight, of Handloom, Cotton Rugs of handloom
363.	5702, 5703, 5705	Coir mats, matting, floor covering and handloom durries
364.	5801	All goods
365.	5802	Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703
366.	5803	Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806
367.	5804	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006
368.	5805	Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up
369.	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)
370.	5807	Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered
371.	5808	Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles; saree fall
372.	5809	Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included; such as Zari borders
373.	5809, 5810	Embroidery or zari articles, that is to say,- imi, zari, kasab, salma, dabka, chumki, gota, sitara, naqsi, kora, glass beads, badla, gizai
374.	5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs, Embroidered badges, motifs and the like
375.	5811	Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers

		of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810
376.	5901	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations
377.	5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon
378.	5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902
379.	5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape
380.	5905	Textile wall coverings
381.	5906	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902
382.	5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
383.	5908	Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated
384.	5909	Textile hose piping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials
385.	5910	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material
386.	5911	Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter; such as Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams); Bolting cloth, whether or not made up; Felt for cotton textile industries, woven; Woven textiles felt, whether or not impregnated or coated, of a kind commonly used in other machines; Cotton fabrics and articles used in machinery and plant; Jute fabrics and articles used in machinery or plant; Textile fabrics of metalised yarn of a kind commonly used in paper making or other machinery; Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair; Paper maker's felt, woven; Gaskets, washers, polishing discs and other machinery parts of textile articles
387.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]
388.	61	Article of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs 2500 per piece
389.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
390.	63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309]	Other made up textile articles, sets, of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
391.	6309 or 6310	Worn clothing and other worn articles; rags
392.	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.2500 per pair
393.	6501	Textile caps
394.	6505	Hats (knitted/crocheted) or made up from lace or other textile fabrics
395.	6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)
396.	6602	Whips, riding-crops and the like
397.	6602 00 00	Walking-sticks including seat sticks
398.	6603	Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602
399.	6701	Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes)
400.	68	Sand lime bricks or Stone inlay work
401.	6802	Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of

		animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone
402.	6909	Pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance and packing of goods of ceramic
403.	6911	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
404.	6912	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china
405.	6913	Statues and other ornamental articles
406.	7001	Cullet or other waste or scrap of glass
407.	7015 10	Glasses for corrective spectacles and flint buttons
408.	7018	Glass beads
409.	7020	Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns
410.	7310 or 7326	Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes
411.	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium
412.	7317	Animal shoe nails
413.	7319	Sewing needles
414.	7321	Kerosene burners, kerosene stoves and wood burning stoves of iron or steel
415.	7321 or 8516	Solar cookers
416.	7323	Table, kitchen or other household articles of iron & steel; Utensils
417.	7418	Table, kitchen or other household articles of copper; Utensils
418.	7419 80 30	Brass Kerosene Pressure Stove
419.	7615	Table, kitchen or other household articles of aluminium; Utensils
420.	8306	Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; metal bidriware
421.	8401	Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors
422.	8407 10 00, 8411	Aircraft engines
423.	8408	Fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
424.	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
425.	8413, 8413 91	Hand pumps and parts thereof
426.	8413 81 90	Hydraulic Pumps for tractors
427.	8414 20 20	Other hand pumps
428.	8419 12	Solar water heater and system
429.	8420	Hand operated rubber roller
430.	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers
431.	8424	Sprinklers; drip irrigation system including laterals; mechanical sprayers
432.	8432	Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers; Parts [8432 90]
433.	8433	Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; parts thereof
434.	8436	Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders; parts thereof
435.	8452	Sewing machines, other than book-sewing machine of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machines needles and parts of sewing machines
436.	8479	Composting Machines
437.	84, 85 or 94	Following renewable energy devices and parts for their manufacture:- (a) Bio-gas plant; (b) Solar power-based devices;

		(c) Solar power generator; (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG); (e) Waste to energy plants / devices; (f) Solar lantern / solar lamp; (g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants; (h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels. Explanation:- If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017 [G.S.R. 690(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service
438.	8504	Charger or charging station for Electrically operated vehicles
439.	8525 60	Two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces etc.
440.	87	Fuel Cell Motor Vehicles including hydrogen vehicles based on fuel cell technology
441.	87	Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric vehicles. Explanation.- For the purposes of this entry, "Electrically operated vehicles" means vehicles which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles and shall include E- bicycles.
442.	8701	Tractors (except road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc)
443.	8708	Following parts of tractors namely: a. Rear Tractor wheel rim, b. tractor centre housing, c. tractor housing transmission, d. tractor support front axle
444.	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
445.	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
446.	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
447.	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
448.	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
449.	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
450.	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
451.	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452.	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor
453.	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
454.	8708 99 00	Fender, Hood, Wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors.
455.	8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles
456.	8712	Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised
457.	8713	Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise mechanically propelled
458.	8714	Parts and accessories of bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised, of heading 8712
459.	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons
460.	8716 20 00	Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes
461.	8716 80	Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles
462.	88 or Any other Chapter	Scientific and technical instruments, apparatus, equipment, accessories, parts, components, spares, tools, mock ups and modules,

		raw material and consumables required for launch vehicles and satellites and payloads
463.	8802	Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes), other than for personal use
464.	8806	Unmanned aircraft
465.	8807	Parts of goods of heading 8802 or 8806
466.	8901	Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the transport of persons or goods
467.	8902	Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products
468.	8904	Tugs and pusher craft
469.	8905	Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production platforms
470.	8906	Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats
471.	8907	Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, buoys and beacons)
472.	Any chapter	Parts of goods of headings 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907
473.	90	Coronary stents and coronary stent systems for use with cardiac catheters
474.	90 or any other Chapter	Artificial kidney
475.	90 or any other Chapter	Blood glucose monitoring system (Glucometer) and test strips
476.	90 or any other Chapter	Patent Ductus Arteriosus / Atrial Septal Defect occlusion device
477.	90 or any other Chapter	Parts of the following goods, namely: - (i) Crutches; (ii) Wheel chairs; (iii) Walking frames; (iv) Tricycles; (v) Brailers; and (vi) Artificial limbs
478.	90 or any other Chapter	Assistive devices, rehabilitation aids and other goods for disabled, specified in List 1 appended to this Schedule
479.	90 or 84	Disposable sterilized dialyzer or micro barrier of artificial kidney
480.	9001	Contact lenses; Spectacle lenses
481.	9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof
482.	9004	Spectacles, corrective (including goggles for correcting vision)
483.	9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scientigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments
484.	9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus
485.	9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters
486.	9021	Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than hearing aids]
487.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like
488.	9025	Thermometers for medical, surgical, dental or veterinary usage
489.	9027	Instruments and apparatus for medical, surgical, dental or veterinary uses, for physical or chemical analysis
490.	9403	Furniture wholly made of bamboo, cane or rattan
491.	9404	Coir products (except coir mattresses)
492.	9404	Products wholly made of quilted textile materials not exceeding Rs 2500 per piece

493.	9404	Cotton quilts of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
494.	9401 10 00	Aircraft seats
495.	9405	Hurricane lanterns, Kerosene lamp / pressure lantern, petromax, glass chimney, and parts thereof
496.	9503	Toy balloons made of natural rubber latex
497.	9503	Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof) [other than electronic toys]
498.	9504	Playing cards, chess board, carom board and other board games, like ludo, etc. (other than Video game consoles and Machines)
499.	9506	Sports goods other than articles and equipment for general physical exercise
500.	9507	Fishing hooks
501.	9507	Fishing rods, and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy birds (other than those of heading 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites
502.	9601	Worked ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, corals, mother of pearl, and other animal carving material and articles of these materials, articles of coral (including articles obtained by moulding)
503.	9603 [other than 9603 10 00]	Broomsticks (other than brooms consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles)
504.	9603 21 00	Tooth brushes including dental-plate brushes
505.	9607	Slide fasteners and parts thereof
506.	9615	Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof
507.	9619 00 30, 9619 00 40, or 9619 00 90	All goods
508.	9701	Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages, mosaics and similar decorative plaques
509.	9702	Original engravings, prints and lithographs
510.	9703	Original sculptures and statuary, in any material
511.	9704	Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 4907
512.	9705	Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, paleontological, ethnographic or numismatic interest including numismatic coins
513.	9706	Antiques of an age exceeding one hundred years
514.	9804	All drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits and formulations intended for personal use [other than those specified at nil at S No. 113 of Notification No. 10/2025-Central Tax (Rate) dated 17 th September, 2025]
515.	Any chapter	Rosaries, prayer beads or Hawan samagri
516.	Any chapter	Biomass briquettes or solid bio fuel pellets

List 1 [See S. No. 478 of the Schedule I]

- (A) (1) Braille writers and braille writing instruments
(2) Hand writing equipment Braille Frames, Slates, Writing Guides, Script Writing Guides, Styli, Braille Erasers
(3) Canes, Electronic aids like the Sonic Guide
(4) Optical, Environmental Sensors
(5) Arithmetic aids like the Taylor Frame (arithmetic and algebra types), Cubarythm, Speaking or Braille calculator
(6) Geometrical aids like combined Graph and Mathematical Demonstration Board, Braille Protractors, Scales, Compasses and Spar Wheels
(7) Electronic measuring equipment, such as calipers, micrometers, comparators, gauges, gauge

- blocks Levels, Rules, Rulers and Yardsticks
- (8) Drafting, Drawing aids, tactile displays
- (9) Specially adapted clocks and watches
- (B) (1) Wheel chairs falling under heading No. 87.13 of the First Schedule
- (2) Retro fitment kits for vehicles used by the disabled
- (C) Artificial electronic larynx and spares thereof
- (D) Artificial electronic ear (Cochlear implant)
- (E) (1) Talking books (in the form of cassettes, discs or other sound reproductions) and large-print books, braille embossers, talking calculators, talking thermometers
- (2) Equipment for the mechanical or the computerized production of braille and recorded material such as braille computer terminals and displays, electronic braille, transfer and pressing machines and stereo typing machines
- (3) Braille paper
- (4) All tangible appliances including articles, instruments, apparatus, specially designed for use by the blind
- (5) Aids for improving mobility of the blind such as electronic orientation and obstacle detection appliance and white canes
- (6) Technical aids for education, rehabilitation, vocational training and employment of the blind such as Braille typewriters, braille watches, teaching and learning aids, games and other instruments and vocational aids specifically adapted for use of the blind
- (7) Assistive listening devices, audiometers
- (8) External catheters, special jelly cushions to prevent bed sores, stair lift, urine collection bags
- (9) Instruments and implants for severely physically handicapped patients and joints replacement and spinal instruments and implants including bone cement.

Schedule II – 9 %

S. No.	Chapter/Heading/Sub-Heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	1702	Artificial honey, whether or not mixed with natural honey
2.	2207	Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]
3.	22071012	Spirits for industrial use
4.	2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid
5.	24041200	Products containing nicotine and intended for inhalation without combustion
6.	24049100, 24049200, 24049900	Products for oral application or transdermal application or for application otherwise than orally or transdermally, containing nicotine and intended to assist tobacco use cessation
7.	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
8.	2516 12 00	Granite, other than blocks
9.	2523	Portland cement, aluminous cement, slag cement, super sulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
10.	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
11.	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
12.	2603	Copper ores and concentrates
13.	2604	Nickel ores and concentrates
14.	2605	Cobalt ores and concentrates
15.	2606	Aluminium ores and concentrates
16.	2607	Lead ores and concentrates
17.	2608	Zinc ores and concentrates
18.	2609	Tin ores and concentrates
19.	2610	Chromium ores and concentrates
20.	2619	Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag
21.	2620	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel)

		containing metals, arsenic or their compounds
22.	2621	Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste [other than fly ash]
23.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
24.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
25.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
26.	2706	Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars
27.	2707	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, such as Benzole (benzene), Toluole (toluene), Xylole (xylenes), Naphthelene
28.	2708	Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars
29.	2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than petroleum crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils; Avgas (other than kerosene PDS, petrol, diesel and ATF which are not in GST)
30.	2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, such as Propane, Butanes, Ethylene, propylene, butylene and butadiene [Other than Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers or to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited]
31.	2712	Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
32.	2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
33.	2714	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks
34.	2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)
35.	28	All inorganic chemicals [other than those specified in notification No.10/2025- Central Tax (Rate) dated 17 th September 2025 or other Schedules of this notification]
36.	29	All organic chemicals other than giberellic acid
37.	2906 11 90	Goods other than Natural Menthol
38.	29061190, 30, 3301	Following goods made from other than natural menthol, namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil) c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO) d. De-mentholised oil (DMO) e. Spearmint oil f. Mentha piperita oil
39.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, which are clearly not to be used as fertilizers
40.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, which are clearly not to be used as fertilizers
41.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, which are clearly not to be used as fertilizers
42.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, which are clearly not to be used as fertilizers
43.	3201	Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers,

		esters and other derivatives (other than Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract)
44.	3202	Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances (other than Enzymatic preparations for pre-tanning)
45.	3203	Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin
46.	3204	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined
47.	3205	Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes
48.	3206	Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined
49.	3207	Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes
50.	3208	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter
51.	3209	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium
52.	3210	Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather
53.	3211 00 00	Prepared driers
54.	3212	Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale
55.	3213	Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings
56.	3214	Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like
57.	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink
58.	3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils such as essential oils of citrus fruit, essential oils other than those of citrus fruit such as eucalyptus oil, etc., flavouring essences all types (including those for liquors), attars of all kinds in fixed oil bases
59.	3302	Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages such as synthetic perfumery compounds [other than natural menthol and goods made from natural menthol i.e menthol and menthol crystals, Peppermint (Mentha Oil), Fractionated / de-terpenated mentha oil

		(DTMO), De-mentholised oil (DMO), Spearmint oil, Mentha piperita oil]
60.	3303	Perfumes and toilet waters
61.	3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments) including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations [other than kajal, kumkum, bindi, sindur, alta, talcum powder and face powder]
62.	3305	Preparations for use on the hair [other than mehendi paste in cones, hair oil, shampoo]
63.	3306	Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders in individual retail packages [other than tooth powder, tooth paste and yarn used to clean between the teeth (dental floss)]
64.	3307	Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties [other than shaving cream, shaving lotion and aftershave lotion]
65.	3307 41 00	Odoriferous preparations which operate by burning [other than agarbattis, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani]
66.	3401	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap [other than toilet soap in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes]; organic surface active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent
67.	3402	Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 [other than Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil]
68.	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
69.	3404	Artificial waxes and prepared waxes
70.	3405	Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404
71.	3407	Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)
72.	3501	Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues
73.	3502	Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives
74.	3504	Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed; including Isolated soya protein
75.	3506	Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg
76.	3507	Enzymes, prepared enzymes

77.	3601	Propellant powders
78.	3602	Prepared explosives, other than propellant powders, such as industrial explosives
79.	3603	Safety fuses; detonating cords; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators
80.	3604	Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles
81.	3606	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter; such as liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters
82.	3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs; such as Instant print film, Cinematographic film (other than for x-ray for Medical use)
83.	3702	Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed
84.	3703	Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed
85.	3704	Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed
86.	3706	Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track
87.	3707	Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use
88.	3801	Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures
89.	3802	Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black
90.	3803 00 00	Tall oil, whether or not refined
91.	3804	Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803
92.	3805	Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent
93.	3806	Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums
94.	3807	Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch
95.	3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products [other than bio-pesticides mentioned against S. No. 260 of Schedule –I]
96.	3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included
97.	3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods
98.	3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils

99.	3812	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics such as vulcanizing agents for rubber
100.	3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire extinguishing grenades
101.	3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers
102.	3815	Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included
103.	3816	Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 [other than dolomite ramming mix]
104.	3817	Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902
105.	3818	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics [other than silicon wafers]
106.	3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
107.	3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids
108.	3821	Prepared culture media for development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
109.	3823	Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining; industrial fatty alcohols
110.	3824	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included
111.	3825	Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included [except municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter.]
112.	3826	Biodiesel (other than biodiesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)
113.	3827	Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included
114.	3901 to 3913	All goods i.e. polymers; Polyacetals, other polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters, other polyesters; polyamides; Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes; silicones; Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included; Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included; Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included; in primary forms
115.	3914	Ion exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms
116.	3915	Waste, Parings and Scrap, of Plastics
117.	3916	Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics
118.	3917	Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of plastics
119.	3918	Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter
120.	3919	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls
121.	3920	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other

		materials
122.	3921	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics
123.	3922	Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics
124.	3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics
125.	3924	Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics
126.	3925	Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included
127.	3926	Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 [other than bangles of plastic, plastic beads and feeding bottles]
128.	4002	Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip; such as Latex, styrene butadiene rubber, butadiene rubber (BR), Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR), Ethylene-propylene-Non-conjugated diene rubber (EPDM)
129.	4003	Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip
130.	4004	Powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)
131.	4005	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip
132.	4006	Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber
133.	4007	Vulcanised rubber thread and cord, other than latex rubber thread
134.	4008	Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber
135.	4009	Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)
136.	4010	Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber
137.	4011	New pneumatic tyres, of rubber (other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; rear tractor tyres; and of a kind used on aircraft)
138.	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber
139.	4013	Inner tubes of rubber (other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; and Rear Tractor tyre tubes)
140.	4014	Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber; such as Hot water bottles, Ice bags [other than Sheath contraceptives, Rubber contraceptives, male (condoms), Rubber contraceptives, female (diaphragms), such as cervical caps]
141.	4015	Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber [other than Surgical gloves]
142.	4016	Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber [other than erasers, rubber bands]
143.	4017	Hard rubber (for example ebonite) in all forms, other than waste and scrap; articles of hard rubber
144.	4201	Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material
145.	4202	Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or

		wholly or mainly covered with such materials or with paper [other than handbags and shopping bags, of cotton or jute]
146.	4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather [other than gloves specially designed for use in sports]
147.	4205	Other articles of leather or of composition leather
148.	4206	Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
149.	4301	Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103.
150.	4302	Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303
151.	4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin
152.	4304	Artificial fur and articles thereof
153.	4403	Wood in the rough
154.	4407	Wood sawn or chipped
155.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [other than for match splints]
156.	4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, v-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed [other than bamboo flooring]
157.	4410	Particle board, Oriented Strand Board and similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances, other than specified boards
158.	4411	Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances, other than specified boards
159.	4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood
160.	4413	Densified wood, in blocks, plates, strips, or profile shapes
161.	4414	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
162.	4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes [other than bamboo wood building joinery]
163.	4421	Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware
164.	44 or any Chapter	Resin bonded bamboo mat board, with or without veneer in between; Bamboo flooring tiles
165.	4501	Waste cork; crushed, granulated or ground cork
166.	4702	Chemical wood pulp, dissolving grades
167.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; [other than uncoated paper and paperboard for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks only]
168.	4803	Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets
169.	4804	Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803
170.	4805	Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in Note 3 to this Chapter

171.	4806	Vegetable parchment, tracing papers and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets
172.	4806 20 00	Greaseproof papers
173.	4806 40 10	Glassine papers
174.	4807	Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets
175.	4808	Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803
176.	4809	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets
177.	4810	Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets of any size
178.	4811	Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810
179.	4812	Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp
180.	4813	Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
181.	4814	Wall paper and similar wall coverings; window transparencies of paper
182.	4816	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes
183.	4817 [Except 4817 30]	Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; [other than boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery including writing blocks]
184.	4818	Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, table cloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, or paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
185.	4819 (except 4819 10, 4819 20)	All Goods (other than Cartons, boxes and cases of, – (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board)
186.	4820	Registers, account books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationary, of paper or paperboard; and book covers, of paper or paperboard [other than note books and exercise books]
187.	4821	Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed
188.	4822	Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened)
189.	4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres [other than paper pulp moulded trays, Braille paper, Kites, Paper mache articles]
190.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing
191.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value;

		stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scrips); Cheques, loose or in book form
192.	4908	Transfers (decalcomanias).
193.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.
194.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.
195.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.
196.	5601 22 00	Cigarette Filter rods
197.	61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 2500 per piece
198.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 2500 per piece
199.	63 [other than 6309]	Other made-up textile articles, sets of sale value exceeding Rs. 2500 per piece [other than worn clothing and other worn articles; rags]
200.	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods
201.	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers
202.	6401	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes
203.	6402	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics
204.	6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather
205.	6404	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials
206.	6405	Other footwear
207.	6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof
208.	6501	Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt [other than textile caps]
209.	6502	Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed
210.	6504 00 00	Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed
211.	6505	Other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed
212.	6506	Other headgear, whether or not lined or trimmed
213.	6507	Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear
214.	6702	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit
215.	6703	Wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like
216.	6704	Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included
217.	6801	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)
218.	6802	Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially

		coloured granules, chippings and power, of natural stone (including slate) [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone][except the items covered in Sl. No. 176 in Schedule I]
219.	6803	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate
220.	6804	Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials
221.	6805	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up
222.	6806	Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or chapter 69
223.	6807	Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)
224.	6808	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders
225.	6809	Articles of plaster or of compositions based on plaster; such as Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented
226.	6810	Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced
227.	6811	Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like
228.	6812	Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813
229.	6813	Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other materials
230.	6814	Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials
231.	6815	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included [other than Fly ash bricks Fly ash aggregates; Fly ash blocks]
232.	6901	Blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths
233.	6902	Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths
234.	6903	Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths
235.	6904	Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and the like
236.	6905	Chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods
237.	6906	Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings
238.	6907	Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics
239.	6909	Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture;

		ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods
240.	6910	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures
241.	6914	Other ceramic articles
242.	7002	Glass in balls (other than microspheres of heading 70.18), rods or tubes, unworked
243.	7003	Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
244.	7004	Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
245.	7005	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
246.	7006 00 00	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials
247.	7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass
248.	7008	Multiple-walled insulating units of glass
249.	7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors
250.	7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass
251.	7011	Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps and light sources, cathode ray tube or the like
252.	7013	Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)
253.	7014	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked
254.	7015	Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses
255.	7016	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass small wares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms
256.	7017	Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated
257.	7018	Imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter
258.	7019	Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics)
259.	7020	Other articles of glass [other than Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns]
260.	7201	Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms
261.	7202	Ferro-alloys
262.	7203	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms
263.	7204	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel
264.	7205	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel
265.	7206	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron

		of heading 7203)
266.	7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
267.	7208 to 7212	All flat-rolled products of iron or non-alloy steel
268.	7213 to 7215	All bars and rods, of iron or non-alloy steel
269.	7216	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
270.	7217	Wire of iron or non-alloy steel
271.	7218	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel
272.	7219, 7220	All flat-rolled products of stainless steel
273.	7221, 7222	All bars and rods, of stainless steel
274.	7223	Wire of stainless steel
275.	7224	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel
276.	7225, 7226	All flat-rolled products of other alloy steel
277.	7227, 7228	All bars and rods of other alloy steel.
278.	7229	Wire of other alloy steel
279.	7301	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel
280.	7302	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails
281.	7303	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron
282.	7304	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel
283.	7305	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel
284.	7306	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel
285.	7307	Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel
286.	7308	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their frames and thresholds for doors, and shutters, balustrades, pillars, and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, section, tubes and the like, prepared for using structures, of iron or steel [other than transmission towers]
287.	7309	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
288.	7310	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment, other than Milk cans made of Iron or Steel
289.	7311	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel
290.	7312	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated
291.	7313	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel
292.	7314	Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel
293.	7315	Chain and parts thereof, of iron or steel falling under 7315 20, 7315 81, 7315 82, 7315 89, 7315 90
294.	7316	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

295.	7317	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
296.	7318	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel
297.	7319	Knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettoes and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included
298.	7320	Springs and leaves for springs, of iron and steel
299.	7321	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel [other than Kerosene burners, kerosene stoves, wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers]
300.	7322	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel
301.	7323	Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel (other than Milk cans made of Iron or Steel)
302.	7323 9410	Ghamella
303.	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel
304.	7325	Other cast articles of iron or steel
305.	7326	Other articles of iron or steel
306.	7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)
307.	7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining
308.	7403	Refined copper and copper alloys, unwrought
309.	7404	Copper waste and scrap
310.	7405	Master alloys of copper
311.	7406	Copper powders and flakes
312.	7407	Copper bars, rods and profiles
313.	7408	Copper wire
314.	7409	Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm
315.	7410	Copper foils
316.	7411	Copper tubes and pipes
317.	7412	Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
318.	7413	Stranded wires and cables
319.	7415	Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper
320.	7418	All goods (other than table, kitchen or other household articles of copper; Utensils)
321.	7419	Other articles of copper (other than Brass Kerosene Pressure Stove)
322.	7501	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy
323.	7502	Unwrought nickel
324.	7503	Nickel waste and scrap
325.	7504	Nickel powders and flakes
326.	7505	Nickel bars, rods, profiles and wire
327.	7506	Nickel plates, sheets, strip and foil
328.	7507	Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
329.	7508	Other articles of nickel
330.	7601	Unwrought Aluminium
331.	7602	Aluminium waste and scrap
332.	7603	Aluminium powders and flakes
333.	7604	Aluminium bars, rods and profiles

334.	7605	Aluminium wire
335.	7606	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm
336.	7607	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm
337.	7608	Aluminium tubes and pipes
338.	7609	Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
339.	7610	Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures
340.	7611	Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
341.	7612	Aluminium casks, drums, cans, boxes, etc., other than Milk cans made of Aluminium
342.	7613	Aluminium containers for compressed or liquefied gas
343.	7614	Stranded wires, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated
344.	7615	All goods (other than table, kitchen or other household articles, of aluminium; Utensils, Milk cans made of Aluminium)
345.	7616	Other articles of aluminium
346.	7801	Unwrought lead
347.	7802	Lead waste and scrap
348.	7804	Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes
349.	7806	Other articles of lead (including sanitary fixtures and Indian lead seals)
350.	7901	Unwrought zinc
351.	7902	Zinc waste and scrap
352.	7903	Zinc dust, powders and flakes
353.	7904	Zinc bars, rods, profiles and wire
354.	7905	Zinc plates, sheets, strip and foil
355.	7907	Other articles of zinc including sanitary fixtures
356.	8001	Unwrought tin
357.	8002	Tin waste and scrap
358.	8003	Tin bars, rods, profiles and wire
359.	8007	Other articles of tin
360.	8101 to 8112	Other base metals, namely, Tungsten, Molybdenum, Tantalum, Magnesium, Cobalt mattes, and other intermediate products of cobalt metallurgy, Bismuth, Cadmium, Titanium, Zirconium, Antimony, Manganese, Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles thereof, including waste and scrap
361.	8113	Cermets and articles thereof, including waste and scrap
362.	8202	Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades)
363.	8203	Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools
364.	8204	Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles
365.	8205	Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included; blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of, machine-tools or water-jet cutting machines; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks
366.	8206	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for

		retail sale
367.	8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools
368.	8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances
369.	8209	Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets
370.	8210 00 00	Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink
371.	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor
372.	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)
373.	8213 00 00	Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor
374.	8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives); manicure or pedicure sets and instruments including nail files [other than pencil sharpeners]
375.	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware
376.	8301	Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal
377.	8302	Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal
378.	8303	Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal
379.	8304	Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 9403
380.	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal
381.	8307	Flexible tubing of base metal, with or without fittings
382.	8308	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal
383.	8309	Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal
384.	8310	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405
385.	8311	Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying
386.	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
387.	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps
388.	8401	Nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopes separation
389.	8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-

		heated water boilers
390.	8403	Central heating boilers other than those of heading 8402
391.	8404	Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units
392.	8405	Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers
393.	8406	Steam turbines and other vapour turbines
394.	8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine [other than aircraft engines]
395.	8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)
396.	8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408
397.	8410	Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor
398.	8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines [other than aircraft engines]
399.	8412	Other engines and motors (Reaction engines other than turbo jets, Hydraulic power engines and motors, Pneumatic power engines and motors, other parts) [other than wind turbine or engine]
400.	8413	(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps]; Pumps for dispensing fuel or lubricants of the type used in filling stations or garages [8413 11], Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines [8413 30]
401.	8414	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; Gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]
402.	8414 20 10	Bicycles pumps
403.	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps
404.	8415	Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated
405.	8416	Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances
406.	8417	Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric
407.	8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415
408.	8419 [other than 8419 12]	Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric [other than Solar water heater and system]
409.	8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor [other than Hand operated rubber roller]
410.	8421	Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases
411.	8422	Dish washing machines, household [8422 11 00] and other [8422 19 00]; Machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery

		for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages
412.	8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 centigrams or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds
413.	8424	Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than sprinklers; drip irrigation systems including laterals; mechanical sprayer; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]
414.	8425	Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks
415.	8426	Ship's derricks; cranes including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane
416.	8427	Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
417.	8428	Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)
418.	8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers
419.	8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers
420.	8431	Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430
421.	8433	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]
422.	8434	Milking machines and dairy machinery
423.	8435	Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages
424.	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof
425.	8438	Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils
426.	8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
427.	8440	Book-binding machinery, including book-sewing machines
428.	8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds
429.	8442	Machinery, apparatus and equipment (other than the machines of headings 8456 to 8465) for preparing or making plates, printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)
430.	8443	Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof
431.	8444	Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials
432.	8445	Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for

		preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447
433.	8446	Weaving machines (looms)
434.	8447	Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
435.	8448	Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, dobbies, Jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, spindles and spindles flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald frames, hosiery needles)
436.	8449	Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats
437.	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry
438.	8451	Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made up textile articles and machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor covering such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics
439.	8453	Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
440.	8454	Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries
441.	8455	Metal-rolling mills and rolls therefor
442.	8456	Machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes
443.	8457	Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal
444.	8458	Lathes (including turning centres) for removing metal
445.	8459	Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
446.	8460	Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal, or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461
447.	8461	Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included
448.	8462	Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die forging (excluding rolling mills); Machine-tools (including presses, slitting lines and cut-to-length lines) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching, notching or nibbling (excluding draw-benches); Presses for working metal or metal carbides, not specified above
449.	8463	Other machine-tools for working metal, or cermets, without removing material
450.	8464	Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass
451.	8465	Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials
452.	8466	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the

		machines of headings 8456 to 8465 including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for the machines; tool holders for any type of tool, for working in the hand
453.	8467	Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor
454.	8468	Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering machines and appliances
455.	8470	Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers
456.	8471	Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included
457.	8472	Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines) [other than Braille typewriters, electric or non-electric]
458.	8473	Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8470 to 8472
459.	8474	Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand
460.	8475	Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware
461.	8476	Automatic goods-vending machines (for example, postage stamps, cigarette, food or beverage machines), including money changing machines
462.	8477	Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this Chapter
463.	8478	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter
464.	8479	Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter [other than Composting Machines]
465.	8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics
466.	8481	Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves
467.	8482	Ball bearing, Roller Bearings
468.	8483	Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)
469.	8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals
470.	8485	Machines for Additive Manufacturing

471.	8486	Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in Note 11(C) to this Chapter; parts and accessories
472.	8487	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features not specified or included elsewhere in this chapter
473.	84 or 85	E-waste <i>Explanation.-</i> For the purpose of this entry, E-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer
474.	8501	Electric motors and generators (excluding generating sets)
475.	8502	Electric generating sets and rotary converters
476.	8503	Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502
477.	8504	Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors other than charger or charging station for Electrically operated vehicles
478.	8505	Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads
479.	8506	Primary cells and primary batteries
480.	8507	Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)
481.	8508	Vacuum cleaners
482.	8509	Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 8508
483.	8510	Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor
484.	8511	Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines
485.	8512	Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles
486.	8513	Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 8512
487.	8514	Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss
488.	8515	Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photo beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets
489.	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro thermic hairdressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes [other than solar cookers]; electric heating resistors, other than those of heading 8545
490.	8517	All goods

491.	8518	Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier set
492.	8519	Sound recording or reproducing apparatus
493.	8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner
494.	8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 or 8521
495.	8523	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37
496.	8524	Flat Panel Display Modules, Whether or Not Incorporating Touch-Sensitive Screens
497.	8525	Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defense, police and paramilitary forces, etc.]
498.	8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
499.	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock
500.	8528	Television set (including LCD or LED television), Computer Monitors, Set top Box for Television; monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus
501.	8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528
502.	8530	Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 8608)
503.	8531	Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530
504.	8532	Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)
505.	8533	Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors
506.	8534 00 00	Printed Circuits
507.	8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1,000 volts
508.	8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lampholders, and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts: connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables
509.	8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517
510.	8538	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537
511.	8539	Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units

		and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps
512.	8540	Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes)
513.	8541	Semiconductor Devices (for example, Diodes, Transistors, Semiconductor Based Transducers); Photosensitive Semiconductor devices; Light-Emitting Diodes (LED), whether or not assembled with other Light-Emitting Diodes (LED); mounted piezo-electric crystals
514.	8542	Electronic integrated circuits
515.	8543	Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter
516.	8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors
517.	8545	Carbon electrodes, carbon brushes, Lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes
518.	8546	Electrical insulators of any material
519.	8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for the purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material
520.	8548 00 00	Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in Chapter 85
521.	8549	Electrical and electronic waste and scrap
522.	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
523.	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
524.	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
525.	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles)
526.	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
527.	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
528.	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
529.	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.
530.	8609	Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport [including refrigerated containers]
531.	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc
532.	8702	Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver [including buses for use in public transport, which exclusively run on Bio-fuels]
533.	8702 or 8703	Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles
534.	8703 21 or 8703 22	Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm

		Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
535.	8703 31	Diesel driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
536.	8703	Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely: - (a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and (b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department
537.	8703	Three wheeled vehicles
538.	8703 40, 8703 60	Following Vehicles, with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under
539.	8703 50, 8703 70	Following Vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under
540.	8704	Motor vehicles for the transport of goods, including Refrigerated motor vehicles
541.	8705	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological unit)
542.	8706	Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
543.	8707	Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
544.	8708	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 [other than specified parts of tractors]
545.	8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on

		railway station platforms; parts of the foregoing vehicles
546.	8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor not exceeding 350 cc, with or without side-cars; side-cars
547.	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711
548.	8715	Baby carriages and parts thereof
549.	8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof [other than Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes, and Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles]
550.	8801	Balloons and dirigibles, gliders and other non-powered aircraft
551.	8804	Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotachutes; parts thereof and accessories thereto and parts thereof
552.	8805	Aircraft launching gear, deck arrestor or similar gear; ground flying trainers and parts thereof
553.	8807	Parts of goods of heading 8801
554.	8903	Rowing boats and canoes
555.	8908 00 00	Vessels and other floating structures for breaking up
556.	9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarising material; prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked
557.	9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked [other than intraocular lens]
558.	9004	Spectacles [other than corrective]; Goggles [other than corrective]
559.	9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radio-astronomy
560.	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539
561.	9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus
562.	9008	Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers
563.	9010	Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens
564.	9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection
565.	9012	Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus
566.	9013	Lasers, other than Laser Diodes; other Optical Appliances and Instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter
567.	9014	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances
568.	9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders
569.	9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights
570.	9017	Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter
571.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta, gamma or other ionizing radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like

572.	9023	Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses
573.	9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)
574.	9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments [other than thermometers for medical, surgical, dental or veterinary usage]
575.	9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032
576.	9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes [other than instruments and apparatus for medical, surgical, dental or veterinary uses for physical or chemical analysis]
577.	9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor
578.	9029	Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes
579.	9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations
580.	9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors
581.	9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus
582.	9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90
583.	9101	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal
584.	9102	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop watches, other than those of heading 9101
585.	9103	Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104
586.	9104	Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels
587.	9105	Other clocks
588.	9106	Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders)
589.	9107	Time switches with clock or watch movement or with synchronous motor
590.	9108	Watch movements, complete and assembled
591.	9109	Clock movements, complete and assembled
592.	9110	Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements
593.	9111	Watch cases and parts thereof
594.	9112	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof
595.	9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof
596.	9114	Other clock or watch parts

597.	9201	Pianos, including automatic pianos; harpsi-chords and other keyboard stringed instruments
598.	9202	Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)
599.	9205	Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs
600.	9206 00 00	Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas)
601.	9207	Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
602.	9208	Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments
603.	9209	Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds
604.	9301	Military weapons other than revolvers, pistols
605.	9303	Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns)
606.	9304	Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 9307
607.	9305	Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304
608.	9306	Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads
609.	9307	Swords, cut lasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor
610.	9401 [other than 9401 10 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof, including seats of a kind used for motor vehicles, other than seats of a kind used for aircraft
611.	9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles
612.	9403	Other furniture [other than furniture wholly made of bamboo, cane or rattan] and parts thereof
613.	9404	Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered [other than coir products (except coir mattresses), products wholly made of quilted textile materials not exceeding Rs. 2500 per piece and cotton quilts not exceeding Rs. 2500 per piece]
614.	9405	Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof]
615.	9406	Prefabricated buildings
616.	9503	Electronic Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof)
617.	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa

		card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo, etc.
618.	9505	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes
619.	9506	Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, swimming pools and padding pools [other than sports goods]
620.	9508	Travelling Circuses and Travelling Menageries; Amusement Park Rides and Water Part Amusements; Fairground Amusements, including Shooting Galleries; Travelling Theatres
621.	9602	Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and articles of unhardened gelatin
622.	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	Buttons, of plastics not covered with the textile material, of base metals, buttons of coconut shell, button blanks
623.	9603 [other than 9603 10 00 and 9603 21 00]	Brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than roller squeegees) [other than brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles, and tooth brushes including dental-plate brushes]
624.	9604 00 00	Hand sieves and hand riddles
625.	9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
626.	9608	Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609
627.	9610 00 00	Boards, with writing or drawing surface, whether or not framed
628.	9611	Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
629.	9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes
630.	9613	Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints or wicks
631.	9616	Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations
632.	9617	Vacuum flasks and other vacuum vessels, Complete; parts thereof other than glass inners
633.	9618	Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays, used for shop window dressing
634.	9620 00 00	Monopods, bipods, tripods and similar articles
635.	9801	All items of machinery including prime movers, instruments, apparatus and appliances, control gear and transmission equipment, auxiliary equipment (including those required for research and development purposes, testing and quality control), as well as all components (whether finished or not) or raw materials for the manufacture of the aforesaid items and their components, required for the initial setting up of a unit, or the substantial expansion of an existing unit, of a specified: (1) industrial plant, (2) irrigation project, (3) power project, (4) mining project, (5) project for the exploration for oil or other minerals, and (6) such other projects as the Central Government may, having regard to the economic development of the country notify in the Official Gazette in this behalf; and spare parts, other raw materials (including semi-finished materials of consumable stores) not exceeding 10% of the value of the goods specified above, provided that such spare

		parts, raw materials or consumable stores are essential for the maintenance of the plant or project mentioned in (1) to (6) above.
636.	9802	Laboratory chemicals
637.	Any Chapter	Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right
638.	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub- section 4 of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), as prescribed in notification No. 07 / 2019- Central Tax (Rate), dated 29th March, 2019, published in Gazette of India vide G.S.R. No. 254(E), dated 29th March, 2019 <i>Explanation.-</i> For the purpose of this entry,— (i) the term “promoter” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (ii) “project” shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term “Real Estate Project (REP)” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (iv) “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.
639.	Any Chapter	Goods which are not specified in Schedule I, III, IV, V, VI or VII
640.	9804	All dutiable articles intended for personal use

Schedule III– 20%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2202 10	All goods (including aerated waters), containing added sugar or other sweetening matter or flavoured
2.	2202 91 00, 2202 99 90	Other non-alcoholic beverages [other than those specified in Schedule I of this notification]
3.	2202 99 90	Caffeinated Beverages
4.	2202	Carbonated beverages of fruit drink or carbonated beverages with fruit juice
5.	8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars, but excluding the goods mentioned against S. Nos., 533, 534, 535, 536, 537, 538 and 539 of Schedule II.
6.	8703 40, 8703 60	Motor vehicles with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion, of engine capacity exceeding 1200cc or of length exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
7.	8703 50, 8703 70	Motor vehicles with both compression- ignition internal combustion

		piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion, of engine capacity exceeding 1500 cc or of length exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
8.	8711	Motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc
9.	8802	Aircrafts for personal use
10.	8903	Yachts and other vessels for pleasure or sports
11.	9302	Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304
12.	9614	Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof
13.	Any Chapter	Specified actionable claim; <i>Explanation:</i> “specified actionable claim” as defined in section 2(102A) of the CGST Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of – (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;

Schedule IV– 1.5%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7101	Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport
2.	7105	Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones
3.	7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
4.	7107	Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured
5.	7108	Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
6.	7109	Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
7.	7110	Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
8.	7111	Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured
9.	7112	Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal.
10.	7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
11.	7114	Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
12.	7115	Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
13.	7116	Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)
14.	7117	Imitation jewellery [other than bangles of lac/shellac]
15.	7118	Coin

Schedule V – 0.125%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial
2.	7103	Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport
3.	7104	Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped

Schedule VI – 0.75%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Goods other than those specified against S. No. 1 in Schedule V
2.	7104	Goods other than those specified against S. No. 3 in Schedule V

Schedule VII – 14%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences (including biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(a) the expressions, -

(i) "unit container" means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;

(ii) “pre-packaged and labelled” means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are “pre-packed” as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder;

(iii) "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266220
CG-DL-E-17092025-266220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 15/2025-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 663(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1) और (3), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I) कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II) कॉलम (5) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]”;

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, “के अंतर्गत मद” के बाद ब्रैकेट और अंक “(i)” जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक “6” के स्थान पर, अंक “9” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक “6” के स्थान पर अंक “9” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
“(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	अथवा	
	9	”;

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक “6” के स्थान पर, अंक “9” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) माल का ‘बहु साधन द्वारा परिवहन’ (मल्टीमोडल), जहां माल उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन में कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग ‘बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर’ द्वारा किया जाता है, जैसे;		

(क) वायुमार्ग के बजाए किन्हीं अन्य परिवहन माध्यमों द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त माल के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है। और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, 'बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल परिवहन के लिए एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए (माल

		परिवहन एजेंसी) यानी 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से केंद्रीय कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से केंद्रीय कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा: (i) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपये। (ii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।
(ख) माल के परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष ,-

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(i) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित

शामिल है।		इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें] वर्शते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	9	-”;

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		(iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ (क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के बजाए	9	-
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए अन्य डिलीवरी सेवाएँ	9	-”;

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (vi) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.5” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ik) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के बजाए अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं”;

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)	(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	0.75	-”;
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ - (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर; (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान; (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए जॉब वर्क पर लागू नहीं होगी; (ङ) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण; (च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से केंद्रीय कर लगता है; (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से केंद्रीय कर लगता है; (झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आते हैं;	2.5	

		(ज) हस्तशिल्प वस्तुएं;		
		(ट) छाता।		
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	9	
		(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ, निम्नलिखित के संबंध में:- (क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से केंद्रीय कर लगता है।	2.5	
		(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5	
		(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के बजाए, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9	

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (ik) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी";

(ग) मद (iii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35"	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएँ।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने	9	-";

	वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित केंद्रीय कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर नहीं लगाई जाएगी।		

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर) तारीख 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,-

(क) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“(xxxx) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ख) खंड (xxxx) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

“(xxxxi) ‘मान्यता प्राप्त खेल आयोजन’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 691 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, के पैराग्राफ 2 के खंड (य ब) में दिया गया है;

(xxxxii) ‘हस्तशिल्प वस्तुओं’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 32/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 1158(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में दिया गया है;

(xxiii) ‘परिवहन के साधन के प्रकार’ से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) ‘बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।”

(2) उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 4 में, खंड (xxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ‘परिसर’ का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ‘पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति’ में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।”

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम

संशोधन अधिसूचना संख्या 05/2025-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 38(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.15/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 663(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-sections (1) and (3) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(1) with effect from the 22nd day of September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(ii) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), -

(I) for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]”;

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words “covered by items”, the brackets and figure “(i),” shall be inserted;

(iii) against serial number 8, in column (3),-

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(iv) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item (b) of item (iii) in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	9	”;

(C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(D) for item (vi) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport are used by a multimodal transporter from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods, where;		
a. Transportation of goods by any mode of transport other than air is involved.	2.5	Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken. Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

		Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. Illustration: 'A' engages 'B' (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein 'B' uses more than one mode of transport for the movement of goods. 'B', for supplying the said service hires a GTA i.e., 'C' for Rs 600 who charges central tax at 9%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges central tax at 2.5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under: i. Only to the extent of Rs. 15 (2.5% of Rs. 600) and not Rs. 54 for the input service of GTA; ii. To the extent of Rs. 10 (2.5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.
b. At least one mode of transport is by air.	9	Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. ”;

(v) against serial number 10,-

(A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(B) for item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges central tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.
	or	
	9	”;

(vi) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	Heading 9968	(i) Postal services	9	-
		(ii) Courier services	9	-
		(iii) Local delivery services	9	-
		a. supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017; b. other than (a) above		
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	9	”;

(vii) against serial number 15, in column (3), against item (vi), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(viii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted:-

“(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below”;

(ix) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(x) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26	Heading 9988 (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)	(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);	0.75	-”;
		(ii) Services by way of job work in relation to- (a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter; (c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively; (e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; (f) Printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of	2.5	

		1975) which attract central tax @2.5% or Nil;		
		(g) Textiles and textile products falling under Chapters 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);		
		(h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract central tax @2.5%;		
		(i) all products, other than diamonds, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);		
		(j) handicraft goods;		
		(k) umbrella.		
		(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	9	
		(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	9	
		(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- a. printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; b. printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract central tax @2.5% or Nil.	2.5	
		(vi) Tailoring services.	2.5	
		(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	9	

(xi) against serial number 32, in column (3),-

- (A) against item (i), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;
(B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(xii) against serial number 34, in column (3),-

- (A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;
(B) in item (iia), the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a ‘recognised sporting event’.”;

(C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry “20” shall be substituted;

(D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry “20” shall be substituted;

(xiii) for serial number 35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified). Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract central tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	9	-”;

(xiv) against serial number 38, in column (3), for the Explanation, the following explanation shall be substituted:-

“Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of notification No. 9/2025- Central Tax (Rate), dated 17th September, 2025.”

(b) in paragraph 4 relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

“(xxxx) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) electronic commerce operator by whom services of local delivery are provided;

(ii) electronic commerce operator through whom services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (xxxx), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxxi) ‘recognised sporting event’ has the same meaning as assigned to it in clause (zw) of paragraph 2 of notification No. 12/2017 -Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017, as amended from time to time;

(xxxxii) ‘handicraft goods’ shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -Central Tax, dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017 as amended from time to time;

(xxxxiii) ‘mode of transport’ means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxiv) ‘multimodal transporter’ means a person who,-

(a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and

(b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.”.

(2) with effect from the 1st day of April, 2025, in paragraph 4, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

“*Explanation 1.*- For the purposes of this clause, ‘premises’ means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

Explanation 2.- For the purpose of sub-clause (c), the expression ‘a person applying for registration’ shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.”.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 05/2025-Central Tax (Rate), dated the 16th January, 2025 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 38(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 15/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि.664(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और (3) तथा धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि 683 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "18" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "18" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "18" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I) कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II) कॉलम (5) में निम्नलिखित, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]”;

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, “के अंतर्गत मद” के बाद ब्रैकेट और अंक “(i)” जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "18" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, -

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "12" के स्थान पर अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
“(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]

	अथवा	
	18	—”;

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "12" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल की उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के बजाए किन्हीं अन्य परिवहन माध्यमों द्वारा माल का परिवहन।	5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त मालों और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त माल के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है। और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, 'बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के माल परिवहन के लिए एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए यानी (माल परिवहन एजेंसी) 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 18% की दर से कएकीकृत कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 5% की दर से

		एकीकृत कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा: (i) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 30 रुपये (600 रुपये का 5%) ना कि 108 रुपये। (ii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 20 रुपये (400 रुपये का 5%) की सीमा तक।
(ख) माल के परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	18	परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष , -

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "12" के स्थान पर अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ik) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(ik) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	5	बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें] बशर्ते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	18	-";

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	18	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	18	-
		iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ	18	-
		(क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालकके माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल		

		एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के बजाए		
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए अन्य डििलीवरी सेवाएं	18	—”;

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (vi) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ik) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के बजाए अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं”;

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “18” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं;	1.5	
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं - (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर; (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान; (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए जॉब वर्क पर लागू	5	—”;
“26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इन्पुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)			

	नहीं होगी; (ड) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण; (च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 5% या शून्य की दर से एकीकृत कर लगता है; (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 5% की दर से एकीकृत कर लगता है; (झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आते हैं; (ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं; (ट) छाता।		
	(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	18	
	(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	18	
	(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ, निम्नलिखित के संबंध में-		
	(क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण;	5	
	(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 5% या शून्य की दर से एकीकृत कर लगता है।		
	(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	5	
	(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के बजाए, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	18	

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";

(ग) मद (iii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "40" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "40" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएं।	5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित एकीकृत कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर नहीं लगाई जाएगी।	18	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर) तारीख 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 5 में,-

(i) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(xxxx) 'माल परिवहन एजेंसी' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- (i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (xxxx) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxxi) ‘मान्यता प्राप्त खेल आयोजन’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 684(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, के पैराग्राफ 2 के खंड (यप) में दिया गया है;

(xxxxii) ‘हस्तशिल्प वस्तुओं’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 1158 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में दिया गया है;

(xxiii) ‘परिवहन के साधन के प्रकार’ से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) ‘बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।”

(2) उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 5 में, खंड (xxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ‘परिसर’ का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ‘पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति’ में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 05/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 39(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 15/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 664(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) and (3) of section 6 and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 8/2017- Integrated Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) with effect from the 22nd day of September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(i) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i),

(I) for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]”;

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words “covered by items”, the brackets and figures “(i),” shall be inserted;

(ii) against serial number 8, in column (3),-

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure “12”, the figure “18” shall be substituted;

(iii) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item(b) of (iii), in column (4), for the figure “12”, the figure “18” shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	18	—”;

(C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure “12”, the figure “18” shall be substituted;

(D) for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport are used by a multimodal transporter from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods, where;		
a. Transportation of goods by any mode of transport other than air is involved.	5	Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken. Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 5%, shall not be taken. Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India.

		Illustration: ‘A’ engages ‘B’ (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein ‘B’ uses more than one mode of transport for the movement of goods. ‘B’, for supplying the said service hires a GTA i.e., ‘C’ for Rs 600 who charges integrated tax at 18%. ‘B’ also hires ‘D’, a Container Transport Operator for Rs 400 who charges integrated tax at 5%, for supplying their services. ‘B’ shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under: i. Only to the extent of Rs. 30 (5% of Rs. 600) and not Rs. 108 for the input service of GTA; ii. To the extent of Rs. 20 (5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.
b. At least one mode of transport is by air.	18	Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. ”;

(iv) against serial number 10,-

(A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure “12”, the figure “18” shall be substituted;

(B) for item (ia) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit

			of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)]
			Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges integrated tax at a rate higher than 5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 5% shall not be taken.
			or
	18		”;

(v) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	Heading 9968	(i) Postal services	18	-
		(ii) Courier services	18	-
		(iii) Local delivery services (a) supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. 1. other than (a) above	18	-
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	18	”;

(vi) against serial number 15, in column (3), against item (vi), for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;

(vii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted:-

“(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below”;

(viii) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry “18” shall be substituted;

(ix) for serial number 26 and the entries relating, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	1.5	
		(ii) Services by way of job work in relation to- (a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); (b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter; (c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); (d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively; (e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; (f) Printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract integrated tax @5% or Nil; (g) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);	5	
“26	Heading 9988 (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)			—”;

		(h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract integrated tax @5%;		
		(i) all products, other than diamonds, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);		
		(j) handicraft goods;		
		(k) umbrella.		
		(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	18	
		(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	18	
		(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- a. printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; b. printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract integrated tax @5% or Nil.	5	
		(vi) Tailoring services.	5	
		(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	18	

(x) against serial number 32, in column (3),-

- (A) against item (i), for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;
- (B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;

(xi) against serial number 34, in column (3),-

- (A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry “5” shall be substituted;
- (B) in item (iiia), the following explanation shall be inserted, namely: -
“Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a ‘recognised sporting event’.”;
- (C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry “40” shall be substituted;
- (D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry “40” shall be substituted;

(xii) for serial number 35, and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified). Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract integrated tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	18	-”;

(xiii) against serial number 38, in column (3), for the Explanation, the following explanation shall be substituted:-

“Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of notification No. 9/2025- Integrated Tax (Rate), dated 17th September, 2025.”

(a) in paragraph 5, relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

“(xxxx) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) electronic commerce operator by whom services of local delivery are provided;

(ii) electronic commerce operator through whom services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (xxxx), the following clauses shall be inserted, namely:-
“(xxxxi) ‘recognised sporting event’ has the same meaning as assigned to it in clause (zu) of paragraph 2 of notification No. 9/2017 -Integrated Tax (Rate), dated 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. number 684 (E), dated the 28th June, 2017, as amended from time to time;

(xxxxii) ‘handicraft goods’ shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -Central Tax, dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017 as amended from time to time;

(xxxxiii) ‘mode of transport’ means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxiv) ‘multimodal transporter’ means a person who,-

- (a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and
- (b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.”.

2. with effect from the 1st day of April, 2025, in paragraph 5, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

“*Explanation 1.*- For the purposes of this clause, ‘premises’ means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

Explanation 2.- For the purpose of sub-clause (c), the expression ‘a person applying for registration’ shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.”.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: - The principal notification number 8/2017 - Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 05/2025- Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India vide number G.S.R. 39(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 15/2025- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 665(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1), (3) तथा धारा 21 , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में

आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I) कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II) कॉलम (5) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]”;

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, “के अंतर्गत मद” के बाद ब्रैकेट और अंक “(i)” जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, -

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
“(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	अथवा	
	9	-”;

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) माल का ‘बहु साधन द्वारा परिवहन’ (मल्टीमोडल), जहां माल की उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के		

कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के बजाए किन्हीं अन्य परिवहन माध्यमों द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त मालों और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त वस्तुओं के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है। और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में

		नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल परिवहन के लिए एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए (माल परिवहन एजेंसी) यानी 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से संघ राज्य कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से संघ राज्य कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा: (i) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपये। (ii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।
(ख) माल के परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष ,-

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iक) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(iक) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		बशर्ते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	9	—”;

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया

जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ (क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान	9	-

		करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के बजाए		
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए अन्य डिलीवरी सेवाएं	9	”;

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (vi) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (iक) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के बजाए अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं”;

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर	(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं;	0.75	”;
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं -	2.5	

विनिर्माण सेवाएँ)	(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर; (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान; (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए जॉब वर्क पर लागू नहीं होगी; (ङ) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण;

		(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से संघ राज्य कर लगता है; (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से संघ राज्य कर लगता है; (झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आते हैं; (ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं; (ट) छाता।		
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	9	

	(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ, निम्नलिखित के संबंध में- (क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से संघ राज्य कर लगता है।	2.5	
	(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5	
	(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के बजाए, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9	

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (ik) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iii)क) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";

(ग) मद (iii) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएँ।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित केंद्रीय कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर नहीं लगाई जाएगी।	9	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- संघ राज्य कर (दर) तारीख 17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,-

(i) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxx) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (xxxx) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(xxxxi) ‘मान्यता प्राप्त खेल आयोजन’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 703(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, के पैराग्राफ 2 के खंड (य ब) में दिया गया है;

(xxxxii) ‘हस्तशिल्प वस्तुओं’ का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर, 2017, जो समय-समय पर यथासंशोधित, सा.का.नि. 1158(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में दिया गया है।

;

(xxiii) 'परिवहन के साधन के प्रकार' से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

(2) उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 4 में, खंड (xxxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल

आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 05/2025- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 40(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.15/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 665(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) and (3) of section 8, section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the

Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification number 11/2017- Union Territory Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(1) with effect from the 22nd day of September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(ii) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), -

(I) for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]”;

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words “covered by items”, the brackets and figure “(i),” shall be inserted;

(iii) (against serial number 8, in column (3),-

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(iv) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item (b) of item (iii) in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	9	”;

- (C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;
- (D) for item (vi) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport are used by the multimodal transporter from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods, where;		
a. Transportation of goods by any mode of transport other than air is involved..	2.5	Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken. Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken. Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. Illustration: ‘A’ engages ‘B’ (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein ‘B’ uses more than one mode of transport for the movement of goods. ‘B’, for supplying the said service hires a GTA

		i.e., 'C' for Rs 600 who charges union territory tax at 9%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges union territory tax at 2.5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under: i. Only to the extent of Rs. 15 (2.5% of Rs. 600) and not Rs. 54 for the input service of GTA; ii. To the extent of Rs. 10 (2.5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.
b. At least one mode of transport is by air.	9	Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India.”;

(v) against serial number 10,-

(A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure “6”, the figure “9” shall be substituted;

(B) for item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges union territory tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on

		the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.
		or
	9	-”;

(vi) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	Heading 9968	(i) Postal services	9	-
		(ii) Courier services	9	-
		(iii) Local delivery services	9	-
		a. supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017;		
		b. other than (a) above		
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	9	-”;

(vii) against serial number 15, in column (3), against item (vi), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(viii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted:-

“(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below”;

(ix) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(x) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26	Heading 9988	(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling	0.75	-”;

	(Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)	under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (ii) Services by way of job work in relation to- (a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter; (c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or footwear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively; (e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; (f) Printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract union territory tax @2.5% or Nil; (g) Textiles and textile products falling under Chapters 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract union territory tax @2.5%; (i) all products, other than diamonds, falling under	2.5	

		Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); (j) handicraft goods; (k) umbrella.		
		(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	9	
		(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	9	
		(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- a. printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; b. printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which attract union territory tax @2.5% or Nil.	2.5	
		(vi) Tailoring services.	2.5	
		(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	9	

(xi) against serial number 32, in column (3),-

- (A) against item (i), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;
- (B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(xii) against serial number 34, in column (3),-

- (A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;
- (B) in item (iiia), the following explanation shall be inserted, namely: -
“Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a ‘recognised sporting event’.”;
- (C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry “20” shall be substituted;
- (D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry “20” shall be substituted;

(xiii) for serial number 35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	2.5	Provided that credit of input tax charged on

				goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified). Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract central tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	9	-”;

(xiv) against serial number 38, in column (3), for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely:-

“Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of notification No. 9/2025- Union Territory Tax (Rate), dated 17th September, 2025.”

(b) in paragraph 4 relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

“(xxxx) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) electronic commerce operator by whom services of local delivery are provided;

(ii) electronic commerce operator through whom services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (xxxx), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxxi) ‘recognised sporting event’ has the same meaning as assigned to it in clause (zw) of paragraph 2 of notification No. 12/2017 -Union Territory Tax (Rate), dated 28th June, 2017,

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, as amended from time to time;

(xxxxii) 'handicraft goods' shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -Central Tax, dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017 as amended from time to time;

(xxxxiii) 'mode of transport' means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxiv) 'multimodal transporter' means a person who,-

- (a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and
- (b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.”.

(2) with effect from the 1st day of April, 2025, in paragraph 4, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

“*Explanation 1.*- For the purposes of this clause, 'premises' means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

Explanation 2.- For the purpose of sub-clause (c), the expression 'a person applying for registration' shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.”.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 05/2025-Union Territory Tax (Rate), dated the 16th January, 2025 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 40(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 16/2025-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 666(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 18 के समक्ष, स्तंभ (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।”;

(ii) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36ग	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
36घ	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
36ङ	शीर्ष 9971	क्रम संख्या 36ग या 36घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (जैडई) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडई) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडएफबी) ऊपर तालिका में क्रम संख्या 36ग और 36घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, ‘समूह’ का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के बजाय एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के बजाय अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।”;

(iii) खंड (जैडजी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(जैडजीए) 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रूग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं;”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 691 (अ)), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 06/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 41(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.16/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 666(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,-

(a) In the table, -

(i) against serial number 18, in column (3), after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

(i) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or

(ii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.”;

(ii) after serial number 36B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36C	Heading 9971	Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2] <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.	Nil	Nil
36D	Heading 9971	Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2]	Nil	Nil

		<i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.		
36E	Heading 9971	Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 36C or 36D.	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following shall be substituted, namely: -

“(ze) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

- (i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,
(ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

“(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 36C and 36D in the table above, ‘group’ means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes:

- a. Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;
b. Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.”;

(iii) after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zga) ‘health insurance business’ means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover”;

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 06/2025-Central Tax (Rate), dated the 16th January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 41(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 16/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 667(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 19 के समक्ष, स्तंभ (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।”;

(ii) क्रम संख्या 37ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37ग	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
37घ	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
37ङ	शीर्ष 9971	क्रम संख्या 37ग या 37घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (जैडई) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडई) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारोषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडएफबी) ऊपर तालिका में क्रम संख्या 37ग और 37घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, 'समूह' का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के बजाय एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के बजाय अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।”;

(iii) खंड (जैडजी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(जैडजीए) 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रुग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 9/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 06/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.16/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 667(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 9/2017-Integrated Tax (Rate), of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(a) In the table, -

(i) against serial number 19, in column (3), after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

- (i) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or
- (ii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.”;

(ii) after serial number 37B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“37C	Heading 9971	Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2] <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that:	Nil	Nil

		a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.		
37D	Heading 9971	Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2] <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.	Nil	Nil
37E	Heading 9971	Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 37C and 37D.	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following shall be substituted, namely: -

“(ze) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

- (i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,
- (ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

“(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 37C and 37D in the table above, ‘group’ means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes:

- a. Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;
- b. Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.”;

(iii) after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zga) ‘health insurance business’ means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note : The principal notification number 9/2017 -Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification

number 06/2025 -Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R. 42(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 16/2025- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 668(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) और (4), धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 21 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 18 के समक्ष, स्तंभ (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।”;

(ii) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36ग	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है।	शून्य	शून्य

		[कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।		
36घ	शीर्ष 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार के लिए बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
36ड	शीर्ष 9971	क्रम संख्या 36ग या 36घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (जैडई) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडई) ‘माल परिवहन एजेंसी’ से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं”;

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जैडएफबी) ऊपर तालिका में क्रम संख्या 36ग और 36घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, ‘समूह’ का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के बजाय एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के बजाय अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।”;

(iii) खंड (जैडजी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(जैडजीए) ‘स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय’ का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रूग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 06/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.16/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 668(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 12/2017- Union Territory Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification,-

(a) In the table, -

(i) against serial number 18, in column (3), after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

(i) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or

(ii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.”;

(ii) after serial number 36B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36C	Heading 9971	Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2] <i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.	Nil	Nil
36D	Heading 9971	Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2]	Nil	Nil

		<i>Explanation:</i> For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.		
36E	Heading 9971	Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 36C or 36D.	Nil	Nil”;

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following shall be substituted, namely: -

“(ze) ‘goods transport agency’ means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

- (i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,
- (ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided”;

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

“(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 36C and 36D in the table above, ‘group’ means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes:

- a. Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;
- b. Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.”;

(iii) after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zga) ‘health insurance business’ means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover;”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

The principal notification No. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 06/2025-Union Territory Tax (Rate) published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R. 43(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 669(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 696 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 47(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.17/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 669(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification No. 17/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 08/2025-Central Tax (Rate), dated 16th January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 47(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 670(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 689(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के खंड (v) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 48(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.17/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 670(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 689(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under clause (v) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: - The principal notification number 14/2017 –Integrated Tax (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 689(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification number 08/2025 –Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 48(E), dated 16th January, 2025

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 671(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017- संघ राज्यक्षेत्र (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 708(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के उप-खंड (v) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्य क्षेत्र (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 708 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 49(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025- संघ राज्य क्षेत्र (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.17/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 671(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017-Union Territory (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 708(E) dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under clause (vi) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: - The principal notification number 17/2017 -Union Territory (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 708 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification number 08/2025-Union Territory (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 49(E), dated 16th January, 2025.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266219
CG-DL-E-17092025-266219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 601]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 11/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 647(अ).— केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “9%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 556(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 11/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 647(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 675(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry under column (4), the entry “9%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 675(E), dated the 28th day of June, 2017 and last amended by notification No. 08/2022-Central Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 556(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 11/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 648(अ).— एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “18%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 3/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 557 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 11/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 648(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 668(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry under column (4), the entry “18%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No.3/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 668(E), dated the 28th day of June, 2017 and last amended by notification No. 08/2022- Integrated Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 557(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 11/2025-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 649(अ).— संघ राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 712 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “9%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 3/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 558 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2022- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 11/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 649(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 712(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry under column (4), the entry “9%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 3/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 712(E), dated the 28th day of June, 2017 and last amended by notification No. 08/2022- Union Territory Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 558(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 12/2025 - केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 650(अ).— केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-केंद्रीय कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 8/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 12/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 650(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018, namely:-

In the said notification, for the words, brackets, and figures "Schedule IV of Notification No. 1/2017 -Central Tax (Rate)", the following shall be substituted, namely:- "Schedule II or Schedule III of Notification No. 9/2025 - Central Tax (Rate)".

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 8/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018 and last amended *vide* Notification No. 04/2025-Central Tax (Rate), dated the 16th January, 2025, *vide* G.S.R. 59(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 12/2025 - एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 651(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 9/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 12/ 2025-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 651(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 9/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, for the words, brackets, and figures, "Schedule IV of Notification No. 1/2017-Integrated Tax (Rate)", the following shall be substituted, namely:- "Schedule II or Schedule III of Notification No. 9/2025 - Integrated Tax (Rate)".

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 9/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018 and last amended by Notification No. 04/2025-Integrated Tax (Rate) dated the 16th January, 2025, *vide* G.S.R. 61(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 12/2025 - संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 652(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 8/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 60(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 12/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 652(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, for the words, brackets, and figures, "Schedule IV of Notification No. 1/2017-Union Tax (Rate)", the following shall be substituted, namely:- "Schedule II or Schedule III of Notification No. 9/2025 – Union Territory Tax (Rate)", shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 8/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018 and last amended by Notification No. 04/2025-Union Territory Tax (Rate) dated the 16th January, 2025, *vide* G.S.R. 60(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 13/2025 – केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 653(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 695(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वेलरी बॉक्स	2.5 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	2.5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	2.5 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वेलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	2.5 %

6.	4503 90 90, 4504 90	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
7.	4601 और 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लेटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	2.5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	2.5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	2.5%
10.	5607, 5609	काँयर की वस्तुएं	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	2.5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरींग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	2.5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	2.5 %
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	2.5 %
15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	2.5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	2.5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	2.5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	2.5 %
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	2.5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	2.5%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	2.5 %

22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	2.5 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	2.5%
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	2.5 %
25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, बोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	2.5 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन काम	1.5 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती है)	1.5 %
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियां	2.5 %
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	2.5 %
30.	7616 99 90	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	2.5 %
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और वैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	2.5 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	2.5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	2.5 %
35.	9504	गंजिफा कार्ड	2.5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	2.5 %

37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	2.5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	2.5 %

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 21/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 695(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2021-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 898(अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 13/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 653(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2018-Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 695(E), dated the 26th July, 2018, namely:-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10,	Handbags including pouches and purses; jewellery box	2.5 %

	4202 31 90, 4202 32, 4202 39		
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	2.5 %
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	2.5 %
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	2.5 %
6.	4503 90 90 4504 90	Art ware of cork (including articles of sholapith)	2.5 %
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah [including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5 %
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	2.5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	2.5%
10.	5607, 5609	Coir articles	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	2.5%
12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	2.5 %
13.	5804 30 00	Handmade lace	2.5 %
14.	5805	Hand-woven tapestries	2.5 %
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5 %
16.	5810	Hand embroidered articles	2.5 %
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls	2.5 %
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	2.5 %
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	2.5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	2.5%
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl. blue potteries)	2.5 %
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	2.5 %
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	2.5 %
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	2.5 %
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	2.5 %

26.	7113 11 10	Silver filigree work	1.5 %
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewellery, cardamom garland)	1.5 %
28.	7326 90 99	Artware of iron	2.5 %
29.	7419 80	Artware of brass, copper/copper alloys, electro plated with nickel/silver	2.5 %
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	2.5 %
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol, Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	2.5 %
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including Panchloga lamp)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan, and cane	2.5 %
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material (including wooden toys of Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	2.5 %
35.	9504	Ganjifa card	2.5 %
36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell, and other animal carving material	2.5 %
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stearin, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	2.5 %
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	2.5 %
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	2.5 %

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 21/2018-Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. 695(E), dated the 26th July, 2018 and last amended vide Notification No. 20/2021-Central Tax (Rate) dated the 28th December, 2021 vide G.S.R. 898(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 13/2025 – एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 654(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

क्र.सं..	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वेलरी बॉक्स	5 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	5 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वेलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	5 %
6.	4503 90 90 4504 90	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	5 %

7.	4601 और 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लैटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरींग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	5 %
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	5 %
15.	5808 10	हाथ से बनी छोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	5 %
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	5%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	5 %
22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	5 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	5%
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	5 %

25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, बोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	5 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन काम	3%
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती है)	3%
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियां	5 %
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	5 %
30.	7616 99 90	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	5 %
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और वैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	5 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	5 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	5 %
35.	9504	गंजिफा कार्ड	5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	5 %
37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	5 %
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	5 %"

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 22/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 899(अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 13/2025-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 654(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 699(E), dated the 26th July, 2018, namely :-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“TABLE

S. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	Handbags including pouches and purses; jewellery box	5 %
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	5 %
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	5 %
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	5 %
6.	4503 90 90 4504 90	Art ware of cork (including articles of sholapith)	5 %
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah	5 %

		[including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	5%
10.	5607, 5609	Coir articles	5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	5%
12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	5 %
13.	5804 30 00	Handmade lace	5 %
14.	5805	Hand-woven tapestries	5 %
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	5 %
16.	5810	Hand embroidered articles	5 %
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls	5 %
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	5 %
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	5%
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl blue potteries)	5 %
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	5 %
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	5%
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	5 %
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	5 %
26.	7113 11 10	Silver filigree work	3%
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewellery, cardamom garland)	3%
28.	7326 90 99	Artware of iron	5 %
29.	7419 80	Artware of brass, copper/copper alloys, electro plated with nickel/silver	5 %
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	5 %
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol,	5 %

		Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including Panchloga lamp)	5 %
33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan, and cane	5 %
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material (including wooden toys of Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	5 %
35.	9504	Ganjifa card	5 %
36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell, and other animal carving material	5 %
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stearin, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	5 %
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	5 %
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	5 %”

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 22/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. 699(E), dated the 26th July, 2018 and last amended vide Notification No. 20/2021-Integrated Tax (Rate) dated the 28th December, 2021 vide G.S.R. 899(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 13/2025 – संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 655(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

क्र.सं..	अध्याय, शीर्ष, उप- शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वेलरी बॉक्स	2.5 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	2.5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	2.5 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वेलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	2.5 %
6.	4503 90 90, 4504 90	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
7.	4601 और 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लैटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	2.5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	2.5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	2.5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	2.5%

11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	2.5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरींग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	2.5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	2.5 %
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	2.5 %
15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	2.5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	2.5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	2.5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	2.5 %
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	2.5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	2.5%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	2.5 %
22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	2.5 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	2.5 %
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	2.5 %
25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, बोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	2.5 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन काम	1.5 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती है)	1.5 %
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियां	2.5 %
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	2.5 %

30.	7616 99 90	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	2.5 %
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और बैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या बैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	2.5 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंट का फर्नीचर	2.5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	2.5 %
35.	9504	गंजिफा कार्ड	2.5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	2.5 %
37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	2.5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	2.5 %”

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 21/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 900(अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 13/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 655(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2018- Union Territory Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703(E), dated the 26th July, 2018, namely:—

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“TABLE

S. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	Handbags including pouches and purses; jewellery box	2.5 %
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	2.5 %
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	2.5 %
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	2.5 %
6.	4503 90 90 4504 90	Art ware of cork (including articles of sholapith)	2.5 %
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah [including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5 %
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	2.5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	2.5%
10.	5607, 5609	Coir articles	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	2.5%

12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	2.5 %
13.	5804 30 00	Handmade lace	2.5 %
14.	5805	Hand-woven tapestries	2.5 %
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5 %
16.	5810	Hand embroidered articles	2.5 %
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls	2.5 %
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	2.5 %
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	2.5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	2.5 %
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl. blue potteries)	2.5 %
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	2.5 %
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	2.5 %
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	2.5 %
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	2.5 %
26.	7113 11 10	Silver filigree work	1.5 %
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewellery, cardamom garland)	1.5 %
28.	7326 90 99	Artware of iron	2.5 %
29.	7419 80	Artware of brass, copper/copper alloys, electro plated with nickel/silver	2.5 %
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	2.5 %
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol, Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	2.5 %
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including Panchloga lamp)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan, and cane	2.5 %
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material (including wooden toys of Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	2.5 %
35.	9504	Ganjifa card	2.5 %

36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell, and other animal carving material	2.5 %
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stearin, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	2.5 %
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	2.5 %
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	2.5 %"

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 21/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. 703(E), dated the 26th July, 2018 and last amended vide Notification No. 20/2021-Union Territory Tax (Rate) dated the 28th December, 2021 vide G.S.R. 900(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025 - केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 656(अ).— केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की केंद्रीय कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाइ ऐश ईटें; फ्लाइ ऐश समुच्चय; फ्लाइ ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (क) “टैरिफ मद”, “उप-शीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;
- (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;
- (ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 656(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the central tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation. — For the purposes of this notification, —

- (a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
- (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025 - एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 657(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 12 प्रतिशत की एकीकृत कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (क) “टैरिफ मद”, “उप-शीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;
- (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;
- (ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 657(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the integrated tax of 12 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on inter-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation.— For the purposes of this notification,—

- (a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
- (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025 - संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 658(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की संघ राज्यक्षेत्र कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइले

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (क) “टैरिफ मद”, “उप-शीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;
- (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;
- (ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 658(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the union territory tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation. — For the purposes of this notification, —

- (a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
 - (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
 - (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.
2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 02/2025 – प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 659(अ).— माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में,

अनुसूची में, —

- i. क्रम सं. 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- ii. क्रम सं. 3 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- iii. क्रम सं. 4 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- iv. क्रम सं. 4क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- v. क्रम सं. 4ख के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- vi. क्रम सं. 39 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- vii. क्रम सं. 40 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- viii. क्रम सं. 41 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- ix. क्रम सं. 42 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- x. क्रम सं. 47 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

- xi. क्रम सं. 48 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xii. क्रम सं. 50 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xiii. क्रम सं. 51 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xiv. क्रम सं. 52 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xv. क्रम सं. 52क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xvi. क्रम सं. 52ख के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xvii. क्रम सं. 53 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xviii. क्रम सं. 54 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xix. क्रम सं. 55 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2023- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 02/2025-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 659(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, namely :-

In the said notification,

in the SCHEDULE, —

- i. against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- ii. against S. No. 3, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;

- iii. against S. No. 4, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- iv. against S. No. 4A, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- v. against S. No. 4B, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- vi. against S. No. 39, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- vii. against S. No. 40, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- viii. against S. No. 41, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- ix. against S. No. 42, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- x. against S. No. 47, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xi. against S. No. 48, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xii. against S. No. 50, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xiii. against S. No. 51, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xiv. against S. No. 52, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xv. against S. No. 52A, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xvi. against S. No. 52B, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xvii. against S. No. 53, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xviii. against S. No. 54, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xix. against S. No. 55, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 3/2023-Compensation Cess (Rate), dated the 26th July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 553(E), dated the 26th July, 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266212
CG-DL-E-17092025-266212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 600]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 9/2025- संघराज्य कर (दर)

सा.का.नि. 646(अ).—केंद्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, संघराज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017- संघराज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छूटी हुई बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा केन्द्रीय कर की दर को अधिसूचित करती है-

- अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 2.5 प्रतिशत;
- अनुसूची II में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 9 प्रतिशत;
- अनुसूची III में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 20 प्रतिशत;
- अनुसूची IV में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 1.5 प्रतिशत;
- अनुसूची V में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 0.125 प्रतिशत;

(vi) अनुसूची VI में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 0.75 प्रतिशत; और

(vii) अनुसूची VII में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 14 प्रतिशत,

इस अधिसूचना के साथ संलग्न (जिसे इसके पश्चात् उक्त अनुसूचियां कहा जाएगा) माल की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिसका विवरण उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कि टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (2) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट है।

अनुसूची I – 2.5%

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101 21 00, 0101 29	जीवित घोड़े
2.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
3.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
4.	0402	दूध और क्रीम, गाढ़ा या चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हुआ, जिसमें गाढ़ा दूध भी शामिल है
5.	0403	दही; क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीय दूध और क्रीम, (चाहे या नहीं) सांद्रित या चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हुआ या सुगंधित या फल, मेवे या कोको मिला हुआ; पूर्व-पैक और लेबल लगा हुआ दही, लस्सी और छाछ
6.	0404	मट्ठा, चाहे सांद्रित हो या नहीं या इसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो; प्राकृतिक दूध के घटकों से बने उत्पाद, चाहे इसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो
7.	0405	मक्खन और दूध से प्राप्त अन्य वसा और तेल, जिसमें घी भी शामिल है; डेयरी स्प्रेड
8.	0406	पनीर, छेना या पनीर के अलावा
9.	0408	पक्षियों के अंडे, बिना खोल के, तथा अंडे की जर्दी, ताजा, सूखी, भाप से पकाई गई या पानी में उबालकर, ढाली गई, जमाई गई या अन्यथा संरक्षित, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं
10.	0409	प्राकृतिक शहद, पूर्व-पैक और लेबल युक्त

11.	0410	पशु मूल के कीड़े और अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
12.	0502	सूअर, सुअर या सूअर के बाल और झाड़; बेजर के बाल और अन्य ब्रश बनाने वाले बाल; ऐसे झाड़ या झाड़ का अपशिष्ट
13.	0504	सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा
14.	0505	पक्षियों की खालें और अन्य भाग, उनके पंख या नीचे, पंख और पंखों के भाग (चाहे किनारों को काटा गया हो या नहीं) और नीचे, जिन्हें साफ करने, रोगाणुरहित करने या संरक्षण के लिए उपचारित करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया हो; पंखों या पंखों के भागों का चूर्ण और अपशिष्ट
15.	0507 (050790 को छोड़कर)	हाथी दांत, कछुए का खोल, व्हेल की हड्डी और व्हेल की हड्डी के बाल, सींग, बिना काम किए या केवल तैयार किए गए लेकिन आकार में काटे नहीं गए; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
16.	0508	मूंगा और इसी प्रकार की सामग्री, बिना काम की हुई या केवल तैयार की गई, लेकिन अन्यथा काम में नहीं ली गई; मोलस्क, क्रस्टेशियन या इकाइनोडर्म के कवच और कटल-बोन, बिना काम की हुई या केवल तैयार की गई, लेकिन आकार में नहीं काटी गई, उसका पाउडर और अपशिष्ट
17.	0510	एम्बरग्रीस, कैस्टोरियम, सिवेट और कस्तूरी; कैथराइड्स; पित्त, चाहे सूखा हो या नहीं; ग्रंथियां और अन्य पशु उत्पाद जो दवा उत्पादों की तैयारी में उपयोग किए जाते हैं, ताज़ा, ठंडा, जमे हुए या अन्यथा अनंतिम रूप से संरक्षित
18.	0511	पशु उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; अध्याय 1 या 3 के मृत पशु, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त, वीर्य के अलावा, जिसमें जमे हुए वीर्य भी शामिल है
19.	07	जड़ी बूटी, छाल, सूखा पौधा, सूखी जड़, जिसे आमतौर पर जरीबूटी और सूखा फूल के नाम से जाना जाता है
20.	0713	सूखी फलीदार सब्जियाँ, छिलके सहित, छिलका सहित या बिना छिलके सहित, पूर्व-पैक और लेबल सहित; ग्वार गम, परिष्कृत विभाजित
21.	0714	मेनिओक, अरारोट, सालेप, जेरुसलम आर्टिचोक, शकरकंद और इसी तरह की जड़ें और कंद जिनमें स्टार्च या इनुलिन की मात्रा अधिक हो, जमे हुए, कटे हुए या गोलियों के रूप में, पहले से पैक और लेबल किए हुए
22.	0801	काजू, चाहे छिलके सहित हों या नहीं, सूखे नारियल; ब्राजील नट्स, सूखे, चाहे छिलके सहित हों या नहीं

23.	0802	सूखे सुपारी, छिलके सहित या बिना छिलके वाले; अन्य सूखे मेवे, छिलके सहित या बिना छिलके वाले, जैसे बादाम, हेज़लनट या फ़िल्वर्ट (कोरिलस प्रजाति), शाहबलूत (कास्टानिया प्रजाति), पिस्ता, मैकाडामिया नट, कोला नट (कोला प्रजाति), पाइन नट, शाहबलूत (सिंघाड़ा), अखरोट, छिलके सहित या बिना छिलके वाले
24.	0802, 0813	शाहबलूत (सिंघाड़ा), सूखा हुआ 'चाहे हो या नहीं' छिला हुआ या छिला हुआ
25.	08	सूखा मखाना, चाहे छिला हुआ हो या नहीं, पहले से पैक और लेबल लगा हुआ
26.	0804	खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम और मँगोस्टीन, सूखे
27.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मैडरिन (कीनू और सत्सुमा सहित); क्लेमेंटाइन, विल्लिंग और इसी तरह के खट्टे संकर, अंगूर, पोमेलो सहित, नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और लाइम (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया), सूखे
28.	0806	अंगूर, सूखे अंगूर और किशमिश
29.	0811	फल और मेवे, बिना पके या भाप में पकाए या पानी में उबालकर, जमे हुए, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं
30.	0812	फल और मेवे, अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, नमकीन पानी में, सल्फर जल में या अन्य परिरक्षक घोल में), लेकिन उस अवस्था में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
31.	0813	फल, सूखा, शीर्षक 0801 से 0806 के अलावा; अध्याय 8 के मेवों या सूखे फलों का मिश्रण [सूखी इमली के अलावा]
32.	0814	खट्टे फल या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, जमे हुए, सूखे या अस्थायी रूप से नमकीन पानी, सल्फर जल या अन्य परिरक्षक घोल में संरक्षित
33.	0901	भुनी हुई कॉफी, चाहे कैफीन रहित हो या नहीं; कॉफी के छिलके और छिलके; किसी भी अनुपात में कॉफी युक्त कॉफी के विकल्प [भुनी हुई कॉफी बीन्स के अलावा]
34.	0902	चाय, स्वादयुक्त हो या न हो [चाय की अप्रसंस्कृत हरी पत्तियों के अलावा]
35.	0903	साथी

36.	0904	पाइपर वंश की काली मिर्च; कैप्सिकम वंश या पिमेंटा वंश के सूखे या कुचले या पिसे हुए फल
37.	0905	वेनिला
38.	0906	दालचीनी और दालचीनी के पेड़ के फूल
39.	0907	लौंग (पूरा फल, लौंग और डंठल)
40.	0908	जायफल, जावित्री और इलायची
41.	0909	सौंफ, बदायन, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; जुनिपर बेरीज [बीज की गुणवत्ता के अलावा]
42.	0910 [0910 11 10, 0910 30 10 के अलावा]	अदरक (के अलावा) ताजा अदरक, केसर, हल्दी (करकुमा) (के अलावा) ताजा हल्दी, थाइम, तेजपत्ता, करी और अन्य मसाले
43.	1001	गेहूं और मेस्लिन, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
44.	1002	राई, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
45.	1003	जौ, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
46.	1004	ओट्स, पहले से पैक और लेबल किए हुए
47.	1005	मक्का (मक्का), पूर्व-पैक और लेबल किया हुआ
48.	1006	चावल, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
49.	1007	अनाज ज्वार, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
50.	1008	कुट्टू, बाजरा और कैनरी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
51.	1101	गेहूं या मेस्लिन का आटा, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
52.	1102	गेहूं या मेस्लिन के अलावा अन्य अनाज आटा, जैसे मक्का (मकई) का आटा, राई का आटा, आदि, पूर्व-पैक और लेबल किया हुआ
53.	1103	अनाज के दाने, आटा और दाने, जिनमें सूजी और दलिया भी शामिल हैं, पहले से पैक और लेबल लगे हुए
54.	1104	शीर्ष 1006 के चावल को छोड़कर, अन्यथा संसाधित अनाज (उदाहरण के लिए, रोल किए हुए, परतदार, मोतीदार, कटे हुए या किब्बल्ड); अनाज के बीज, पूरे, रोल किए हुए, परतदार या पीसे हुए (छिलके वाले अनाज के अलावा)
55.	1105	आटा, आटा, पाउडर, फ्लेक्स, दाने और आलू की गोलियाँ, पहले से पैक और लेबल किए हुए

56.	1106	शीर्ष 0713 (दालें) की सूखी फलीदार सब्जियों का आटा, चूर्ण और पाउडर [ग्वार चूर्ण (एचएस 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाईंड स्प्लिट (एचएस 0713) के अलावा], शीर्ष 0714 के साबूदाना या जड़ों या कंदों का आटा, चूर्ण या अध्याय 8 के उत्पाद, पूर्व-पैक और लेबल युक्त
57.	1107	माल्ट, भुना हुआ हो या नहीं
58.	1108	स्टार्च; इनुलिन
59.	1109 00 00	गेहूं ग्लूटेन, चाहे सूखा हो या नहीं
60.	12	बीज की गुणवत्ता के अलावा सभी सामान
61.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटी हुई हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
62.	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकी हुई नहीं, चाहे छिलके वाली हो या टूटी हुई, बीज की गुणवत्ता के अलावा
63.	1203	खोपरा
64.	1204	अलसी, चाहे टूटी हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
65.	1205	रेपसीड या कोल्ज़ा के बीज, चाहे वे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा।
66.	1206	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा
67.	1207	अन्य तेल बीज और तेलयुक्त फल (अर्थात् ताड़ के बीज और गुठली, कपास के बीज, अरंडी के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (कार्थमस टिक्टोरियस) के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस, अजवायन, आम की गुठली, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटे हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के अलावा अन्य
68.	1208	तिलहन या तेलयुक्त फलों का आटा और भोजन, सरसों के अलावा
69.	1209	इमली के बीज बोने के अलावा किसी भी अन्य उपयोग के लिए
70.	1210 20 00	हॉप शंकु, पीसे हुए, चूर्णित या छरों के रूप में; ल्यूपुलिन
71.	1211	पौधे और पौधों के भाग (बीज और फल सहित), जिनका उपयोग मुख्य रूप से सुगंधशाला, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशक या इसी तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जमे हुए या सूखे हुए, कटे हुए, कुचले हुए या चूर्णित हों या नहीं
72.	1212	टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, जमे हुए या सूखे, (चाहे पीसे हुए हों या नहीं); फल की गुठली और गिरी और अन्य वनस्पति उत्पाद (इसमें) सिचोरियम इंटीबस सैटिवम किस्म की बिना भुनी हुई चिकोरी जड़ें शामिल हैं) जो मुख्य रूप से मानव उपभोग के

		लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
73.	1301	प्राकृतिक गोंद, रेजिन, गोंद-रेजिन और ओलियोरेसिन (उदाहरण के लिए, बाल्सम) [लाख और शैलैक के अलावा]; मिश्रित हींग जिसे आमतौर पर हींग के नाम से जाना जाता है
74.	1302	वनस्पति रस और अर्क; पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेट और पेक्टेट; अगर-अगर और अन्य म्यूसिलेज और गाढ़ा करने वाले पदार्थ, संशोधित हों या न हों, वनस्पति उत्पादों से प्राप्त, जिनमें इमली की गिरी का पाउडर भी शामिल है
75.	1401	वनस्पति सामग्री जो मुख्य रूप से बुनाई के लिए उपयोग की जाती है (उदाहरण के लिए, बांस, रतन, नरकट, सरकंडे, ओसियर, राफिया, साफ, प्रक्षालित या रंगे अनाज के भूसे, और चूने की छाल)
76.	1404 [1404 90 40, 1404 90 60 के अलावा]	वनस्पति उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कपास के लेंटर, सोप नट्स, कठोर बीज, बीज, छिलके और मेवे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से नक्काशी के लिए किया जाता है, रुद्राक्ष के बीज, बीड़ी के पत्ते (तेंदु), भारतीय कल्था [(के अलावा) पान के पत्ते, बिना काम किया हुआ नारियल का खोल]
77.	1404 या 3305	शंकु में मेहंदी का पेस्ट
78.	1501	सूअर की चर्बी (जिसमें चर्बी भी शामिल है) और कुक्कुट की चर्बी, शीर्षक 0209 या 1503 के अलावा
79.	1502	गोजातीय पशुओं, भेड़ या बकरियों की वसा, शीर्ष 1503 के अंतर्गत आने वाली वसा को छोड़कर
80.	1503	लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, ओलियो स्टीयरिन, ओलियो-तेल और टैलो तेल, इमल्सीफाइड या मिश्रित या अन्यथा तैयार नहीं
81.	1504	मछली या समुद्री स्तनधारियों के वसा और तेल और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
82.	1505	ऊन का ग्रीस और उससे प्राप्त वसायुक्त पदार्थ (लैनोलिन सहित)
83.	1506	अन्य पशु वसा और तेल और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
84.	1507	सोयाबीन तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
85.	1508	मूंगफली का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
86.	1509	जैतून का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं

87.	1510	अन्य तेल और उनके अंश, जो केवल जैतून से प्राप्त होते हैं, परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं, जिनमें शीर्षक 1509 के तेलों या अंशों के साथ इन तेलों या अंशों का मिश्रण शामिल है
88.	1511	पाम तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
89.	1512	सूरजमुखी के बीज, कुसुम या कपास के बीज का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
90.	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासु तेल और उसके अंश, (चाहे परिष्कृत हों या नहीं), लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
91.	1514	रेपसीड, कोल्ज़ा या सरसों का तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
92.	1515	अन्य निश्चित वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं
93.	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके अंश, आंशिक या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्टरीकृत, पुनः-एस्टरीकृत या एलाडिनीकृत, परिष्कृत, लेकिन आगे तैयार नहीं
94.	1516	पशु या सूक्ष्मजीवी वसा और पशु या सूक्ष्मजीवी तेल और उनके अंश, आंशिक या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्टरीकृत, पुनः-एस्टरीकृत या एलाडिनीकृत, परिष्कृत, लेकिन आगे तैयार नहीं
95.	1517	मार्जरीन, लिनोक्सिन; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंशों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां, शीर्ष 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों के अलावा
96.	1518	पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल, उनके अंश, उबले हुए, ऑक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरीकृत, उड़ाए हुए, निर्वात में या निष्क्रिय गैस में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्ष 1516 के अंशों को छोड़कर; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंशों के अखाद्य मिश्रण या तैयारियां, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
97.	1520 00 00	ग्लिसरॉल, कच्चा; ग्लिसरॉल जल और ग्लिसरॉल लाइस
98.	1521	वनस्पति मोम (ट्राइग्लिसराइड्स के अलावा), मोम, अन्य कीट मोम और शुक्राणु, चाहे परिष्कृत या रंगीन हों या नहीं
99.	1522	डीग्रास, वसायुक्त पदार्थों या पशु या वनस्पति मोम के उपचार से उत्पन्न अवशेष

100.	1601	मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़ों से बने साँसेज और इसी प्रकार के उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य पदार्थ
101.	1602	अन्य तैयार या संरक्षित मांस, मांस के अवशेष, रक्त या कीड़े
102.	1603	मांस, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी के अर्क और रस
103.	1604	तैयार या संरक्षित मछली; मछली के अंडों से तैयार कैवियार और कैवियार के विकल्प
104.	1605	क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी तैयार या संरक्षित
105.	1701	गन्ना या चुकंदर चीनी और रासायनिक रूप से शुद्ध सुक्रोज, ठोस रूप में जिसमें परिष्कृत चीनी शामिल है जिसमें स्वाद या रंग मिलाया गया हो, चीनी के टुकड़े [सभी प्रकार के गुड़, खांडसारी चीनी, रब के अलावा]
106.	1701 या 1702	सभी प्रकार के गुड़, जिनमें गन्ना गुड़ (गुड़), पामिरा गुड़, खांडसारी चीनी, रब शामिल हैं, पूर्व-पैक और लेबलयुक्त
107.	1702 या 1704	पलमायरा चीनी, मिश्री, बताशा, बूरा, साकर, खादी साकर, हरदा, सकारिया, गट्टा, कुलिया, इलाइचिदाना, लुकुमदाना, चिक्की जैसे मुरमुरे की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, तिल की चिक्की, तिल पट्टी, तिल रेवड़ी, चीनी मखाना, मूंगफली की मिठाइयाँ, गजक, खाजा, खजुली, अनरसा
108.	1702	अन्य शर्करा, जिनमें ठोस रूप में रासायनिक रूप से शुद्ध लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शामिल हैं; चीनी सिरप जिसमें स्वाद या रंग नहीं मिलाया गया हो; कारमेल
109.	1703	गुड़
110.	1704	चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चॉकलेट सहित), जिसमें कोको न हो, चीनी में उबली हुई कन्फेक्शनरी
111.	1801	कोको बीन्स पूरे या टूटे हुए, कच्चे या भुने हुए
112.	1802	कोको के छिलके, भूसी, त्वचा और अन्य कोको अपशिष्ट
113.	1803	कोको पेस्ट (चाहे या नहीं) बसा रहित
114.	1804	कोकोआ मक्खन, बसा और तेल
115.	1805	कोको पाउडर, जिसमें अतिरिक्त चीनी या मीठा पदार्थ न हो
116.	1806	चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य पदार्थ
117.	1901 20 00	ब्रेड, पेस्ट्री और अन्य बेकरी उत्पादों की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा

118.	1901	बाजरे के आटे से बनी खाद्य सामग्री, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, पहले से पैक और लेबल लगा हो; माल्ट एक्सट्रेक्ट, आटे, ग्राउंड्स, मील, स्टार्च या माल्ट एक्सट्रेक्ट से बनी खाद्य सामग्री, जिसमें कोको न हो या जिसमें वजन के हिसाब से 40% से कम कोको हो, जिसकी गणना पूरी तरह से वसा रहित आधार पर की गई हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो; शीर्ष 0401 से 0404 तक के माल की खाद्य सामग्री, जिसमें कोको न हो या जिसमें वजन के हिसाब से 5% से कम कोको हो, जिसकी गणना पूरी तरह से वसा रहित आधार पर की गई हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो
119.	1902	सेवइयां (सेंवई); पास्ता, चाहे पकाया गया हो या नहीं (मांस या अन्य पदार्थों के साथ) या अन्यथा तैयार किया गया हो, जैसे स्पेगेटी, मैकरोनी, नूडल्स, लज़ान्या, ग्रोची, रैवियोली, कैनेलोनी; कूसकूस, चाहे तैयार किया गया हो या नहीं
120.	1903	स्टार्च से तैयार टैपिओका और उसके विकल्प, गुच्छे, अनाज, मोती, छनाई या इसी तरह के रूपों में (साबूदाना)
121.	1904	मुरमुरे, जिसे आमतौर पर मूरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के नाम से जाना जाता है, पाचर्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, पाचर्ड धान या चीनी या गुड के साथ लेपित चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
122.	1904	सभी वस्तुएं अर्थात् मकई के फ्लेक्स, बल्गर गेहूं, अनाज के फ्लेक्स से प्राप्त तैयार खाद्य पदार्थ (पफ्ड राइस को छोड़कर, जिसे आमतौर पर मूरी के रूप में जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पाचर्ड राइस, जिसे आमतौर पर खोई के रूप में जाना जाता है, पाचर्ड धान या चीनी या गुड के साथ लेपित चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के रूप में जाना जाता है); फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके)
123.	1905	पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकरी उत्पाद, चाहे उनमें कोको हो या न हो; कम्प्युनियन वेफर्स, दवाइयों के उपयोग के लिए उपयुक्त खाली कैशेट, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर और इसी तरह के उत्पाद; बिना तले या बिना पके स्लैक पेलेट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, एक्सट्रूजन की प्रक्रिया से निर्मित; एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, नमकीन या नमकीन
124.	1905 40 00	रस्क, टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के टोस्टेड उत्पाद
125.	2001	सब्जियां, फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, जो सिरका या एसिटिक एसिड द्वारा तैयार या संरक्षित किए जाते हैं
126.	2002	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित टमाटर

127.	2003	मशरूम और ट्रफल, सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित किए गए
128.	2004	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित की गई अन्य सब्जियां, जमाई गई, शीर्षक 2006 के उत्पादों के अलावा
129.	2005	सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा किसी अन्य तरीके से तैयार या संरक्षित की गई अन्य सब्जियां, जमाई हुई नहीं, शीर्षक 2006 के उत्पादों के अलावा
130.	2006	सब्जियां, फल, मेवे, फलों के छिलके और पौधों के अन्य भाग, चीनी द्वारा संरक्षित (सूखा, ग्लेस या क्रिस्टलीकृत)
131.	2007	जैम, फल जेली, मुरब्बा, फल या मेवे की प्यूरी और फल या मेवे के पेस्ट, जो पकाकर प्राप्त किए जाते हैं, चाहे उनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या नहीं
132.	2008	फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, अन्यथा तैयार या संरक्षित, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्पिरिट हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न हो; जैसे मूंगफली, काजू, भुना हुआ, नमकीन या भुना और नमकीन, अन्य भुने हुए मेवे और बीज, आम, नींबू, संतरा, अनानास या अन्य फलों का स्कैश
133.	2009	फलों या मेवों के रस (अंगूर के रस सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और बिना अतिरिक्त स्पिरिट के, चाहे उनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ हो या न हो
134.	2009 89 90	नारियल पानी, पहले से पैक और लेबल किया हुआ
135.	2101 11, 2101 12 00	कॉफी के अर्क, सार और सांद्र, तथा इन अर्क, सार या सांद्र या कॉफी के आधार पर तैयारियां
136.	2101 20	सभी वस्तुएं अर्थात् चाय या मेट के अर्क, सार और सांद्र, तथा इन अर्क, सार या सांद्र या चाय या मेट के आधार पर तैयारियां
137.	2101 30	भुनी हुई कासनी और अन्य भुनी हुई कॉफी के विकल्प, तथा उनके अर्क, सार और सांद्र
138.	2102	यीस्ट (सक्रिय और निष्क्रिय); अन्य एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव, मृत (लेकिन शीर्ष 3002 के टीके शामिल नहीं); तैयार बेकिंग पाउडर
139.	2103	सभी सामान, जिनमें सॉस और उसके लिए तैयार सामग्री, मिश्रित मसाले और मिश्रित मसाला; सरसों का आटा और भोजन और तैयार सरसों जिसमें करी पेस्ट, मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग शामिल हैं
140.	2104	सूप और शोरबा तथा उनसे बनी तैयारियाँ; समरूप मिश्रित खाद्य तैयारियाँ

141.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोको हो या न हो
142.	2106	बनावटयुक्त वनस्पति प्रोटीन (सोयाबारी), दालों से बनी बारी जिसमें मुंगोड़ी और बैटर शामिल हैं; भुने हुए चने की इडली/डोसा बैटर, चटनी पाउडर; मिठाइयाँ
143.	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह की खाद्य सामग्री, उपभोग के लिए तैयार, चाहे पहले से पैक और लेबल लगी हो या नहीं
144.	2106 90 91	मधुमेह खाद्य पदार्थ
145.	2106 (21069020 के अलावा)	अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित न की गई खाद्य तैयारियाँ [पान मसाला के अलावा]
146.	2201	जल, जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल और वातित जल शामिल हैं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद नहीं मिलाया गया है
147.	2201 90 10	बर्फ और हिम
148.	2202 99	पौधे-आधारित दूध पेय, पेय पदार्थ के रूप में सीधे उपभोग के लिए तैयार
149.	2202 99 10	सोया दूध पेय, चाहे मीठा हो या स्वादयुक्त
150.	2202 99 20	फलों के गूदे या फलों के रस पर आधारित पेय [फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय के अलावा]
151.	2202 99 30	दूध युक्त पेय पदार्थ
152.	2207	मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति की जाने वाली एथिल अल्कोहल
153.	2301	मांस या मांस के अवशेष, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों का आटा, भोजन और गोलियाँ, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं; ग्रीन्स
154.	2302	चोकर, तीखे पदार्थ और अन्य अवशेष, चाहे वे छरों के रूप में हों या नहीं, अनाज या फलीदार पौधों की छनाई, पिसाई या अन्य कार्य से प्राप्त [जलीय आहार के अलावा, जिसमें झींगा आहार और झींगा आहार शामिल है, मुर्गी आहार और मवेशी आहार, घास, सूखी घास और पुआल, पूरक और योजक, दालों की भूसी, जिसमें चिल्का शामिल है, सांद्र, चुन्नी या चूरी, खंडा, गेहूं का चोकर, तेल रहित केक शामिल है]
155.	2302	चावल की भूसी (तेल रहित चावल की भूसी के अलावा)
156.	2303	स्टार्च निर्माण के अवशेष और इसी प्रकार के अवशेष, चुकंदर का गूदा, खोई और चीनी निर्माण का अन्य अपशिष्ट, शराब बनाने या आसवन के

		अवशेष और अपशिष्ट, चाहे वे द्रवों के रूप में हों या नहीं
157.	2304	सोयाबीन तेल के निष्कर्षण से प्राप्त तेल-खली और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में
158.	2305	तेल केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में, जो मूंगफली के तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं
159.	2306	तेल केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे पीसे हुए हों या नहीं, या गोलियों के रूप में, जो वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेलों के निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं, शीर्ष 2304 या 2305 के अलावा, कपास के तेल केक और तेल रहित चावल की भूसी के अलावा
160.	2307	वाइन लीज़; अर्गोल
161.	2309	मछली में घुलनशील पेस्ट
162.	2401	तंबाकू पत्ता
163.	2502	बिना भुने लौह पाइराइट
164.	2503	सभी प्रकार के सल्फर, उर्ध्वपातित सल्फर, अवक्षेपित सल्फर और कोलाइडल सल्फर के अलावा
165.	2504	प्राकृतिक ग्रेफाइट
166.	2505	सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, चाहे रंगीन हो या नहीं, अध्याय 26 की धातु युक्त रेत के अलावा
167.	2506	क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत के अलावा); क्वार्ट्ज़ाइट, चाहे उसे मोटे तौर पर काटा गया हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो
168.	2507	काओलिन और अन्य काओलिनिक मिट्टी, चाहे कैल्सीनेटेड हो या नहीं
169.	2508	अन्य मिट्टियाँ (शीर्षक 6806 की विस्तारित मिट्टियाँ शामिल नहीं), एंडालुसाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट, चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं; मुलाइट; चामोट या डायनास मृदाएँ
170.	2509	चाक
171.	2510	प्राकृतिक कैल्शियम फॉस्फेट, प्राकृतिक एल्यूमीनियम कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फेटिक चाक
172.	2511	प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बैराइट्स); प्राकृतिक बेरियम कार्बोनेट (विथेराइट), चाहे कैल्सीनेटेड हो या नहीं, शीर्षक 2816 के बेरियम ऑक्साइड के अलावा

173.	2512	सिलिकायुक्त जीवाश्म आहार (उदाहरण के लिए, कीसेलगुहर, ट्रिपोलाइट और डायटोमाइट) और इसी प्रकार के सिलिकायुक्त मृदा, चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं, जिनका स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व 1 या उससे कम हो
174.	2513	झांवा; एमरी; प्राकृतिक कोरन्डम, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्षक, चाहे ताप-उपचारित हों या नहीं
175.	2514	स्लेट, चाहे वह मोटे तौर पर छँटी हुई हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटी गई हो
176.	2515 [2515 12 20, 2515 12 90 को छोड़कर] या 6802	इकाउसाइन और अन्य कैल्शियमयुक्त स्मारकीय या भवन पत्थर (संगमरमर और ट्रैवर्टिन के अलावा), अलबास्टर, दर्पण पॉलिश पत्थर के अलावा जो उपयोग के लिए तैयार है
177.	2515 11 00	संगमरमर और ट्रैवर्टिन, अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छंटे हुए
178.	2515 12 10	संगमरमर और ट्रैवर्टिन ब्लॉक
179.	2516 [2516 11 00, 2516 12 00 को छोड़कर]	पोर्फिरी, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और अन्य स्मारकीय या इमारती पत्थर, (चाहे या नहीं) मोटे तौर पर छंटे गए हों या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटे गए हों
180.	2516 11 00	ग्रेनाइट अपरिष्कृत या मोटे तौर पर छंटा हुआ
181.	2516	ग्रेनाइट ब्लॉक
182.	2517	कंकड़, बजरी, टूटे या कुचले हुए पत्थर, जिनका उपयोग सामान्यतः कंक्रीट समुच्चयों, सड़क धातुकरण या रेलवे या अन्य गिट्टी, शिंगल और चकमक पत्थर के लिए किया जाता है, (चाहे या नहीं) ताप-उपचारित; स्लैग, कचरा या इसी तरह के औद्योगिक अपशिष्ट का मैकडैम, (चाहे या नहीं) जिसमें शीर्षक के पहले भाग में उल्लिखित सामग्री शामिल हो; तारकोलयुक्त मैकडैम; दाने, चिप्स और पाउडर, पत्थरों का शीर्षक 2515 या 2516 चाहे या नहीं ताप-उपचारित
183.	2518	डोलोमाइट, चाहे कैल्सीनेटेड हो या सिंटरित, डोलोमाइट सहित, मोटे तौर पर छंटाई किया हुआ या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा हुआ
184.	2519	प्राकृतिक मैग्नीशियम कार्बोनेट (मैग्नेसाइट); संलयित मैग्नेशिया; मृत-जला हुआ (सिंटर किया हुआ) मैग्नेशिया, जिसमें सिंटरिंग से पहले अन्य ऑक्साइड की अल्प मात्रा मिलाई गई हो; अन्य मैग्नीशियम ऑक्साइड, शुद्ध हो या नहीं
185.	2520	जिप्सम; एनहाइड्राइट; प्लास्टर (कैल्सीनेटेड जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट से बने) रंगीन हों या नहीं, त्वरक या मंदक की अल्प मात्रा के साथ

		या उसके बिना
186.	2521	चूना पत्थर फ्लक्स; चूना पत्थर और अन्य कैल्केरियास पत्थर, एक प्रकार का जो चूने या सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
187.	2522	बिना बुझा चूना, बुझा चूना और हाइड्रोलिक चूना, शीर्षक 2825 के कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड के अलावा
188.	2524	अदह
189.	2525	अभ्रक, विभाजन सहित; अभ्रक अपशिष्ट।
190.	2526	प्राकृतिक स्टीटाइट, चाहे उसे मोटे तौर पर छांटा गया हो या केवल आरी से या अन्यथा, आयताकार (वर्ग सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में काटा गया हो; टैल्का
191.	2528	प्राकृतिक बोरेट्स और उनके सांद्र (चाहे कैल्सीनेटेड हों या नहीं), लेकिन प्राकृतिक ब्राइन से अलग किए गए बोरेट्स को छोड़कर; प्राकृतिक बोरिक एसिड जिसमें 85% से अधिक H ₃ BO ₃ न हो (शुष्क भार पर गणना की गई)
192.	2529	फेल्डस्पार; ल्यूसाइट, नेफलाइन और नेफलाइन साइनाइट; फ्लोरस्पार
193.	2530	खनिज पदार्थ जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
194.	2611	टंगस्टन अयस्क और सांद्र
195.	2612	यूरेनियम या थोरियम अयस्क और सांद्र
196.	2613	मोलिब्डेनम अयस्क और सांद्र
197.	2614	टाइटेनियम अयस्क और सांद्र
198.	2615	नियोबियम, टैंटालम, वैनेडियम या जिंकोनियम अयस्क और सांद्र
199.	2616	बहुमूल्य धातु अयस्क और सांद्र
200.	2617	अन्य अयस्क और सांद्र
201.	2618	लोहे या इस्पात के निर्माण से प्राप्त दानेदार लावा (लावा रेत)
202.	2619	लिंग-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग
203.	2621	फ्लाइ ऐश
204.	27	जैव गैस
205.	2704	कोयले, लिग्नाइट या पीट का कोक और सेमी कोक, (चाहे एकत्रित हो या नहीं); रिटॉर्ट कार्बन

206.	2705	कोयला गैस, जल गैस, उत्पादक गैस और इसी प्रकार की गैसों, पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन के अलावा
207.	2710	(क) केरोसिन तेल पीडीएस, (ख) जहाजों या जलयानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर ईंधन, अर्थात्, i. आईएफओ 180 सीएसटी ii. आईएफओ 380 सीएसटी iii. समुद्री ईंधन 0.5% (एफओ)
208.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)
209.	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 10	घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, तरलीकृत प्रोपेन, तरलीकृत ब्यूटेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी)
210.	28	थोरियम ऑक्सालेट, समृद्ध केबीएफ 4 (समृद्ध पोटेशियम फ्लोरोबोरेट), समृद्ध मौलिक बोरॉन, परमाणु ईंधन
211.	28	एनेस्थेटिक्स, पोटेशियम आयोडेट, आयोडीन, भाप
212.	2804 40 10	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
213.	2805 11	परमाणु ग्रेड सोडियम
214.	2807	गंधक का तेजाब
215.	2808	नाइट्रिक एसिड
216.	2809	उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड
217.	2814	अमोनिया
218.	2845	भारी जल और अन्य परमाणु ईंधन
219.	2847	औषधीय ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड
220.	2853	संपीड़ित हवा
221.	28 या 38	सूक्ष्म पोषक तत्व, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची I, भाग (ए) की क्रम संख्या 1(जी) के अंतर्गत आते हैं और उन निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत पंजीकृत हैं।

222.	29 या 3808 93	जिबरेलिक अम्ल
223.	2906 11 10	प्राकृतिक मेन्थॉल
224.	2906 11 10, 30, 3301	प्राकृतिक मेन्थॉल से बने निम्नलिखित उत्पाद:- क. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, ख. पेपरमिंट (मेन्था तेल), ग. फ्रैक्शनेटेड/डी-टेरपेनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ) घ. डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ), ड. स्पीयरमिंट तेल च. मेन्था पिपेरिता तेल
225.	30	इंसुलिन, साइक्लोस्पोरिन, डेसफेरियोक्सामाइन इंजेक्शन या डेफेरिप्रोन, ओरल री-हाइड्रेशन सॉल्ट
226.	30 या कोई भी अध्याय	सभी औषधियां और दवाइयां जिनमें उनके लवण और एस्टर और डायग्नोस्टिक टेस्ट किट शामिल हैं; थोक औषधियों से निर्मित फॉर्मूलेशन [दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 10/2025- संघराज्य कर (दर) के क्रम संख्या 113 में शून्य पर निर्दिष्ट के अलावा]
227.	30	सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक किट
228.	30	जैव-रासायनिक प्रणालियों में प्रयुक्त औषधियाँ (पशु चिकित्सा औषधियों सहित)
229.	30	औषधियाँ (जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों में प्रयुक्त औषधियाँ भी शामिल हैं), जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की प्रथम अनुसूची या भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जैसा भी मामला हो, की होम्योपैथिक फार्माकोपिया में निर्दिष्ट आधिकारिक पुस्तकों में वर्णित सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से निर्मित की जाती हैं, और ऐसी पुस्तकों या फार्माकोपिया में निर्दिष्ट नाम के तहत बेची जाती हैं
230.	3001	अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियां और अन्य अंग, सूखे, (चाहे या नहीं) चूर्णित; अंग-चिकित्सीय उपयोगों के लिए ग्रंथियों या अन्य अंगों या उनके स्रावों के अर्क; हेपरिन और उसके लवण; चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए तैयार अन्य मानव या पशु पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
231.	3002	चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए तैयार पशु रक्त; एंटीसेरा और अन्य रक्त अंश और संशोधित प्रतिरक्षा उत्पाद, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किए गए हों या नहीं; विपाक्त पदार्थ, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन (यीस्ट को छोड़कर) और इसी तरह के उत्पाद; कोशिका संवर्धन, संशोधित किए गए हों या नहीं

232.	3002, 3006	पशु या मानव रक्त टीके
233.	3003	दो या अधिक घटकों से बनी औषधियाँ (शीर्ष 3002, 3005 या 3006 के सामान को छोड़कर) जिन्हें चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए एक साथ मिलाया गया है, जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए मापी गई खुराक या रूपों या पैकिंग में नहीं रखा गया है, जिनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों की औषधियाँ शामिल हैं
234.	3004	औषधीय उत्पाद (शीर्ष 3002, 3005 या 3006 के सामान को छोड़कर) जिनमें चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोग के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद शामिल हैं, मापी गई खुराकों में (ट्रांसडर्मल प्रशासन प्रणालियों के रूप में शामिल) या खुदरा बिक्री के लिए रूपों या पैकिंग में, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक सिद्ध या जैव-रासायनिक प्रणालियों की औषधीय उत्पाद शामिल हैं, जो खुदरा बिक्री के लिए रखे गए हैं
235.	3005	वैडिंग, गौज, पट्टियाँ और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ (उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग, चिपकने वाले प्लास्टर, पुल्टिस), जो औषधीय पदार्थों से संसेचित या लेपित हों या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म या पैकिंग में रखी गई हों
236.	3006	इस अध्याय के (नोट) 4 में निर्दिष्ट औषधीय सामान, अर्थात् जीवाणुरहित शल्यक्रिया कैटगट, समान जीवाणुरहित सिवनी सामग्री (जिसमें जीवाणुरहित शोषक शल्यक्रिया या दंत धागे भी शामिल हैं) और शल्यक्रिया के घाव को बंद करने के लिए जीवाणुरहित ऊतक चिपकाने वाले पदार्थ; जीवाणुरहित लेमिनेरिया और जीवाणुरहित लेमिनेरिया टेंट; जीवाणुरहित शोषक शल्यक्रिया या दंत हेमोस्टेटिक्स; जीवाणुरहित शल्यक्रिया या दंत आसंजन अवरोध, चाहे शोषक हों या नहीं; अपशिष्ट औषधियाँ (गर्भनिरोधकों के अलावा); ओस्टोमी उपकरण जिनमें थैली या फ्लैज, स्टोमा चिपकाने वाला पेस्ट, अवरोध क्रीम, सिंचाई किट, स्लीव, बेल्ट, सूक्ष्म-छिद्र टेप शामिल हैं
237.	3101	सभी सामान अर्थात् पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबल युक्त
238.	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
239.	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फॉस्फेटिक, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
240.	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटैश उर्वरक, उनके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
241.	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या तीन उर्वरक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के सामान

		गोलियों या समान रूपों में या 10 किलोग्राम से अधिक सकल वजन के पैकेज में; उनको छोड़कर जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है।
242.	32	वाटल एक्सट्रेक्ट, क्वेब्राचो एक्सट्रेक्ट, चेस्टनट एक्सट्रेक्ट
243.	3202	प्री-टैनिंग के लिए एंजाइमेटिक तैयारियाँ
244.	3304	टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर
245.	3305	बालों का तेल, शैम्पू
246.	3306	दूधपेस्ट
247.	3306 10 10	दूध पाउडर
248.	3306 20 00	दांतों के बीच सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धागा (डेंटल फ्लॉस)
249.	3307	शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव लोशन
250.	3307 41 00	अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, सांभरानी
251.	3401	टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन के अलावा) बार, केक, ढाले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में
252.	3402	सल्फोनेटेड अरंडी का तेल, मछली का तेल या शुक्राणु तेल
253.	3406	मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और इसी तरह की अन्य चीजें
254.	3503	जिलेटिन (आयताकार (वर्गाकार सहित) शीटों में जिलेटिन सहित, चाहे सतह-कार्यित हो या रंगीन) और जिलेटिन व्युत्पन्न; आइसिंगलास; पशु मूल के अन्य गोंद, शीर्षक 3501 के कैसिइन गोंद को छोड़कर
255.	3505	डेक्सट्रिन और अन्य संशोधित स्टार्च (उदाहरण के लिए, प्रीजिलेटिनाइज्ड या एस्टरीफाइड स्टार्च); स्टार्च, या डेक्सट्रिन या अन्य संशोधित स्टार्च पर आधारित गोंद
256.	3605 00 10	सभी सामान
257.	3701	चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे हेतु फोटोग्राफिक प्लेटें और फिल्म
258.	3705	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, उजागर और विकसित, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के अलावा
259.	3706	फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्में, एक्सपोज़्ड और डेवलप्ड, (चाहे या नहीं) साउंड ट्रैक शामिल हो या केवल साउंड ट्रैक से युक्त, (फीचर फिल्मों के अलावा)

260.	3808	निम्नलिखित जैव-कीटनाशक, अर्थात् – (क) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. इजराइलेंसिस (ख) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. कुस्तार्क (ग) बैसिलस थुरिंजिएंसिस वर. गैलेरिया (घ) बैसिलस स्फेरिकस (ङ) ट्राइकोडर्मा विरिडे (च) ट्राइकोडर्मा हार्जियानम (छ) स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस (ज) ब्यूवेरियाबैसियाना (झ) हेलिकोवर्परमिगेरा का एनपीवी (ञ) स्पेडोप्टेरालिट्यूरा का एनपीवी (ट) नीम आधारित कीटनाशक (ठ) सिम्बोपोगन
261.	3816	डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण
262.	3818	सिलिकॉन वेफ़र्स
263.	3822	सभी डायग्नोस्टिक किट या अभिकर्मक जिनमें प्रमाणित संदर्भ सामग्री शामिल है
264.	3826	तेल विपणन कंपनियों को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायो-डीजल की आपूर्ति
265.	3926	दूध पिलाने की बोतलें, प्लास्टिक के मोती
266.	4001	प्राकृतिक रबर, बालाटा, गुट्टा-पर्चा, ग्वायुले, चिकल और इसी तरह के प्राकृतिक गोंद, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में
267.	4004 00 00	रबड़ का अपशिष्ट, छिलके या स्क्रेप (कठोर रबड़ के अलावा)
268.	4007	लेटेक्स रबर धागा
269.	4011	रियर ट्रेक्टर टायर और रियर ट्रेक्टर टायर ट्यूब
270.	4011 30 00	नए वायवीय टायर, विमानों में इस्तेमाल होने वाले रबर के प्रकार के
271.	4011 70 00	ट्रेक्टरों के लिए टायर
272.	4011, 4013	रबर के वायवीय टायर या आंतरिक ट्यूब, एक प्रकार के जो साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/में उपयोग किए जाते हैं
273.	4013 90 49	ट्रेक्टर टायरों के लिए ट्यूब
274.	4014	दूध पिलाने वाली बोतलों के निप्पल
275.	4015	सर्जिकल रबर के दस्ताने या चिकित्सा परीक्षण रबर के दस्ताने

276.	4016	रबर बैंड
277.	4017	कठोर रबर का अपशिष्ट या स्क्रेप
278.	4101	गोजातीय (भैंस सहित) या अश्वीय पशुओं की कच्ची खालें और चमड़े (ताजा, या नमकीन, सूखे, चूने से सने, अचार में रखे या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संसाधित या आगे तैयार नहीं), चाहे बाल रहित या विभाजित हों या नहीं
279.	4102	भेड़ या मेमनों की कच्ची खालें (ताजा, या नमकीन, सूखी, चूने से सनी, अचार में रखी या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संवारित या आगे तैयार नहीं), चाहे ऊन लगी हो या फटी हुई हो
280.	4103	अन्य कच्चे चमड़े और खाल (ताजा, या नमकीन, सूखे, चूने से सने, अचार में रखे या अन्यथा संरक्षित, लेकिन टैन्ड, चर्मपत्र-संवारित या आगे तैयार नहीं), चाहे या नहीं बाल रहित या विभाजित
281.	4104	गोजातीय (भैंस सहित) या अश्ववंशीय पशुओं की टैन्ड या क्रस्ट खाल और चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो या नहीं, लेकिन आगे तैयार नहीं किया गया हो
282.	4105	भेड़ या मेमनों की चमड़ी या पपड़ीदार खाल, ऊन रहित, चाहे हो या न हो फटी हुई, लेकिन आगे तैयार न की गई हो
283.	4106	अन्य पशुओं की चमड़ी या पपड़ीदार खाल और चमड़े, जिन पर ऊन या बाल नहीं हैं, चाहे विभाजित हों या नहीं, लेकिन आगे तैयार नहीं किए गए हों
284.	4107	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा भी शामिल है, गोजातीय (भैंस सहित) या अश्ववंशीय पशुओं का, बिना बालों वाला, चाहे विभाजित हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा
285.	4112	चमड़ा जिसे टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया है, जिसमें भेड़ या मेमने का चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा शामिल है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे वह फटा हुआ हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा
286.	4113	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें अन्य पशुओं का चर्मपत्र-सज्जित चमड़ा भी शामिल है, जिस पर ऊन या बाल नहीं हैं, चाहे वह फटा हुआ हो या नहीं, शीर्ष 4114 के चमड़े के अलावा
287.	4114	चमोईस (संयोजन चमोईस सहित) चमड़ा; पेटेंट चमड़ा और पेटेंट लेमिनेटेड चमड़ा; धातुकृत चमड़ा
288.	4115	चमड़े या चमड़े के रेशे पर आधारित मिश्रित चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी के रूप में, रोल में हो या न हो; चमड़े या मिश्रित चमड़े के छिलके और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त न हों;

		चमड़े का चूर्ण, पाउडर और आटा
289.	4202 22 20	सूती हैंड बैग और शॉपिंग बैग
290.	4202 22 30	जूट के हैंड बैग और शॉपिंग बैग
291.	4203	खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने
292.	44 या कोई भी अध्याय	निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात्: — (क) सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड; (ख) जूट पार्टिकल बोर्ड; (ग) चावल की भूसी का बोर्ड; (घ) ग्लास-फाइबर प्रबलित जिप्सम बोर्ड (जीआरजी) (ङ) सिसल-फाइबर बोर्ड; (च) बगास बोर्ड; और (छ) कॉटन स्टाक पार्टिकल बोर्ड (ज) कृषि फसल अवशेषों से निर्मित पार्टिकल/फाइबर बोर्ड
293.	44, 68, 83	लकड़ी, पत्थर [संगमरमर सहित] और धातु [कीमती धातुओं से बनी मूर्तियों के अलावा]
294.	4401	लकड़ी के टुकड़े या कण; बुरादा और लकड़ी का अपशिष्ट और स्क्रेप, चाहे वह लट्टों, ब्रिकेट, छरों या इसी तरह के रूपों में एकत्रित हो या न हो
295.	4404	घेरा; विभाजित डंडे; लकड़ी के ढेर, पिकेट और खूंटे, नुकीले लेकिन लंबाई में काटे नहीं गए; लकड़ी की छड़ें, मोटे तौर पर काटी गई लेकिन मुड़ी हुई, मुड़ी हुई या अन्यथा काम की हुई नहीं, चलने वाली छड़ियों, छातों, औजारों के हैंडल या इसी तरह के निर्माण के लिए उपयुक्त
296.	4405	लकड़ी का ऊत; लकड़ी का आटा
297.	4406	लकड़ी के रेलवे या ट्रामवे स्लीपर (क्रॉस-टाई)
298.	4408	लिबास के लिए शीट (जिसमें लैमिनेटेड लकड़ी को काटकर प्राप्त की गई शीट भी शामिल हैं), प्लाइवुड या इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में काटी गई, कटी हुई या छिली हुई, समतल की गई, रेत से भरी हुई, जोड़ की गई या अंत में जोड़ी गई, 6 मिमी से अधिक मोटाई की [मैच स्प्लिंट्स के लिए]
299.	4409	बांस का फर्श
300.	4415	लकड़ी के पैकिंग केस, बक्से, क्रेट, ड्रम और इसी तरह की पैकिंग; लकड़ी के केवल ड्रम; लकड़ी के पैलेट, बॉक्स पैलेट और अन्य लोड बोर्ड; लकड़ी के पैलेट कॉलर

301.	4416	लकड़ी से बने पीपे, बैरल, बॉट, टब और अन्य कूपर उत्पाद और उनके हिस्से, जिनमें डंडे भी शामिल हैं
302.	4417	औजार, औजार के ढांचे, औजार के हैंडल, झाड़ू या ब्रश के ढांचे और हैंडल, लकड़ी के; बूट या जूते के टाँके और पेड़, लकड़ी के
303.	4418	बांस की लकड़ी की इमारत की जोड़ाई
304.	4419	लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर
305.	4420	लकड़ी की मार्बेटरी और जड़ाऊ लकड़ी; आभूषण या कटलरी के लिए संदूक और केस, तथा लकड़ी की इसी प्रकार की वस्तुएं; लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण; फर्नीचर की लकड़ी की वस्तुएं जो अध्याय 94 में नहीं आती हैं
306.	4421	लकड़ी के अन्य सामान; जैसे कपड़े टांगने वाले हैंगर, स्पूल, कॉप, बॉबिन, सिलाई धागे की रील और विभिन्न कपड़ा मशीनरी के लिए लकड़ी के समान सामान, माचिस की पट्टियाँ, पेंसिल की पट्टियाँ, लकड़ी के हिस्से, जैसे कि जहाज, नाव और इसी तरह की अन्य तैरती संरचनाओं के लिए चप्पू, पैडल और पतवार, टेबलवेयर और रसोई के सामान के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से [«के अलावा» लकड़ी के फर्श ब्लॉक, सघन लकड़ी के सामान जो अन्यत्र शामिल या निर्दिष्ट नहीं हैं, टेबलवेयर और रसोई के सामान के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से]
307.	4501	प्राकृतिक कॉर्क, कच्चा या बस तैयार
308.	4502 00 00	प्राकृतिक कॉर्क, पीठ रहित या मोटे तौर पर वर्गाकार, या आयताकार (वर्ग सहित) ब्लॉक, प्लेट, शीट या पट्टी (कॉर्क या स्टॉपर के लिए तेज धार वाले रिक्त स्थान सहित)
309.	4503	प्राकृतिक कॉर्क से बनी वस्तुएं जैसे कॉर्क और स्टॉपर, शटलकॉक कॉर्क बॉटम
310.	4504	एकत्रित कॉर्क (बंधन पदार्थ के साथ या उसके बिना) और एकत्रित कॉर्क की वस्तुएं
311.	4601, 4602	पुआल, एस्पाटों या अन्य बुनाई सामग्री का निर्माण; टोकरी के बर्तन और विकर का काम
312.	4701	यांत्रिक लकड़ी का गूदा
313.	4703	रासायनिक लकड़ी का गूदा, सोडा या सल्फेट, «घुलनशील ग्रेड के अलावा»
314.	4704	रासायनिक लकड़ी लुगदी, सल्फाइट, «के अलावा» घुलने वाले ग्रेड

315.	4705	यांत्रिक और रासायनिक लुगदी प्रक्रियाओं के संयोजन से प्राप्त लकड़ी का गूदा
316.	4706	पुनर्प्राप्त (अपशिष्ट और स्कैप) कागज या पेपरबोर्ड या अन्य रेशेदार सेल्युलोसिक सामग्री से प्राप्त फाइबर के गूदे
317.	4707	कागज या पेपरबोर्ड का बरामद कचरा या स्कैप
318.	48	माचिस की तीलियों के लिए कागज की पट्टियाँ, मोम लगी हुई हों या नहीं, डामर की छत की चादरें
319.	39, 48	कागज के बोरे/बैग और जैव-अपघटनीय बैग
320.	4801	अखबारी कागज, रोल या शीट में
321.	4817 30	कागज या पेपरबोर्ड से बने बक्से, थैलियाँ, बटुए और लेखन संग्रह, जिनमें विभिन्न प्रकार की कागज की स्टेशनरी होती है
322.	4819 10, 4819 20	कार्टन, बक्से और केस, - (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; या (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड
323.	4823	कागज की लुगदी से बनी ट्रे; पतंगें, कागज की लुगदी से बनी वस्तुएं
324.	4901	ब्रोशर, पत्रक और इसी तरह की मुद्रित सामग्री, चाहे एकल शीट में हो या नहीं
325.	5004 से 5006	रेशमी धागा
326.	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
327.	5104	ऊन या महीन या मोटे जानवरों के बालों का गार्नेटेड स्टॉक, घटिया ऊन
328.	5105	ऊन और महीन या मोटे जानवरों के बाल, कंधे हुए या कंधी किए हुए
329.	5106 से 5110	ऊन या जानवरों के बालों का धागा
330.	5111 से 5113	ऊन या जानवरों के बालों से बुने हुए कपड़े
331.	5201 से 5203	कपास और कपास अपशिष्ट
332.	5204	सूती सिलाई धागा, (चाहे हो या न हो) खुदरा बिक्री के लिए रखा गया
333.	5205 से 5207	सूती धागा [खादी धागे के अलावा]
334.	5208 से 5212	सूती बुने हुए कपड़े
335.	5301	सभी सामान अर्थात् सन, कच्चा या प्रसंस्कृत किन्तु कटाई नहीं; सन टो और अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)

336.	5302	असली भांग (कैनाबिस सैटिवा एल), कच्ची या प्रसंस्कृत, लेकिन काती हुई नहीं; असली भांग का टो और अपशिष्ट (धागे के अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
337.	5303	सभी वस्तुएं अर्थात् कपड़ा बास्ट फाइबर [जूट फाइबर के अलावा, कच्चे या प्रसंस्कृत लेकिन काते हुए नहीं]; इन फाइबर का टो और अपशिष्ट (सूत अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)
338.	5305 से 5308	सभी वस्तुएं [नारियल कॉयर फाइबर के अलावा] जिसमें सन, जूट, अन्य कपड़ा बास्ट फाइबर, अन्य वनस्पति कपड़ा फाइबर का धागा शामिल है; कागज का धागा जिसमें कॉयर पिथ कम्पोस्ट शामिल है, पूर्व-पैक और लेबल लगा हुआ है
339.	5309 से 5311	अन्य वनस्पति वस्त्र रेशों, कागज के धागों से बुने हुए कपड़े
340.	5401	मानव निर्मित तंतुओं का सिलाई धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया है या नहीं
341.	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	सिंथेटिक या कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित सभी सामान
342.	5407, 5408	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री से बुने हुए कपड़े
343.	5501, 5502	सिंथेटिक या कृत्रिम फिलामेंट टो
344.	5503, 5504, 5506, 5507	सिंथेटिक या कृत्रिम स्टेपल फाइबर
345.	5505	मानव निर्मित रेशों का अपशिष्ट
346.	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर से बने सिलाई धागे, खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध, चाहे वह हो या न हो
347.	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का धागा
348.	5512 से 5516	मानव निर्मित स्टेपल रेशों से बुने हुए कपड़े
349.	5601	कपड़ा सामग्री और उससे बनी वस्तुओं की गद्दी; जैसे सिगरेट फिल्टर रॉड को छोड़कर अवशोषक रूई
350.	5602	फेल्ड, चाहे संसेचित, लेपित, ढका हुआ या लेमिनेटेड हो या नहीं
351.	5603	गैर-बुने हुए कपड़े, चाहे वे गर्भवती, लेपित, ढके हुए या लेमिनेटेड हों या नहीं
352.	5604	रबर धागा और डोरी, वस्त्र से आच्छादित; वस्त्र सूत, पट्टी और शीर्ष 5404 या 5405 के समान, रबर या प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या आच्छादित
353.	5605	धातुकृत सूत, चाहे वह जिम्पड हो या न हो, कपड़ा सूत, या पट्टी या शीर्षक 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु

		के साथ संयुक्त या धातु से आच्छादित, जिसमें असली ज़री धागा (सोना) और चांदी का धागा शामिल है, जिसे कपड़ा धागे, नकली ज़री धागे या सूत के साथ संयुक्त किया गया है, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है।
354.	5606	शीर्ष 5404 या 5405 के गिम्पड यार्न, स्ट्रिप और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद, गिम्पड (शीर्ष 5605 और गिम्पड हॉर्सहेयर यार्न के <से भिन्न>); शनील यार्न (फ्लॉक शनील यार्न <सहित>); लूप वेल-यार्न
355.	5607	सुतली, डोरी, रस्सियाँ और केबल, <चाहे गूँथी हुई हों या नहीं> और <चाहे रबर या प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या आच्छादित हों या नहीं> जिसमें जूट की सुतली, नारियल की रस्सी या रस्सियाँ शामिल हैं
356.	5608	सुतली, डोरी या रस्सी से बने गाँठदार जाल; मछली पकड़ने के जाल और कपड़े से बने अन्य जाल
357.	5609	शीर्ष 5404 या 5405 के अंतर्गत आने वाले सूत, पट्टी या इसी प्रकार की वस्तुएं, सुतली, डोरी, रस्सी या केबल, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, नारियल के उत्पाद
358.	5701	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, गाँठदार, <चाहे या नहीं> निर्मित
359.	5702	कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, बुने हुए, गुच्छेदार या गुच्छेदार नहीं, <चाहे बनाए गए हों या नहीं>, <जिनमें> "केलेम", "शूमाक्स", "करमानी" और इसी तरह के हाथ से बुने हुए गलीचे शामिल हैं
360.	5703	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), टफ्टेड, चाहे निर्मित हो या नहीं
361.	5704	कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, फेल्ड से बने, गुच्छेदार या झुंड वाले नहीं, <चाहे बने हों या नहीं>
362.	5705	अन्य कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, चाहे निर्मित हों या नहीं; जैसे मैट और मैटिंग, जिनमें बाथ मैट भी शामिल हैं, जिनमें वजन के हिसाब से कपास की प्रधानता होती है, हथकरघा से बने, हथकरघा से बने सूती गलीचे
363.	5702, 5703, 5705	नारियल की जूट की चटाई, चटाई, फर्श कवरिंग और हथकरघा दरी
364.	5801	सभी सामान
365.	5802	टेरी टॉवलिंग और इसी प्रकार के बुने हुए टेरी कपड़े, शीर्ष 5806 के संकीर्ण कपड़ों के अलावा; गुच्छेदार कपड़ा कपड़े, शीर्ष 5703 के उत्पादों के अलावा
366.	5803	गौज़, शीर्षक 5806 के संकीर्ण कपड़ों के अलावा

367.	5804	ट्यूल और अन्य नेट कपड़े, जिनमें बुने हुए, बुने हुए या क्रोशिए वाले कपड़े शामिल नहीं हैं; टुकड़े में, पट्टियों में या रूपांकनों में लेस, शीर्षक 6002 से 6006 तक के कपड़ों के अलावा
368.	5805	गोबेलिन, फ़्लैंडर्स, ऑब्यूसन, ब्यूवैस और इसी तरह के हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री, और सुई से काम किए गए टेपेस्ट्री (उदाहरण के लिए, पेटिट पॉइंट, क्रॉस स्टिच), (चाहे बने हों या नहीं)
369.	5806	संकीर्ण बुने हुए कपड़े, शीर्ष 5807 के माल के अलावा; संकीर्ण कपड़े जिसमें बिना बाने के ताना होता है और जिसे चिपकने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) के माध्यम से जोड़ा जाता है।
370.	5807	लेबल, बैज और वस्त्र सामग्री के समान वस्तुएं, टुकड़े में, पट्टियों में या आकार या आकृति में काटी हुई, कढ़ाई न की हुई
371.	5808	साड़ी में चोटियाँ; कढ़ाई के बिना सजावटी सजावट, बुने हुए या क्रोशिए से बने हुए के अलावा; लटकन, पोम्पोन और इसी तरह की अन्य वस्तुएँ; साड़ी का गिरना
372.	5809	शीर्ष 5605 के धातु धागे से बुने हुए कपड़े और धातुकृत सूत से बुने हुए कपड़े, जो परिधान, फर्निशिंग कपड़े या इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; जैसे ज़री बॉर्डर
373.	5809, 5810	कढ़ाई या ज़री की वस्तुएं, अर्थात् - इमी, ज़री, कसाब, सलमा, दबका, चुमकी, गोटा, सितारा, नकसी, कोरा, कांच के मोती, बदला, गिज़ई
374.	5810	कढ़ाई, पट्टियों या रूपांकनों में, कढ़ाई वाले बैज, रूपांकन और इसी तरह की अन्य चीजें
375.	5811	टुकड़े में रजाईदार कपड़ा उत्पाद, जो सिलाई या अन्यथा पैडिंग के साथ इकट्ठे किए गए कपड़ा सामग्री की एक या अधिक परतों से बना है, शीर्षक 5810 की कढ़ाई के अलावा
376.	5901	गोंद या एमाइलेसियस पदार्थों से लेपित वस्त्र, जिनका उपयोग पुस्तकों या इसी प्रकार की वस्तुओं के बाहरी आवरणों के लिए किया जाता है; अनुरेखण कपड़ा; तैयार चित्रकारी कैनवास; बकरम और इसी प्रकार के कठोर वस्त्र, जिनका उपयोग टोपी के आधार के लिए किया जाता है।
377.	5902	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड, पॉलिएस्टर या विस्कोस रेयान के उच्च दृढ़ता वाले धागे से बना टायर कॉर्ड कपड़ा
378.	5903	प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या लेमिनेट किए गए वस्त्र कपड़े, शीर्षक 5902 के अंतर्गत आने वाले वस्त्रों को छोड़कर
379.	5904	लिनोलियम, (चाहे या नहीं) आकार में काटा गया; फर्श कवरींग जिसमें कपड़े के आधार पर लगाया गया लेप या आवरण शामिल होता है, (चाहे

		या नहीं) आकार में काटा गया
380.	5905	कपड़ा दीवार कवरिंग
381.	5906	रबरयुक्त वस्त्र वस्त्र, शीर्षक 5902 के अंतर्गत आने वाले वस्त्रों को छोड़कर
382.	5907	वस्त्र वस्त्र जो अन्यथा संसेचित, लेपित या ढके हुए हों; चित्रित कैनवास जो नाट्य दृश्य हों, स्टूडियो बैक-क्लॉथ या इसी प्रकार के अन्य वस्त्र
383.	5908	लैंप, स्टोव, लाइट, मोमबत्तियाँ या इसी तरह के अन्य सामान के लिए बुनी हुई, गुंथी हुई या बुनी हुई कपड़ा बत्तियाँ; तापदीप्त गैस मेंटल और उसके लिए ट्यूबलर बुना हुआ गैस मेंटल कपड़ा, चाहे संसेचित हो या नहीं
384.	5909	कपड़ा नली पाइपिंग और इसी तरह की कपड़ा ट्यूबिंग, अस्तर, कवच या अन्य सामग्रियों के सहायक उपकरण के साथ या बिना
385.	5910	कपड़ा सामग्री से बने ट्रांसमिशन या कन्वेयर बेल्ट या बेल्टिंग, चाहे प्लास्टिक से संसेचित, लेपित, आच्छादित या लैमिनेटेड हो या धातु या अन्य सामग्री से प्रबलित हो
386.	5911	तकनीकी उपयोगों के लिए वस्त्र उत्पाद और वस्तुएं, जो इस अध्याय के (नोट) 7 में निर्दिष्ट हैं; जैसे वस्त्र कपड़े, फेल्ड और फेल्ड-लाइन वाले बुने हुए कपड़े, रबर, चमड़े या अन्य सामग्री से लेपित, ढके या लेमिनेट किए हुए, कार्ड क्लॉथिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के, और इसी प्रकार के अन्य तकनीकी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े, जिसमें बुनाई तकुओं (बुनाई बीम) को ढंकने के लिए रबर में संसेचित मखमल से बने संकीर्ण कपड़े शामिल हैं; बोल्टिंग कपड़ा, (चाहे बना हो या नहीं); सूती वस्त्र उद्योगों के लिए फेल्ड, बुना हुआ; बुने हुए वस्त्र फेल्ड, (चाहे संसेचित या लेपित हों या नहीं, एक प्रकार के जो सामान्यतः अन्य मशीनों में उपयोग किए जाते हैं; सूती कपड़े और मशीनरी और संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले सामान; जूट कपड़े और मशीनरी या संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले सामान; धातुकृत धागे के वस्त्र कपड़े एक प्रकार के जो सामान्यतः कागज बनाने या अन्य मशीनरी में उपयोग किए जाते हैं; तेल प्रेस या इसी तरह के अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का छनाई कपड़ा, जिसमें मानव बाल भी शामिल हैं; कागज बनाने वाले का बुना हुआ कपड़ा; गास्केट, वॉशर, पॉलिथिंग डिस्क और कपड़ा वस्तुओं के अन्य मशीनरी भाग
387.	60	बुने हुए या क्रोशिए किए हुए कपड़े [सभी सामान]
388.	61	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, बुने हुए या क्रोशिए से बने, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
389.	62	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हों,

		जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
390.	63 [6305 32 00, 6305 33 00, 6309 के अलावा]	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं, सेट, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक न हो
391.	6309 या 6310	फटे हुए कपड़े और अन्य फटी हुई वस्तुएं; चिथड़े
392.	64	2500 रुपये प्रति जोड़ी से कम मूल्य के जूते
393.	6501	कपड़ा टोपियां
394.	6505	टोपियाँ (बुनी हुई/क्रोशित) या फीते या अन्य वस्त्रों से बनी हुई
395.	6601	छाते और धूप छाते (जिसमें बॉकिंग-स्टिक छाते, गार्डन छाते और इसी तरह के छाते शामिल हैं)
396.	6602	चाबुक, राइडिंग-क्रॉप और इसी तरह की चीजें
397.	6602 00 00	चलने की छड़ें (सहित) सीट स्टिक
398.	6603	शीर्ष 6601 या 6602 की वस्तुओं के पुर्जे, सजावट और सहायक उपकरण
399.	6701	पक्षियों की खालें और अन्य भाग, उनके पंख या नीचे, पंख, पंखों के भाग, नीचे और उनकी वस्तुएं (शीर्ष 0505 के सामान और तैयार क्लिप और स्केप्स के अलावा)
400.	68	रेत-चूने की ईंटें या पत्थर जड़ाई का काम
401.	6802	मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, कुरसी; ऊँची या नीची उभरी हुई आकृतियाँ, क्रॉस, पशुओं की आकृतियाँ, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बॉक्स, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते, आदि; अन्य सजावटी सामान जो मूलतः पत्थर के बने हों
402.	6909	चीनी मिट्टी के बर्तन, जार और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जो चीनी मिट्टी के सामान के परिवहन और पैकिंग के लिए उपयोग की जाती हैं
403.	6911	चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान
404.	6912	टेबलवेयर, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान और शौचालय के सामान, चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तनों के अलावा
405.	6913	मूर्तियाँ और अन्य सजावटी वस्तुएँ
406.	7001	कलेट या अन्य अपशिष्ट या कांच का टुकड़ा
407.	7015 10	सुधारात्मक चश्मे और चकमक बटन के लिए चश्मा

408.	7018	कांच के मोती
409.	7020	लैंप और लालटेन के लिए ग्लोब, केरोसिन विक लैंप के लिए फव्वारे, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी
410.	7310 या 7326	गणितीय बक्से, ज्यामिति बक्से और रंग बक्से
411.	7310, 7323, 7612, या 7615	लोहे, स्टील या एल्युमीनियम से बने दूध के डिब्बे
412.	7317	जानवरों के जूतों के नाखून
413.	7319	सिलाई की सूइयाँ
414.	7321	केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव और लोहे या स्टील के लकड़ी जलाने वाले स्टोव
415.	7321 या 8516	सौर कुकर
416.	7323	लोहे और स्टील से बनी मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
417.	7418	तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
418.	7419 80 30	पीतल केरोसिन प्रेशर स्टोव
419.	7615	एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तन
420.	8306	आधार धातु से बनी घंटियाँ, घड़ियाल और इसी तरह की गैर-विद्युतीय वस्तुएँ; आधार धातु से बनी मूर्तियाँ और अन्य आभूषण; आधार धातु से बनी तस्वीर, फोटो या इसी तरह के फ्रेम; आधार धातु से बने दर्पण; धातु से बने बर्तन
421.	8401	परमाणु रिएक्टरों के लिए गैर-विकिरणित ईंधन तत्व (कारतूस)
422.	8407 10 00, 8411	विमान के इंजन
423.	8408	15 एचपी से अधिक शक्ति वाले निश्चित गति डीजल इंजन
424.	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाला कृषि डीजल इंजन
425.	8413, 8413 91	हैंडपंप और उसके पुर्जे
426.	8413 81 90	ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप
427.	8414 20 20	अन्य हैंडपंप
428.	8419 12	सौर जल हीटर और प्रणाली
429.	8420	हाथ से संचालित रबर रोलर

430.	8424	ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए नोजल या स्प्रींकलर के लिए नोजल
431.	8424	स्प्रींकलर; ड्रिप सिंचाई प्रणाली जिसमें लेटरल शामिल हैं; यांत्रिक स्प्रेयर
432.	8432	मिट्टी की तैयारी या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी; लॉन या खेल-मैदान रोलर्स; पाटर्स [8432 90]
433.	8433	कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास काटने की मशीन, उसके भाग शामिल हैं
434.	8436	अन्य कृषि, बागवानी, वानिकी, मुर्गीपालन या मधुमक्खीपालन मशीनरी, जिसमें यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित अंकुरण संयंत्र, मुर्गीपालन इनक्यूबेटर और ब्रूडर, उसके भाग शामिल हैं।
435.	8452	सिलाई मशीनें, «पुस्तक के अलावा» - शीर्ष 8440 की सिलाई मशीन; सिलाई मशीनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फर्नीचर, आधार और कवर; सिलाई मशीनें, सुइयां और सिलाई मशीनों के पुर्जे
436.	8479	खाद बनाने वाली मशीनें
437.	84, 85 या 94	निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और उनके निर्माण हेतु पुर्जे:- (क) बायोगैस संयंत्र; (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण; (ग) सौर ऊर्जा जनरेटर; (घ) पवन चक्कियाँ, पवन चालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी); (ङ) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र/उपकरण; (च) सौर लालटेन/सौर लैंप; (छ) समुद्री तरंग/ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपकरण/संयंत्र; (ज) फोटो वोल्टेइक सेल, मॉड्यूल में संयोजित या पैनल में निर्मित «चाहे हों या नहीं»। स्पष्टीकरण:- यदि इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्तियों के साथ की जाती है, जिनमें से एक अधिसूचना संख्या 11/2017- संघराज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [सा. का. नि. 702(अ)] में उल्लिखित तालिका की क्रम संख्या 38 पर निर्दिष्ट एक कर योग्य सेवा है, तो इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी सभी आपूर्तियों के लिए लिए गए सकल प्रतिफल का सत्तर प्रतिशत (70%) माना जाएगा, और लिए गए सकल प्रतिफल का शेष तीस प्रतिशत (30%) उक्त कर योग्य सेवा का मूल्य माना जाएगा।
438.	8504	विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन
439.	8525 60	रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों आदि द्वारा उपयोग किया जाने वाला

		दो-तरफ़ा रेडियो (वॉकी-टॉकी)।
440.	87	ईंधन सेल मोटर वाहन, जिसमें ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन वाहन भी शामिल हैं
441.	87	विद्युत चालित वाहन, जिनमें दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। <i>स्पष्टीकरण:</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन हैं जो पूरी तरह से बाहरी स्रोत से प्राप्त विद्युत ऊर्जा या ऐसे सड़क वाहनों में लगे एक या एक से अधिक विद्युत बैटरियों से चलते हैं और इसमें ई-साइकिल भी शामिल हैं।
442.	8701	ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर)
443.	8708	ट्रैक्टर के निम्नलिखित भागः (क) ट्रैक्टर का पिछला पहिया रिम, (ख) ट्रैक्टर का केंद्र आवास, (ग) ट्रैक्टर आवास ट्रांसमिशन, (घ) ट्रैक्टर सपोर्ट फ्रंट एक्सल
444.	8708 10 10	ट्रैक्टरों के लिए बंपर और उनके पुर्जे
445.	8708 30 00	ट्रैक्टरों के लिए ब्रेक असेंबली और उसके पुर्जे
446.	8708 40 00	ट्रैक्टरों के लिए गियर बॉक्स और उसके पुर्जे
447.	8708 50 00	ट्रैक्टरों के लिए ट्रांसएक्सल और उसके पुर्जे
448.	8708 70 00	ट्रैक्टरों के लिए सड़क के पहिये और उनके पुर्जे और सहायक उपकरण
449.	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर और उसके भागों के लिए रेडिएटर असेंबली (ii) ट्रैक्टर इंजन और उसके भागों के लिए शीतलन प्रणाली
450.	8708 92 00	ट्रैक्टर और उसके पुर्जों के लिए साइलेंसर असेंबली
451.	8708 93 00	ट्रैक्टरों के लिए क्लच असेंबली और उसके पुर्जे
452.	8708 94 00	ट्रैक्टर के लिए स्टीयरिंग व्हील और उसके पुर्जे
453.	8708 99 00	ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक और उसके पुर्जे
454.	8708 99 00	ट्रैक्टरों के लिए फेंडर, हुड, रैपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और उसके पुर्जे।
455.	8710	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, मोटर चालित, हथियारों से सुसज्जित, और ऐसे वाहनों के पुर्जे

456.	8712	साइकिलें और अन्य साइकिलें (डिलीवरी ट्राइसाइकिल सहित), मोटर चालित नहीं
457.	8713	विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ियाँ, चाहे मोटर चालित हों या नहीं या अन्यथा यंत्र चालित हों
458.	8714	साइकिलों और अन्य साइकिलों (डिलीवरी ट्राइसाइकिलों सहित) के पुर्जे और सहायक उपकरण, जो मोटर चालित नहीं हैं, शीर्षक 8712 के अंतर्गत आते हैं
459.	8714 20	विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ी के पुर्जे और सहायक उपकरण
460.	8716 20 00	कृषि प्रयोजनों के लिए स्व-लोडिंग या स्व-अनलोडिंग ट्रैलर
461.	8716 80	हाथ से चलने वाले वाहन (जैसे हाथ गाड़ियाँ, रिक्शा और इसी तरह के वाहन); पशु चालित वाहन
462.	88 या कोई अन्य अध्याय	प्रक्षेपण यान, उपग्रह और पेलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, तंत्र, उपकरण, सहायक उपकरण, पुर्जे, घटक, स्पेयर, उपकरण, मॉक अप और मॉड्यूल, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं
463.	8802	अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज), निजी उपयोग के लिए (के अलावा)
464.	8806	मानवरहित विमान
465.	8807	शीर्षक 8802 या 8806 के माल के भाग
466.	8901	व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए क्रूज जहाज, भ्रमण नौकाएं, फेरी-बोट, मालवाहक जहाज, बजरे और इसी तरह के जहाज
467.	8902	मछली पकड़ने वाले जहाज; कारखाने के जहाज और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण या संरक्षण के लिए अन्य जहाज
468.	8904	टग और पुशर शिप
469.	8905	हल्के जहाज, अग्नि-तैरने वाले जहाज, ड्रेजर, तैरते हुए क्रेन और अन्य जहाज जिनकी नौगम्यता उनके मुख्य कार्य के अतिरिक्त है; तैरते हुए डॉक; तैरते हुए या निमज्जनीय ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफार्म
470.	8906	अन्य जहाज, जिनमें युद्धपोत और जीवनरक्षक नौकाएं शामिल हैं, नौकायन नौकाओं के अलावा
471.	8907	अन्य तैरती संरचनाएं (उदाहरण के लिए, राफ्ट, टैंक, कॉफ़र-डैम, लैंडिंग-स्टेज, बॉय और बीकन)
472.	कोई भी अध्याय	शीर्षक 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907 के माल के पुर्जे

473.	90	हृदय कैथेटर के साथ उपयोग के लिए कोरोनरी स्टेंट और कोरोनरी स्टेंट सिस्टम
474.	90 या कोई अन्य अध्याय	कृत्रिम किडनी
475.	90 या कोई अन्य अध्याय	रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर) और परीक्षण स्ट्रिप्स
476.	90 या कोई अन्य अध्याय	पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस / एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑक्लूजन डिवाइस
477.	90 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित वस्तुओं के भाग, अर्थात्: - (i) बैसाखी; (ii) व्हीलचेयर; (iii) चलने के फ्रेम; (iv) ट्राइसाइकिल; (v) ब्रेलर; और (vi) कृत्रिम अंग
478.	90 या कोई अन्य अध्याय	इस अनुसूची से संलग्न सूची 1 में निर्दिष्ट सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता और विकलांगों के लिए अन्य सामान
479.	90 या 84	डिस्पोजेबल स्टरलाइज्ड डायलाइजर या कृत्रिम किडनी का माइक्रो बैरियर
480.	9001	कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मे के लेंस
481.	9003	चश्मे, गॉगल्स या इसी तरह की चीजों के लिए फ्रेम और माउंटिंग, और उनके हिस्से
482.	9004	चश्मे, सुधारात्मक (दृष्टि सुधारने के लिए चश्मे सहित)
483.	9018	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उपकरण, जिनमें वैज्ञानिक उपकरण, अन्य विद्युत-चिकित्सा उपकरण और दृष्टि-परीक्षण उपकरण शामिल हैं
484.	9019	यांत्रिक चिकित्सा उपकरण; मालिश उपकरण; मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षण उपकरण; ओजोन चिकित्सा, ऑक्सीजन चिकित्सा, एरोसोल चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन या अन्य चिकित्सीय श्वसन उपकरण
485.	9020	अन्य श्वास उपकरण और गैस मास्क, सुरक्षात्मक मास्क को छोड़कर जिनमें न तो यांत्रिक भाग हों और न ही बदले जा सकने वाले फिल्टर हों
486.	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ड और ट्रस; स्प्लिंट और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो पहने जाते हैं या ले जाए जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं, किसी दोष या विकलांगता की भरपाई के लिए; इंट्राओकुलर लेंस [श्रवण सहायक उपकरण के अलावा]
487.	9022	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोगों के लिए एक्स-रे या अल्फा, बीटा या गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण, जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण

		पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार टेबल, कुर्सियां और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं।
488.	9025	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए थर्मामीटर
489.	9027	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए उपकरण और तंत्र, भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए
490.	9403	पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर
491.	9404	नारियल के रेशे से बने उत्पाद (नारियल के गद्दों को छोड़कर)
492.	9404	पूर्णतः रजाईदार वस्त्र सामग्री से बने उत्पाद, जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति नग से अधिक नहीं होगी।
493.	9404	2500 रुपये प्रति नग से अधिक मूल्य की सूती रजाइयां
494.	9401 10 00	विमान की सीटें
495.	9405	हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप / प्रेशर लालटेन, पेट्रोलैक्स, ग्लास चिमनी और उसके हिस्से
496.	9503	प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बने खिलौने गुब्बारे
497.	9503	खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि (उनके पुर्जे और सहायक उपकरण सहित) [इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा]
498.	9504	ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम, जैसे लूडो, आदि (वीडियो गेम कंसोल और मशीनों के अलावा)
499.	9506	सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए खेल सामग्री और उपकरणों के अलावा
500.	9507	मछली पकड़ने के कांटे
501.	9507	मछली पकड़ने की छड़े, और अन्य मछली पकड़ने की लाइन; मछली पकड़ने के जाल, तितली जाल और इसी तरह के जाल; फँसाने वाले पक्षी (शीर्षक 9208 या 9705 के अलावा) और इसी तरह के शिकार या शूटिंग की आवश्यकताएं
502.	9601	हाथी दांत, हड्डी, कछुए के खोल, सींग, सींग, मूंगा, मोती और अन्य पशु नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं, मूंगा से बनी वस्तुएं (ढलाई द्वारा प्राप्त वस्तुएं सहित)
503.	9603 [9603 10 00 के अलावा]	झाड़ू (झाड़ू के अलावा जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्री से बनी होती हैं, हैंडल के साथ या बिना हैंडल के)
504.	9603 21 00	दूधब्रश (सहित) डेंटल-प्लेट ब्रश

505.	9607	स्लाइड फास्टरों और उसके भागों
506.	9615	कंधे, हेयर-स्लाइड और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; हेयरपिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप, हेयर-कर्लर और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, शीर्ष 8516 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर, और उनके भाग
507.	9619 00 30, 9619 00 40, या 9619 00 90	सभी सामान
508.	9701	शीर्ष 4906 के चित्रों को छोड़कर तथा हाथ से चित्रित या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं को छोड़कर, पूर्णतः हाथ से बनाई गई पेंटिंग, रेखाचित्र और पेस्टल; कोलाज, मोज़ाइक और इसी प्रकार की सजावटी पट्टिकाएँ
509.	9702	मूल उत्कीर्णन, प्रिंट और लिथोग्राफ
510.	9703	किसी भी सामग्री में मूल मूर्तियाँ और प्रतिमा
511.	9704	डाक या राजस्व टिकट, स्टाम्प-पोस्टमार्क, प्रथम दिवस कवर, डाक स्टेशनरी (स्टाम्प पेपर), और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, प्रयुक्त या अप्रयुक्त, शीर्ष 4907 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर
512.	9705	प्राणिविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खनिज विज्ञान, शारीरिक रचना, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, जीवाश्म विज्ञान, नृवंशविज्ञान या मुद्राशास्त्रीय रुचि के संग्रह और संग्राहकों के टुकड़े, जिनमें मुद्राशास्त्रीय सिक्के भी शामिल हैं
513.	9706	एक सौ वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएँ
514.	9804	सभी औषधियाँ या औषधियाँ (सहित) उनके लवण और एस्टर और नैदानिक परीक्षण किट और फॉर्मूलेशन जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं [उनके अलावा] जो अधिसूचना संख्या 10/2025- संघराज्य कर (दर) दिनांक 17 सितंबर, 2025 क्रम संख्या 113 में शून्य पर निर्दिष्ट हैं]
515.	कोई भी अध्याय	माला, प्रार्थना की माला या हवन सामग्री
516.	कोई भी अध्याय	बायोमास ब्रिकेट या ठोस जैव ईंधन छर्रे

सूची 1 [अनुसूची I की क्रम संख्या 478 देखें]

- (क) (1) ब्रेल लेखक और ब्रेल लेखन उपकरण
 (2) हस्तलेखन उपकरण ब्रेल फ्रेम, स्लेट, लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्क्रिप्ट लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्टाइलस, ब्रेल इरेज़र
 (3) छड़ियाँ, सोनिक गाइड जैसी इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री
 (4) ऑप्टिकल, पर्यावरणीय सेंसर

- (5) टेलर फ्रेम (अंकगणित और बीजगणित प्रकार), क्यूबरिथम, स्पीकिंग या ब्रेल कैलकुलेटर जैसे अंकगणितीय सहायक उपकरण
- (6) संयुक्त ग्राफ और गणितीय प्रदर्शन बोर्ड, ब्रेल प्रोटैक्टर, तराजू, कंपास और स्पायर व्हील जैसे ज्यामितीय सहायक उपकरण
- (7) इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण, जैसे कैलिपर, माइक्रोमीटर, तुलनित्र, गेज, गेज ब्लॉक, लेवल, रूलर, रूलर और यार्डस्टिक
- (8) ड्राफ्टिंग, ड्राइंग सहायक सामग्री, स्पर्शनीय प्रदर्शन
- (9) विशेष रूप से अनुकूलित घड़ियाँ और घड़ियाँ
- (ख) (1) प्रथम अनुसूची के शीर्षक संख्या 87.13 के अंतर्गत आने वाली व्हीलचेयर
(2) विकलांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट
- (ग) कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र और उसके पुर्जे
- (घ) कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक कान (कोक्लियर इम्प्लांट)
- (ङ) (1) बोलने वाली पुस्तकें (कैसेट, डिस्क या अन्य ध्वनि प्रतिकृतियों के रूप में) और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, ब्रेल एम्बॉसर, बोलने वाले कैलकुलेटर, बोलने वाले थर्मामीटर
(2) ब्रेल और रिकॉर्ड की गई सामग्री के यांत्रिक या कम्प्यूटरीकृत उत्पादन के लिए उपकरण जैसे ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनल और डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल, ट्रांसफर और प्रेसिंग मशीन और स्टीरियो टाइपिंग मशीन
(3) ब्रेल पेपर
(4) सभी मूर्त उपकरण जिसमें शामिल वस्तुएं, यंत्र, उपकरण, विशेष रूप से दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए
(5) दृष्टिहीनों की गतिशीलता में सुधार के लिए सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास और बाधा पहचान उपकरण और सफेद छड़ियाँ
(6) दृष्टिहीनों की शिक्षा, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तकनीकी सहायताएँ जैसे ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियाँ, शिक्षण और सीखने के सहायक उपकरण, खेल और अन्य उपकरण तथा दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित व्यावसायिक सहायताएँ
(7) सहायक श्रवण उपकरण, ऑडियोमीटर
(8) बाहरी कैथेटर, बिस्तर के घावों को रोकने के लिए विशेष जेली कुशन, सीढ़ी लिफ्ट, मूत्र संग्रह बैग
(9) गंभीर रूप से शारीरिक रूप से विकलांग रोगियों के लिए उपकरण और प्रत्यारोपण और जोड़ों के प्रतिस्थापन और रीढ़ की हड्डी के उपकरण और प्रत्यारोपण जिसमें शामिल हड्डी सीमेंट।

अनुसूची II – 9 %

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	1702	कृत्रिम शहद, चाहे प्राकृतिक शहद के साथ मिलाया गया हो या नहीं
2	2207	किसी भी क्षमता के विकृत एथिल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट [मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किए गए एथिल अल्कोहल के अलावा]

3	22071012	औद्योगिक उपयोग के लिए स्परिट
4	2209	एसिटिक एसिड से प्राप्त सिरका और सिरका के विकल्प
5	24041200	निकोटीन युक्त उत्पाद जो बिना दहन के साँस लेने के लिए हैं
6	24049100, 24049200, 24049900	मौखिक उपयोग या त्वचा के पार उपयोग के लिए या मौखिक या त्वचा के पार उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए उत्पाद, जिनमें निकोटीन होता है और जिनका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को बंद करने में सहायता करना है
7	2515 12 20, 2515 12 90	संगमरमर और ट्रैवर्टीन, ब्लॉकों के अलावा
8	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक के अलावा
9	2523	पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और इसी तरह के हाइड्रोलिक सीमेंट, चाहे रंगीन हों या क्लिंकर के रूप में हों
10	2601	लौह अयस्क और सांद्र, जिसमें भुना हुआ लौह पाइराइट भी शामिल है
11	2602	मैंगनीज अयस्क और सांद्र, जिसमें लौहयुक्त मैंगनीज अयस्क और सांद्र शामिल हैं, जिनमें 20% या उससे अधिक मैंगनीज सामग्री होती है, जिसकी गणना शुष्क भार पर की जाती है।
12	2603	तांबे के अयस्क और सांद्र
13	2604	निकल अयस्क और सांद्र
14	2605	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र
15	2606	एल्यूमीनियम अयस्क और सांद्र
16	2607	सीसा अयस्क और सांद्र
17	2608	जिंक अयस्क और सांद्र
18	2609	टिन अयस्क और सांद्र
19	2610	क्रोमियम अयस्क और सांद्र
20	2619	स्लैग, कचरा (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और लोहे या इस्पात के निर्माण से उत्पन्न अन्य अपशिष्ट, लिंज़-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग के अलावा
21	2620	धातु, आर्सेनिक या उनके यौगिकों से युक्त स्लैग, राख और अवशेष (लोहे या इस्पात के निर्माण से प्राप्त अवशेषों को छोड़कर)

22	2621	अन्य लावा और राख, जिसमें समुद्री शैवाल राख (केल्प) शामिल है; नगरपालिका अपशिष्ट के दहन से राख और अवशेष [फ्लाई ऐश के अलावा]
23	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट, अंडाकार और इसी प्रकार के ठोस ईंधन
24	2702	लिग्नाइट, (चाहे या नहीं) समूहित, (जेट को छोड़कर)
25	2703	पीट (पीट कूड़े सहित), चाहे एकत्रित हो या नहीं
26	2706	कोयले, लिग्नाइट या पीट और अन्य खनिज तार से आसुत तार, चाहे निर्जलित हो या आंशिक रूप से आसुत, पुनर्गठित तार सहित
27	2707	उच्च तापमान कोल तार के आसवन से प्राप्त तेल और अन्य उत्पाद; समान उत्पाद जिनमें सुगंधित घटकों का भार गैर-सुगंधित घटकों से अधिक होता है, जैसे बेंजोल (बेंजीन), टोल्युओल (टोल्यूईन), ज़ाइलोल (ज़ाइलीन), नेफ़थलीन
28	2708	पिच और पिच कोक, कोयला तार या अन्य खनिज तार से प्राप्त
29	2710	पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल, कच्चे पेट्रोलियम के अलावा; अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं की गई तैयारियां, जिनमें भार के अनुसार 70% या अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल हैं, ये तेल तैयारियों के मूल घटक हैं; अपशिष्ट तेल; एवगैस (केरोसिन पीडीएस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के अलावा जो जीएसटी में नहीं हैं)
30	2711	पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और ब्यूटाडाइन [द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) के अलावा, जो घरेलू उपभोक्ताओं को या गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) के ग्राहकों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति के लिए हैं]
31	2712	पेट्रोलियम जेली; पैराफिन मोम, माइक्रो-क्रिस्टलीय पेट्रोलियम मोम, स्लैक मोम, ओजोकेराइट, लिग्नाइट मोम, पीट मोम, अन्य खनिज मोम, और संश्लेषण या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त इसी तरह के उत्पाद, रंगीन हों या नहीं
32	2713	पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम बिटुमेन और पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के अन्य अवशेष

33	2714	बिटुमेन और डामर, प्राकृतिक; बिटुमिनस या तेल शेल और टार रेत; डामर और डामर चट्टानें
34	2715	प्राकृतिक डामर, प्राकृतिक बिटुमेन, पेट्रोलियम बिटुमेन, खनिज टार या खनिज टार पिच (उदाहरण के लिए, बिटुमेन मैस्टिक्स, कट-बैक) पर आधारित बिटुमेन मिश्रण
35	28	सभी अकार्बनिक रसायन [दिनांक 17 सितम्बर 2025 की अधिसूचना संख्या 10/2025- केन्द्रीय कर (दर) या इस अधिसूचना की अन्य अनुसूचियों में निर्दिष्ट रसायनों के अलावा]
36	29	जिबरेलिक एसिड के अलावा सभी कार्बनिक रसायन
37	2906 11 90	प्राकृतिक मेन्थॉल के अलावा अन्य सामान
38	29061190, 30, 3301	प्राकृतिक मेन्थॉल के अलावा अन्य से निर्मित निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात्:- क. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, ख. पेपरमिंट (मेन्था तेल) ग. फ्रैक्शनेटेड/डी-टेरपेनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ) घ. डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ) ङ. स्पीयरमिंट तेल च. मेन्था पिपेरिटा तेल
39	3102	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनयुक्त, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
40	3103	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फॉस्फेटिक, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
41	3104	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटैश उर्वरक, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
42	3105	खनिज या रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या तीन उर्वरक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के सामान गोलियों या समान रूपों में या 10 किलोग्राम से अधिक सकल वजन के पैकेज में, जिन्हें स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है।
43	3201	वनस्पति मूल के टैनिंग अर्क; टैनिन और उनके लवण, ईथर, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न (वैटल अर्क, क्यूब्राचो अर्क, चेस्टनट अर्क के अलावा)
44	3202	सिंथेटिक कार्बनिक टैनिंग पदार्थ; अकार्बनिक टैनिंग पदार्थ; टैनिंग तैयारियाँ, चाहे उनमें प्राकृतिक टैनिंग पदार्थ हों या नहीं (टैनिंग-पूर्व के लिए एंजाइमेटिक तैयारियों के अलावा)

45	3203	वनस्पति या पशु मूल के रंग पदार्थ (रंगाई अर्क सहित, लेकिन पशु काला को छोड़कर), रासायनिक रूप से परिभाषित है या नहीं; वनस्पति या पशु मूल के रंग पदार्थ के आधार पर इस अध्याय के नोट 3 में निर्दिष्ट तैयारियां
46	3204	सिंथेटिक कार्बनिक रंग पदार्थ, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं; सिंथेटिक कार्बनिक रंग पदार्थ पर आधारित इस अध्याय के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट तैयारियां; फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट या ल्यूमिनोफोर के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के सिंथेटिक कार्बनिक उत्पाद, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं
47	3205	रंगीन झीलें; रंगीन झीलों के आधार पर इस अध्याय के (नोट) 3 में निर्दिष्ट तैयारियां
48	3206	अन्य रंग पदार्थ; इस अध्याय के (टिप्पणी) 3 में निर्दिष्ट तैयारियां, शीर्षक 32.03, 32.04 या 32.05 के (से भिन्न); एक प्रकार के अकार्बनिक उत्पाद जो ल्यूमिनोफोर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं
49	3207	तैयार वर्णक, तैयार अपारदर्शी और तैयार रंग, विट्रिफायबल एनामेल और ग्लेज़, एंगोब (स्लिप), द्रव चमक और इसी प्रकार की तैयारियां जो सिरेमिक, एनामेलिंग या कांच उद्योग में उपयोग की जाती हैं; कांच फ्रिट और अन्य कांच, पाउडर, कणिकाओं या गुच्छों के रूप में
50	3208	सिंथेटिक पॉलिमर या रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर पर आधारित पेंट और वार्निश (इनामेल और लैकर सहित), जो गैर-जलीय माध्यम में फैले या घुले हुए हैं; इस अध्याय के अनुच्छेद 4 में परिभाषित समाधान
51	3209	सिंथेटिक पॉलिमर या रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर पर आधारित पेंट और वार्निश (इनामेल और लैकर सहित), जलीय माध्यम में फैले या घुले हुए
52	3210	अन्य पेंट और वार्निश (इनामेल, लैकर और डिस्टेंपर सहित); चमड़े को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के तैयार जल वर्णक
53	3211 00 00	तैयार ड्रायर
54	3212	गैर-जलीय माध्यम में फैले हुए द्रव या पेस्ट के रूप में रंजक (धात्विक पाउडर और गुच्छे सहित), एक प्रकार के जो पेंट (एनामेल सहित) के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं; मुद्रांकन पत्नी; रंग और अन्य रंग पदार्थ जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए फॉर्म या पैकिंग में रखा जाता है।
55	3213	कलाकारों, छात्रों या साइनबोर्ड चित्रकारों के रंग, संशोधित रंग, मनोरंजन रंग और इसी तरह की चीजें, टैबलेट, ट्यूब, जार, बोतल,

		पैन या इसी तरह के रूपों या पैकिंग में
56	3214	ग्लेज़ियर्स पुट्टी, ग्राफ्टिंग पुट्टी, रेजिन सीमेंट, कोल्किंग कम्पाउंड और अन्य मैस्टिक्स; पेंटर्स फिलिंग्स; अग्रभाग, आंतरिक दीवारों, फर्शों, छतों या इसी तरह के अन्य भागों के लिए गैर-दुर्दम्य सतह तैयारियां
57	3215	सभी सामान, जिसमें मुद्रण स्याही, लेखन या चित्रकारी स्याही और अन्य स्याही शामिल हैं, चाहे वे सांद्रित हों या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही
58	3301	आवश्यक तेल (टेरपीन रहित या नहीं), जिसमें कंक्रीट और एक्सोल्यूट शामिल हैं; रेसिनोइड्स; निकाले गए ओलियोरेसिन; वसा, स्थिर तेलों, मोम या इसी तरह के आवश्यक तेलों के सांद्र, जो एनफ्लूरेज या मैक्रेशन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं; आवश्यक तेलों के डिस्टिलेशन के टेरपीनिक उप-उत्पाद; आवश्यक तेलों के जलीय आसवन और जलीय घोल जैसे कि खट्टे फलों के आवश्यक तेल, खट्टे फलों के आवश्यक तेलों के अलावा अन्य आवश्यक तेल जैसे कि नीलगिरी का तेल, आदि, सभी प्रकार के स्वाद सार (शराब के लिए शामिल), स्थिर तेल आधारों में सभी प्रकार के अत्तर
59	3302	गंधयुक्त पदार्थों के मिश्रण और इनमें से एक या अधिक पदार्थों के आधार पर मिश्रण (अल्कोहलिक घोल सहित), जिनका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है; गंधयुक्त पदार्थों पर आधारित अन्य तैयारियां, जिनका उपयोग पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे सिंथेटिक परफ्यूमरी यौगिक [प्राकृतिक मेन्थॉल और प्राकृतिक मेन्थॉल से बने सामान, जैसे मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, पेपरमिंट (मेन्था ऑयल), फ्रैक्शनेटेड/डी-टरपेनेटेड मेन्था ऑयल (डीटीएमओ), डी-मेन्थोलाइज्ड ऑयल (डीएमओ), स्पीयरमिंट ऑयल, मेन्था पिपेरिटा ऑयल]
60	3303	इत्र और शौचालय का पानी
61	3304	सौंदर्य या मेकअप की तैयारी और त्वचा की देखभाल के लिए तैयारी (औषधियों के अलावा) जिसमें सनस्क्रीन या सन टैन की तैयारी शामिल है; मैनीक्योर या पेडीक्योर की तैयारी [काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता, टैल्कम पाउडर और फेस पाउडर के अलावा]
62	3305	बालों पर उपयोग के लिए तैयारियाँ [रूकोन में मेहंदी पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू के अलावा]
63	3306	मौखिक या दंत स्वच्छता के लिए तैयारियां, जिसमें व्यक्तिगत खुदरा पैकेज में डेन्चर फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर शामिल हैं [दांतों के बीच सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट और धागे के अलावा (डेंटल फ्लॉस)]

64	3307	ग्री-शेव, शेविंग या आफ्टर-शेव तैयारियां, व्यक्तिगत डिओडोरेंट, स्नान तैयारियां, डेपिलेटरी और अन्य सुगंधित पदार्थ, कॉस्मेटिक या शौचालय तैयारियां, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; तैयार रूम डिओडोराइज़र, चाहे सुगंधित हों या नहीं या जिनमें कीटाणुनाशक गुण हों [शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन और आफ्टरशेव लोशन के अलावा]
65	3307 41 00	गंधयुक्त तैयारी जो जलाने से संचालित होती है [अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, संभरानी के अलावा]
66	3401	साबुन; साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियां, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में, साबुन युक्त हो या न हो [टॉयलेट साबुन के अलावा, बार, केक, ढले हुए टुकड़ों या आकृतियों के रूप में]; त्वचा धोने के लिए कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियां, तरल या क्रीम के रूप में और खुदरा बिक्री के लिए रखी गई, साबुन युक्त हो या न हो; कागज, वैडिंग, फेल्ड और नॉनवोवन, साबुन या डिटर्जेंट से संसेचित, लेपित या ढके हुए
67	3402	कार्बनिक सतह-सक्रिय कारक (साबुन के अलावा); सतह-सक्रिय तैयारियां, धुलाई तैयारियां (सहायक धुलाई तैयारियों सहित) और सफाई तैयारियां, चाहे साबुन युक्त हों या नहीं, शीर्षक 3401 के अलावा [सल्फोनेटेड अरंडी का तेल, मछली का तेल या शुक्राणु तेल के अलावा]
68	3403	स्नेहक तैयारियां (जिसमें कटिंग-ऑयल तैयारियां, बोल्ट या नट रिलीज तैयारियां, जंग-रोधी या संक्षारण-रोधी तैयारियां और स्नेहक पर आधारित मोल्ड रिलीज तैयारियां शामिल हैं) और कपड़ा सामग्री, चमड़ा, फरस्किन या अन्य सामग्रियों के तेल या ग्रीस उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली तैयारियां, लेकिन मूल घटकों के रूप में पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों के वजन के हिसाब से 70% या अधिक युक्त तैयारियां शामिल नहीं हैं।
69	3404	कृत्रिम मोम और तैयार मोम
70	3405	जूते, फर्नीचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पॉलिश और क्रीम, स्क्रबिंग पेस्ट और पाउडर और इसी तरह की तैयारियां (कागज, वैडिंग, फेल्ड, नॉनवोवन, सेलुलर प्लास्टिक या सेलुलर रबर के रूप में हो या न हो, ऐसी तैयारियों से संसेचित, लेपित या ढके हुए), शीर्ष 3404 के मोम को छोड़कर
71	3407	मॉडलिंग पेस्ट, जिनमें बच्चों के मनोरंजन के लिए रखे गए पेस्ट भी शामिल हैं; "डेंटल वैक्स" या "डेंटल इंप्रेशन कम्पाउंड" के रूप में

		जानी जाने वाली तैयारियां, जो खुदरा बिक्री के लिए सेट, पैकिंग में या प्लेटों, घोड़े की नाल के आकार, छड़ियों या इसी तरह के रूपों में उपलब्ध हैं; दंत चिकित्सा में उपयोग के लिए अन्य तैयारियां, प्लास्टर (कैल्सीनेटेड जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट) के आधार के साथ
72	3501	कैसीन, कैसीनेट और अन्य कैसीन व्युत्पन्न; कैसीन गोंद
73	3502	एल्बुमिन (जिसमें दो या अधिक व्हे प्रोटीन के सांद्र शामिल हैं, जिनमें शुष्क पदार्थ के आधार पर 80% से अधिक व्हे प्रोटीन होते हैं), एल्बुमिनेट और अन्य एल्बुमिन व्युत्पन्न
74	3504	पेप्टोन और उनके व्युत्पन्न; अन्य प्रोटीन पदार्थ और उनके व्युत्पन्न, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; छिपा हुआ पाउडर, क्रोमयुक्त हो या न हो; पृथक सोया प्रोटीन सहित
75	3506	तैयार गोंद और अन्य तैयार चिपकाने वाले पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त उत्पाद, गोंद या चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए, जिनका शुद्ध भार 1 किलोग्राम से अधिक न हो।
76	3507	एंजाइम, तैयार एंजाइम
77	3601	प्रणोदक पाउडर
78	3602	तैयार विस्फोटक, प्रणोदक पाउडर के अलावा, जैसे औद्योगिक विस्फोटक
79	3603	सुरक्षा फ़्यूज़; डेटोनेटिंग कॉर्ड; पक्यूशन या डेटोनेटिंग कैप; इग्नाइटर; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर
80	3604	आतिशबाज़ी, सिग्नलिंग फ्लेयर्स, वर्षा रॉकेट, कोहरे के संकेत और अन्य आतिशबाज़ी सामग्री
81	3606	सभी रूपों में फेरो-सेरियम और अन्य पायरोफोरिक मिश्रधातुएं; इस अध्याय के नोट 2 में निर्दिष्ट दहनशील पदार्थों की वस्तुएं; जैसे कि सिगरेट या इसी तरह के लाइटर को भरने या फिर से भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों में तरल या द्रवीकृत गैस ईंधन
82	3701	कागज, पेपरबोर्ड या वस्त्रों के अलावा किसी भी सामग्री के फ्लैट, संवेदनशील, अप्रकाशित फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म; फ्लैट, संवेदनशील, अप्रकाशित, पैक में तत्काल प्रिंट फिल्म; जैसे तत्काल प्रिंट फिल्म, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म (चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे के अलावा)
83	3702	कागज, पेपरबोर्ड या वस्त्रों के अलावा किसी भी सामग्री से बनी,

		संवेदित, अप्रकाशित, रोल में फोटोग्राफिक फिल्म; रोल में तत्काल प्रिंट फिल्म, संवेदित, अप्रकाशित
84	3703	फोटोग्राफिक पेपर, पेपरबोर्ड और वस्त्र, संवेदनशील, अप्रकाशित
85	3704	फोटोग्राफिक प्लेट, फिल्म, कागज, पेपरबोर्ड और वस्त्र, उजागर लेकिन विकसित नहीं
86	3706	सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, एक्सपोज़्ड और डेवलप्ड, (चाहे या नहीं) जिसमें साउंड ट्रैक शामिल हो या केवल साउंड ट्रैक हो
87	3707	फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए रासायनिक तैयारियां (वार्निश, गोंद, चिपकाने वाले पदार्थ और इसी प्रकार की तैयारियों के अलावा); फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए अमिश्रित उत्पाद, मापित मात्रा में रखे गए या उपयोग के लिए तैयार रूप में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए
88	3801	कृत्रिम ग्रेफाइट; कोलाइडल या अर्ध-कोलाइडल ग्रेफाइट; पेस्ट, ब्लॉक, प्लेट या अन्य अर्ध-निर्मित सामग्री के रूप में ग्रेफाइट या अन्य कार्बन पर आधारित तैयारी
89	3802	सक्रिय कार्बन; सक्रिय प्राकृतिक खनिज उत्पाद; पशु काला, (सहित) व्ययित पशु काला
90	3803 00 00	टॉल ऑयल, चाहे रिफाईंड हो या नहीं
91	3804	लकड़ी की लुगदी के निर्माण से अवशिष्ट लाइ, चाहे सांद्रित, शर्करा रहित या रासायनिक रूप से उपचारित हो या न हो, जिसमें लिग्निन सल्फोनेट शामिल हैं, लेकिन शीर्षक 3803 के टॉल ऑयल को छोड़कर
92	3805	गोंद, लकड़ी या सल्फेट तारपीन और अन्य टेरपीनिक तेल जो शंकुधारी लकड़ी के आसवन या अन्य उपचार द्वारा उत्पादित होते हैं; अपरिष्कृत डिपेंटीन; सल्फाइट तारपीन और अन्य अपरिष्कृत पैरा-साइमीन; मुख्य घटक के रूप में अल्फा-टेरपीनॉल युक्त चीड़ का तेल
93	3806	राल और राल अम्ल, और उनके व्युत्पन्न; राल स्पिरिट और राल तेल; रन गम्स
94	3807	लकड़ी का टार; लकड़ी का टार तेल; लकड़ी का क्रियोसोट; लकड़ी का नेफ्था; वनस्पति पिच; ब्रुअर्स पिच और रोसिन, राल एसिड या वनस्पति पिच पर आधारित समान तैयारियां
95	3808	कीटनाशक, कृतकनाशक, कवकनाशक, शाकनाशक, अंकुरण रोधी उत्पाद और पौध-वृद्धि नियामक, कीटाणुनाशक और इसी प्रकार के उत्पाद [अनुसूची-I के क्रम संख्या 260 के समक्ष उल्लिखित जैव-

		कीटनाशकों के अलावा]
96	3809	परिष्करण एजेंट, रंग वाहक, रंग पदार्थों और अन्य उत्पादों और तैयारियों (उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग और रंगस्थापक) की रंगाई या स्थिरीकरण में तेजी लाने के लिए, एक प्रकार का कपड़ा, कागज, चमड़ा या इसी तरह के उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है
97	3810	धातु की सतहों के लिए पिकलिंग तैयारियां; सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिए फ्लक्स और अन्य सहायक तैयारियां; धातु और अन्य सामग्रियों से बने सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग पाउडर और पेस्ट; वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या छड़ के लिए कोर या कोटिंग्स के रूप में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की तैयारियां
98	3811	खनिज तेलों (गैसोलीन सहित) या खनिज तेलों के समान प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य तरल पदार्थों के लिए, दस्तक-रोधी तैयारियां, ऑक्सीकरण अवरोधक, गोंद अवरोधक, श्यानता सुधारक, संक्षारण-रोधी तैयारियां और अन्य तैयार योजक
99	3812	तैयार रबर त्वरक; रबर या प्लास्टिक के लिए मिश्रित प्लास्टिसाइज़र, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; रबर या प्लास्टिक के लिए ऑक्सीकरण-रोधी तैयारियाँ और अन्य मिश्रित स्टेबलाइज़र जैसे रबर के लिए वल्केनाइजिंग एजेंट
100	3813	अग्निशामक यंत्रों की तैयारी और शुल्क; आग बुझाने वाले ग्रेनेडों की तैयारी और शुल्क
101	3814	कार्बनिक मिश्रित विलायक और पतले पदार्थ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; तैयार पेंट या वार्निश रिमूवर
102	3815	प्रतिक्रिया आरंभक, प्रतिक्रिया त्वरक और उत्प्रेरक तैयारियाँ, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
103	3816	दुर्दम्य सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट और इसी तरह की रचनाएं, शीर्ष 3801 के उत्पादों के अलावा [डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण के अलावा]
104	3817	मिश्रित एल्काइलबेन्ज़ीन और मिश्रित एल्काइलनेफ़थलीन, शीर्षक 2707 या 2902 के अलावा
105	3818	इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए डिस्क, वेफर्स या समान रूपों में डोप किए गए रासायनिक तत्व; इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए डोप किए गए रासायनिक यौगिक [सिलिकॉन वेफर्स के अलावा]
106	3819	हाइड्रोलिक ब्रेक तरल पदार्थ और हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के लिए अन्य तैयार तरल पदार्थ, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों का भार 70% से कम या उससे कम हो

107	3820	एंटी-फ्रीजिंग तैयारियां और तैयार डी-आइसिंग तरल पदार्थ
108	3821	सूक्ष्म जीवों (वायरस और इसी तरह के जीवों सहित) या पौधे, मानव या पशु कोशिकाओं के विकास या रखरखाव के लिए तैयार संवर्धन माध्यम
109	3823	औद्योगिक मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड, शोधन से अम्लीय तेल; औद्योगिक फैटी अल्कोहल
110	3824	फाउंट्री मोल्ड्स या कोर के लिए तैयार बाइंडर; रासायनिक उत्पाद और रासायनिक या संबद्ध उद्योगों की तैयारियां (प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण से बनी तैयारियां भी शामिल हैं), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
111	3825	रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के अवशिष्ट उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [नगरपालिका अपशिष्ट; मल-गाद; इस अध्याय के (नोट) 6 में निर्दिष्ट अन्य अपशिष्टों को छोड़कर।]
112	3826	बायोडीजल (तेल विपणन कंपनियों को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए आपूर्ति किए गए बायोडीजल के अलावा)
113	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हैलोजनयुक्त व्युत्पन्न वाले मिश्रण, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
114	3901 से 3913	सभी वस्तुएं अर्थात् पॉलिमर; पॉलीएसीटल, अन्य पॉलीइथर, इपॉक्साइड रेजिन, पॉलीकार्बोनेट, एल्केड रेजिन, पॉलीएलिल एस्टर, अन्य पॉलिएस्टर; पॉलियामाइड; एमिनो-रेजिन, फेनोलिक रेजिन और पॉलीयूरेथेन; सिलिकॉन; पेट्रोलियम रेजिन, क्रुमारोन-इंडीन रेजिन, पॉलीटरपीन, पॉलीसल्फाइड, पॉलीसल्फोन और इस अध्याय के (नोट) 3 में निर्दिष्ट अन्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; सेल्यूलोज और इसके रासायनिक व्युत्पन्न, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्राकृतिक पॉलिमर (उदाहरण के लिए, एल्लिजिनिक एसिड) और संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर (उदाहरण के लिए, कठोर प्रोटीन, प्राकृतिक रबर के रासायनिक व्युत्पन्न), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्राथमिक रूपों में
115	3914	शीर्षक 3901 से 3913 के पॉलिमर पर आधारित आयन एक्सचेंजर्स, प्राथमिक रूपों में
116	3915	प्लास्टिक का अपशिष्ट, छिलके और स्क्रेप
117	3916	मोनोफिलामेंट जिसका कोई भी अनुप्रस्थ काट आयाम 1 मिमी से अधिक हो, छड़ें, छड़ें और प्रोफाइल आकार, (चाहे या नहीं) सतह पर काम किया गया हो लेकिन अन्यथा काम नहीं किया गया हो, प्लास्टिक का

118	3917	प्लास्टिक की ट्यूबें, पाइप और होज़, और उनकी फिटिंग
119	3918	प्लास्टिक के फर्श कवरिंग, चाहे स्वयं चिपकने वाले हों या नहीं, रोल में या टाइल के रूप में; प्लास्टिक के दीवार या छत कवरिंग, जैसा कि इस अध्याय के नोट 9 में परिभाषित किया गया है
120	3919	स्वयं चिपकने वाली प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी, टेप, पट्टी और प्लास्टिक के अन्य सपाट आकार, चाहे रोल में हों या नहीं
121	3920	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी और पट्टी, गैर-सेलुलर और प्रबलित नहीं, लैमिनेटेड, समर्थित या इसी तरह अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त नहीं
122	3921	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट, फिल्म, पन्नी और पट्टी
123	3922	स्नानघर, शावर-स्नानघर, सिंक, वॉश-बेसिन, बिडेट, शौचालय पैन, सीटें और कवर, फ्लशिंग सिस्टर्न और प्लास्टिक से बने इसी तरह के सैनिटरी वेयर
124	3923	माल के परिवहन या पैकिंग के लिए प्लास्टिक की वस्तुएं; प्लास्टिक के स्टॉपर, ढक्कन, कैप और अन्य बंद करने वाले उपकरण
125	3924	प्लास्टिक से बने टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान और स्वच्छता या शौचालय के सामान
126	3925	प्लास्टिक से बने बिल्डरों के सामान, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
127	3926	प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं और शीर्षक 3901 से 3914 तक की अन्य सामग्रियों की वस्तुएं [प्लास्टिक की चूड़ियां, प्लास्टिक के मोती और दूध पिलाने की बोतलें के अलावा]
128	4002	तेलों से प्राप्त सिंथेटिक रबर और पदार्थ, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में; शीर्षक 4001 के किसी भी उत्पाद का इस शीर्षक के किसी भी उत्पाद के साथ मिश्रण, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में; जैसे लेटेक्स, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूटाडाइन रबर (बीआर), आइसोब्यूटीन-आइसोप्रीन (ब्यूटाइल) रबर (आईआईआर), एथिलीन-प्रोपिलीन-गैर-संयुग्मित डायन रबर (ईपीडीएम)
129	4003	प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में पुनः प्राप्त रबर
130	4004	रबर के अपशिष्ट, छिलके और स्क्रेप से प्राप्त पाउडर और कणिकाएँ (कठोर रबर के अलावा)
131	4005	मिश्रित रबर, वल्कनीकृत नहीं, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों, शीटों या पट्टियों में

132	4006	अन्य रूप (उदाहरण के लिए, छड़, ट्यूब और प्रोफाइल आकार) और वस्तुएं (उदाहरण के लिए, डिस्क और छल्ले), अनवल्कनाइज्ड रबर के
133	4007	वल्कनीकृत रबर धागा और डोरी, लेटेक्स रबर धागे के अलावा
134	4008	कठोर रबर के अलावा वल्कनीकृत रबर की प्लेटें, शीट, पट्टी, छड़ें और प्रोफाइल आकार
135	4009	कठोर रबर के अलावा वल्कनीकृत रबर से बनी ट्यूब, पाइप और होज़, उनकी फिटिंग के साथ या उसके बिना (उदाहरण के लिए, जोड़, कोहनी, फ्लैज)
136	4010	वल्कनीकृत रबर से बने कन्वेयर या ट्रांसमिशन बेल्ट या बेल्टिंग
137	4011	रबर के नए वायवीय टायर (साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायरों के अलावा; पीछे के ट्रैक्टर टायरों के अलावा; और विमान में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायरों के अलावा)
138	4012	रबर के पुनः तरीदार या प्रयुक्त वायवीय टायर; रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप
139	4013	रबर की आंतरिक ट्यूबें (साइकिल, साइकिल-रिक्शा और तीन पहिया संचालित साइकिल रिक्शा में/पर प्रयुक्त होने वाली प्रकार की ट्यूबों के अलावा; और पीछे के ट्रैक्टर टायर ट्यूबों के अलावा)
140	4014	वल्कनीकृत रबर से बनी स्वच्छ या औषधीय वस्तुएं (निष्पल सहित), कठोर रबर के फिटिंग के साथ या उसके बिना; जैसे गर्म पानी की बोतलें, बर्फ की थैलियां [शीथ गर्भनिरोधक के अलावा, रबर गर्भनिरोधक, पुरुष (कंडोम), रबर गर्भनिरोधक, महिला (डायोफ्राम), जैसे ग्रीवा कैप]
141	4015	सभी प्रयोजनों के लिए, वल्केनाइज्ड रबर से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं (दस्ताने, मिट्टेंस और मिट्स सहित) कठोर रबर के अलावा [सर्जिकल दस्ताने के अलावा]
142	4016	वल्कनीकृत रबर की अन्य वस्तुएं (कठोर रबर के अलावा) [रबर, रबर बैंड के अलावा]
143	4017	कठोर रबर (उदाहरण के लिए एबोनाइट) सभी रूपों में, अपशिष्ट और स्क्रेप के अलावा; कठोर रबर की वस्तुएं
144	4201	किसी भी जानवर के लिए काठी और हार्नेस (जिसमें निशान, लीड, घुटने के पैड, थूथन, काठी के कपड़े, काठी बैग, कुत्ते के कोट और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं), किसी भी सामग्री से बने

145	4202	ट्रंक, सूटकेस, बैनिटी केस, एग्जीक्यूटिव केस, ब्रीफ केस, स्कूल बैग, चश्मे के केस, दूरबीन केस, कैमरा केस, संगीत वाद्ययंत्र के केस, बंदूक केस, होल्स्टर और इसी तरह के कंटेनर; यात्रा बैग, इंसुलेटेड खाद्य या पेय पदार्थ के बैग, शौचालय बैग, रूकसाक, हैंडबैग, शॉपिंग बैग, बटुए, पर्स, मानचित्र केस, सिगरेट केस, तंबाकू पाउच, टूल बैग, स्पोर्ट्स बैग, बोतल केस, आभूषण बॉक्स, पाउडर बॉक्स, कटलरी केस और इसी तरह के कंटेनर, चमड़े के, प्लास्टिक की शीटिंग के, कपड़ा सामग्री के, वल्कनाइज्ड फाइबर या पेपरबोर्ड के, या पूरी तरह या मुख्य रूप से ऐसी सामग्री से ढके हुए या कागज से [हैंडबैग और शॉपिंग बैग के अलावा, कपास या जूट के]
146	4203	चमड़े या मिश्रित चमड़े से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं [खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने के अलावा]
147	4205	चमड़े या मिश्रित चमड़े से बनी अन्य वस्तुएं
148	4206	आंत के उत्पाद (रेशम-कीट की आंत के अलावा), गोल्डबीटर की त्वचा, मूत्राशय या कंडरा के उत्पाद
149	4301	कच्चे फर की खालें (सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग सहित, जो फर विक्रेताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं), शीर्षक 4101, 4102 या 4103 के कच्चे खाल और चमड़े के अलावा।
150	4302	टैन्ड या ड्रेस्ड फरस्किन (जिसमें सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग शामिल हैं), असंयोजित, या असंयोजित (अन्य सामग्री मिलाए बिना) शीर्षक 4303 के अलावा
151	4303	परिधान, वस्त्र सहायक सामग्री और फरस्किन से बनी अन्य वस्तुएं
152	4304	कृत्रिम फर और उससे बनी वस्तुएं
153	4403	खुरदरी लकड़ी
154	4407	आरी से काटी गई या छिली गई लकड़ी
155	4408	लिबास के लिए शीट (जिसमें लैमिनेटेड लकड़ी को काटकर प्राप्त की गई शीट भी शामिल हैं), प्लाईवुड या इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में काटी गई, कटी हुई या छिली हुई, समतल, रेत से भरी, जोड़ वाली या अंत में जोड़ी गई हो या नहीं, 6 मिमी से अधिक मोटाई की [माचिस की पट्टियाँ के अलावा]
156	4409	लकड़ी (जिसमें लकड़ी के फर्श के लिए पट्टियाँ और फ्रिज़ शामिल हैं, जिन्हें जोड़ा नहीं गया है) लगातार आकार की (जीभयुक्त, नालीदार, रिबेटेड, चम्फरयुक्त, वी-ज्वाइंटेड, बीडेड, मोल्डेड, राउंडेड या इसी

		तरह की) किसी भी किनारे या चेहरे के साथ, चाहे प्लेन्ड, सैंडेड या एंड-ज्वाइटेड हो या नहीं [बांस के फर्श के अलावा]
157	4410	पार्टिकल बोर्ड, ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड और लकड़ी या अन्य लिग्निग्स सामग्रियों से बने समान बोर्ड (उदाहरण के लिए, वेफर बोर्ड), रेजिन या अन्य कार्बनिक बंधनकारी पदार्थों से एकत्रित (चाहे हों या नहीं), निर्दिष्ट बोर्डों के (अलावा)
158	4411	लकड़ी या अन्य लिग्निग्स सामग्रियों का फाइबर बोर्ड, रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थों से बंधा हुआ हो या नहीं, निर्दिष्ट बोर्डों के अलावा
159	4412	प्लाइवुड, लिबास पैनल और इसी तरह की लैमिनेटेड लकड़ी
160	4413	सघन लकड़ी, ब्लॉक, प्लेट, पट्टी या प्रोफाइल आकार में
161	4414	पेंटिंग, फोटोग्राफ, दर्पण या इसी तरह की वस्तुओं के लिए लकड़ी के फ्रेम
162	4418	बिल्डरों की लकड़ी की जॉइनरी और बर्डईगीरी, जिसमें सेलुलर लकड़ी के पैनल, इकट्टे फर्श पैनल, शिंगल और शेक शामिल हैं [बांस की लकड़ी के निर्माण जॉइनरी के अलावा]
163	4421	लकड़ी के फर्श ब्लॉक, सघन लकड़ी की वस्तुएं जो अन्यत्र शामिल या निर्दिष्ट नहीं हैं, घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग जो टेबलवेयर और किचनवेयर के रूप में उपयोग किए जाते हैं
164	44 या कोई भी अध्याय	रेजिन से बंधी बांस की चटाई बोर्ड, बीच में लिबास के साथ या बिना; बांस की फर्श टाइलें
165	4501	अपशिष्ट कॉर्क; कुचला हुआ, दानेदार या पिसा हुआ कॉर्क
166	4702	रासायनिक लकड़ी का गूदा, घुलने वाले ग्रेड
167	4802	लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, तथा बिना छिद्रित पंच-कार्ड और पंच टेप कागज, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीटों में, शीर्षक 4801 या 4803 के कागज के अलावा; [केवल अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, प्रयोगशाला नोट बुक और नोटबुक के लिए बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड के अलावा]
168	4803	टॉयलेट या फेशियल टिशू स्टॉक, तौलिया या नैपकिन स्टॉक और घरेलू या सैनिटरी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इसी प्रकार के कागज, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, (चाहे या नहीं) क्रेण्ड, क्रिकल्ड, उभरे हुए, छिद्रित, सतह-रंगीन,

		सतह-सज्जित या मुद्रित, रोल या शीट में
169	4804	रोल या शीट में बिना लेपित क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड, शीर्षक 4802 या 4803 के अलावा
170	4805	अन्य बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, रोल या शीट में, इस अध्याय के नोट 3 में निर्दिष्ट के अलावा आगे काम या प्रसंस्करण नहीं किया गया है
171	4806	वनस्पति चर्मपत्र, ट्रेसिंग पेपर और अन्य चमकदार पारदर्शी या पारभासी कागज, रोल या शीट में
172	4806 20 00	ग्रीसप्रूफ कागज
173	4806 40 10	ग्लासिन कागज
174	4807	मिश्रित कागज और पेपरबोर्ड (कागज या पेपरबोर्ड की सपाट परतों को चिपकाकर बनाया गया), सतह पर लेपित या संसेचित नहीं, आंतरिक रूप से प्रबलित, रोल या शीट में
175	4808	कागज और पेपरबोर्ड, नालीदार (चिपके हुए सपाट सतह शीट के साथ या बिना), क्रेड, क्रिकल्ड, उभरे हुए या छिद्रित, रोल या शीट में, शीर्षक 4803 में वर्णित प्रकार के कागज के अलावा
176	4809	कार्बन पेपर, सेल्फ-कॉपी पेपर और अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर (जिसमें डुप्लीकेटर स्टेंसिल या ऑफसेट प्लेट के लिए लेपित या संसेचित पेपर शामिल हैं), चाहे मुद्रित हों या नहीं, रोल या शीट में
177	4810	कागज और पेपरबोर्ड, एक या दोनों तरफ काओलिन (चीनी मिट्टी) या अन्य अकार्बनिक पदार्थों से लेपित, बाइंडर के साथ या उसके बिना, और किसी अन्य कोटिंग के बिना, चाहे सतह-रंगीन हो या नहीं, सतह-सजाया या मुद्रित, किसी भी आकार के रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में
178	4811	कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, लेपित, संसेचित, आच्छादित, सतह-रंगीन, सतह-सज्जित या मुद्रित, रोल या आयताकार (वर्गाकार सहित) शीट में, किसी भी आकार के, शीर्षक 4803, 4809 या 4810 में वर्णित प्रकार के सामान के अलावा
179	4812	कागज के गूदे के फिल्टर ब्लॉक, स्लैब और प्लेटें
180	4813	सिगरेट का कागज, चाहे आकार में कटा हो या पुस्तिकाओं या ट्यूबों के रूप में
181	4814	दीवार का कागज और इसी तरह की दीवार कवरिंग; कागज की

		खिड़की की पारदर्शी सतह
182	4816	कार्बन पेपर, सेल्फ-कॉपी पेपर और अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर (शीर्षक 4809 के अलावा), डुप्लिकेटर स्टेंसिल और ऑफसेट प्लेट, कागज के, चाहे बक्सों में रखे गए हों या नहीं
183	4817 [4817 30 को छोड़कर]	कागज या पेपरबोर्ड के लिफाफे, लेटर कार्ड, सादे पोस्टकार्ड और पत्राचार कार्ड; [कागज या पेपरबोर्ड के बक्से, पाउच, बटुए और लेखन संग्रह के अलावा, जिसमें लेखन ब्लॉक सहित विभिन्न प्रकार की कागजी स्टेशनरी शामिल है]
184	4818	टॉयलेट पेपर और इसी तरह के कागज, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल, घरेलू या सैनिटरी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले, 36 सेमी से अधिक चौड़ाई के रोल में, या आकार या आकृति के अनुसार कटे हुए; रुमाल, सफाई करने वाले टिशू, तौलिए, टेबल क्लॉथ, नैपकिन, शिशुओं के लिए नैपकिन, टैम्पोन, चादरें और इसी तरह के घरेलू, सैनिटरी या अस्पताल के सामान, परिधान और कपड़ों के सामान, या पेपर पल्प, कागज, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल
185	4819 (4819 10, 4819 20 को छोड़कर)	सभी सामान (कार्टन, बॉक्स और केस के अलावा, - (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; या (ख) गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड)
186	4820	रजिस्टर, खाता बही, ऑर्डर बुक, रसीद बुक, लेटर पैड, मेमोरेण्डम पैड, डायरियां और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, ब्लॉटिंग पैड, बाइंडर (लूज-लीफ या अन्य), फोल्डर, फाइल कवर, मैनिफोल्ड बिजनेस फॉर्म, इंटरलीव्ड कार्बन सेट और स्टेशनरी की अन्य वस्तुएं, कागज या पेपरबोर्ड से बनी वस्तुएं; और कागज या पेपरबोर्ड से बनी पुस्तक कवर [नोटबुक और अभ्यास पुस्तिकाओं के अलावा]
187	4821	सभी प्रकार के कागज या पेपरबोर्ड लेबल, चाहे मुद्रित हों या नहीं
188	4822	बॉबिन, स्पूल, कॉप्स और पेपर पल्प, पेपर या पेपरबोर्ड के समान सपोर्ट (चाहे छिद्रित या कठोर हों या नहीं)
189	4823	अन्य कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग और सेल्यूलोज फाइबर के जाल, आकार या आकृति में कटे हुए; कागज लुगदी, कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल से बनी अन्य वस्तुएं [पेपर पल्प मोल्डेड ट्रे, ब्रेल पेपर, पतंग, पेपर माचे वस्तुओं के अलावा]
190	4906 00 00	वास्तुकला, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्र, जो हाथ से खींचे गए मूल हों; हस्तलिखित पाठ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक

		प्रतिकृतियां और पूर्वोक्त की कार्बन प्रतियां
191	4907	देश में वर्तमान या नए जारी किए गए अप्रयुक्त डाक, राजस्व या इसी तरह के टिकट, जिसमें उनका मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है या होगा; स्टाम्प-छापे हुए कागज; बैंक नोट; चेक फॉर्म; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और स्वामित्व के इसी तरह के दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा); चेक, खुले या पुस्तक के रूप में
192	4908	स्थानान्तरण (डेकाल्कोमेनियास)
193	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत शुभकामना संदेश या घोषणा वाले मुद्रित कार्ड, चाहे सचित्र हों या नहीं, लिफाफे या सजावट के साथ या उसके बिना।
194	4910	किसी भी प्रकार के मुद्रित कैलेंडर, जिसमें कैलेंडर ब्लॉक भी शामिल हैं।
195	4911	अन्य मुद्रित सामग्री, जिसमें मुद्रित चित्र और फोटोग्राफ शामिल हैं; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और इसी तरह की सामग्री, मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिजाइन और फोटोग्राफ, वास्तुकला इंजीनियरिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए योजना और चित्र, जिन्हें कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस की सहायता से पुनः प्रस्तुत किया गया है
196	5601 22 00	सिगरेट फिल्टर छड़ें
197	61	2500 रुपये प्रति नग से अधिक विक्रय मूल्य वाले बुने हुए या क्रोशिया किए हुए परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं
198	62	परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हैं, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति नग से अधिक है
199	63 [6309 के अलावा]	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं, 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक विक्रय मूल्य के सेट [पहने हुए कपड़े और अन्य पहने हुए सामान; चिथड़े के अलावा]
200	3923 या 6305	पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपाइलीन पट्टियों या इसी तरह के बुने हुए और गैर-बुने हुए बैग और बोरे, (चाहे लेमिनेटेड हों या नहीं), एक प्रकार के जो माल की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं
201	6305 32 00	लचीले मध्यवर्ती थोक कंटेनर
202	6401	जलरोधक जूते जिनके बाहरी तलवे और ऊपरी भाग रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, जिनका ऊपरी भाग न तो तलवे से जुड़ा होता है और न ही सिलाई, कील, पेंच, प्लगिंग या इसी तरह की प्रक्रियाओं द्वारा जोड़ा जाता है।

203	6402	रबर या प्लास्टिक के बाहरी तलवों और ऊपरी भाग वाले अन्य जूते
204	6403	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े के बाहरी तलवों और चमड़े के ऊपरी भाग वाले जूते
205	6404	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े के बाहरी तलवों और कपड़ा सामग्री से बने ऊपरी भाग वाले जूते
206	6405	अन्य जूते
207	6406	जूते के भाग (जिसमें ऊपरी भाग शामिल है, चाहे वह बाहरी तलवों के अलावा अन्य तलवों से जुड़ा हो या नहीं); हटाए जा सकने वाले अंदरूनी तलवे, एड़ी के कुशन और इसी प्रकार की वस्तुएं; गैटर, लेगिंग और इसी प्रकार की वस्तुएं, और उनके भाग
208	6501	टोपी के आकार, टोपी के शरीर और टोपी के हुड, न तो आकार के लिए अवरुद्ध और न ही बने हुए किनारों के साथ; प्लेटॉक्स और मंचोन (स्लिट मंचोन सहित), कपड़े से बने [कपड़े से बने टोपी के अलावा]
209	6502	टोपी के आकार, किसी भी सामग्री की पट्टियों को जोड़कर या चोटी बनाकर बनाए गए, न तो आकार देने के लिए अवरुद्ध, न ही बने हुए किनारों के साथ, न ही रेखांकित, न ही छंटनी की गई
210	6504 00 00	टोपी और अन्य हेडगियर, किसी भी सामग्री की पट्टियों को जोड़कर या जोड़कर बनाए गए, चाहे वे रेखांकित हों या नहीं
211	6505	अन्य हेडगियर, बुने हुए या क्रोशिए से बने, या लेस, फेल्ड या अन्य टेक्सटाइल फैब्रिक से बने, टुकड़े में (लेकिन पट्टियों में नहीं), (चाहे या नहीं) लाइन वाले या ट्रिम किए हुए; किसी भी सामग्री के हेयर-नेट, (चाहे या नहीं) लाइन वाले या ट्रिम किए हुए
212	6506	अन्य हेडगियर, चाहे लाइनिंग या ट्रिमिंग हो या नहीं
213	6507	हेड-बैंड, लाइनिंग, कवर, टोपी की नींव, टोपी के फ्रेम, चोटियाँ और चिनस्ट्रैप, हेडगियर के लिए
214	6702	कृत्रिम फूल, पत्ते और फल और उनके भाग; कृत्रिम फूल, पत्ते या फल से बनी वस्तुएं
215	6703	ऊन या अन्य जानवरों के बाल या अन्य कपड़ा सामग्री, जो विग या इसी तरह की चीज़ें बनाने में उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं
216	6704	मानव या पशु बाल या वस्त्र सामग्री से बने विग, नकली दाढ़ी, भौंहें और पलकें, स्विच और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; मानव बाल से बनी वस्तुएं जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं

217	6801	प्राकृतिक पत्थर (स्लेट को छोड़कर) के सेट, कब्रस्टोन और फ्लैगस्टोन
218	6802	काम किया हुआ स्मारकीय या इमारती पत्थर (स्लेट को छोड़कर) और उसकी वस्तुएं, शीर्ष 6801 की वस्तुओं के अलावा; प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के मोज़ेक क्यूब्स और उसी तरह की वस्तुएं, चाहे आधार पर हों या नहीं; प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के कृत्रिम रूप से रंगीन कण, चिपिंग और पाउडर [मूर्तियों, प्रतिमाओं, पीठिकाओं; ऊंची या नीची नक्काशियों, क्रॉस, पशुओं की आकृतियों, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बॉक्स, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते आदि के अलावा; मूलतः पत्थर से बनी अन्य सजावटी वस्तुएं] [अनुसूची 1 में क्रम संख्या 176 में शामिल वस्तुओं को छोड़कर]
219	6803	काम की गई स्लेट और स्लेट या एकत्रित स्लेट से बनी वस्तुएं
220	6804	चक्की के पाट, पीसने के पत्थर, पीसने वाले पहिये और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, बिना ढांचे के, पीसने, तेज करने, चमकाने, सही करने या काटने, हाथ से तेज करने या चमकाने के लिए, प्राकृतिक पत्थर, एकत्रित प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक या चीनी मिट्टी के पात्र के पत्थर और उनके हिस्से, अन्य सामग्रियों के हिस्सों के साथ या उनके बिना
221	6805	प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षक पाउडर या कण, कपड़ा सामग्री, कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्री के आधार पर, (चाहे या नहीं) आकार में काटा गया हो या सिला गया हो या अन्यथा बनाया गया हो
222	6806	स्लैंग ऊन, रॉक ऊन और इसी तरह के खनिज ऊन; एक्सफ़ोलिएटेड वर्मिक्यूलाइट, विस्तारित मिट्टी, फोमयुक्त स्लैंग और इसी तरह के विस्तारित खनिज पदार्थ; ऊष्मारोधी, ध्वनिरोधी या ध्वनि-अवशोषित खनिज पदार्थों के मिश्रण और वस्तुएं, शीर्षक 6811 या 6812 या अध्याय 69 के अलावा
223	6807	डामर या इसी तरह की सामग्री से बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, पेट्रोलियम बिटुमेन या कोल टार पिच)
224	6808	पैनल, बोर्ड, टाइल, ब्लॉक और वनस्पति फाइबर, पुआल या छीलन, चिप्स, कण, चूरा या अन्य अपशिष्ट, लकड़ी के समान वस्तुएं, सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बाइंडरों के साथ एकत्रित
225	6809	प्लास्टर या प्लास्टर पर आधारित रचनाओं से बनी वस्तुएं; जैसे बोर्ड, शीट, पैनल, टाइलें और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, जिन पर अलंकरण नहीं किया गया हो
226	6810	सीमेंट, कंक्रीट या कृत्रिम पत्थर से बनी वस्तुएं, चाहे प्रबलित हों या

		नहीं
227	6811	एस्बेस्टस-सीमेंट, सेल्यूलोज फाइबर-सीमेंट या इसी तरह की वस्तुएं
228	6812	गढ़े हुए एस्बेस्टस फाइबर; एस्बेस्टस के आधार वाले या एस्बेस्टस और मैग्नीशियम कार्बोनेट के आधार वाले मिश्रण; ऐसे मिश्रण या एस्बेस्टस की वस्तुएं (उदाहरण के लिए, धागा, बुना हुआ कपड़ा, वस्त्र, हेडगियर, जूते, गास्केट), चाहे प्रबलित हों या नहीं, शीर्ष 6811 या 6813 के (से भिन्न) माल
229	6813	घर्षण सामग्री और उसकी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, शीट, रोल, पट्टियां, खंड, डिस्क, वॉशर, पैड), ब्रेक, क्लच या इसी तरह के अन्य सामान के लिए, एस्बेस्टस, अन्य खनिज पदार्थों या सेल्यूलोज के आधार पर नहीं लगाई गई हैं; वस्त्रों या अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त हैं या नहीं।
230	6814	कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्रियों के सहारे पर काम किया हुआ अभ्रक और अभ्रक से बनी वस्तुएं, जिनमें एकत्रित या पुनर्गठित अभ्रक शामिल है, चाहे वह कागज, पेपरबोर्ड या अन्य सामग्रियों के सहारे पर हो या नहीं
231	6815	पत्थर या अन्य खनिज पदार्थों की वस्तुएं (कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर की वस्तुएं और पीट की वस्तुएं सहित), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [फ्लाइ ऐश ईंटों, फ्लाइ ऐश समुच्चयों; फ्लाइ ऐश ब्लॉकों के अलावा]
232	6901	सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन (उदाहरण के लिए, कीसेलगुहर, ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट) या इसी तरह के सिलिकायुक्त मिट्टी से बने ब्लॉक, टाइल और अन्य सिरामिक सामान
233	6902	आग रोक ईंटें, ब्लॉक, टाइलें और इसी तरह की आग रोक सिरामिक निर्माण सामग्री, सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन या इसी तरह की सिलिकायुक्त मिट्टी के अलावा
234	6903	अन्य दुर्दम्य सिरामिक सामान (उदाहरण के लिए, रिटॉर्ट, कूसिबल, मफल, नोजल, प्लग, सपोर्ट, कपल, ट्यूब, पाइप, शीथ और रॉड), सिलिकायुक्त जीवाश्म भोजन या समान सिलिकायुक्त मिट्टी के सामान के अलावा
235	6904	सिरामिक फ्लोरिंग ब्लॉक, सपोर्ट या फिलर टाइलें और इसी तरह की अन्य चीजें
236	6905	चिमनी-पाँट, काउल, चिमनी लाइनर, वास्तुशिल्प आभूषण और अन्य सिरामिक निर्माण संबंधी सामान
237	6906	सिरामिक पाइप, नलिकाएं, गटरिंग और पाइप फिटिंग

238	6907	सिरेमिक झंडे और फ़र्श, चूल्हा या दीवार टाइलें; सिरेमिक मोज़ेक क्यूब्स और इसी तरह की अन्य चीज़ें, चाहे वे किसी बैकिंग पर हों या नहीं; सिरेमिक की फिनिशिंग
239	6909	प्रयोगशाला, रासायनिक या अन्य तकनीकी उपयोगों के लिए सिरेमिक सामान; कृषि में उपयोग किए जाने वाले सिरेमिक नांद, टब और इसी प्रकार के पात्र; माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सिरेमिक बर्तन, जार और इसी प्रकार की वस्तुएं
240	6910	सिरेमिक सिंक, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन पेडेस्टल, बाथटब, बिडेट, वॉटर क्लॉजेट पैन, फ्लशिंग सिस्टर्न, मूत्रालय और इसी तरह के सैनिटरी फिक्स्चर
241	6914	अन्य सिरेमिक लेख
242	7002	गेंदों में काँच (शीर्षक 70.18 के सूक्ष्ममंडलों के अलावा), छड़ें या नलिकाएँ, बिना काम की हुई
243	7003	कास्ट ग्लास और रोल्ड ग्लास, शीट या प्रोफाइल में, «चाहे या न» जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
244	7004	खींचा हुआ काँच और उड़ा हुआ काँच, शीटों में, «चाहे या न» जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
245	7005	फ्लोट ग्लास और सतह पर पिसा हुआ या पॉलिश किया हुआ ग्लास, शीटों में, «चाहे या न» जिसमें अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत हो, लेकिन अन्यथा काम न किया गया हो
246	7006 00 00	शीर्षक 7003, 7004 या 7005 का कांच, मुड़ा हुआ, किनारे पर काम किया हुआ, उत्कीर्ण, छिद्रित, एनामेल किया हुआ या अन्यथा काम किया हुआ, लेकिन फ्रेमयुक्त या अन्य सामग्रियों से सुसज्जित नहीं
247	7007	सुरक्षा ग्लास, जिसमें कठोर (टेम्पर्ड) या लैमिनेटेड ग्लास शामिल होता है
248	7008	कांच की बहु-दीवार वाली इन्सुलेटिंग इकाइयाँ
249	7009	कांच के दर्पण, चाहे फ्रेमयुक्त हों या नहीं, पीछे देखने वाले दर्पण सहित
250	7010	कांच के कारबॉय, बोतलें, फ्लास्क, जार, बर्तन, शीशियां, एम्पुल और अन्य कंटेनर, जो माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं; कांच के परिरक्षण जार; कांच के डाट, ढक्कन और अन्य

		बंद करने वाले उपकरण
251	7011	विद्युत लैंप और प्रकाश स्रोतों, कैथोड रे ट्यूब या इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए, बिना फिटिंग के, खुले ग्लास लिफाफे (बल्ब और ट्यूब सहित), और उनके ग्लास भाग
252	7013	मेज, रसोईघर, शौचालय, कार्यालय, आंतरिक सजावट या इसी तरह के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कांच के बर्तन (शीर्षक 7010 या 7018 के अलावा)
253	7014	सिग्नलिंग ग्लासवेयर और कांच के ऑप्टिकल तत्व (शीर्षक 7015 के अलावा), ऑप्टिकल रूप से काम नहीं किए गए
254	7015	घड़ी या घड़ी के चश्मे और इसी प्रकार के चश्मे, गैर-सुधारात्मक चश्मों के लिए चश्मे, घुमावदार, मुड़े हुए, खोखले या इसी प्रकार के, प्रकाशिक रूप से काम न करने वाले; ऐसे चश्मे के निर्माण के लिए खोखले कांच के गोले और उनके खंड
255	7016	फर्श के लिए ब्लॉक, स्लेब, ईंटें, चौकोर टुकड़े, टाइलें और दबाए गए या ढाले गए कांच की अन्य वस्तुएं, तारयुक्त हों या नहीं, भवन या निर्माण के काम में आने वाली; कांच के क्यूब्स और कांच की अन्य छोटी वस्तुएं, आधार पर हों या नहीं, मोज़ाइक या इसी तरह के सजावटी कामों के लिए; सीसा लगी लाइटें और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; ब्लॉक, पैनल, प्लेट, शैल या इसी तरह के रूपों में बहुकोशिकीय या फोम ग्लास
256	7017	प्रयोगशाला, स्वच्छ या औषधीय कांच के बने पदार्थ, चाहे स्नातक या अंशांकित हों या नहीं
257	7018	नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर और इसी तरह के छोटे कांच के बर्तन, और उनकी वस्तुएं, नकली आभूषणों के अलावा; कृत्रिम वस्तुओं के अलावा कांच की आंखें; लैंप-वर्क किए गए कांच की मूर्तियां और अन्य आभूषण, नकली आभूषणों के अलावा; 1 मिमी व्यास से अनधिक कांच के सूक्ष्मगोले
258	7019	ग्लास फाइबर (ग्लास वूल सहित) और उससे बनी वस्तुएं (उदाहरण के लिए, धागा, रीविंग, बुने हुए कपड़े)
259	7020	कांच की अन्य वस्तुएं [इसके अलावा] लैंप और लालटेन के लिए ग्लोब, केरोसिन विक लैंप के लिए फव्वारे, लैंप और लालटेन के लिए कांच की चिमनी]
260	7201	पिग आयरन और स्पीगलाइज़न पिग्स, ब्लॉक्स या अन्य प्राथमिक रूपों में
261	7202	फैरो-मिश्र

262	7203	लौह अयस्क और अन्य स्पंजी लौह उत्पादों के प्रत्यक्ष अपचयन से प्राप्त लौह उत्पाद, गांठों, छरों या समान रूपों में; भार के अनुसार न्यूनतम 99.94% शुद्धता वाला लोहा, गांठों, छरों या समान रूपों में
263	7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रेप; लोहे या इस्पात के स्क्रेप सिल्लियों को पुनः पिघलाना
264	7205	पिग आयरन, स्पीगेलिसन, लोहे या स्टील के दाने और पाउडर
265	7206	सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में लोहा और गैर-मिश्र धातु इस्पात (शीर्षक 7203 के लोहे को छोड़कर)
266	7207	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्द्ध-तैयार उत्पाद
267	7208 से 7212	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
268	7213 से 7215	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात की सभी सलाखें और छड़ें
269	7216	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के कोण, आकार और खंड
270	7217	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात का तार
271	7218	सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में स्टेनलेस स्टील; स्टेनलेस स्टील के अर्द्ध-तैयार उत्पाद
272	7219, 7220	स्टेनलेस स्टील के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
273	7221, 7222	सभी बार और छड़ें जो स्टेनलेस स्टील की हैं
274	7223	स्टेनलेस स्टील का तार
275	7224	सिल्लियों या अन्य प्राथमिक रूपों में अन्य मिश्र धातु इस्पात; अन्य मिश्र धातु इस्पात के अर्द्ध-तैयार उत्पाद
276	7225, 7226	अन्य मिश्र धातु इस्पात के सभी फ्लैट-रोल्ड उत्पाद
277	7227, 7228	अन्य मिश्र धातु इस्पात की सभी सलाखें और छड़ें।
278	7229	अन्य मिश्र धातु इस्पात के तार
279	7301	लोहे या स्टील की शीट पाइलिंग, चाहे ड्रिल की गई हो, छिद्रित की गई हो या संयोजन तत्वों से बनी हो; लोहे या स्टील के वेल्डेड कोण, आकार और अनुभाग
280	7302	लोहे या स्टील से बनी रेलवे या ट्रामवे ट्रैक निर्माण सामग्री, निम्नलिखित: पटरियां, चेक-रेल और रैक रेल, स्विच ब्लेड, क्रॉसिंग फ्रॉंग, पॉइंट रॉड और अन्य क्रॉसिंग टुकड़े, स्लीपर (क्रॉस-टार्ड), फिश-प्लेट, कुर्सीयां, कुर्सी वेज, सोल प्लेट (बेस प्लेट), रेल क्लिप,

		बेडप्लेट, टाई और पटरियों को जोड़ने या फिक्स करने के लिए विशेषीकृत अन्य सामग्री
281	7303	कच्चे लोहे से बनी ट्यूबें, पाइप और खोखले प्रोफाइल
282	7304	लोहे (ढलवां लोहे के अलावा) या स्टील से बनी ट्यूब, पाइप और खोखली प्रोफाइल, बिना जोड़ वाली
283	7305	अन्य ट्यूब और पाइप (उदाहरण के लिए, वेल्डेड, रिबेडेड या इसी तरह से बंद), जिनका अनुप्रस्थ काट गोलाकार हो, जिनका बाहरी व्यास 406.4 मिमी से अधिक हो, लोहे या स्टील से बने हों
284	7306	लोहे या स्टील के अन्य ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल (उदाहरण के लिए, खुली सीम या वेल्डेड, रिबेडेड या इसी तरह बंद)
285	7307	लोहे या स्टील की ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, स्लीव)
286	7308	लोहे या इस्पात की संरचनाएं (शीर्षक 94.06 की पूर्वनिर्मित इमारतों को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरण के लिए, पुल और पुल-खंड, लॉक-गेट, टावर, जाली मस्तूल, छत, छत के ढांचे, दरवाजे और खिड़कियां और उनके फ्रेम और दरवाजों के लिए दहलीज, शटर, बालस्ट्रेड, स्तंभ और स्तंभ); लोहे या इस्पात की संरचनाओं के उपयोग के लिए तैयार प्लेट, छड़, कोण, आकार, खंड, ट्यूब और इसी तरह की अन्य वस्तुएं [ट्रांसमिशन टावरों को छोड़कर]
287	7309	किसी भी सामग्री (संपीडित या द्रवीकृत गैस के अलावा) के लिए जलाशय, टैंक, बैट और इसी तरह के कंटेनर, लोहे या स्टील के, 300 लीटर से अधिक क्षमता के, अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं
288	7310	टैंक, पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से और इसी तरह के कंटेनर, किसी भी सामग्री के लिए (संपीडित या द्रवीकृत गैस के अलावा), लोहे या स्टील से बने, 300 लीटर से अधिक क्षमता के नहीं, अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं, लोहे या स्टील से बने दूध के डिब्बे के अलावा
289	7311	संपीडित या द्रवीकृत गैस के लिए लोहे या स्टील के कंटेनर
290	7312	लोहे या स्टील के फंसे हुए तार, रस्सियाँ, केबल, लटके हुए बैंड, स्लिंग और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जो विद्युत रूप से इंसुलेट न की गई हों
291	7313	लोहे या स्टील का कांटेदार तार; मुड़ा हुआ घेरा या एकल सपाट तार, कांटेदार हो या न हो, और ढीले ढंग से मुड़ा हुआ दोहरा तार,

		बाड़ लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला, लोहे या स्टील का
292	7314	लोहे या स्टील के तार से बना कपड़ा (अंतहीन बैंड सहित), ग्रिल, जाल और बाड़; लोहे या स्टील की विस्तारित धातु
293	7315	7315 20, 7315 81, 7315 82, 7315 89, 7315 90 के अंतर्गत आने वाले लोहे या स्टील की चेन और उसके हिस्से
294	7316	लोहे या स्टील के लंगर, ग्रैपनेल और उनके हिस्से
295	7317	कीलें, टैक, ड्राइंग पिन, नालीदार कीलें, स्टेपल (शीर्ष 8305 के स्टेपल के अलावा) और इसी तरह की वस्तुएं, लोहे या स्टील की, चाहे अन्य सामग्री के शीर्ष के साथ हों या नहीं, लेकिन तांबे के शीर्ष वाली ऐसी वस्तुओं को छोड़कर
296	7318	लोहे या स्टील के स्कू, बोल्ट, नट, कोच स्कू, स्कू हुक, रिवेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वॉशर (स्प्रिंग वॉशर सहित) और इसी तरह की अन्य वस्तुएं
297	7319	बुनाई की सुइयां, बोडकिन, क्रोशिया हुक, कढ़ाई के स्टिलेटो और इसी प्रकार की वस्तुएं, हाथ में उपयोग के लिए, लोहे या स्टील की; सेफ्टी पिन और लोहे या स्टील की अन्य पिन, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
298	7320	लोहे और स्टील के स्प्रिंग और स्प्रिंग के पत्ते
299	7321	लोहे या स्टील से बने स्टोव, रेंज, ग्रेट, कुकर (जिनमें केंद्रीय हीटिंग के लिए सहायक बॉयलर शामिल हैं), बारबेक्यू, ब्रेज़ियर, गैस रिंग, प्लेट वार्मर और इसी तरह के गैर-इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरण और उनके हिस्से [केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव, लोहे या स्टील से बने लकड़ी जलाने वाले स्टोव और सौर कुकर के अलावा]
300	7322	केंद्रीय हीटिंग के लिए रेडिएटर, जो विद्युत से गर्म नहीं होते, और उनके हिस्से, जो लोहे या स्टील के बने होते हैं; एयर हीटर और गर्म हवा वितरक (वितरक जो ताजी या वातानुकूलित हवा भी वितरित कर सकते हैं सहित), जो विद्युत से गर्म नहीं होते, जिनमें मोटर चालित पंखा या ब्लोअर शामिल होता है, और उनके हिस्से, जो लोहे या स्टील के बने होते हैं
301	7323	लोहे या स्टील की ऊन; बर्तन साफ़ करने वाले उपकरण और सफाई या पॉलिश करने वाले पैड, दस्ताने और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, लोहे या स्टील की (लोहे या स्टील से बने दूध के डिब्बों के अलावा)
302	7323 9410	घमेला
303	7324	लोहे और इस्पात से बने सेनेटरी वेयर और उसके पुर्जे

304	7325	लोहे या स्टील की अन्य ढली हुई वस्तुएँ
305	7326	लोहे या स्टील की अन्य वस्तुएँ
306	7401	तांबा मैट; सीमेंट तांबा (अवक्षेपित तांबा)
307	7402	अपरिष्कृत तांबा; विद्युत अपघटनी शोधन के लिए तांबे के एनोड
308	7403	परिष्कृत तांबा और तांबे की मिश्र धातु, बिना गढ़े
309	7404	तांबे का अपशिष्ट और स्क्रेप
310	7405	तांबे के मास्टर मिश्र धातु
311	7406	तांबे के पाउडर और गुच्छे
312	7407	तांबे की सलाखें, छड़ें और प्रोफाइल
313	7408	तांबे का तार
314	7409	0.15 मिमी से अधिक मोटाई वाली तांबे की प्लेटें, शीट और पट्टी
315	7410	तांबे की पन्नी
316	7411	तांबे की ट्यूब और पाइप
317	7412	तांबे की ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, आस्तीन)
318	7413	फंसे हुए तार और केबल
319	7415	तांबे के या लोहे या इस्पात के बने तांबे के शीर्षों वाले कीलें, टैक, ड्राइंग पिन, स्टेपल (शीर्ष 83.05 के अतिरिक्त) और इसी प्रकार की वस्तुएँ; तांबे के स्कू, बोल्ट, नट, स्कू हुक, रिबेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वाशर (स्प्रिंग वाशर सहित) और इसी प्रकार की वस्तुएँ
320	7418	सभी सामान (तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान; बर्तनों के अलावा)
321	7419	तांबे की अन्य वस्तुएं (पीतल केरोसिन प्रेशर स्टोव के अलावा)
322	7501	निकल मैट, निकल ऑक्साइड सिंटर और निकल धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद
323	7502	अनरॉट निकल
324	7503	निकल अपशिष्ट और स्क्रेप
325	7504	निकल पाउडर और फ्लेक्स

326	7505	निकल बार, छड़, प्रोफाइल और तार
327	7506	निकल प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी
328	7507	निकल ट्यूब, पाइप और ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, आस्तीन)
329	7508	निकल के अन्य उत्पाद
330	7601	बिना गढ़ा एल्युमीनियम
331	7602	एल्युमीनियम अपशिष्ट और स्क्रेप
332	7603	एल्युमीनियम पाउडर और फ्लेक्स
333	7604	एल्युमीनियम बार, छड़ और प्रोफाइल
334	7605	एल्युमीनियम तार
335	7606	0.2 मिमी से अधिक मोटाई वाली एल्युमीनियम प्लेटें, शीट और पट्टी
336	7607	एल्युमीनियम फ़ॉइल (चाहे मुद्रित हो या नहीं या कागज़, पेपरबोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की बैकिंग सामग्री से समर्थित) जिसकी मोटाई (किसी भी बैकिंग को छोड़कर) 0.2 मिमी से अधिक न हो
337	7608	एल्युमीनियम ट्यूब और पाइप
338	7609	एल्युमीनियम ट्यूब या पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कपलिंग, कोहनी, स्लीव)
339	7610	एल्युमीनियम संरचनाएं (शीर्षक 9406 की पूर्वनिर्मित इमारतों को छोड़कर) और संरचनाओं के भाग (उदाहरण के लिए, पुल और पुल-खंड, टावर, जाली मस्तूल, छत, छत के ढांचे, कठघरा, स्तंभ और स्तंभ); एल्युमीनियम प्लेट, छड़, प्रोफाइल, ट्यूब और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जो संरचनाओं में उपयोग के लिए तैयार की गई हैं
340	7611	एल्युमीनियम जलाशय, टैंक, बैट और इसी तरह के कंटेनर, किसी भी सामग्री के लिए (संपीडित या द्रवीकृत गैस के अलावा), 300 लीटर से अधिक क्षमता के, चाहे अस्तरयुक्त या तापरोधी हों या नहीं, लेकिन यांत्रिक या तापीय उपकरण से सुसज्जित नहीं
341	7612	एल्युमीनियम के पीपे, ड्रम, डिब्बे, बक्से, आदि, एल्युमीनियम से बने दूध के डिब्बों के अलावा
342	7613	संपीडित या तरलीकृत गैस के लिए एल्युमीनियम कंटेनर
343	7614	एल्युमीनियम से बने फंसे हुए तार, केबल, लटके हुए बैंड और इसी

		तरह के अन्य सामान, जो विद्युत रूप से इंसुलेट नहीं किए गए हों
344	7615	सभी सामान (एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान के अलावा; एल्युमीनियम से बने बर्तन, दूध के डिब्बे)
345	7616	एल्युमीनियम के अन्य सामान
346	7801	बिना गढ़ा सीसा
347	7802	सीसा अपशिष्ट और स्क्रेप
348	7804	सीसा प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी; सीसा पाउडर और गुच्छे
349	7806	सीसे से बनी अन्य वस्तुएं (सैनिटरी फिक्सचर और भारतीय सीसे की सील सहित)
350	7901	कच्चा जस्ता
351	7902	जिंक अपशिष्ट और स्क्रेप
352	7903	जिंक धूल, पाउडर और गुच्छे
353	7904	जिंक बार, छड़, प्रोफाइल और तार
354	7905	जिंक प्लेटें, शीट, पट्टी और पन्नी
355	7907	जिंक से बनी अन्य वस्तुएं जिनमें सैनिटरी फिक्सचर भी शामिल हैं
356	8001	कच्चा टिन
357	8002	टिन अपशिष्ट और स्क्रेप
358	8003	टिन की सलाखें, छड़ें, प्रोफाइल और तार
359	8007	टिन के अन्य सामान
360	8101 से 8112	अन्य आधार धातुएं, अर्थात् टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टैंटालम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट मैट, और कोबाल्ट धातु विज्ञान के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद, बिस्मथ, कैडमियम, टाइटेनियम, जिंकोनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, बेरिलियम, क्रोमियम, जर्मेनियम, वैनेडियम, गैलियम, हेफ़नियम, इंडियम, नाइओबियम (कोलंबियम), रेनियम और थैलियम, और उनकी वस्तुएं, जिनमें अपशिष्ट और स्क्रेप शामिल हैं
361	8113	सेर्मेट्स और उनकी वस्तुएं, अपशिष्ट और स्क्रेप सहित
362	8202	हाथ आरी; सभी प्रकार की आरियों के लिए ब्लेड (स्लिटिंग, स्लॉटिंग या टूथलेस आरी ब्लेड सहित)

363	8203	फाइलें, रैस्पस, प्लायर्स (कटिंग प्लायर्स सहित), पिंसर्स, चिमटी, धातु काटने वाली कैंची, पाइप-कटर, बोल्ट क्रॉपर्स, छिद्रण पंच और इसी तरह के अन्य हाथ उपकरण
364	8204	हस्त-संचालित स्पैनर और रिंच (टॉर्क मीटर रिंच सहित, परंतु टैप रिंच शामिल नहीं); अदला-बदली योग्य स्पैनर सॉकेट, हैंडल सहित या बिना हैंडल के
365	8205	हाथ के औजार (ग्लेज़ियर्स के हीरे सहित), जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; ब्लो लैंप; वाइस, क्लैम्प और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, मशीन-औजारों या जल-जेट काटने वाली मशीनों के सहायक उपकरण और भागों के अलावा; निहाई; पोर्टेबल फोर्ज; फ्रेमवर्क सहित हाथ या पैडल से चलने वाले पीसने वाले पहिये
366	8206	शीर्षक 8202 से 8205 तक के दो या अधिक उपकरण, खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे गए
367	8207	हस्त औजारों के लिए विनिमेय औजार, चाहे वे बिजली से चलने वाले हों या नहीं, या मशीन औजारों के लिए (उदाहरण के लिए, दबाने, मुद्रांकन, छिद्रण, दोहन, सूत्रण, ड्रिलिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, टर्निंग या स्कू ड्राइविंग के लिए), जिसमें धातु निकालने या निकालने के लिए ड्राई, और रॉक ड्रिलिंग या अर्थ बोरिंग उपकरण शामिल हैं
368	8208	मशीनों या यांत्रिक उपकरणों के लिए चाकू और काटने वाले ब्लेड
369	8209	प्लेटें, छड़ें, टिप्स और इसी तरह के उपकरण, अनमाउंटेड, सेमेंट्स के
370	8210 00 00	हाथ से संचालित यांत्रिक उपकरण, जिनका वजन 10 किलोग्राम या उससे कम होता है, जिनका उपयोग भोजन या पेय की तैयारी, कंडीशनिंग या परोसने में किया जाता है
371	8211	काटने वाले ब्लेड वाले चाकू, दाँतेदार हों या नहीं (छँटाई करने वाले चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू के अलावा, और उसके ब्लेड
372	8212	रेज़र और रेज़र ब्लेड (स्ट्रिप्स में रेज़र ब्लेड ब्लैक सहित)
373	8213 00 00	कैंची, दर्जी की कैंची और इसी प्रकार की कैंची, और उनके ब्लेड
374	8214	कटलरी के अन्य सामान (उदाहरण के लिए, बाल काटने वाले उपकरण, कसाई या रसोई के क्लीवर, चाँपर और कीमा बनाने वाले चाकू); मैनीक्योर या पेडीक्योर सेट और उपकरण जिनमें नाखून काटने वाली फाइलें शामिल हैं [पेंसिल शार्पनर के अलावा]
375	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह के रसोई या टेबलवेयर

376	8301	आधार धातु से बने पैडलॉक और ताले (कुंजी, संयोजन या विद्युत चालित); आधार धातु से बने ताले सहित क्लैस्प और क्लैस्प सहित फ्रेम; आधार धातु से बने उपरोक्त वस्तुओं में से किसी की भी कुंजियाँ
377	8302	फर्नीचर, दरवाजे, सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ, ब्लाइंड, कोचवर्क, सैडलरी, ट्रंक, चेस्ट, कास्केट या इसी तरह की अन्य चीजों के लिए उपयुक्त बेस मेटल माउंटिंग, फिटिंग्स और इसी तरह की अन्य वस्तुएं; बेस मेटल हैट-रैक, हैट-पेग, ब्रैकेट और इसी तरह की अन्य फिक्सचर्स; बेस मेटल के माउंटिंग वाले कैस्टर; बेस मेटल के स्वचालित दरवाजा क्लोजर
378	8303	आधार धातु से बने बख्तरबंद या सुदृढ़ तिजोरियाँ, मजबूत बक्से और दरवाजे तथा सुरक्षित जमा लॉकर, नकदी या विलेख बक्से और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं
379	8304	फाइलिंग कैबिनेट, कार्ड-इंडेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर रेस्ट, पेन ट्रे, ऑफिस-स्टाम्प स्टैंड और इसी तरह के कार्यालय या डेस्क उपकरण, आधार धातु से बने, शीर्षक 9403 के कार्यालय फर्नीचर के अलावा
380	8305	ढीले-पत्ते बाइंडरों या फाइलों, लेटर क्लिप, लेटर कॉर्नर, पेपर क्लिप, इंडेक्सिंग टैग और इसी तरह के कार्यालय लेखों के लिए फिटिंग, आधार धातु से बने; स्ट्रिप्स में स्टेपल (उदाहरण के लिए, कार्यालयों, असबाब, पैकेजिंग के लिए), आधार धातु से बने
381	8307	आधार धातु की लचीली ट्यूबिंग, फिटिंग के साथ या बिना
382	8308	आधार धातु से बने क्लैप्स, क्लैप्स, बकल, बकल-क्लैप, हुक, आई, आईलेट आदि सहित फ्रेम, जिनका उपयोग वस्त्र या वस्त्र सहायक सामग्री, जूते, आभूषण, कलाई घड़ी, पुस्तकें, शामियाना, चमड़े के सामान, यात्रा के सामान या काठी या अन्य निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है; आधार धातु से बने ट्यूबलर या द्विभाजित रिबेट्स; आधार धातु से बने मोती और स्पैंगल्स
383	8309	आधार धातु से बने स्टॉपर, कैप और ढक्कन (क्राउन कॉर्क, स्कू कैप और पोरिंग स्टॉपर सहित), बोतलों के लिए कैप्सूल, थ्रेडेड बंग, बंग कवर, सील और अन्य पैकिंग सहायक उपकरण
384	8310	आधार धातु से बनी साइन-प्लेटें, नाम-प्लेटें, पता-प्लेटें और इसी प्रकार की प्लेटें, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक, शीर्ष 9405 को छोड़कर
385	8311	आधार धातु या धातु कार्बाइड से बने तार, छड़, ट्यूब, प्लेट, इलेक्ट्रोड और इसी प्रकार के उत्पाद, फ्लक्स सामग्री से लेपित या कोरयुक्त, धातु या धातु कार्बाइड के सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या निक्षेपण के लिए प्रयुक्त; धातु छिड़काव के लिए प्रयुक्त, एकत्रित

		आधार धातु पाउडर से बने तार और छड़
386	84	केवल या मुख्य रूप से 15 एचपी से अधिक शक्ति वाले निश्चित गति डीजल इंजन के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
387	84 या 85	केवल या मुख्य रूप से बिजली चालित पंपों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग, जो मुख्य रूप से जल प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि अपकेंद्री पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूबवेल टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप
388	8401	परमाणु रिएक्टर; आइसोटोप पृथक्करण के लिए मशीनरी और उपकरण
389	8402	भाप या अन्य वाष्प उत्पन्न करने वाले बॉयलर (केंद्रीय हीटिंग गर्म पानी बॉयलर के अलावा जो कम दबाव भाप उत्पन्न करने में भी सक्षम हैं); अति-उष्ण जल बॉयलर
390	8403	केंद्रीय हीटिंग बॉयलर (शीर्षक 8402 के अलावा)
391	8404	शीर्षक 8402 या 8403 के बॉयलरों के साथ उपयोग के लिए सहायक संयंत्र (उदाहरण के लिए, इकोनोमाइज़र, सुपर-हीटर, सूट रिमूवर, गैस रिकवरीर); भाप या अन्य वाष्प विद्युत इकाइयों के लिए कंडेनसर
392	8405	उत्पादक गैस या जल गैस जनरेटर, उनके शोधक के साथ या उसके बिना; एसिटिलीन गैस जनरेटर और इसी प्रकार के जल प्रक्रिया गैस जनरेटर, उनके शोधक के साथ या उसके बिना
393	8406	भाप टर्बाइन और अन्य वाष्प टर्बाइन
394	8407	स्पार्क-इग्निशन रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [विमान इंजन के अलावा]
395	8408	संपीड़न-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध-डीजल इंजन)
396	8409	शीर्षक 8407 या 8408 के इंजनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
397	8410	हाइड्रोलिक टर्बाइन, जल पहिये और उनके नियामक
398	8411	टर्बो-जेट, टर्बो-प्रोपेलर और अन्य गैस टर्बाइन [विमान इंजन के अलावा]
399	8412	अन्य इंजन और मोटर (टर्बो जेट, हाइड्रोलिक पावर इंजन और मोटर, न्यूमेरिक पावर इंजन और मोटर, अन्य भागों के अलावा प्रतिक्रिया इंजन) [पवन टरबाइन या इंजन के अलावा]

400	8413	(क) कंक्रीट पंप [8413 40 00]; (ख) अन्य रोटरी धनात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; (ग) मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए पावर संचालित पंप, अर्थात्, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूबवेल टरबाइन पंप, पनडुब्बी पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप; फिलिंग स्टेशनों या गैरेज में उपयोग किए जाने वाले ईंधन या स्नेहक वितरित करने के लिए पंप [8413 11], आंतरिक दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, स्नेहन या शीतलन माध्यम पंप [8413 30]
401	8414	वायु या निर्वात पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; पंखे सहित वेंटिलेशन या रिसाइक्लिंग हुड, चाहे फिल्टर लगे हों या नहीं; गैस-तंग जैविक सुरक्षा कैबिनेट, चाहे फिल्टर लगे हों या नहीं [साइकिल पंप, अन्य हैंड पंप और वायु या निर्वात पंप के भागों और साइकिल पंप के कम्प्रेसर के अलावा]
402	8414 20 10	साइकिल पंप
403	8414 90 12	साइकिल पंपों के वायु या वैक्यूम पंप और कंप्रेसर के पुर्जे
404	8415	एयर कंडीशनिंग मशीनें, जिनमें मोटर चालित पंखा और तापमान और आर्द्रता को बदलने के लिए तत्व शामिल हैं, जिनमें वे मशीनें भी शामिल हैं जिनमें आर्द्रता को अलग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है
405	8416	तरल ईंधन, चूर्णित ठोस ईंधन या गैस के लिए भट्टी बर्नर; यांत्रिक स्टोकर, उनके यांत्रिक ग्रेट, यांत्रिक राख निस्सारक और इसी तरह के उपकरणों सहित
406	8417	औद्योगिक या प्रयोगशाला भट्टियां और ओवन, भस्मक सहित, गैर-विद्युत
407	8418	रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य प्रशीतन या हिमीकरण उपकरण, विद्युत या अन्य; हीट पंप, शीर्ष 8415 की वातानुकूलन मशीनों के अलावा
408	8419 [8419 12 के अलावा]	मशीनरी, संयंत्र या प्रयोगशाला उपकरण, चाहे विद्युत रूप से गर्म किए गए हों या नहीं (शीर्ष 8514 के भट्टियों, ओवन और अन्य उपकरणों को छोड़कर), तापमान में परिवर्तन जैसे कि गर्म करना, पकाना, भूनना, आसवन, सुधारना, जीवाणुरहित करना, पाश्चुरीकरण, भाप देना, सुखाना, वाष्पित करना, वाष्पीकृत करना, संघनित करना या ठंडा करना जैसी प्रक्रिया द्वारा सामग्री के उपचार के लिए, घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी या संयंत्र के अलावा; तात्कालिक या भंडारण जल हीटर, गैर-विद्युत [सौर जल हीटर और प्रणाली के अलावा]

409	8420	धातु या कांच के लिए कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीनें, और उनके सिलेंडर [हाथ से संचालित रबर रोलर के अलावा]
410	8421	सेंट्रीफ्यूज, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी शामिल हैं; तरल पदार्थ या गैसों के लिए फिल्टरिंग या शुद्धिकरण मशीनरी और उपकरण
411	8422	बर्तन धोने की मशीनें, घरेलू [8422 11 00] और अन्य [8422 19 00]; बोतलों या अन्य कंटेनरों को साफ करने या सुखाने के लिए मशीनरी; बोतलों, डिब्बों, बक्सों, थैलों या अन्य कंटेनरों को भरने, बंद करने, सील करने या लेबल लगाने के लिए मशीनरी; बोतलों, जार, ठूबों और इसी तरह के कंटेनरों को कैप्सूल करने के लिए मशीनरी; अन्य पैकिंग या लपेटने की मशीनरी (ताप-सिकुड़ने वाली लपेटने की मशीनरी सहित); पेय पदार्थों को वातित करने के लिए मशीनरी
412	8423	तौल मशीनें (5 सेंटीग्राम या उससे अधिक संवेदनशीलता वाली तुलाओं को छोड़कर), तौल से संचालित गिनती या जाँच मशीनों सहित; सभी प्रकार की तौल मशीनें
413	8424	तरल पदार्थ या पाउडर को प्रक्षेपित करने, फैलाने या छिड़कने के लिए यांत्रिक उपकरण (हाथ से संचालित हो या न हो); अग्निशामक यंत्र, चार्ज किए गए हो या न हो; स्प्रे गन और इसी तरह के उपकरण; भाप या रेत ब्लास्टिंग मशीन और इसी तरह की जेट प्रक्षेपित करने वाली मशीनें [स्प्रिंकलर के अलावा; ड्रिप सिंचाई प्रणालियां जिनमें लेटरल शामिल हैं; यांत्रिक स्प्रेयर; ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए नोजल या स्प्रिंकलर के लिए नोजल]
414	8425	पुली टैकल और होइस्ट, स्किप होइस्ट के अलावा; विंच और कैपस्टन; जैक
415	8426	जहाज के डेरिक; केबल क्रेन सहित क्रेन; मोबाइल लिफ्टिंग फ्रेम, स्ट्रैडल कैरियर और क्रेन से सुसज्जित कार्य ट्रक
416	8427	फोर्क-लिफ्ट ट्रक; उठाने या हैंडलिंग उपकरण से सुसज्जित अन्य कार्य ट्रक
417	8428	अन्य उठाने, संभालने, लादने या उतारने वाली मशीनरी (उदाहरण के लिए, लिफ्ट, एस्केलेटर, कन्वेयर, टेलीफेरिक्स)
418	8429	स्व-चालित बुलडोजर, एंगल्डोजर, ग्रेडर, लेबलर, स्क्रेपर, मैकेनिकल शॉवेल, उत्खननकर्ता, शॉवेल लोडर, टैम्पिंग मशीन और रोड रोलर
419	8430	मिट्टी, खनिज या अयस्कों के लिए अन्य गतिशील, ग्रेडिंग, समतलीकरण, खुरचना, उत्खनन, टैम्पिंग, कॉम्पैक्टिंग, निष्कर्षण या बोरिंग मशीनरी; पाइलड्राइवर और पाइल-एक्सट्रैक्टर; बर्फ हटाने

		वाले हल और बर्फ हटाने वाले यंत्र
420	8431	शीर्षक 8425 से 8430 की मशीनरी के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
421	8433	अण्डों, फलों या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें, शीर्ष 8437 की मशीनरी के अलावा; उसके भाग [8433 90 00]
422	8434	मिल्किंग मशीनें और डेयरी मशीनरी
423	8435	वाइन, साइडर, फलों के रस या इसी तरह के पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त प्रेस, क्रशर और इसी तरह की मशीनरी
424	8437	बीज, अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त मशीनें, कृषि प्रकार की मशीनरी और उनके भागों के अलावा
425	8438	खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या विनिर्माण के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, पशु या स्थिर वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा या तेलों के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी के अलावा
426	8439	रेशेदार सेल्युलोजिक सामग्री की लुगदी बनाने या कागज या पेपरबोर्ड बनाने या परिष्करण के लिए मशीनरी
427	8440	पुस्तक-बाइंडिंग मशीनरी, जिसमें पुस्तक-सिलाई मशीनें भी शामिल हैं
428	8441	कागज की लुगदी, कागज या पेपरबोर्ड बनाने के लिए अन्य मशीनरी, जिसमें सभी प्रकार की कटिंग मशीनें शामिल हैं
429	8442	प्लेट, मुद्रण घटक तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्षक 8456 से 8465 की मशीनों के अलावा); प्लेट, सिलेंडर और लिथोग्राफिक पत्थर, मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार (उदाहरण के लिए, समतल, दानेदार या पॉलिश किए हुए)
430	8443	शीर्ष 8442 के प्लेटों, सिलेंडरों और अन्य मुद्रण घटकों के माध्यम से मुद्रण के लिए प्रयुक्त मुद्रण मशीनरी; अन्य प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीनें और प्रतिकृति मशीनें, (चाहे संयुक्त हों या नहीं); उनके पुर्जे और सहायक उपकरण
431	8444	मानव निर्मित वस्त्र सामग्री को निकालने, चित्रित करने, बनावट देने या काटने के लिए मशीनें
432	8445	कपड़ा रेशे तैयार करने के लिए मशीनें; कपड़ा धागा बनाने के लिए कताई, दोहरीकरण या घुमाव मशीनें और अन्य मशीनरी; कपड़ा

		रीलिंग या वाइंडिंग (वेफ्ट-वाइंडिंग सहित) मशीनें और शीर्ष 8446 या 8447 की मशीनों पर उपयोग के लिए कपड़ा धागा तैयार करने के लिए मशीनें
433	8446	बुनाई मशीनें (करघे)
434	8447	बुनाई मशीनें, सिलाई-बंधन मशीनें और गिम्ड यार्न, ट्यूल, लेस, कढ़ाई, ट्रिमिंग, ब्रैड या नेट बनाने के लिए मशीनें और टर्निंग के लिए मशीनें
435	8448	शीर्ष 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए सहायक मशीनरी (उदाहरण के लिए, डॉबी, जैकार्ड, स्वचालित स्टॉप मोशन, शटल बदलने की प्रणाली); इस शीर्षक या शीर्ष 8444, 8445, 8446 या 8447 की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और सहायक उपकरण (उदाहरण के लिए, स्पिंडल और स्पिंडल फ्लायर्स, कार्ड क्लोथिंग, कंधे, एक्सट्रूडिंग निपल्स, शटल, हील्ड और हील्ड फ्रेम, होजरी सुइयां)
436	8449	टुकड़े या आकार में फेल्ड या नॉनबोवन के निर्माण या परिष्करण के लिए मशीनरी, जिसमें फेल्ड हैट बनाने के लिए मशीनरी शामिल है; हैट बनाने के लिए ब्लॉक
437	8450	घरेलू या कपड़े धोने वाली वाशिंग मशीनें, जिनमें धोने और सुखाने वाली मशीनें भी शामिल हैं
438	8451	कपड़े धोने, साफ करने, निचोड़ने, सुखाने, इस्त्री करने, दबाने (फ्यूजिंग प्रेस सहित), ब्लीचिंग, रंगाई, ट्रेसिंग, फिनिशिंग, कोटिंग या कपड़ा धागों, कपड़ों या तैयार कपड़ा वस्तुओं को संसेचित करने के लिए मशीनरी (शीर्षक 8450 की मशीनों के अलावा) और आधार कपड़े या लिनोलियम जैसे फर्श कवरिंग के निर्माण में प्रयुक्त अन्य सहारे पर पेस्ट लगाने के लिए मशीनें; कपड़ा कपड़ों को रीलिंग, अनरीलिंग, फोल्डिंग, कटिंग या पिक्किंग करने के लिए मशीनें
439	8453	खाल, चमड़े या चमड़ा तैयार करने, उसे रंगने या उस पर काम करने या जूते या खाल, चमड़े या चमड़े से बनी अन्य वस्तुएं बनाने या उनकी मरम्मत करने के लिए मशीनरी, सिलाई मशीनों के अलावा
440	8454	कन्वर्टर, लैडल, इनगॉट मोल्ड और कास्टिंग मशीनें, एक प्रकार की जो धातु विज्ञान या धातु ढलाईघरों में उपयोग की जाती हैं
441	8455	धातु-रोलिंग मिलें और उनके रोल
442	8456	किसी भी सामग्री को हटाने, लेजर या अन्य प्रकाश या फोटॉन बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रो-डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो-केमिकल, इलेक्ट्रॉन बीम, आयनिक-बीम या प्लाज्मा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा काम करने के लिए

		मशीन-टूल्स
443	8457	धातु पर काम करने के लिए मशीनिंग केंद्र, इकाई निर्माण मशीनें (एकल स्टेशन) और बहु-स्टेशन स्थानांतरण मशीनें
444	8458	धातु हटाने के लिए खराद (टर्निंग सेंटर सहित)
445	8459	ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, ग्रेडिंग या धातु हटाकर टैपिंग के लिए मशीन-टूल्स (वे-टाइप यूनिट हेड मशीनों सहित), शीर्षक 8458 के खराद (टर्निंग सेंटर सहित) के अलावा
446	8460	धातु को खुरचने, तेज करने, पीसने, धार लगाने, चमकाने, लैपिंग करने, पॉलिश करने या अन्यथा परिष्कृत करने के लिए मशीन-उपकरण, या पीसने वाले पत्थरों, अपघर्षकों या पॉलिशिंग उत्पादों के माध्यम से धातु को खुरचने, तेज करने, पीसने, धार लगाने, पॉलिश करने या अन्यथा परिष्कृत करने के लिए मशीन-उपकरण, शीर्ष 8461 के गियर काटने, गियर पीसने या गियर परिष्करण मशीनों के अलावा
447	8461	समतलीकरण, आकार देने, खांचा बनाने, ब्रोचिंग, गियर काटने, गियर पीसने या गियर परिष्करण, काटने, काटने और धातु या सेमेंट को हटाकर काम करने वाले अन्य मशीन-टूल, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
448	8462	फोर्जिंग, हैमरिंग या डाई फोर्जिंग द्वारा धातु पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (प्रेस सहित) (रोलिंग मिलों को छोड़कर); झुकने, मोड़ने, सीधा करने, चपटा करने, कतरने, छिद्रण, नोचिंग या निबलिंग द्वारा धातु पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन और कट-टू-लेंथ लाइन सहित) (ड्रॉ-बेंच को छोड़कर); धातु या धातु कार्बाइड पर काम करने के लिए प्रेस, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं
449	8463	सामग्री को हटाए बिना धातु या सेमेंट्स पर काम करने के लिए अन्य मशीन-टूल्स
450	8464	पत्थर, चीनी मिट्टी, कंक्रीट, एस्बेस्टस-सीमेंट या इसी तरह के खनिज पदार्थों पर काम करने के लिए या कांच पर ठंडे काम करने के लिए मशीन-टूल
451	8465	लकड़ी, कॉर्क, हड्डी, कठोर रबर, कठोर प्लास्टिक या इसी तरह की कठोर सामग्रियों पर काम करने के लिए मशीन-टूल्स (कील ठोकने, स्टेपल लगाने, चिपकाने या अन्यथा संयोजन करने वाली मशीनों सहित)
452	8466	शीर्ष 8456 से 8465 तक की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और सहायक उपकरण जिनमें

		शामिल हैं: कार्य या उपकरण धारक, स्वतः खुलने वाले डाईहेड, विभाजक शीर्ष और मशीनों के लिए अन्य विशेष अनुलग्नक; हाथ से काम करने के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण के लिए उपकरण धारक
453	8467	हाथ से काम करने के लिए उपकरण, वायवीय, हाइड्रोलिक या स्व-निहित विद्युत या गैर-विद्युत मोटर के साथ
454	8468	सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिए मशीनरी और उपकरण, चाहे काटने में सक्षम हों या नहीं, शीर्ष 8515 के अंतर्गत आने वाले उपकरणों को छोड़कर; गैस चालित सतह टेम्परिंग मशीनें और उपकरण
455	8470	गणना मशीनें और पॉकेट आकार के डेटा रिकॉर्डिंग, गणना कार्यों के साथ पुनरुत्पादन और प्रदर्शन मशीनें; लेखा मशीनें, डाक-फ्रैंकिंग मशीनें, टिकट जारी करने वाली मशीनें और इसी तरह की मशीनें, एक गणना उपकरण को शामिल करना; कैश रजिस्टर
456	8471	स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीनें और उनकी इकाइयाँ; चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर, कोडित रूप में डेटा मीडिया पर डेटा को लिखने के लिए मशीनें और ऐसे डेटा को संसाधित करने के लिए मशीनें, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
457	8472	अन्य कार्यालय मशीनें (उदाहरण के लिए, हेक्स्टोग्राफ या स्टेंसिल डुप्लिकेटिंग मशीनें, एड्रेसिंग मशीनें, स्वचालित बैंकनोट डिस्पेंसर, सिक्का छंटाई मशीनें, सिक्का गिनने या लपेटने वाली मशीनें, पेंसिल शार्पनिंग मशीनें, छिद्रण या स्टेपलिंग मशीनें) [ब्रिल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक या गैर-इलेक्ट्रिक के अलावा]
458	8473	भाग और सहायक उपकरण (कवर, कैरी केस और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के अलावा) जो केवल या मुख्य रूप से शीर्षक 8470 से 8472 की मशीनों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
459	8474	ठोस (पाउडर या पेस्ट सहित) रूप में मिट्टी, पत्थर, अयस्कों या अन्य खनिज पदार्थों को छांटने, छानने, अलग करने, धोने, कुचलने, पीसने, मिलाने या गूँथने के लिए मशीनरी; ठोस खनिज ईंधन, सिरैमिक पेस्ट, कठोर न किए गए सीमेंट, प्लास्टर सामग्री या अन्य खनिज उत्पादों को पाउडर या पेस्ट के रूप में एकत्रित करने, आकार देने या ढालने के लिए मशीनरी; रेत के ढलाई सांचे बनाने के लिए मशीनें
460	8475	कांच के लिफाफों में विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक लैंप, ट्यूब या वाल्व या फ्लैश बल्ब को जोड़ने के लिए मशीनें; कांच या कांच के बर्तनों के निर्माण या गर्म कार्य के लिए मशीनें

461	8476	स्वचालित सामान बेचने वाली मशीनें (उदाहरण के लिए, डाक टिकट, सिगरेट, खाद्य या पेय पदार्थ बेचने वाली मशीनें), जिनमें पैसे बदलने वाली मशीनें भी शामिल हैं
462	8477	रबर या प्लास्टिक पर काम करने या इन सामग्रियों से उत्पादों के निर्माण के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है
463	8478	तम्बाकू तैयार करने या बनाने की मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है
464	8479	मशीनें और यांत्रिक उपकरण जिनके अलग-अलग कार्य हैं, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [कंपोस्टिंग मशीनों के अलावा]
465	8480	धातु ढलाई के लिए मोल्टिंग बक्से; मोल्ड बेस; मोल्टिंग पैटर्न; धातु के लिए मोल्ड (पिंड मोल्ड के अलावा), धातु कार्बाइड, कांच, खनिज सामग्री, रबर या प्लास्टिक
466	8481	पाइप, बॉयलर शेल, टैंक, वैट या इसी तरह के अन्य उपकरणों के लिए नल, कॉक, वाल्व और इसी तरह के उपकरण, जिनमें दबाव कम करने वाले वाल्व और थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित वाल्व शामिल हैं
467	8482	बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग
468	8483	ट्रांसमिशन शाफ्ट (कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट सहित) और क्रैंक; बेयरिंग हाउसिंग और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग; गियर और गियरिंग; बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बॉक्स और अन्य गति परिवर्तक, टॉर्क कन्वर्टर सहित; फ्लाईव्हील और पुली, पुली ब्लॉक सहित; क्लच और शाफ्ट कपलिंग (यूनिवर्सल जॉइंट सहित)
469	8484	धातु शीटिंग के गैस्केट और इसी प्रकार के जोड़, अन्य सामग्री के साथ या धातु की दो या अधिक परतों के साथ संयुक्त; गैस्केट और इसी प्रकार के जोड़ों के सेट या वर्गीकरण, संरचना में भिन्न, थैलियों, लिफाफों या इसी प्रकार की पैकिंग में रखे गए; यांत्रिक सील
470	8485	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें
471	8486	अर्धचालक बौल्स या वेफर्स, अर्धचालक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट या फ्लैट पैनल डिस्प्ले के विनिर्माण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली मशीनें और उपकरण; इस अध्याय के (नोट) 11(सी) में निर्दिष्ट मशीनें और उपकरण; पुर्जे और सहायक उपकरण
472	8487	मशीनरी के ऐसे भाग जिनमें विद्युत कनेक्टर, इन्सुलेटर, कॉइल, संपर्क या अन्य विद्युत विशेषताएं नहीं हैं जो इस अध्याय में अन्यत्र

		निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
473	84 या 85	ई-अपशिष्ट <i>स्पष्टीकरण:-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई-अपशिष्ट का अर्थ ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 (भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित) की अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिन्हें उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप से त्याग दिया जाता है।
474	8501	विद्युत मोटर और जनरेटर (जनरेटिंग सेट को छोड़कर)
475	8502	विद्युत जनरेटिंग सेट और रोटरी कन्वर्टर
476	8503	शीर्षक 8501 या 8502 की मशीनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
477	8504	विद्युत ट्रांसफार्मर, स्थैतिक कन्वर्टर (उदाहरण के लिए, रेक्टिफायर) और इंडक्टर, विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जर या चार्जिंग स्टेशन के अलावा
478	8505	विद्युत-चुम्बक; स्थायी चुम्बक और चुम्बकीकरण के बाद स्थायी चुम्बक बनने के लिए प्रयुक्त वस्तुएँ; विद्युत-चुम्बकीय या स्थायी चुम्बक चक, क्लैम्प और इसी प्रकार के धारण उपकरण; विद्युत-चुम्बकीय युग्मन, क्लच और ब्रेक; विद्युत-चुम्बकीय उत्पादक शीर्ष
479	8506	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियाँ
480	8507	विद्युत संचायक, «सहित» इसके विभाजक, «चाहे आयताकार हों या नहीं» (वर्गाकार सहित)
481	8508	वैक्यूम क्लीनर्स
482	8509	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घरेलू उपकरण, स्व-निहित विद्युत मोटर के साथ, शीर्षक 8508 के वैक्यूम क्लीनर के अलावा
483	8510	शेवर, हेयर क्लिपर और बाल हटाने वाले उपकरण, स्व-निहित इलेक्ट्रिक मोटर के साथ
484	8511	स्पार्क-इग्निशन या कम्प्रेशन-इग्निशन आंतरिक दहन इंजनों के लिए प्रयुक्त विद्युत इग्निशन या स्टार्टिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, इग्निशन मैग्नेटो, मैग्नेटो-डायनेमो, इग्निशन कॉइल, स्पार्किंग प्लग और ग्लो प्लग, स्टार्टर मोटर); जनरेटर (उदाहरण के लिए, डायनेमो, अल्टरनेटर) और ऐसे इंजनों के साथ संयोजन में प्रयुक्त कट-आउट
485	8512	विद्युत प्रकाश या संकेत उपकरण (शीर्षक 8539 के लेखों को

		छोड़कर), विंडस्क्रीन वाइपर, डिफ्रॉस्टर और डिमिस्टर, साइकिल या मोटर वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के
486	8513	अपने स्वयं के ऊर्जा स्रोत (उदाहरण के लिए, सूखी बैटरी, संचायक, मैग्नेटो) द्वारा कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए पोर्टेबल विद्युत लैंप, शीर्षक 8512 के प्रकाश उपकरणों के अलावा
487	8514	औद्योगिक या प्रयोगशाला विद्युत भट्टियां और ओवन (प्रेरण या परावैद्युत हानि द्वारा संचालित भट्टियां और ओवन सहित); प्रेरण या परावैद्युत हानि द्वारा सामग्रियों के ताप उपचार के लिए अन्य औद्योगिक या प्रयोगशाला उपकरण
488	8515	विद्युत (विद्युतीय रूप से गर्म गैस सहित), लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रॉन बीम, चुंबकीय पल्स या प्लाज्मा आर्क सोल्डरिंग, ब्रेज़िंग या वेल्डिंग मशीनें और उपकरण, काटने में सक्षम हों या नहीं; धातुओं या सेमेंट्स के गर्म छिड़काव के लिए विद्युत मशीनें और उपकरण
489	8516	विद्युत तात्कालिक या भंडारण जल हीटर और विसर्जन हीटर; विद्युत अंतरिक्ष हीटिंग उपकरण और मिट्टी हीटिंग उपकरण; इलेक्ट्रो थर्मिक हेयरड्रेसिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर, कर्लिंग टोंग हीटर) और हैंड ड्रायर; इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन; घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रो-थर्मिक उपकरण [सौर कुकर के अलावा]; इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रतिरोधक, शीर्षक 8545 के अलावा
490	8517	सभी सामान
491	8518	माइक्रोफोन और स्टैंड; लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवरण में लगे हों या नहीं; हेडफोन और इयरफोन, चाहे वे माइक्रोफोन के साथ लगे हों या नहीं, तथा माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकरों से युक्त सेट; ऑडियो-फ्रीक्वेंसी विद्युत प्रवर्धक; विद्युत ध्वनि प्रवर्धक सेट
492	8519	ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण
493	8521	वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण, जिसमें वीडियो ट्यूबर शामिल हो या न हो
494	8522	शीर्षक 8519 या 8521 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग और सहायक उपकरण
495	8523	डिस्क, टेप, ठोस-अवस्था गैर-वाष्पशील भंडारण उपकरण, "स्मार्ट कार्ड" और ध्वनि या अन्य घटनाओं की रिकॉर्डिंग के लिए अन्य मीडिया, चाहे रिकॉर्ड किया गया हो या नहीं, डिस्क के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस और मास्टर्स सहित, लेकिन अध्याय 37 के उत्पादों को

		छोड़कर
496	8524	फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, चाहे उनमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हों या नहीं
497	8525	क्लोउड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए संचरण उपकरण, जिसमें रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या न हो; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर [रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफ़ा रेडियो (वॉकी टॉकी) के अलावा]
498	8526	रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशनल सहायता उपकरण और रेडियो रिमोट कंट्रोल उपकरण
499	8527	रेडियो प्रसारण के लिए रिसेप्शन उपकरण, (चाहे हो या न हो), एक ही आवास में, ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त
500	8528	टेलीविजन सेट (एलसीडी या एलईडी टेलीविजन सहित), कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन के लिए सेट टॉप बॉक्स; मॉनिटर और प्रोजेक्टर, जिनमें टेलीविजन रिसेप्शन उपकरण शामिल नहीं हैं, टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, जिनमें रेडियो-प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हैं या नहीं
501	8529	शीर्षक 8525 से 8528 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
502	8530	रेलवे, ट्रामवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाएं, बंदरगाह प्रतिष्ठान या हवाई क्षेत्र (शीर्षक 8608 के अलावा) के लिए विद्युत सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण
503	8531	विद्युत ध्वनि या दृश्य संकेत उपकरण (उदाहरण के लिए, घंटियाँ, सायरन, संकेतक पैनल, चोर या अग्नि अलार्म), शीर्षक 8512 या 8530 के अलावा
504	8532	विद्युत संधारित्र, स्थिर, परिवर्तनीय या समायोज्य (पूर्व-सेट)
505	8533	विद्युत प्रतिरोधक (रिओस्टेट और पोटेंशियोमीटर सहित), तापन प्रतिरोधकों के अलावा
506	8534 00 00	मुद्रित सर्किट
507	8535	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने के लिए, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, फ्यूज़, तड़ित अवरोधक, वोल्टेज सीमक, सर्ज सप्रेसर, प्लग और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट

		से अधिक वोल्टेज के लिए
508	8536	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, रिले, फ्यूज़, सर्ज सप्रेसर, प्लग, सॉकेट, लैपहोल्डर और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए: ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए कनेक्टर
509	8537	विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण के लिए शीर्ष 8535 या 8536 के दो या अधिक उपकरणों से सुसज्जित बोर्ड, पैनल, कंसोल, डेस्क, कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या उपकरण शामिल हैं, और संख्यात्मक नियंत्रण उपकरण, शीर्ष 8517 के स्विचिंग उपकरण के अलावा
510	8538	शीर्षक 8535, 8536 या 8537 के उपकरणों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग
511	8539	विद्युत फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप इकाइयां और अल्ट्रा-वायलेट या इन्फ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप
512	8540	थर्मिओनिक, शीत कैथोड या फोटो-कैथोड वाल्व और ट्यूब (उदाहरण के लिए, वैक्यूम या वाष्प या गैस से भरे वाल्व और ट्यूब, पारा चाप सुधारक वाल्व और ट्यूब, कैथोड-रे ट्यूब, टेलीविजन कैमरा ट्यूब)
513	8541	अर्धचालक उपकरण (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक आधारित ट्रांसज्यूसर); प्रकाश-संवेदी अर्धचालक उपकरण; प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन किए गए हों या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल
514	8542	इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट
515	8543	विद्युत मशीनें और उपकरण, जिनके अलग-अलग कार्य हैं, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
516	8544	इन्सुलेटेड (इन्वैलेड या एनोडाइज्ड सहित) तार, केबल (को-एक्सियल केबल सहित) और अन्य इन्सुलेटेड विद्युत कंडक्टर, चाहे कनेक्टर के साथ फिट किए गए हों या नहीं; ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो व्यक्तिगत रूप से शीथ किए गए फाइबर से बने होते हैं, चाहे विद्युत कंडक्टर के साथ इकट्ठे किए गए हों या कनेक्टर के साथ फिट किए गए हों
517	8545	कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन ब्रश, लैंप कार्बन, बैटरी कार्बन और ग्रेफाइट या अन्य कार्बन की अन्य वस्तुएं, धातु के साथ या उसके बिना, विद्युत प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं

518	8546	किसी भी सामग्री के विद्युत इन्सुलेटर
519	8547	विद्युत मशीनों, उपकरणों या उपकरणों के लिए इंसुलेटिंग फिटिंग्स, जो धातु के किसी छोटे घटक (उदाहरण के लिए, थ्रेडेड सॉकेट) को छोड़कर पूरी तरह से इंसुलेटिंग सामग्री से बनी फिटिंग्स हैं, जिन्हें केवल संयोजन के प्रयोजनों के लिए मोल्टिंग के दौरान शामिल किया गया है, शीर्षक 8546 के इंसुलेटरों के अलावा; विद्युत कंड्यूट ट्यूबिंग और उनके जोड़, इंसुलेटिंग सामग्री से पंक्तिबद्ध आधार धातु के।
520	8548 00 00	मशीनरी या उपकरण के विद्युत भाग, जो अध्याय 85 में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
521	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्कैप
522	8601	रेल इंजन बाहरी विद्युत स्रोत या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित होते हैं।
523	8602	अन्य रेल इंजन; इंजन टेंडर; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, स्टीम इंजन और उनके टेंडर
524	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्ष 8604 के अंतर्गत आने वाले कोचों को छोड़कर।
525	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, चाहे वे स्व-चालित हों या नहीं (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)
526	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं; सामान वैन, डाकघर डिब्बे और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं हैं (शीर्षक 8604 के डिब्बे को छोड़कर)
527	8606	रेलवे या ट्रामवे मालवाहक वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं
528	8607	रेलवे या ट्रामवे इंजन या रोलिंग स्टॉक के भाग; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, धुरी और पहिए, और उनके भाग।
529	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाएं, बंदरगाह स्थापना या हवाई क्षेत्र के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वोक्त के भाग।
530	8609	कंटेनर (द्वों के परिवहन के लिए कंटेनर सहित) विशेष रूप से एक या अधिक परिवहन साधनों द्वारा परिवहन के लिए डिज़ाइन और सुसज्जित [रिफ्रिजरेटेड कंटेनर सहित]
531	8701	1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टर

532	8702	दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिसमें चालक भी शामिल है [सार्वजनिक परिवहन में उपयोग के लिए बसें भी शामिल हैं, जो विशेष रूप से जैव-ईंधन पर चलती हैं]
533	8702 या 8703	ऐसे मोटर वाहन जो एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत किए गए हों, ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण से सुसज्जित हों।
534	8703 21 या 8703 22	पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। <i>स्पष्टीकरण:-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा
535	8703 31	डीजल चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। <i>स्पष्टीकरण:-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा
536	8703	निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो, अर्थात्: - (क) पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो; और (ख) डीजल चालित वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो, अस्थि-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, इस 'शर्त' के अधीन कि भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग में उप सचिव के पद से नीचे का अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उक्त सामान का उपयोग अस्थि-विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा
537	8703	तीन पहिया वाहन
538	8703 40, 8703 60	निम्नलिखित वाहन, जिनमें स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए विद्युत मोटर दोनों हैं; (क) ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण से सुसज्जित, एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत मोटर वाहन (ख) तीन पहिया वाहन (ग) जिन मोटर वाहनों की इंजन क्षमता 1200 सीसी से

		अधिक और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
539	8703 50, 8703 70	निम्नलिखित वाहन, जिनमें संपीडन-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीज़ल या अर्ध-डीज़ल] और प्रणोदन हेतु विद्युत मोटर दोनों हों; (क) ऐसे मोटर वाहन जिन्हें एम्बुलेंस के रूप में अनुमोदित किया गया हो और जो ऐसे मोटर वाहन बनाने वाली फैक्ट्री से एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरणों से सुसज्जित हों। (ख) तीन पहिया वाहन (ग) ऐसे मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो और लंबाई 4000 मिमी से अधिक न हो। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
540	8704	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिनमें प्रशीतित मोटर वाहन भी शामिल हैं
541	8705	विशेष प्रयोजन मोटर वाहन, (उनके अलावा) जो मुख्य रूप से व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (उदाहरण के लिए, ब्रेकडाउन लॉरी, क्रेन लॉरी, अग्निशमन वाहन, कंक्रीट-मिक्सर लॉरी, रोड स्वीपर लॉरी, स्प्रेइंग लॉरी, मोबाइल वर्कशॉप, मोबाइल रेडियोलॉजिकल यूनिट)
542	8706	शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए इंजन से सुसज्जित चेसिस
543	8707	निकाय (कैब सहित) शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के लिए
544	8708	शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण [ट्रैक्टरों के निर्दिष्ट पुर्जों के अलावा]
545	8709	कार्य ट्रक, स्व-चालित, उठाने या संभालने वाले उपकरणों से सुसज्जित नहीं, माल के अल्प दूरी के परिवहन के लिए कारखानों, गोदामों, गोदी क्षेत्रों या हवाई अड्डों में प्रयुक्त प्रकार के; रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पर प्रयुक्त प्रकार के ट्रैक्टर; पूर्वोक्त वाहनों के भाग

546	8711	मोटरसाइकिलें (मोपेड सहित) और साइकिलें जिनमें 350 सीसी से अधिक की सहायक मोटर नहीं लगी हो, साइड-कार के साथ या उसके बिना; साइड-कार
547	8714	शीर्षक 8711 के वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण
548	8715	शिशु गाड़ियाँ और उनके पुर्जे
549	8716	ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर; अन्य वाहन, जो यंत्रचालित नहीं हैं; उनके भाग [कृषि प्रयोजनों के लिए स्व-लोडिंग या स्व-अनलोडिंग ट्रेलरों के अलावा, और हस्तचालित वाहन (जैसे हाथ गाड़ियाँ, रिक्शा और इसी तरह के वाहन); पशु चालित वाहन]
550	8801	गुब्बारे और दिरिजिबल्स, ग्लाइडर और अन्य गैर-संचालित विमान
551	8804	पैराशूट (जिसमें निर्देशित पैराशूट और पैराग्लाइडर शामिल हैं) और रोटोशूट; इसके पुर्जे और सहायक उपकरण और इसके पुर्जे
552	8805	विमान प्रक्षेपण गियर, डेक अरेस्टर या समान गियर; ग्राउंड फ्लाईंग ट्रेनर और उसके हिस्से
553	8807	शीर्षक 8801 के माल के पुर्जे
554	8903	नौकायन नावें और डोंगियाँ
555	8908 00 00	टूटने के लिए जहाज और अन्य तैरती संरचनाएं
556	9001	ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर बंडल; शीर्षक 8544 के ऑप्टिकल फाइबर केबलों को छोड़कर; ध्रुवीकरण सामग्री की शीट और प्लेटें; प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व, किसी भी सामग्री के, अनमाउंटेड, ऑप्टिकली काम न करने वाले कांच के ऐसे तत्वों को छोड़कर
557	9002	लेंस, प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व, किसी भी सामग्री से बने, उपकरणों या उपकरणों के भाग या फिटिंग के रूप में, कांच के ऐसे तत्वों के अलावा जो ऑप्टिकल रूप से काम नहीं करते हैं [इंट्राओकुलर लेंस के अलावा]
558	9004	चश्मा [सुधारात्मक के अलावा]; गॉगल्स [सुधारात्मक के अलावा]
559	9005	दूरबीन, एक्कोशिकीय, अन्य प्रकाशीय दूरदर्शी और उनके लिए माउंटिंग; अन्य खगोलीय उपकरण और उनके लिए माउंटिंग, लेकिन रेडियो-खगोल विज्ञान के लिए उपकरण शामिल नहीं हैं
560	9006	फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक के अलावा) कैमरे; फोटोग्राफिक फ्लैशलाइट उपकरण और फ्लैशबल्ब, शीर्षक 8539 के डिस्चार्ज लैंप के अलावा

561	9007	सिनेमैटोग्राफिक कैमरे और प्रोजेक्टर, चाहे उनमें ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हों या नहीं
562	9008	छवि प्रोजेक्टर, सिनेमैटोग्राफिक के अलावा; फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक के अलावा) एन्लार्जर और रिड्यूसर
563	9010	फोटोग्राफिक (सिनेमैटोग्राफिक सहित) प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और उपस्कर, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; नेगेटोस्कोप; प्रोजेक्शन स्क्रीन
564	9011	संयुक्त प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, जिनमें फोटोमाइक्रोग्राफी, सिनेफोटोमाइक्रोग्राफी या माइक्रोप्रोजेक्शन के लिए उपयोग होने वाले भी शामिल हैं
565	9012	प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के अलावा अन्य सूक्ष्मदर्शी; विवर्तन उपकरण
566	9013	लेज़र, लेज़र डायोड के अलावा; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
567	9014	दिशा-निर्देशक कम्पास; अन्य दिशासूचक उपकरण और यंत्र
568	9015	सर्वेक्षण (फोटोग्रामेट्रिकल सर्वेक्षण सहित), जल सर्वेक्षण, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान या भूभौतिकीय उपकरण और उपकरण, कम्पास को छोड़कर; रेंजफाइंडर
569	9016	5 सीजी या उससे बेहतर संवेदनशीलता का संतुलन, भार के साथ या बिना
570	9017	ड्राइंग, मार्किंग या गणितीय गणना करने वाले उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्राफ्टिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रेक्टर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूल, डिस्क कैलकुलेटर); हाथ में उपयोग के लिए लंबाई मापने वाले उपकरण (उदाहरण के लिए, मापने वाली छड़ें और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं
571	9022	एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोगों के अलावा], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्स-रे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार टेबल, कुर्सियां और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं
572	9023	प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों (उदाहरण के लिए, शिक्षा या प्रदर्शनियों में) के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण, उपकरण और मॉडल, अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त

573	9024	सामग्रियों (उदाहरण के लिए, धातु, लकड़ी, वस्त्र, कागज, प्लास्टिक) की कठोरता, शक्ति, संपीडनशीलता, लोच या अन्य यांत्रिक गुणों के परीक्षण के लिए मशीनें और उपकरण
574	9025	हाइड्रोमीटर और इसी तरह के तैरने वाले उपकरण, थर्मामीटर, पाइरोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर, रिकॉर्डिंग करने वाले या न करने वाले, और इन उपकरणों का कोई भी संयोजन [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए थर्मामीटर के अलावा]
575	9026	तरल पदार्थों या गैसों के प्रवाह, स्तर, दबाव या अन्य चरों को मापने या जांचने के लिए उपकरण और तंत्र (उदाहरण के लिए, प्रवाह मीटर, स्तर गेज, मैनोमीटर, ताप मीटर), शीर्ष 9014, 9015, 9028 या 9032 के उपकरणों और तंत्रों को छोड़कर
576	9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण और यंत्र (उदाहरण के लिए, पोलरिफ्रेक्टोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, गैस या धुआं विश्लेषण उपकरण); श्यानता, सरंध्रता, विस्तार, पृष्ठ तनाव या इसी तरह के मापन या जांच के लिए उपकरण और यंत्र; ऊष्मा, ध्वनि या प्रकाश की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए उपकरण और यंत्र (एक्सपोजर मीटर सहित); माइक्रोटोम [भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए उपकरणों और यंत्रों के अलावा]
577	9028	गैस, तरल या बिजली आपूर्ति या उत्पादन मीटर, इसके लिए अंशांकन मीटर सहित
578	9029	क्रांति काउंटर, उत्पादन काउंटर, टैक्सीमीटर, माइलोमीटर, पेडोमीटर और इसी तरह के उपकरण; गति सूचक और टैकोमीटर, शीर्षक 9014 या 9015 के अलावा; स्ट्रोबोस्कोप
579	9030	विद्युत मात्राओं को मापने या जांचने के लिए ऑसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषक और अन्य उपकरण और यंत्र, शीर्ष 9028 के मीटरों को छोड़कर; अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, ब्रह्मांडीय या अन्य आयनकारी विकिरणों को मापने या पता लगाने के लिए उपकरण और यंत्र
580	9031	मापने या जांचने वाले उपकरण, उपकरण और मशीनें, जो इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रोफाइल प्रोजेक्टर
581	9032	स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरण और तंत्र
582	9033	अध्याय 90 की मशीनों, उपकरणों, यंत्रों या उपकरणों के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण (इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल

		नहीं)
583	9101	कलाई घड़ियाँ, पॉकेट घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ भी शामिल हैं, जिनका केस कीमती धातु से बना हो या जिन पर कीमती धातु चढ़ी हो
584	9102	कलाई घड़ियाँ, पॉकेट घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिनमें स्टॉप घड़ियाँ भी शामिल हैं, शीर्षक 9101 के अंतर्गत आने वाली घड़ियों को छोड़कर
585	9103	घड़ी की गति वाली घड़ियाँ, शीर्षक 9104 की घड़ियों को छोड़कर
586	9104	वाहनों, विमानों, अंतरिक्ष यानों या जलयानों के लिए उपकरण पैनल घड़ियाँ और इसी प्रकार की घड़ियाँ
587	9105	अन्य घड़ियाँ
588	9106	दिन का समय रिकॉर्ड करने वाले उपकरण और समय के अंतराल को मापने, रिकॉर्ड करने या अन्यथा इंगित करने वाले उपकरण, घड़ी या घड़ी की गति के साथ या सिंक्रोनस मोटर के साथ (उदाहरण के लिए, समय-रजिस्टर, समय-रिकॉर्डर)
589	9107	घड़ी या घड़ी की गति या तुल्यकालिक मोटर के साथ समय स्विच
590	9108	घड़ी की गति, पूर्ण और संयोजित
591	9109	घड़ी की गति, पूर्ण और संयोजित
592	9110	पूर्ण घड़ी या घड़ी मूवमेंट, असंयोजित या आंशिक रूप से असेंबल (मूवमेंट सेट); अपूर्ण घड़ी या घड़ी मूवमेंट, असेंबल; कच्ची घड़ी या घड़ी मूवमेंट
593	9111	घड़ी के केस और उसके पुर्जे
594	9112	इस अध्याय के अन्य सामानों के लिए घड़ी के केस और इसी प्रकार के केस, और उनके भाग
595	9113	घड़ी के पट्टे, घड़ी के बैंड और घड़ी के कंगन, और उनके हिस्से
596	9114	अन्य घड़ी या घड़ी के पुर्जे
597	9201	पियानो, जिसमें स्वचालित पियानो, हार्पसी-कॉर्ड और अन्य कुंजीपटल तार वाले वाद्य यंत्र शामिल हैं
598	9202	अन्य तार वाले संगीत वाद्ययंत्र (उदाहरण के लिए, गिटार, वायलिन, वीणा)
599	9205	वायु वाद्य यंत्र (उदाहरण के लिए, कीबोर्ड पाइप ऑर्गन, अकॉर्डियन, क्लैरिनेट, ट्रम्पेट, बैगपाइप), मेला ग्राउंड ऑर्गन और मैकेनिकल

		स्ट्रीट ऑर्गन के अलावा
600	9206 00 00	ताल वाद्य यंत्र (उदाहरण के लिए, ड्रम, ज़ाइलोफोन, सिम्बोल, कैस्टनेट, माराकास)
601	9207	संगीत वाद्ययंत्र, जिनकी ध्वनि विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती है, या बढ़ाई जानी चाहिए (उदाहरण के लिए, ऑर्गन, गिटार, अकॉर्डियन)
602	9208	संगीत बॉक्स, मेला ग्राउंड ऑर्गन, यांत्रिक स्ट्रीट ऑर्गन, यांत्रिक गायन पक्षी, संगीत आरी और अन्य संगीत वाद्ययंत्र जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं आते हैं; सभी प्रकार की डिकाॅय कॉल; सीटियां, कॉल हॉर्न और अन्य मुंह से बजाए जाने वाले ध्वनि संकेत यंत्र
603	9209	संगीत वाद्ययंत्रों के भाग (उदाहरण के लिए, संगीत बक्सों के लिए तंत्र) और सहायक उपकरण (उदाहरण के लिए, यांत्रिक उपकरणों के लिए कार्ड, डिस्क और रोल); सभी प्रकार के मेट्रोनोम, ट्यूनिंग फोर्क और पिच पाइप
604	9301	सैन्य हथियार (रिवाल्वर, पिस्तौल के अलावा)
605	9303	अन्य आग्नेयास्त्र और इसी प्रकार के उपकरण जो विस्फोटक चार्ज के फायर द्वारा संचालित होते हैं (उदाहरण के लिए, खेल शॉटगन और राइफल, थूथन-लोडिंग आग्नेयास्त्र, बहुत पिस्तौल और अन्य उपकरण जो केवल सिग्नल फ्लेयर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, खाली गोला बारूद फायर करने के लिए पिस्तौल और रिवाल्वर, कैप्टिव-बोल्ट मानव हत्यारे, लाइन-श्रीडिंग बंदूकें)
606	9304	अन्य हथियार (उदाहरण के लिए, स्प्रिंग, वायु या गैस बंदूकें और पिस्तौल, ट्रंचियन), शीर्षक 9307 के हथियारों को छोड़कर
607	9305	शीर्षक 9301 से 9304 तक की वस्तुओं के पुर्जों और सहायक उपकरण
608	9306	बम, ग्रेनेड, टारपीडो, बारूदी सुरंगें, मिसाइलें और युद्ध के समान हथियार और उनके हिस्से; कारतूस और अन्य गोला-बारूद और प्रक्षेपास्त्र और उनके हिस्से, जिनमें गोली और कारतूस के बंडल शामिल हैं
609	9307	तलवारें, कटी हुई लेस, संगीनें, बरछे और इसी प्रकार के हथियार और उनके भाग तथा उनके म्यान और म्यान
610	9401 [9401 10 00 के अलावा]	सीटें (शीर्षक 9402 की सीटों के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, जिनमें मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटें शामिल हैं, विमानों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटों के अलावा

611	9402	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा फर्नीचर (उदाहरण के लिए, ऑपरेशन टेबल, जांच टेबल, यांत्रिक फिटिंग वाले अस्पताल के बिस्तर, दंत चिकित्सकों की कुर्सियां); नाई की कुर्सियां और इसी तरह की कुर्सियां, जिनमें घूमने के साथ-साथ झुकने और ऊपर उठने की भी व्यवस्था हो; पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग
612	9403	अन्य फर्नीचर [पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बने फर्नीचर के अलावा] और उसके हिस्से
613	9404	गद्दे के सहारे; बिस्तर और इसी तरह की साज-सज्जा की वस्तुएं (उदाहरण के लिए, गद्दे, रजाई, ईडरडाउन, कुशन, पाउफ और तकिए) जो स्प्रिंग से लगे हों या किसी सामग्री से भरे हों या आंतरिक रूप से लगे हों या सेलुलर रबर या प्लास्टिक से बने हों, ढके हुए हों या नहीं [कॉयर उत्पादों के अलावा (कॉयर गद्दे को छोड़कर), पूरी तरह से रजाई वाले कपड़ा सामग्री से बने उत्पाद जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो और सूती रजाई जिनकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो]
614	9405	लुमिनेयर और प्रकाश फिटिंग जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उनके हिस्से शामिल हैं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रदीप्त चिह्न, प्रदीप्त नामपट्टिकाएं और इसी तरह की अन्य वस्तुएं, जिनमें स्थायी रूप से स्थिर प्रकाश स्रोत होता है, और उनके हिस्से जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [केरोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्से जिनमें गैस मेंटल शामिल हैं, हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, पेट्रोलैक्स, कांच की चिमनी और उसके हिस्से के अलावा]
615	9406	पूर्वनिर्मित इमारतें
616	9503	इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जैसे तिपहिया वाहन, स्कूटर, पैडल कार आदि (उनके पुर्जे और सहायक उपकरण सहित)
617	9504	वीडियो गेम कंसोल और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएं, टेबल या पार्लर गेम, जिसमें पिंटेबल्स, बिलियर्ड्स, कैसीनो गेम्स के लिए विशेष टेबल और स्वचालित बॉलिंग एली उपकरण शामिल हैं [इसके अलावा ताश, गंजीफा कार्ड, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और लूडो जैसे अन्य बोर्ड गेम आदि]
618	9505	उत्सव, कार्निवल या अन्य मनोरंजन संबंधी लेख, जिनमें जादू-टोने और नए चुटकुले शामिल हैं
619	9506	सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्विमिंग पूल और पैडिंग पूल के लिए सामग्री और उपकरण [खेल के सामान के अलावा]
620	9508	यात्रा करने वाले सर्कस और यात्रा करने वाले चिड़ियाघर; मनोरंजन पार्क की सवारी और जल मनोरंजन; मेला स्थल मनोरंजन, शूटिंग

		गैलरी सहित; यात्रा करने वाले थिएटर
621	9602	संसाधित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं, मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन या मॉडलिंग पेस्ट से बनी ढली या नक्काशीदार वस्तुएं, और अन्य ढली या नक्काशीदार वस्तुएं, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; संसाधित, कठोरीकृत जिलेटिन (शीर्षक 3503 के जिलेटिन को छोड़कर) और कठोरीकृत जिलेटिन से बनी वस्तुएं
622	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	बटन, प्लास्टिक के बने, कपड़ा सामग्री से ढके नहीं, आधार धातु के, नारियल के खोल के बटन, बटन ब्लैंक
623	9603 [9603 10 00 और 9603 21 00 के अलावा]	ब्रश (जिनमें मशीनों, उपकरणों या वाहनों के भाग बनाने वाले ब्रश शामिल हैं), हाथ से चलने वाले यांत्रिक फर्श स्वीपर, मोटर चालित नहीं, मोप्स और पंख डस्टर; झाड़ू या ब्रश बनाने के लिए तैयार गांठें और गुच्छे; पेंट पैड और रोलर्स; स्क्रीजी (रोलर स्क्रीजी के अलावा) [झाड़ू और ब्रश के अलावा, जो टहनियों या अन्य वनस्पति सामग्रियों से बने होते हैं, हैंडल के साथ या बिना, और दूध ब्रश जिनमें डेंटल-प्लेट ब्रश शामिल हैं]
624	9604 00 00	हाथ की छलनी और हाथ की पहेलियाँ
625	9605	व्यक्तिगत शौचालय, सिलाई या जूते या कपड़े साफ करने के लिए यात्रा सेट
626	9608	बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ड टिप वाले और अन्य छिद्रयुक्त टिप वाले पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन; स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलो; पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर और इसी प्रकार के होल्डर; पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्ष 9609 के भागों को छोड़कर
627	9610 00 00	बोर्ड, लेखन या चित्रांकन सतह के साथ, (फ्रेमयुक्त हो या नहीं)
628	9611	दिनांक, सील या संख्यांकन टिकटें, और इसी तरह की अन्य वस्तुएं (लेबल मुद्रित करने या उभारने के लिए उपकरण सहित), जिन्हें हाथ से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; हाथ से संचालित कम्पोज़िंग स्टिक और ऐसी कम्पोज़िंग स्टिक को शामिल करने वाले हाथ से मुद्रण सेट
629	9612	टाइपराइटर या इसी तरह के रिबन, स्याही लगे हुए या अन्यथा छाप देने के लिए तैयार, स्पूल पर या कार्ट्रिज में (चाहे हों या नहीं); इंक-पैड, स्याही लगे हुए हों या नहीं, बॉक्स के साथ या उसके बिना
630	9613	सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या विद्युतीय हों या नहीं, और उनके भाग चकमक पत्थर या बत्ती के अलावा

631	9616	सुगंध स्प्रे और इसी प्रकार के शौचालय स्प्रे, तथा उनके लिए माउंट और हेड; सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारियों के प्रयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड
632	9617	वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम पात्र, पूर्ण; कांच के अंदरूनी भाग के अलावा उनके अन्य भाग
633	9618	दर्जी की डमी और अन्य सामान्य आकृतियाँ; ऑटोमेटा और अन्य एनिमेटेड प्रदर्शन, जिनका उपयोग दुकान की खिड़की को सजाने के लिए किया जाता है
634	9620 00 00	मोनोपॉड, बाइपॉड, ट्राइपॉड और इसी तरह के अन्य सामान
635	9801	मशीनरी की सभी वस्तुएं जिनमें प्राइम मूवर, उपकरण, तंत्र और उपकरण, नियंत्रण गियर और ट्रांसमिशन उपकरण, सहायक उपकरण (अनुसंधान और विकास उद्देश्यों, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण सहित) शामिल हैं, साथ ही सभी घटक (चाहे तैयार हों या नहीं) या उपरोक्त वस्तुओं और उनके घटकों के निर्माण के लिए कच्चा माल, जो किसी इकाई की प्रारंभिक स्थापना, या किसी मौजूदा इकाई के पर्याप्त विस्तार के लिए आवश्यक है, निर्दिष्ट: (1) औद्योगिक संयंत्र, (2) सिंचाई परियोजना, (3) बिजली परियोजना, (4) खनन परियोजना, (5) तेल या अन्य खनिजों की खोज के लिए परियोजना, और (6) ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्र सरकार देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है; और अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चे माल (उपभोज्य सामान की अर्ध-तैयार सामग्री सहित) जो ऊपर निर्दिष्ट माल के मूल्य के 10% से अधिक नहीं है, बशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त पुर्जे, कच्चे माल या उपभोज्य सामान ऊपर (1) से (6) में उल्लिखित संयंत्र या परियोजना के रखरखाव के लिए आवश्यक हैं।
636	9802	प्रयोगशाला रसायन
637	कोई भी अध्याय	बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का स्थायी हस्तांतरण
638	कोई भी अध्याय	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय शीर्ष 2523 के अंतर्गत आने वाले कैपिटल गुड्स और सीमेंट के अलावा किसी भी माल की आपूर्ति, एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक प्रमोटर को परियोजना के निर्माण के लिए, जिस पर संघराज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत माल के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रमोटर द्वारा कर देय है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 07/2019-संघराज्य कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019 में निर्धारित है, जिसे सा.का.नि सं. 266(अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के

		राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। <i>स्पष्टीकरण-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (जेडके) में दिया गया है। (ii) "प्रोजेक्ट" का अर्थ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी) या आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी) होगा। (iii) "रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी)" शब्द का वही अर्थ होगा जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (जेडएन) में दिया गया है। (iv) "आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी)" का अर्थ आरईपी होगा जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। आरईपी में सभी अपार्टमेंटों के कुल कालीन क्षेत्र का। (v) यह प्रविष्टि उन सभी वस्तुओं पर लागू मानी जाएगी जो इसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं, भले ही वे इस अधिसूचना में कहीं और अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर की गई हों।
639	कोई भी अध्याय	वे सामान जो अनुसूची I, III, IV, V, VI या VII में निर्दिष्ट नहीं हैं
640	9804	सभी शुल्क योग्य वस्तुएं व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं

अनुसूची III- 20%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2202 10	सभी सामान (जिसमें शामिल वातित जल), जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त पदार्थ शामिल हैं
2.	2202 91 00, 2202 99 90	अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय [इस अधिसूचना की अनुसूची I में निर्दिष्ट के अलावा]
3.	2202 99 90	कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
4.	2202	फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय
5.	8703	मोटर ऑटोमोबाइल और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से लोक के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (अलग-अलग वे जो शीर्षक 8702 के हैं), जिसमें स्टेशन वैगन और रेसिंग ऑटोमोबाइल शामिल हैं लेकिन स्पष्ट अनुसूची में II के क्रम संख्या, 533, 534, 535, 536, 537, 538 और 539 के सामने उत्तल माल है।
6.	8703 40, 8703 60	मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो

		स्पष्टीकरण-इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
7.	8703 50, 8703 70	संपीड़न-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीजल-या अर्ध डीजल] और प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वाले मोटर वाहन, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
8.	8711	350 CC से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल
9.	8802	निजी उपयोग के लिए विमान
10.	8903	आनंद या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
11.	9302	रिवॉल्वर और पिस्तौल, से भिन्न शीर्षक वाले 9303 या 9304
12.	9614	धूम्रपान पाइप (जिसमें शामिल पाइप बाउल) और सिगार या सिगरेट होल्डर, और उसके हिस्से
13.	कोई भी अध्याय	निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा; स्पष्टीकरण: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(102ए) में परिभाषित "निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा" का अर्थ है निम्नलिखित में या इनके माध्यम से शामिल कार्रवाई योग्य दावा - (i) सट्टेबाजी; (ii) कैसीनो; (iii) जुआ; (iv) घुड़दौड़; (v) लॉटरी; या (vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग;

अनुसूची IV- 1.5%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7101	मोती, प्राकृतिक या संवर्धित, चाहे हो या न हो प्रसंस्कृत या श्रेणीबद्ध, परंतु पिरोए, आरोहित या जड़े नहीं गए; मोती, प्राकृतिक या संवर्धित, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए
2.	7105	प्राकृतिक या सिंथेटिक कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों की धूल और पाउडर
3.	7106	चांदी (जिसमें शामिल सोने या प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी), बिना गढ़ी हुई या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
4.	7107	चांदी से आच्छादित आधार धातुएं, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं की गई हैं
5.	7108	सोना (जिसमें शामिल प्लैटिनम से मढ़ा हुआ सोना) बिना गढ़ा हुआ या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
6.	7109	आधार धातु या चांदी, सोने से मढ़ी हुई, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं की गई
7.	7110	प्लैटिनम, बिना गढ़े या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में
8.	7111	आधार धातुएँ, चाँदी या सोना, प्लैटिनम से आच्छादित, अर्ध-निर्मित से अधिक काम नहीं किया गया
9.	7112	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से आच्छादित धातु का अपशिष्ट और स्क्रेप; बहुमूल्य धातु

		या बहुमूल्य धातु यौगिक युक्त अन्य अपशिष्ट और स्कैप, जिसका उपयोग मुख्यतः बहुमूल्य धातु की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
10.	7113	बहुमूल्य धातु से बने आभूषण और उनके भाग या बहुमूल्य धातु से मड़े हुए धातु
11.	7114	सुनार या चांदी के कारीगरों के सामान और उनके हिस्से, बहुमूल्य धातु से बने या बहुमूल्य धातु से मड़े हुए
12.	7115	बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु से आच्छादित धातु से बनी अन्य वस्तुएँ
13.	7116	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों (प्राकृतिक, कृत्रिम या पुनर्निर्मित) से बनी वस्तुएँ
14.	7117	नकली आभूषण [लाख/शैलैक की चूड़ियों के अलावा]
15.	7118	सिक्का

अनुसूची V – 0.125%

C	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102S	कच्चे हीरे या केवल आरी से काटे गए हीरे, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक
2.	7103	बहुमूल्य पत्थर (हीरे के अलावा) और अर्ध-कीमती पत्थर, चाहे वे काम किए गए हों या ग्रेड किए गए हों या नहीं, लेकिन पिरोए, लगाए या सेट नहीं किए गए हों; गैर-ग्रेड किए गए बहुमूल्य पत्थर (हीरे के अलावा) और अर्ध-कीमती पत्थर, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हों
3.	7104	सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे के अलावा], चाहे काम किया गया हो या ग्रेड किया गया हो या नहीं, लेकिन पिरोया, चढ़ाया या सेट नहीं किया गया हो; गैर-ग्रेडेड सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे के अलावा], परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोया गया हो; सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम किए या केवल आरी से काटे गए या मोटे तौर पर आकार दिए गए हों

अनुसूची VI – 0.75%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची V में क्रम संख्या 1 के समक्ष निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएँ
2.	7104	अनुसूची V में क्रम संख्या 3 के समक्ष निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएँ

अनुसूची VII – 14%

क्र. सं.	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला

2.	2401	अनिर्मित तम्बाकू; तम्बाकू अपशिष्ट [तम्बाकू की पत्तियों के अलावा]
3.	2402	सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प से बने
4.	2403	अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के विकल्प; "समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू; तम्बाकू के अर्क और सुगंध (विरिस सहित)
5.	2404 11 00	तम्बाकू या पुनर्गठित तम्बाकू युक्त उत्पाद और बिना दहन के साँस लेने के लिए
6.	2404 19 00	तम्बाकू या निकोटीन के विकल्प वाले उत्पाद जो बिना दहन के साँस लेने के लिए हैं

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(क) अभिव्यक्तियाँ, -

(i) "यूनिट कंटेनर" का अर्थ है एक पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया हो;

(ii) "पूर्व-पैक और लेबल युक्त" का अर्थ है खुदरा विक्री के लिए सभी वस्तुएं, जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (एल) में परिभाषित अनुसार "पूर्व-पैक" हैं, जहां पैकेज जिसमें वस्तु पूर्व-पैक है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपका हुआ लेबल है, उस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं अंकित होनी आवश्यक हैं;

(iii) "टैरिफ मद", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का अभिप्राय क्रमशः टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक और अध्याय होगा जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची, 1975 (1975 का 51), जिसमें शामिल, धारा और अध्याय टिप्पणी तथा प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणी की व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित हैं, इनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फ्रा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 9/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June,

2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of union territory tax of-

- (i) 2.5 per cent. in respect of goods specified in Schedule I,
- (ii) 9 per cent. in respect of goods specified in Schedule II,
- (iii) 20 per cent. in respect of goods specified in Schedule III
- (iv) 1.5 per cent. in respect of goods specified in Schedule IV,
- (v) 0.125 per cent. in respect of goods specified in Schedule V,
- (vi) 0.75 per cent. in respect of goods specified in Schedule VI, and
- (vii) 14 per cent. in respect of goods specified in Schedule VII

appended to this notification (hereinafter referred to as the said Schedules), that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedules, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedules.

SCHEDULE I – 2.5%

S. No.	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101 21 00, 0101 29	Live horses
2.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
3.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
4.	0402	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, including condensed milk
5.	0403	Yoghurt; Cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavored or containing added fruit, nuts or cocoa; Pre-packaged and labelled Curd, Lassi and Butter milk
6.	0404	Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
7.	0405	Butter and other fats and oils derived from milk, including ghee; dairy spreads
8.	0406	Cheese, other than chena or paneer
9.	0408	Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
10.	0409	Natural honey, pre-packaged and labelled
11.	0410	Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
12.	0502	Pigs' hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.
13.	0504	All goods, other than fresh or chilled, pre-packaged and labelled
14.	0505	Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers

15.	0507 (Except 050790)	Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.
16.	0508	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.
17.	0510	Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.
18.	0511	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption, other than semen including frozen semen.
19.	07	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jaribooti and dry flower
20.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split pre-packaged and labelled; Guar gum refined split
21.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, pre-packaged and labelled
22.	0801	Cashew nuts, whether or not shelled or peeled, desiccated coconuts; Brazil nuts, dried, whether or not Shelled or Peeled
23.	0802	Dried areca nuts, whether or not shelled or peeled; Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Pine nuts, chestnuts (singhada), Walnuts, whether or not shelled
24.	0802, 0813	Chestnuts (singhada), dried whether or not shelled or peeled
25.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled pre-packaged and labelled
26.	0804	Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried
27.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), dried
28.	0806	Grapes, dried, and raisins
29.	0811	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
30.	0812	Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption
31.	0813	Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind]
32.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
33.	0901	Coffee roasted, whether or not decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion [other than coffee beans not roasted]
34.	0902	Tea, whether or not flavoured [other than unprocessed green leaves of tea]
35.	0903	Maté

36.	0904	Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
37.	0905	Vanilla
38.	0906	Cinnamon and cinnamon-tree flowers
39.	0907	Cloves (whole fruit, cloves and stems)
40.	0908	Nutmeg, mace and cardamoms
41.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [other than of seed quality]
42.	0910 [other than 0910 11 10, 0910 30 10]	Ginger other than fresh ginger, saffron, turmeric (curcuma) other than fresh turmeric, thyme, bay leaves, curry and other spices
43.	1001	Wheat and meslin, pre-packaged and labelled
44.	1002	Rye, pre-packaged and labelled
45.	1003	Barley, pre-packaged and labelled
46.	1004	Oats, pre-packaged and labelled
47.	1005	Maize (corn), pre-packaged and labelled
48.	1006	Rice, pre-packaged and labelled
49.	1007	Grain sorghum, pre-packaged and labelled
50.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, pre-packaged and labelled
51.	1101	Wheat or meslin flour, pre-packaged and labelled
52.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin i.e. maize (corn) flour, Rye flour, etc., pre-packaged and labelled
53.	1103	Cereal groats, meal and pellets, including suji and dalia, pre-packaged and labelled
54.	1104	Cereal grains otherwise worked (for example, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground (other than hulled cereal grains)
55.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes, pre-packaged and labelled
56.	1106	Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 0713)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8, pre-packaged and labelled
57.	1107	Malt, whether or not roasted
58.	1108	Starches; inulin
59.	1109 00 00	Wheat gluten, whether or not dried
60.	12	All goods other than of seed quality
61.	1201	Soya beans, whether or not broken other than of seed quality.
62.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken other than of seed quality.
63.	1203	Copra
64.	1204	Linseed, whether or not broken other than of seed quality.
65.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken other than of seed quality.
66.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken other than of seed quality
67.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, other than of seed quality
68.	1208	Flour and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard
69.	1209	Tamarind seeds meant for any use other than sowing
70.	1210 20 00	Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
71.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
72.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and

		other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety <i>Cichorium intybus sativum</i>) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included
73.	1301	Natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) [other than lac and shellac]; Compounded asafoetida commonly known as heeng
74.	1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products including tamarind kernel powder
75.	1401	Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)
76.	1404 [other than 1404 90 40, 1404 90 60]	Vegetable products not elsewhere specified or included such as, Cotton linters, Soap nuts, Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used primarily for carving, Rudraksha seeds, bidi wrapper leaves(tendu), Indian katha [other than betel leaves, coconut shell unworked]
77.	1404 or 3305	Mehendi paste in cones
78.	1501	Pig fats (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503
79.	1502	Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503
80.	1503	Lard stearin, lard oil, oleo stearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared
81.	1504	Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified
82.	1505	Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)
83.	1506	Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
84.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
85.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
86.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
87.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
88.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
89.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
90.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
91.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
92.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
93.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
94.	1516	Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
95.	1517	Margarine, linoxyn; Edible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of

		heading 1516
96.	1518	Animal, vegetable or microbial fats and oils their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included
97.	1520 00 00	Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes
98.	1521	Vegetable waxes (other than triglycerides), Beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured
99.	1522	Degras, residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
100.	1601	Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products
101.	1602	Other prepared or preserved meat, meat offal, blood or insects
102.	1603	Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
103.	1604	Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs
104.	1605	Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved
105.	1701	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes [other than jaggery of all types, khandsari sugar, rab]
106.	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, Khandsari Sugar, Rab, pre-packaged and labelled
107.	1702 or 1704	Palmyra sugar, mishri, batasha, bura, sakar, khadi sakar, harda, sakariya, gatta, kuliya, elaichidana, lukumdana, chikkis like puffed rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, til chikki, til patti, til revdi, sugar makhana, groundnut sweets, gajak, khaja, khajuli, anarsa
108.	1702	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; caramel
109.	1703	Molasses
110.	1704	Sugar confectionary (including white chocolate), not containing cocoa, sugar boiled confectionary
111.	1801	Cocoa beans whole or broken, raw or roasted
112.	1802	Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
113.	1803	Cocoa paste whether or not de-fatted
114.	1804	Cocoa butter, fat and oil
115.	1805	Cocoa powder, not containing added sugar or sweetening matter
116.	1806	Chocolates and other food preparations containing cocoa
117.	1901 20 00	Mixes and doughs for the preparation of bread, pastry and other baker's wares
118.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled; Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis not elsewhere specified or included

119.	1902	Seviyan (vermicelli); Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared
120.	1903	Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms (sabudana)
121.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as murki, pre-packaged and labelled
122.	1904	All goods i.e. Corn flakes, bulgar wheat, prepared foods obtained from cereal flakes (other than puffed rice, commonly known as muri, flattened or beaten rice, commonly known as chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as murki); Fortified Rice Kernel (FRK)
123.	1905	Pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products; Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion; Extruded or expanded products, savoury or salted
124.	1905 40 00	Rusks, toasted bread and similar toasted products
125.	2001	Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid
126.	2002	Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
127.	2003	Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
128.	2004	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006
129.	2005	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006
130.	2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
131.	2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
132.	2008	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included; such as Ground-nuts, Cashew nut, roasted, salted or roasted and salted, Other roasted nuts and seeds, squash of Mango, Lemon, Orange, Pineapple or other fruits
133.	2009	Fruit or nut juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
134.	2009 89 90	Tender coconut water, pre-packaged and labelled
135.	2101 11, 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee
136.	2101 20	All goods i.e Extracts, essences and concentrates of tea or mate, and

		preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate
137.	2101 30	Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
138.	2102	Yeasts (active and inactive); other single cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders
139.	2103	All goods, including sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard including Curry paste, mayonnaise and salad dressings
140.	2104	Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
141.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa
142.	2106	Texturised vegetable proteins (soya bari), Bari made of pulses including mungodi and batters; Roasted Gram idli/dosa batter, chutney powder; Sweetmeats
143.	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, whether or not pre-packaged and labelled
144.	2106 90 91	Diabetic foods
145.	2106 (other than 21069020)	Food preparations not elsewhere specified or included [other than pan masala]
146.	2201	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured
147.	2201 90 10	Ice and snow
148.	2202 99	Plant-based milk drinks, ready for direct consumption as beverages
149.	2202 99 10	Soya milk drinks, whether or not sweetened or flavoured
150.	2202 99 20	Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]
151.	2202 99 30	Beverages containing milk
152.	2207	Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)
153.	2301	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves
154.	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]
155.	2302	Rice bran (other than de-oiled rice bran)
156.	2303	Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets
157.	2304	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil
158.	2305	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
159.	2306	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 other than cottonseed oil cake and de-oiled rice bran
160.	2307	Wine lees; argol
161.	2309	Fish soluble paste
162.	2401	Tobacco leave

163.	2502	Unroasted iron pyrites
164.	2503	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur
165.	2504	Natural graphite
166.	2505	Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
167.	2506	Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
168.	2507	Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined
169.	2508	Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths
170.	2509	Chalk
171.	2510	Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk
172.	2511	Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816
173.	2512	Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less
174.	2513	Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated
175.	2514	Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
176.	2515 [Except 2515 12 20, 2515 12 90] or 6802	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone (other than marble and travertine), alabaster, other than mirror polished stone which is ready to use
177.	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed
178.	2515 12 10	Marble and travertine blocks
179.	2516 [Except 2516 11 00, 25161200]	Porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
180.	2516 11 00	Granite crude or roughly trimmed
181.	2516	Granite blocks
182.	2517	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones heading 2515 or 2516 whether or not heat-treated
183.	2518	Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
184.	2519	Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure
185.	2520	Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders
186.	2521	Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.
187.	2522	Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825
188.	2524	Asbestos
189.	2525	Mica, including splitting; mica waste.

190.	2526	Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.
191.	2528	Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H ₃ BO ₃ (calculated on dry weight)
192.	2529	Feldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar
193.	2530	Mineral substances not elsewhere specified or included
194.	2611	Tungsten ores and concentrates
195.	2612	Uranium or thorium ores and concentrates
196.	2613	Molybdenum ores and concentrates
197.	2614	Titanium ores and concentrates
198.	2615	Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates
199.	2616	Precious metal ores and concentrates
200.	2617	Other ores and concentrates
201.	2618	Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel
202.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag
203.	2621	Fly Ash
204.	27	Bio-gas
205.	2704	Coke and semi coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon
206.	2705	Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
207.	2710	(a) Kerosene oil PDS, (b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely, i. IFO 180 CST ii. IFO 380 CST iii. Marine Fuel 0.5% (FO)
208.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited
209.	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 10	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers
210.	28	Thorium oxalate, Enriched KBF ₄ (enriched potassium fluoborate), Enriched elemental boron, Nuclear fuel
211.	28	Anaesthetics, Potassium Iodate, Iodine, Steam
212.	2804 40 10	Medical grade oxygen
213.	2805 11	Nuclear grade sodium
214.	2807	Sulphuric Acid
215.	2808	Nitric acid
216.	2809	Fertilizer grade phosphoric acid
217.	2814	Ammonia
218.	2845	Heavy water and other nuclear fuels
219.	2847	Medicinal grade hydrogen peroxide
220.	2853	Compressed air
221.	28 or 38	Micronutrients, which are covered under serial number 1(g) of Schedule 1, Part (A) of the Fertilizer Control Order, 1985 and are manufactured by the manufacturers which are registered under the Fertilizer Control Order, 1985
222.	29 or 3808 93	Gibberellic acid
223.	2906 11 10	Natural Menthol
224.	2906 11 10, 30, 3301	Following goods from Natural Menthol namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil), c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO) d. De-mentholised oil (DMO), e. Spearmint oil

		f. <i>Mentha piperita</i> oil
225.	30	Insulin, Cyclosporin, Desferrioxamine injection or deferiprone, Oral re-hydration salts
226.	30 or any Chapter	All Drugs and medicines including their salts and esters and diagnostic test kits; formulations manufactured from bulk drugs [other than those specified at nil at S. No. 113 of notification No. 10/2025-Union Territory Tax (Rate) dated 17 th September, 2025]
227.	30	Diagnostic kits for detection of all types of hepatitis
228.	30	Medicaments (including veterinary medicaments) used in bio-chemic systems
229.	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia
230.	3001	Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included
231.	3002	Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products; cell cultures whether or not modified
232.	3002, 3006	Animal or Human Blood Vaccines
233.	3003	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, Siddha, homoeopathic or Bio-chemic systems medicaments
234.	3004	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale, including Ayurvedic, Unani, homoeopathic siddha or Bio-chemic systems medicaments, put up for retail sale
235.	3005	Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes
236.	3006	Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter i.e. Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials (including sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable; Waste pharmaceuticals (other than contraceptives); Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes
237.	3101	All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled
238.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
239.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
240.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers

241.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers
242.	32	Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract
243.	3202	Enzymatic preparations for pre-tanning
244.	3304	Talcum powder, Face powder
245.	3305	Hair oil, shampoo
246.	3306	Toothpaste
247.	3306 10 10	Tooth powder
248.	3306 20 00	Yarn used to clean between the teeth (Dental floss)
249.	3307	Shaving cream, shaving lotion, aftershave lotion
250.	3307 41 00	Agarbatti, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambraani
251.	3401	Toilet Soap (other than industrial soap) in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes
252.	3402	Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil
253.	3406	Candles, tapers and the like
254.	3503	Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501
255.	3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
256.	3605 00 10	All goods
257.	3701	Photographic plates and film for x-ray for medical use
258.	3705	Photographic plates and films, exposed and developed, other than cinematographic film
259.	3706	Photographic plates and films, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track, other than feature films
260.	3808	The following Bio-pesticides, namely - 1 Bacillus thuringiensis var. israelensis 2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki 3 Bacillus thuringiensis var. galleriae 4 Bacillus sphaericus 5 Trichoderma viride 6 Trichoderma harzianum 7 Pseudomonas fluorescens 8 Beauveria bassiana 9 NPV of Helicoverpa armigera 10 NPV of Spodoptera litura 11 Neem based pesticides 12 Cymbopogon
261.	3816	Dolomite ramming mix
262.	3818	Silicon wafers
263.	3822	All diagnostic kits or reagents including certified reference materials
264.	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel
265.	3926	Feeding bottles, Plastic beads
266.	4001	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip
267.	4004 00 00	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)
268.	4007	Latex Rubber Thread
269.	4011	Rear Tractor tyres and rear tractor tyre tubes
270.	4011 30 00	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on aircraft
271.	4011 70 00	Tyre for tractors
272.	4011, 4013	Pneumatic tyres or inner tubes, of rubber, of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws

273.	4013 90 49	Tube for tractor tyres
274.	4014	Nipples of feeding bottles
275.	4015	Surgical rubber gloves or medical examination rubber gloves
276.	4016	Rubber bands
277.	4017	Waste or scrap of hard rubber
278.	4101	Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
279.	4102	Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split
280.	4103	Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
281.	4104	Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared
282.	4105	Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared
283.	4106	Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared
284.	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
285.	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
286.	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
287.	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather
288.	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour
289.	4202 22 20	Hand bags and shopping bags, of cotton
290.	4202 22 30	Hand bags and shopping bags, of jute
291.	4203	Gloves specially designed for use in sports
292.	44 or any Chapter	The following goods, namely: — b. Cement Bonded Particle Board; c. Jute Particle Board; d. Rice Husk Board; e. Glass-fibre Reinforced Gypsum Board (GRG) f. Sisal-fibre Boards; g. Bagasse Board; and h. Cotton Stalk Particle Board i. Particle/fibre board manufactured from agricultural crop residues
293.	44, 68, 83	Idols of wood, stone [including marble] and metals [other than those made of precious metals]
294.	4401	Wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
295.	4404	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like
296.	4405	Wood wool; wood flour

297.	4406	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
298.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [for match splints]
299.	4409	Bamboo flooring
300.	4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood
301.	4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves
302.	4417	Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood
303.	4418	Bamboo wood building joinery
304.	4419	Tableware and Kitchenware of wood
305.	4420	Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94
306.	4421	Other articles of wood; such as clothes hangers, Spools, cops, bobbins, sewing thread reels and the like of turned wood for various textile machinery, Match splints, Pencil slats, Parts of wood, namely oars, paddles and rudders for ships, boats and other similar floating structures, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware [other than Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware]
307.	4501	Natural cork, raw or simply prepared
308.	4502 00 00	Natural cork, debarked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
309.	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
310.	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork
311.	4601, 4602	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork
312.	4701	Mechanical wood pulp
313.	4703	Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades
314.	4704	Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades
315.	4705	Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes
316.	4706	Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material
317.	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard
318.	48	Paper splints for matches, whether or not waxed, Asphaltic roofing sheets
319.	39, 48	Paper Sacks/Bags and bio-degradable bags
320.	4801	Newsprint, in rolls or sheets
321.	4817 30	Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery
322.	4819 10, 4819 20	Cartons, boxes and cases of, - (a) Corrugated paper or paper boards; or (b) Non-corrugated paper or paper board
323.	4823	Paper pulp moulded trays; Kites, Paper mache articles
324.	4901	Brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets
325.	5004 to 5006	Silk yarn
326.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste
327.	5104	Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair, shoddy wool
328.	5105	Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed

329.	5106 to 5110	Yarn of wool or of animal hair
330.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
331.	5201 to 5203	Cotton and Cotton waste
332.	5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale
333.	5205 to 5207	Cotton yarn [other than khadi yarn]
334.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
335.	5301	All goods i.e. flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garneted stock)
336.	5302	True hemp (<i>Cannabis sativa</i> L), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garneted stock)
337.	5303	All goods i.e. textile bast fibres [other than jute fibres, raw or processed but not spun]; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garneted stock)
338.	5305 to 5308	All goods [other than coconut coir fibre] including yarn of flax, jute, other textile bast fibres, other vegetable textile fibres; paper yarn including coir pith compost pre-packaged and labelled
339.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
340.	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
341.	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	All goods including synthetic or artificial filament yarns
342.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
343.	5501, 5502	Synthetic or artificial filament tow
344.	5503, 5504, 5506, 5507	Synthetic or artificial staple fibres
345.	5505	Waste of manmade fibres
346.	5508	Sewing thread of manmade staple fibres, whether or not put up for retail sale
347.	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres
348.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
349.	5601	Wadding of textile materials and articles thereof; such as Absorbent cotton wool except cigarette filter rods
350.	5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
351.	5603	Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
352.	5604	Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics
353.	5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, including real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread, imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance
354.	5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn
355.	5607	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics including jute twine, coir cordage or ropes
356.	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
357.	5609	Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included, products of coir
358.	5701	Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up
359.	5702	Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” and similar hand-woven rugs
360.	5703	Carpets and other textile floor coverings (including Turf), tufted, whether or not made up
361.	5704	Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or

		flocked, whether or not made up
362.	5705	Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up; such as Mats and mattings including Bath Mats, where cotton predominates by weight, of Handloom, Cotton Rugs of handloom
363.	5702, 5703, 5705	Coir mats, matting, floor covering and handloom durries
364.	5801	All goods
365.	5802	Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703
366.	5803	Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806
367.	5804	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006
368.	5805	Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up
369.	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)
370.	5807	Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered
371.	5808	Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles; saree fall
372.	5809	Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included; such as Zari borders
373.	5809, 5810	Embroidery or zari articles, that is to say,- imi, zari, kasab, salma, dabka, chumki, gota, sitara, naqsi, kora, glass beads, badla, gizai
374.	5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs, Embroidered badges, motifs and the like
375.	5811	Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810
376.	5901	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations
377.	5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon
378.	5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902
379.	5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape
380.	5905	Textile wall coverings
381.	5906	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902
382.	5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
383.	5908	Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated
384.	5909	Textile hose piping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials
385.	5910	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material
386.	5911	Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter; such as Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other

		material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams); Bolting cloth, whether or not made up; Felt for cotton textile industries, woven; Woven textiles felt, whether or not impregnated or coated, of a kind commonly used in other machines; Cotton fabrics and articles used in machinery and plant; Jute fabrics and articles used in machinery or plant; Textile fabrics of metalised yarn of a kind commonly used in paper making or other machinery; Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair; Paper maker's felt, woven; Gaskets, washers, polishing discs and other machinery parts of textile articles
387.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]
388.	61	Article of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs 2500 per piece
389.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
390.	63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309]	Other made up textile articles, sets, of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
391.	6309 or 6310	Worn clothing and other worn articles; rags
392.	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.2500 per pair
393.	6501	Textile caps
394.	6505	Hats (knitted/crocheted) or made up from lace or other textile fabrics
395.	6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)
396.	6602	Whips, riding-crops and the like
397.	6602 00 00	Walking-sticks including seat sticks
398.	6603	Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602
399.	6701	Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes)
400.	68	Sand lime bricks or Stone inlay work
401.	6802	Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone
402.	6909	Pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance and packing of goods of ceramic
403.	6911	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
404.	6912	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china
405.	6913	Statues and other ornamental articles
406.	7001	Cullet or other waste or scrap of glass
407.	7015 10	Glasses for corrective spectacles and flint buttons
408.	7018	Glass beads
409.	7020	Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns
410.	7310 or 7326	Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes
411.	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium
412.	7317	Animal shoe nails
413.	7319	Sewing needles
414.	7321	Kerosene burners, kerosene stoves and wood burning stoves of iron or steel
415.	7321 or 8516	Solar cookers
416.	7323	Table, kitchen or other household articles of iron & steel; Utensils
417.	7418	Table, kitchen or other household articles of copper; Utensils
418.	7419 80 30	Brass Kerosene Pressure Stove
419.	7615	Table, kitchen or other household articles of aluminium; Utensils

420.	8306	Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; metal bidriware
421.	8401	Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors
422.	8407 10 00, 8411	Aircraft engines
423.	8408	Fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
424.	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
425.	8413, 8413 91	Hand pumps and parts thereof
426.	8413 81 90	Hydraulic Pumps for tractors
427.	8414 20 20	Other hand pumps
428.	8419 12	Solar water heater and system
429.	8420	Hand operated rubber roller
430.	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers
431.	8424	Sprinklers; drip irrigation system including laterals; mechanical sprayers
432.	8432	Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers; Parts [8432 90]
433.	8433	Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; parts thereof
434.	8436	Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders; parts thereof
435.	8452	Sewing machines, other than book-sewing machine of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machines needles and parts of sewing machines
436.	8479	Composting Machines
437.	84, 85 or 94	Following renewable energy devices and parts for their manufacture:- (a) Bio-gas plant; (b) Solar power-based devices; (c) Solar power generator; (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG); (e) Waste to energy plants / devices; (f) Solar lantern / solar lamp; (g) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants; (h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels. Explanation:- If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 11/2017-Union territory Tax (Rate), dated 28th June, 2017 [G.S.R. 702(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service
438.	8504	Charger or charging station for Electrically operated vehicles
439.	8525 60	Two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces etc.
440.	87	Fuel Cell Motor Vehicles including hydrogen vehicles based on fuel cell technology
441.	87	Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric vehicles. Explanation.- For the purposes of this entry, "Electrically operated vehicles" means vehicles which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles and shall include E- bicycles.

442.	8701	Tractors (except road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc)
443.	8708	Following parts of tractors namely: a. Rear Tractor wheel rim, b. tractor centre housing, c. tractor housing transmission, d. tractor support front axle
444.	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
445.	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
446.	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
447.	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
448.	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
449.	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
450.	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
451.	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452.	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor
453.	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
454.	8708 99 00	Fender, Hood, Wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors.
455.	8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles
456.	8712	Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised
457.	8713	Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise mechanically propelled
458.	8714	Parts and accessories of bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised, of heading 8712
459.	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons
460.	8716 20 00	Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes
461.	8716 80	Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles
462.	88 or Any other Chapter	Scientific and technical instruments, apparatus, equipment, accessories, parts, components, spares, tools, mock ups and modules, raw material and consumables required for launch vehicles and satellites and payloads
463.	8802	Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes), other than for personal use
464.	8806	Unmanned aircraft
465.	8807	Parts of goods of heading 8802 or 8806
466.	8901	Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the transport of persons or goods
467.	8902	Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products
468.	8904	Tugs and pusher craft
469.	8905	Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production platforms
470.	8906	Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats
471.	8907	Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, buoys and beacons)
472.	Any chapter	Parts of goods of headings 8901, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907
473.	90	Coronary stents and coronary stent systems for use with cardiac catheters
474.	90 or any other Chapter	Artificial kidney
475.	90 or any other Chapter	Blood glucose monitoring system (Glucometer) and test strips
476.	90 or any other Chapter	Patent Ductus Arteriosus / Atrial Septal Defect occlusion device
477.	90 or any other Chapter	Parts of the following goods, namely: - (i) Crutches; (ii) Wheel chairs; (iii) Walking frames; (iv) Tricycles;

		(v) Brailers; and (vi) Artificial limbs
478.	90 or any other Chapter	Assistive devices, rehabilitation aids and other goods for disabled, specified in List 1 appended to this Schedule
479.	90 or 84	Disposable sterilized dialyzer or micro barrier of artificial kidney
480.	9001	Contact lenses; Spectacle lenses
481.	9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof
482.	9004	Spectacles, corrective (including goggles for correcting vision)
483.	9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scientigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments
484.	9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus
485.	9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters
486.	9021	Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than hearing aids]
487.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like
488.	9025	Thermometers for medical, surgical, dental or veterinary usage
489.	9027	Instruments and apparatus for medical, surgical, dental or veterinary uses, for physical or chemical analysis
490.	9403	Furniture wholly made of bamboo, cane or rattan
491.	9404	Coir products (except coir mattresses)
492.	9404	Products wholly made of quilted textile materials not exceeding Rs 2500 per piece
493.	9404	Cotton quilts of sale value not exceeding Rs. 2500 per piece
494.	9401 10 00	Aircraft seats
495.	9405	Hurricane lanterns, Kerosene lamp / pressure lantern, petromax, glass chimney, and parts thereof
496.	9503	Toy balloons made of natural rubber latex
497.	9503	Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof) [other than electronic toys]
498.	9504	Playing cards, chess board, carom board and other board games, like ludo, etc. (other than Video game consoles and Machines)
499.	9506	Sports goods other than articles and equipment for general physical exercise
500.	9507	Fishing hooks
501.	9507	Fishing rods, and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy birds (other than those of heading 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites
502.	9601	Worked ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, corals, mother of pearl, and other animal carving material and articles of these materials, articles of coral (including articles obtained by moulding)
503.	9603 [other than 9603 10 00]	Broomsticks (other than brooms consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles)
504.	9603 21 00	Tooth brushes including dental-plate brushes
505.	9607	Slide fasteners and parts thereof
506.	9615	Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof
507.	9619 00 30, 9619 00 40, or 9619 00 90	All goods

508.	9701	Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages, mosaics and similar decorative plaques
509.	9702	Original engravings, prints and lithographs
510.	9703	Original sculptures and statuary, in any material
511.	9704	Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 4907
512.	9705	Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, paleontological, ethnographic or numismatic interest including numismatic coins
513.	9706	Antiques of an age exceeding one hundred years
514.	9804	All drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits and formulations intended for personal use [other than those specified at nil at S No. 113 of Notification No. 10/2025-Union territory Tax (Rate) dated 17 th September, 2025]
515.	Any chapter	Rosaries, prayer beads or Hawan samagri
516.	Any chapter	Biomass briquettes or solid bio fuel pellets

SCHEDULE II – 9 %

S. No.	Chapter/Heading/Sub-Heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	1702	Artificial honey, whether or not mixed with natural honey
2.	2207	Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]
3.	22071012	Spirits for industrial use
4.	2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid
5.	24041200	Products containing nicotine and intended for inhalation without combustion
6.	24049100, 24049200, 24049900	Products for oral application or transdermal application or for application otherwise than orally or transdermally, containing nicotine and intended to assist tobacco use cessation
7.	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
8.	2516 12 00	Granite, other than blocks
9.	2523	Portland cement, aluminous cement, slag cement, super sulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
10.	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
11.	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
12.	2603	Copper ores and concentrates
13.	2604	Nickel ores and concentrates
14.	2605	Cobalt ores and concentrates
15.	2606	Aluminium ores and concentrates
16.	2607	Lead ores and concentrates
17.	2608	Zinc ores and concentrates
18.	2609	Tin ores and concentrates
19.	2610	Chromium ores and concentrates
20.	2619	Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag
21.	2620	Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel)

		containing metals, arsenic or their compounds
22.	2621	Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste [other than fly ash]
23.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
24.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
25.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
26.	2706	Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars
27.	2707	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, such as Benzole (benzene), Toluole (toluene), Xylol (xylenes), Naphthelene
28.	2708	Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars
29.	2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than petroleum crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils; Avgas (other than kerosene PDS, petrol, diesel and ATF which are not in GST)
30.	2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, such as Propane, Butanes, Ethylene, propylene, butylene and butadiene [Other than Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers or to non-domestic exempted category (NDEC) customers by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited]
31.	2712	Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
32.	2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
33.	2714	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks
34.	2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)
35.	28	All inorganic chemicals [other than those specified in notification No.10/2025- Central Tax (Rate) dated 17 th September 2025 or other Schedules of this notification]
36.	29	All organic chemicals other than giberellic acid
37.	2906 11 90	Goods other than Natural Menthol
38.	29061190, 30, 3301	Following goods made from other than natural menthol, namely:- a. Menthol and menthol crystals, b. Peppermint (Mentha Oil) c. Fractionated / de-terpenated mentha oil (DTMO) d. De-mentholised oil (DMO) e. Spearmint oil f. Mentha piperita oil
39.	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, which are clearly not to be used as fertilizers
40.	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, which are clearly not to be used as fertilizers
41.	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, which are clearly not to be used as fertilizers
42.	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, which are clearly not to be used as fertilizers
43.	3201	Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers,

		esters and other derivatives (other than Wattle extract, quebracho extract, chestnut extract)
44.	3202	Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances (other than Enzymatic preparations for pre-tanning)
45.	3203	Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin
46.	3204	Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined
47.	3205	Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes
48.	3206	Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined
49.	3207	Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes
50.	3208	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter
51.	3209	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium
52.	3210	Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather
53.	3211 00 00	Prepared driers
54.	3212	Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale
55.	3213	Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings
56.	3214	Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like
57.	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink
58.	3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils such as essential oils of citrus fruit, essential oils other than those of citrus fruit such as eucalyptus oil, etc., flavouring essences all types (including those for liquors), attars of all kinds in fixed oil bases
59.	3302	Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages such as synthetic perfumery compounds [other than natural menthol and goods made from natural menthol i.e menthol and menthol crystals, Peppermint (Mentha Oil), Fractionated / de-terpenated mentha oil

		(DTMO), De-mentholised oil (DMO), Spearmint oil, Mentha piperita oil]
60.	3303	Perfumes and toilet waters
61.	3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments) including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations [other than kajal, kumkum, bindi, sindur, alta, talcum powder and face powder]
62.	3305	Preparations for use on the hair [other than mehendi paste in cones, hair oil, shampoo]
63.	3306	Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders in individual retail packages [other than tooth powder, tooth paste and yarn used to clean between the teeth (dental floss)]
64.	3307	Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties [other than shaving cream, shaving lotion and aftershave lotion]
65.	3307 41 00	Odoriferous preparations which operate by burning [other than agarbattis, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani]
66.	3401	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap [other than toilet soap in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes]; organic surface active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent
67.	3402	Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 [other than Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil]
68.	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
69.	3404	Artificial waxes and prepared waxes
70.	3405	Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404
71.	3407	Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)
72.	3501	Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues
73.	3502	Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives
74.	3504	Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed; including Isolated soya protein
75.	3506	Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg
76.	3507	Enzymes, prepared enzymes

77.	3601	Propellant powders
78.	3602	Prepared explosives, other than propellant powders, such as industrial explosives
79.	3603	Safety fuses; detonating cords; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators
80.	3604	Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles
81.	3606	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter; such as liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters
82.	3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs; such as Instant print film, Cinematographic film (other than for x-ray for Medical use)
83.	3702	Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed
84.	3703	Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed
85.	3704	Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed
86.	3706	Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track
87.	3707	Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use
88.	3801	Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures
89.	3802	Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black
90.	3803 00 00	Tall oil, whether or not refined
91.	3804	Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803
92.	3805	Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent
93.	3806	Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums
94.	3807	Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch
95.	3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products [other than bio-pesticides mentioned against S. No. 260 of Schedule –I]
96.	3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included
97.	3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods
98.	3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils

99.	3812	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics such as vulcanizing agents for rubber
100.	3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire extinguishing grenades
101.	3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers
102.	3815	Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included
103.	3816	Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 [other than dolomite ramming mix]
104.	3817	Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902
105.	3818	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics [other than silicon wafers]
106.	3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
107.	3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids
108.	3821	Prepared culture media for development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
109.	3823	Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining; industrial fatty alcohols
110.	3824	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included
111.	3825	Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included [except municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter.]
112.	3826	Biodiesel (other than biodiesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel)
113.	3827	Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included
114.	3901 to 3913	All goods i.e. polymers; Polyacetals, other polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters, other polyesters; polyamides; Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes; silicones; Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included; Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included; Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included; in primary forms
115.	3914	Ion exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms
116.	3915	Waste, Parings and Scrap, of Plastics
117.	3916	Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics
118.	3917	Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of plastics
119.	3918	Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter
120.	3919	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls
121.	3920	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other

		materials
122.	3921	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics
123.	3922	Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics
124.	3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics
125.	3924	Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics
126.	3925	Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included
127.	3926	Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 [other than bangles of plastic, plastic beads and feeding bottles]
128.	4002	Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip; such as Latex, styrene butadiene rubber, butadiene rubber (BR), Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR), Ethylene-propylene-Non-conjugated diene rubber (EPDM)
129.	4003	Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip
130.	4004	Powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)
131.	4005	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip
132.	4006	Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber
133.	4007	Vulcanised rubber thread and cord, other than latex rubber thread
134.	4008	Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber
135.	4009	Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)
136.	4010	Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber
137.	4011	New pneumatic tyres, of rubber (other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; rear tractor tyres; and of a kind used on aircraft)
138.	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber
139.	4013	Inner tubes of rubber (other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; and Rear Tractor tyre tubes)
140.	4014	Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber; such as Hot water bottles, Ice bags [other than Sheath contraceptives, Rubber contraceptives, male (condoms), Rubber contraceptives, female (diaphragms), such as cervical caps]
141.	4015	Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber [other than Surgical gloves]
142.	4016	Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber [other than erasers, rubber bands]
143.	4017	Hard rubber (for example ebonite) in all forms, other than waste and scrap; articles of hard rubber
144.	4201	Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material
145.	4202	Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or

		wholly or mainly covered with such materials or with paper [other than handbags and shopping bags, of cotton or jute]
146.	4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather [other than gloves specially designed for use in sports]
147.	4205	Other articles of leather or of composition leather
148.	4206	Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
149.	4301	Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103.
150.	4302	Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303
151.	4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin
152.	4304	Artificial fur and articles thereof
153.	4403	Wood in the rough
154.	4407	Wood sawn or chipped
155.	4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm [other than for match splints]
156.	4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, v-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed [other than bamboo flooring]
157.	4410	Particle board, Oriented Strand Board and similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances, other than specified boards
158.	4411	Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances, other than specified boards
159.	4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood
160.	4413	Densified wood, in blocks, plates, strips, or profile shapes
161.	4414	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
162.	4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes [other than bamboo wood building joinery]
163.	4421	Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware
164.	44 or any Chapter	Resin bonded bamboo mat board, with or without veneer in between; Bamboo flooring tiles
165.	4501	Waste cork; crushed, granulated or ground cork
166.	4702	Chemical wood pulp, dissolving grades
167.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; [other than uncoated paper and paperboard for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks only]
168.	4803	Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets
169.	4804	Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803
170.	4805	Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in Note 3 to this Chapter

171.	4806	Vegetable parchment, tracing papers and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets
172.	4806 20 00	Greaseproof papers
173.	4806 40 10	Glassine papers
174.	4807	Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets
175.	4808	Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803
176.	4809	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets
177.	4810	Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets of any size
178.	4811	Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810
179.	4812	Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp
180.	4813	Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
181.	4814	Wall paper and similar wall coverings; window transparencies of paper
182.	4816	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes
183.	4817 [Except 4817 30]	Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; [other than boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery including writing blocks]
184.	4818	Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, table cloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, or paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
185.	4819 (except 4819 10, 4819 20)	All Goods (other than Cartons, boxes and cases of, – (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board)
186.	4820	Registers, account books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; and book covers, of paper or paperboard [other than note books and exercise books]
187.	4821	Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed
188.	4822	Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened)
189.	4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres [other than paper pulp moulded trays, Braille paper, Kites, Paper mache articles]
190.	4906 00 00	Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing
191.	4907	Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value;

		stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title (other than Duty Credit Scrips); Cheques, loose or in book form
192.	4908	Transfers (decalcomanias).
193.	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings.
194.	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.
195.	4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs; such as Trade advertising material, Commercial catalogues and the like, printed Posters, Commercial catalogues, Printed inlay cards, Pictures, designs and photographs, Plan and drawings for architectural engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes reproduced with the aid of computer or any other devices.
196.	5601 22 00	Cigarette Filter rods
197.	61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 2500 per piece
198.	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, of sale value exceeding Rs. 2500 per piece
199.	63 [other than 6309]	Other made-up textile articles, sets of sale value exceeding Rs. 2500 per piece [other than worn clothing and other worn articles; rags]
200.	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods
201.	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers
202.	6401	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes
203.	6402	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics
204.	6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather
205.	6404	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials
206.	6405	Other footwear
207.	6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof
208.	6501	Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt [other than textile caps]
209.	6502	Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed
210.	6504 00 00	Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed
211.	6505	Other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed
212.	6506	Other headgear, whether or not lined or trimmed
213.	6507	Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear
214.	6702	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit
215.	6703	Wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like
216.	6704	Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included
217.	6801	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)
218.	6802	Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially

		coloured granules, chippings and power, of natural stone (including slate) [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone][except the items covered in Sl. No. 176 in Schedule I]
219.	6803	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate
220.	6804	Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials
221.	6805	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up
222.	6806	Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or chapter 69
223.	6807	Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)
224.	6808	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders
225.	6809	Articles of plaster or of compositions based on plaster; such as Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented
226.	6810	Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced
227.	6811	Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like
228.	6812	Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813
229.	6813	Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other materials
230.	6814	Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials
231.	6815	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included [other than Fly ash bricks Fly ash aggregates; Fly ash blocks]
232.	6901	Blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths
233.	6902	Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths
234.	6903	Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths
235.	6904	Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and the like
236.	6905	Chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods
237.	6906	Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings
238.	6907	Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics
239.	6909	Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture;

		ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods
240.	6910	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures
241.	6914	Other ceramic articles
242.	7002	Glass in balls (other than microspheres of heading 70.18), rods or tubes, unworked
243.	7003	Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
244.	7004	Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
245.	7005	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
246.	7006 00 00	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials
247.	7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass
248.	7008	Multiple-walled insulating units of glass
249.	7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors
250.	7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass
251.	7011	Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps and light sources, cathode ray tube or the like
252.	7013	Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)
253.	7014	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked
254.	7015	Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses
255.	7016	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass small wares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms
256.	7017	Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated
257.	7018	Imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter
258.	7019	Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics)
259.	7020	Other articles of glass [other than Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns]
260.	7201	Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms
261.	7202	Ferro-alloys
262.	7203	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms
263.	7204	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel
264.	7205	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel
265.	7206	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron

		of heading 7203)
266.	7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
267.	7208 to 7212	All flat-rolled products of iron or non-alloy steel
268.	7213 to 7215	All bars and rods, of iron or non-alloy steel
269.	7216	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
270.	7217	Wire of iron or non-alloy steel
271.	7218	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel
272.	7219, 7220	All flat-rolled products of stainless steel
273.	7221, 7222	All bars and rods, of stainless steel
274.	7223	Wire of stainless steel
275.	7224	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel
276.	7225, 7226	All flat-rolled products of other alloy steel
277.	7227, 7228	All bars and rods of other alloy steel.
278.	7229	Wire of other alloy steel
279.	7301	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel
280.	7302	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails
281.	7303	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron
282.	7304	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel
283.	7305	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel
284.	7306	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel
285.	7307	Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel
286.	7308	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their frames and thresholds for doors, and shutters, balustrades, pillars, and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, section, tubes and the like, prepared for using structures, of iron or steel [other than transmission towers]
287.	7309	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
288.	7310	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment, other than Milk cans made of Iron or Steel
289.	7311	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel
290.	7312	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated
291.	7313	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel
292.	7314	Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel
293.	7315	Chain and parts thereof, of iron or steel falling under 7315 20, 7315 81, 7315 82, 7315 89, 7315 90
294.	7316	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

295.	7317	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
296.	7318	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel
297.	7319	Knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettoes and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included
298.	7320	Springs and leaves for springs, of iron and steel
299.	7321	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel [other than Kerosene burners, kerosene stoves, wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers]
300.	7322	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel
301.	7323	Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel (other than Milk cans made of Iron or Steel)
302.	7323 9410	Ghamella
303.	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel
304.	7325	Other cast articles of iron or steel
305.	7326	Other articles of iron or steel
306.	7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)
307.	7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining
308.	7403	Refined copper and copper alloys, unwrought
309.	7404	Copper waste and scrap
310.	7405	Master alloys of copper
311.	7406	Copper powders and flakes
312.	7407	Copper bars, rods and profiles
313.	7408	Copper wire
314.	7409	Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm
315.	7410	Copper foils
316.	7411	Copper tubes and pipes
317.	7412	Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
318.	7413	Stranded wires and cables
319.	7415	Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper
320.	7418	All goods (other than table, kitchen or other household articles of copper; Utensils)
321.	7419	Other articles of copper (other than Brass Kerosene Pressure Stove)
322.	7501	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy
323.	7502	Unwrought nickel
324.	7503	Nickel waste and scrap
325.	7504	Nickel powders and flakes
326.	7505	Nickel bars, rods, profiles and wire
327.	7506	Nickel plates, sheets, strip and foil
328.	7507	Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
329.	7508	Other articles of nickel
330.	7601	Unwrought Aluminium
331.	7602	Aluminium waste and scrap
332.	7603	Aluminium powders and flakes
333.	7604	Aluminium bars, rods and profiles

334.	7605	Aluminium wire
335.	7606	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm
336.	7607	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm
337.	7608	Aluminium tubes and pipes
338.	7609	Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
339.	7610	Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures
340.	7611	Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment
341.	7612	Aluminium casks, drums, cans, boxes, etc., other than Milk cans made of Aluminium
342.	7613	Aluminium containers for compressed or liquefied gas
343.	7614	Stranded wires, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated
344.	7615	All goods (other than table, kitchen or other household articles, of aluminium; Utensils, Milk cans made of Aluminium)
345.	7616	Other articles of aluminium
346.	7801	Unwrought lead
347.	7802	Lead waste and scrap
348.	7804	Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes
349.	7806	Other articles of lead (including sanitary fixtures and Indian lead seals)
350.	7901	Unwrought zinc
351.	7902	Zinc waste and scrap
352.	7903	Zinc dust, powders and flakes
353.	7904	Zinc bars, rods, profiles and wire
354.	7905	Zinc plates, sheets, strip and foil
355.	7907	Other articles of zinc including sanitary fixtures
356.	8001	Unwrought tin
357.	8002	Tin waste and scrap
358.	8003	Tin bars, rods, profiles and wire
359.	8007	Other articles of tin
360.	8101 to 8112	Other base metals, namely, Tungsten, Molybdenum, Tantalum, Magnesium, Cobalt mattes, and other intermediate products of cobalt metallurgy, Bismuth, Cadmium, Titanium, Zirconium, Antimony, Manganese, Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles thereof, including waste and scrap
361.	8113	Cermets and articles thereof, including waste and scrap
362.	8202	Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades)
363.	8203	Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools
364.	8204	Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles
365.	8205	Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included; blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of, machine-tools or water-jet cutting machines; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks
366.	8206	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale

367.	8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools
368.	8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances
369.	8209	Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets
370.	8210 00 00	Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink
371.	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor
372.	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)
373.	8213 00 00	Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor
374.	8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives); manicure or pedicure sets and instruments including nail files [other than pencil sharpeners]
375.	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware
376.	8301	Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal
377.	8302	Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal
378.	8303	Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal
379.	8304	Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 9403
380.	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal
381.	8307	Flexible tubing of base metal, with or without fittings
382.	8308	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal
383.	8309	Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal
384.	8310	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405
385.	8311	Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying
386.	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
387.	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps
388.	8401	Nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopes separation
389.	8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

390.	8403	Central heating boilers other than those of heading 8402
391.	8404	Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units
392.	8405	Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers
393.	8406	Steam turbines and other vapour turbines
394.	8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine [other than aircraft engines]
395.	8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)
396.	8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408
397.	8410	Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor
398.	8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines [other than aircraft engines]
399.	8412	Other engines and motors (Reaction engines other than turbo jets, Hydraulic power engines and motors, Pneumatic power engines and motors, other parts) [other than wind turbine or engine]
400.	8413	(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps]; Pumps for dispensing fuel or lubricants of the type used in filling stations or garages [8413 11], Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines [8413 30]
401.	8414	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; Gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]
402.	8414 20 10	Bicycles pumps
403.	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps
404.	8415	Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated
405.	8416	Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances
406.	8417	Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric
407.	8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415
408.	8419 [other than 8419 12]	Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric [other than Solar water heater and system]
409.	8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor [other than Hand operated rubber roller]
410.	8421	Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases
411.	8422	Dish washing machines, household [8422 11 00] and other [8422 19 00]; Machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes,

		bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages
412.	8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 centigrams or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds
413.	8424	Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than sprinklers; drip irrigation systems including laterals; mechanical sprayer; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]
414.	8425	Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks
415.	8426	Ship's derricks; cranes including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane
416.	8427	Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
417.	8428	Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)
418.	8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers
419.	8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers
420.	8431	Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430
421.	8433	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]
422.	8434	Milking machines and dairy machinery
423.	8435	Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages
424.	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof
425.	8438	Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils
426.	8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
427.	8440	Book-binding machinery, including book-sewing machines
428.	8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds
429.	8442	Machinery, apparatus and equipment (other than the machines of headings 8456 to 8465) for preparing or making plates, printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)
430.	8443	Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof
431.	8444	Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials
432.	8445	Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447

433.	8446	Weaving machines (looms)
434.	8447	Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
435.	8448	Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, dobbies, Jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, spindles and spindles flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald frames, hosiery needles)
436.	8449	Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats
437.	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry
438.	8451	Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made up textile articles and machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor covering such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics
439.	8453	Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
440.	8454	Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries
441.	8455	Metal-rolling mills and rolls therefor
442.	8456	Machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes
443.	8457	Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal
444.	8458	Lathes (including turning centres) for removing metal
445.	8459	Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
446.	8460	Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal, or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461
447.	8461	Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included
448.	8462	Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die forging (excluding rolling mills); Machine-tools (including presses, slitting lines and cut-to-length lines) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching, notching or nibbling (excluding draw-benches); Presses for working metal or metal carbides, not specified above
449.	8463	Other machine-tools for working metal, or cermets, without removing material
450.	8464	Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass
451.	8465	Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials
452.	8466	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 including work or tool holders, self-

		opening dieheads, dividing heads and other special attachments for the machines; tool holders for any type of tool, for working in the hand
453.	8467	Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor
454.	8468	Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering machines and appliances
455.	8470	Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers
456.	8471	Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included
457.	8472	Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines) [other than Braille typewriters, electric or non-electric]
458.	8473	Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8470 to 8472
459.	8474	Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand
460.	8475	Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware
461.	8476	Automatic goods-vending machines (for example, postage stamps, cigarette, food or beverage machines), including money changing machines
462.	8477	Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this Chapter
463.	8478	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter
464.	8479	Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter [other than Composting Machines]
465.	8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics
466.	8481	Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves
467.	8482	Ball bearing, Roller Bearings
468.	8483	Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)
469.	8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals
470.	8485	Machines for Additive Manufacturing
471.	8486	Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the

		manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in Note 11(C) to this Chapter; parts and accessories
472.	8487	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features not specified or included elsewhere in this chapter
473.	84 or 85	E-waste <i>Explanation.-</i> For the purpose of this entry, E-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer
474.	8501	Electric motors and generators (excluding generating sets)
475.	8502	Electric generating sets and rotary converters
476.	8503	Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502
477.	8504	Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors other than charger or charging station for Electrically operated vehicles
478.	8505	Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads
479.	8506	Primary cells and primary batteries
480.	8507	Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square)
481.	8508	Vacuum cleaners
482.	8509	Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 8508
483.	8510	Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor
484.	8511	Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines
485.	8512	Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles
486.	8513	Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 8512
487.	8514	Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss
488.	8515	Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photo beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets
489.	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro thermic hairdressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes [other than solar cookers]; electric heating resistors, other than those of heading 8545
490.	8517	All goods
491.	8518	Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not

		mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier set
492.	8519	Sound recording or reproducing apparatus
493.	8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner
494.	8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 or 8521
495.	8523	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37
496.	8524	Flat Panel Display Modules, Whether or Not Incorporating Touch-Sensitive Screens
497.	8525	Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defense, police and paramilitary forces, etc.]
498.	8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
499.	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock
500.	8528	Television set (including LCD or LED television), Computer Monitors, Set top Box for Television; monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus
501.	8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528
502.	8530	Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 8608)
503.	8531	Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530
504.	8532	Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)
505.	8533	Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors
506.	8534 00 00	Printed Circuits
507.	8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1,000 volts
508.	8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lampholders, and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts: connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables
509.	8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517
510.	8538	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537
511.	8539	Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps

512.	8540	Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes)
513.	8541	Semiconductor Devices (for example, Diodes, Transistors, Semiconductor Based Transducers); Photosensitive Semiconductor devices; Light-Emitting Diodes (LED), whether or not assembled with other Light-Emitting Diodes (LED); mounted piezo-electric crystals
514.	8542	Electronic integrated circuits
515.	8543	Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter
516.	8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors
517.	8545	Carbon electrodes, carbon brushes, Lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes
518.	8546	Electrical insulators of any material
519.	8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for the purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material
520.	8548 00 00	Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in Chapter 85
521.	8549	Electrical and electronic waste and scrap
522.	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
523.	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
524.	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
525.	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles)
526.	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
527.	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
528.	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
529.	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing.
530.	8609	Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport [including refrigerated containers]
531.	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc
532.	8702	Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver [including buses for use in public transport, which exclusively run on Bio-fuels]
533.	8702 or 8703	Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles
534.	8703 21 or 8703 22	Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm

		Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
535.	8703 31	Diesel driven motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
536.	8703	Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely: - (a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and (b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department
537.	8703	Three wheeled vehicles
538.	8703 40, 8703 60	Following Vehicles, with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under
539.	8703 50, 8703 70	Following Vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under
540.	8704	Motor vehicles for the transport of goods, including Refrigerated motor vehicles
541.	8705	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological unit)
542.	8706	Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
543.	8707	Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
544.	8708	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 [other than specified parts of tractors]
545.	8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on

		railway station platforms; parts of the foregoing vehicles
546.	8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor not exceeding 350 cc, with or without side-cars; side-cars
547.	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711
548.	8715	Baby carriages and parts thereof
549.	8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof [other than Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes, and Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles]
550.	8801	Balloons and dirigibles, gliders and other non-powered aircraft
551.	8804	Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotochutes; parts thereof and accessories thereto and parts thereof
552.	8805	Aircraft launching gear, deck arrestor or similar gear; ground flying trainers and parts thereof
553.	8807	Parts of goods of heading 8801
554.	8903	Rowing boats and canoes
555.	8908 00 00	Vessels and other floating structures for breaking up
556.	9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarising material; prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked
557.	9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked [other than intraocular lens]
558.	9004	Spectacles [other than corrective]; Goggles [other than corrective]
559.	9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radio-astronomy
560.	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539
561.	9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus
562.	9008	Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers
563.	9010	Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens
564.	9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection
565.	9012	Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus
566.	9013	Lasers, other than Laser Diodes; other Optical Appliances and Instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter
567.	9014	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances
568.	9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders
569.	9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights
570.	9017	Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter
571.	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta, gamma or other ionizing radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like

572.	9023	Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses
573.	9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)
574.	9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments [other than thermometers for medical, surgical, dental or veterinary usage]
575.	9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032
576.	9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes [other than instruments and apparatus for medical, surgical, dental or veterinary uses for physical or chemical analysis]
577.	9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor
578.	9029	Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes
579.	9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations
580.	9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors
581.	9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus
582.	9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90
583.	9101	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal
584.	9102	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop watches, other than those of heading 9101
585.	9103	Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104
586.	9104	Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels
587.	9105	Other clocks
588.	9106	Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders)
589.	9107	Time switches with clock or watch movement or with synchronous motor
590.	9108	Watch movements, complete and assembled
591.	9109	Clock movements, complete and assembled
592.	9110	Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements
593.	9111	Watch cases and parts thereof
594.	9112	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof
595.	9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof
596.	9114	Other clock or watch parts

597.	9201	Pianos, including automatic pianos; harpsi-chords and other keyboard stringed instruments
598.	9202	Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)
599.	9205	Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs
600.	9206 00 00	Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)
601.	9207	Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
602.	9208	Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments
603.	9209	Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds
604.	9301	Military weapons other than revolvers, pistols
605.	9303	Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns)
606.	9304	Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 9307
607.	9305	Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304
608.	9306	Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads
609.	9307	Swords, cut lasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor
610.	9401 [other than 9401 10 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof, including seats of a kind used for motor vehicles, other than seats of a kind used for aircraft
611.	9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles
612.	9403	Other furniture [other than furniture wholly made of bamboo, cane or rattan] and parts thereof
613.	9404	Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered [other than coir products (except coir mattresses), products wholly made of quilted textile materials not exceeding Rs. 2500 per piece and cotton quilts not exceeding Rs. 2500 per piece]
614.	9405	Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof]
615.	9406	Prefabricated buildings
616.	9503	Electronic Toys like tricycles, scooters, pedal cars etc. (including parts and accessories thereof)
617.	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa]

		card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo, etc.
618.	9505	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes
619.	9506	Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, swimming pools and padding pools [other than sports goods]
620.	9508	Travelling Circuses and Travelling Menageries; Amusement Park Rides and Water Part Amusements; Fairground Amusements, including Shooting Galleries; Travelling Theatres
621.	9602	Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and articles of unhardened gelatin
622.	9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29, 9606 30	Buttons, of plastics not covered with the textile material, of base metals, buttons of coconut shell, button blanks
623.	9603 [other than 9603 10 00 and 9603 21 00]	Brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than roller squeegees) [other than brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles, and tooth brushes including dental-plate brushes]
624.	9604 00 00	Hand sieves and hand riddles
625.	9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
626.	9608	Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens; stylograph pens and other pens; duplicating stylos; pen holders, pencil holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609
627.	9610 00 00	Boards, with writing or drawing surface, whether or not framed
628.	9611	Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
629.	9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes
630.	9613	Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints or wicks
631.	9616	Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations
632.	9617	Vacuum flasks and other vacuum vessels, Complete; parts thereof other than glass inners
633.	9618	Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays, used for shop window dressing
634.	9620 00 00	Monopods, bipods, tripods and similar articles
635.	9801	All items of machinery including prime movers, instruments, apparatus and appliances, control gear and transmission equipment, auxiliary equipment (including those required for research and development purposes, testing and quality control), as well as all components (whether finished or not) or raw materials for the manufacture of the aforesaid items and their components, required for the initial setting up of a unit, or the substantial expansion of an existing unit, of a specified: (1) industrial plant, (2) irrigation project, (3) power project, (4) mining project, (5) project for the exploration for oil or other minerals, and (6) such other projects as the Central Government may, having regard to the economic development of the country notify in the Official Gazette in this behalf; and spare parts, other raw materials (including semi-finished materials of consumable stores) not exceeding 10% of the value of the goods specified above, provided that such spare

		parts, raw materials or consumable stores are essential for the maintenance of the plant or project mentioned in (1) to (6) above.
636.	9802	Laboratory chemicals
637.	Any Chapter	Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right
638.	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub- section (4) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), as prescribed in notification No. 07 / 2019- Union Territory Tax (Rate), dated 29th March, 2019, published in Gazette of India vide G.S.R. No. 266(E), dated 29th March, 2019 <i>Explanation.-</i> For the purpose of this entry,— (i) the term “promoter” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (ii) “project” shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term “Real Estate Project (REP)” shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (iv) “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.
639.	Any Chapter	Goods which are not specified in Schedule I, III, IV, V, VI or VII
640.	9804	All dutiable articles intended for personal use

SCHEDULE III– 20%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2202 10	All goods (including aerated waters), containing added sugar or other sweetening matter or flavoured
2.	2202 91 00, 2202 99 90	Other non-alcoholic beverages [other than those specified in Schedule I of this notification]
3.	2202 99 90	Caffeinated Beverages
4.	2202	Carbonated beverages of fruit drink or carbonated beverages with fruit juice
5.	8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars, but excluding the goods mentioned against S. Nos., 533, 534, 535, 536, 537, 538 and 539 of Schedule II.
6.	8703 40, 8703 60	Motor vehicles with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion, of engine capacity exceeding 1200cc or of length exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988

		(59 of 1988) and the rules made there under.
7.	8703 50, 8703 70	Motor vehicles with both compression- ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion, of engine capacity exceeding 1500 cc or of length exceeding 4000 mm <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
8.	8711	Motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc
9.	8802	Aircrafts for personal use
10.	8903	Yachts and other vessels for pleasure or sports
11.	9302	Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304
12.	9614	Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof
13.	Any Chapter	Specified actionable claim; Explanation: “specified actionable claim” as defined in section 2(102A) of the CGST Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of – (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;

SCHEDULE IV– 1.5%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7101	Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport
2.	7105	Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones
3.	7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
4.	7107	Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured
5.	7108	Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
6.	7109	Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured
7.	7110	Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
8.	7111	Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured
9.	7112	Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal.
10.	7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
11.	7114	Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
12.	7115	Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
13.	7116	Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)
14.	7117	Imitation jewellery [other than bangles of lac/shellac]

15.	7118	Coin

SCHEDULE V – 0.125%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial
2.	7103	Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport
3.	7104	Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped

SCHEDULE VI – 0.75%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Goods other than those specified against S. No. 1 in Schedule V
2.	7104	Goods other than those specified against S. No. 3 in Schedule V

SCHEDULE VII – 14%

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences (including biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(a) the expressions, -

(i) "unit container" means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;

(ii) “pre-packaged and labelled” means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are “pre-packed” as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder;

(iii) "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

[F. No CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.